सेल SAIL

वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

SAIL

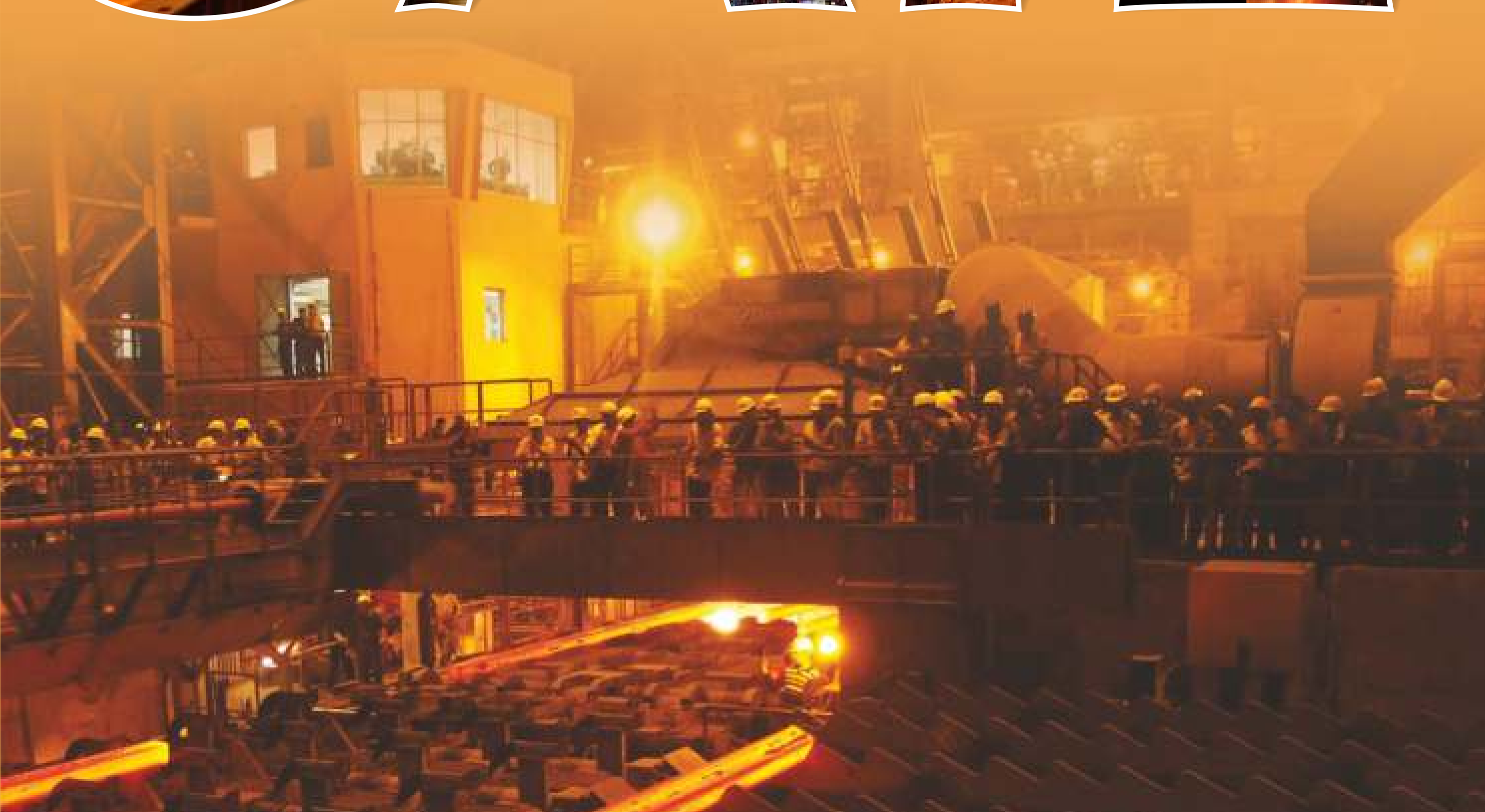

ध्येय पथ

एक सम्मानित विश्वस्तरीय प्रतिष्ठान बनने के साथ–साथ भारतीय इस्पात व्यवसाय में गुणवत्ता, उत्पादकता, लाभप्रदता और उपभोक्ता संतुष्टि के क्षेत्र में अग्रणी रहना।

मूल मत

- हम उपभोक्ताओं के साथ विश्वास एवं पारस्परिक हित पर आधारित चिरस्थायी संबंध बनाते हैं।
- हम अपने व्यवसाय के संचालन में सर्वोच्च नैतिक मानकों को कायम रखते हैं।
- हम एक ऐसी संस्कृति का सृजन और पोषण करते हैं जो नम्य एवं ज्ञानार्जन की समर्थक हो और परिवर्तन के प्रति सहक्रियात्मक हो।
- हम कर्मचारियों को प्रगति एवं पुरस्कार के अवसरों से युक्त चुनौतीपूर्ण रोज़गार पेश करते हैं।
- हम लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के अवसर और दायित्व का महत्व समझते हैं।

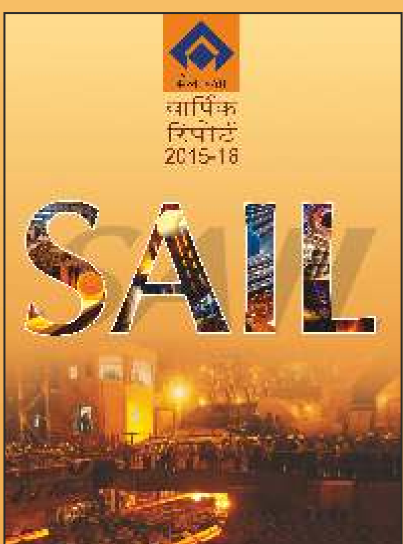

विषय–सूची

शेयरधारकों को पत्र	02
निदेशक मंडल	04
दस वर्षों की एक झलक	06
निदेशकों की रिपोर्ट	08
प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट	27
वार्षिक लेखे	35
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	74
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	82
सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	84
कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट	86
कॉरपोरेट अभिशासन प्रमाण पत्र	91
व्यापारिक दायित्व रिपोर्ट	92
समेकित वित्तीय विवरण	98
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	120
समेकित वित्तीय विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखा का टिप्पणियां	127
वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं समेत सहायक कंपनियों का विवरण (फार्म एओसी–1)	130
वार्षिक विवरणी का उद्धरण (एमजीटी–9)	132
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण	141
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण	142
सीएसआर के क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	148
प्रमुख कार्यपालक	150
नोटिस	151
प्रतिनिधि फार्म	160

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारकगण,

वर्ष 2015–16, देश और भारतीय इस्पात उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण वर्ष था। जबकि विश्व की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंद वृद्धि देखी गई है, भारत, विश्व की सबसे तीव्रता से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया है। जहां तक इस्पात का संबंध है, इस वर्ष में, भारत को संयुक्त राज्य अमरीका से भी आगे जाता देखा गया है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है।

इस वर्ष के दौरान, भारत, विश्व में इस्पात का एकमात्र ऐसा प्रमुख उपभोक्ता बाजार था, जिसमें वृद्धि देखी गई। तथापि, वैश्विक रूप से अधिक आपूर्ति वाले परिदृश्य के कारण, आयात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जो बढ़कर 2014–15 में 27 प्रतिशत तक और 2013–14 में 123 प्रतिशत तक हो गई। वास्तव में, इस वर्ष में निवल आयात में हुई वृद्धि, इस्पात की घरेलू खपत में हुई वृद्धि से अधिक थी। अक्सर पूर्व दिनांकित मूल्यों पर किए जाने वाले आयातों ने, भारतीय इस्पात उत्पादकों द्वारा मूल्य में कमी करने के लिए बाध्य कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप लाभ की मात्रा में भारी कमी हो गई।

मैं, इस संकटकालीन परिस्थिति में हस्तक्षेप करने और आवश्यक सुधारात्मक व्यापार उपाय करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। सरकार ने, देश में इस्पात का ढेर लगाने को नियंत्रित करने के लिए फरवरी 2016 में न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) तंत्र आरंभ किया। यदि यह कदम न उठाया जाता तो इस्पात उद्योग, अपेक्षाकृत अधिक दबाव के अंतर्गत लड़खड़ा जाता। तथापि, प्रक्षेपित मांग–आपूर्ति की स्थिति के अनुसार, निकट भविष्य में वैश्विक अधिक आपूर्ति बनी रहेगी और भारतीय इस्पात उद्योग को एकसमान अवसर वाली स्थिति उपलब्ध कराने के लिए दीर्घकालिक व्यापार उपायों की आवश्यकता है।

मैं यहां इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि जबकि वर्तमान संदर्भ में ये व्यापार उपाय आवश्यक हैं, वहीं भारत में इस्पात उद्योग की दीर्घकालिक प्रतियोगितात्मकता, अन्य उपायों के साथ–साथ, माल–भाड़ा दरों के संबंध में अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों की तुलना में भारतीय इस्पात उद्योग को समान अवसर वाली स्थिति उपलब्ध कराने, ऋण लेने की लागत, विनियामक लागतों और प्रतियोगी मूल्यों पर ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

इस पृष्ठभूमि में, वर्ष 2015–16 आपकी कंपनी के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण था। इस्पात के मूल्यों में ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर तक इस निर्बाध गिरावट ने सेल की लाभप्रदता को प्रतिकूलतः प्रभावित किया। जबकि उष्ण धातु और कच्चे इस्पात का उत्पादन अब तक का सर्वाधिक था, वहीं बाजार की मंदी वाली स्थिति और हमारे बोकारो इस्पात संयंत्र में 'हॉट स्ट्रिप मिल' को उन्नत करने के लिए की गई एक प्रमुख काम बंदी के कारण बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन और बिक्रियों में आनुपातिक वृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकी।

तथापि, मुझे दृढ़ विश्वास है कि सबसे बुरा समय गुजर गया है और आपकी कंपनी इस वित्तीय वर्ष में मोड़ लेगी, क्योंकि अधिकांश समर्थकारी स्थितियां मौजूद हैं। आधुनिकीकरण और विस्तारण योजना के अधीन हमारी नई इकाइयों से होने वाली उत्पादन की प्रबलता, केवल उत्पादन में ही वृद्धि नहीं कर रही है और बेहतर गुणवत्ता की ओर ही अग्रसर नहीं हो रही है बल्कि उसने उत्पादन की लागत कम करने में भी हमारी सहायता की है। नई दक्ष इकाइयों से होने वाले उच्चतर उत्पादन और लागत अतिशयबोधक माध्यमों से उत्पादन के यौक्तिकीकरण ने 2015–16 की पहली तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में उत्पादन की परिवर्तनीय लागत में 10 प्रतिशत तक की कमी दर्शाई है और यही रुझान जारी है। इस वर्ष, हमने अपने उत्पादन और बिक्रियों में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का लक्ष्य रखा है।

हमारी नई रोलिंग मिलों द्वारा विनिर्माण किए जा रहे उत्पादों का ग्राहकों द्वारा स्वागत किया गया है और हमारा यह निरंतर प्रयास है कि इन मिलों से अधिकाधिक मूल्यवर्धित ग्रेड जोड़े जाएं। बढ़ाए गए उत्पादन के संयोजन में, बिक्रियों और वसूलियों में सुधार करने के लिए दक्ष और रणनीतिक विपणन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में विपणन पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जहां हमारे पास स्वाभाविक माल–भाड़ा लाभ,

बढ़ती हुई खुदरा बिक्रियां और सेल के ब्रांड की छवि की शक्ति है।

इस वर्ष में, हम अपने भिलाई इस्पात संयंत्र में शेष आधुनिकीकरण और विस्तारण परियोजनाएं पूरी कर लेंगे। इन सुविधाओं में, विश्व में सबसे लंबी एकल खंड रेल का उत्पादन करने की क्षमता वाली अति आधुनिक 'यूनिवर्सल रेल मिल' शामिल है। इस मिल की संस्थापना, सेल को, भारतीय रेलवे की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रेलों का उत्पादन करने, मेट्रो की परियोजनाएं कार्यान्वित करने, समर्पित माल और यात्री कॉरिडोर बनाने तथा निर्यात बाजार तैयार करने की क्षमता उपलब्ध कराएगी।

चल रहे ऐसे आधुनिकीकरण और विस्तारण कार्यक्रमों, जो पूर्णता के छोर पर हैं, के अलावा हमने अपने उत्पाद मिश्रण और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए नई परियोजनाएं आरंभ की हैं। इनमें से महत्वपूर्ण हैं – हमारे राउरकेला इस्पात संयंत्र में 3.00 एमटीपीए क्षमता वाली 2250 एमएम चौड़ी 'हॉट स्ट्रिप मिल'। 2018 में संस्थापित किए जाने के कार्यक्रम वाली यह मिल हमें, देश में बढ़ते स्वचालन उद्योग के लिए उन्नत उच्च शक्ति वाले ग्रेडों सहित अत्यधिक उच्च गुणवत्ता वाली रॉल की गई कॉयलों का उत्पादन करने में समर्थ बनाएगी।

आपकी कंपनी के कच्चे माल की सुरक्षा के संबंध में, खनिज लोहे की आवश्यकताए कैप्टिव खानों से पूरी की जा रही है। खनिज लोहे की बढ़ती आवश्यकता पूरी करने के लिए खनिज लोहे की मौजूदा खानों की क्षमताओं का विस्तार किया जा रहा है और खनिज लोहे की नई खानों का विकास किया जा रहा है। हमें झारखंड में परबतपुर कोकिंग कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया है, जो हमारी कोकिंग कोयले की सुरक्षा में वृद्धि करेगा। हमारी मंशा है कि सेल द्वारा कोकिंग कोयले और ओएनजीसी द्वारा कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के साथ–साथ निष्कर्षण पर आधारित संशोधित खनन योजना के अनुमोदन के पश्चात यथाशीघ्र इस ब्लॉक से उत्पादन आरंभ किया जाए।

आपकी कंपनी, पर्यावरण के संरक्षण और स्थायी विकास में सदैव अग्रणी रही है। इस दिशा में, पर्यावरणीय पदचिह्न कम करने और उत्सर्जनों को न्यूनतम करने के लिए सेल के संयंत्रों ने विभिन्न पहलें की हैं। इसके अलावा, वर्तमान आधुनिकीकरण एवं विस्तारण कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थापित अति आधुनिक सुविधाओं के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय मापदंडों में काफी सुधार हुआ है, जिससे हम पहले की अपेक्षा अधिक हरित और अधिक पर्यावरण–अनुकूल तरीके से इस्पात का उत्पादन करने में समर्थ हुए हैं। समग्र पर्यावरण में वृक्षारोपण के महत्व को महसूस करते हुए आज तक सेल के संयंत्रों में और खान के स्थानों पर दो करोड़ के आस–पास वृक्ष लगाए गए हैं, जिसमें से 4.6 लाख का वृक्षारोपण 2015–16 में ही किया गया है।

वर्तमान चुनौतियों के बावजूद, इस्पात सेक्टर के लिए भारत का दीर्घकालिक दृष्टिकोण उज्ज्वल बना हुआ है। इस सेक्टर की प्रगति को सहारा देने के लिए भारत सरकार समुचित कदम उठा रही है। 2016–17 के यूनियन बजट में, सड़कों और रेलवे जैसी अवसंरचना के लिए ₹218,000 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। ऐसा परिदृश्य घरेलू इस्पात सेक्टर के लिए शुभ संकेत देता है। सरकार की अन्य पहलों, जैसे 2022 तक सबके लिए आवास, 2019 तक सबके लिए बिजली, 2022 तक 100 स्मार्ट शहर और कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण का अटल मिशन (एएमआरयूटी) से देश में इस्पात की मांग में पर्याप्त रूप से वृद्धि होने की संभावना है।

इस्पात की मांग में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के संयोजन में, देश में अग्रणी इस्पात उत्पादकों के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम, सक्रिय अवधि चक्र विश्लेषण आधारित लागत निर्धारण, सुनिश्चित गुणवत्ता, सुरक्षा और निर्माण की गति के संबंध में अन्य सामग्रियों की तुलना में इस्पात के लाभों का प्रचार करके, निर्माण और अवसंरचना परियोजनाओं में इस्पात की मात्रा में वृद्धि करने जैसी पहलों के जरिए इस्पात की खपत में वृद्धि करें। हम इस पहल के प्रति एक विशेष अभियान आरंभ कर रहे हैं। चूंकि देश में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत, वर्तमान 61 किलोग्राम से बढ़कर 208 किलोग्राम के विश्व के औसत स्तर तक हो जाती है तो भारतीय इस्पात उद्योग के लिए पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है।

अंततः, इस अवसर पर मैं, आपके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए कंपनी के शेयरधारकों के रूप में आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं, अपने ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा अपने कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कंपनी के साथ सदैव अडिग रहे और मैं भविष्य में भी उनके निरंतर समर्थन की आशा करता हूं।

पी के सिंह

(पी.के. सिंह)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 अगस्त, 2016

निदेशक मण्डल (11.08.2016 को)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पी.के.सिंह

कार्यकारी निदेशकगण

वित्त
श्री अनिल कुमार चौधरी

कच्चा माल एवं लॉजिस्टिक्स
श्री कल्याण माइति

वाणिज्यिक
श्री बिनोद कुमार

कार्मिक
डॉ.एन. महापात्रा

परियोजना एवं व्यापार आयोजना
श्री जी. विश्वकर्मा

तकनीकी
श्री रमन

सरकारी निदेशकगण

श्रीमती भारती एस. सिहाग
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

श्री सुनील बर्थवाल
संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

स्वतंत्र निदेशकगण

श्री पी.के. दास

प्रोफेसर अशोक गुप्ता

सीए प्रमोद बिंदल

श्रीमती अंशु वैश

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (स्थायी आमंत्रित)

बोकारो इस्पाात संयंत्र
श्री अनुतोष मैत्रा

भिलाई इस्पात संयंत्र
श्री एम. रवि

राउरकेला इस्पात संयंत्र
श्री अश्विनी कुमार

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
श्री ए.के. रथ

इस्को इस्पात संयंत्र
श्री आर.के.राठी

कंपनी सचिव
श्री एम.सी.जैन

बैंकर्स

एक्सिस बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ इण्डिया
बैंक ऑफ टोक्यो–मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड
बार्कलेज बैंक पीएलसी
कैनरा बैंक
कॉरपोरेशन बैंक
ड्यूश बैंक
डिवेलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
हॉन्गकॉन्गं शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
इंडसइंड बैंक लिमिटेड
जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
मिजूहो बैंक लिमिटेड
पंजाब नेशनल बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन
यूनाइटेड ओवरसीज बैंक
विजया बैंक
यस बैंक लिमिटेड

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स बी.एन.मिश्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार

मैसर्स शर्मा गोयल एण्ड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड लेखाकार

मैसर्स सिंघी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार

मैसर्स चटर्जी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार

लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स आर.जे.गोयल एण्डल कंपनी
लागत लेखाकार

मैसर्स संजय गुप्ता एण्डं एसोसिएट्स
लागत लेखाकार

मैसर्स शोम एण्ड कंपनी
लागत लेखाकार

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय
इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003
फोन: 24367481, फैक्स: 24367015
इंटरनेट: www.sail.co.in
ईमेल: secy.sail@sailex.com
CIN: L27109DL1973GOI006454

निदेशक मण्डल

श्री पी.के. सिंह

श्रीमती भारती एस. सिहाग

श्री सुनील बर्थवाल

श्री अनिल कुमार चौधरी

श्री कल्याण माइति

श्री बिनोद कुमार

डॉ. एन. माहापात्रा

श्री जी. विश्वकर्मा

श्री रमन

श्री पी.के. दास

प्रो. अशोक गुप्ता

सीए प्रमोद बिंदल

श्रीमती अंशु वैश

दस वर्षों की एक झलक

वित्तीय झलकियां

(₹ करोड़)

	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
सकल बिक्री	43337	50627	51866	49350	50348	47041	43935	48738	45555	39189
निवल बिक्री	38514	45208	46189	43961	45654	42719	40551	43204	39508	33923
मूल्यह्रास, ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईडीटीए)	(3052)	5586	5909	5621	7658	9030	11871	10946	12955	10966
मूल्यह्रास	2100	1773	1717	1403	1567	1486	1337	1288	1235	1211
ब्याज और वित्तीय प्रभार	2047	1454	968	748	678	475	402	259	251	332
विशिष्ट मद पूर्व लाभ	(7198)	2359	4184	3470	5413	7069	–	–	–	–
विशिष्ट मदः लाभ (–)/हानि (–)	–	–	959	(229)	(262)	125	–	–	–	–
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	(7198)	2359	3225	3241	5151	7194	10132	9399	11469	9423
कर/आयकर वापसी और लंबित कर परिसंपत्तियों के प्रावधान (–)	(3061)	266	608	1070	1608	2289	3378	3228	3932	3221
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	(4137)	2093	2616	2170	3543	4905	6754	6170	7537	6202
लाभांश	–	826	834	826	826	991	1363	1074	1528	1280
इक्विटी पूंजी	4131	4131	4131	4131	4131	4130	4130	4130	4130	4130
रिजर्व और अधिशेष (डीआरई के निवल)	35151	39374	38536	36894	35680	32939	29186	24018	18874	13054
निवल पूंजी (इक्विटी पूंजी और रिजर्व तथा अधिशेष)	39281	43505	42666	41025	39811	37069	33317	28148	23004	17184
कुल ऋण	33217	29898	25281	21597	16320	19375	16511	7563	3045	4181
निवल अचल संपत्ति	44262	36169	26771	16777	17127	15059	13615	12305	11571	11598
जारी पूंजीगत कार्य	24884	29196	33651	35891	28205	22226	14953	6550	2390	1199
मौजूदा संपत्तियां (कम अवधि के जमा सहित)	22174	28482	26891	27616	28431	36544	39154	34676	26318	20379
मौजूदा देयताएं एवं प्रावधान	18792	16338	15212	13012	12225	12172	11073	12277	9439	6500
कार्य पूंजी (मौजूदा संपत्तियां घटाया मौजूदा देयताएं)	3382	12145	11679	14604	16206	24372	28081	22398	16879	13879
नियोजित पूंजी (निवल अचल संपत्तियां+कार्य पूंजी)	47644	48314	38450	31381	32921	39431	41696	34704	28450	25476
प्रति शेयर बाजार मूल्य (₹ में) (अवधि की समाप्ति पर)	43.00	68.35	71.40	62.35	94.05	170.00	252.55	96.45	184.75	113.00
महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात										
औसत नियोजित पूंजी पर ईबीआईडीटीए (%)	(6.4)	12.9	16.9	17.5	21.0	21.7	31.1	34.7	48.0	46.4
निवल बिक्री पर पीबीटी (%)	(18.7)	5.2	7.0	7.4	11.3	16.8	25.0	21.8	29.0	27.8
नियोजित औसत पूंजी पर पीबीटी (%)	(15.0)	5.4	8.4	10.1	14.2	17.3	26.6	29.8	42.5	39.9
औसत निवल संपत्ति (%) पर प्रतिफल	(10.0)	4.9	6.1	5.4	9.2	13.9	22.0	24.1	37.5	42.0
₹10 प्रति/शेयर पर निवल संपत्ति (₹)	95.1	105.3	103.3	99.3	96.4	89.7	80.7	68.1	55.7	41.6
₹10 प्रति शेयर पर अर्जन (₹)	(10.0)	5.1	6.3	5.3	8.6	11.9	16.4	14.9	18.2	15.0
मूल्य – अर्जन अनुपात (गुणा)	(4.3)	13.5	11.3	11.9	11.0	14.3	15.4	6.5	10.1	7.5
₹10 प्रति शेयर पर लाभांश (₹)	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4	3.3	2.6	3.7	3.1
प्रभावी लाभांश दर (%)	0.0	2.9	2.8	3.2	2.1	1.4	1.3	2.7	2.0	2.7
ऋण – इक्विटी (गुणा)	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.1	0.2
मौजूदा अनुपात (गुणा)	1.2	1.7	1.8	2.1	2.3	3.0	3.5	2.8	2.8	3.1
कारोबार अनुपात पर नियोजित पूंजी (गुणा)	0.9	1.0	1.3	1.6	1.5	1.2	1.1	1.4	1.6	1.5
कार्य पूंजी कारोबार अनुपात (गुणा)	12.8	4.2	4.4	3.4	3.1	1.9	1.6	2.2	2.7	2.8
ब्याज व्याप्ति अनुपात (गुणा)	(1.9)	1.8	2.3	2.6	3.8	7.1	14.4	29.0	46.4	29.3
लाभांश भुगतान अनुपात (%)	0.0	39.4	31.9	38.1	23.3	20.2	20.2	17.4	20.3	20.6

उत्पादन

(इकाईः हजार टन में)

मद	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
तप्त धातु	15721	15413	14447	14266	14116	14888	14505	14442	15199	14606
कच्चा इस्पात	14279	13908	13579	13417	13350	13761	13506	13411	13964	13506
कच्चा लोहा	642	634	223	214	106	261	323	267	441	509
बिक्री योग्य इस्पात	12381	12842	12880	12385	12400	12887	12632	12494	13044	12581
– अर्ध तैयार इस्पात	3054	3007	2760	2422	2527	2394	2392	2206	2243	2278
– तैयार इस्पात	9327	9835	10120	9962	9872	10493	10240	10288	10801	10303

मूल्य–वर्धित विवरण

(₹ करोड़)

श्वत जीम लमंत	2015-16		2014-15	
स्वयं के उत्पादन का मूल्य	43366		52724	
अन्य आय	1122	44488	1486	54210
घटाएं: कच्चे माल की कीमत	17151		18523	
समान एवं कलपुर्जे	3244		3305	
विद्युत एवं ईंधन	5621		5423	
उत्पाद शुल्क	4823		5419	
किराया भाड़ा	1131		993	
अन्य प्रचालन लागत	5676	37646	5260	38923
कुल मूल्य जमा		6842		15289
स्थापना लागत		9894		9736
फाइनेंसिंग लागत		2047		1454
लाभांश प्रावधान		–		826
निगमित आय कर		–3061		266
लाभांश कर		–		165
व्यवसाय में लगी आय				
मूल्यह्रास	2186		2003	
कारोबार में शेष	–4224	–2038	837	2840
प्रयुक्त कुल मूल्य		6842		15287

शेयरधारिता पैटर्न

(31.03.2016 को)

श्रेणी	धारकों की संख्या	इक्विटी शेयरों की संख्या	राशि (₹/करोड़)	इक्विटी का %
भारत सरकार	1	3097767449	3097.78	75.00
वित्तीय संस्थान	12	471434879	471.43	11.41
बैंक	67	144389233	144.39	3.50
म्युचुअल फंड	29	32534871	32.53	0.79
विदेशी संस्थान निवेशक	111	206229237	206.22	4.99
ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदें	2	132635	0.13	–
कंपनियां (न्यास और निकासी सदस्यों सहित)	2813	26600282	26.60	0.64
व्यैक्ति (एनआरआई और कर्मचारी सहित)	393548	151436703	151.44	3.67
कुल	**396583**	**4130525289**	**4130.52**	**100.00**

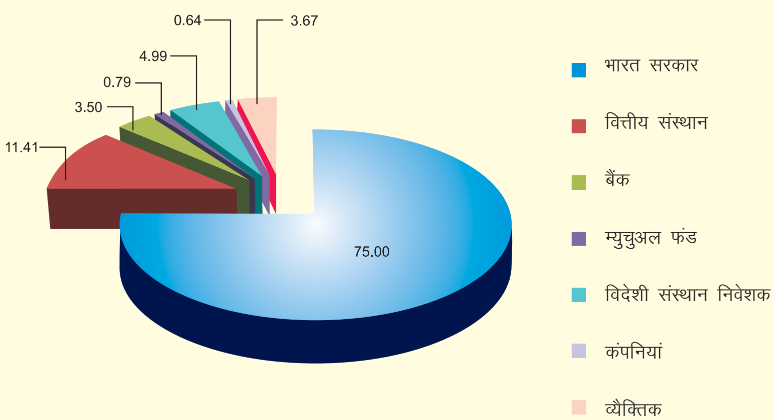

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,

निदेशक मण्डल को 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के परीक्षित लेखों के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. (सेल, कंपनी) की 44वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

क. वित्तीय समीक्षा

आपकी कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹43,337 करोड़ का कारोबार किया, जो पिछले वर्ष के कारोबार से 14 प्रतिशत कम है। इसका मुख्य कारण निवल बिक्री में कमी होना है। 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों की बिक्री योग्य इस्पात की प्राप्ति लगभग 20 प्रतिशत है। चीन, जापान, कोरिया आदि लूट करने वाले आयातों वैश्विक इस्पात की कीमतों में गिरावट आने की वजह से पूरे वर्ष के दौरान इस्पात उत्पादों की कीमत गिरती गई। तथापि, 5 फरवरी, 2016 से न्यूनतम आयात कीमतें (एमआईपी) लागू करने के बाद कीमत में बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2015–16 का आपकी कम्पनी की कर के बाद हानि पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2093 करोड़ के कर के बाद निवल लाभ की तुलना में ₹4,137 करोड़ थी।

वर्ष के दौरान कम्पनी का निष्पादन कम निवल बिक्री प्राप्ति, बिक्री योग्य इस्पात का कम उत्पादन, 12 जनवरी, 2015 से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के लिए अंशदान की वजह से प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव, स्वदेशी कोयले की कम उपलब्धता की वजह से मिश्रण में अपेक्षाकृत मंहगे आयातित कोयले का अधिक प्रयोग, अधिक वेतन और मजदूरी, अधिक मरम्मत और रखरखाव व्यय, अधिक ब्याज प्रभार, और आवधिक जमाओं में अर्जित ब्याज में कमी, नई सुविधाओं के पूंजीकरण की वजह से अधिक मूल्यह्रास, तथा पिछले वित्तीय वर्ष में बोकारो जेपी सीमेंट लि. में निवेश की बिक्री पर लाभ की अनुपलब्धता की वजह प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तथापि, अधिक बिक्री की मात्रा और आयातित एवं स्वदेशी कोयले की कम कीमतों, कोक की दर में कमी, विलम्ब संबंधी खर्चों में कमी, फैरो अयस्क की कीमत में कमी आदि से प्रतिकूल कारकों की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति की गई है।

सेल अपनी पूंजी के इष्टतम उपयोग करने में विश्वास रखता है और इसे पूंजी के बेहतर प्रबंध के साथ जारी रखा है। इनमें छोटे अंतराल के ऊंची लागत वाले कर्ज को कम लागत में बदलना, समय पर लोन व ब्याज का भुगतान, अतिरिक्त पूंजी को अनुसूचित बैंकों में नीतिगत रूप से लगाना व आगे के लिए पूंजी की उगाही करना शामिल है ताकि हमारे विकास के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इसके अलावा कंपनी विदेशी मुद्रा का जोखिम बाजार की स्थितियों पर निर्भर करते हुए खरीदार के खाते में डाल देती है। 31 मार्च, 2016 को कम्पनी की उधार ₹33,217 करोड़ था। वर्ष के दौरान ऋणों में बढ़ोतरी होने तथा निवल मूल्य में कमी होने के कारण 31 मार्च 2015 को कम्पनी का ऋण इक्विटी अनुपात 31.3.2015 के 0.69:1 से बढ़कर 31.3.2016 को 0.85:1 हो गया। कम्पनी का निवल मूल्य 31 मार्च 2015 को ₹43,505 करोड़ था जो 31.3.2016 को कम होकर ₹39,281 करोड़ हो गया।

आरबीआई से मंजूरी प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मैसर्स इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सीएआरई और मैसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग ने सेल के लंबे समय के ऋण कार्यक्रम के लिए क्रमशः 'आईएनडी एए नेगेटिव आउटलुक', 'एए+' और 'बीडब्ल्यूआर एए+ आउटलुक स्टेबल' रेटिंग प्रदान की है।

ख. प्रचालन संबंधी समीक्षा

उत्पादन समीक्षा

वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कम्पनी ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। कम्पनी ने वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त किए गए 15.4 एमटी के अपने पहले सर्वोत्तम उत्पादन की तुलना में 15.7 मिलियन टन (एम.टी.) हॉट मैटल का

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, बर्नपुर में 10 मई, 2015 को सेल का आधुनिकीकृत एवं विस्तारित इस्को इस्पात संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करते हुए।

माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, चौधरी बीरेन्द्र सिंह, जीन्द, हरियाणा में उत्तरी क्षेत्र उपभोक्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए। सेल अध्यक्ष श्री पी. के. सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अधिकतम उत्पादन किया और वर्ष 2007–08 में प्राप्त किए गए 13.9 एम.टी. के पहले सर्वोत्तम उत्पादन की तुलना में 14.3 एम.टी. कच्चे स्टील का उत्पादन किया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में नए ब्लूम–कम–राउन्ड कास्टर, नए डोलोमाइट संयंत्र और 125 टन लैडल भट्ठी चालू की गई है। मीडियम सैक्शन मिल (एमएसएम) ने जनवरी 2016 में परीक्षण उत्पादन शुरू किया। नई क्षमताओं से उत्पादन को निर्धारित क्षमता तक बढ़ाया जा रहा है। नई सुविधाओं से कुल हॉट मैटल उत्पादन 3.54 एम.टी. था, कच्चे इस्पात का उत्पादन 1.86 एम.टी. था और बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 1.5 एम.टी. था। सेल ने गत वर्ष में क्रमशः 10.8 एम.टी. और 22.6 एम.टी. के उत्पादन तथा 4 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित निरन्तर कास्ट स्टील और सिन्टर के उत्पादन के मामले में सदैव सर्वोत्तम निष्पादन किया है।

पर्यावरण का अनुसरण करने तथा प्रचालनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए सेल की विभिन्न पहलों से पर्यावरण संबंधी मापदण्डों तथा तकनीकी आर्थिक दक्षता में पर्याप्त सुधार हुआ है। इससे आपकी कंपनी पहले की अपेक्षा पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल तरीके से तथा अनुभव से इस्पात का उत्पादन कर सकी है। सेल के संयंत्रों में 489 कि.ग्रा/टीएचएम पर कोक रेट और 6.51 जीसीएएल/टीसीएस पर विशिष्ट ऊर्जा खपत का सदैव सर्वोत्तम रिकॉर्ड है। यह नई आधुनिक ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से उत्पादित अधिक मात्रा में हॉट मैटल (कुल हॉट मैटल का 23 प्रतिशत) और ऊर्जा दक्ष सी.सी. रूट के माध्यम से अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन बढ़ने से (पिछले वर्ष की संगत अवधि में 4 प्रतिशत अधिक से) प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, सेल ने सदैव सबसे कम पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) एमिशन लोड (0.81 केजी/टीसीएस), विशिष्ट जल खपत (3.51 एम^3/टीसीएस) और स्पेसिफिक एफ्लूएंट लोड (0.09 एम^3/टीसीएस) प्राप्त किया है। सेल के संयंत्रों ने पहले वर्षों में काफी सुधार को दर्शाते हुए अपने सीओ$_2$ निस्सरण स्तरों को भी 2.61 टी/टीसीएस तक कम कर दिया है जो उनके निरन्तर निस्सारण में सबसे कम है।

निरन्तर सुधार करने के जोश को बनाए रखते हुए आपकी कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी बाह्य उत्पाद पोर्ट फोलियो का और विस्तार करते हुए "कंक्रीट को मजबूती प्रदान करने हेतु उच्च क्षमता विकृत छड़ो और तारों" के बारे में कई नए उत्पाद विकसित किए है और इनमें ISI 5962:2012 के अनुसार भूकम्प रोधी ढ़ांचे तथा ISI 786:2008 के अनुसार नए ग्रेडों के दो टीएमटी रीबार्स नामतः एफई 4155 और एफई 500एस शामिल हैं। ऑटो मोबाइल, निर्माण इंजीनियरी, रक्षा आदि सहित उद्योग क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 24 नए उत्पाद विकसित किए गए थे।

विद्युत

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सेल संयंत्रों की विद्युत की औसत आवश्यकता 1180 एमडब्ल्यू थी जो गत वर्ष की तुलना में 40 एमडब्ल्यू अधिक थी। इसकी वजह राउरकेला इस्पात संयंत्र और आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र में विस्तार सेवाओं को चालू करने के बाद प्रचालन में बढ़ोतरी होना था। केप्टिव विद्युत संयंत्रों ने कुल विद्युत मांग की लगभग 67 प्रतिशत विद्युत की आपूर्ति की और शेष 33 प्रतिशत ग्रिड यूटीलिटीज से खरीदी गई थी। केप्टिव सुविधाओं से विद्युत का उत्पादन बढ़ने की वजह से केप्टिव विद्युत उत्पादन के माध्यम से वर्ष 2015–16 में पूरी की गई विद्युत की मांग की प्रतिशतता 67 प्रतिशत तक बढ़ी थी जो गत वर्ष 61 प्रतिशत थी।

अधिशेष केप्टिव विद्युत को एक संयंत्र से दूसरे संयंत्र में भेज कर विद्युत का लाभप्रद उपयोग करने की प्रथा को वर्ष के दौरान जारी रखा गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र और चन्द्रपुर फेरो एलॉय संयंत्र (सीएफपी) को भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित पॉवर प्लांट–3 (पीपी–3) से लगभग 140 एमयू बिजली प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान सीएफपी को पहली बार पीपी–3 से बिजली भेजना शुरू किया गया जिससे मंहगी ग्रिड बिजली को बदलने में आसानी हुई और इससे पर्याप्त लागत बचत हुई।

अधिकतम लागत के लिए लगभग 100 मिलियन यूनिट की सस्ती बिजली पावर एक्सचेंज से खरीदी गई थी जिससे लागत संबंधी पर्याप्त बचत हुई। इसके अलावा, इष्टतम स्तरों तक संबंधित ग्रिड सप्लाई यूटीलिटीज से संयंत्रों की संविदा मांग को कम करने सहित ग्रिड विद्युत लागतों को कम करने के लिए विभिन्न अन्य उपाय भी वर्ष के दौरान शुरू किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप लागत में बचत हुई।

निरन्तर विस्तार के एक भाग के रूप में केप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके कम्पनी की केप्टिव विद्युत क्षमता में वृद्धि और संयुक्त उद्यम कम्पनी के माध्यम से नई क्षमता में बढ़ोतरी एन. टी. पी. सी. सेल पॉवर कम्पनी प्रा. लि. (एनएसपीसीएल) कर रही है। निरन्तर विस्तार के तहत कुल 216 एमडब्ल्यू की कुल परिकल्पित क्षमता बढ़ोतरी में से अब तक 160 एमडब्ल्यू क्षमता बढ़ायी गई है और शेष को अगले वर्ष में बढ़ाने की उम्मीद है। एनएसपीसीएल के माध्यम से 290 एमडब्ल्यू क्षमता की प्रस्तावित स्थापना का कार्य अग्रिम अवस्था में है।

नवीकरणीय विद्युत संसाधनों की दिशा में कम्पनी की वचनबद्धता के बारे में एनएसपीसीएल के माध्यम से वर्ष 2019 तक 200 एमडब्ल्यू नवीकरणीय क्षमता का विकास करने के लिए कार्रवाई की गई है। इसमें शामिल है आरएसपी स्थित 1 मेगावाट क्षमता ग्रिड इंटैक्टिव सोलर पीवी प्लांट जिसे वर्ष के दौरान चालू किया गया था।

कच्चा माल

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान लौह अयस्क की सभी जरूरतों की पूर्ति कैप्टिव संसाधन से की गई। कंपनी की कैप्टिव लौह अयस्क खदानों ने 24.83 मिलियन टन का उत्पादन किया। कोकिंग कोल के मामले में 14 फीसदी जरूरतों की पूर्ति घरेलू माध्यम (कोल इंडिया लिमिटेड व कैप्टिव माध्यम) (2.08 एम.टी.) से की गई तो बाकी की देश में सीमित उपलब्धता की वजह से पूर्ति आयात के जरिए (13.30 एम.टी.) वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी की कैप्टिव कोलरीज का उत्पादन 0.73 एम.टी. रहा। इनमें से 0.56 एम.टी. कच्चा कोकिंग कोयला था तो बाकी के 0.17 एम.टी. गैर कोकिंग कोयला। फ्लक्सेज के मामले में लाइमस्टोन का 1.28 एम.टी तो डोलोमाइट का 0.98 एमटी घरेलू उत्पादन रहा। इस प्रकार कैप्टिव साधनों से फ्लेक्सेज का कुल उत्पादन 2.26 मिलियन टन रहा। थर्मल कोयला के मामले में आपकी कम्पनी कैप्टिव खदान से उत्पन्न मामूली कोयले को छोड़कर पूर्ण रूप से कोल इण्डिया लि. (सीआईएल) से खरीदारी पर निर्भर करती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार 17 मई, 2014 से निलंबित बारसुआ खान से अयस्क का उत्पादन अभी शुरू करना है। बारसुआ खान के एमएल–162 लीज में प्रचालनों को पुनः शुरू करने के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च, 2016 को अन्तरिम आदेश पारित किया और सेल बारसुआ खान के एमएल–162 लीज में वन भूमि को बदलने के लिए चरण–II एफ.सी. प्राप्त करने के बाद प्रचालन शुरू करने का निर्देश दिया।

खानों की क्षमता विस्तार परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पर्यावरण और वन संबंधी निम्नलिखित स्वीकृतियां प्राप्त की गई हैं:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के द्वारा 17 अप्रैल, 2015 को दल्ली– राजहरा आयरन ओर काम्पलेक्स, छत्तीसगढ़ में अपस्ट्रीम स्लाइम लाभ सुविधाओं से 1 एमटीपीए पैलेट संयंत्र की स्थापना करने के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- 2.32 एमटीपीए के लिए राइट बैंक लीज से कुटेश्वर लाइमस्टोन खान के क्षमता विस्तार हेतु 2 अगस्त, 2015 को एमओईएफसीसी के द्वारा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- कुटेश्वर लाइमस्टोन खान के लेफ्ट बैंक लीज से 0.06 एमटीपीए क्षमता उत्पादन हेतु 17 अगस्त, 2015 को एमओईएफसीसी के द्वारा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- 18 महीनों के भीतर चरण–I पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त पर 2 एमटीपीए की क्षमता से बारादुआर डोलोमाइट खान को पुनः खोलने हेतु 2 सितम्बर, 2015 को वन संबंधी स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- 0.6 एमटीपीए अयस्क का उत्पादन करने के लिए झारखण्ड एसईआईएए, रांची के द्वारा 17.08.2015 के पत्र के द्वारा टोपाइलोर आयरन ओर माइनिंग प्रोजेक्ट हेतु पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- भिलाई इस्पात संयंत्र की खान के महामाया और दुलकी अयस्क खनन पट्टे में वन भूमि की 60 हेक्टेयर भूमि के विपथन हेतु चरण–II वन स्वीकृति 7 अगस्त, 2015 को एमओईएफसीसी के द्वारा प्रदान की गई थी।

सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रबंध प्रशिक्षणार्थी (तकनीकी) बैच।

माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, चौधरी बीरेन्द्र सिंह एक बैठक में भारत में जापान के राजदूत महामहिम केन्जी हीरामात्सु के साथ। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा इस्पात सचिव सुश्री अरुणा शर्मा, संयुक्त सचिव (इस्पात) श्री सुनील बर्थवाल भी उपस्थित थे।

- गुआ खान के सतह पट्टे में गुआ क्षमता विस्तार परियोजना हेतु अवसंरचना का सृजन करने के लिए 37.66 हेक्टेयर जंगल झाड़ भूमि को बदलने हेतु चरण–II वन स्वीकृति 4 मार्च, 2016 को एमओएफईसीसी के क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा प्रदान की गई थी।

तथापि, गुआ खान के दुरगाईबुरू पट्टे हेतु चरण–II वन स्वीकृति एमओएफईसीसी के द्वारा प्रदान की जानी है। गुआ क्षमता विस्तार परियोजना के लिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए मामले पर सरकार के विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है।

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 का प्रचार करने की दृष्टि से, सरकारी कम्पनियों के लिए 31 मार्च, 2020 तक पट्टे की अवधि बढ़ाने के संबंध मे खान मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 6 फरवरी, 2015 के आदेश और खनन (सरकारी कम्पनी के द्वारा खनन) नियमावली 2015, दिनांक 3 दिसम्बर, 2015 का प्रचार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा निम्नलिखित खनन पट्टे अवधियों को बढ़ाया गया है:

- ओडीसा सरकार ने, 10 फरवरी, 2016 के आदेश के द्वारा बारसुआ – काल्टा की एमएल–139 के खनन पट्टे की मूल स्वीकृति अवधि को 50 वर्ष तक अर्थात् 17.1.1975 से 16.1.2025 तक बढ़ाया है।
- ओडिशा सरकार ने दिनांक 14 मार्च, 2016 के आदेश के द्वारा पूर्णापानी लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट खनन पट्टे की वैधता अवधि को भी पट्टे की पिछली वैधता अवधि की समाप्ति की तारीख से 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाया है।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने भिलाई इस्पात संयंत्र के कलवर–नागुर के खनन पट्टे की मूल स्वीकृति अवधि की 14 मार्च, 2016 के आदेश के द्वारा 50 वर्ष तक अर्थात् 1.4.1975 से 31.3.2025 तक बढ़ाया है।

सरकारी कम्पनियों के लिए आवंटन हेतु अधिसूचित कोल ब्लाकों के अधीन दो कोल ब्लॉकों नामतः सीतानाला और पर्वतपुर कोकिंग कोयला खाने सेल को आवंटित की गई है और इस संबंध में सीता नाला और पर्वतपुर हेतु नामांकित प्राधिकरण के साथ क्रमशः 31 अगस्त, 2015 और 26 अक्तूबर, 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा, सीता नाला और पर्वत पुर कोकिंग कोयला खानों के लिए आवंटन आदेश नामांकन प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय के द्वारा क्रमशः दिनांक 31 अगस्त, 2015 और 23 मार्च, 2016 को जारी किए गए थे।

बिक्री और विपणन

बाजार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद आपकी कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 12.2 मिलियन टन की कुल बिक्री की, जिससे पहले वर्ष की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। डीलर की बिक्री के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 0.79 मिलियन टन की अधिकतम बिक्री की, जिससे वर्ष 2014–15 के दौरान 29 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की। स्टेनलैस स्टील कोल्ड रोल्ड कॉयलों का पहली बार ब्राजील के लिए निर्यात किया गया था।

आपकी कम्पनी ने पहले वर्ष में 16 प्रतिशत वृद्धि सहित 1.79 मिलियन टन की प्लेट मिल प्लेटों की सबसे अधिक बिक्री की। इसी प्रकार, लम्बे उत्पादों की बिक्री ने भी टीएमटी और डब्ल्यूआरसी की क्रमशः 1.68 मिलियन टन और 0.41 मिलियन टन की सदैव सबसे अधिक बिक्री सहित 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्राप्ति नीति

भारत सरकार की सार्वजनिक प्राप्ति नीति में यथा अपेक्षित वित्तीय वर्षों 2015–16 और 2014–15 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्राप्ति संबंधी सूचना नीचे दी गई है:

(₹ करोड़)

विवरण	2015–16	2014–15
प्राप्ति की कुल राशि	3211.93	3372.98
एमएसई से कुल प्राप्ति	677.53	737.60
एमएसई से प्रतिशतता प्राप्ति	21.09	21.87

ग. संवृद्धि योजना एवं आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम

संवृद्धि योजना

घरेलू बाजार में अपने वर्तमान दबदबे को कायम रखने और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आपकी कंपनी लंबे समय की रणनीति योजना 'विजन 2025' पर काम कर रही है जो कंपनी के हाट मेटल के उत्पादन को 50 मिलियन टन तक ले जाने के लक्ष्य्य को हासिल करने में सक्षम बनाएगी। इस रणनीतिक उद्देश्य को हासिल करके भारतीय स्टील क्षेत्र में नेतृत्व पाने के साथ कंपनी विश्व की अग्रणी स्टील कंपनियों में अपना स्थान बना लेगी। संवृद्धि योजना में उत्पादन के स्तर को बढ़ाने के अलावा तकनीकी रूकावटों को दूर करना, ऊर्जा की बचत करना, उत्पाद के मिश्रण को समृद्ध करना, प्रदूषण को कम करना, खदान व कोलरीज को विकसित करना, ग्राहक केंद्रित प्रक्रिया को लागू करना और जरूरत के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है।

आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम

आपकी कम्पनी आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम के मौजूदा चरण को क्रियान्वित करने की स्थिति में है। इस समय, कम्पनी की प्रतिष्ठापित हॉट मैटल क्षमता प्रतिवर्ष 19.73 मिलियन टन है और प्रति वर्ष 23.46 मिलियन टन की परिकल्पित हॉट मैटल क्षमता वर्ष 2017 में प्राप्त कर ली जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कम्पनी ने बहुत से मुकाम हासिल कर लिए हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र में हॉट स्ट्रिप मिल का रफिंग मिल उन्नयन का कार्य पूरा कर लिया गया है और प्रचालन में आ गई है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में न्यू मीडियम स्ट्रक्चरल मिल ने प्रचालन कार्य शुरू कर दिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र में न्यू रेल वैल्डिंग लाइन प्रचालन में है और यूनीवर्सल रेल मिल में हॉट ट्रायल कार्य पूरे कर लिए गए है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ₹6,034 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया है तथा वर्ष 2016–17 के लिए नियोजित कैपेक्स ₹4,000 करोड़ है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडीएण्डए) रिपोर्ट में एडीशन, मोडिफिकेशन और रिप्लेसमेंट (एएमआर) स्कीम के अमल का ब्यौरा दिया है, जो संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

घ. मानव संसाधन प्रबंधन समीक्षा

आपकी कंपनी प्रतियोगी सुअवसर मुहैया कराने में मानव संसाधन के योगदान की अधिकारिक रूप से प्रशंसा करती है। सेल ने अपने मानव संसाधन में निवेश कर अपने वर्तमान उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त किया है जिनकी निपुणता और ज्ञान हर शुरूआत का आधार बनते हैं। सेल में मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) का मुख्य जोर दिए जाने वाले क्षेत्र में मानवीय उपयोगिता में सुधार और श्रमिक उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए कर्मचारियों की निपुणता और क्षमता में बढ़ोतरी करना शामिल है।

आपकी कम्पनी हरेक क्षेत्र में सीखने के लिए प्रेरक माहौल प्रदान करती है, अच्छे कार्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देती है तथा कर्मचारियों में सृजनात्मकता और नवीनता को बढ़ाती है। टीम भावना को विकसित करने, कर्मचारियों को अधिकार देने तथा विभिन्न सुधार कार्यकलापों में उनकी भागीदारी के बारे में सेल में मानव संसाधन पहलों पर ध्यान दिया जाता है। व्यापार संबंधी प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के लिए एचआरएम के रणनीतिक संरेखन से आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए सुचारू परिवर्तन करने में मदद मिली है।

मानवशक्ति के पुनर्गठन के साथ उत्पादकता में बढ़ोतरी

आपकी कंपनी ने वर्ष 2015–16 में अब तक की सबसे अधिक श्रम उत्पादकता (एलपी) 315 टीसीएस/मानव/वर्ष हासिल किया है। 31.03.16 तक कंपनी की मानव शक्ति 88,655 थी, वर्ष के दौरान उद्योग के पुनर्गठन के साथ 4697 की संख्या हासिल कर ली गई थी। विवेकपूर्ण तरीके से की गई भर्ती, पुनर्नियोजन

सेल अध्यक्ष श्री पी. के. सिंह सेल कर्मचारियों के साथ वार्तालाप करते हुए।

रणनीति, बहु निपुणता, प्रतिबद्धता और कर्मचारियों में जुनून की बदौलत श्रमिकों के पुनर्गठन के साथ बढ़ी हुई उत्पादकता को प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 2006–07 से श्रमिकों के पुनर्गठन और बढ़ी हुई उत्पादकता के रूख को नीचे देखा जा सकता है:

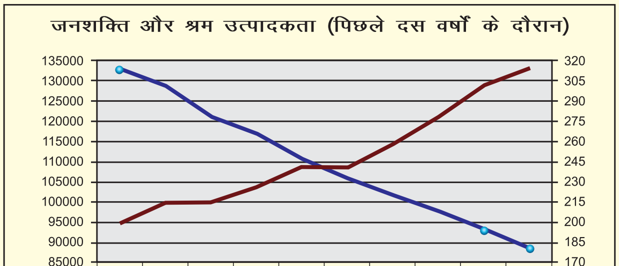

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
जनशक्ति	132973	128804	121295	116950	110794	106004	101878	97897	93352	88655
श्रम उत्पादकता	200	214	215	226	241	241	258	278	302	315

उत्पादकता में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी :
200 टन कच्चा इस्पात/प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष (2006–07) से बढ़ कर 315 टन कच्चा इस्पात/ प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष (2015–16)

कर्मचारियों की क्षमता और सामर्थ्य का विकास

आपकी कम्पनी को यह यकीन है कि प्रशिक्षण से कर्मचारियों का ज्ञान और कौशल विकसित करने में मदद मिलती है जिससे संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षमता का परिणामी विकास करने में योगदान हो सके। आपकी कंपनी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और विकास से जुड़ी गतिविधियों के जरिए अनवरत प्रयास कर रही है। इस काम के तहत निपुणता का संरक्षण, कुशलता व ज्ञान का हस्तांतरण, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम व प्रमुख संस्थाओं के साथ प्रबंधकीय क्षमता के विकास के लिए सहयोगी कार्यक्रम का आयोजन करना भी शामिल है।

इस बात पर भी मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है कि कर्मचारियों को कल के लिए तैयार किया जाए ताकि वे नई चुनौतियों को स्वीकार सकें और नई भूमिका अदा कर सकें। साल के दौरान 31,049 के लक्ष्य के मुकाबले 33,563 कर्मचारियों को समकालीन तकनीकी और प्रबंधकीय मापदंड के तहत प्रशिक्षित किया गया।

कर्मचारियों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध

कर्मचारियों के साथ सहयोगात्मक और संतोषप्रद रिश्ता निभाने की आपकी कंपनी की शानदार परंपरा रही है। किसी भी मसले को ट्रेड यूनियन व कर्मचारियों के साथ बातचीत के जरिए सुलझाने के चलन से विभिन्न स्तर पर कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ी है और इससे शांतिपूर्ण आईआर वातावरण स्थापित हुआ है। इनमें से कुछ द्विपक्षी फोरम सत्तर के दशक के आरंभ से काम कर रहा है और समय–समय पर उठने वाले वेतन, सुरक्षा और कर्मचारियों की भलाई से जुड़े मसले को सुलझाने के लिए इन्हें पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। इससे एक सहयोगात्मक कार्य प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलती है।

द्विपक्षी फोरम जैसे कि नेशनल ज्वाइंट कमेटी फार स्टील इंडस्ट्री (एनजेसीएस), ज्वाइंट कमेटी ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड इनवायरनमेंट इन स्टील इंडस्ट्री (जेसीएसएसआई) आदि के साथ अन्य प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियन व प्लांट एवं यूनिट की यूनियन समय–समय पर एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से अपनी कार्य योजना तैयार करती है जिससे यहां काम का एक सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनता है जो सेल में कर्मचारियों के साथ वर्षों से चले आ रहे सामंजस्यपूर्ण वातावरण को सही साबित करता है।

इसके अलावा, कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए क्वालिटी सर्किल, वैचारिक स्कीम, शाप स्पेसेफिक परफार्मेंस इंप्रूवमेंट वर्कशाप जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। कारोबार से जुडे रणनीतिक फैसले में भी कर्मचारियों को साथ रखा जाता है और संवादात्मक वर्कशाप के जरिए उनके विचारों को जाना जाता है।

ऐसे सभी मुद्दे जो कंपनी के प्रदर्शन पर असर डालते हों या कर्मचारियों के हित से जुड़े हों, के लिए कंपनी स्तर पर कर्मचारियों के साथ विभिन्न तरीकों से संवाद किया जाता है। जन संचार के माध्यम से प्लांट के सीईओ एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों के बड़े समूह की चर्चा कराई जाती है। इन संवाद सत्रों के जरिए कर्मचारियों को कंपनी के लक्ष्य और उद्देश्य के अनुरूप

सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित सिंटर प्लांट का समर्पित कार्यदल।

अपने काम को करने में मदद मिलती है जिससे न केवल उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, अपितु कर्मचारियों की वचनबद्धता में बढ़ोतरी होती है।

शिकायत सुधार प्रक्रिया

सेल प्लांट व यूनिट में गैर–प्रबंधकीय व प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए अलग–अलग असरदार आंतरिक शिकायत सुधार मशीनरी काम करती है। शिकायतों के निपटान के लिए प्लांट व यूनिट में संयुक्त शिकायत कमेटी की स्थापना की गई है।

सेल संयंत्रों/इकाइयों में शिकायतों की सुनवाई तीन स्तर पर होती है और कर्मचारियों को हर स्तर पर वेतन संबंधी, कार्य परिस्थितियों, अवकाश, निर्धारित कार्य और कल्याण सुविधाओं आदि मसलों पर अपनी शिकायत रखने का मौका दिया जाता है। संयंत्रों/इकाइयों में सहभागितापूर्ण माहौल की वजह से अधिकतर शिकायतों का निपटान अनौपचारिक रूप से कर दिया जाता है। यह एक विस्तृत, सरल और लचीली प्रणाली है जो कर्मचारी और प्रबंधन के बीच एक सौहाद्रपूर्ण रिश्ता कायम करने में असरदार साबित हुई है।

वर्ष के प्रारम्भ में (अर्थात् 01.04.2015 को) 7 कर्मचारियों की लम्बित शिकायतों तथा वर्ष के दौरान प्राप्त 416 कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में सेल ने वर्ष 2015–16 के दौरान 99.76 प्रतिशत कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करते हुए 422 कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा किया।

पारिश्रमिक नीति

सेल में, कार्यपालकों के वेतन और अन्य हितलाभ इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित हैं। 01.01.2007 से प्रभावी पिछला वेतन संशोधन दिनांक 5.10.2009 के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार किया गया था। इसके अनुसार, कार्यपालकों के लिए निष्पादन पर आधारित वेतन (पीआरपी) के रूप में परिवर्तनीय वेतन लागू किया गया है। पीआरपी कम्पनी के निष्पादन/लाभप्रदता और व्यक्तिगत निष्पादन रेटिंग पर आधारित है जो संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप है। गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में वेतन और मजदूरियों को राष्ट्रीय इस्पात उद्योग संयुक्त समिति (एनजेसीएस) के द्विपक्षी फोरम में अन्तिम रूप से संशोधन किया जाता है। अन्तिम एनजेसीएस समझौते को दिनांक 1.7.2014 को अन्तिम रूप दिया गया और हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के वेतन में 1.1.2012 से संशोधन किया गया। भारत सरकार के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बारे में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के प्रावधान सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होते हैं। अतः निदेशकों के पारिश्रमिकों एवं अन्य विहित ब्यौरों के बारे में बोर्ड की रिपोर्ट में किए जाने वाली घोषणाओं को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है।

अनुसूचित जाति/अ.ज.जा. एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु पहल

सार्वजनिक उद्यमों में नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन जारी है। 1.4.2016 की स्थिति के अनुसार कुल 88,655 कर्मचारियों में से 14,454 कर्मचारी अनुसूचित जाति की श्रेणी के हैं (16.30 प्रतिशत), 12,587 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के हैं (14.20 प्रतिशत) और 10,768 कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के हैं (12.15 प्रतिशत)।

खानों सहित सेल के संयंत्र और यूनिटें देश के आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में है जहां पर अनु. जाति/अ.ज.जा. की आबादी की संख्या अधिक है। इसलिए आपकी कम्पनी ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शैक्षिक एवं अन्य सुविधाओं के समग्र विकास में योगदान दिया है। कुछ योगदान नीचे दिए हैं:

- गैर–कार्यपालक कर्मचारियों की भर्ती, जिसमें कुल कर्मचारियों के 84 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी शामिल हैं, मुख्यतः क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है और इस प्रकार अ.जा./अ.ज.जा एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बड़ी संख्या में लोग सेल में रोजगार का लाभ प्राप्त करते हैं।
- वर्षों से, आनुषंगिक उद्योग एक बड़े समूह को भी इस्पात संयंत्रों के आस–पास विकसित किया गया है। इसने नौकरियों एवं उद्यमिता के विकास हेतु स्थानीय बेरोजगार लोगों के लिए अवसर सृजित किए हैं।
- अस्थायी और आवर्तक किस्म के कार्यों के लिए सामान्य तौर पर ठेकेदार स्थानीय क्षेत्रों के कामगारों को नियोजित करते हैं, जो पुनः आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्थानीय अभ्यार्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं।
- आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सेल के इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने से आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा दिया गया है। इस प्रकार विभिन्न किस्म की सेवाएं प्रदान करते हुए इस आबादी को लाभ मिला है।
- सेल के द्वारा विकसित स्टील टाउनशिप (इस्पात नगर) में चिकित्सा शिक्षा और नागरिक सुविधाएं सबसे अच्छी हैं और ये ऐसे स्थानीय अ.जा, अ.ज.जा. एवं अन्य आबादी के लिए एक मरूद्यान की तरह हैं, जो सेल के कर्मचारियों के साथ सम्पन्नता का लाभ लेते हैं।

सेल ने अ.जा., अ.ज.जा. एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कई पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं:

- 5 एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थलों में गरीब, शोषित बच्चों के लिए विशेष रूप से विशेष विद्यालय शुरू किए गए हैं। उपलब्ध करायी गई सुविधाओं में मुफ्त शिक्षा, मिड–डे–मील, जूतों सहित यूनीफार्म (वर्दी), पाठ्य – पुस्तकें, स्टेशनरी की मदें, स्कूल के बस्ते, पानी की बोतल और कुछ मामलों में परिवहन की व्यवस्था करना शामिल है।
- कम्पनी की तरफ से चलाए जा रहे स्कूल में अ.जा, अ.ज.जा के छात्रों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती हैं, चाहे वह बच्चा सेल के कर्मचारी का हो या गैर–सेल – कर्मचारी का हो।
- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर (गुटगुटपारा) में मुफ्त चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर मुफ्त चिकित्सा सलाह के साथ मुफ्त दवाइयां उपलब्ध हैं। यह सुविधा वहां बहुलता में रह रहे अ.जा./अ.ज.जा. व कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए मुहैया कराई गई है।
- सेल संयंत्रों ने जनजातीय बच्चों को गोद लिया है। उनको आस–पास की विलुप्त बिरहोर जनजाति के लिए सारंडा सुवन छात्रावास, ज्ञानोदय होस्टल और एक विशेष ज्ञान ज्योति योजना जैसे आवासीय छात्रावासों में उनके समग्र विकास के लिए मुफ्त शिक्षा, वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, लेखन– सामग्री, भोजन, रहने और खाने की व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।
- कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए स्कूल से उत्तीर्ण होने वाले जनजाति के छात्रों को आईआईटी/जेईई प्रवेश परीक्षा के लिए अग्रणी संस्थांनों में कोचिंग के लिए तथा प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया है। साथ ही विभिन्न आईटीआई, नर्सिंग एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में मासिक वृत्तिका, आवास, परिवहन और भोजन की सुविधा प्रदान की गई है।

अ.जा./अ.ज.जा. के आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का कार्यान्वयन

- सेल के संयंत्रों/यूनिटों में अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का उचित अनुपालन करने हेतु राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
- सभी मुख्य संयंत्रों/यूनिटों में अ.जा./अ.ज.जा. सैल कार्य कर रहे हैं। अ.जा./अ.ज.जा. का एक सदस्य सभी डीपीसी/चयन समितियों में शामिल होते हैं। हरेक चयन पैनल में अ.जा./अ.ज.जा.की श्रेणी का कम से कम एक सदस्य का रखना सुनिश्चित किया जाता है। भर्ती बोर्ड/चयन समितियों/ डीपीसी के स्तर के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के बहुत वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को इस प्रयोजनार्थ नामित किया जाता है।
- सेल के संयंत्रों/यूनिटों के अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए एक बाहरी विशेषज्ञ के माध्यम से नियमित अन्तराल पर संपर्क अधिकारियों के लिए आन्तरिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ताकि अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण नीति एवं अन्य संबद्ध मामलों के बारे में उन्हें अद्यतन रखा जा सके।
- सेल के संयंत्रों/यूनिटों के अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण संघ हैं जो आरक्षण नीति को लागू करने और अन्य मुद्दों के बारे में सम्पर्क अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करते हैं। इसके अतिरिक्त अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों के मुद्दों को समन्वित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक शीर्ष स्तर समग्र निकाय नामतः सेल एस.सी/एस.टी कर्मचारी फेडरेशन भी सेल

सेल के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थित व्हील्स और एक्सल प्लांट में कर्मचारी परिणामोन्मुखी विचार–विमर्श करते हुए।

में है। निदेशक (कार्मिक) के स्तर पर फेडरेशन के साथ नियमित आधार पर बैठक आयोजित की जाती है।

- अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण नीति एवं सीएसआर स्कीमों को लागू करने के संबंध में राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने नई दिल्ली में 2 फरवरी, 2016 को सेल की स्थिति की समीक्षा की। माननीय अध्यक्ष डा० रामेश्वर ओरांव ने आदिवासियों के पुनर्वास और सेल की अन्य स्कीमों के बारे में सेल के प्रयासों की सराहना की।

सूचना का अधिकार कानून, 2005 का अमल

आपकी कंपनी सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई), 2005 का सच्चे भाव से लागू करने में अग्रणी रही है। कंपनी ने आरटीआई कानून के सेक्शन 5 व सेक्शन 19(1) के तहत सभी प्लांट और यूनिट में इनसे जुड़े मामलों के निपटान के लिए सार्वजनिक सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी, अपील प्राधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी बहाल किया है। इन कानून के तहत दी गई व्यवस्था को सेल के सभी प्लांट व यूनिट में अमल में लाया जा रहा है। वार्षिक रिपोर्ट समेत सभी संवैधानिक रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय को भेजी जाती है और सेल की वेबसाइट पर भी डाली जाती है। सेक्शन 5(5) के अनुसार मांगी गई जानकारी को सही समय पर उपलब्ध कराने के लिए पीआईओ को सूचना देने वाले डीम्ड पीआईओ को भी आवेदक को समय पर सूचना मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

एक विशेष आरटीआई पोर्टल विकसित किया गया है, और उसे कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के साथ विकसित किया जा रहा है। सेल की वेबसाइट पर सेल के सभी प्लांट/यूनिट में 17 मैनुअल सूचीबद्ध हैं और अधिनियम के तहत प्राधिकारियों के विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरटीआई अधिनियम को कार्यान्वित करने के बारे में तिमाही विवरणियों और वार्षिक विवरणियों को सीआईसी पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाइन प्रस्तुत किया जा रहा है। ऑन–लाइन अनुरोध को कार्यान्वयन करने का कार्य 1 मई 2015 के बाद शुरू किया गया है। कारपोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यों की रिकार्ड धारण नीति का संकलन कम्पनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। इसके अलावा, सीआईसी के महत्वपूर्ण निर्णय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र और उच्च न्यायालय के मामलों के संकलनों को भी कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन ''सरकारी प्राधिकारियों के दायित्व'' पर कार्यशालाएं निगम (कारपोरेट) कार्यालय/संयंत्रो/यूनिटों में आयोजित की जा रही है और इन अधिकांश कार्यक्रमों में सूचना आयुक्त उपस्थित रहे हैं। इसके अलावा, निगम कार्यालय सहित संयंत्रों/यूनिटों में आरटीआई अधिनियम के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अधीन कुल 3758 आवेदन पत्र और 639 अपीले प्राप्त हुई थी। इन सभी का अधिनियम के तहत निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटारा कर दिया गया है। सीआईसी के साथ 90 मामले उठाए गए थे और इन सभी का कम्पनी के पक्ष में निपटारा कर दिया गया था।

सिटीजन चार्टर

आपकी कंपनी सुशासन के जरिये लोक सेवा संपादन में उत्कर्षता के प्रति समर्पित है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम पहचान का तरीका निर्धारित करें, उनकी अपेक्षा पर खरे उतरें और उनसे संवाद कायम रखें। यही हमारी मुख्य नीति है ताकि सेवा प्रदान करने से प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी हो।

सेल के सिटीजन चार्टर से कंपनी के हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता की झलक मिलती है। किस–किस तरह से कंपनी बेहतर उत्पादन एवं सेवाओं के जरिये उसे सशक्त बनाने में मदद कर रही है। सेल के सिटीजन चार्टर को मुख्यतः चार उद्देश्यों में विभक्त किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं:

- उत्पादन एवं सेवाओं से सुधार के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिद्धांत अपनाकर यह सुनिश्चित करना कि हर कार्य नागरिक को केन्द्र में रख कर हो।
- नागरिकों के संचार को प्रभावी तरीका सुनिश्चित करना।
- कारपोरेट वेबसाइट पर सिटीजन चार्टर की उपस्थिति के साथ ही कामकाज के दौरान पारदर्शिता और खुलेपन को प्रदर्शित करना।
- नागरिकों की खुशी के लिए विफल नहीं होने वाले तरीके से कार्य करना और अत्यावश्यक होने पर सर्विस रिकवरी प्रक्रिया जैसे मसलों का समाधान, शिकायतों का निपटारा आदि पर अमल।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, निषेध और सुधार) अधिनियम, 2013 के तहत घोषणा

कम्पनी ने कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, निषेध और सुधार) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप शिकायत समितियों की एक प्रणाली (सेल आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए नियमावली 1977) लागू की है। ये समितियां यौन उत्पीडन के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों को दूर करने के लिए गठित की गई है। कम्पनी के सभी कर्मचारी इस नीति के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान यौन उत्पीडन के संबंध में प्राप्त हुई और निपटान की गई शिकायतों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया है:

प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या	5
निपटान की गई शिकायतों की संख्या	4

ङ.) वर्ष के दौरान पुरस्कृत पुरस्कार और इनाम

कम्पनी स्तर

- आपकी कम्पनी को वर्ष 2014 के लिए 4 प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार (23 कर्मचारियों सहित) मिला।
- आपकी कम्पनी को निष्पादन वर्ष 2013 के लिए 15 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (86 कर्मचारियों सहित) मिला।
- भिलाई इस्पात संयंत्र को वर्ष 2011–12 के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन कर रहे एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए 2014–15 में घोषित प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त की और यह उसका 11वां पुरस्कार है। सेल अध्यक्ष और भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने 1 अप्रैल, 2015 को राउरकेला में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से यह ट्रॉफी प्राप्त की।
- आपकी कम्पनी को निगम सामाजिक दायित्व पुरस्कार श्रेणी के अन्तर्गत दैनिक भास्कर इण्डिया प्राइड पुरस्कार 2015–16 मिला।
- आपकी कम्पनी को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण क्षेत्र में उसके अनुकरणीय निष्पादन और सहयोग के लिए ''कारपोरेट – उत्कृष्टता – महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए कमोडेशन'' हेतु सीआईआई II–आईटीसी सस्टेनेबिलिटी 2015 पुरस्कार मिला।
- आपकी कम्पनी को टूडे–एमडीआरए सीपीएसई सर्वश्रेष्ठ एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार, 2015 मिला।
- आपकी कम्पनी को बेसिक आयरन एण्ड स्टील – लार्ज एन्टरप्राइज प्रोडक्ट ग्रुप केटेगरी में वर्ष 2013–14 के लिए स्टार परफारमर के रूप में इंजीनियरी निर्यात उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ईईपीसी इण्डिया नेशनल पुरस्कार मिला।
- वर्ष 2014–15 के दौरान संघ की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने में सराहनीय कार्य करने के लिए सेल को अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू) दिल्ली तीसरा पुरस्कार दिया गया।
- सेल की हिन्दी में आन्तरिक पत्रिका ''इस्पात भाषा भारती'' को नगर स्तर पर शिरोमणि पत्रिका पुरस्कार मिला।
- आपकी कम्पनी को सार्वजनिक निर्माण संगठन की श्रेणी के अन्तर्गत कॉस्ट मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए 12वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- आपकी कम्पनी को दैनिक भास्कर ग्रुप के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण में उत्च्कृष्टता के लिए इण्डिया प्राइड अवार्ड 2014–15 मिला।
- आपकी कम्पनी को महारत्न और नवरत्न पीएसयू की श्रेणी में उसके अनुसंधान और विकास तथा नवीन कार्यों के लिए बीटी–स्टार पीएसयू अवार्ड 2015 मिला।

भिलाई इस्पात संयंत्र

- छत्तीसगढ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (सीआरईडीए) के द्वारा अगस्त 2015 में आयरन और स्टील क्षेत्र में एकीकृत इस्पात संयंत्रों की श्रेणी में वर्ष 2014–15 के लिए सीआरईडीए एनर्जी एफीशिएन्सी एण्ड इनोवेशन अवार्ड।
- सीआईआई एग्जिम बैंक अवार्ड 2015 – विशिष्ट व्यापार उत्कृष्टता पहलों के लिए प्राइज।
- जुलाई 2015 में स्टील की श्रेणी में गोल्डन पीकॉक एन्वार्यनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, 2015
- नराकास भिलाई – दुर्ग को सितम्बर 2015 में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार।

गौरवशाली विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं का अभिनन्दन – वर्ष 2013 (2015 में सम्मानित) के लिए कुल 132 विजेताओं में से 86 सेल से हैं।

माननीय केन्द्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन एवं संसदीय कार्य मंत्री, श्री वेंकैया नायडु और माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह से डा. एन. महापात्रा, निदेशक (कार्मिक) दैनिक भास्कर इण्डिया प्राइड पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

- लगातार तीसरे वर्ष के लिए फरवरी 2016 में केन्द्रीय क्षेत्र में सर्वोत्तम राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार।
- एक नवीन कार्यस्थल कार्य ''आप भी जानिए'' के प्रभावी कार्यान्वयन को मान्यता देते हुए ''बैस्ट इनीसिएटिव फॉर कनेक्ट विद फेमिली'' की पुरस्कार श्रेणी के अन्तर्गत बिजनेस वर्ड एच.आर. एक्सेलेंस पुरस्कार, 2015।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

- ग्रीन टेक फाउन्डेशन, नई दिल्ली द्वारा नवम्बर 2015 में वर्ष 2014–15 के लिए ग्रीन टेक इन्वायरनमेंट अवार्ड–गोल्ड।
- सीआईआई–एग्जिम बैंक पुरस्कार 2015 – ''महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए – कमेन्डेशन''।
- ग्रीन टेक फाउन्डेशन के द्वारा सुरक्षा को मान्यता देते हुए वर्ष 2014 के लिए ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2015 – धातु और खनन क्षेत्र में सराहना प्रमाण पत्र।
- ग्रीन टेक फाउन्डेशन, नई दिल्ली के द्वारा ग्रीन टेक एचआर अवार्ड 2015 (प्रशिक्षण उत्कृष्टता)।
- जेसीएसएसआई के द्वारा वर्ष 2013 और 2014 के दौरान रोलिंग मिलों में कोई बड़ी घातक दुर्घटना न होने के कारण इस्पात सुरक्षा पुरस्कार।
- सृष्टि गुड ग्रीन गवर्नेंस अवार्ड 2015 – सृष्टि पब्लिकेशन्स के द्वारा आयोजित वर्ष 2013–14 के लिए पर्यावरण को मान्यता देते हुए कमोडेशन का प्रमाण पत्र।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

- 15 फरवरी 2016 को सीआईआई नेशनल एचआर एक्सेलेंस अवार्ड 2015–16 (एचआर एक्सेलेंश के लिए सशक्त रूप से वचनबद्ध।
- राजकोषीय वर्ष 2014–15 के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्र क्षेत्र में ''राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2015'' में प्रथम पुरस्कार।
- पांचवां वार्षिक ग्रीनटेक सीएसआर पुरस्कार–2015 ग्रीनटेक फाउन्डेशन के द्वारा नवम्बर, 2015 में आयोजित धातु और खनन श्रेणी के अन्तर्गत गोल्ड अवार्ड।
- सी आई आई एग्जिम बैंक पुरस्कार, 2015 – ''महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए कमेंडेशन''।
- अक्तूबर, 2015 में सीएसआर पहलों के लिए जल और स्वच्छता श्रेणी में ओटीवी सीएसआर अवार्ड।

बोकारो इस्पात संयंत्र

- ग्रीनटेक फाउन्डेशन की ओर से पर्यावरण नियंत्रण विभाग के लिए ग्रीनटेक अवार्ड–2105
- सी आई आई एग्जिम बैंक पुरस्कार, 2015 – ''महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए कमेंडेशन''
- ग्रीनटेक एच आर अवार्ड 2015 (प्रशिक्षण में उत्कृष्टता की कारपोरेट श्रेणी) – ग्रीनटेक फाउन्डेशन द्वारा आयोजित – गोल्ड

अलॉय इस्पात संयंत्र

- ग्रीनटेक फाउन्डेशन की ओर से पर्यावरण प्रबंधन ने उत्कृष्ट सहयोग देने के लिए धातु और खनन क्षेत्र में ग्रीनटेक एनवायर्नमेंट अवार्ड 2015 – गोल्ड।
- नियमित कर्मचारियों और संविदा मजदूरों के लिए कोई घातक दुर्घटना न होने के लिए अलग–अलग इस्पात सुरक्षा पुरस्कार–2015

सेलम इस्पात संयंत्र

- नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के लिए कैलेण्डर वर्ष 2015 के दौरान ''कोई घातक दुर्घटना नहीं'' के लिए जेसीएसएसआई के अधीन एसएसपी को इस्पात सुरक्षा पुरस्कार–2016 मिला।
- इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल, कोलकाता द्वारा सैकेंडरी इस्पात संयंत्र/अलॉय इस्पात संयंत्र श्रेणी में एसएसपी को कैलेण्डर वर्ष 2014–15 के लिए नेशनल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड (प्रथम पुरस्कार) जब से यह पुरस्कार शुरू हुआ है, तब से 18वीं बार यह पुरस्कार एसएसपी को मिला।

कच्चा माल प्रभाग

- बारसुआ आयरन माइन को आईबीएम भुवनेश्वर के तत्वावधान में पुरी, ओडिसा में 17 मई, 2015 को आयोजित 17वां खनन पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह – 2014–15 में पूर्णतः यांत्रिक खदानों की श्रेणी में ''क्रशिंग सहित खनिज बेनीफिसिएशन उपस्करों की स्थापना और उपयोग'' में प्रथम पुरस्कार और ''शोर, कम्पन और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों'' में द्वितीय पुरस्कार मिला।
- आर एम डी की खदानों को वार्षिक सुरक्षा सप्ताह–2015 मनाने के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार मिले।
- बी ओ एम – प्रचार और प्रसार में प्रथम पुरस्कार, सर्वेक्षण और खनन सॉफ्टवेयर में प्रथम पुरस्कार, फस्ट एड ट्रेड टेस्ट में प्रथम पुरस्कार, मेकेनिकल ट्रेड टेस्ट में प्रथम पुरस्कार, इलुमिनेशन में द्वितीय पुरस्कार, सामान्य कार्यकरण में तीसरा पुरस्कार।
- जी ओ एम – मेकेनिकल ट्रेड टेस्ट में प्रथम पुरस्कार डोजर आपरेटर ट्रेड टेस्ट में द्वितीय पुरस्कार, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन में द्वितीय पुरस्कार, वर्कशॉप सुविधाओं में द्वितीय पुरस्कार सांविधिक प्रावधान और अनुपालन में द्वितीय पुरस्कार, समग्र निष्पादन में तृतीय पुरस्कार, प्रचार और प्रसार में तृतीय पुरस्कार।
- बी आई एम – वर्कशाप सुविधाओं में प्रथम पुरस्कार, पोस्टर में प्रथम पुरस्कार, ट्रेड टेस्ट (ड्रिल) में प्रथम पुरस्कार, विस्फोटकों के सुरक्षित रखरखाव में द्वितीय पुरस्कार।
- के आई ओ एम – संयंत्र और उपस्कर में द्वितीय पुरस्कार, फर्स्ट एंड ट्रेड टेस्ट में द्वितीय पुरस्कार, ट्रेड टेस्ट (ड्रिल) में द्वितीय पुरस्कार, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन में तृतीय पुरस्कार, जीवीटीसी में तृतीय पुरस्कार।
- एम आई ओ एम – ट्रेड टेस्ट (सोवल) में प्रथम पुरस्कार विस्फोटकों के सुरक्षित रख–रखाव में तृतीय पुरस्कार और मैकनिकल वर्कशाप में तृतीय पुरस्कार।

चन्द्रपुर फेरो अलॉय संयंत्र

- कैलेण्डर वर्ष 2013 और 2014 के द्वारा नियमित कर्मचारियों और संविदा मजदूरों के लिए ''कोई घातक दुर्घटना नहीं'' होने के लिए जेसीएसएसआई की ओर से स्कीम II और IV, ग्रुप बी के अधीन (स्पेशल स्टील संयंत्रो में से) इस्पात सुरक्षा पुरस्कार।
- इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संयुक्त समिति की ओर से कैलेण्डर वर्ष 2013 और 2014 में ''कोई घातक दुर्घटना नहीं'' होने के लिए स्कीम II, ग्रुप बी के अधीन (स्पेशल स्टील संयंत्रों में से) इस्पात सुरक्षा पुरस्कार।

लोहा और इस्पात के लिए अनुसंधान और विकास केन्द्र

- महारत्न और नवरत्न श्रेणी में अन्तर्गत नवीकरण (तकनीकी/अनु. और विकास) में उत्कृष्टता के लिए बीटी स्टार पीएसयू।
- डिजीटल इण्डिया वीक–2015 रांची में ''नागरिकों /कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए सरकारी संगठनों के सबसे अच्छे आई टी कार्यों'' के लिए द्वितीय पुरस्कार।

च. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कम्पनी पर्यावरण संबंधी संकेतों में सुधार करने के लिए वचनबद्ध है। नियत प्रयासों से कम्पनी वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सदैव सबसे अच्छे पर्यावरण संबंधी सूचकों को प्राप्त कर सकी है। इसके अलावा, खदान के बाहर के क्षेत्रों की पारिस्थिति की बहाली के प्रयासों, वेयरहाउसों को ठीक रखने और पर्यावरण संबंधी अन्य परियोजनाओं से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

कारपोरेट पर्यावरण संबंधी विजन, नीति और जिम्मेदारी

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पर बोर्ड की उप समिति के द्वारा वैचारिक और संस्तुत ''कारपोरेट पर्यावरण संबंधी विजन और जिम्मेदारी'' पर एक विस्तृत रिपोर्ट को निदेशक मण्डल के द्वारा जनवरी, 2016 में अनुमोदन दिया गया है। स्वीकृत रिपोर्ट के अनुसार रणनीतिक कार्यवाही मुद्दों के तहत जोडे गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूनिटवार कार्रवाई योजनाओं को तैयार एवं कार्यान्वित करना होगा।

पर्यावरण संबंधी संकेत और प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार

''पर्यावरण संबंधी लागू विनियमों का अनुपालन करने तथा इससे अधिक स्तर तक प्रयास'' करने के लिए कम्पनी की वचनबद्धता से उसकी प्रचालन यूनिटों में और उनके आस–पास पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के सेल के परिणाम के सामूहिक प्रयास निकले है जिनसे पर्यावरण संबंधी संकेतों में समनुरूप सुधार हुए हैं, जो नीचे दर्शाए गए हैंः

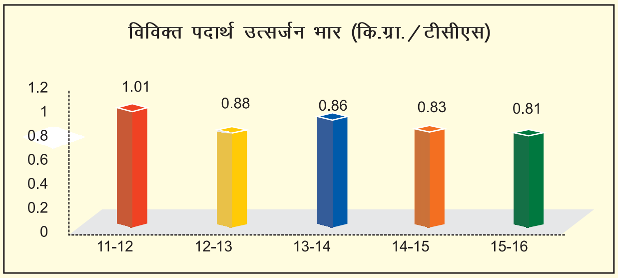

पिछले वर्षों में विविक्त पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) एमीशन लोड 19 प्रतिशत से अधिक कम हुआ है।

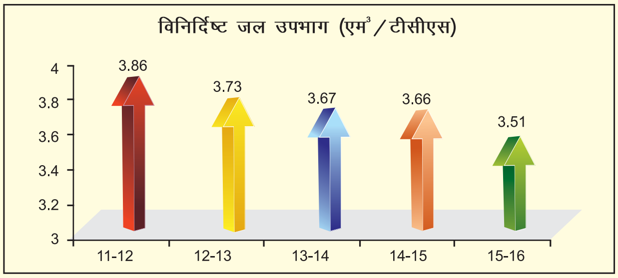

पिछले 5 वर्षों में विशिष्ट जल खपत 9 प्रतिशत से अधिक कम हुई है।

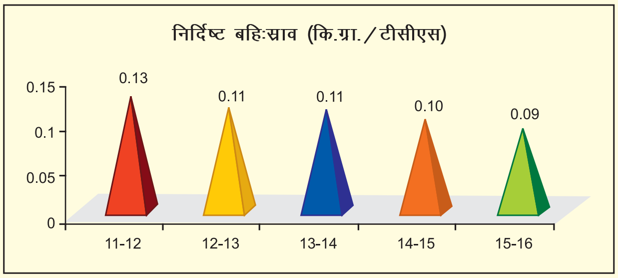

पिछले 5 वर्षों में 30 प्रतिशत से अधिक विशिष्ट निस्सरण भार कम हुआ है।

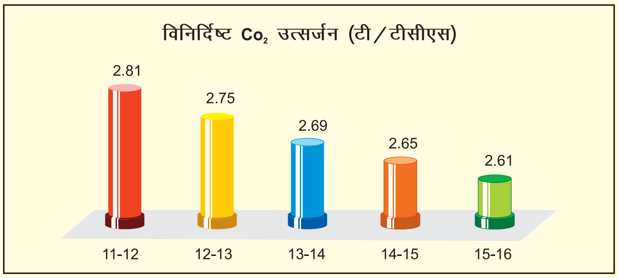

पिछले 5 वर्षों में विशिष्ट सीओ$_2$ एमीशन 7 प्रतिशत से अधिक कम हुआ है।

वर्ष के दौरान प्रतिष्ठापित मुख्य प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं:

- बी एस पी में पावर–प्लांट–I की वायलर # 1, 2 और 5 से ईएसपी की अभिवृद्धि करना।
- साइनाइड लेवल को और कम करने के लिए डीएसपी की बीओडी प्लांट आउटलेट में सोडियम हाइपोक्लोराइट डोजिग सिस्टम।
- आरएसपी के बीएफ # 4 में कास्ट हाउस डिफ्यूमिंग सिस्टम।
- आरएसपी में एसएमएस–I के कन्वर्टर # 5 से प्राथमिक निस्सरण नियंत्रण सुविधा।
- डाली (मैके) I/o माइन और राजहारा मैक I/o माइन्स दोनों में क्राशिंग और स्क्रीनिंग प्लांटों की मौजूदा डस्ट एक्सट्रक्शन और डस्ट सप्रेशन सिस्टम को सुधारना। डीएसपी में बीएफ # 3 पर डस्ट इंजेक्शन (सीडीआई) सुविधा और सीडीआई सुविधा का विस्तार।

नई पहल

क. रेल ट्रैक ब्लास्ट के रूप में वैदर्ड एल डी स्लैग का उपयोग करना

वैदर्ड एल डी स्लैग (डब्ल्यूएलडी स्लैग) की वास्तविक विशेषताएं रेल ट्रैक ब्लास्ट के रूप में उपयोग हेतु स्टोन ब्लास्ट के लिए अपेक्षित विशिष्टी को पूरा करती है। कम्पनी के एक प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में दक्षिण – पूर्ण रेलवे बोकारो स्टील प्लांट से वैदर्ड एलडी स्लैंग से बोकारो रेल यार्ड में क्षेत्रीय परीक्षण करने को सहमत हुआ है। एसईआर के सहयोग से इस्पात नगर, रेलवे यार्ड बोकारों में जून 2015 से क्षेत्रीय परीक्षण शुरू किए गए हैं। ट्रैक पैरामीटरों के निरीक्षण कार्य एसईआर और सेल के प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे हैं जो कुल 2 वर्षों की अवधि के लिए जारी रहेंगे।

ख. IS: 383 में नेचुरल एग्रीगेट्स (सैण्ड) के प्रतिस्थापन के रूप में बीएफ– बीओएफ का उपयोग

भारत मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ नियमित रूप अनुसरण/अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से प्रासंगिक आई. एस. कोर्ड (IS : 383) को अब संशोधित किया गया है (संशोधन III), जिसके परिणामस्वरूप लोहा और स्टील स्लैग को अब उस सीमा तक सैण्ड के प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, जैसा कि संशोधित आई एस.कोड में दिया गया है।

ग. सीओ$_2$ का बायो–सीक्वैशस्ट्रेशन

राउरकेला स्टील प्लांट में कार्यान्वित की जा रही परियोजना के लिए पृथक्करण (सीक्वैशस्ट्रेशन) साझीदार के रूप में मै० ट्रापीकल फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को काम सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए थे :

- आर एस पी में और उसके आस–पास तथा समीपस्थ वनों में क्वाड्रैट्स बिछा कर वनस्पति सर्वेक्षण।
- हाई कार्बन पृथक्करण प्रजातियों की पहचान करने के लिए नामोदिष्ट स्थल में 12 अलग–अलग चुनिन्दा वृक्ष की प्रजातियों के बागान का रख–रखाव।
- बायो–डायवर्सिटी रिपोर्ट, सॉयल आर्गेनिक कार्बन रिपोर्ट और सोयल करेक्टराइजेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

परियोजना को मार्च 2019 तक पूरा करना है।

नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग

आर. एस. पी.

- 1 एम डब्ल्यू सौर विद्युत संयंत्र चालू किया गया है। विद्युत संयंत्र को राज्य बिजली बोर्ड की विद्युत ग्रिड प्रणाली के साथ जोड़ा जाता है।
- राउरकेला हाउस में 6 सोलर वाटर हीटर सिस्टम स्थापित किए गए है और इस्पात जनरल हास्पीटल में 90 ऐसे हीटरों के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।
- 5 के डब्लयू क्षमता के 2 सोलर पॉवर पैकस स्थापित किए गए हैं और विभिन्न कार्य स्थलों पर (कार्यस्थल के परिसर के भीतर और बाहर) अन्य 7 पैक्स की स्थापना करने की योजना बनायी गई है।

बीएसएल

- संयंत्रों के विभिन्न स्थलों पर कुल 65 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगायी गई हैं।

सेल के मेघाहाताबुरू लौह अयस्क स्थित वेस्ट डम्प में ग्रास सिडलिंग युक्त कॉयर मैट। रॉ मैटिरियल्स डिवीजन की खानों में वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वैज्ञानिक एवं स्थायित्व खनन के लिए आवश्यक प्रयास निरन्तर किए जाते हैं।

ISO-14001 : 2004 के साथ लिंक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)

ईएमएस, जो अनिवार्य रूप से एक स्वैच्छिक पहल है, पर्यावरण की सुरक्षा करने की दिशा में एक प्रभावी साधन बन गया है। इसने संयंत्रों और खदानों की यह सुनिश्चित करने के लिए सहायता की है कि उनका निष्पादन नियामक अपेक्षाओं के अन्तर्गत रहता है और ISO 14001 प्रत्यायित यूनिटें पर्यावरण संबंधी दायित्वों को न्यूनतम करने, संसाधनों के कुशल उपयोग को अधिकतम करने, वेस्ट को कम करना, कर्मचारियों में पर्यावरण संबंधी मामले में जागरूकता पैदा करना, अधिक कुशल प्रचालनों के माध्यम से पर्यावरण संबंधी निष्पादन में सुधार और अच्छी कारपोरेट धारणा को प्रदर्शित कर सका है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ईएमएस–आईएसओ 14001 : 2004 का क्रियान्वयन कार्य निम्नलिखित संयंत्रों/यूनिटों में पूरा कर लिया गया था:

- अलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर
- दुर्गापुर में सीएमओ वेयरहाउस

समावेशी विकास परियोजनाएं

बोलानी ओर्स माइन में बायो–डायवर्सिटी कनजर्वेशन और सीओ$_2$ सीक्वेस्ट्रेशन

- निम्न कोटि 75 एकड़ लैण्डस्केप (भू–दृश्य) की परिस्थिति की बहाली का कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय और अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के सहयोग से शुरू किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान (नियत समय अवधि अर्थात अक्तूबर 2015 के अन्त तक) अलग–अलग देशी वृक्ष की किस्मों के 65,000 सेपलिंग और 5,000 बीजों को रोपा गया था। इसके अलावा, फल देने वाले वृक्षों की 2500 से ज्यादा सेप्लिंगों को रोपा गया था, ताकि परियोजना स्थल को सजाया जा सके।
- स्थानीय समुदायों को परिस्थिति की सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध कराते समय बहाल किए गए ईको सिस्टमों की समावेशी की दिशा में पूर्णापानी लाइम स्टोन (चूना पत्थर) और डोलो माइट क्वैरी में परिस्थितिकी की दृष्टि से बहाल की गई 250 एकड़ लाइम स्टोन माइन्ड आउट क्षेत्र की दीर्घकालिक रखरखाव दिसंबर 2014 में शुरू की गई एक पंचवर्षीय योजना है।

बागान

पिछले कुछ दशकों में सभी संयंत्रों और खदानों में व्यापक बागवानी कार्यक्रम का निरंतर पालन किया गया है। बागवानी से विकसित हरित पट्टी (ग्रीन वेल्ट) से न केवल वातावरण सौंदर्य परक बनता है अपितु वाटरशेड प्रबंधन, भू–सुरक्षा, कटाव नियंत्रण और भूस्खलन स्थिरीकरण में भी मदद मिलती है। वर्ष 2015–16 के दौरान सेल संयंत्रों और खदानों में तथा उनके आस–पास लगभग 4.67 लाख सैप्लिंग को रोपा गया था, इस प्रकार, ऐसी स्कीमों की शुरूआत होने से लेकर 195 लाख से ज्यादा सेप्लिंगों का रोपण हो गया है।

पर्यावरण संबंधी अन्य प्रयास

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के द्वारा आगे की दृश्यता के लिए वास्तविक समय आंकड़ों की अपलिंक करने की सुविधा सहित निरन्तर निस्सरण मानीटरिंग सिस्टम (सीईएमएस) और निस्सरण गुणवत्ता मानीटरिंग सिस्टम (ईक्यूएमएस) की सभी एकीकृत इस्पात संयंत्रों में स्थापना की गई है।
- जीआरआई विषय वस्तु, सूची, सर्विस सफलतापूर्वक पूरा कर लेने तथा जीआरआई का संगठनात्मक चिन्ह प्राप्त करने के बारे में जीआरआई से पुष्टि कर लेने के बाद में कारपोरेट समावेशी रिपोर्ट 2014–15 को जीआरआई, जी–4 दिशा निर्देशों (जीआरआई के नए दिशा–निर्देशों) के अनुसार प्रकाशित कर दिया गया है।
- एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से बीएसपी में पर्यावरण संबंधी अनुपालन की लेखा परीक्षा एवं परामर्शी सेवा करने के लिए मार्च 2016 में परामर्शदाता का चयन किया गया है। यह प्रयास अपने किस्म का पहला प्रयास है जिसको भारत में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र में कार्यान्वित किया जाना है।
- प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों के लिए पर्याप्तता रिपोर्टें तैयार करने हेतु सेल का दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की सूची में नाम है। ईएमडी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के 4 बस डिपो की पर्याप्तता रिपोर्टों का निरीक्षण किया तथा उनको तैयार किया।

छ. कम्पनी की रणनीतिक पहलें

आपकी कम्पनी ने एक बहु–आयामी एप्रोच को अपनाया है जिसमें ये शामिल हैं – आर्गेनिक संवृद्धि, ब्राउन–फील्ड परियोजनाएं, रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी संबंधी नेतृत्व, नई खदानों के अधिग्रहण और विकास करके कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण, आर एण्ड मास्टर प्लान और एक प्रौद्योगिकी प्लान। अलग–अलग क्षेत्रों में निवेश करने की ऐसी रणनीति से जोखिम कम होगा और अधिकतम लाभ में मदद मिलेगी।

पिछले वर्षों की अवधि के दौरान सेल ने अलग–अलग क्षेत्रों अर्थात विद्युत उत्पादन, रेल परिवहन, स्लैग सीमेंट उत्पादन, मुख्य निवेश कच्चे माल यानि कोकिंग कोल (स्वदेशी और आयातित स्रोतों से) आपूर्ति प्राप्त करने आदि में संयुक्त उद्यम बनाया है। आटोमोटिव सेक्टर के लिए विशिष्ट उत्पादों का उत्पादन करने के क्षेत्र में नए संयुक्त उद्यम की परिकल्पना की जा रही है। आपकी कंपनी के द्वारा की गई रणनीतिक पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ में अल्ट्रा मेगा इस्पात परियोजना: – देश में बड़ी क्षमता मेगा इस्पात परियोजनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से, जिससे भारत को वर्ष 2025–26 तक कच्चे इस्पात की 300 मिलियन टन की क्षमता वृद्धि प्राप्त करने में भारत को मदद मिलेगी, इस्पात मंत्रालय ने अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट विकसित करने की संकल्पना तैयार की है। सेल बस्तर, छत्तीसगढ़ में (3+3) अथवा (4+2) एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) क्षमता के एक अल्ट्रा मेगा इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए भाग ले रहा है। इस आशय के एक समझौते ज्ञापन पर सेल, एनएमडीसी, इस्पात मंत्रालय, और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में दांतेवाडा में मई 2015 मे हस्ताक्षर किए गए थे। पक्षकारों के बीच सुनिश्चित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और परियोजना के लिए उपयुक्त स्थल की पहचान करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य में रौघाट से जगदलपुर तक रेल कारिडोर का विकास करना : छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों का अधिक सामाजिक–आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से तथा क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति तथा खनन कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए सेल, एनएमडीसी, आईआरसीओएन तथा छत्तीसगढ़ सरकार के बीच रौघाट से जगदलपुर तक एक रेल कारिडोर विकसित करने हेतु मई, 2015 में एक समझौता ज्ञापन हुआ था। 140 किलोमीटर की प्रस्तावित लम्बी रेल कारिडोर छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और कोंडानगांव से भी गुजरेगी। जनवरी 2016 में पक्षकारों के बीच शेयर धारकों के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा एक संयुक्त उद्यम कम्पनी को ''बस्तर रेलवे प्राइवेट लि०'' नाम के तहत सम्मिलित किया गया है। रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य और व्यवहार्यता अध्ययन आईआरसीओएन द्वारा किया जा रहा है।

भारत में आटोमोटिव इस्पात संयुक्त उद्यम : भारत में संयुक्त उद्यम (जेवी) व्यवस्था के तहत आटोमोटिव इस्पात विनिर्माण सुविधा की स्थापना करने की संभावना का पता लगाने हेतु सेल और आरसेलोर मित्तल विचार–विमर्श कर रहे हैं। इस बारे में दोनों कम्पनियों ने 22 मई 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम भारत में आधुनिक कोल्ड रोलिंग मिल (सीआरएम) और अन्य डाउनस्ट्रीम फिनिशिंग सुविधाओं का निर्माण करेगी जो भारत के तेजी से बढ़ते हुए आटोमोटिव क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत इस्पात उत्पाद प्रदान करेंगी। सी आर एम के लिए निवेश सामग्री 3 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की क्षमता से राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्थापित की जा रही सेल की नई हॉट स्ट्रिप मिल से आएगी। सीआरएम की वार्षिक क्षमता का लक्ष्य 1.5 एमटीपीए है। सेल और आरसेलर मित्तल दोनों के प्रतिनिधि का एक कार्यबल प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के लिए व्यापक उचित उद्यम के एक भाग के रूप में व्यवहार्यता अध्ययन और व्यापार मॉडल को पूरा कर रहा होगा।

बिजनस उत्कृष्टता पहलें

इंटरप्राइज स्कोर कार्ड

सेल का पांचवां इटरप्राइज स्कोर कार्ड (ईएससी) वित्त वर्ष 2015–16 के लिए तैयार किया गया जिसमें 74 रणनीतिक उद्देश्य थे, जिनमें 13 वित्तीय स्वरूप, 9 ग्राहक से संबंधित 29 इंटरनल बिजनेस प्रोसेस और 23 आर्गनाइजेशनल कैपेबिलिटी के थे। इंटरप्राइज स्कोर कार्ड से न सिर्फ भारत सरकार के साथ किये गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) की वार्षिक कारोबारी योजना (एबीपी) के साथ समन्वय होता है बल्कि रणनीतिक उद्देश्यों और महत्वपूर्ण पहल के जरिये विभिन्न अग्रगामी के बीच कार्य का संपादन भी होता है।

एक्सीलेंस मॉडल

आपकी कंपनी ने गुणवत्ता प्रबंधन का यूरोपीय मॉडल (ईएफक्यूएम) अपनाया हुआ है जो कि भारत में सीआईआई – एक्जिम बैंक अवार्ड फोर एक्सीलेंस के जरिये लागू हुआ है। सेल के चार प्लांट तथा बीएसपी, डीएसपी, बीएसएल और आरएसपी ने सीआईआई–एक्जिम बैंक अवार्ड फोर बिजनेस एक्सीलेंस, 2015 में भाग लिया। इस वर्ष की विशेषता बीएसपी को 600 स्कोर पार करना तथा पुरस्कार प्राप्त करना है। पीएसयू में से बीएसपी दूसरी पीएसयू यूनिट है जिसने पुरस्कार के 23 वर्षो के इतिहास में पुरस्कार प्राप्त किया है। अन्य सभी भागीदार संयंत्रों अर्थात् डीएसपी, आरएसपी और बीएसएल ने 500 से अधिक स्कोर किया है और ''महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए कमेंडेशन अवार्ड प्राप्त किया है। इसके अलावा, सभी चारों संयंत्रों ने नौ (9) अवार्ड के मानदण्ड में निरन्तर सुधार दर्शाया है।''

सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम)

आपकी कम्पनी के अधिकांश संयंत्र/युनिटें आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, ओएचएसएएस 18000 और एसए 8000 प्रबंधन प्रणालियों पर प्रमाणित हैं। डीएसपी और बीएसएल ने आईएसओ 50000 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) को कार्यान्वित भी किया है। इसके अलावा डीएसपी ने आईएसओ 27,0000 (सूचना सुरक्षा प्रणाली) को भी कार्यान्वित किया है। कुल अन्ध्य संयंत्रों/यूनिटों ने आईएसओ 50000 और आईएसओ – 27000 का कार्यान्ध्वयन भी शुरू कर दिया है। वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित प्रमाणन प्राप्त किए गए थे

- डीएसपी–आईएसओ : 50000 ईएनएमएस प्रमाणन प्राप्त करने के लिए पहली सेल यूनिट
- एएसपी पर आईएसओ : 14000 ईएमएस और ओएचएसएएस 18000
- बीएसएल पर आईएसओ : 50000 ईएन एमएस

आईटी से संबंधित पहल

प्रगतिशील और संवेदनशील संगठन होने की वजह से आपकी कम्पनी बदलते हुए समय के साथ चलने में सदैव विश्वास करती है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के नवीनतम प्रयोग में आगे बढ़कर व्यापार के पुराने मॉडलों और समग्र रणनीति में सुधार कर रही है।

कम्पनी के प्रचालनों में दक्षता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सेल अपने निरन्तर प्रयासों से एंटरप्राइजेज/रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के अंतर्गत व्यापार प्रचालनों के समस्त स्पेक्ट्रम को शामिल कर सकती है। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो में चार एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा सेन्ट्रल मार्केटिंग आर्गेनाइजेशन ने ईआरपी को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है और इसके लाभ ले रहे हैं। पाचंवें एकीकृत इस्पात संयंत्र अर्थात बर्नपुर में आईटीएससीओ इस्पात संयंत्र में तथा कारपोरेट कार्यालय में सभी संयंत्रों/यूनिटों के डाटा को जोड़कर डाटा संकलन हेतु कार्यान्वयन करने का कार्य प्रगति पर है। अन्य शेष संयंत्रों/यूनिटों में ईआरपी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक ईआरपी कार्यान्वयन रोडमैप को अन्तिम रूप दिया गया है।

उत्पादन आंकड़ों ''मैन्यूफैक्चरिंग एक्सीक्यूशन सिस्टम्स'' (एमईएस) की सशक्त नींव के आधार होते हैं जिससे स्टील में दोषों को कम करने, आर्डर डिलीवरी तथा विश्लेषण के पूरे समकालिक आकडों में सुधार तथा मिलों का अधिकतम उपयोग करने में संयंत्रों को लाभ हुआ है।

दवाइयों की प्राप्ति का सरलीकरण, रोगी की ऑन लाइन हिस्ट्री शीट, प्रेशक्रिपशन तथा प्रयोगशाला जांच परिणामों को देखने के लिए वेब–आधारित आई टी इन्टरफेस वाली अस्पताल सुविधा आटोमेशन (स्वचल) किया गया है।

''डिजीटल इण्डिया पहल'' को बढ़ावा देने के लिए बिना कागज कार्यकरण हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। कर्मचारियों, ग्राहकों तथा आपूर्तिकताओं के लिए आटोमैटिक एसएमएस/ई–मेल सुविधा का सृजन करने के लिए सिस्टमों को संशोधित किया गया है।

वर्तमान में, दौरा और यात्रा व्यय में कमी लाने के लिए वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए कम्पनी नेटवर्क और सम्प्रेषण सुविधाओं को सुदृढ़ करने का कार्य कर रही है।

निगम संचार

वर्ष 2015–16 के निगम संचार कार्यकलाप ''ब्राण्ड सेल'' की छवि को मजबूत करने की दिशा में केन्द्रित रहे हैं जिनमें आपकी कम्पनी ने पणधारकों तक पहुंचने के लिए संचार को रणनीतिक साधन के रूप में नियोजित किया।

आपकी कम्पनी ने वर्ष के दौरान कई उच्च स्तरीय समारोहों तथा प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिनमें ये शामिल हैं – मेक इन इण्डिया समिट, इण्डो– अफ्रीकन समिट, इण्डियन मेरी टाइम समिट, रेलवे समिट, आई आई टी एफ 2015, स्टील मार्ट 2015, भोपाल विज्ञान मेला, इण्डिया इण्डस्ट्रियल फेयर, और अन्य। इन समारोहों में भारत और विदेशों से व्यापार संबंधी पूछताछ आरम्भ हुई जिनसे भविष्य में सेल के लिए व्यापार करने के अवसर मिल सकते हैं।

भारत से बाहर राष्ट्रीय और देशी भाषा के प्रकाशनों में मीडिया की प्रस्तुति से पणधारकों के बीच आपकी कम्पनी के दृष्टि क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है।

माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह 15 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में रियो ऑलंपिक पहलवान योगश्वर दत्त को सेल लोगो से सम्मानित करते हुए। इस अवसर पर सेल अध्यक्ष श्री पी. के. सिंह भी उपस्थित थे।

माननीय प्रधान मंत्री – श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा आधुनिकीकृत और विस्तारित राउरकेला और इस्को इस्पात संयंत्र को राष्ट्र के नाम समर्पित'' – इस प्रतिष्ठित समारोह सेल के लिए विस्मयकारी मीडिया कवरेज की है। आपकी कम्पनी के द्वारा प्लाट्स मैटल बुलेटिन आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान और रूचि को आकर्षित करना जारी है।

आपकी कम्पनी ने राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के हित में बहुमूल्य कारणों सहित सेल ब्राण्ड की छवि और सेल ब्राण्ड के सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण समारोहों की कई प्रायोजकता स्कीमों की पहचान की।

वर्ष के दौरान संयंत्रों, कारपोरेट कार्यालय और केन्द्रीय विपणन संगठन में आपकी कम्पनी के द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों में सेल के उत्पाद पोर्टफोलियो पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। इन विज्ञापनों को ऐसे अग्रणी प्रकाशनों में जारी किया गया जिनको ज्यादा लोग पढ़ते हैं और इनका ज्यादा परिचालन है। इसी तरह, आपकी कम्पनी के द्वारा बनायी गई रेडियो तुकबन्दियों (जिंगल) से भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के प्रमुख लक्ष्य श्रोताओं पर गहरा प्रभाव हुआ है।

निगम संचार विभाग, शॉप फ्लोर लेवल पर रहे अन्तिम व्यक्ति तक, उच्च प्रबंधन से लेकर विभिन्न स्थापना स्थलों में मौजूद कर्मचारियों तक विचारों, दीर्घकालिक विजन और रणनीति तथा उम्मीदों के बारे में सूचित करने के लिए आन्तरिक संचार कार्य भी नियमित रूप से करता है। फेस–टू–फेस इंटरएक्शन, वीडियो कान्फ्रेंसिस, इन हाउस टेलीविजन कार्यक्रम, न्यूज – लैटर, ई–पोर्टल, इंटरानेट वेब अलर्ट, निबंध और नारा प्रतियोगिता कुछ ऐसे आन्तरिक संचार साधन हैं जिनका आपकी कम्पनी कार्मिको को संदेश देने के लिए नियमित रूप से उपयोग करती है।

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर डिसप्ले आधारित उद्देश्य वाले नए ले–आउट और डिजाइन से सेल की वेबसाइट में सुधार किया गया है। स्टील के अन्तिम प्रयोक्ता को नियोजित करते हुए एक इंटरएक्टिव ऑन–लाइन ''आर्डर बुकिंग'' फीचर को सेल की वेबसाइट में जोड़ा गया है। इसके अलावा, डिजीटल और सोशल मीडिया में आपकी कम्पनी के फोरे (छापा मारना) की ओर वर्ष के दौरान व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित किया है। फेसबुक, टियुटर, फ्लिकर और स्लाडशेयर जैसी साइट्स पर सेल की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के संचार संबंधी अन्य पहलें जारी इन अन्य पहलों के अनुरूप हैं जिनमें स्वच्छ भारत अभियान, मेक–इन–इण्डिया और डिजीटल इण्डिया शामिल हैं।

ज. सतर्कता गतिविधियां

सेल के सतर्कता विभाग का उद्देश्य प्रीवेंटिव और प्रोएक्टिव सतर्कता गतिविधियों पर केन्द्रित है जिससे ऐसा वातावरण तैयार हो कि कर्मचारी पारदर्शी तरीके से काम कर सके और संस्थान में उच्च नैतिक मानक बने। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां चलायी गई:

- कर्मचारियों के बीच सतर्कता संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कारखानों और यूनिटों में नियमित रूप से सतर्कता जागरूकता सत्र और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। व्हिसिल ब्लोअर नीति, खरीद/ठेके की प्रक्रिया, सूचना का अधिकार अधिनियम आचरण एवं अनुशासन नियम, सेल में पालन किये जा रहे तंत्र एवं प्रक्रिया आदि पर जागरूकता पैदा करने के लिए कुल 141 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें कुल 2938 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- कंपनी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय समय पर औचक निरीक्षण किये गए जिनमें संयुक्त निरीक्षण भी शामिल है। विभिन्न कारखानों/इकाइयों में कुल 2765 आवधिक निरीक्षण किये गए जिनमें फाइल स्क्रूटिनी और संयुक्त निरीक्षण भी शामिल है। इन औचक निरीक्षणों के कारण ही सेल को करीब ₹10.12 करोड़ की बचत हुई।
- वर्तमान प्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए संचालन अधिकारियों को सतर्कता बेहतर इनपुट प्रदान करता है। इसी तरह विभिन्न कारखानों/इकाइयों में आठ बड़े सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (एसआईपी) चलाये गए।
- विभिन्न कारखानों/इकाइयों में गहन परीक्षण के फलस्वरूप ऐसे 13 मामले पकड़े गए जो हाई वैल्यू प्रोक्युरमेंट या ठेके से संबंधित थे। इन मामलों को संबंधित विभागों के पास अग्रसारित कर दिया गया ताकि सुधार के लिए सुझावों पर अमल किया जा सके।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक सेल के सभी कारखानों/इकाइयों में 26.10.2015 से 31.10.2015 के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।
- सेल के सतर्कता विभाग के लिए तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनके ऊपर बल देना है।
  - I. सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षण के दिशा–निर्देश के मुताबिक विभिन्न कारखानों/इकाइयों के हाई वैल्यू परियोजनाओं की फाइलों की स्क्रूटिनी।
  - II. ₹5 लाख से अधिक मूल्य सिंगल टेंडर इंक्वायरी (स्वामित्व क्रय के आधार पर) से दिए गए ठेके की स्क्रूटिनी।
  - III. अधिक कीमत के कच्चे माल की प्राप्ति, सेम्पलिंग और परीक्षण के क्षेत्रों में निगरानी।
- संयंत्रों/यूनिटों में संवेदनशील कुछ प्वांइटों की पहचान की गई थी जैसे वे–ब्रिजेज, डिस्पैच और अनलोडिंग प्वांइट, कार्मिकों और सामान का प्रवेश और निकासी, तथा वस्तुएं प्राप्त हुई सामग्रियों के रासायनिक विश्लेषण के स्थान आदि। इन क्षेत्रों की सघनता से मानीटरिंग करने के लिए इन स्थानों पर सीसीटीवी और संबंधित डाटा रिकार्डिंग सिस्टम स्थापित किए गए है जिनसे उपर्युक्त संवेदनशील स्थलों पर अवैध कार्यकलापों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
- अन्य में सतर्कता संबंधी सुझावों और सेल के द्वारा की गई जांच को सम्मिलित करने के बाद सतर्कता, संशोधित भर्ती नीति और भर्ती मैनुअल 12.5.2015 को जारी किया गया था।
- सेल के सतर्कता विभाग के द्वारा एक आंतरिक प्रकाशन ''इन्सप्रेशन–प्रेरणा'' को नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। पाठकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपर्युक्त प्रकाशन में मामला संबंधी अध्ययन, प्रसिद्ध महानुभावों के लेख, नीतिगत मामलों पर प्रश्नोत्तरी आदि निहित हैं।

निगरानी तंत्र

व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं नीतिपरक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपना करके कम्पनी ने एक स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए निगरानी तंत्र अपनाया है। इस तंत्र में कम्पनी के सभी कर्मचारी और कम्पनी के बोर्ड के निदेशक शामिल हैं। इस तंत्र की स्थापना अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध जालसाजी और आचार–संहिता का उल्लंघन करने के बारे में सूचित करने के लिए कर्मचारियों के लिए की गई है। जो कर्मचारी इस तंत्र का लाभ लेते हैं, उन कर्मचारियों को पीड़ित होने से बचाने के लिए पर्याप्त रक्षोपायों का प्रावधान करती है तथा अपवादात्मक मामलों में लेखा–परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच की अनुमति देती है।

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विवेचना रिपोर्ट

सेबी (दायित्व और घोषणा संबंधी अपेक्षाओं का सूचीबद्ध) विनियम 2015 के अनुसार कंपनी के कार्य निष्पादन एवं आउटलुक से संबंधित प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विवेचना रिपोर्ट भी संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

लेखा परीक्षक रिपोर्ट

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन का जवाब **अनुलग्नक–I** में है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी कानून, 2013 की धारा 143(6) के तहत कंपनी की लेखा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट एवं उस पर प्रबंधन का जवाब **अनुलग्नक–II** में दिया हुआ है।

लागत लेखा परीक्षक

केन्द्र सरकार के कॉस्ट लेखा परीक्षा के बारे में निर्देश को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने वर्ष 2016–17 के लिए मेसर्स संजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली, मै० सोम एण्ड बनर्जी, कोलकाता तथा मैसर्स आर.जे.गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली को कॉस्ट लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

लिपिकीय लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की लिपिकीय लेखा–परीक्षा करने के लिए लिपिकीय लेखा–परीक्षक के रूप में मै० अग्रवाल एस

एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सैक्रेटरीज नियुक्त किया है। लिपिकीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक–III** पर है।

कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (दायित्व और प्रकटन अपेक्षाओं को सूचीबद्ध करना) विनियम 2015 (पूर्व सूचीबद्ध करने के समझौते के वाक्यांश 49(II) (क) और (ख) के विनियम 17(1) और केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगम शासन पर डीईपी के दिशा–निर्देशों के वाक्यांश 3.1.4 का पालन नहीं किया गया था, इस संबंध में लिपिकीय लेखा परीक्षक की टिप्पणी के बारे में यह बताया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा नामांकन के आधार कम्पनी के द्वारा की जाती है। कम्पनी ने अपने बोर्ड के लिए स्वतंत्र निदेशकों का अपेक्षित संख्या में नामांकन करने के लिए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है।

कारपोरेट गवर्नेंस

सेबी (दायित्व और घोषणा का सूचीबद्ध) विनियम 2015 के अनुसार कारपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। सेबी विनियमों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता बनायी गई है। आचार संहिता कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

बिजनेस उत्तदायित्व रिपोर्ट

सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सूचीकरण) के 34(2)(एफ) विनियमन, 2015 के अनुसार, कंपनी द्वारा पर्यावरणीय सामाजिक और अभिशासन के परिपेक्ष में की गई पहल का वर्णन करने वाली बिजनेस उत्तरदायित्व रिपोर्ट वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई है।

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम तथा एसोसिएट्स

इस्को–उज्जेन पाईप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड जो कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी है, को बीआईएफआर ने बंद करने का आदेश दिया है। इसके लिए लिक्विडेटर की नियुक्ति हो गई है और इस समय लिक्विडेशन की प्रक्रिया चल रही है।

कंपनी की चार अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाइयां हैं जिनके नाम सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड (एसआरसीएल), सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, सिन्दरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड। 16 दिसंबर, 2011 को बर्न स्टेंडर्ड की सेलम रिफ्रेक्टरी ईकाई ने एसआरसीएल का परिचालन संभाल लिया है और इस समय उसी के प्रबंधन में है। सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड का गठन जगदीशपुर में गैस पर आधारित बिजली घर लगाने के लिए और सिन्दरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का गठन फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया की सिन्दरी इकाई के पुनरूद्धार के लिए हुआ है और कुछ अनुमोदन नहीं मिलने के कारण अभी तक इसका संचालन शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लि० के द्वारा प्रचालन अभी शुरू करना है, जिसको संयुक्त उद्यम के तहत एक ग्रीन फील्ड स्टील परियोजना के रूप में प्रति वर्ष 6 मिलियन टन अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट की स्थापना करने के लिए स्पेशल परपज व्हीकल के रूप में सम्मिलित किया था।

अनुषंगी कंपनियों की वार्षिक लेखा रिपोर्ट और संबंधित विस्तृत सूचना होल्डिंग और अनुषंगी कंपनियों के अंशधारकों को उपलब्ध करा दी जाएगी। अनुषंगी कंपनियों की वार्षिक लेखा रिपोर्ट किसी भी अंशधारक के निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध रहेगी जिसे सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक देखा जा सकता है। यदि कोई लिखित में अनुरोध करता है तो अनुषंगी इकाइयों के लेखा के बारे में विस्तृत सूचना की हार्ड कॉपी उपलब्ध करायी जाएगी।

समेकित वित्तीय विवरण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के उपबंधों के अनुसरण में विधिवत लेखा परीक्षा किए गए समेकित वित्तीय विवरण **अनुबंध–IV** पर है। उन पर प्रबंधन के उत्तर सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट **अनुबंध–V** पर है। 31 मार्च, 2016 के समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के उत्तर **अनुबंध–VI** पर हैं। इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रपत्र एओसी–I में सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण **अनुबंध–VII** पर है।

वार्षिक विवरणियों का उद्धरण

कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और उसमें नियत नियमावली के अनुसार फार्म एमजीटी–9 में वार्षिक विवरणियों का उद्धरण **अनुबंध–VIII** पर है।

बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की 12 बैठकें आयोजित की गई, जिनका ब्यौरा निगम शासन की रिपोर्ट में दिया गया है और यह वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

लेखा–परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति कम्पनी के द्वारा शुरू में वर्ष 1998 में बनायी गई थी। लेखा परीक्षा समिति का सेबी विनियम और कम्पनी अधिनियम 1956/2013 के अनुसार समय–समय पर पुनर्गठन किया गया है। लेखा परीक्षा समिति के कार्यवृत्त बोर्ड में परिचालित किया गया तथा उस पर विचार विमर्श करके उसे नोट किया गया था। लेखा–परीक्षा समिति की संरचना एवं अन्य ब्यौरे निगम शासन की रिपोर्ट में शामिल हैं।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) और उसकी पर्याप्तता

क्रमबद्ध और कुशल व्यापार सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी की सुनिश्चित और प्रमाणित नीतियां और प्रक्रियाएं हैं और इनमें उनकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा करने के लिए विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना, जालसाजियों और त्रुटियों को रोकना और पता लगाना, लेखा रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय घोषणाओं को समय से तैयार करना शामिल है। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार आईएफसी की पर्याप्तता के बारे में सूचित करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को अधिकार प्रदान करने हेतु कम्पनी में आईएफसी के मौजूदा ढ़ांचे का अध्ययन करने तथा उन पर सुधार करने हेतु सुझाव देने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रचालन नियंत्रणों को शामिल करते हुए आईएफसी के लिए एक उपयुक्त ढ़ांचा बनाने के लिए कम्पनी ने मै० ग्रांट थोर्नटन इण्डिया एलएलपी को नियुक्त किया है।

डिजाइन का परीक्षण और प्रचालन प्रभावकारिता के परीक्षण सहित वित्तीय और वित्तीय रिपोर्टिंग नियंत्रण के कार्यों का प्रथम चरण फरवरी 2016 में शुरू किया गया था और परामर्शदाता के द्वारा मार्च 2016 में सफलता पूर्वक पूरा किया गया है। डिजाइन परीक्षण और प्रचालन प्रभावकारिता परीक्षण में हुए नियंत्रण अन्तर के आधार पर प्रबंधन ने उपचारात्मक उपाय शुरू किए हैं।

इसी तरह, प्रचालनात्मक नियंत्रण रिपोर्टिंग कार्य जून, 2016 से शुरू दूसरे चरण में प्रारम्भ किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रक्रियाओं के अधीन प्रचालनात्मक उप क्षेत्रों अर्थात् स्थिर परिसम्पति प्रबंधन, वित्तीय रिपोर्टिंग, सामान–सूची प्रबंधन, आर्डर–टू–कैश, वेतन, एच अर और वेतन नामावलियों की प्राप्ति, परियोजना और पूंजीगत व्यय, नकद प्रबंध, उत्पादन, शिपिंग और लॉजिस्टिक, प्रचालन और गुणवत्ता आश्वासन, सुरक्षा और पर्यावरण की समीक्षा शामिल है।

निदेशकों की जवाबदेही का बयान

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुसरण में निदेशक यह बताते हैं कि:

(i) कि वार्षिक लेखा की तैयारी मान्य लेखा मानकों का पालन करते हुए की गई है, इसके साथ ही जहां तक मटेरियल डिपार्चर का संबंध है, वहां सही–सही कैफियत दी गई है।

(ii) कि निदेशकों ने जो लेखा की नीति अपनायी है और उसे लगातार लागू किया है वह कंपनी की वित्तीय वर्ष (अवधि) के दौरान लाभ या हानि की सही स्थिति दर्शाती है।

(iii) कि कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए निदेशकों ने कानून के मुताबिक लेखा संबंधी रिकार्ड रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है और जहां कहीं भी जालसाजी या अन्य अनियमितताएं हुई हैं, उसे पकड़ा गया है।

(iv) कि निदेशकों ने वार्षिक लेखा को गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया है।

(v) निदेशकों ने कम्पनी के द्वारा पालन किए जाने वाले आन्तरिक वित्तीय

नियंत्रण निर्धारित किए है और ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें; और

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणाली पर्याप्त हैं और प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर रही हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक द्वारा जरूरी घोषणा की गई है जिसमें कहा है कि वह कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उप–धारा (6) में प्रावधान किए अनुसार स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश के ब्यौरे

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों, गारंटी और निवेशों का ब्यौरा **अनुबंध–IX** में दिया है जो कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और उनके अधिकार) नियमावली 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन करने के बारे में हैं।

धारा 188 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का ब्यौरा

संबंधित पक्षकारों के साथ वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी के द्वारा किए गए सभी ठेको/व्यवस्थाओं/लेन–देन कारोबार की सामान्य अवधि में किए गए थे और निश्चित दूरी बनाए रखने पर आधारित थे। संबंधित पक्षकारों के साथ लेन देनों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है। इसलिए फार्म एओसी–2 में किए गए ऐसे ठेकों अथवा व्यवस्थाओं के औचित्य के साथ–साथ धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के ठेके अथवा व्यवस्थाओं के ब्यौरे रिपोर्ट का भाग नहीं बनते हैं।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) के उपबंधों के अनुसार ऊर्जा का सरंक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय के विवरण इस रिपोर्ट के **अनुबंध–X** में दिए हैं।

जोखिम प्रबंध नीति

आपकी कम्पनी प्रतियोगिता सहित वैश्विक और घरेलू कारोबार माहौल में बतायी गई घटनाओं से उसे कारोबार के सामने आयी ऐसी चुनौतियों के बारे में सचेत और संवेदनशील है, जिनसे काफी खतरा हो सकता है। इस दृष्टि से कम्पनी ने जोखिम को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने, वृद्धि को बढ़ावा देने और पणधारकों के लिए मूल्य का सृजन करने हेतु संगठन की सहायता करने के लिए एक सख्त उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ईआरएम) स्थापित की है। सेल की जोखिम प्रबंध नीति को बोर्ड के द्वारा अगस्त, 2009 में अनुमोदन दिया गया था और तब से जोखिम प्रबंधन सेल में पूर्णतः तैयार हो गया है। नीति में सेल से बाहर कारोबार जोखिम के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन का प्रावधान है। इससे यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित होता है कि जोखिमों का एक नियमित आधार पर दिए गए समय में पहचान, आकलन और न्यूनतम किया जाता है।

इस समय सेल में उद्यम जोखिम प्रबंधन की संरचना में एक बहुत अच्छी डिजाइन बहु–परतीय संगठन ढ़ांचा होता है और इसमें उसके महसूस किए गए जोखिम वाले प्लांट/यूनिट हैं, जो जोखिम वाले ऐसे स्वामियों/जोखिम चौम्पियनों की सतत निगरानी में होते हैं। ये न्यूनीकरण की रणनीति बनाते हैं और कार्यान्वित करते हैं तथा इसे उसके उचित निष्कर्ष के स्तर तक ले जाते हैं। संयंत्र/यूनिट के अध्यक्ष की अध्यक्षता में संयंत्रों/यूनिटों की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) जोखिमों और इसके न्यूनीकरण की स्थिति की समय–समय पर समीक्षा करती है तथा सेल के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को इसकी सूचना देती है।

बदलती हुई प्रचालनात्मक आवश्यकताओं तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी विनियमों में प्रस्तुत ईआरएम पर अधिक बल देने के कारण और सेबी के विनियमों के अनुसार सेल जोखिम प्रबंधन समिति (एसआरएमसी) का गठन किया गया है। सेल की निरन्तर प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए नीति प्रतिपादन संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्य का मूल्यांकन करके सेल में जोखिम प्रबंधन कार्य का एसआरएमसी निरीक्षण करती है। यह कम्पनी के जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को बनाने तथा मानीटरिंग करने में और जोखिम नीति का मार्गदर्शन करने में बोर्ड की सहायता करती है। यह एक उच्च स्तरीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता लेखा–परीक्षा समिति के अध्यक्ष करते हैं और स्वतंत्र निदेशक क्रियाशील निदेशक और कुछ एकीकृत संयंत्रों के सीईओ इसके सदस्य हैं।

कंपनी स्तर पर प्रमुख जोखिम और उनकी न्यूनीकरण योजनाओं को बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। न्यूनीकरण योजनाओं सहित इन जोखिमों की संयंत्र/यूनिट स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियों के द्वारा निरन्तर समीक्षा और मानीटरिंग की जाती है। जोखिमों के संबंध में तथा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए एक उपयुक्त जोखिम प्रत्युत्तर के संबंध में संगठन में सम्प्रेषण बनाए रखा जा रहा है।

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

सेल का सामाजिक उद्देश्य कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के समानार्थक है। स्टील का विनिर्माण करने के कारोबार के अलावा कम्पनी का उद्देश्य इस तरीके से कारोबार करना है जिससे उन समुदायों को सामाजिक, पर्यावरण संबंधी और आर्थिक लाभ मिलता है जिनमें यह कार्य करती है। किसी संगठन के लिए समाज पर इसके कारोबार के प्रभाव की जानकारी होने से सीएसआर शुरू होती है। लोगों के जीवन में सार्थक अन्तर करने के लिए आपकी कम्पनी प्रारम्भ से ही सीएसआर पहलों की संरचना और क्रियान्वयन कर रही है। इन प्रयासों से उन गांवों में निराशा हुई जहां पर सेल के संयंत्र अवस्थित है और आज बड़े औद्योगिक हब में तबदील हो गए हैं।

आपकी कम्पनी की सीएसआर पहलें सरकार द्वारा जारी किए गए प्रचालित मार्गदर्शी सिद्धान्तों, जैसे लागू डीपीई दिशा–निर्देशों, कम्पनी अधिनियम, 2013 और कम्पनीज (कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियमावली, 2014 के अनुरूप सदैव शुरू की गई हैं। सेल की सीएसआर परियोजनाएं शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने, गांव का विकास जल सुविधाओं तक पहुंच, ग्रामीण क्षेत्रों के आस–पास अवसंरचना विकास पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, विकलांग व्यक्तियों की सहायता, स्व–सहायता समूहों के माध्यम से समावेशी आय का सृजन, खेलकूद, कला, संस्कृति और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने आदि क्षेत्रों में इस्पात नगरों में तथा उनके आस–पास खदानों और देश में दूर–दराज के स्थापना स्थलों में शुरू की जाती है।

सीएसआर रिपोर्ट सहित कम्पनी के द्वारा शुरू की गई विभिन्न कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहलों का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र में **अनुबंध–XI** पर है। कम्पनी की सीएसआर नीति सेल की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

स्वच्छ भारत अभियान – स्वच्छ विद्यालय अभियानः भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए "स्वच्छ भारत अभियान" में आपकी कम्पनी सक्रिय रूप से भाग ले रही है। अभियान के अन्तर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सेल के लिए आवंटित किए अनुसार छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों में अपने संयंत्रों और खदानों की परिधि के अन्तर्गत आए 672 शौचालयों का निर्माण शुरू किया था और पूरा कर लिया है। स्क्वैटिग पालथी मारने की यूनिटें, मूत्रालय, बाशबेसिन और ओवरहैड वाटर स्टोरेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं। शौचालयों का निर्माण करने के अलावा समस्त संगठन में सफाई अभियान शुरू किया गया है। कारखाने परिसरों सहित विभिन्न स्थापना स्थलों में सफाई अभियान चल रहा है। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और समुचित हाउस–कीपिंग का कार्य कंपनी में किया जा रहा है।

स्वास्थ्य देखभालः सेल की गहन और विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना से वर्ष 2011–16 की अवधि के दौरान अपने संयंत्रों और यूनिटों के आस–पास रह रहे 96 लाख लोगों के लिए विशिष्ट और बुनियादी देखभाल सुविधा की हैं। केटरेक्ट, और लेन्स इम्पालंट, क्लेक्ट लिप तथा पालेट गडबडी, पोलियो लैग सुधार जैसी सर्जरीज की गई। कम सुनने, एनिमिया, सिकेल सैल की पहचान और परामर्श, थैलासेमिया रोगियों, प्रजनन संबंधी गड़बड़ी वाली महिलाओं, कुष्ठरोग और टी.वी. के रोगियों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध्ध करायी जाती हैं।

जरूरतमंद लोगों के द्वारा पर गुणवत्ता वाली देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए संयंत्रों/यूनिटों के आस–पास तथा दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों के लिए नियत दिनों पर विभिन्न गांवों में नियमित स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान 3800 से ज्यादा स्वास्थ्य कैम्प

किरण – सेल की स्वरोजगार सृजन योजना के तहत कमजोर तबके की महिलाओं के लिए धागा कताई केन्द्र।

आयोजित किए गए हैं जिनसे 97,000 से ज्यादा ग्रामीणों को लाभ मिला। संयंत्रों के आस–पास चल रहे 36 मोबाइल मेडीकल यूनिटों से लगभग 1 लाख लोगों को उनके द्वार पर लाभ मिला है।

संयंत्रों में 24 विशेष हेल्थ सेंटर हर वर्ष लगभग 1,00,000 गरीब और जरूरतमंद लाभग्राहियों को मुफ्त चिकित्सा देखलाभ और दवाइयां दी जाती हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान 1.32 लाख से ज्यादा ग्रामीणों ने इन हेल्थ सेन्टरों में मुफ्त देखभाल सुविधा का लाभ लिया है।

शिक्षा : शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास करने के लिए आपकी कम्पनी 55,000 से ज्यादा बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस्पात टाउनशिप में 145 स्कूलों की सहायता कर रही है और अक्षय पात्र फाउन्डेशन के सहयोग मिड–डे–मिल उपलब्ध कराकर के लगभग 75,000 छात्रों वाले भिलाई और राउरकेला में 636 से ज्यादा सरकारी स्कूलों की सहायता कर रही है। 21 विशेष स्कूलों (कल्याण और मुकुल विद्यालयों) से एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थलों में बीपीएल श्रेणी के 3600 से ज्यादा छात्रों को लाभ मिल रहा है और इन स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, मिड–डे–मिल, जूते सहित वर्दी, पाठ्य–पुस्तकें, लेखन सामग्री की मदें, स्कूली बैग, पानी की बोतले और कुछ मामलों में परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। सारंदा सुवन छात्रावास, आरटीसी आवासीय पब्लिक स्कूल, मनोहरपुर, ज्ञानोदय छात्रावास, बीएसपी स्कूल राजहारा, भिलाई, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल साइंस, भुवनेश्वर, ज्ञान ज्योति योजना बोकारो में 335 आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन और वर्दी, पाठ्य पुस्तकें आदि मिल रही हैं।

संयंत्र के आस–पास के क्षेत्रों में 2100 से ज्यादा स्कूल के बच्चों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

बोकारो इस्पात संयंत्र ने विलुप्त होने के कगार पर बिरहोर जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने तथा उनके सम्पूर्ण विकास के लिए ''ज्ञान ज्योति योजना'' लागू की है। 15 बिरहोर बच्चों को गोद लिया था और उन्हे भोजन, आवास, पौष्टिक सम्पूर्ण आहार, वस्त्र, मुफ्त चिकित्सा उपचार, प्रेरक वातावरण में खेलकूद और सांस्कृतिक अवसरों के साथ मुफ्त शिक्षा दी गई। वे अपनी जाति के पहले मैट्रिक और 12वीं पास बच्चे हैं। उनकी उपलब्धियों से प्रोत्साहित होकर 15 नए बिरहोर बच्चों के लिए एक अन्य बैच को गोद लिया गया है जो नई परिस्थितियों में अपना जीवन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए ज्ञान ज्योति योजना के अन्तर्गत गोद लिए 9 मैट्रिकुलेट बिरहोर लड़कों को आईटीआई में ''वैल्डर ट्रेड'' में प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है और उन्हें प्रत्येक को ₹2500 वृत्तिका, आवास और भोजन की सुविधा बोकारो प्राइवेट आईटीआई में दी जाती है।

महिला सशक्तिकरण और समावेशी आय का सृजनः वर्ष 2015–16 के दौरान समावेशी आय के सृजन की दिशा में लक्षित व्यावसायिक और विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण आस–पास के गांवों के 947 युवकों और 1785 महिलाओं को ऐसे क्षेत्रों में प्रदान किया गया है, ऐसे क्षेत्र हैं– नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, क्म्पयूटर, मोबाइल मरम्मत, वेल्डर, फिटर और इलेक्ट्रिशियन, उन्नत कृषि प्रशिक्षण, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, अचार/पापड़/अगरबत्ती/मोमबत्ती बनाना, स्क्रीन प्रिटिंग, हस्त शिल्प, रेशम उत्पादन, यार्न बुनाई, दर्जी का काम, सिलाई और कढ़ाई, दस्ताने, मसाले, तौलिए, बोरी, कम लागत के सेनेटरी नेपकिन, मिठाई के डिब्बे, साबुन, धुआंरहित चूल्हा बनाना आदि। ये कार्यकलाप संयंत्रों/खदान स्थलों में और उनके आस–पास स्थित विभिन्न केन्द्रों में किए जा रहे हैं। आपकी कम्पनी ऐसे केन्द्रों में निर्मित उत्पादों के विपणन में सहायक का भी कार्य करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकासः आपकी कम्पनी ने अपने प्रारम्भ होने से लेकर सड़कों का निर्माण और मरम्मत करके 435 गांवों के 77.84 से ज्यादा लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा गया है। पिछले 4 वर्षों के दौरान इसने 7907 से ज्यादा वाटर सोर्सों (जल स्रोतों) की स्थापना की है; उसके द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे 45.96. से ज्यादा लोगों को पेय जल आसानी से मिल सका है।

पर्यावरण संरक्षणः ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगायी गई हैं, तथा सारंदा और अन्य स्थानों के ग्रामीण लोगों में सोलर लालटेन और धुआंरहित चूल्हे बांटे गए हें। अपनी टाउनशिप में पार्कों, वाटर बाडीज और वोटानिकल बागों का रखरखाव तथा विभिन्न स्थलों पर 3.85 लाख से ज्यादा वृक्षों का रोपण और रखरखाव भी किया गया है। इसके अलावा, आपकी कम्पनी ने झारखण्ड में जारी, गुमला में 100 केडब्ल्यू क्षमता का सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना और प्रचालन में भी मदद की है।

विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों की सहायताः विकलांग बच्चों/व्यक्तियों की ट्राइसाइकिल, मोटर लगी साईकिल, केलीपर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग आदि जैसे उपस्कर का प्रावधान करके सहायता की जाती है। आपकी कम्पनी संयंत्रों में विभिन्न स्कीमों तथा सेंटरों की मदद करती है जैसे भिलाई में ''स्नेह सम्पदा'', ''प्रयास'' और ''मुस्कान'', राउरकेला में ''नेत्रहीन, बधिर और मन्द बुद्धि बच्चों के लिए स्कूल'' और ''होम एण्ड होप'', बोकारो में ''आशालता विकलांग केन्द्र'', विभिन्न कार्यक्रम जैसे दुर्गापुर में ''हैण्डीकेप्ड ओरिएटिड एजूकेशन प्रोग्राम'' और ''दुर्गापुर हैण्डीकेप्ड हैपी होम'',बर्नपुर में ''चेशायर होम''। ''तमन्ना, दीपालय आदि

जैसे एनजीओ के लिए सहायता प्रदान की गई है। विभिन्न संयंत्र नगरों में ओल्ड एज होम (वृद्ध आश्रम) जैसे भिलाई में ''सियान सदन'', दुर्गापुर में ''आचार्य धाम'' और ''बादशाह'' आदि को भी सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, आपकी कम्पनी ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के माध्यम से काजोरा में लीपर्स कालोनी को गोद लिया है और उसका रखरखाव कर रही है जिसमें सभी सामाजिक और अवसंरचनात्मक सुविधाएं बना कर रखी गई हैं।

खेल, कला और संस्कृति तथा विरासत संरक्षणः सेल नियमित रूप से अन्तः ग्रामीण खेल कूद टूर्नामेंटो का आयोजन कर रही है और बृहद राष्ट्रीय खेल–कूद समारोहों और टूर्नामेंटों में सहायता कर रहा है। इसके अलावा, इच्छुक खिलाडियों तथा महिला खिलाडियों को बोकारो (फुटबाल), राउरकेला (हाकी), विश्वस्तरीय एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड, भिलाई (लड़कों के लिए एथलीटिक्स), दुर्गापुर (लड़कियों के लिए एथीलेटिक्स) और किरिबुरु, झारखण्ड (तीरंदाजी) में अपने आवासीय स्पोर्ट्स अकादमियों के माध्यम से सहायता और कोचिंग दे रही है। लोधी गार्डन, नई दिल्ली में 5 स्मारक, राउरकेला में महाभारत की ख्यातिवाला ऐतिहासिक स्थल ''वेद–व्यास'' जैसे राष्ट्रीय विरासत के स्थलों के संरक्षण और रखरखाव को आपकी कम्पनी के द्वारा सहायता दी जाती है।

आपदा राहतः एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में सेल जम्मू और कश्मीर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त, ओडिशा में फिलिन चक्रवात, उत्तराखण्ड में भीषण बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास संबंधी पहलों में सहायता दी है।

सारंदा वन विकासः दूर दराज के वन क्षेत्रों के हाशिए पर पड़े लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के एक प्रयास में आपकी कम्पनी ने झारखण्ड सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से सारंदा वन, झारखण्ड की विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया। सेल ने एम्बुलेंस, प्रत्येक 7000 को एक–एक साइकिल, ट्रांजिस्टर, सोलर लालटेन उपलब्ध करायी तथा सारंदा वन में दीघा गांव में एक एकीकृत विकास केन्द्र (आईडीसी) की स्थापना की। आडीसी में स्थानीय निम्नवर्ग के लिए बैंक, पंचायत कार्यालय, राशन की दुकान, दूरसंचार कार्यालय, आंगडवाडी केन्द्र मीटिंग रूम आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

आदर्श स्टील गांवः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कम करने के लिए तथा भौतिक और सामाजिक दोनों किस्म की अवसंरचना सुविधाओं का व्यापक विकास करने के लिए देश में (8 राज्यों में) ''आदर्श स्टील गांवों'' (एमएसवी) के रूप में 79 गांवों की पहचान की गई थी। इन गांवों में शुरू की गई विकासात्मक गतिविधियों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़क और कनेक्टीविटी, सफाई, समुदाय केन्द्र, आजीविका अर्जन, खेलकूद सुविधाएं आदि शामिल हैं। इन एमएसवी में विकसित सुविधाओं को नियमित रूप से चलाया और रखरखाव किया जा रहा है।

राष्ट्र के निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सेल के प्रयासों को वर्ष के दौरान अवार्ड और पुरस्कारों के रूप में विभिन्न संगठनों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है जैसे दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों आदि के लिए सीएसआर हेतु दैनिक भास्कर इण्डिया प्राइड अवार्ड, सीएसआर–2015 के लिए ग्रीन टैक गोल्ड अवार्ड।

सामान्य घोषणा

I. वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

II. रेगुलेटरों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों के द्वारा चिन्ता की स्थिति और भविष्य में कम्पनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण अथवा वस्तुतः आदेश पारित नहीं किए गए थे। तथापि, वित्तीय विवरणों का भाग बन रही टिप्पणियों में आकस्मिक देयताओं पर कथन की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

- श्री सी.एस. वर्मा का कम्पनी के अध्यक्ष का कार्यकाल 10.06.2015 (अपराह्न) को समाप्त हुआ।
- श्री राकेश सिंह, सचिव भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय ने 11 जून, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 (अपराह्न) तक कम्पनी के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला।
- डा० अनूप के. पुजारी, सचिव भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय ने 01 अक्तूबर, 2015 से 10 दिसम्बर 2015 (पूर्वाह्न) तक कम्पनी के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला।
- श्री पी.के. सिंह को 10.12.2015 (पूर्वाह्न) से कम्पनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री टी.एस. सुरेश का 31.5.2015 (अपराह्न) से कम्पनी का निदेशक का पद समाप्त हुआ।
- श्री पी.के. दास. प्रो० अशोक गुप्ता, श्री प्रमोद बिन्दल, और श्रीमती अंशु वैश्य को 18.11.2015 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- डा० एन. महापात्रा को 27.11.2015(पूर्वाह्न) से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री जी. विश्वकर्मा को 31.12.2015(पूर्वाह्न) से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री एस.एस. मोहन्ती का 30.06.2016(अपराह्न) से कम्पनी का निदेशक का पद समाप्त हुआ।
- श्री रमन को 1.7.2016(पूर्वाह्न) से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- डा० आत्मानन्द और श्री जे.एम.माउसकर, स्वतंत्र निदेशकों का उनकी कार्यकाल अवधि समाप्त होने पर 18 जुलाई 2016 से निदेशकों का पद समाप्त हुआ।
- भारत सरकार के द्वारा श्री ए.के. चौधरी, निदेशक (वित्त्त) की कार्यकाल अवधि को 31 अगस्त, 2016 के बाद 31 दिसम्बर 2020 तक अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक, अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

आभारोक्ति

सेल का निदेश मण्डल कम्पनी परिवार के हर सदस्य के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण राज्य सरकारों, बिजली बोर्डों, रेलवे, बैंक, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक और हितधारकों को भी उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न विभागों, विशेष रूप से इस्पात मंत्रालय से मिले समर्थन और दिशा–निर्देश के लिए भी आभारी हैं।

निदेशक मण्डल की ओर से

(पी.के.सिंह)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 अगस्त, 2016

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रबंधन द्वारा कंपनी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण संबंधी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

क. उद्योग संरचना और विकास

विश्व आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2015 में दुनिया की अर्थव्यवस्था 3.1 फीसदी की दर से बढ़ी जिसका पुर्वानुमान आईएमएफ ने अपने अप्रैल 2016 की वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑउटलुक अपडेट में किया था। दरअसल ये विकास उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बदौलत मुमकिन हुआ जो तब करीब 4 फीसदी दर से आगे बढ़ा। जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाएं तब 1.9 फीसदी की दर से बढ़ीं। मंदी और चीन की अर्थव्यवस्था के पुनर्संतुलन का असर दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करता रहा। तो उत्पाद की कीमतों में कमी (वर्ष 2015–16 के दूसरे अर्धवार्षिक के दौरान तेल की कीमतों में करीब 30 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई) और अमेरिका द्वार मौद्रिक नीतियों में नियमित कड़ाई बरतने का भी काफी असर पड़ा।

वर्ष 2016 के लिए आईएमएफ ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में उत्पादन की बढ़ोतरी लगभग सामान्य रहेगी और इसके 3.2 फीसदी के आसपास रहने की उम्मीद है। हालांकि वर्ष 2017 में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के 3.5 फीसदी की दर से रफ्तार पकड़ने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ये प्रक्षेपित विकास दर – जो काफी सामान्य है – वो उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के निरंतर विकास पर निर्भर करता है। क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ोतरी के आसार काफी मामूली हैं। यहां तक कि वर्ष 2016 में उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था में मामूली बढ़त की उम्मीद है जो करीब 4.1 फीसदी रहने की उम्मीद है। हालांकि उम्मीद की किरण ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था के 7.5 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है। जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में विकास दर 6.5 फीसदी तक सीमित रहने की आशंका है। लेकिन चिंता विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को लेकर है जिसके वर्ष 2016 में 1.9 फीसदी के आकंड़े पर स्थिर रहने की बात की जा रही है।

दुनिया भर में स्टील के बाजार का परिदृश्य

वर्ष 2015 में कच्चे स्टील का उत्पादन 1,623 मिलियन टन हुआ। वर्ष 2014 के मुकाबले वर्ष 2015 में कच्चे स्टील के उत्पादन में 2.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। कच्चे स्टील के उत्पादन का ये आकलन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की ओर से किया गया था। सभी प्रमुख स्टील उत्पादक देशों में कच्चे स्टील के उत्पादन में गिरावट देखी गई। हालांकि भारत इसमें अपवाद साबित हुआ। क्योंकि वर्ष 2015 में भारत में कच्चे स्टील के उत्पादन में 2.6 फीसदी की तेजी देखी गई। वर्ष 2015 में भारत ने 90 मिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन किया। इसके साथ ही भारत कच्चे स्टील के उत्पादक देशों में अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। गौरतलब है कि अमेरिका में कच्चे स्टील के उत्पादन में 10.5 फीसदी गिरावट दर्ज की गई।

हालांकि दुनिया भर में कच्चे स्टील के उत्पादन के क्षेत्र में चीन का दबदबा कायम रहा। विश्व भर में कच्चे स्टील के कुल उत्पादन का 50 फीसदी अकेले चीन पूरा करता है। बावजूद वर्ष 2015 में चीन ने 804 मिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन किया जो वर्ष 2014 के मुकाबले 2.3 फीसदी कम था। वर्ष 2015 में पूरे एशिया भर में कच्चे स्टील का उत्पादन का आंकड़ा 1,114 मिलियन टन पर सीमित रहा।

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2016 में विश्व भर में स्टील की मांग में 0.8 फीसदी यानी 1,488 मिलियन टन की गिरावट आएगी। साल 2015 के मुकाबले ये गिरावट 3.0 फीसदी के बराबर होगी। हालांकि साल 2017 में दुनिया भर में स्टील की मांग में 0.4 फीसदी यानी 1,494 मिलियन टन की तेजी आने का अनुमान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य

केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा प्रकाशित पहले संशोधित अनुमान के मुताबिक वर्ष 2014–15 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.2 फीसदी की दर से विकास हासिल किया था। विकास में ये तेजी मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी बनी रही। चूंकि वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.6 फीसदी का विकास दर्ज हासिल किया।

पिछले वर्ष अप्रैल–मार्च के समय के मुकाबले अप्रैल–मार्च 2015–16 में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 2.4 फीसदी की बढ़ोतरी अनुमानित है। वर्ष 2015–16 में अप्रैल–मार्च के दौरान इसी अवधि में पिछले वर्ष के मुकाबले, खनन एवं औद्योगिक उत्पादन की सूचियों में क्रमशः 2.2 और 2.0 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है। वर्ष 2015–16 में अप्रैल–मार्च के दौरान टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों में 11.2 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। जबकि पूंजीगत माल में 2.9 फीसदी की गिरावट आई।

सेल का जयपुर स्थित आधुनिक स्टॉकयार्ड – समुचित भंडारण और उत्पादों के सुगम संचालन के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है जिससे उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर में वृद्धि हो सके।

आर्थिक सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की वजह से भारत के विकास की राह आसान होगी। आईएमएफ ने अप्रैल, 2016 के अपने हालिया ऑउटलुक में वित्तीय वर्ष 2015 में भारत के आर्थिक विकास की अनुमानित दर 7.3 फीसदी रेखांकित किया है। जबकि वर्ष 2016–17 के लिए आर्थिक विकास दर के 7.5 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। यहां तक कि भारत सरकार ने भी वर्ष 2015 के अपने आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान भारत का विकास दर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।

भारतीय स्टील परिदृश्य

वर्ष 2015 के दौरान दुनिभा भर में कच्चे स्टील के उत्पादन में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान सुनिश्चित किया। चीन और जापान के बाद कच्चे स्टील के उत्पादन में अब भारत का स्थान है। अप्रैल–मार्च 2015–16 के दौरान कच्चे स्टील के उत्पादन का आंकड़ा 89.3 मिलियन टन था। इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे स्टील के उत्पादन में ये 0.4 फीसदी की बढ़ोतरी थी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान तैयार (परिष्कृत) स्टील के उत्पादन में 1.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 11.2 मिलियन टन तैयार स्टील का देश में आयात किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष के इसी अवधि के मुकाबले आयातित तैयार स्टील में इस दौरान 20.2 फीसदी की तेजी दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के मुकाबले 2015–16 में भारत में कुल तैयार स्टील की मांग में 4.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन तैयार स्टील की मांग में इस बढ़ोतरी को ज्यादातर आयात कर पूरा किया गया। लिहाजा इस अवधि के दौरान बिक्री के लिए उत्पादन में 1.1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

फरवरी 2016 में सरकार ने 173 स्टील आइटम पर न्यूनतम आयात शुल्क की शर्तें थोप दीं। अधिसूचना के तहत न्यूनतम आयात शुल्क की शर्तें अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने तक या अगले ऑर्डर आने तक में से जो भी पहले हो, तब तक लागू हैं। इस अधिसूचना के तहत सभी प्रमुख समतल और लंबे स्टील उत्पादों को शामिल किया गया है। इसके बाद, मार्च 2016 को सरकार ने हॉट रॉल्ड कॉयल्ड (एचआरसी) आयात पर सेफगार्ड शुल्क – जो कि सितंबर 2015 में रखा गया था– से मार्च 2018 तक के लिए बढ़ा दिया। हालांकि अगले दो वर्षों में शुल्क को दो चरणों में 10 फीसदी तक घटा दिया गया। ऐसा भरोसा जताया जा रहा है कि इन मौजूदा एवं प्रचलित नीतियों के असर की बदौलत आने वाले दिनों में देश में किए जाने वाले आयात की मात्रा में गिरावट आएगी। इसके बाद अप्रैल 2016 के दौरान भारत सरकार ने चीन से आयात किए जाने वाले कुछ 'हॉट रॉल्ड एंड कोल्ड रॉल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स' पर प्रतिकारी शुल्क/ गैर सब्सिडी जांच शुरू कर दी।

जैसा कि सरकार का ध्यान विनिर्माण और उद्योग के साथ–साथ बुनियादी ढांचे (सड़क, रेल, बंदरगाह आदि) के विकास पर लगा हुआ है– ऐसे में आने वाले सालों में स्टील की मांग में बढोतरी लगभग तय है।

ख. स्टील के लिए अवसर और चुनौतियां

अवसरः

- भारत सरकार की स्टील उद्योग को बढ़ावा देने वाली प्रस्तावित नीतियों – जैसे बुनियादी ढांचा का विकास, पूंजीगत माल और विनिर्माण पर जोर दिए जाने की वजह से, भारत आने वाले समय में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन सकता है।
- मध्यपूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार में निर्यात की पूरजोर संभावनाएं हैं
- उत्पाद गुणवत्ता में बढ़ोतरी और कार्यकारी कुशलता और आधुनिक इकाइयों के इस्तेमाल द्वारा लागत में कमी की संभावना है।

चुनौतियां

- विदेशों से आने वाले स्टील की डंपिंग और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्टील कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा
- सस्ते में स्टील उन देशों से मंगाना जिनके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता लागू है

ग. जोखिम और चिंताएं

- भारतीय धातु और खनन सेक्टर के सामने कई चुनौतियां हैं। मौजूदा संकट के साथ–साथ इस सेक्टर के आगे सीमित नकदी की स्थिति, उदयामन बैलेंस शीट, आयात में बढ़ोतरी और घटती बिक्री वसूली की भी चुनौती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुनाफे पर असर की वजह उत्पादों के घटते एनएसआर, लौह अयस्कों पर उच्च राजस्व, संकुचित होती घरेलू मांग और घरेलू उत्पादकों की कीमत पर आयात में लगातार बढ़ोतरी है।
- आंतरिक तौर पर उत्पादों को तैयार करने में होने वाली देरी के रूप में कई त्रुटियां हैं जो प्रारंभिक स्थिरीकरण कारकों की वजह से है। इसके साथ ही वृद्धिशील अपकर्ष के चलते ज्यादा पूंजी लागत और नई सुविधाओं के ब्याज संबंधी लागत के चलते भी व्यय में बढ़ोतरी होती है।
- झारखंड में न्यायालय के तहत विचाराधीन छह लौह अयस्क पट्टे पर पट्टा विस्तार का आदेश अभी आना बाकी है। इसके साथ ही ओडिशा में दो लौह अयस्क और एक बाक्साइट खान के पट्टे पर पट्टा विस्तार आदेश अभी आना बाकी है।
- भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत जो 1.4.2015 को जारी किया गया था – उसके मुताबिक 30 सितंबर 2016 के संशोधित तारीख के तहत खनन पट्टे में आने वाले इलाके के समूचे वनक्षेत्र के लिए एनपीवी (लगभग ₹1100 करोड़) का भुगतान होना जरूरी है। यह मामला भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लिया गया है। चूंकि सेल एक सरकारी उपक्रम है इसलिए कंपनी को इस भुगतान से छूट मिली हुई है।
- एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 और खनिज नियमों, 2015 के लागू होने के साथ ही सरकारी उपक्रमों के पट्टे की अवधि को परिभाषित किया जा सका है। खान के पट्टे के विलेख से जुड़ी विस्तारित अवधि के लागू होने की वजह संबंधित राज्य सरकारों के संशोधित अधिनियम और नियमों के चलन में आना है।
- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 10 मार्च 2015 को जारी किए गए दिशानिर्देशों से उन इलाकों के लिए, जो सरकारी दस्तावेजों या वन संरक्षण कानून लागू होने के बाद वन के तौर पर रिकॉर्ड किए गए हैं – उनसे जुड़े ताजा अनुमोदनों को प्राप्त करना अभी बाकी है। जबकि इन प्रस्तावों को गैर वन क्षेत्र के रूप में संशोधित किया गया था। इन दिशानिर्देशों के रहते हुए बोलानी लौह अयस्क खान के दो पट्टों पर खनन कार्य पर असर पड़ सकता है। हालांकि इन दिशानिर्देशों को लागू करने की अवधि छह महीने यानी 30.09.2016 तक बढ़ा दी गई है, बशर्ते कि राज्य सरकार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव 30.06.2016 तक सौंप दे। अगर इस सीमा के तहत राज्य सरकार ऐसा कर पाने में असमर्थ रहती है तो ऐसे वन क्षेत्र इलाकों में खनन कार्य को रोक दिया जाएगा।
- कड़े दक्षता मानकों पर 26.10.2015 को आवंटन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रभातपुर कोल माइन्स के आवंटन आदेश को कोयला मंत्रालय ने 23.03.2016 को जारी किया। लेकिन दक्षता मानकों के गैर अनुपालन के चलते बैंक गारंटी की नकदीकरण और कोयला खान के गैर आवंटन की स्थिति पैदा होगी।

घ. दृष्टिकोण

- सामान्य से अधिक मानसून रहने और उच्च जीडीपी विकास दर की अपेक्षा से विश्लेषक काफी उत्साहित हैं। भारत सरकार के बुनियादी ढांचा के विकास से जुड़ी योजनाओं पर जोर देने की वजह से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रोजेक्ट में भी तेजी आने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही देश में व्यापार करने में आसानी हो इसके लिए सरकार ने कई कारगर उपाय किए हैं जिसका सकारात्मक असर मेक इन इंडिया की पहल पर होना तय है। छोटे और मध्यम उद्योगों को – जिससे अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होते हैं – देश की प्रगति में उनकी क्षमता के मुताबिक योगदान देने के लिए मुक्त कर दिया गया है। सरकार के साहसिक कदम जैसे – सब्सिडी का नियोजन, कर आधार का विस्तार और कर से प्राप्त होने वाली आय में बढ़ोतरी की अपेक्षा – का मकसद वित्तीय समायोजन को प्राप्त करना है जो कि हाल तक चिंता के विषय रहे हैं।

च. मजबूती और कमजोरियां

मजबूती

- 14 मिलियन टन कच्चे स्टील के उत्पादन और 16 मिलियन टन हॉट मेटल के साथ सेल देश में प्रमुख स्टील उत्पादक है।
- बहुस्थित उत्पादन इकाइयों के होने की वजह से घरेलू स्टील उत्पादकों के मुकाबले हम आगे हैं।
- इकाइयों के आधुनिकीकरण और विस्तार के बाद समुचित रूप से आधुनिक इकाइयां।
- देश भर में अच्छी तरह से स्थापित विपणन और वितरण नेटवर्क की बदौलत सेल के उत्पादों को देश के कोने–कोने तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है।
- किसी भी घरेलू स्टील कंपनी के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकार के उत्पादों का रेंज।
- मौजूदा प्लांट/इकाई के लोकेशन पर भविष्य में ब्राउन फील्ड विस्तार के लिए भूमि बैंक का होना।
- इनपुट सुरक्षा – लौह अयस्क में 100 फीसदी एकीकरण।

- विशाल कुशल श्रमशक्ति के साथ उच्च शिक्षित पेशेवर जिन्हें स्टील बनाने का खास अनुभव है – हमारी ताकत के स्त्रोत हैं।

कमजोरियां

- अहम कारकों के लिए बाह्य स्त्रोतों पर आधारित होना – कोकिंग कोल के चलते कंपनी को बाजार से संबंधित तमाम जोखिमों को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है।
- बड़ी मात्रा वाले ब्लास्ट फर्नेस जिन्हें नवनियुक्त कमीशन किया गया है वो कच्चे माल की गुणवत्ता और स्थिरता के संबंध में ज्यादा मांग में हैं। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए छर्रों के बढ़े अनुपात के साथ उच्च क्षमता वाले तैयार बोझ सहने योग्य फर्नेस लाने की योजना बनाई जा रही है।
- उच्च श्रमशक्ति लागत और अपेक्षाकृत कम श्रमशक्ति उत्पादकता।
- मौजूदा समय में 25 फीसदी उत्पाद अधूरे तौर पर तैयार स्टील के रूप में है जो उत्पाद संविभाग में कम मूल्य संवर्धन करता है। लिहाजा अधूरे तौर पर तैयार स्टील की समस्या से निपटने की कोशिश की जा रही है और इसके उत्पादन में कमी लाने की कोशिश जारी है। इसके लिए नए रॉलिंग मिलों से उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
- कर्मचारियों के उम्र का प्रतिकूल मिश्रण के साथ 31.03.2016 तक औसत आयु 46.4 होना भी चिंता का विषय है। कर्मचारियो के उम्र के प्रतिकूल मिश्रण (उम्र और शिक्षा) की समस्या से निपटने के लिए कुशल और काबिल श्रमशक्ति को कंपनी में शामिल किया जा रहा है।

छ. वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा

1. सेल के वित्तीय अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2015 – 16 के दौरान सेल ने 43,337 करोड़ का बिक्री कारोबार किया। जो पिछले वर्ष के 50,627 करोड़ के कारोबार की तुलना में 14 फीसदी कम था। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कर अदायगी के बाद हानि 4, 137 करोड़ का हुआ। जबकि ठीक इसके पिछले वित्तीय वर्ष में कर अदायगी के बाद लाभ 2,093 करोड़ का हुआ था। वित्तीय वर्ष 2015–16 और 2014–15 के दौरान प्रमुख वित्तीय मापदंडो का तुलनात्मक प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	2015–16	2014–15
बिक्री कारोबार	43336.99	50626.65
ब्याज, अपकर्ष, असाधारण आइटम और कर के बाद लाभ (ईबीआईडीटीए)	–3052.15	5586.42
घटावः ब्याज और वित्तीय लागत	2046.75	1454.23
घटावः अपकर्ष	2099.54	1773.28
लाभ (+) / हानि (–) कर से पहले	–7198.44	2358.91
घटावः कर के लिए प्रस्ताव	–3061.18	266.23
असाधारण आइटम के बाद कर से पहले लाभ (पीबीटी)	–4137.26	2092.68
लाभांश (इक्विटी के प्रतिशत के तौर पर):		
अंतरिम लाभांश (%)	–	17.50
अंतिम लाभांश (%)	–	2.50
कुल मूल्य	39281	43505
शुद्ध बिक्री (%)पर ईबीआईडीटीए	–7.9	12.4
शुद्ध बिक्री पर रिटर्न (पीएटी) (%)	–10.5	4.8
औसत कार्यरत पूंजी (%) पर ईबीआईडीटीए	–6.4	12.9
प्रति ₹10 शेयर पर आय	–10.0	5.1
ऋण इक्विटी अनुपात	0.85:1	0.69:1

चालू वित्त वर्ष में कंपनी के मुनाफे पर बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों, कम शुद्ध बिक्री वसूली, जिला खनिज फाउंडेशन और 12 जनवरी 2015 से नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को दिये योगदान के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव, देशी कोयले की कम उपलब्धता के कारण मिश्रण में आयातित कोयले के अधिक उपयोग, सीडीआई के कम उपयोग, ज्यादा वेतन और मजदूरी, मरम्मत एवं रखरखाव, सुरक्षा के खर्च, उच्च ब्याज दर और सावधि जमा रकम पर ब्याज में कमी, नई सुविधाओं के पूंजीकरण से उच्च मूल्यह्रास के कारण बेचने योग्य इस्पात का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इन प्रतिकूल प्रभावों को आंशिक रूप से बिक्री की उच्च मात्रा और कोयले की कम कीमतों, कोक दर में कमी, विलंब शुल्क के खर्च में कमी, लौह मिश्र धातु आदि की कीमत में कमी कर भरपाई की गई है।

1.2 सेल प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम

1.2.1 वापसी की योजना

प्रतिकूल कारोबारी माहौल से वित्त वर्ष 2015–16 की दूसरी तिमाही से कंपनी के प्रदर्शन पर काफी असर पड़ा है। बाहरी और आंतरिक वजहों से कंपनी की वित्तीय हालात विकट स्थिति में पहुंच गई है। कंपनी के प्रदर्शन में सुधार और अपने वित्तीय हालात को ठीक करने के लिए सेल ने एक 'वापसी की योजना' शुरू की है। ये योजना उत्पादन और बिक्री की मात्रा के अनुकूलन पर आधारित है, जिसके तहत प्रक्रिया सूची को कम करने और अक्षम मार्गों से होने वाले उत्पादन को कम से कम करना है।

वापसी की योजना में परिचालन और तकनीकी–आर्थिक दक्षता, उत्पाद मिश्रण संवर्धन,नई सुविधाओं से उत्पादन के स्थिरीकरण को बढ़ाने के साथ–साथ अन्य प्रमुख लागतों में कमी, तरलता की महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए खर्च पर नियंत्रण के उपाय ढूंढना शामिल है।

1.2.2 लागत नियंत्रण के उपाय

- अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों के माध्यम से साल भर उत्पादकता की प्रक्रिया में सुधार के साथ–साथ लागत में कमी पर जोर रही है। लागत को नियंत्रित करने के लिए कार्य के सभी क्षेत्रों को जागरूक किया गया था।
- साल भर कोयला मिश्रण में सुधार, उत्पादन में सुधार, कोक दर में कमी, कम लागत में उत्पादन बढ़ाने, निष्क्रिय परिसंपत्तियों की बिक्री और इन हाउस इंजीनियरिंग शॉप्स के अधिकतम इस्तेमाल जैसे रणनीतिक उपायों के परिणामस्वरूप लागत में कमी दर्ज की गई है।
- इकट्ठे खरीदी गई वस्तुओं से बचत, समुद्री भाड़े में कमी, सेल के कोयला खदानों से आए बढ़िया धोए हुए कोयला और आयातित चूना पत्थर के इस्तेमाल से बिक्री की खरीद लागत में कमी लाने की कोशिश की गई है।
- इसके अलावा श्रमशक्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए 1 मई से 30 जून 2016 के बीच स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई थी, जिसके तहत 1038 कर्मचारी कंपनी से अलग हुए।

1.2.3 विपणन

इस्पात बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान ग्राहकों की संतुष्टि के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

- आईएसपी, डीएसपी, बीएसएल और आरएसपी में नई मिलों से उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास किए गए हैं। सेल के चल रहे विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना के तहत शुरू की गई नई मिलों से संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए संयंत्रों, विपणन के अधिकारियों के कार्यात्मक टीमों की बैठकें आयोजित की गई। आरएसपी में नई प्लेट मिल से प्लेटों, डीएसपी और आईएसपी से संरचनात्मक, बीएसपी/डीएसपी से भूकंप प्रतिरोधी टीएमटी बार, बीएसएल से सीआर जैसे उत्पादों की प्रस्तुतियां दी गईं। ग्राहकों की जरूरतों और उत्पादों के भरपूर इस्तेमाल के मद्देनजर उनके परिसरों के दौरे किए गए, हमारे उत्पादन और परीक्षण सुविधाओं से रूबरू कराने के लिए ग्राहकों को भी इकाइयों के दौरे कराए गए।

- उत्पादों में सुधार के लिए हमारे ग्राहकों की विशिष्ट आवेदन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेल में लगातार प्रयास जारी है। साल 2015–16 के दौरान ढेरों आवेदनों में से 24 नए उत्पाद विकसित किए गए। विकसित किए गए कुछ उत्पाद ये हैं :
  - ❖ एएसटीएम ए 387 जीआर 11 सीएल 2. बॉयलर और दबाव पात्रों के लिए प्लेट्स
  - ❖ आईएस 2062 ई 450. मोटा प्लेट्स (70 और 80 मिमी) अपतटीय संरचनाओं के लिए जेड दिशात्मक गुणों के साथ
  - ❖ डीएमआर 249 बीके. नौसेना युद्धपोतों के लिए क्यू एंड टी प्लेट्स
  - ❖ पवन चक्की और रेलवे पुलों के लिए जेड दिशात्मक गुणों वाला साथ बढ़िया लचीला प्लेट।
  - ❖ आईएस 2062 ई 410सी. निर्माण के लिए पीएम प्लेट.
  - ❖ आईएस 2062 ई 350. ऑटो घटकों के लिए बीआर (गैर सूक्ष्म मिश्र धातु) ग्रेड प्लेट।
  - ❖ समानांतर निकला हुआ किनारा बीम (आईपीई300) और निर्माण क्षेत्र के लिए संकीर्ण समानांतर निकला हुआ किनारा बीम (एनपीबी100)।
  - ❖ बॉयलर के गुणों वाली मोटी प्लेट (140एमएम) बॉयलर और दबाव वाहनों के लिए।
- भारतीय रेल की यात्री गाड़ियों के लिए वैप –5 लोकोमोटिव पहिया वैकल्पिक उत्पाद के रूप में विकसित किया गया और 2015–16 में सीएलडब्ल्यू, चितरंजन को 48 पहियों की आपूर्ति की गई।
- जबकि जमशेदपुर में सर्विस सेंटर की सुविधा कार्य शुरू कर दिया है, वहीं फरीदाबाद में सेवा केन्द्र की सुविधा शुरू करने का काम अंतिम चरण में है।
- सीएमओ के दुर्गापुर गोदाम को आईएसओ 14001 की मान्यता मिली है. वर्ष 2015–16 के दौरान पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के मानदंडों के मुताबिक सेल के हरित गोदामो की कुल संख्या बढ़कर 9 हो गई है।
- देश के सभी इस्पात उत्पादकों में सेल का विपणन नेटवर्क सबसे बड़ा है। 1 अप्रैल, 2016 को सेल के विपणन कार्यालयों के कार्यात्मक शाखाओं की संख्या 37, 10 सक्रिय ग्राहक संपर्क कार्यालय, 25 विभागीय गोदाम और माल भेजने के 21 गोदाम थे। इसके साथ ही विपणन को गति देने के लिए देशभर में 2172 डीलरों का नेटवर्क है। जिनमें से 170 डीलर साल 2015–16 के दौरान नियुक्त किए गए। देश भर में विशाल नेटवर्क देश भर के ग्राहकों की बड़ी तादाद की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है।

1.3 वित्तीय प्रबंधन

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन की दिशा में लगातार जोर दिया है। अल्प कालीन ऋण की उच्च लागत को कम लागत वाले ऋण से स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने अनुसूचित बैंकों से जो इस वर्ष के दौरान ऋणमुक्त कर दिए गए हैं उनसे 182 करोड़ के ब्याज की कमाई की है। 31 मार्च 2016 तक कुल कर्ज 33,217 करोड़ की थी जो सीपीएलवाय की तुलना में 3,319 करोड़ बढ़कर हो गई। वर्ष के दौरान कंपनी ने खरीदारों की देनदारियों पर विदेशी मुद्रा के जोखिम का बचाव किया। एमएस इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, एमएस केयर एंड एमएस ब्रिकवर्क रेटिंग्स, आरबीआई अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जिन्हें 'आईएनडी एए निगेटिव आउटलुक' निर्दिष्ट किया गया है, 'केयर एए+' रेटिंग्स और बीडब्ल्यूआर एए+ आउटलुक ने सेल के दीर्घकालिक उधार योजनाओं को स्थिर बताया है। उधार का ट्रेंड, शुद्ध मूल्य और मियादी जमा का विवरण नीचे दिया गया है:

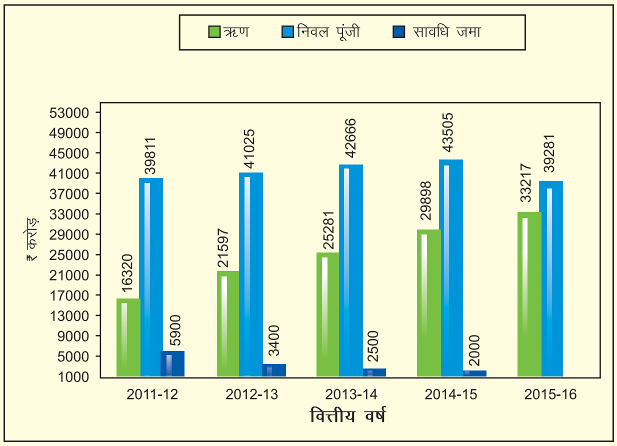

1.4 सेल के ग्रैच्युटी ट्रस्ट में योगदान

कंपनी द्वारा सेल के ग्रैच्युटी ट्रस्ट में 31.03.2016 तक 3,349.09 करोड़ का योगदान दिया गया है। हालांकि 31.03.2016 तक इस फंड का आकार बढ़कर 5,494.67 करोड़ हो गया। ग्रैच्युटी की भुगतान की दिशा में इसका समायोजन किया गया।

2. कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा

2.1 संचालन से राजस्व

क) उत्पाद की बिक्री

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2014–15	प्रतिशत बदलाव
बिकाऊ योग्य स्टील के उत्पादों की बिक्री	40922.45	48343.78	–15.3
अन्य उत्पादों की बिक्री	2414.54	2282.87	5.7
कुल बिक्री कारोबार	43336.99	50626.65	–14.3
घटावः उत्पाद शुल्क	4823.29	5418.60	–10.9
शुद्ध बिक्री कारोबार	38513.70	45208.05	–14.8

ख) घरेलू बिक्री और निर्यात का ट्रेंड

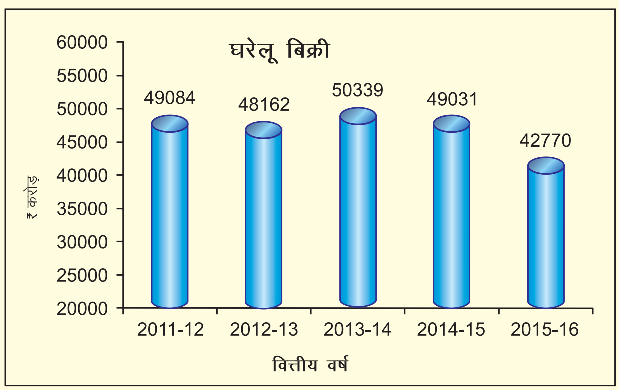

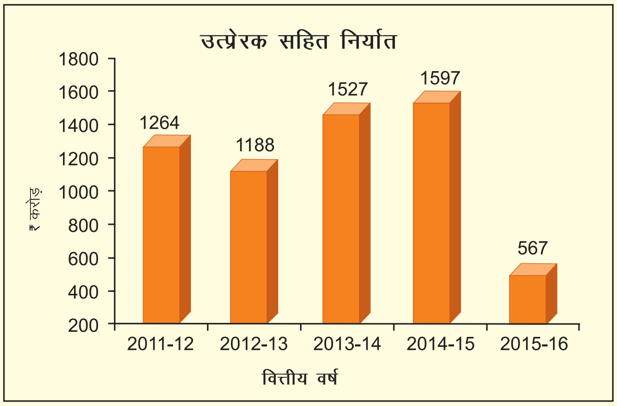

कंपनी ने हल्के स्टील व्यापार के हर पहलुओं का ध्यान रखा है। जैसे प्लेट के रूप में समतल उत्पाद, एचआर कॉयल/शीट्स, सीआर कॉयल/शीट्स, गैलवानाइज्ड प्लेन/मुड़े हुए शीट्स और लंबे उत्पाद जिसमें रेल, संचरनात्मक, वायर रॉड्स और व्यापारिक उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी के लिए मुनाफा कमाने वाले उत्पादों के मिश्रण में बिजली के प्रतिरोधी वेल्डेड पाइप, घुमावदार वेल्डेड पाइप और सिलिकन स्टील शीट्स शामिल हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान उत्पाद श्रेणी के लिहाज से बिक्री के कारोबार की जानकारी नीचे दी गई है :

उत्पाद श्रेणी	बिक्री मूल्य का %
बिक्री योग्य स्टील:	
समतल उत्पाद (पाइप और इलेक्ट्रिकल शीट्स शामिल) (अ)	46
लंबे उत्पाद (ब) एकीकृत स्टील प्लांट – नरम स्टील (स = अ. ब)	43 89
अयस्क और विशेष स्टील प्लांट –	5
अयस्क और विशेष स्टील (य)	
कुल बिक्री योग्य स्टील (र = स + य)	**94**
माध्यमिक उत्पाद (कच्चा लोहा, रद्दी माल, कोयला रसायन इत्यादि) (ल)	6
कुल (व = य + ल)	100

ग) सेवाओं की बिक्री – सेवा शुल्क

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष 2015–16	वित्त वर्ष 2014–15	बदलाव %
33.90	24.11	40.6

मौजूदा वर्ष के दौरान सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व में ₹10 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

घ) अन्य परिचालन आय

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष 2015–16	वित्त वर्ष 2014–15	बदलाव %
538.64	498.20	8.1

पिछले वर्ष के मुकाबले अन्य परिचालन आय में ₹40.44 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जिसकी वजह थी समाजिक सुविधाओं और विविध उत्पादों की बिक्री

2.2 अन्य आय

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष 2015–16	वित्त वर्ष 2014–15	बदलाव %
580.60	1001.19	–42.0

अन्य आय में ₹420.59 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई जिसकी प्रमुख वजह ग्राहकों और मियादी जमा से प्राप्त होने वाले ब्याज में कमी, लाभांश आय में कमी और बोकारो जेपी सीमेंट लिमिटेड, जिसे सीपीएलवाय में शामिल किया गया है, उससे संबंधित निवेश की बिक्री से लाभ की अनुपल्बधता रही है।

2.3 व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2014–15	बेंदहम %
कच्चे माल का उपभोग	17151	18523	–7.4
कर्मचारी वेतन और सुविधाएं	9894	9736	1.6
वित्तीय लागत	2047	1454	40.7
अपकर्ष	2100	1773	18.4
अन्य व्यय	15118	14205	6.4

कच्चे माल की लागत में गिरावट की मुख्य वजह निवेश कीमतों में कमी, खास कर आयातित कोयला और खरीदे गए बीएफ कोक के उपभोग में कमी इत्यादि रही हैं। वर्ष के दौरान कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह यात्रा में दिए गए छूट और कल्याणकारी कार्यों पर खर्च में बढ़ोतरी है। जबकि उच्च निवेश लागत का कारण नई सुविधाओं के पूंजीकरण पर उधार और अपकर्ष में बढ़ोतरी होना था। भंडारण और अतिरिक्त, ऊर्जा और ईंधन, मरम्मत और रख–रखाव, बाहर जाने के लिए भाड़े, खर्च का वहन, रूपांतरण पर खर्च, सुरक्षा खर्च, राजस्व और सेस इत्यादि में बढ़ोतरी की वजह से अन्य व्यय में बढ़ोतरी हुई।

2.4 राजकोष में योगदान

वर्ष के दौरान सेल ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों को कर और चुंगी की अदायगी कर ₹8,496 करोड़ का राष्ट्रीय राजकोष में योगदान दिया है।

2.5 गैर मौजूदा / मौजूदा परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

	विवरण	2015–16	2014–15	बदलाव%
क	**गैर मौजूदा संपत्ति**			
	स्थिर संपत्तियां			
	– प्रत्यक्ष	42716.20	34658.40	23.2
	– अप्रत्यक्ष	1546.20	1510.21	2.4
	कार्यशील पूंजी	24884.26	29195.82	–14.8
	गैर मौजूदा निवेश	1243.04	919.07	35.2
	विलंबित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	707.85	0.00	
	दीर्घ कालिक ऋण एवं अग्रिम राशि	4958.44	4507.25	10.0
	अन्य गैर मौजूदा संपत्तियां	39.84	53.83	–26.0
	कुल गैर मौजूदा परिसंपत्तियां (क)	76095.83	70844.58	
ख	**मौजूदा परिसंपत्तियां**			
	स्टॉक	15134.94	17735.39	–14.7
	वसूली योग्य व्यापार	2833.19	3192.00	–11.2
	नकदी और बैंको में जमा धन	297.65	2305.24	–87.1
	अल्पकालीन ऋण और अग्रिम राशि	2128.91	3064.14	–30.5
	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	1778.92	2185.52	–18.6
	कुल मौजूदा परिसंपत्तियां (ख)	22173.61	28482.29	–22.1
	कुल (क+ख)	98269.44	99326.87	–1.1

- स्थिर संपत्तियों में नई सुविधाओं के पूंजीकरण के चलते ₹8,094 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- स्टील प्लांट में कई पूंजीगत परियोजनाओं के पूंजीकरण की वजह से कार्यशील पूंजी में ₹4312 करोड़ की कमी आई है।
- दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम रकम में ₹451 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। ये वृद्धि पूंजी की पेशगी, जमा की गई प्रतिभूतियों और विभिन्न एजेंसियों के साथ जमा रकम की वजह से हुई है।

- अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियों में ₹14 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा होने की प्रमुख वजह दीर्घकालिक वसूली योग्य कारोबार में आई कमी है।
- स्टॉक सूची में ₹2600 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण कच्चे माल की संपत्ति सूची में ₹1590 करोड़ तैयार / आधे तैयार उत्पाद की संपत्ति सूची में ₹674 करोड़ और भंडारण एवं अतिरिक्त संपत्ति सूची में ₹336 करोड़ की कमी आई है।
- आई वसूली योग्य कारोबार में ₹359 करोड़ की कमी आई है। इसकी मुख्य वजह देनदारों की संख्या में आई कमी है।
- नकद और बैंक में जमा रकम ₹2008 करोड़ की गिरावट हुई है।
- अल्पकालीन ऋण और पेशगी की रकम में ₹935 करोड़ की गिरावट आई है। इसकी प्रमुख वजह इससे वसूली योग्य प्राप्यक है।
- अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में ₹407 करोड़ की कमी आई है। इसकी प्रमुख वजह दूसरों से उगाही योग्य दावे हैं।

2.6 गैर मौजूदा / मौजूदा देनदारियां

(₹ करोड़)

	विवरण	2015–16	2014–15	बदलाव %
क	गैर मौजूदा देनदारियां			
	दीर्घ कालिक उधार	15980.72	14025.56	13.9
	विलंबित कर दायित्व (शुद्ध)	0.00	2395.19	
	अन्य दीर्घ कालिक देनदारियां	1289.98	1239.22	4.1
	दीर्घ कालिक प्रस्ताव	3642.85	3705.34	–1.7
ख	मौजूदा देनदारियां			
	अल्पकालिक उधार	15530.31	14195.16	9.4
	भुगतान योग्य कारोबार	4002.66	3606.38	11.0
	अन्य मौजूदा देनदारियां	15805.26	14016.53	12.8
	अल्प कालीन प्रस्ताव	2736.40	2638.71	3.7
	कुल (क+ख)	**58988.18**	**55822.09**	**5.7**

- दीर्घ कालिक ऋण में गैर परिवर्तनीय बॉन्ड के जारी करने की वजह से 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
- ग्रैच्युटी और अन्य में कमी होने की वजह से दीर्घ कालिक प्रस्तावों में ₹62 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई।
- अल्प कालिक उधार में ₹1335 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसकी मुख्य वजह बैंकों से लिए गए उधार हैं।

3. संयंत्र के लिहाज से वित्तीय प्रदर्शन (कर से पहले लाभ)

(₹ करोड़)

विवरण	2015–16	2014–15
भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी)	405.22	2232.42
दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी)	–526.68	506.12
राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी)	–2523.52	232.04
बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल)	–2202.96	451.37
इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी)	–1939.45	–1072.17
अलॉय स्टील प्लांट (एएसपी)	–83.12	–134.15
सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी)	–465.53	–355.09
विश्वेशवरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी)	–115.55	–97.31
सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट (एसआरयू)	21.29	7.42
चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट (सीएफपी)	–78.03	–45.22
कच्चा माल श्रेणी/केंद्रीय यूनिट*	309.89	633.48
सेलः कर से पहले लाभ (पीबीटी)	**–7198.44**	**2358.91**
सेलः कर के बाद लाभ (पीएटी)	**–4137.26**	**2092.68**

* जमा रकम पर कमाए गए ब्याज और कॉरपोरेट दफ्तर के खातों में रखी गई राशि शामिल।

ज. सामग्री प्रबंधन

कच्चे माल की लागत में कमी लाने और सामग्रियों के प्रबंधन के प्रदर्शन को सुधारने के लिए कई पहल किए गए हैं। इनमें कुछ एक पहल को नीचे उद्धृत किया गया हैः

लागत में कमी

- एक बार में ज्यादा सामान / केंद्रीय खरीद एजेंसी के समान की खरीदी में बहुआयामी योजना लागू कर, ₹400 करोड़ की बचत कई क्षेत्रों जैसे – रॉल्स, कम सिलिका वाले चूना पत्थर, कोल बेड मीथेन गैस, सिलिको मैंगनीज–आदि में की गई है।
- ई प्रोक्योरमेंट जिसमें एसआरएम/ईपीएस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शामिल है – उसमें उत्तरोत्तर 37.04 फीसदी से 36.38 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- स्टील स्ट्रैपिंग के दो प्रमुख ग्रेड – ग्रेड 1431 और ग्रेड 1450 को एक में पुनर्गठित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टील स्ट्रैपिंग ईएन – 13246 टाइप 3.2/एएसटीएमडी 3953 के इस्तेमाल के लिए आदेश आरडीएसओ लखनऊ से प्राप्त किए गए हैं। इसके जरिए करीब 20 फीसदी लागत की बचत की जा सकी है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को लागू करने में जिन शर्तों पर रेलवे मंत्रालय राजी हुआ है उससे सेल को निम्नलिखित फायदा हैः
  - ❖ इस्तेमाल किए जाने वाली मात्रा में कमी (जैसा कि ग्रेड 1450 सघन था लेकिन बाद में उसे पतले गेज में बदला गया)।
  - ❖ अंतर्राष्ट्रीय मापदंडो को लागू करने से दुनिया भर में सप्लायरों के नेटवर्क में इजाफा हुआ जिससे बेहतर प्रतियोगी कीमत मिलने में आसानी हुई।
  - ❖ परिणामस्वरूप वादों की विविधता में कमी आएगी।

व्यवस्था में बेहतरी

- **निष्क्रिय परिसंपत्ति योजना की समीक्षा** : संयंत्र के संबंधित विभागों और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ काफी विचार–विमर्श करने के बाद निष्क्रिय संपत्ति योजना की समीक्षा मार्च, 2002 में की गई। संशोधित योजना 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में है।
- **निष्क्रिय लौह अयस्क मिश्रधातु के सैम्पलिंग प्रक्रिया का आधुनिकीकरणः** मौजूदा सैम्पलिंग प्रक्रिया जो 1.2.2015 से प्रभावी है उसे आगे आधुनिक बनाया गया और उसकी समीक्षा की गई। इसे संयंत्र को कार्यान्वयन के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर किया गया।

अतिरिक्त मुख्य पहलः कच्चे माल की लागत में कमी लाने के मकसद से कई पहल संयंत्र/इकाइयों के स्तर पर शुरू किए गए हैं। ऐसा विक्रेताओं के साथ पुनःबातचीत की प्रक्रिया के जरिए किया गया। इसके साथ ही स्टॉक संपत्तियों को कम करने के लिए भी कई विविध पहल किए गए जिसमें प्राप्तिका / वितरण नियंत्रण, अनुबंधित छुट्टियां, दोहरी दस्तावेज की स्क्रिनिंग, ऑर्डर के स्थान / निरस्तीकरण, स्वामित्व का स्थगन और विक्रेताओं के साथ बैठक कराना अहम है।

झ. विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी देशी स्रोतों से उपकरण, कच्चा माल समेत अन्य माल खरीदने की कोशिश कर रही है। कंपनी चाहती है कि ये कच्चा माल उसे व्यापारिक तौर पर स्वीकृत कीमत / लागत पर उपलब्ध हो और कंपनी जिन तकनीकों का इस्तेमाल करती है उसकी शर्तों को भी पूरा कर सके। अपेक्षित नियंत्रण को अमल में लाने के अलावा व्यय के विदेशी मुद्रा में भारग्रहण की प्रक्रिया के लिए कंपनी ने ये सुनिश्चित किया है कि ये कंपनी के हित में है। इसके आगे कंपनी ने यथोचित कदम उठाए हैं ताकि विदेशी मुद्रा में प्राप्य वसूली जो कंपनी को अभी तक नहीं मिल पाया है वह अनुबंध के तयशुदा अवधि के दौरान मिल सके।

ट. परियोजनाओं का प्रबंधन

एएमआर योजनाएं

परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार के अलावा संशोधन और परिस्थापन (एएमआर) योजनाओं पर भी काम जारी है। ये मौजूदा परिसंचालनों के लिए जरूरी है और प्राथमिक रूप से इसका मकसद क्षमताओं के मौजूदा स्तर और उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करना है। मौजूदा सुविधाओं के पुनर्गठन और सुधारने के उद्देश्य से एएमआर परियोजनाओं को शुरू किया जाता है। इसके साथ ही संतुलन / उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू बनाने, ऊर्जा और अन्य स्रोत के उपभोग में बेहतरी / सेवाओं / सुरक्षा और पर्यावरण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। स्थानान्तरण में – मौजूदा संयंत्र और उपकरणों को

सेल अनवरत अनुसंधान एवं विकास के प्रति वचनबद्ध है।

बदलना / बेहतर प्रदर्शन करने वाले संयंत्र और उपकरण की सुविधाएं / सुविधाएं, कुछ खास सुविधाएं जैसे कि कोक ओवन बैटरी के इस्तेमाल अवधि – को शामिल किया जाता है। इसके मुताबिक सेल के विभिन्न संयंत्रों में ₹8020 करोड़ की लागत की एएमआर योजनाओं को लागू किया जाना है।

- ऑक्सीजन इवेक्युएशन फैसिलिटी के लिए 2 X 1250 टीडीपी के नए ऑक्सीजन संयंत्र को लगाया जाना है। इसके साथ ही भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस 4 के स्टोव के उन्नतीकरण, ब्लास्ट फर्नेस – 7 के माइल्ड स्टैक कूलिंग सिस्टम के बदलाव, रौघाट डिपाजिट के 21 स्थानों पर स्थायी बैरेक का निर्माण, सिंटर प्लांट – 3 के सिंटर कूलर का पुनर्निर्माण, ब्लास्ट फर्नेस – 7 में कास्ट हाउस डी फ्यूमिंग सिस्टम को लगाना है।
- राउरकेला स्टील प्लांट में नए हॉट स्ट्रीप मिल को लगाना और ब्लास्ट फर्नेस – 1 का पुनर्निर्माण किया जाना है।
- दुर्गापुर स्टील प्लांट के व्हील एंड एक्सल प्लांट में नए रोट्री हर्थ फर्नेस को लगाया जाना है। इसके साथ ही व्हील मशीनिंग सुविधाओं को भी बढ़ाया जाना है।
- बैट्री साइकलोन को ईएसपी से स्थानांतरित किया जाना है। तो स्टील मेल्टिंग शॉप – 2 में कनर्वटर शेल ट्रूनियन रिंग एंड पेडेस्टल असेंबली को बदला जाना है। कोक ओवन बैटरी – 7 का पुनर्निर्माण, ब्लास्ट फर्नेस – 1 में हाइड्रोलिक मडगन के साथ ड्रिल मशीन के प्रस्ताव, वैकल्पिक गैस नेटवर्क, बोकारो स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप – 1 का आधुनिकीकरण और नए सिंटर संयंत्र की व्यवस्था की जानी है।
- 45 एमवीए सब–मर्जड आर्क फर्नेस को लगाना, 4 मेगावाट के पॉवर प्लांट और चंद्रपुर लौह अयस्क मिश्रधातु प्लांट के 220 के वी सब स्टेशन।

ठ. आंतरिक डिजाइन और इंजीनियरिंग

सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीईटी), आंतरिक डिजाइन, सेल के इंजीनियरिंग एंड कंसलटेंसी यूनिट सेवा के तमाम रेंज को प्रदान करते हैं। इन सेवाओं में एकीकृत स्टील प्लांट और इसके खदानों की अवधारणा से लेकर परियोजना की सफलतापूर्वक शुरुआत शामिल है। 260 शिक्षित, प्रशिक्षित एवं अनुभवी इंजीनियरों की शक्ति के साथ सीईटी अब लाभकारी खनिज, छर्रों के संयंत्र, कच्चा माल रखने, पॉवर प्लांट, धातु की तलछटी दानेदार संयंत्र, स्टोव, जल प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा, स्वचालित यंत्र के साथ कई अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाने लगा है। सीईटी के पास प्रमुख मौजूदा परियोजनाओं में आरएसपी में नए 3.0 एमटी हॉट स्ट्रीप मिल, आरएसपी में बीएफ 1 के पुनर्गठन और बीएसएल के एसएमएस – 1 के आधुनिकीकरण शामिल हैं।

ड. परामर्शदात्री सेवाएं

आपकी कंपनी के पास शिक्षित एवं अनुभवी इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों, पेशेवर और शिक्षित एचआर और ट्रेनिंग विशेषज्ञों का विशाल समूह है। पिछले पांच दशकों में कमाए गए अनुभवों के साथ विशाल और विविध विशेषज्ञता और अनुभव की बदौलत सेल – सेलकॉन के तहत दुनिया भर में अपने ग्राहकों को उच्च सेवा प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं में आयरन एंड स्टील संबंधित क्षेत्रों में डिजाइन, इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग, तकनीकी और प्रबंधन के साथ परामर्शदात्री सेवाएं भी शामिल हैं। ट्रेनिंग के क्षेत्र में सेवा प्रदान करना सेल की खासियत है। यही वजह है कि भारत और दुनिया भर की कई निजी और सरकारी क्षेत्र के संस्थानों ने इस सेवा का लाभ उठाया है। सलाहकार के तौर पर सेल की गतिविधियों और ब्रांड इमेज को आगे और बढ़ावा देने के लिए सेलकॉन लगातार देश के अंदर और बाहर बाजार तलाशने में जुटा है। सेलकॉन कारोबारी अवसर के साथ साथ वैश्विक परामर्शदात्रियों के साथ साझा उपक्रम की संभावना भी तलाश रहा है।

सेलकॉन ने सफलतापूर्व भारत और विदेश जैसे कि मिश्र, सऊदी अरब, ईरान, कतर, थाइलैंड, नेपाल, फिलिपींस आदि देशों में अपनी उत्कृष्ठ सेवाएं दी हैं।

वित्तीय वर्ष 2015 – 16 के दौरान सेलकॉन ने प्रशिक्षण कार्यों पर पूरजोर ध्यान दिया है। और ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र के नव नियुक्त अधिकारियों को इस्पात निर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया है। सेलकॉन ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के दिशानिर्देशों के मुताबिक पर्याप्तता रिपोर्ट बनाने में भी परामर्शदात्री सेवाएं देने पर ध्यान दिया है।

परामर्शदात्री सेवाएं पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए भी दी गई है जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपायों के तौर पर ब्लास्ट फर्नेस जिससे फ्लू गैस निकलते हैं और कोक ओवन बैटरी की गैरउगाही पर आधारित हैं।

ञ . अनुसंधान और विकास

लौह धातु विज्ञान के क्षेत्र में कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील भारत के प्रमुख रिसर्च संस्थानों में है। नई तकनीक और प्रक्रिया नवाचारों के विकास और अनुकूलता जो सतत विकास के लिए बुनियादी शर्त हैं – उन्हें पहचान कर आपकी कंपनी ने अनुसंधान और विकास की कोशिशों पर पूरजोर ध्यान दिया है। कंपनी की अनुसंधान एवं विकास केंद्र रांची में मौजूद है। यहां के पंद्रह प्रमुख प्रयोगशालाओं में तीन सौ से ज्यादा नैदानिक उपकरण के

साथ साथ पर्याप्त पायलट सुविधाएं मौजूद हैं। यह केंद्र लोहा और इस्पात से जुड़े कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद से संबंधित किसी भी अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ लगाने को तैयार है। वर्ष 2015 – 16 में 96 प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा गया जिसमें 45 प्रोजेक्ट संबंधित संस्था के लिए काफी फायदेमंद रहा।

आर एंड डी सेंटर बाजार की जरूरतों के हिसाब से आला उत्पादों के क्षेत्र में बेहतरी के लिए भी काम कर रहा है जिसका मकसद प्रयोग पर आधारित बेहतर प्रदर्शन को प्राप्त करना है। वर्ष के दौरान 24 उत्पादों को विकसित किया गया। जिसमें कुछ ध्यानार्थ रहे। इनमें भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रतिरोधी इस्पात, हेवी मशीन और अर्थमूवर्स के लिए स्टील, बॉयलर और प्रेसर वेसल, ट्रांसमिशन लाइन टॉवर नैवल वारशिप वेसल, विंड मिल के उपकरण, एलिवेटर, वाशिंग मशीन और रसोई के सामान शामिल हैं।

विविध अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए अपनी खोज में केंद्र ने नामी रिसर्च संस्थानों और शैक्षणिक समुदायों के साथ सहयोग किया है। 2015–16 में इस सेंटर ने कारनेगी मेलन यूनिवर्सिटी, यूएसए, एमईएफओएस, स्वीडेन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, मुंबई, कानपुर, एनआरडीसी, नई दिल्ली, बीआईटी मेशरा, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, जादवपुर यूनिवर्सिटी, एमआईडीएसएएनआई, हैदराबाद, सी – डैक, नई दिल्ली जैसे शैक्षणिक संस्थानों के साथ एमओयू / सहयोग समझौता किया।

बाजार में नेतृत्व को बनाए रखने के मकसद से, परिसंचालन क्षमताओं में विकास, प्रक्रिया संबंधी आविष्कारों को संरक्षण देने, उत्पाद के बढ़े हुए गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सेल ने अनुसंधान और विकास के लिए अपने महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान को वर्ष 2011–12 में शुरू किया है। इसका मकसद कंपनी के अनुसंधान और विकास से संबंधित कारोबारी और परिसंचालन लक्ष्यों का एकीकरण है। इसके लिए हर संयंत्रों में उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जा रहा है। तकनीकी विशेषता को प्राप्त करने के मकसद से हाई इमपैक्ट प्रोजेक्ट और टेक्नोलोजी मिशन को शुरू किया गया है। इस पहल ने अपना पैर फैला लिया है और अमलीकरण के विभिन्न चरणों में है। 9 सितंबर 2015 को संशोधित आर एंड डी मास्टर प्लान:2015 जारी किया गया है।

आरडीसीआईएस के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की कोशिशों का ही ये नतीजा था कि वर्ष 2015 – 16 के दौरान सेल के सहयोग से 35 पेटेंट और 36 कॉपीराइट फाइल किए गए। 105 तकनीकी पेपर (32 अंतर्राष्ट्रीय) प्रकाशित और 159 पेपर (79 अंतर्राष्ट्रीय) पेश किए गए। इसके साथ ही आरडीसीआईएस ने कॉन्ट्रैक्ट पर अनुसंधान का कार्य लिया और सेल से बाहर के संस्थानों को तकनीकी जानकारी के साथ–साथ परामर्शदात्री सेवाएं भी प्रदान की।

वर्ष 2015–16 में आरडीसीआईएस द्वारा दिए गए योगदान की मान्यता के लिए आरडीसीआईएस को कई सम्मानजनक अवार्ड (कुल 17) दिए गए। द बीटी – स्टार पीएसयू फॉर एक्सीलेंस इन इनोवेशन (टेक/आर एंड डी) अंडर कैटेगिरी महारत्न और नवरत्न, नैशनल मेटलर्जिस्ट (इंडस्ट्री), मेटलर्जिस्ट ऑफ द ईयर, यंग मेटलर्जिस्ट ऑफ द ईयर, आईआईएस–टीएसएल न्यू मिलिनियम अवॉर्ड, सेल अवॉर्ड 2015, इत्यादि।

ण. आंतरिक नियंत्रण सिस्टम और उनकी उपयुक्तता

कंपनी का एक आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी सिस्टम है जो निम्न कारोबारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के मकसद से है:

- संचालन की दक्षता
- संसाधनों का संरक्षण
- परिशुद्धता और वित्तीय रिपोर्टिंग की मुस्तैदी
- निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन
- विभिन्न कानूनों और नियमों का अनुपालन

सेल में आंतरिक लेखा परीक्षा एक बहुआयामी कार्य है– जो विभिन्न व्यवस्थाओं, कंपनी की कार्यप्रणाली / नीतियों की समीक्षा, मूल्यांकन और आकलन करने के साथ सार्थक और उपयोगी सुधार बतलाता है। यह बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रति जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण लाकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रबंधन में मदद करता है।

कंपनी ने लेखा परीक्षा कार्यों को और प्रभावी बनाने के मकसद से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा समग्र नियंत्रित पर्यावरण के अधीन है जिसका निरीक्षण बोर्ड स्तर का लेखा परीक्षा समिति करती है। ये आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है और व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। लेखा परीक्षा योजना महत्वपूर्ण जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान पर आधारित होता है जिसमें व्यवस्था / प्रक्रिया पर जोर होता है और इसमें लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धति मान्य होता है। व्यवस्था में ज्यादा पारदर्शिता लाने के मकसद और इन–हाउस आंतरिक लेखा विभाग की कोशिशों को बढ़ावा देने के लिए दुर्गापुर स्टील प्लांट की आंतरिक लेखा परीक्षा को बाहर के लेखा परीक्षकों के द्वारा करवाया गया। बोकारो स्टील प्लांट और इस्को स्टील प्लांट के लिए भी ऐसा ही किया गया है। इस वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों के विकास, लेखा परीक्षा से जुड़े लोगों में जागरुकता लाने, आंतरिक लेखा परीक्षा की सक्रिय भूमिका पर अभिसरण जैसे अन्य क्षेत्र हैं जिनपर कंपनी का ध्यान बना रहेगा। कंपनी की सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा समिति की हुई बैठक में कंपनी में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता पर उनसे भी विचार लिया गया। इसके अलावा वित्तीय रिपोर्ट पर उनकी राय भी ली गई। लेखा परीक्षक समिति के अवलोकनों पर प्रबंधन ने कार्रवाई की। लेखा परीक्षा समिति, दूसरी बातों के साथ, निम्न क्षेत्रों को रेखांकित किया है –

- भूमि की अनधिकृत कब्जे और सेल के टाउनशिप में क्वार्टर जारी करना.
- ऊर्जा का लेखा परीक्षण
- सूचना प्रौद्योगिकी और ईआरपी को सेल के संयंत्रों और इकाइयों में लागू करवाना
- विभिन्न संयंत्रों / इकाइयों की भूमि स्वामित्व विलेख का समायोजन से उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) की आवधिक समीक्षा
- कारोबारी सुधारात्मक उपाय.
- सेल की वापसी की योजना
- कंपनी की उधार लेने की सीमा

आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों के पूरक होता है। दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं के साथ साथ नियमित रूप से समीक्षा आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष युक्त रिपोर्टों को समय समय पर प्रबंधन और कंपनी की लेखा परीक्षा समिति के सामने पेश किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की जरूरतों के मुताबिक, कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) कंपनी की सभी संयंत्रों / इकाइयों में लागू किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा के ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग, अन्य बातों के साथ, जोखिम और नियंत्रण – जिसमें वित्तीय और वित्तीय रिपोर्टिंग नियंत्रण और नियंत्रक अंतर सार के साथ साथ डिजाइन के परीक्षण और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता की परीक्षा शामिल होती है। नियंत्रक अंतर पर आधारित जो कि ऑपरेटिंग प्रभावशीलता की परीक्षा, डिजाइन के परीक्षण के चलते पैदा होते हैं – प्रबंधन ने इसे खत्म करने के लिए कई कार्यकारी कदम उठाए हैं।

प्रक्रिया से संबधित नियंत्रण, अन्य बातों के साथ–साथ, स्थिर परिसंपत्ति प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग, स्टॉक प्रबंधन, नकदी के ऑर्डर, भुगतान के लिए खरीदी, एचआर और वेतन रजिस्टर, परियोजना एवं पूंजी व्यय, नकदी प्रबंधन, उत्पादन, पोत परिवहन और प्रचालन तंत्र, परिसंचालन और गुणवत्ता के लिए आश्वासन, सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र को आवरण देता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग, अन्य बातों के साथ, पर आईएफसी के फ्रेम काम जोखिम और नियंत्रण मैट्रिसेस वित्तीय और वित्तीय रिपोर्टिंग नियंत्रण और डिजाइन के परीक्षण सहित नियंत्रण गैप सारांश और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता के टेस्ट को शामिल किया गया है।

इस मुख्य उद्येश्य की प्राप्ति के लिए सेल ने एक सलाहकार की नियुक्ति की है। जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को सेल के सभी संयंत्रों / इकाइयों में लागू और डिजाइन करने के लिए किया गया है। सलाहकार इस पूरे अभ्यास को दो चरण में लागू करेंगे। पहले चरण में वित्तीय रिपोर्टिंग नियंत्रण और दूसरे चरण में परिसंचालन नियंत्रण को अंजाम दिया जाएगा। इसकी रूपरेखा में सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण (आईटीजीसी) भी सम्मिलित है।

सजग वक्तव्य

प्रबंधन के साथ चर्चा और समीक्षा के कुछ दस्तावेज जो कंपनी के उद्देश्यों, प्रक्षेपण और अनुमान – जो दूरंदेशी बयान हैं, और लागू कानूनों और नियमों के तहत प्रगतिशील हैं, उन्हें परिलक्षित करती हैं। दरअसल नतीजे उनसे अलग हो सकते हैं, जो व्यक्त या निहित, आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित, सरकारी नीतियों और अन्य प्रासंगिक कारणों से दिए गए हैं।

तुलन–पत्र

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़)

	टिप्पणी	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
इक्विटी और देयताएँ			
शेयरधारकों की निधियाँ			
(क) शेयर पूंजी	2	**4130.53**	4130.53
(ख) भंडारण और अधिशेष	3	**35150.73**	39374.25
गैर–मौजूदा देनदारियाँ			
(क) दीर्घकालीन उधार	4	**15980.72**	14025.56
(ख) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		–	2395.19
(ग) अन्य दीर्घकालीन देनदारियाँ	5	**1289.98**	1239.22
(घ) दीर्घकालीन प्रावधान	6	**3642.85**	3705.34
मौजूदा देनदारियाँ			
(क) अल्पकालीन उधार	7	**15530.31**	14195.16
(ख) व्यापार देयताएं	8	**4002.66**	3606.38
(ग) अन्य–मौजूदा देनदारियाँ	9	**15805.26**	14016.53
(घ) अल्पकालीन प्रावधान	10	**2736.40**	2638.71
कुल		**98269.44**	99326.87
परिसंपत्तियाँ			
गैर–मौजूदा परिसंपत्तियाँ			
(क) स्थिर परिसंपत्तियाँ			
(i) मूर्त आस्तियाँ	11क	**42716.20**	34658.40
(ii) अमूर्त आस्तियाँ	11ख	**1546.20**	1510.21
(iii) प्रगति में पूँजी– कार्य	12	**24884.26**	29195.82
(ख) गैर–मौजूदा निवेश	13	**1243.04**	919.07
आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध)		**707.85**	.
(ग) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	14	**4958.44**	4507.25
(घ) अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियाँ	15	**39.84**	53.83
मौजूदा परिसंपत्तियाँ			
(क) माल सूची	16	**15134.94**	17735.39
(ख) व्यापार की प्राप्तियां	17	**2833.19**	3192.00
(ग) नकद एवं बैंक शेष	18	**297.65**	2305.24
(घ) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	19	**2128.91**	3064.14
(ङ) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ	20	**1778.92**	2185.52
कुल		**98269.44**	99326.87
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	**1**		
वित्तीय स्टेटमेंट के लिए अन्य टिप्पणियाँ	**29–41**		
उपरोक्त के लिए संदर्भित टिप्पणियां इन वित्तीय वक्तव्यों का अभिन्न हिस्सा बनाती हैं	**1**		

निदेशकों के मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता. / –	हस्ता. / –	हस्ता. / –
(एम. सी. जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(पी.के. सिंह)**
कंपनी सचिव	*निदेशक (वित्त)*	*अध्यक्ष*

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते बी. एन. मिश्रा एंड कंपनी	**कृते शर्मा गोयल एंड कंपनी, एलएलपी**	**कृते सिंधी एंड कम्पनी**	**कृते चटर्जी एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*
फर्म पंजीकरण सं. *321095E*	फर्म पंजीकरण सं. *000643N*	फर्म पंजीकरण सं. *302049E*	फर्म पंजीकरण सं. *0302114E*
हस्ता. / –	हस्ता. / –	हस्ता. / –	हस्ता. / –
[बी. एन. मिश्रा]	**[अमर मित्तल]**	**[श्रेणिक मेहता]**	**[एस.के. चटर्जी]**
साझीदार	*साझीदार*	*साझीदार*	*साझीदार*
(एम. नं. 083927)	(एम. नं. 017755)	(एम. नं. 063769)	(एम. नं. 003124)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2016

लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	
ऑपरेशन से राजस्व	21	**43909.53**		51148.96	
कमः उत्पाद शुल्क		**4823.29**	**39086.24**	5418.60	45730.36
अन्य आय	22		**580.60**		1001.19
कुल राजस्व			**39666.84**		46731.55
व्यय					
खपत की गई सामग्री की लागत	23	**17150.61**		18522.90	
व्यापार में स्टॉक की खरीद		–		0.48	
तैयार माल की सूची में परिवर्तन और कार्य में प्रगति	24	**540.61**		(1408.12)	
कर्मचारी लाभ के व्यय	25	**9893.81**		9736.35	
वित्तीय लागतें	26	**2046.75**		1454.23	
मूल्यह्रास और व्यय का परिशोधन		**2099.54**		1773.28	
अन्य व्यय	27	**15118.45**	**46849.77**	14205.29	44284.41
			(7182.93)		2447.14
जोड़ें: पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	28		**(15.51)**		(88.23)
कराधान से पहले शुद्ध लाभ/हानि (–)			**(7198.44)**		2358.91
कमः **कर व्यय**					
वर्तमान कर		–		499.15	
आस्थगित कर		**(2984.67)**		282.76	
सामग्री (मैट) का ऋण		–		(499.15)	
प्रारम्भिक वर्षों में		**(76.51)**	**(3061.18)**	(16.53)	266.23
कर के बाद लाभ/(हानि)			**(4137.26)**		2092.68
प्रति शेयर पर आय					
कर के बाद लाभ / (हानि)			**(4137.26)**		2092.68
इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (प्रत्येक का ₹10/– अंकित मूल्य)			**4130525289**		4130525289
प्रति शेयर (₹) पर बुनियादी और कम आय			**(10.02)**		5.07
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	1				
वित्तीय स्टेटमेंट के लिए अन्य टिप्पणियां	29.41				

उपरोक्त के लिए संदर्भित टिप्पणियां इन वित्तीय वक्तव्यों का अभिन्न हिस्सा बनाती हैं

निदेशकों के मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(एम. सी. जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(पी.के. सिंह)**
कंपनी सचिव	*निदेशक (वित्त)*	*अध्यक्ष*

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते बी. एन. मिश्रा एंड कंपनी	**कृते शर्मा गोयल एंड कंपनी, एलएलपी**	**कृते सिंघी एंड कम्पनी**	**कृते चटर्जी एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*
फर्म पंजीकरण सं. *321095E*	फर्म पंजीकरण सं. *000643N*	फर्म पंजीकरण सं. *302049E*	फर्म पंजीकरण सं. *0302114E*
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
[बी. एन. मिश्रा]	**[अमर मित्तल]**	**[श्रेणिक मेहता]**	**[एस.के. चटर्जी]**
साझीदार	*साझीदार*	*साझीदार*	*साझीदार*
(एम. नं. 083927)	(एम. नं. 017755)	(एम. नं. 063769)	(एम. नं. 003124)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2016

नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़)

वर्ष के लिए	2015–16	2014–15
क. संचालनीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कराधान से पहले शुद्ध लाभ / हानि (–)	**(7198.44)**	2358.91
समायोजन के लिए जोड़ें/(कम करें):		
मूल्यह्रास	**2121.96**	1790.42
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	**2046.75**	1454.23
बट्टे खाते का अशोध्य ऋण	**0.27**	0.33
दूसरों के लिए प्रावधान	**159.48**	336.60
निवेश की बिक्री पर लाभ	**(7.31)**	(199.81)
अचल संपत्ति की बिक्री पर नुकसान	**25.18**	(11.40)
ब्याज पर आय	**(337.04)**	(475.10)
लाभांश की आय	**(70.85)**	(103.00)
कार्यशील पूंजी परिवर्तित करने से पहले संचालनीय नकदी प्रवाह	**(3260.00)**	5151.18
में परिवर्तन के लिए समायोजन		
इन्वेंटरी में (वृद्धि)/कमी	**2600.45**	(2535.55)
विविध देनदारों में (वृद्धि) / कमी में विविध देनदार	**380.14**	2275.04
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	**547.76**	(2043.04)
वर्तमान देयताओं में वृद्धि	**2141.96**	334.19
अन्य वर्तमान संपत्ति में कमी	**440.68**	81.99
कार्रवाई से सृजित नकदी	**2850.99**	3263.81
प्रत्यक्ष करों का भुगतान	**(33.12)**	(519.69)
संचालनीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**2817.87**	2744.12
ख. निवेश की गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(6205.37)**	(6326.72)
अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय	**75.00**	93.16
अन्य कंपनियों के लिए ऋण	**(3.51)**	1.21
बैंकों के साथ मीयादी जमा में (वृद्धि)/कमी	**1989.36**	495.84
निवेश की खरीद / बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	**(316.66)**	0.94
प्राप्त हुआ ब्याज	**295.35**	472.07
प्राप्त हुआ लाभांश	**70.85**	103.00
निवेश गतिविधियों (में प्रयुक्त)/शुद्ध नकदी से	**(4094.98)**	(5160.50)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्रधानमंत्री का ट्राफी पुरस्कार कोष	**0.32**	1.34
उधार से आय (शुद्ध)	**3164.23**	4682.90
भुगतान किया गया ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	**(1781.39)**	(1421.08)
भुगतान किया गया लाभांश	**(103.26)**	(722.84)
भुगतान किये गए लाभांश पर टैक्स	**(21.02)**	(143.77)
(प्रयुक्त) वित्तीय गतिविधियों / से शुद्ध नकदी	**1258.88**	2396.55
सीएसआर गतिविधियों से नकदी का प्रवाह	–	(35.04)
नकद और नकदी के समतुल्य (क+ख+ग) में नेट वृद्धि	**(18.23)**	(54.87)
नकद – नकदी समतुल्य (उद्घाटन) (नोटः 18 देखें)	**160.04**	214.91
नकद – नकदी समतुल्य (समापन) (नोटः 18 देखें)	**141.81**	160.04
(नकद और बैंक अधिशेषों द्वारा प्रस्तुत किया गया)		

टिप्पणियां

1 कोष्ठक में आंकड़े नकदी के प्रवाह का संकेत देते हैं।

2 वित्तीय बयान (29–41) के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और अन्य विवरण नकदी प्रवाह वक्तव्यों का एक अभिन्न अंग बनाते हैं।

3 जहां कहीं भी आवश्यक है वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण को अनुरूप करने के लिए पिछले साल के आंकड़े को पुनर्व्यवस्थित/पुनः एकत्र किया गया है।

निदेशकों के मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
(एम. सी. जैन)
कंपनी सचिव

हस्ता./–
(अनिल कुमार चौधरी)
निदेशक (वित्त)

हस्ता./–
(पी.के. सिंह)
अध्यक्ष

सामान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते बी. एन. मिश्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. *321095E*
हस्ता./–
[बी. एन. मिश्रा]
साझीदार
(एम. नं. 083927)

कृते शर्मा गोयल एंड कंपनी, एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. *000643N*
हस्ता./–
[अमर मित्तल]
साझीदार
(एम. नं. 017755)

कृते सिंघी एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. *302049E*
हस्ता./–
[श्रेणिक मेहता]
साझीदार
(एम. नं. 063769)

कृते चटर्जी एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. *0302114E*
हस्ता./–
[एस.के. चटर्जी]
साझीदार
(एम. नं. 003124)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2016

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धान्तों और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के मुताबिक प्रोद्भवन लेखाकरण के ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत तैयार किया जाता है। इसके अलावा वित्तीय विवरण को तैयार करने में लेखांकन के जिन मानदंडों का इस्तेमाल होता है, वो निम्न प्रकार से हैं:

ख. आकलन का इस्तेमाल

आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्दान्तों की अनुरूपता के मुताबिक वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रबंधन को उन चीजों का आकलन और पूर्वनिर्धारण करना होता है जिसका असर परिसंपत्ति और ऋण की तयशुदा या बताई गई मात्रा पर पड़ता है। यही नहीं प्रबंधन को वित्तीय विवरण की तारीख तक अनिश्चित ऋण के आकलन के साथ–साथ निश्चित या फिर बताई गई अवधि के दौरान आय और व्यय का भी पूर्वनिर्धारण करना होता है। पूर्वानुमान या आकलन वास्तविक स्थिति से भिन्न हो सकता है। इन आकलनों या पूर्वानुमानों में किसी भी प्रकार का संबोधन उसी अवधि के लिए मान्य होता है जिस दौरान इसका निर्धारण होता है।

ग. स्थिर परिसंपत्ति

स्थिर परिसंपत्ति का निरूपण अधिग्रहण की लागत से अवचय को घटाकर किया जाता है। हालांकि इसमें उस भूमि को नहीं शामिल किया जाता है जिसे राज्य सरकार ने दान के तौर पर दे रखा होता है। और इसका निरूपण आरक्षित संपत्ति पर दिए गए ऋण के साथ उसके अनुमानित/सांकेतिक या नामधेय मूल्य पर किया जाता है।

भूमि के विकास पर किए गए खर्च – जिसमें पट्टे पर उठाई गई भूमि को भी शामिल किया गया है – उसका इस्तेमाल भी भूमि की लागत के तौर पर किया गया है। पट्टे की अवधि के दौरान पट्टे पर उठाई गई भूमि की लागत से ऋण चुकाया जाता है।

लागत के तहत पहचान योग्य खर्च के साथ पूर्व परीक्षण खर्च और शुद्ध या वास्तविक आय भी शामिल रहता है।

खनन संबंधी अधिकारों को अप्रत्यक्ष संपत्ति के तौर पर स्वीकृत किया गया है। लिहाजा सभी संबंधित लागत को खनन योग्य संसाधनों के कुल आकलन के मुकाबले सालाना उत्पादन के आधार पर परिशोधित किया गया है। अगर खनन संबंधी अधिकारों को नवीकृत नहीं किया जाता है तो बचत संबंधी लागत आय में इसे जोड़ दिया जाता है – जो उस वर्ष के लिए होता है जिस दौरान गैर नवीनीकरण का निर्णय लिया गया था।

सॉफ्टवेयर जो कि संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं होता है– उसे अप्रत्यक्ष संपत्ति के तौर पर स्वीकृत किया गया है। इसे भी पांच वर्ष या इसके लाइसेंस अवधि– इनमें से जो भी कम होता है – उतनी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

घ. उधार लेने की लागत

अधिग्रहण का सीधा संबंध उधार लेने की लागत से होता है। या फिर अर्हकारी संपत्ति के निर्माण को उस पूंजी की लागत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अन्य ऋण लेने की लागत को उस व्यय के तौर पर स्वीकृत किया जाता है जो उस दौरान उपगत होता है।

ङ. अवचय/अपकर्ष

अवचय को पूंजी की लागत के अवशिष्ट मूल्य के 5 फीसदी के तौर पर स्वीकृत किया गया है जो संपत्ति के उपयोगी अवधि पर होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि II में इसे उल्लेखित किया गया है। हालांकि कारखाना के भवनों, संयंत्र और मशीन, जल आपूर्ति और सीवरेज, रेलवे लाइन और साइडिंग तथा इसके घटक – जिसके इस्तेमाल की अवधि तकनीकी विशेषज्ञ निर्धारित करते हैं – इसमें शामिल नहीं किया गया है। तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक संपत्ति के उपयोग की अवधि को निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है:

संपत्ति	अनुमानित उपयोगी अवधि
कारखाना भवन	35 से 40 साल
संयंत्र और मशीनरी	10 से 40 साल
जल आपूर्ति और सीवरेज	25 से 40 साल
रेलवे लाइन और साइडिंग	35 से 40 साल

ऐसे वर्ग की संपत्ति – जिसका तकनीकी मूल्यांकन बाहर के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया गया है – उसे लेकर कंपनी यही सोचती है कि इन संपत्तियों के उपयोग की अवधि जिसे बेहतर तरीके से ऊपर प्रदर्शित किया गया है – उस अवधि तक कंपनी अपने इस्तेमाल में ला सकती है। इसलिए इन संपत्तियों के उपयोग की अवधि और कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी II के पार्ट सी के तहत प्रस्तावित उपयोग की अवधि में अंतर होता है।

जहां अपकर्षित संपत्ति की ऐतिहासिक लागत में कोई बदलाव होता है, वहां नवीकृत प्रतिशोधित अपकर्षित राशि पर, अवमूल्यन को संपत्ति के बचे हुए उपयोग की अवधि पर एक वर्ष में जुड़ाव/अपमार्जन के संबंध में यथानुपात के आधार पर मुहैया कराया गया है। संपत्ति जिनकी लागत ₹5 हजार तक की होती है, वो जिस साल उपयोग में लाए जाते हैं उसी दौरान पूरी तरह उनका अपकर्षण हो जाता है।

च. निवेश

दीर्घकालिक निवेश (संयुक्त उपक्रम और सहायक कंपनियों में निवेश को शामिल कर) लागत पर किया जाता है वो भी कीमत में कमी करने के बाद। जबकि मौजूदा निवेश कम लागत और बाजार कीमतों पर किया जाता है।

छ. माल सूची

कच्चा माल, गोदाम और पुर्जों, पूरी तरह तैयार और अर्ध परिष्कृत उत्पाद (प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले रद्दी) का मूल्यांकन कम लागत और संबंधित प्लांट/यूनिट के शुद्ध कार्यान्वित होने योग्य मूल्य पर स्वीकृत होता है। लेकिन पहचान किए गए अप्रयुक्त माल/अतिरिक्त/गैर प्रवर्तक मद के लिए निश्चित प्रावधान किए गए हैं और राजस्व में इसकी कीमत लगाई गई है।

अर्ध परिष्कृत विशेष उत्पादों के शुद्ध कार्यान्वित होने योग्य मूल्य – जिनका शुद्ध कार्यान्वित होने योग्य मूल्य उनके उत्पादन के अंतिम चरण पर ही पता चलता है – का आकलन लागत से तुलना करने के मकसद से किया जाता है।

बचे हुए उत्पादों और अन्य रद्दी का आकलन शुद्ध कार्यान्वित होने योग्य मूल्य पर किया जाता है।

लागत के निर्धारण का आधार निम्न है:

कच्चा माल – नियतकालिक भारित औसत लागत

लघु कच्चा माल – गतिशील भारित औसत लागत

भंडार और पुर्जे – गतिशील भारित औसत लागत

परागमन के लिए माल – लागत पर

पूरी तरह तैयार / अर्ध परिष्कृत उत्पाद – माल की लागत और समुचित मजदूरी का हिस्सा, संबंधित ऊपरी खर्च और शुल्क।

ज. **अनुदान**

किसी खास संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित अनुदानों को संबंधित संपत्ति की लागत से समायोजित किया जाता है। राजस्व व्यय से संबंधित अनुदानों का समायोजन संबंधित व्यय से किया जाता है।

झ. **विदेशी मुद्रा लेनदेन**

वर्ष के अंत तक वैसे मौद्रिक संपत्तियों और दायित्वों – जो विदेशी मुद्रा में वर्णित हैं, अभुक्त रह जाते हैं। इनका समायोजन वर्ष के अंत की दरों के हिसाब से किया जाता है।

मौद्रिक संपत्तियों और दायित्वों के साथ विदेशी मुद्रा लेनदेन पर सिद्ध लाभ और हानि का अंतर परिसंपत्तियों के संबंधित मामलों को छोड़ कर लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत किया गया है। अग्रिम विनिमय ठेके के अधीन लेनदेन को लेकर विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिम होता है। ऐसे में लेनदेन की तारीख पर ठेके की दर और स्थानीय दर के अंतर को लाभ–हानि के विवरण में ठेके की अवधि के दौरान स्वीकृत किया गया है।

कंपनी ने विनिमय अंतर के लेखांकन का चुनाव कंपनी संशोधन नियम 2009 के तहत किया है, जो लेखांकन मानदंड 11 से संबंधित है और जिसे भारत सरकार ने 31 मार्च 2009 को अधिसूचित किया था। इसके मुताबिक एक वर्ष के दौरान पैदा होने वाले दीर्घकालिक मौद्रिक संपत्तियों के विनिमय अंतर – जो कि स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित होता है – उसे उसी संपत्तियों के लिए दी जाने वाली रकम में समायोजित किया जाता है।

ञ. **कर्मचारियों के लिए सुविधाएं**

लाभ और नुकसान के विवरण में उस अवधि के कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति योगदान को शामिल किया जाता है जिस दौरान इस निधि में भुगतान जमा नहीं कराए गए होते हैं। वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रैच्युटी (आनुतोषिक), उपार्जित अवकाश, दीर्घ कालिक सेवा के लिए पुरस्कार, सेवा निवृति के बाद मेडिकल और अदायगी सुविधाएं, दिव्यांग कर्मचारियों को भविष्य के लिए भुगतान / कर्मचारी परिवार लाभार्थी योजना के तहत मृत कर्मचारी के कानूनी वारिस के प्रति जो प्रावधान/दायित्वों को पूरा किया जाता है। और इनके साथ बीमांकिक लाभ/नुकसान को ध्यान में रखकर इन्हें लाभ/नुकसान के विवरण में दर्ज किया जाता है।

ट. **पहले से भुगतान पर खर्च और पहले किए गए समायोजन से संबंधित**

पूर्व अवधि से संबंधित और पहले से भुगतान पर खर्च के संबंध में आय/व्यय – जो प्रत्येक मामले में ₹10 लाख से अधिक नहीं हो – उन्हें चालू वर्ष के आय/व्यय के तौर पर शामिल किया गया है।

ठ. **आय की पहचान**

बिक्री के तहत उत्पाद शुल्क और छूट के साथ साथ कीमत में रिआयत को भी किया जाता है। खरीदार को जिस वक्त माल भेजा जाता है, इसके साथ ही वैसे मामले जब खरीदार से सुपुर्दगी दस्तावेज की पुष्टि कर ली जाती है– ऐसी स्थिति में भी बिक्री मान्य होती है। जहां सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबंध की कीमत को अंतिम रूप नहीं दिया गया है वहां तत्कालिक आधार पर बिक्री का लेखांकन किया जाता है। समुद्री निर्यात विक्रय निम्न आधार पर मान्य है:

i) लदान बिल जारी करना; या

ii) लेकेन अवधि के गुजर जाने पर निर्यात बिल पर समझौता, तब जबकि करार संबंधित साख पत्र में अनुबंध में लदान के बिना ही सामग्रियों के मूल्य को मान लिया गया है या जो पहले है।

कई योजनाओं के तहत निर्यात प्रोत्साहन को भी आय की तरह मान लिया जाता है बशर्ते कि इसके कुछ अंश के मिलने की निश्चितता होती है।

लौह अयस्क चूर्ण जो फौरन काम में आने लायक नहीं है/विक्रयशील है, उसे माल सूची में शामिल किया गया है। और यह तब माना जाता है जब तक इसे भेजा नहीं जाता है।

ड. **परिशोधित क्षति/कीमत में उछाल का दावा**

परिशोधित क्षति के दावों का लेखांकन तब किया जाता है जब इसे घटा लिया जाता है और/या कंपनी के लिए वसूलने योग्य माना जाता है। इनका समायोजन मौद्रिक लागत में या फिर जैसा कि मामला होता है उसे लाभ हानि के विवरण में अंतिम अदायगी के तौर पर किया जाता है।

ढ. **आस्थगित कर**

खाता लाभ और कर योग्य लाभ के बीच समयांतर पर आस्थगित कर का एक वर्ष में लेखांकन – कर दर के प्रयोग किए जाने पर और बैलेंस शीट (पक्का चिट्ठा) में नियमों के अभिनीत होने या विधिवत अभिनीत होने पर किया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियां जो कि समयांतर के कारण पैदा होती है – उसे भविष्य में निश्चित तौर पर प्राप्त करने योग्य संपत्तियों की हद तक माना जाता है।

ण. **अधिभार का निवारण**

अधिभार के पिछले ऑर्डरों के ढ़ेर के निवारण पर होने वाले खर्च को आय से प्रभारित किया जाता है। ये पृथक करने के अनुपात, जो खदान के 5 साल के खनन योजना – जिसमें कोयला खान को शामिल नहीं किया जाता है – पर आधारित होता है।

त. **आकस्मिक देयताएं**

बीते समय की घटनाओं की वजह से आकस्मिक देयताओं की संभावित बाध्यता पैदा होती है। इसके साथ ही भविष्य में घटने वाली ऐसी घटनाएं जिन पर कंपनियों का नियंत्रण नहीं होता है – उसकी वजह से भी ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। यही वजह है कि कंपनी ऐसे आकस्मिक देयताओं के अस्तित्व की घोषणा वित्तीय विवरण में करती है।

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

2. शेयर पूंजी

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
प्राधिकृत		
₹ 10 प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	5000.00	5000.00
(₹ 10 प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
जारी किए गए, सदस्यता दिया गया और पूर्णतः प्रदत्त		
₹ 10 प्रत्येक के 4,13,05,25,289 इक्विटी शेयर का पूरी तरह से भुगतान किया गया	4130.53	4130.53

(i) वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
	संख्या	राशि (₹)	संख्या	राषि (₹)
– **मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर**				
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	**4130092154**	**41300921540**	4130071104	41300711040
वर्ष के दौरान शेयरों को मतदान के अधिकारो के साथ शेयरों में बदला गया	**300500**	**3005000**	21050	210500
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	–	–	–	–
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	**4130392654**	**41303926540**	4130092154	41300921540
– **मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर ***				
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	**433135**	**4331350**	454185	4541850
वर्ष के दौरान जारी किये गए शेयर	–	–	–	–
वर्ष के दौरान शेयरों को मतदान के अधिकारो के साथ शेयरों में बदला गया	**300500**	**3005000**	21050	210500
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	**132635**	**1326350**	433135	4331350

* 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक कुल राशि के लिए जारी @ अमेरिका $ 29.55 में से प्रत्येक के लिए एक ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद (जीडीआर) द्वारा प्रस्तुत किया गया

(ii) कंपनी के परिसमापन की स्थिति में पूंजी के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में सभी शेयरों का रैंक समान है।

(iii) कंपनी के पास कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है।

(iv) कंपनी के शेयरों का 5ः से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
	धारित शेयरों की सं.	धारिता का %	धारित शेयरों की सं.	धारिता का %
भारत के राष्ट्रपति	**3097767449**	**75.00**	3097767449	75.00
एलआईसी ऑफ इंडिया	**441874667**	**10.70**	417717206	10.11

(v) 1,24,43,82,900 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 (पूंजी की कमी पर शुद्ध समायोजना) के रूप में आवंटित किए गए थे नकदी के अलावा अन्य क्षतिपूर्ति के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया

(vi) पिछले 5 वर्षों के दौरान कंपनी न तो बोनस शेयर जारी किए हैं और न ही कोई भी शेयर वापस खरीदा है।

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

3. भंडारण एवं अधिषेश

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
पूंजी भंडारण		**2.99**		2.99
प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व		**235.10**		235.10
बॉण्ड शोधन रिजर्व				
अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार	**1008.88**		817.21	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**504.11**		270.49	
वर्ष के दौरान कटौतियां	**63.03**	**1449.96**	78.82	1008.88
सामान्य रिजर्व		**5095.13**		5095.13
प्रधानमंत्री का ट्राफी पुरस्कार कोष *				
अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार	**26.63**		25.29	
परिवर्धन	**4.51**		2.33	
कमः उपयोग	**4.19**	**26.95**	0.99	26.63
लाभ – हानि के स्टेटमेंट में अधिशेष				
अंतिम खाते के अनुसार शेष	**33005.52**		32360.10	
जोड़ेंः अधिशेष / वर्तमान वर्ष की हानि (–)	**(4137.26)**		2092.68	
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय में कमी	–		35.04	
कमः मूल्यह्रास का प्रभाव (नोट 32.7 देखें)	**86.58**		229.66	
कमः प्रस्तावित लाभांश	–		103.26	
कमः भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	–		722.84	
कमः प्रस्तावित लाभांश पर टैक्स	–		21.02	
कमः भुगतान किये गए अंतरिम लाभांश पर टैक्स	–		143.77	
कमः बॉण्ड शोधन रिजर्व के लिए हस्तांतरण	**441.08**	**28340.60**	191.67	33005.52
		35150.73		39374.25

*** प्रधानमंत्री का ट्राफी पुरस्कार कोष**

भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रदत्त पुरस्कार से कोष का निर्माण किया गया है और कोष से होने वाली आय का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

4. दीर्घकालिक ऋण

(₹ करोड़)

क्र. सं.	ब्याज (%)	परिपक्वता तिथि	कॉल/पुट विकल्प वर्ष	प्रतिभूति संदर्भ		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
रक्षित									
क.	**कर योग्य देय अपरिवर्तनीय बॉण्ड**								
1	9.35	9–सितंबर–2026	12/शून्य	(क)		**455.00**		455.00	
2	9.00	14–अक्तूबर–2024		(क)		**1000.00**		1000.00	
3	8.70	25–अगस्त–2024		(क)		**300.00**		300.00	
4	8.35	19–नवंबर–2022		(क)		**1185.00**		.	
5	9.30	23–अगस्त–2021		(क)		**400.00**		400.00	
6	8.55	11–अगस्त–2021		(क)		**700.00**		700.00	
7	8.27	25–अगस्त–2020		(क)		**265.00**		.	
8	8.72	30–अप्रैल–2020		(क)		**660.00**		660.00	
9	8.75	23–अप्रैल–2020		(क)		**545.00**		545.00	
10	8.65	1–फरवरी–2020	5/शून्य	(क)		**242.00**		242.00	
11	8.30	21–जनवरी–2020		(क)		**500.00**		500.00	
12	8.65	30–दिसंबर–2019		(क)		**450.00**		450.00	
13	8.50	7–दिसंबर–2019		(क)		**120.00**		120.00	
14	8.60	19–नवंबर–2019		(क)		**335.00**		335.00	
15	8.75	15–सितंबर–2019		(ख, घ)		**100.00**		100.00	
16	8.80	22–जून–2019		(क)		**825.00**		825.00	
17	7.70	11–मई–2019	5/5	(क)		**25.00**		25.00	
18	8.90	1–मई–2019	5/शून्य	(ख)		**950.00**		950.00	
19	8.18	10–अगस्त–2018		(क)		**1000.00**		–	
20	8.25	27.–जुलाई'2018		(क)		**500.00**		–	
21	8.35	9–जून–2018		(क)		**420.00**		–	
22	9.30	25–मई–2018		(क, ट)		**360.00**		360.00	
23	8.25	6–मई–2018	3/3	(क)		**800.00**		800.00	
24	7.95	9–अप्रैल–2018		(क)		**670.00**		–	
25	8.38	16–दिसंबर–2017		(क)		**645.00**		645.00	
26	8.75	8–नवंबर–2017	3/3	(क)		–		500.00	
27	8.80	26–अक्तूबर–2017		(ख, ग)		**126.00**		140.00	
28	9.18	27–अगस्त–2017		(क)		**300.00**	**13878.00**	300.00	10352.00
अनारक्षित									
ख.	**सावधि ऋण**								
1				(ङ)	केएफडब्ल्यू जर्मनी	**377.17**		355.19	
2				(च)	बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी	–		416.67	
3				(छ)	बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी	**441.73**		833.33	
4				(ज)	सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कारपोरेशन	**509.20**		1018.40	
5	2.00			(झ)	नेटेक्सिस बैंक	**18.56**		17.96	
				(ञ)	मिजुहो कॉर्पोरेट बैंक लिमिटेड	**551.90**	**1898.56**	827.85	3469.40
ग.	**इस्पात विकास निधि**			(ञ)			**204.16**		204.16
							15980.72		14025.56

(क) जिला अहमदाबाद, गुजरात के शहर तालुका और कंपनी के मौजे–वादेज के सभी वर्तमान और भविष्य अचल संपत्ति पर प्रभारों और आईआईएससीओ स्टील प्लांट (आईएसपी) से संबंधित भूमि जिस पर यह स्थापित है सहित, कंपनी के संयंत्र और मशीनरी पर परस्पर समरूप अधिकार वाले रैंकिंग द्वारा सुरक्षित।

(ख) जिला अहमदाबाद, गुजरात के शहर तालुका और कंपनी के मौजे–वादेज के सभी वर्तमान और भविष्य अचल संपत्ति पर प्रभारों और आईआईएससीओ स्टील प्लांट (डीएसपी) से संबंधित भूमि जिस पर यह स्थापित है सहित, कंपनी के संयंत्र और मशीनरी पर परस्पर समरूप अधिकार वाले रैंकिंग द्वारा सुरक्षित।

(ग) 12 रु की समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय। प्रत्येक 14 करोड से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2014 से लागू 26 अक्टूबर 2016 तक देय किस्तों को अन्य प्रचलित देयताओं में दिखाया गया है

(घ) 15 सितंबर 2014, 2019 और 2024 तक प्रत्येक ₹50 करोड़ की 3 समान किस्तों में प्रतिदेय।

(ङ) ऋण के उदार आधार को 3 शेयर के हिस्सों में बनाया गया था जैसा कि 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से 1(क), 1(ख) और 1(ग) के रूप में कहा गया गया 1(क) पर ब्याज की दर 0.75% प्रति वर्ष है और शेष 8% एक्सचेंज में उतार–चढ़ाव (4%) और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं (4%) को पूरा करने के लिए है। 1(ख) के मामले में प्रति वर्ष ब्याज 0.75% है और शेष 8.0% प्रतिवर्ष परिधीय विकास के लिए है। 1(ग) के मामले में प्रति वर्ष ब्याज 3.66% है और शेष 5.09% प्रतिवर्ष परिधीय विकास को पूरा करने के लिए है। मूलधन और ब्याज छमाही आधार पर प्रतिदेय है। भारत सरकार द्वारा ऋण की गारंटी है।

(च) लंदन इंटर बैंक द्वारा पेश किये गए 6 महीने के ब्याज दर (लिबोर)+1% पर 2015 से शुरू होकर 3 बराबर वार्षिक किस्तों मे 11 मार्च तक ऋणं प्रतिदेय है। ब्याज का भुगतान अर्द्ध–वार्षिक किया जाता है।

(छ) 6 महीने लिबोर+1% के ब्याज दर पर 2015 से शुरू होकर 3 बराबर वार्षिक किस्तों मे 11वें अगस्त तक ऋणं प्रतिदेय है। ब्याज का भुगतान अर्द्ध–वार्षिक किया जाता है।

(ज) 6 महीने लिबोर+1.06% के ब्याज दर पर 2015 से शुरू होकर 3 बराबर वार्षिक किस्तों मे 16वें नवम्बर तक ऋणं प्रतिदेय है। ब्याज का भुगतान अर्द्ध–वार्षिक किया जाता है।

(झ) ऋण 2030 तक प्रतिदेय है। मूलधन और ब्याज का अर्द्ध–वार्षिक भुगतान किया जाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा की गारंटी प्राप्त है।

(ञ) 6 महीने लिबोर+1.75% की ब्याज दर पर 2016 से शुरू होकर 3 बराबर वार्षिक किस्तों मे 21वीं दिसम्बर तक ऋणं प्रतिदेय है। ब्याज का भुगतान अर्द्ध–वार्षिक किया जाता है।

(ट) 25 मई 2018 से लागू होकर 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय।

(ठ) पुनर्भुगतान की शर्तों को एसडीएफ प्रबंधन समिति द्वारा तय किया जाना है।

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
5. अन्य दीर्घकालीन देनदारियां			
उधार पर अर्जित ब्याज और कोई बकाया नहीं है		**707.92**	700.46
व्यापार देयताएं		**6.83**	0.71
अन्य		**575.23**	538.05
		1289.98	1239.22
6. दीर्घकालीन प्रावधान			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
– उपदान (ग्रेच्युटी)		–	182.62
– अर्जित छुट्टी		**2293.62**	2190.68
– कर्मचारी के लिए परिभाषित लाभ की योजनाएं		**1172.51**	1172.09
अन्य			
–खदान की बंदी		**127.23**	118.01
– अन्य		**49.49**	41.94
		3642.85	3705.34
7. अल्पकालीन उधार			
सुरक्षित			
मांग पर प्रतिदेय ऋण			
– बैंकों से	(क)	**2256.04**	5552.55
अन्य ऋण एवं अग्रिम			
बैंकों से	(क)	–	1005.00
असुरक्षित			
अन्य ऋण एवं अग्रिम			
अन्य ऋण		–	800.00
वाणिज्यिक पत्र		**7721.23**	.
विदेशी मुद्रा के ऋण		**5553.04**	6837.61
		15530.31	14195.16

(क) सभी वर्तमान आस्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित

(ख) तुलन–पत्र के दिनांक पर ऋण और ब्याज की चुकौती में कंपनी के पास कोई सतत डिफॉल्ट नहीं है।

	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
8. व्यापार देयताएं		
सूक्ष्म और लघु उद्यम	**29.46**	27.27
सहायक कंपनी	**12.91**	7.38
अन्य	**3960.29**	3571.73
	4002.66	3606.38

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

(₹ करोड़)

		31मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
9. अन्य–मौजूदा देनदारियाँ				
दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं		**1705.57**		1677.01
ब्याज अर्जित किया गया लेकिन उधार पर कोई बकाया नहीं है		**924.68**		666.78
से अग्रिम				
ग्राहकों से	**1837.84**		801.07	
अन्य से	**50.18**	**1888.02**	53.67	854.74
निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, के प्रति कोई दायित्व नहीं, न कोई बकाया				
अदत्त लाभांश	**9.23**		11.73	
बिना दावे की परिपक्व जमाराशियां, और उस पर अर्जित ब्याज	**1.03**	**10.26**	1.03	12.76
प्रतिभूति जमा	**1079.08**		782.08	
घटाएं: प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त निवेश	–	**1079.08**	0.01	782.08
अन्य देयताएं				
पूँजी कार्यों के लिए		**2046.81**		2246.92
अन्य		**8150.84**		7776.24
		15805.26		14016.53

	31मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
10. अल्पकालीन प्रावधान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
– उपदान (ग्रेच्युटी)	**198.11**	213.82
– अर्जित छुट्टी	**242.31**	221.16
– कर्मचारी के लिए परिभाषित लाभ की योजनाएं	**188.07**	167.28
अन्य		
–कराधान	**11.90**	11.90
–प्रदूषण नियंत्रण एवं परिधीय विकास	**53.65**	83.93
–विदेशी मुद्रा की अस्थिरता	–	15.29
–प्रस्तावित लाभांश	–	103.26
–लाभांश पर टैक्स	–	21.02
–वेतन संशोधन	**1428.87**	1279.58
–खानों वनरोपण/अधिक जिम्मेदारी को हटाना	**323.22**	280.98
– अन्य	**290.27**	240.49
कुल	**2736.40**	2638.71

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

11क. मूर्त स्थिर परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक (लागत पर)				मूल्यह्रास / परिशोधन				नेट ब्लॉक	
	31 मार्च 2015 को	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 तक	वर्ष के लिए	कमः बिक्री पर/ समायोजन	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
क. संयंत्र, खान एवं अन्य										
भूमि (विकास की लागत सहित)										
–फ्रीहोल्ड भूमि	261.15	1.52	–	262.67	0.87	–	–	0.87	261.80	260.28
–पट्टाधृत भूमि	645.38	21.81	1.53	665.66	113.86	49.89	1.33	162.42	503.24	531.52
इमारतें*	3940.69	641.94	(511.17)	5093.80	1386.01	158.52	48.26	1496.27	3597.53	2554.68
संयंत्र एवं मशीनरी										
–इस्पात संयंत्र	50977.22	9171.10	700.75	59447.57	22667.00	1533.48	(72.45)	24272.93	35174.64	28310.22
– अन्य	2568.42	154.26	(5.76)	2728.44	1825.13	113.69	62.80	1876.02	852.42	743.29
फर्नीचर एवं फिटिंग	131.15	4.43	0.68	134.90	88.46	6.53	0.52	94.47	40.43	42.69
वाहन	1268.84	50.88	14.02	1305.70	643.32	65.05	10.01	698.36	607.34	625.52
कार्यालय के उपकरण	57.53	4.51	2.07	59.97	44.58	3.40	1.91	46.07	13.90	12.95
विविध वस्तुएं	302.36	27.65	20.95	309.06	198.39	14.08	14.45	198.02	111.04	103.97
सड़कें, पुल, एवं पुलियें	257.55	51.97	1.16	308.36	175.53	33.04	0.79	207.78	100.58	82.02
पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज	636.22	31.20	115.57	551.85	314.15	17.87	26.05	305.97	245.88	322.07
ईडीपी के उपकरण	392.46	10.40	1.27	401.59	323.26	22.51	2.38	343.39	58.20	69.20
रेलवे लाइनें एवं बगली रेल पथ	609.37	62.55	42.09	629.83	239.59	13.05	19.62	233.02	396.81	369.78
उप–योग 'क'	62048.34	10234.22	383.16	71899.40	28020.15	2031.11	115.67	29935.59	41963.81	34028.19
पिछले वर्ष के लिए आंकड़े	51123.51	11377.31	452.48	62048.34	26486.11	1724.15	190.11	28020.15	34028.19	
ख. सामाजिक सुविधाएं										
भूमि (विकास की लागत सहित)										
–फ्रीहोल्ड भूमि	10.88	–	–	10.88	–	–	–	–	10.88	10.88
–पट्टाधृत भूमि	6.89	–	–	6.89	5.78	0.11	–	5.89	1.00	1.11
इमारतें	626.76	35.16	(1.75)	663.67	284.70	17.74	0.68	301.76	361.91	342.06
संयंत्र एवं मशीनरी – अन्य	134.17	7.27	0.48	140.96	89.12	5.72	0.29	94.55	46.41	45.05
फर्नीचर एवं फिटिंग	25.42	2.03	0.73	26.72	17.96	1.39	0.37	18.98	7.74	7.46
वाहन	11.19	–	0.21	10.98	9.23	0.55	0.20	9.58	1.40	1.96
कार्यालय के उपकरण	4.20	0.52	0.17	4.55	3.41	0.29	0.12	3.58	0.97	0.79
विविध वस्तुएं	205.37	9.74	0.19	214.92	115.33	11.19	(0.16)	126.68	88.24	90.04
सड़कें, पुल, एवं पुलियें	93.36	29.85	(0.63)	123.84	55.53	14.11	(0.59)	70.23	53.61	37.83
पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज	122.71	6.18	(93.68)	222.57	107.28	4.36	(7.76)	119.40	103.17	15.43
ईडीपी के उपकरण	12.74	0.24	1.13	11.85	11.12	0.61	1.07	10.66	1.19	1.62
उप–योग 'ख'	1253.69	90.99	(93.15)	1437.83	699.46	56.07	(5.78)	761.31	676.52	554.23
पिछले वर्ष के लिए आंकड़े	1207.62	56.81	10.74	1253.69	617.60	46.84	(35.02)	699.46	554.23	
ग. सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियां										
बेकार / अप्रचलित संपत्तियाँ	75.98	6.51	6.62	75.87	–	–	–	–	75.87	75.98
पिछले वर्ष के लिए आंकड़े	29.10	49.97	3.09	75.98	–	–	–	–	75.98	
योग ('क'+'ख'+'ग')	63378.01	10331.72	296.63	73413.10	28719.61	2087.18	109.89	30696.90	42716.20	34658.40
पिछले वर्ष के लिए आंकड़े	52360.23	11484.09	466.31	63378.01	27103.71	1770.99	155.09	28719.61	34658.40	

* कटौती स्तंभ में आंकड़ों को एक परिसंपत्ति वर्ग से दूसरे के लिए पुनः एकत्र करना शामिल हैं

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

11ख. मूर्त स्थिर परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक (लागत पर)				मूल्यह्रास / परिशोधन				नेट ब्लॉक	
	31 मार्च 2015 को	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 तक	वर्ष के लिए	कमः बिक्री पर/ समायोजन	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
क. संयंत्र, खान एवं अन्य										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	99.34	1.18	0.02	100.50	90.80	3.75	0.01	94.54	5.96	8.54
खनन अधिकार	1727.27	75.99	.	1803.26	225.74	37.40	.	263.14	1540.12	1501.53
उप–योग 'क'	1826.61	77.17	0.02	1903.76	316.54	41.15	0.01	357.68	1546.08	1510.07
पिछले वर्ष के लिए आंकड़े	1807.50	23.78	4.67	1826.61	293.41	27.60	4.47	316.54	1510.07	
ख. सामाजिक सुविधाएं										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.75	0.07	0.20	0.62	0.61	0.08	0.19	0.50	0.12	0.14
उप–योग 'ख'	0.75	0.07	0.20	0.62	0.61	0.08	0.19	0.50	0.12	0.14
पिछले वर्ष के लिए आंकड़े	0.63	0.12	–	0.75	0.59	0.02	.	0.61	0.14	
योग ('क'+'ख')	1827.36	77.24	0.22	1904.38	317.15	41.23	0.20	358.18	1546.20	1510.21
पिछले वर्ष के लिए आंकड़े	1808.13	23.90	4.67	1827.36	294.00	27.62	4.47	317.15	1510.21	

(₹ करोड़)

टिप्पणीः मूल्यह्रास का आवंटन	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(क) लाभ एवं हानि खाता के लिए लिया गया प्रभार	2099.54	1773.28
(ख) निर्माण के दौरान लिया गया प्रभार	6.45	8.19
(ग) पिछले वर्षों से सम्बंधित समायोजन	22.42	17.14
योग	2128.41	1798.61

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

(₹ करोड़)

			31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
12. प्रगति में पूँजी– कार्य					
निर्माण के दौरान व्यय लंबित आबंटन (नोटः 12.1)			7.91		5.58
प्रगति में पूँजी– कार्य					
इस्पात संयंत्र एवं इकाइयाँ		24573.41		28872.07	
टाउनशिप		110.40		153.85	
अयस्क की खानें और खदानें		348.48		262.79	
		25032.29		29288.71	
कमः प्रावधानों		187.32	24844.97	131.77	29156.94
निर्माण की दुकानें और पुर्जे		34.67		36.07	
कमः अचल वस्तुओं के लिए प्रावधान		3.29	31.38	2.77	33.30
			24884.26		29195.82

12.1 निर्माण के दौरान व्यय (लंबित आबंटन)

			31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
आदिशेष	(क)		5.58		4.40
वर्ष के दौरान किया गया व्यय					
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं लाभ					
वेतन एवं मजदूरी		133.58		141.82	
कंपनी का भविष्य निधि में योगदान		12.51		13.73	
यात्रा में रियायत		4.00		2.87	
कल्याण में व्यय		0.13		–	
उपदान (ग्रेच्युटी)		3.12	153.34	1.22	159.64
तकनीकी सलाहकार फीस एवं अनुभव			7.92		18.89
बिजली एवं ईंधन			84.76		198.69
अन्य व्यय			30.37		47.67
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार			643.73		637.89
मूल्यह्रास			6.45		8.19
			926.57		1070.97
कमः वसूलियां					
अर्जित ब्याज		0.66		1.68	
निर्णीत हर्जाना		7.60		0.58	
किराया प्रभार		0.42		0.71	
हर तरह की चीजें		1.58	10.26	–	2.97
वर्ष के दौरान किया गया शुद्ध व्यय	(ख)		916.31		1068.00
	योग ('क'+'ख')		921.89		1072.40
कमः निश्चित परिसंपत्तियों के लिए आवंटित राशि					
प्रगति में पूँजी– कार्य			913.98		1066.82
आगे ले जाया गया शेष			7.91		5.58

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

13. गैर–मौजूदा निवेश (लागत पर)

(₹ करोड़)

	पूर्णतया चुकता इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
(क) बिना दर्ज किया गया						
व्यापार निवेश						
सहायक कम्पनियाँ						
सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	50,000 (50,000)	10	0.05		0.05	
सेल–जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	50000 (50,000)	10	0.05		0.05	
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (ऋणशोधन के अंतर्गत)	30,00,000 (30,00,000)	10	3.00		3.00	
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	50000 (50,000)	10	0.05	3.15	0.05	3.15
संयुक्त उद्यम की कम्पनियाँ						
यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड	1,80,000 (1,80,000)	10	0.18		0.18	
उत्तरी बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड	97,900 (97,900)	100	0.98		0.98	
एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	49,02,50,050 (49,02,50,050)	10	490.25		490.25	
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	12,40,25,000 (12,40,25,000)	10	124.03		124.03	
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	9,87,18,048 (9,87,18,048)	10	52.51		52.51	
वीएसएल – सेल जेवीसी लिमिटेड	8,30,729 (0)	10	0.84		.	
सेल – बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	32,00,000 (32,00,000)	10	3.20		3.20	
एम जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड	40,00,000 (40,00,000)	10	4.00		4.00	
एस एवं टी खनन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	129,41,400 (129,41,400)	10	12.94		12.94	
सेल मॉयल फैरो एलॉय प्रा. लिमिटेड	1,00,000 (1,00,000)	10	0.10		0.10	
अंतरराष्ट्रीय कोयला वेंचर्स प्रा. लिमिटेड	49,50,34,286 (18,20,00,000)	10	495.03		182.00	
सेल–एससीएल केरल लिमिटेड	1,30,17,801 (1,27,79,850)	10	18.75		18.10	
सेल–एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	1,00,000 (1,00,000)	10	0.10		0.10	
रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड	63,000 (63,000)	10	0.06		0.06	
सेल राइट्स बंगाल वैगन उद्योग प्रा. लिमिटेड	2,22,70,000 (1,49,00,000)	10	22.27		14.90	
सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,50,000 (2,50,000)	10	0.25		0.25	
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	46,80,000 (25,99,999)	10	4.68		2.60	
सेल–बंगाल एलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	10000 (10,000)	10	0.01	1230.18	0.01	906.21

जारी...

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

13. गैर–मौजूदा निवेश (लागत पर)

(₹ करोड़)

	पूर्णतया चुकता इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
अन्य						
टीआरएल क्रोजकी रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड	22,03,150 (22,03,150)	10	11.35		11.35	
अल्मोड़ा मैन्नेसाईट लिमिटेड	40,000 (40,000)	100	0.40		0.40	
इंडियन पोटाश लिमिटेड	3,60,000 (3,60,000)	10	0.18		0.18	
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	50,00,000 (50,00,000)	10	5.00		5.00	
सीमेंट एवं एलाईड प्रोडक्ट्स (बिहार) लिमिटेड	2 (2)	10	0.00 *		0.00 *	
केमिकल एंड फर्टिलाइजर कारपोरेशन (बिहार) लिमिटेड	1 (1)	10	0.00 *		0.00 *	
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	5 (5)	10	0.00 *		0.00 *	
एमएसटीसी लिमिटेड	80,000 (80,000)	10	0.01		0.01	
बिहार राज्य वित्त निगम	500 (500)	100	0.01		0.01	
म्युचुअल फंड में निवेश			–		–	
सहकारी सोसाइटियों में शेयर (नोट सं. 13.1)			0.18	17.13	0.18	17.13
योग (क)				1250.46		926.49
(ख) उद्धृत						
एचडीएफसी लिमिटेड	60,000 (60,000)	2	0.01		0.01	
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2500 (2,500)	2	0.00 *		0.00 *	
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	1,43,000 (1,43,000)	2	0.05	0.06	0.05	0.06
योग (ख)				0.06 @		0.06
योग (क+ख)				1250.52		926.55
कमः निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान				7.48		7.48
				1243.04		919.07
@ उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				10.32		11.40

* ₹50,000/– से कम लागत होने पर, आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

13.1. सहकारी समितियों में शेयर

(₹)

	पूर्णतया चुकता इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
बोकारो इस्पात कर्मचारियों की को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड	116500 (116500)	10	**1165000**	1165000
बोकारो स्टील सिटी सेंटर के उपभोक्ताओं का को–ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड	250 (250)	10	**2500**	2500
एनएमडीसी मेघाहातुबुरू के कर्मचारियो के उपभोक्ताओं की सहकारी सोसायटी लिमिटेड	25 (25)	100	**2500**	2500
डीएसपी के कर्मचारियों की को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड	1377 (1377)	100	**137700**	137700
बोलानी अयस्क कर्मचारियों की उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड	200 (200)	25	**5000**	5000
आईआईएससीओ के कर्मचारियों का प्राथमिक को–ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड	23000 (23000)	20	**460000**	460000
			1772700	1772700

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

14. दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
पूंजी अग्रिमों	**199.11**		130.16	
कमः संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए प्रावधान	**1.01**	**198.10**	1.01	129.15
प्रतिभूति जमा		**86.85**		68.48
संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	**10.53**		10.53	
कमः संदिग्ध पार्टी से संबंधित अग्रिमों के लिए प्रावधान	**2.53**	**8.00**	2.53	8.00
अन्य ऋण एवं अग्रिम				
ऋण				
कर्मचारी	**211.08**		270.21	
अन्य	**0.04**	**211.12**	1.11	271.32
नकदी या वस्तु में वसूली योग्य अग्रिम या प्राप्त किये गए मूल्य के लिए				
ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	**257.31**		173.94	
कर्मचारी	**0.63**		0.79	
अग्रिम / पुनर्प्राप्ति योग्य आय कर का भुगतान	**275.59**		224.82	
मैट ऋण की पात्रता	**1079.50**		1088.24	
अन्य	**3.57**	**1616.60**	4.31	1492.10
जमा				
पोर्ट ट्रस्ट, उत्पाद शुल्क अधिकारियों, रेलवे आदि	**73.64**		75.14	
अन्य	**2806.53**	**2880.17**	2503.11	2578.25
		5000.84		4547.30
कमः अन्य ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान		**42.40**		40.05
		4958.44		4507.25
दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिमों का विवरण				
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		**176.90**		220.33
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		**4781.54**		4286.92
संदिग्ध		**45.94**		43.59
		5004.38		4550.84

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
15. अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियाँ				
दीर्घकालिक व्यापार की प्राप्तियां	**43.77**		65.37	
कमः प्रावधान	**6.43**	**37.34**	34.98	30.39
विवरण				
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		**37.34**		28.14
संदिग्ध		**6.43**		34.98
		43.77		63.12
दीर्घकालीन पुनर्प्राप्ति योग्य दावे		**.**		21.39
ब्याज प्राप्य/अर्जित – कर्मचारी		**2.50**		2.05
		39.84		53.83

16. माल सूचियाँ*				
स्टोर एवं पुर्जे				
उत्पादन	**2426.36**		2676.20	
ईंधन भंडार	**77.31**		119.38	
अन्य	**25.76**		28.86	
	2529.43		2824.44	
जोड़ें: रास्ते में	**140.76**		169.74	
	2670.19		2994.18	
कमः अचल/अप्रचलित वस्तुओं के लिए प्रावधान	**217.49**	**2452.70**	205.37	2788.81
कच्चे माल	**2086.81**		3125.58	
जोड़ें: रास्ते में	**674.68**		1215.43	
	2761.49		4341.01	
कमः अनुपयोगी सामग्रियों के लिए प्रावधान	**20.17**	**2741.32**	9.81	4331.20
तैयार/अर्द्ध तैयार उत्पाद				
– तैयार माल	**5415.58**		6912.59	
– कार्य प्रगति में	**4337.55**		3312.80	
	9753.13		10225.39	
जोड़ें: रास्ते में	**187.79**	**9940.92**	389.99	10615.38
		15134.94		17735.39

* प्रति लेखा नीति 'जी' के अनुसार मूल्यवान

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
17. व्यापार की प्राप्तियां				
छह महीने से अधिक में व्यापार की प्राप्तियां	**424.84**		820.17	
कमः प्रावधान	**137.27**	**287.57**	122.03	698.14
छह महीने से कम में व्यापार की प्राप्तियां	**2545.62**		2493.86	
कमः प्रावधान	–	**2545.62**	–	2493.86
		2833.19		3192.00
विवरण				
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		**2833.19**		3192.00
संदिग्ध		**137.27**		122.03
		2970.46		3314.03
18. नकद एवं बैंक शेष				
(i) नकद और नकदी समकक्ष				
बैंकों के साथ शेष*				
चालू खाता	**2.21**		1.87	
3 महीने तक की परिपक्वता वाली सावधि जमाराशि	**0.16**		0.14	
ऋण पर बैंक ग्रहणाधिकारध्प्रतिज्ञा के तहत सावधि जमा	**0.14**		0.14	
अदालत के आदेशों के अनुसार 3 महीने तक की परिपक्वता वाली सावधि जमाराशि	–		0.38	
गैर भुगतान किये गए लाभांश खाते	**9.23**	**11.74**	11.73	14.26
अपने पास में चेकें		**129.28**		144.78
पास कि नकदी और स्टैम्प		**0.79**		1.00
		141.81		160.04
(ii) बैंक में अन्य शेष*				
3 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली सावधि जमाराशि	–		2000.00	
अदालत के आदेशों के अनुसार सावधि जमाएँ	**109.44**		101.12	
निर्धारित सावधि जमाराशि	**46.40**	**155.84**	44.08	2145.20
		297.65		2305.24
***शामिल हैं**				
– 12 महीनों तक की परिपक्वता अवधि		**156.14**		2145.86

नोट (जो तुलन–पत्र का ही अंश है)

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
19. अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम				
संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	33.68		127.95	
कमः संदिग्ध पार्टी से संबंधित अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.39	32.29	1.39	126.56
अन्य ऋण एवं अग्रिम				
ऋण				
कर्मचारी	81.06		71.04	
अन्य	6.95	88.01	2.37	73.41
नकदी या वस्तु में वसूली योग्य अग्रिम या प्राप्त किये गए मूल्य के लिए				
ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	170.76		241.90	
कर्मचारी	6.75		19.17	
अग्रिम/पुनर्प्राप्ति योग्य आय कर का भुगतान	2.51		385.08	
प्राप्य बिल	773.55		1181.12	
शेयरों की खरीद के लिए	102.77		214.27	
अन्य	915.9	1972.24	767.34	2808.88
जमा				
पोर्ट ट्रस्ट, उत्पाद शुल्क अधिकारियों, रेलवे आदि	83.38		89.53	
अन्य	1.40	84.78	1.87	91.40
		2177.32		3100.25
कमः अन्य ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान		48.41		36.11
		2128.91		3064.14
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिमों का विवरण				
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		35.97		34.58
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		2092.94		3029.56
संदिग्ध		49.80		37.50
		2178.71		3101.64
20. अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ				
अपने पास सोने के सिक्के		0.23		0.23
प्राप्य/अर्जित ब्याज				
अन्य कंपनियों के लिए ऋण	0.46		0.29	
सावधि जमा	0.86		6.69	
कर्मचारी	2.69		3.41	
अन्य	89.19		41.23	
	93.20		51.62	
संदिग्ध ब्याज के लिए कम प्रावधान	3.73	89.47	3.39	48.23
अन्य				
व्यापार के अलावा अन्य प्राप्तियाँ	168.76		136.51	
पुनर्प्राप्ति योग्य दावे	1661.49		2122.64	
निर्यात प्रोत्साहन	12.97		18.04	
	1843.22		2277.19	
कम प्रावधान	154.00	1689.22	140.13	2137.06
		1778.92		2185.52

नोट (जो लाभ एवं हानि के विवरण का ही अंश है)

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष
21. संचालनों से राजस्व			
उत्पादों की बिक्री			
घरेलू		**42770.20**	49031.48
निर्यात		**557.25**	1567.68
निर्यात प्रोत्साहन		**9.54**	27.49
	उप–योग (क)	**43336.99**	50626.65
सेवाओं की बिक्री			
सेवा प्रभार		**33.90**	24.11
	उप–योग (ख)	**33.90**	24.11
अन्य परिचालनीय राजस्व			
सामाजिक सुविधाएं–वसूलियां		**309.24**	301.34
रिक्तियों आदि की बिक्री		**62.23**	57.62
हर तरह की चीजें		**167.17**	139.24
	उप–योग (ग)	**538.64**	498.20
	योग (क+ख+ग)	**43909.53**	51148.96

22. अन्य आय			
ब्याज पर आय			
अन्य कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम		**0.89**	0.29
ग्राहकों से		**91.69**	136.06
कर्मचारी		**16.65**	19.38
सावधि जमा		**182.22**	256.16
अन्य		**45.59**	63.21
	उप–योग (क)	**337.04**	475.10
लाभांश की आय			
सहायक कंपनियों से लाभांश		**4.80**	3.00
निवेशों से लाभांश		**66.05**	100.00
	उप–योग (ख)	**70.85**	103.00
निवेश (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ	उप–योग (ग)	**7.31**	199.81
अन्य गैर संचालनीय आय			
सब्सिडी, राहत और रियायत		**6.96**	5.99
सहायता अनुदान		**0.01**	–
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)		–	11.39
अन्य गैर–संचालनीय आय		**29.84**	52.54
अन्य देयताओं का प्रतिलेखन		**49.33**	98.31
निर्णीत हर्जाना		**47.97**	18.01
	उप–योग (घ)	**134.11**	186.24
प्रावधान अब किसी प्रतिलेखन के प्रावधान की जरूरत नहीं			
ऋण एवं अग्रिम		**5.81**	5.30
विविध देनदार		**3.84**	7.19
स्टोर एवं पुर्जे		**5.43**	15.07
अन्य		**16.21**	9.48
	उप–योग (ङ)	**31.29**	37.04
	योग (क+ख+ग+घ+ङ)	**580.60**	1001.19

नोट (जो लाभ एवं हानि के विवरण का ही अंश है)

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष
23. खपत की गई सामग्री की लागत		
लौह अयस्क	**4160.07**	3908.52
कोयला	**12083.07**	13440.31
कोक	**81.64**	106.36
चूना पत्थर	**1128.43**	1080.70
डोलोमाइट	**482.95**	478.41
फैरो मैंगनीज	**357.29**	418.28
फेरो सिलिकॉन	**187.47**	204.97
सिलिको मैंगनीज	**845.75**	868.15
बीच के उत्पाद	–	31.76
जस्ता	**104.99**	99.99
एल्युमिनियम	**229.16**	260.46
अन्य	**1213.28**	1305.19
	20874.10	22203.10
कमः अंतर खाता समायोजन	**3723.49**	3680.20
	17150.61	18522.90

24. तैयार माल की सूचियों में परिवर्तन और कार्य प्रगति में

आरंभिक स्टॉक				
– तैयार माल	**7302.58**		6534.10	
– कार्य प्रगति में	**3312.80**	**10615.38**	2437.42	8971.52
कमः समापन स्टॉक				
– तैयार माल	**5603.37**		7302.58	
– कार्य प्रगति में	**4337.55**	**9940.92**	3312.80	10615.38
		674.46		(1643.86)
कमः स्टॉक की अभिवृद्धि(–)/क्षीणता पर उत्पाद शुल्क		**133.85**		(235.74)
स्टॉक की शुद्ध अभिवृद्धि (–)/क्षीणता		**540.61**		(1408.12)

नोट (जो लाभ एवं हानि के विवरण का ही अंश है)

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष
25. कर्मचारी लाभ के व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	**6900.68**	6971.55
छुट्टी का नकदीकरण	**681.05**	702.28
कंपनी का भविष्य और अन्य निधि में योगदान	**956.89**	859.47
यात्रा में रियायत	**251.34**	32.54
कल्याण में व्यय	**502.96**	481.18
–उपदान (ग्रेच्युटी)	**601.04**	689.33
	9893.96	9736.35
कमः कर्नाटक की सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**0.15**	–
	9893.81	9736.35
26. वित्तीय लागतें		
ब्याज की लागत		
–विदेशी मुद्रा के ऋण	**637.60**	617.58
–गैर परिवर्तनीय बांड	**608.10**	350.54
–बैंक से उधार – कार्यशील पूंजी	**47.89**	153.20
–इस्पात विकास निधि ऋण	**3.20**	3.73
– अन्य	**741.76**	322.11
अन्य उधार लेने की लागतें	**8.20**	6.52
आय कर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज	–	0.55
	2046.75	1454.23
टिप्पणियांः		
उपरोक्त में ब्याज और वित्त प्रभारों पर व्यय शामिल नही और चार्ज करने के लिएः		
निर्माण के दौरान व्यय		
ब्याज की लागत		
विदेशी मुद्रा के ऋण	**147.72**	188.15
गैर परिवर्तनीय बांड	**491.05**	445.31
इस्पात विकास कोष ऋण – ब्याज	**4.96**	4.43
	643.73	637.89

नोट (जो लाभ एवं हानि के विवरण का ही अंश है)

27. अन्य व्यय

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	
स्टोर और पुर्जों की खपत				
स्टोर और पुर्जों की खपत	4203.16		4281.77	
कमः विभागीय रूप से निर्मित स्टोर्स	959.11		975.39	
कमः तैयार उत्पादों को आंतरिक रूप से भंडारों और पुर्जों के रूप में उपयोग किया जाता है	567.05	2677.00	670.89	2635.49
बिजली और ईंधन		5621.18		5423.53
मरम्मत और रखरखाव				
इमारतें	199.48		223.31	
संयंत्र एवं मशीनरी	702.19		609.28	
अन्य	222.23	1123.90	208.13	1040.72
जावक भाड़ा		1130.91		993.06
रखरखाव का व्यय				
–कच्चा माल	318.41		278.80	
–स्क्रैप की वसूली	314.33	632.74	289.90	568.70
रॉयल्टी और उपकर		1344.07		1222.78
रूपांतरण शुल्क		413.32		332.66
अंतर–संयंत्र स्थानांतरण/आंतरिक खपत पर उत्पाद शुल्क		305.40		367.97
विलंब शुल्क और गोदी शुल्क		48.64		100.17
जल प्रदूषण पर जल प्रभार और उपकर		112.32		162.35
बीमा		29.35		21.34
डाक, तार और टेलीफोन		18.68		22.80
प्रिंटिंग और स्टेशनरी		9.68		10.80
दर और कर		50.13		44.93
किराया		25.76		27.09
सुरक्षा के व्यय		433.79		370.47
यात्रा का व्यय		149.79		186.52
प्रशिक्षण का व्यय*		41.03		46.81
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय#		76.16		.
विदेशी मुद्रा में अस्थिरता (शुद्ध)		68.65		46.16
अचल संपत्तियों की बिक्री/स्क्रैपिंग पर नुकसान (शुद्ध)		25.18		.
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
–लेखा परीक्षा शुल्क	1.45		1.41	
–कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.41		0.39	
–अन्य सेवाओं में	0.98		1.13	
–जेब से बाहर का खर्च	0.89	3.73	0.87	3.80
लेखा परीक्षा शुल्क की लागत और व्यय की प्रतिपूर्ति		0.20		0.14
प्रावधान				
–संदिग्ध ऋण, ऋण एवं अग्रिम	28.05		45.86	
–स्टोर्स, पुर्जे और विविध वस्तुएं	169.09	197.14	54.82	100.68
विविध – घाटे		0.27		0.32
तैयार माल – रखरखाव व्यय		181.24		142.01
नकद छूट (शुद्ध)		56.42		70.82
बेचने वाले एजेंटों को कमीशन		7.06		5.03
निर्यात बिक्री व्यय		8.85		24.39
विविध		325.86		233.75
		15118.45		14205.29

पिछले साल आंकड़ों को बनाए रखने के रूप में रखा गया है।

* उपरोक्त में प्रशिक्षण व्यय को शामिल नहीं किया गया है और खाते के प्रारम्भिक मदों के लिए प्रभार लिया गया है	51.11	62.34

नोट (जो लाभ एवं हानि के विवरण का ही अंश है)

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष
28. पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन		
बिक्री	**4.51**	(1.68)
अन्य राजस्व	**(10.50)**	4.28
खपत की गई कच्ची सामग्री	**4.65**	(3.42)
स्टोर और खपत किये गए पुर्जे	**(0.49)**	(10.57)
बिजली एवं ईंधन	**10.47**	.
कर्मचारी का पारिश्रमिक और लाभ	**–**	(4.46)
मरम्मत और रखरखाव	**–**	(2.80)
अन्य व्यय	**19.69**	89.74
मूल्यह्रास	**22.42**	17.14
ब्याज	**(35.24)**	–
नेट डेबिट/क्रेडिट (–)	**15.51**	88.23

वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियां

29.1 आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
(i)	कंपनी के विचाराधीन अपील के खिलाफ दावे / न्यायिक फैसले:		
	क) उत्पाद शुल्क	**2096.32**	1667.91
	ख) कारखाने से बाड़े तक अंतरराज्यीय माल स्थानान्तरण पर बिक्री कर*	**739.30**	739.33
	ग) अन्य बिक्री कर मामले	**717.49**	230.26
	घ) आय कर	**1222.29**	1184.58
	ङ) अन्य शुल्क, चुंगी, लेवी	**2967.88**	2779.99
	च) नागरिक मामले **	**6043.67**	2776.79
	छ) एंट्री टैक्स	**2050.71**	1647.65
	ज) विविध **	**14656.23**	11238.66
	* किसी तरह के ऋण पैदा होने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि संभाविक विक्रय पर उत्पाद शुल्क जमा ** ₹26.30 करोड़ (₹28.06 करोड़) के प्रतिदावों के बदले ₹47.44 करोड़ (₹47.43 करोड़) के दावे शामिल		
(ii)	कंपनी के खिलाफ दूसरे दावे जिनकी पहचान कर्ज के रूप में नहीं की गई है:		
	क) बिक्री कर	**24.11**	16.48
	ख) शुल्क, चुंगी और लेवी	**475.28**	266.07
	ग) नागरिक मामले	**82.67**	55.23
	घ) विविध $	**1271.70**	975.24
	$ ₹ 100.94 करोड़ (₹ 100.94 करोड़) के दावे और ₹103.95 करोड़ (₹ 147.43 करोड़) के प्रतिदावे		
(iii)	विवादित आय कर/सेवा कर/साझा उपक्रम पर अन्य मांग जिसके लिए साझा उपक्रम अनुबंध के तहत कंपनी उत्तरदायी है	**33.79**	31.59
(iv)	ग्राहक से मांगे गए बिल और बैंक से छूट	**329.77**	420.15
(v)	कीमत बढ़ोतरी का ठेकेदारों/सप्लायरों का दावा और कुछ कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे	**161.71**	246.25

29.2 क) उत्तर प्रदेश में एंट्री टैक्स पर कंपनी की याचिका – जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर विशेष याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी – उस मामले में अभी अंतिम फैसला लंबित है – लेकिन नोट नंबर 29 (i) (ह) में जो एंट्री टैक्स की रकम का उल्लेख किया गया है वो विवादित ₹97.22 करोड़ (₹94.89 करोड़) की मांग इसमें शामिल है। कंपनी ने इस कथित मांग के बदले ₹114.21 करोड़ (₹96.45 करोड़) की राशि जमा करवा दी है और जिसे दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम धन के तौर पर जमा और प्रकट किया गया है।

कंपनी की याचिका को खारिज करने वाले हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में लंबित फैसले – नोट नंबर 29.1 (प) (जी) में छत्तीसगढ़ में एंट्री टैक्स की राशि में विवादित 1091.02 करोड़ की मांग और ओडिशा में ₹341.15 करोड़ (₹333.95 करोड़) की राशि की मांग को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के मामले में कानूनी विचारों के मुताबिक ₹1409.23 करोड़ के दायित्व का जिक्र खाते में 6 फीसदी मांग के मुकाबले 3 फीसदी की दर पर दर्ज है। छत्तीसगढ़ में कंपनी ने ₹1409.23 करोड़ (₹1251.41 करोड़) और ओडिशा में ₹109.82 करोड़ (₹103.27 करोड़) की राशि की कथित मांग के बदले जमा कराई है। और इस रकम को कंपनी ने दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम धन के तौर पर जमा और प्रकट किया है।

ख) कंपनी की याचिका को खारिज करने वाले झारखंड हाई कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में लंबित फैसले के मुताबिक दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने बोकारो स्टील प्लांट में बिजली मुहैया कराने के लिए ₹491.27 करोड़ (₹393.59 करोड़) की राशि की मांग की है। और इस रकम का कंपनी ने नोट नंबर 29.1 (i) (एफ) में आकस्मिक दायित्व के तौर पर प्रकट किया है। इस कथित मांग के बदले कंपनी ने डीवीसी को उसके द्वारा जारी किए गए तमाम बिल के लिए पूरी राशि चुका दी है। और इसे अल्पकालिक ऋण और अग्रिम धन के तौर पर दिखाया गया है।

29.3 झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम के तहत झारखंड सरकार ने कोयले के लेनदेन मूल्य के लिए बाजार शुल्क के तौर पर ₹97.85 करोड़ (₹63.31 करोड़) राशि की मांग की है। जैसा कि ये मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस राशि को आकस्मिक दायित्व के तौर पर नोट नंबर 29.1 (i) (ई) में प्रकट किया गया है।

29.4 कंपनी पट्टे की भूमि से जितना लौह अयस्क निकालती है उस पर अधिशुल्क देती है। और इस अधिशुल्क का निर्धारण खनन मंत्रालय और भारत सरकार की अधिसूचना में जिक्र किए गए दर के आधार पर किया जाता है। जिसे भारतीय खान ब्यूरो, लौह अयस्क के ढ़ेले और चूर्ण के लिए हर महीने के आधार पर अलग अलग प्रकाशित करता है। ओडिशा सरकार ने दिनांक 07.09.2010 को लौह अयस्क के ढ़ेले की दर पर लौह चूर्ण के लिए दी जाने वाली अधिशुल्क के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था। ये 2009 अगस्त से प्रभाव में है। इसके अलावा भारत सरकार ने दिनांक 23.07.2012 को ओडिशा सरकार द्वारा 07.09.2010 को जारी किए गए सर्कुलर को वापस लेने का निर्देश दिया है। इसकी वजह से लौह अयस्क के लिए जो स्वीकार्य दर है उसके मुताबिक लौह चूर्ण के लिए अतिरिक्त अधिशुल्क का भुगतान कंपनी के दो लौह अयस्क खान में किया गया है। इससे संबंधित भुगतान की राशि ₹144.34 करोड़ है जिसे वापस लिए जा सकने वाले दावों के तहत प्रकट किया गया है। हालांकि जैसा कि कंपनी ने इस मामले पर विवाद को उचित अधिकारियों के समक्ष उठाया है तो इस संबंध में ओडिशा सरकार के सर्कुलर के लंबित निवर्तन को देखते हुए ₹144.34 करोड़ (₹144.34 करोड़) की राशि को आकस्मिक दायित्व में नोट नंबर 29.1 (ii) (बी) में प्रकट किया गया है।

30. स्थित परिसंपत्ति

30.1 भूमिः

(i) इसमें 67681.64 एकड़ (67354.96 एकड़) निजी/अधिकृत/पट्टे पर कंपनी द्वारा ली गई भूमि जिसके स्वामित्व/पट्टा संलेख का पंजीयन लंबित है – शामिल किया गया है।

(ii) 34061.08 एकड़ (35334.08 एकड़) शामिल है जिसके स्वामित्व को लेकर अभी विवाद जारी है।

(iii) 8856.73 एकड़ (8851.69 एकड़) हस्तानान्तरित/हस्तानान्तरण के लिए सहमति या जिसे साझा उपक्रम/केंद्रीय/राज्य अर्धसरकारी प्राधिकार के साथ समझौते के लिए उपलब्ध है – जिसके बदले में परिवहन संलेख बहाल करना/पंजीकृत करना बाकी है।

(iv) 7181.43 एकड़ (6345.43 एकड़) पट्टे पर विभिन्न एजेंसियों/कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों को पट्टे पर दी गई है।

(v) अनाधिकृत धंधों के लिए 4440.70 एकड़ (4211.42 एकड़) इसमें शामिल किया गया है।

(vi) 1762.92 एकड़ (1762.92 एकड़) भूमि जो वास्तविक में कब्जे से बाहर है – उस पर कंपनी का स्वामित्व दिखाया गया है।

(vii) जिला एवं सत्र न्यायालय, बोकारो के पास ₹64.18 करोड़ धरोहर के तहत (जो भूमि पहले से अर्जित की गई) जमा है। जिसका भुगतान मुआवजे के तौर पर वर्ष 2007 में भूमि से बेदखल होने वालों को दिया गया है।

(viii) भारत के राजपत्र (अतिरिक्त) में दर्ज नंबर एस. ओ. 1309 (ई) तारीख 08.06.2012 और नंबर एस. ओ. 2484 (ई) दिनांक 13.10.2012 में दिए गए आधिपत्य की अधिसूचना के मुताबिक भारत के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण लिमिटेड की अधिसूचना के मुताबिक भारत के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण लिमिटेड ने 9.553 एकड़ भूमि को अपने कब्जे में करने की अपनी मंशा जाहिर की है। 7.895 एकड़ भूमि का मुआवजा पहले ही प्राप्त किया जा चुका है और इसका लेखांकन भी हो चुका है। शेष 1.658 एकड़ अधिसूचित की गई भूमि का अगर भविष्य में पूर्ण या आशिंक रूप से अधिग्रहण किया जाता है, तो इसका लेखांकन मुआवजे मिलने के बाद एनएचएआई द्वारा भविष्य में अधिग्रहित की गई वास्तविक भूमि के तहत होता है।

30.2 असल भवन समूह के तहत कुल ₹21.73 करोड़ (₹22.15 करोड़) – जिसके एवज में कंपनी के नाम पर अभी परिवहन संलेख का पंजीकरण किया जाना बाकी है – बिल्डिंग के तहत शामिल है।

30.3 सक्रिय इस्तेमाल से बाहर और समापन का इंतजार कर रही ₹75.98 करोड़ की संपत्ति को नोट 11 (ए) में ठोस स्थिर संपत्ति के रूप में दिखाया गया है। प्रबंधन के विचार में कुल कार्यन्वित योग्य मूल्य इसके लिए प्रकट किए गए रकम से कम नहीं होगा। लिहाजा इसके लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत नहीं है।

30.4 31 मार्च 2009 को कंपनी मामलों के मंत्रालय ने 'विदेशी विनिमय दर में बदलाव का असर' शीर्षक के तहत लेखांकन मापदंड 11 के तहत अधिसूचना जारी की थी। और इस अधिसूचना के आधार पर कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा संबंधी मौद्रिक सूचियों के विनिमय अंतर का लेखांकन का चुनाव किया। 31 मार्च 2016 को जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है उस दौरान विदेशी मुद्रा ऋण पर ₹154.64 करोड़ के विदेशी मुद्रा विनिमय में बदलाव को स्थिर परिसंपत्ति की चालू रकम / कार्यों में लगी संपत्ति में समायोजित कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 मार्च 2016 के दौरान विनिमय अंतर की तरह ही जिस ₹496.39 करोड़ (नेट डेबिट) [₹414.55 करोड़ (नेट डेबिट) की रकम को समायोजित किया गया है उसे 31 मार्च 2016 तक मूल्यह्रासित/परिशोधित किया जाना बाकी है।

30.5 जिन अनुमानित अनुबंधों को अभी संचालित किया जाना बाकी है और जिसके लिए पूंजी खाते में व्यवस्था नहीं की गई है (कुल अग्रिम देयधन) वो ₹15688.09 करोड़ (₹13013.17 करोड़) और राजस्व खाते में 1444.26 करोड़ (₹1399.69 करोड़) की राशि है।

31. निवेश, वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम भुगतान, वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान

31.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कारण रकम जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत परिभाषित किया गया है (जिसे नोट नंबर 8 में दिखाया गया है) उसे कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के तहत पहचान किए गए दावेदारों के मुताबिक निर्धारित किया गया है। 31 मार्च 2015 तक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित निम्न प्रकटीकरण है

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
i.	वर्ष के अंत तक सप्लायर को मूलधन की रकम का जो भुगतान किया जाना बाकी है	29.46	27.27
ii.	वर्ष के अंत तक जो ब्याज की रकम उपार्जित हुई और जिसका भुगतान शेष है	–	–
iii.	अन्य ब्याज की रकम जिसका भुगतान बाकी है और जिसका भुगतान आगामी वर्षों में किया जाना है, उस तारीख तक जब तक कि भुगतान किए जाने वाले ब्याज की भुगतान लघु उद्यम को नहीं कर दी जाती है – ताकि धारा 23 के तहत कटौती योग्य खर्च के तौर पर इंकार करने के मकसद को पूरा किया जा सके	–	–
iv.	वर्ष के अंत तक सप्लायरों को ब्याज की रकम जिसे भुगतान किया जाना था	–	–
		जो वर्ष समाप्त हुआ	
		31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
v.	धारा 16 के तहत ब्याज की रकम का किया जाने वाला भुगतान, साथ ही सप्लायर को एक वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान की जाने वाली राशि	–	–

vi.	ब्याज की रकम जो शेष है और जिसे भुगतान में हुई देरी के बदले दिया जाना है (जिसका भुगतान किया जाना है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन इस अधिनियम के तहत जैसा कि उल्लेख किया गया है इसमें ब्याज को नहीं शामिल किया गया है	–	–

31.2 आयात निर्यात का अंतर जो प्राप्य और प्रतिलभ्य है उसे वर्तमान संपत्ति में प्रकट किया गया है और व्यापार तथा अन्य लेखा देय को चालू देयताएं के तहत प्रकट किया गया है। इसमें वो बकाया भी शामिल हैं जिन्हें स्थायीकरण/संराधन के बाद और अनुवर्ती समायोजन के लिए माना जाता है। अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी समाधान को चालू आधार पर किया जाता है। हालांकि जहां भी प्रावधानों की जरूरत महसूस की गई है वहां इसकी व्यवस्था कर दी गई है।

32. लाभ एवं हानि का विवरण

32.1 31 मार्च 2016 के दौरान अंतरिम ठेका मूल्यों के आधार पर सरकारी एजेंसियों ने जिन बिक्री की पहचान की गई है उसे शुद्ध विक्रय में शामिल किया जाता है। ₹3376.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2907.36 करोड़) और प्रचयित तौर पर 31 मार्च 2016 तक ₹13074.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9750.99 करोड़) की राशि है।

32.2 अनुसंधान और विकास पर खर्च को लाभ हानि के विवरण में दर्शाया गया है। और इसे स्थिर संपत्ति / कार्य में लगी पूंजी के बीच बांटा गया है। एक वर्ष के दौरान ये राशि ₹226.22 करोड़ (₹232.06 करोड़) और ₹50.78 करोड़ (₹32.14 करोड़) है। राजस्व व्यय की कुल रकम जो अनुसंधान और विकास पर खर्च किया गया है उसे लेखांकन के विभिन्न शीर्षकों के तहत प्रकट किया गया है। इन मदों पर खर्च की गई रकम निम्न प्रकार से है:

(₹ करोड़)

लेखांकन के मद	वर्ष जो खत्म हुआ	
	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
कच्चा माल	66.25	41.86
कर्मचारी लाभ खर्च	95.18	100.94
प्रयुक्त दुकानों और पुर्जों	5.39	7.67
ऊर्जा एवं ईंधन	14.79	9.30
मरम्मत और रखरखाव	4.78	4.65
अपकर्ष और ऋण परिशोधन व्यय	6.04	9.06
अन्य व्यय	33.61	58.05
वित्त लागत	0.18	0.53
योग	**226.22**	**232.06**

32.3 अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसे जानने के मकसद से कंपनी अपने हरेक बैलेंस शीट में स्थिर परिसंपत्तियों पर वहन योग्य रकम की समीक्षा करती है। इसके लिए कंपनी एक पूरे प्लांट को नकदी पैदा करने वाली ईकाई के रूप में मान्यता देती है। और अगर ऐसे कोई भी संकेत भविष्य में मिलते हैं तो वसूली योग्य/प्रतिलभ्य संपत्ति का आकलन प्रयोग में मूल्य और शुद्ध बिक्री मूल्य से अधिक रकम पर किया जाता है। जब कभी भी प्रतिलभ्य राशि की तुलना में संपत्ति वहन करने योग्य रकम अधिक होती है तब नुकसान को दिखाया जाता है। हर तीन वर्ष में एक बार नकद पैदा करने की ईकाई के शुद्ध बिक्री मूल्य का निर्धारण किया जाता है।

31 मार्च 2016 तक इस तरह की समीक्षा पर वर्ष के दौरान किसी तरह के प्रावधानों की व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट के संपत्ति के उपयोग का मूल्य – जो संपत्ति के लगातार इस्तेमाल और इसके विक्रय से पैदा होने वाले भविष्य के नकदी प्रवाह के मौजूदा मूल्य पर आधारित होता है – विशेष नकदी पैदा करने वाली ईकाई के वहन योग्य रकम से ज्यादा है।

यही वजह है कि इस्को स्टील प्लांट, मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, सलेम स्टील प्लांट और विश्वेशवरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए किसी तरह के प्रावधानों की व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर 31 मार्च 2015 तक सलेम स्टील प्लांट, 31 मार्च 2014 तक इस्को स्टील प्लांट, मिश्रधातु इस्पात संयंत्र, विश्वेशवरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के शुद्ध प्राप्य मूल्य अपने अपने नकदी पैदा करने वाली ईकाईयों के वहनीय रकम से ज्यादा है।

प्रबंधन की नजरों में सलेम के रोटरी पॉलिशर यूनिट में ₹7.73 करोड़ के बराबर संपत्ति की कोई क्षति का सवाल नहीं उठता है। क्योंकि खाते में दर्ज मूल्य से शुद्ध वसूलने योग्य कीमत कहीं अधिक है। इसी प्रकार रोटरी पॉलिशर यूनिट के पाइप कोटिंग प्लांट के कुल वसूली योग्य कीमत उसके खाते में दर्ज ₹36.60 करोड़ के मूल्य से अधिक है।

32.4 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 जो कि 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी है – उसके मुताबिक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी का कुल औसत लाभ का 2 फीसदी हिस्सा कार्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी के मद में खर्च करना होता है। इस आधार पर कंपनी ने 2015–16 में सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹56 करोड़ की राशि का प्रावधान बजट में किया है। कंपनी द्वारा इसमें कुल ₹98.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹42.96 करोड़ की राशि जो खर्च नहीं हो सकी उसे शामिल कर) की रकम खर्च की जानी है। हालांकि कंपनी ने वर्ष 2015–16 में सीएसआर के निम्न मदों के अंतर्गत ₹76.16 करोड़ की राशि को खर्च किया है।

विवरण	₹ करोड़
शिक्षा	12.95
स्वास्थ्य	5.72
आजीविका पैदा करना	4.70
महिला सशक्तिकरण	3.20
पीने योग्य पानी एवं सफाई	19.51
खेल, कला एवं संस्कृति	7.66
ग्रामीण विकास	8.97
सामाजिक सुरक्षा	1.20
पर्यावरण स्थिरता	11.39
कर्मियों की क्षमता निर्माण	0.86
कुल	76.16

अव्यतित रकम में शेष ₹22.80 करोड़ की राशि को आने वाले समय में खर्च किया जाना है।

32.5 पट्टे पर लेखांकन मानदंड 19 के मुताबिक पट्टे पर जानकारी:

(क) कंपनी ने कुछ निश्चित अवधि के लिए कर्मचारियों और तृतीय पक्ष को संपत्ति पट्टे पर दी है। पट्टे की किस्त मिलने पर और इसे खाते में दर्ज कीमत के बदले समायोजित करने के बाद जिस वर्ष पट्टा दिया गया उस वर्ष के अन्य आय में इसे दर्ज किया गया है। किस्तों के नवीनीकरण, भाड़ा, संपत्ति पर मिलने वाली सेवा की कीमत, नवीनीकरण में विलंब – जैसी कमाई उस वर्ष की प्राप्तिका में शामिल किया गया है।

(ख) पट्टे / भाड़े पर लिए गए संपत्तियों के संबंध में – दफ्तर की सुविधा, गेस्ट हाउस और कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था के लिए कंपनी ने कई संपत्तियों को पट्टे पर लिया है। जिसका समय समय पर नवीनीकरण किया जाता है। लाभ–हानि के विवरण में इस वर्ष के दौरान भाड़े पर व्यय की जाने वाली रकम ₹13.96 करोड़ (₹12.86 करोड़) है।

32.6 सार्वजनिक उपक्रम विभाग के निर्देशों के मुताबिक कंपनी को प्रशासकीय वर्ग के कर्मचारियों के संबंध में वेतन के 30 फीसदी (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का योगदान देना अनिवार्य है। ये सेवानिवृत्ति लाभ होता है जिसमें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रैच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाओं को शामिल किया जाता है। प्रशासकीय वर्ग के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए वेतन की 30 फीसदी सीमा के सार्वजनिक उपक्रम विभाग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए 9 फीसदी दर – जो वर्ष 2007 के जनवरी महीने से प्रभाव में है – पेंशन सुविधाओं के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा गैर प्रशासकीय वर्ग के कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच 1 जुलाई 2014 को हुए अनुबंध के मुताबिक गैर–प्रशासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन की 6 फीसदी सीमा का पेंशन सुविधाओं के लिए रखा जाना अनिवार्य माना गया है, जो 1 जुलाई 2012 से प्रभावी है।

अधिकारियों के पेंशन सुविधाओं हेतु ₹2043.12 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹425.48 करोड़) संचयी प्रावधान / दायित्व जो कि 1 जनवरी 2007 से प्रभावी है – कर्मचारी लाभ के तहत खर्च किया गया है। इसी प्रकार गैर प्रशासकीय कर्मचारियों की पेंशन सुविधाओं के लिए ₹40.62 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹7.60 करोड़) जो कि 1 जनवरी 2012 से प्रभावी है – उसे भी कर्मचारी लाभ के तहत खर्च किया गया है।

32.7 कंपनी ने प्लांट और मशीन के प्रमुख हिस्सों, कारखाने की बिल्डिंग, रेलवे लाइन और साइडिंग, जल आपूर्ति और सीवरेज के साथ साथ संपत्ति के उपयोगी अवधि की समीक्षा – तकनीकी मापदंडो / आकलन और बाहर तकनीकी सलाह द्वारा समर्थन के आधार पर किया गया है। तदनुसार, 1 जुलाई 2015 तक स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि खत्म हो जाने की वजह से ₹86.85 करोड़ के अवमूल्यन को प्रतिधारण कमाई में समायोजित किया गया है।

उपरोक्त कथन के मुताबिक 31 मार्च 2016 को जो वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है उस दौरान अवमूल्यन की राशि ₹54.07 करोड़ ज्यादा है।

32.8 भारत सरकार ने खान एवं खनिज (विकास और अधिनियम) संशोधन अधिनियम, 2015 (एमएमडीआर 2015) – जो 26 मार्च 2015 से प्रभाव में है – को प्रकट किया गया है। दिनांक 17.09.2015 की अधिसूचना के आधार पर खनन मंत्रालय ने खान एवं खनिज नियम 2015 को अधिसूचित किया है जो 12.01.2015 से प्रभाव में मान्य है। और इसके मुताबिक जिला खनिज संस्था को ही सहयोग का भुगतान किया जाना है। 14 अगस्त 2015 की अधिसूचना के मुताबिक खनन मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की, सरकारी राजपत्र में इस ट्रस्ट के बारे में प्रकट किया गया उसी दिन से यह प्रभाव में है। एमएमडीआर 2015 के प्रावधानों के मुताबिक इस वर्ष ₹398.97 करोड़ की राशि को जिला खनिज संस्थान और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के लिए लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जा चुका है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय खनिज उपक्रम एवं अन्य की याचिका पर वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

32.9 राजहारा से रौघाट तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2015–16 तक जो सहयोग अनुदान को नकद में भुगतान किए गए हैं, उस निवेश पर 7 फीसदी की दर से प्रति वर्ष रिटर्न हासिल होगा। लेकिन ये तब हो पाएगा जबकि रौघाट खान से मालढुलाई निश्चित तौर पर शुरू हो पाएगी। प्रबंधन का कहना है कि इस संबंध में एमओयू में दिए गए मानकों को पूरा किया जाएगा और निवेश की तारीख के साथ ही ब्याज की प्राप्ति हो जाएगी और वसूली की रकम में मूलधन और ब्याज का हिस्सा जोड़ दिया जाएगा। इसलिए इस वर्ष प्रभावी ब्याज दर पर ब्याज की गणना की गई है और ₹44.02 करोड़ की राशि के तौर पर इसे प्रकट किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने वसूली के लेखांकन करने में अपनी रूचि दिखाई है। इसे जानने के लिए कि क्या एएस 9 के तहत परिमेय और संग्रहणीय मानकों को पूरा किया गया है – इसके लिए इस मामले को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति को निर्दिष्ट किया गया है।

32.10 एसएआईएल ने इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएस) के साझा उपक्रम के सामान्य शेयरों में ₹495.03 करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा एसएआईएल ने एनएमडीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों में भी निवेश किया है। इसके साथ ही एसएआईएल ने एग्जिम बैंक को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहूलियत का पत्र दिया है। मौजूदा समय में आईसीवीएल के कुल शेयरों में एसएआईएल की 46.62 फीसदी हिस्सेदारी है। आईसीवीएल की मॉरीशस में आईसीवीएल के नाम की 100 फीसदी वाली सहायक कंपनी है। ऑस्ट्रेलिया में मॉरीशस की इस सहायक कंपनी को रिवर्स डेल माइनिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता है (ये साझा उपक्रम है जो मोजाम्बिक में कोयला खदानों का संचालन करती है)। लेकिन कोयला की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में भारी गिरावट दर्ज होने की वजह से ये उपक्रम भारी घाटे में है और फिलहाल कोई खनन गतिविधियां यहां जारी नहीं है। संबंधित जानकारी और वित्तीय विवरण की अनुपलब्धता की वजह से आईसीवीएल में निवेश, खाते में दर्ज मूल्य के आधार पर की गई है। एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के मूल्यांकन के आधार पर निवेश में किसी तरह की कमी का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है।

33. सामान्य

33.1 परिभाषित लाभ योजनाएं

33.1.1 परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण

ग्रैच्युटीः इसका भुगतान प्रत्येक उन योग्य कर्मचारियो को किया जाता है जिन्होंने 5 या उससे ज्यादा अवधि तक लगातार सेवा प्रदान की है। 1 जुलाई 2014 को या इसके बाद प्रशासकीय वर्ग के जिन कर्मचारियों और गैर प्रशासकीय वर्ग के कर्मचारियों ने कार्यभार संभाला है। उसमें प्रशासकीय वर्ग के कर्मचारियों को अधिकतम 10 लाख और गैर प्रशासकीय कर्मचारियों को बिना किसी मौद्रिक सीमा के भुगतान को वास्तविक मूल्यांकन के लिए सम्मिलित किया गया है।

अवकाश नकदीकरणः सेवानिवृत्ति के बाद उन योग्य कर्मचारियों को इसका भुगतान किया जाता है–जिन्होंने उपार्जित अवकाश और छुट्टी के बदले आधा वेतन को जमा किया है। हालांकि उपार्जित अवकाश और छुट्टी के बदले आधा वेतन की अधिकतम सीमा को मिलाकर 300 दिनों की ही होनी चाहिए। वैसे जमा किए गए उपार्जित अवकाश को भुनाने की अनुमति 18 नवंबर 2015 तक एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ 30 दिनों की होती है– इसके बाद इस व्यवस्था को रोक दिया गया है।

भविष्य निधिः कंपनी मूल वेतन का 12 फीसदी के साथ महंगाई भत्ता को भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा करती है।

सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल सुविधाएंः कंपनी के अस्पतालों और/या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत ये सुविधा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है।

सेवानिवृत्ति के बाद व्यवस्थापन सुविधाएंः सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके गृह शहर में बसने के लिए इसका भुगतान किया जाता है।

कर्मचारियों के परिवार के लिए लाभ योजनाएंः कंपनी से अलग हो चुके दिव्यांग कर्मचारियों को मासिक भुगतान/मृत कर्मचारी के कानूनी वारिस को सेवानिवृत्ति की काल्पनिक तारीख तक निर्धारित जमा रकम के बदले में दिया जाता है।

दीर्घकालिक सेवा पुरस्कारः न्यूनतम 25 वर्षों तक सेवा प्रदान करने पर और सेवानिवृत्ति पर इसका भुगतान होता है।

33.1.2 अन्य स्पष्टीकरण जो कि लेखांकन मापदंड (एएस) – 15 के तहत कर्मचारी सुविधाओं के संबंध में परिभाषित सुविधाओं की बाध्यता के संबंध में आवश्यक हैः

(ए) परिभाषित सुविधाओं की बाध्यता के तात्कालिक मूल्य का निपटाराः

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	ग्रैच्युटी	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल सुविधाएं	सेवानिवृत्ति के बाद व्यवस्थापन सुविधाएं	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	परिवार के लिए लाभ योजनाएं
i)	साल की शुरुआत में प्रक्षेपित लाभ अनुबंधों का तात्कालिक मूल्य	5457.40 (5085.19)	2411.84 (2263.42)	845.96 (843.22)	106.11 (109.65)	21.16 (22.02)	366.14 (331.85)
ii)	सेवा लागत	472.63 (209.88)	284.28 (132.93)	43.89 (8.26)	5.57 (5.75)	1.45 (2.76)	– (–)
iii)	ब्याज पर लागत	441.61 (450.04)	189.49 (190.12)	67.36 (74.64)	8.58 (10.26)	1.70 (2.18)	25.48 (26.69)
iv)	वास्तविक लाभ हानि	123.62 (497.21)	216.52 (390.61)	6.38 (.3.82)	.16.93 (.12.34)	.1.05 (.3.47)	74.27 (87.89)
v)	पूर्व सेवा की लागत	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
vi)	देय लाभ	802.48 (784.92)	566.20 (565.24)	90.97 (76.34)	8.86 (7.21)	2.26 (2.33)	93.40 (80.29)
vii)	वर्ष के अंत तक प्रक्षेपित लाभ अनुबंधों का तात्कालिक मूल्यांकन (i+ii+iii+iv-v-vi)	5692.78 (5457.40)	2535.93 (2411.84)	872.62 (845.96)	94.47 (106.11)	21.00 (21.16)	372.49 (366.14)

(ख) परिसंपत्तियों और अनुबंधों के उचित मूल्य का सामंजस्य

कंपनी ने अलग ग्रैच्युटी फंड से ग्रैच्युटी के दायित्वों का आंशिक भुगतान कर दिया है। योजना पूंजी का उचित मूल्यांकन का आधार बीमा कंपनियों की जानकारी होती है। क्योंकि बीमा कंपनियों के जरिए ही फंड में निवेश किया जाता है। परिसंपत्तियों और अनुबंधों के उचित मूल्य का सामंजस्य निम्न प्रकार से है:

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2015–16	2014–15
i)	वर्ष के शुरू में योजना पूंजी का उचित मूल्यांकन	5060.96	4594.37
ii)	योजना पूंजी पर अपेक्षित लाभ	404.88	367.55
iii)	कंपनी की वास्तिवक सहयोग राशि	802.51	784.92
iv)	वास्तविक लाभ / हानि	28.80	99.04
v)	सुविधाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान	802.48	784.92
vi)	वर्ष के अंत तक योजना पूंजी का उचित मूल्यांकन	5494.67	5060.96
vii)	परिभाषित सुविधा बाध्यताओं का तात्कालिक मूल्य [33.1.2)(ए)(vii)]	5692.78	5457.40
viii)	बैलेंस शीट में शामिल कुल दायित्व (vii)–(vi) *	198.11	396.44

* निवेश पर लाभ को ध्यान में रख कर वर्ष 2016–17 के दौरान ग्रैच्युटी फंड में कंपनी किसी प्रकार का अंशदान की अपेक्षा नहीं करती है। ग्रैच्युटी को छोड़कर परिभाषित सुविधा बाध्यताओं का भुगतान नहीं होता है।

ग्रैच्युटी के अलावा दूसरे पारिभाषित अंशदान के लिए फंड तय नहीं है।

(ग) भविष्य निधिः भविष्य निधि में वर्ष के दौरान कंपनी के हिस्से के भुगतान को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 17 के तहत कंपनी की भविष्य निधि ट्रस्ट को छूट मिलती है। निकट भविष्य में कंपनी निधि की संपत्ति और निवेश पर लाभ के संबंध में किसी प्रकार की बाध्यता का पूर्वानुमान नहीं रखती है।

(घ) साल भर में लाभ हानि के ब्योरे में खर्चों की पहचानः

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	ग्रैच्युटी	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल सुविधाएं	सेवानिवृत्ति के बाद व्यस्थापन सुविधाएं	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	परिवार के लिए लाभ योजनाएं
i)	सेवा लागत	472.63 (209.88)	284.28 (132.93)	43.89 (8.26)	5.57 (5.75)	1.45 (2.76)	– (–)
ii)	ब्याज पर लागत	441.59 (450.04)	189.49 (190.12)	67.36 (74.64)	8.58 (10.26)	1.70 (2.18)	25.48 (26.69)
iii)	वास्तविक लाभ/ हानि	94.82 (398.17)	216.52 (390.61)	6.38 (.3.82)	.16.93 (.12.34)	.1.05 (.3.47)	74.27 (87.89)
iv)	पूर्व सेवा की लागत	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
v)	योजनागत पूंजी पर अपेक्षित लाभ	404.88 (367.55)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
vi)	कुल (i+ii+iii+iv-v)	604.16 (690.54)	690.29 (713.66)	117.63 (79.08)	.2.78 (3.67)	2.10 (1.47)	99.75 (114.58)
vii)	कर्मचारियों पर खर्चः क) लाभ हानि के ब्योरे में शामिल (नोट 25)	601.04 (689.33)	681.05 (702.28)	116.33 (78.39)	– (–)	2.10 (1.47)	99.75 (114.58)
	ख)संरचना के दौरान खर्च में शामिल (नोट 12.1)	3.12 (1.21)	9.24 (11.38)	1.30 (0.69)	– (–)	– (–)	– (–)
	ग) अन्य खर्च – लाभ हानि के ब्योरे में शामिल (नोट 27)	– (–)	– (–)	– (–)	.2.78 (3.67)	– (–)	– (–)
viii)	योजनागत पूंजी पर वास्तविक लाभ	433.71 (466.61)					

(ङ) सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल सुविधा योजना के तहत लाभ के मूल्यांकन के मामले में काल्पनिक मुद्रा स्फीति दर में एक फीसदी प्वाइंट से बदलाव का असर

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	मेडिकल मुद्रास्फीति दर में एक फीसदी प्वाइंट की बढ़ोतरी	मेडिकल मुद्रास्फीति दर में एक फीसदी प्वाइंट की कमी
i)	कुल सेवा में बढ़ोतरी/कमी और सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल सुविधाओं की आंतरिक लागत	0.55	(0.48)
ii)	31 मार्च 2016 तक परिभाषित सुविधा बाध्यता के मौजूदा मूल्य में बढ़ोतरी/कमी	24.21	(20.98)

(च) ग्रैच्युटी ट्रस्ट का निवेश

विवरण	निवेश का प्रतिशत	
	31.03.2016 को	31.03.2015 को
बीमा निवेश	83.60	82.16
केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	1.57	1.71
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	4.90	5.32
पीएसयू बॉन्ड	9.91	10.71
सरकरी हुण्डी	–	0.08
बैंक में नकद	0.02	0.02
कुल	100.00	100.00

(छ) वास्तविक मान्यताएं

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	8%	8%
ii)	मृत्यु दर	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेट	आईएएलएम (2006–08) अल्टीमेट
iii)	निवर्तन दर (प्रति वर्ष)	उम्र के मुताबिक 0.1 से 0.50 फीसदी तक	उम्र के मुताबिक 0.1 से 0.50 फीसदी तक
iv)	मेडिकल लागत प्रवृति दर (प्रति वर्ष)	हॉस्पिटल बिल के लिए 5 फीसदी/मेडिकल बीमा के लिए कुछ नहीं	हॉस्पिटल बिल के लिए 5 फीसदी / मेडिकल बीमा के लिए कुछ नहीं
v)	योजनागत संपत्तियों पर अनुमानित लाभ की दर	8% प्रति वर्ष	8% प्रति वर्ष
vi)	वेतन बढ़ोतरी	एक्सक्यूटिव और गैर एक्सक्यूटिव सभी तरह के वेतनभोगियों के लिए 6 फीसदी की बढ़ोतरी हर दस साल की सर्विस पर, साल 2017 से लागू	एक्सक्यूटिव और गैर एक्सक्यूटिव सभी तरह के वेतनभोगियों के लिए 6 फीसदी की बढ़ोतरी हर दस साल की सर्विस पर, साल 2017 से लागू
		बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य के वेतन वृद्धि का आकलन शामिल रहता है जिसमें मुद्रा स्फीति दर, वरिष्ठता, पदोन्नति के साथ अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है।	

33.2 अनुभाग की रिपोर्टिंग

i) व्यापार अनुभाग : पांच एकीकृत स्टील प्लांट और तीन मिश्रधातु इस्पात संयंत्र जिसकी पहचान विनिर्माण ईकाई के तौर पर है – लेखांकन मापदंड – 17 व्यापार अनुभाग के तहत इसका प्राथमिक व्यापार अनुभाग के तौर प्रकट किया गया है। इसे कंपनी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है। भौगोलिक खंडो को द्वितीयक खंड रिपोर्टिंग में रखा गया है। ऐसा भारत और विदेशों में विक्रय से प्राप्त आय को अलग भौगोलिक खंड में बांट कर किया गया है।

ii) प्रबंधन के विचार से आबद्ध खान कंपनी के लिए रिपोर्ट योग्य व्यापार अनुभाग नहीं होता है। लेखांकन मापदंड – 17 के पैरा 27 के मुताबिक ये होता है – जिसे कंपनी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है। चूंकि आबद्ध खान से विभिन्न प्लांटों को कच्चा माल भेजा जाता है इसलिए लेखांकन के मकसद से खदानों को लागत केंद्र के तौर पर देखा जाता है।

33.3 संबंधित पक्षकार

लेखाकंन मानदंड – 18 संबंधित पक्षकारों के संबंध में जो प्रकट किया है – उसे कंपनी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है। इसके मुताबिक सरकारी नियंत्रण वाले संयंत्रों को शामिल नहीं किया गया है– और वो निम्न प्रकार से हैं:

क.	
संबंधों की प्रकृति	**संबंधित पक्षकारों के नाम**
संयुक्त उपक्रम	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड
	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
	यूईसी – सेल इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी लिमिटेड
	रॉमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड
	भिलाई जे पी सीमेंट लिमिटेड
	एन ई स्टील और गलवानाइजिंग प्राइवेट लमिटेड
	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
	सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
	टीएमटीएसएएल सेल जेवी लिमिटेड
	एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड
	प्राइम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड
	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड
	अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड
संबंधों की प्रकृति	**संबंधित पक्षकारों के नाम**
प्रमुख प्रबंधन कर्मी	श्री सी एस वर्मा (10.06.2015 तक)
	श्री पी के सिंह
	श्री अनिल कुमार चौधरी
	श्री एस एस मोहंती
	श्री टी एस सुरेश (31.05.2015 तक)
	श्री कल्याण माइति
	श्री बिनोद कुमार
	श्री एन महापात्रा (27.11.2015 से प्रभावी)
	श्री जी विश्वकर्मा (31 दिसंबर 2015 से प्रभावी)
	श्री ए मैत्रा
	श्री एस चंद्रशेखरण
	श्री जी एस प्रसाद (30.09.2015 तक)
	श्री ए के सिंह (23.03.2016 से प्रभावी)
	श्री आर के राठी (27.03.2016 से प्रभावी)
	श्री ए के रथ (23.03.2016 से प्रभावी)
	श्री पी एस भदौरिया
	श्री ए श्रीवास्तव
	श्री आई सी साहू
	श्री एम रवि
	श्री एम आर पांडा
	श्री बी के झा
	श्री नीरज माथुर
	श्री रमण
	श्री सोमदेव दास
	श्री एन भट्टाचार्य
	श्री सिद्धार्थ कौल
	श्री एच पी सिंह (11.01.2016 से प्रभावी)
	श्री सुधीर कुमार (12.12.2015 से 26.03.2016)
	श्री एस के जैन (13.01.2016 से प्रभावी)
	श्री यू के डे (01.01.2016 से प्रभावी)
	श्री एस काले (01.02.2016 से प्रभावी)

ख. वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों और कंपनी के बीच सौदेबाजी का ब्यौरा

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	सहायक/साझा उपक्रम	प्रमुख प्रबंधन कर्मी	कुल	नोट नं. और लेखांकन शीर्ष
i)	निवेश की खरीद	2.92 (6.50)	–	2.92 (6.50)	13 : पिछला निवेश
ii)	शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम राशि	0.45 (–)	–	0.45 (.)	19 : कम समय के लिए ऋण पेशगी
iii)	प्रदत्त सेवा	1.91 (1.69)	–	1.91 (1.69)	22 : अन्य आय
iv)	भाड़े से अर्जित आय	0.07 (0.07)	–	0.07 (0.07)	
v)	प्राप्त लाभांश	– (13.69)		. (13.69)	
vi)	वस्तुओं का विक्रय	30.17 (40.60)	–	30.17 (40.60)	21 : कारोबार से आय
vii)	प्राप्त सेवा	41.04 (33.41)	–	41.04 (33.41)	27 : दूसरे खर्चे
		2.68 (2.23)	–	2.68 (2.23)	12 : पूंजी डब्ल्यू आईपी
viii)	प्रबंधकीय मेहनताना	–	6.22 (7.53)	6.22 (7.53)	25 : कर्मचारियों के लाभ पर खर्च

ग. वर्ष के अंत में संबंधित पक्षकारों के पास शेष राशि

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	सहायक/साझा उपक्रम	नोट नं और लेखांकन शीर्ष
i)	निवेश	78.67 (75.74)	13 : गैर मौजूदा निवेश
ii)	निवेश के प्रावधान	3.44 (3.44)	
iii)	अन्य ऋण एवं अग्रिम रकम	1.39 (1.39)	14 : दीर्घ कालीन ऋण एवं अग्रिम रकम
iv)	ऋण और अग्रिम धन के लिए प्रावधान	1.39 (1.39)	
v)	शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम धन	0.47 (0.03)	19 : अल्प कालीन ऋण एवं अग्रिम रकम
vi)	पाने लायक कारोबार	2.65 (0.66)	17 : स्वीकार योग्य कारोबार
vii)	देय व्यापार	7.91 (3.00)	8 : भुगतान योग्य कारोबार
viii)	सुरक्षा जमा राशि	0.33 (0.33)	5 : अन्य दीर्घ कालीन देनदारियां

घ. संबंधित पार्टियों के साथ सामग्रियों की लेनदेन का विवरण

(₹ करोड़)

	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	नोट संख्या और अकॉउंट हेड
निवेश की खरीद			
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	–	3.65	13 : गैर मौजूदा निवेश
प्राइम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड	2.08	2.60	
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	0.84	.	
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	–	0.25	
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम रकम			
वीएसएल सेल जेवीसी	0.45	.	19 : अल्प कालीन ऋण एवं अग्रिम रकम
वस्तुओं की बिक्री			
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	30.17	18.61	21 : संचालन से आय
बोकारो जेपी सीमेंट लिमिटेड	.	21.99	
प्रदत्त सेवा			
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	1.80	1.52	22 : अन्य आय
बोकारो जेपी सीमेंट लिमिटेड	–	0.02	
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	0.14	0.19	
सेल बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड	0.04	0.02	
एस एंड टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	–	0.01	
लाभांश आय			
बोकारो जेपी सीमेंट लिमिटेड	–	8.69	
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	–	5.00	
नीलामी सेवा			
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	39.38	32.57	27 : अन्य खर्चे
	2.68	2.23	12 : पूंजी डब्ल्यूआईपी
रूपांतर शुल्क			
सेल–बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड	1.66	0.84	27 : अन्य खर्चे

33.4 कमाई पर कर के लेखांकन को लेकर एएस–22 के मुताबिक जिसे कंपनी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है, उसके कुल विलंबित कर का लेखांकन नीचे प्रकट किया गया है:

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
विलंबित कर दायित्व		
खाता और टैक्स अपकर्ष में अंतर	6104.36	4526.61
कुल	6104.36	4526.61
विलंबित कर परिसंपत्ति		
सेवानिवृत्ति फायदे	66.45	135.08
अन्य	6745.76	1996.34
कुल	6812.21	2131.42
कर मूल्यह्रास और खाता के बीच अंतर (–)	**(–) 707.85**	**2395.19**

आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के मुताबिक 31.03.2016 की स्थिति अनुसार कंपनी ने ₹15,377.55 करोड़ का संचित व्यापारिक घाटा किया है (जिसमें ₹8851.44 करोड़ का संचित असमाहित मूल्यह्रास शामिल है)।

इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने और मांग में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न उपायों के साथ–साथ, कंपनी द्वारा लागत में कटौती, दक्षता/उत्पादकता सुधारने के लिए उठाये जा रहे कदमों को देखते हुए, कंपनी आश्वस्त है कि भविष्य में यह अपने भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन सुधारने में कामयाब होगी। फलस्वरूप, कंपनी संचित व्यापारिक घाटे/असमाहित मूल्यह्रास को समायोजित करने में समर्थ होगी।

तदनुरूप, कंपनी ने संचित व्यापारिक घाटे (संचित असमाहित मूल्यह्रास सहित) पर ₹5321.86 करोड़ आस्थगित कर संपत्ति (सकल) माना है। तथापि, आस्थगित परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं की नेटिंग के बाद ₹707.85 करोड़ की शुद्ध आस्थगित परिसम्पत्तियां मानी गई हैं ।

33.5 लेखांकन मानक 27 के मुताबिक 'साझा उपक्रम में वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग' – जिसे कंपनी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है – उसके तहत साझा उपक्रम में कंपनी के स्वामित्व हित की हिस्सेदारी, परिसंपत्ति, दायित्व, आय, व्यय, आकस्मिक दायित्व और पूंजी प्रतिबद्धताओं को नीचे दिखाया गया है:

(₹ करोड़)

क्र. सं.	संयुक्त उपक्रम कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व हित की हिस्सेदारी	परिसंपत्ति	दायित्व	आय	व्यय	आकस्मिक दायित्व	पूंजी प्रतिबद्धता
1.	एनटीपीसी एसएआईएल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (*)	50	1560.14	687.75	857.90	726.87	43.78	87.01
2.	बोकारो पावर सप्लाई कं. प्रा. लि. (**)	50	599.43	296.45	484.56	451.44	10.26	15.45
3.	एमजंक्शन सर्विसेज लि. (**)	50	155.35	61.33	92.74	61.49	2.08	1.13
4.	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड (**)	40	2.16	3.92	0.97	0.85	–	–
5.	रोमेल्ट सेल इंडिया लिमिटेड ($)	15	–	–	–	–	–	–
6.	यूईसी सेल इनफॉरमेशन टेक्नालॉजी लिमिटेड ($$)	40	–	–	–	–	–	–
7.	नार्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड ($)	50	–	–	–	–	–	–
8.	एन ई स्टील एंड गालवेनाइनजिंग प्राइवेट लिमिटेड ($$)	49	–	–	–	–	–	–
9.	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड (*)	26	219.20	175.55	104.45	134.50	5.15	2.20
10.	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (*)	50	3.86	1.83	0.20	2.27	–	–
11.	इंटनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (*)	46.62	569.60	1.15	0.47	2.89	–	–
12.	सेल–एमओआईएल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड (**)	50	6.53	8.01	0.05	0.26	–	–
13.	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड (*)	50	0.07	–	–	–	–	–
14.	सेल एससीएल केरल लिमिटेड (**)	49.26	36.02	46.62	2.67	9.24	–	–
15.	सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड (**)	50	55.37	36.52	0.21	3.69	–	–
16.	सेल केओबीई आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (**)	50	0.26	–	–	–	–	–
17.	एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड (**)	26	0.56	0.58	–	–	–	–
18.	टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड (**)	26	0.52	0.52	–	–	–	–
19.	सेल बंगाल अलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (*)	50	0.45	0.45	–	0.01	–	–
20.	प्राइम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड (**)	26	23.02	17.69	2.22	2.39	1.06	–
21.	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड (*)	26	1.42	0.08	–	–	–	–
22.	अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड (**)	26	0.01	0.02	–	0.01	–	–

* वर्ष 2015–16 के ऑडिट किए गए लेखांकन के आधार पर
** साल 2015–16 के ऑडिट नहीं किए गए लेखांकन के आधार पर
$ जानकारी उपलब्ध नहीं
$$ खत्म होने वाला काम

33.6 लेखांकन मानदंड (एएस) 29 'प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक परिसंपत्तियां' के तहत प्रावधानों का प्रकटीकरण आवश्यकः

प्रावधानों के संक्षिप्त विवरणः

खान वणीकरण लागत – नवीनीकरण पर देय (समझा हुआ नवीनीकरण इसमें शामिल है) ६ सरकारी अधिकारियों को वन के खनन पट्टे की निकासी, खनन के मकसद से वन क्षेत्र के इस्तेमाल की ओर खान वनीकरण लागत

खान बंद करने की लागत – खान को बंद करने की लागत के दायित्वों का आकलन

अधिभार हटाने की लागत – पहले से चले आ रहे अधिभार को हटाने पर इसका भुगतान भविष्य में खान पर

(₹ करोड़)

प्रावधानों की गतिशीलता	खान वनीकरण लागत	खान बंद करने की लागत	अधिभार हटाने की लागत	कुल
1 अप्रैल 2015 तक बकाया	211.38	118.01	69.60	398.99
वर्ष के दौरान जो शामिल	69.43	12.94	37.32	119.69
वर्ष के दौरान जो रकम इस्तेमाल की गई	42.09	–	8.87	50.96
वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रकम जिसे प्रतिवर्तित किया गया	–	3.72	13.55	17.27
31 मार्च 2016 तक बचत	238.72	127.23	84.50	450.45

33.7 कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी और निवेश का ब्योरा

i) 31 मार्च 2016 तक बकाया रकम

(₹ करोड़)

विवरण	रकम
दिया गया ऋण	6.15*
किया गया निवेश	1243.04

* ₹1.15 करोड़ के लिए प्रावधान

ii) 31 मार्च 2016 तक के वर्षांत के दौरान किए गए निवेश

तत्वों के नाम	संबंध	रकम (₹ करोड़)	जिस मकसद से निवेश का प्रावधान किया गया
इंटरनेशन कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	साझा उपक्रम	313.03	कारोबार के लिए
सेल आरआईटीईएस बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	साझा उपक्रम	7.37	कारोबार के लिए
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	साझा उपक्रम	0.84	कारोबार के लिए
प्राइम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड	साझा उपक्रम	2.08	कारोबार के लिए
सेल – एससीएल केरल लिमिटेड	साझा उपक्रम	0.65	कारोबार के लिए

33.8 i) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 34 (3) के तहत ऋण और अग्रिम धन के खुलासे का विवरण

(₹ करोड़)

सहायक कंपनियों के नाम*	वर्ष के अंत तक ऋण और अग्रिम धन जो कि ऋण के रूप में बकाया है	वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम धन की अधिकतम राशि जो कि ऋण के रूप में बकाया है
आईआईएससीओ उज्जैन पाइप एंड फाउंडरी कं. लि. (अंडर लिक्विडेशन)	2.53* (2.53)*	2.53 (2.53)

* लेखांकन खाते में ₹2.53 करोड़ (₹2.53 करोड़) की रकम को प्रकट किया गया है जिसकी वसूली संदेहास्पद है:

ii) कोई ऋण नहीं दिया गया है (कर्मचारियों को दिए गए ऋण को छोड़कर), जिसमें सात वर्ष के पार वसूली की कोई सूची या वापस अदायगी को नहीं शामिल किया गया है; और

iii) फर्म / कंपनी जिनसे डायरेक्टरों का हित जुड़ा है – उससे संबंधित ऋण के रूप में कोई ऋण और अग्रिम धन का भुगतान नहीं किया जाना है।

34. आरंभिक स्टॉक, खरीद, कारोबार तथा अंतिम स्टॉक

(मात्राः टनों में)
(मूल्य ₹ करोड़)

उत्पाद की श्रेणी	आरंभिक स्टॉक		खरीद		बिक्री		अंतिम स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
स्वयं के उत्पाद								
मुख्य इस्पात संयंत्र								
पिग आयरन	250454	512.10	–	–	612939	1111.33	198437	375.62
	(43951)	(104.06)	(–)	(–)	(320140)	(757.84)	(250454)	(512.10)
इस्पात की सिल्लियां	77893	229.31	–	–	1625	4.12	161450	385.60
	(101120)	(306.97)	(–)	(–)	(1540)	(4.77)	(77893)	(229.31)
बिक्री योग्य इस्पात	1358117	4343.80	–	–	11689387	38559.12	1125961	3042.18
	(1006565)	(3590.32)	(–)	(–)	(11230046)	(45373.33)	(1358118)	(4343.80)
प्रक्रिया में सामग्री	852062	2431.24	–	–	–	–	1485184	3644.65
	(514706)	(1404.34)	(–)	(–)	(–)	(–)	(852062)	(2431.24)
मिश्र धातु स्टील्स के संयंत्र								
पिग आयरन	15722	45.46	–	–	1225	3.77	21792	62.52
	(7831)	(23.32)	(–)	(–)	(1016)	(3.24)	(15722)	(45.46)
इस्पात की सिल्लियां	28181	127.33	–	–	–	–	29776	132.07
	(21695)	(85.16)	(–)	(–)	(–)	(–)	(28181)	(127.33)
बिक्री योग्य इस्पात	79291	550.73	–	–	432348	2363.43	81688	565.80
	(95283)	(644.34)	(–)	(–)	(479474)	(2970.76)	(79291)	(550.73)
प्रक्रिया में सामग्री	55092	461.13	–	–	–	–	49903	398.65
	(68836)	(560.85)	(–)	(–)	(–)	(–)	(55092)	(461.13)
विविध वस्तुएं								
कैल्शियम अमोनियम	1023	–	–	–	–	–	1023	–
नाइट्रेट (25% एन के मामले में)	(1023)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(1023)	(–)
औसत दर्जे के/खारिज	798785	–	–	–	67747	52.98	196705	–
	(785677)	(–)	(–)	(–)	(161340)	(66.31)	(798785)	(–)
अन्य (उपोत्पाद आदि)		1914.28		–		1242.24		1333.83
		(2252.16)		(–)		(1450.40)		(1914.28)
		10615.38		–		43336.99		9940.92
		(8971.52)		(–)		(50626.65)		(10615.38)

35. विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय

(₹ करोड़)

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुभव	**39.02**	53.12
ब्याज	**74.96**	230.81
पेशेवराना और परामर्श शुल्क	**68.64**	72.55
अन्य	**201.97**	165.14
कुल	**384.59**	521.62

36. के खाते पर विदेशी मुद्रा की आय

(₹ करोड़)

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
माल का निर्यात (एफओबी के आधार पर परिकलित)	**557.13**	1567.71
	557.13	1567.71

37. आयात के मूल्य (सीआईएफ के आधार पर परिकलित)

(₹ करोड़)

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कच्चे माल	**10257.24**	12058.91
पूंजीगत माल	**703.04**	584.39
संघटक और स्पेयर पार्ट्स	**334.99**	419.15
कुल	**11295.27**	13062.45

38. खपत की गई कच्ची सामग्री का मूल्य

	₹/करोड़	%	₹/करोड़	%
आयातित	**11456.19**	**54.88**	11718.59	52.78
स्वदेशी	**9417.91**	**45.12**	10484.51	47.22
	20874.10	**100.00**	22203.10	100.00
कमः अंतर खाता समायोजन	**3723.49**		3680.20	
	17150.61		18522.90	

39. खपत किये गए उपकरणों और पुर्जों का मूल्य

	₹/करोड़	%	₹/करोड़	%
आयातित	**378.36**	**9.00**	416.88	9.74
स्वदेशी	**3824.80**	**91.00**	3864.89	90.26
	4203.16	**100.00**	4281.77	100.00
कमः अंतर खाता समायोजन	**1526.16**		1646.28	
	2677.00		2635.49	

40. लाभांश के लिए विदेशी मुद्रा में विप्रेषणः

वर्ष के दौरान कंपनी ने अंतरिम/अंतिम लाभांश के कारण विदेशी मुद्राओं में किसी भी राशि का प्रेषण नहीं किया है और न हीं करता है उस सीमा तक जानकारी जिसके अनुसारं, यदि किन्हीं विप्रेषणो को, अंतरिम/अंतिम लाभांश खाते पर विदेशी मुद्रा में किया गया है, अनिवासी शेयरधारकों की ओर से/द्वारा। अनिवासी शेयरधारकों के खाते पर वर्ष 2014–15 के लिए अंतिम लाभांश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अंतिम लाभांश (2014–15)		
क) अनिवासी शेयरधारकों की संख्या	4689	*
ख) उनके द्वारा धारण किये गया सामान्य शेयरों की संख्या	260214361	*
ग) लाभांश की राशि (₹/करोड़)	6.51	*
* 2013–14 में कोई अंतिम लाभांश घोषित नहीं किया गया था		
अंतरिम लाभांश (2015–16)		
क) अनिवासी शेयरधारकों की संख्या	*	4655
ख) उनके द्वारा धारण किये गया सामान्य शेयरों की संख्या	*	276474036
ग) लाभांश की राशि (₹/करोड़)	*	48.38
* 2015–16 में कोई अंतिम लाभांश घोषित नहीं किया गया था		

41. जहाँ भी आवश्यक हुआ है, पिछले साल के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित/पुनः एकत्रित/पुनः निर्मित किया गया है। कोष्ठक में आंकड़े पिछले साल से सम्बंधित हैं।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए खण्ड सूचना

क. व्यवसाय खण्ड

(₹ करोड़)

विवरण	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी	एएसपी	एसएसपी	वीआईएसएल	अन्य	अंतर–बिक्री खण्ड	सेल
आय											
– बाह्य बिक्री											
चालू वर्ष	14654.53	6098.45	7711.94	9097.91	3318.79	393.42	1774.01	219.47	68.47		43336.99
पूर्व वर्ष	(16650.74)	(7643.11)	(9283.60)	(12890.53)	(1081.68)	(552.61)	(2206.95)	(233.04)	(84.39)		50626.65
– अंतर खण्डीय बिक्री											
चालू वर्ष	684.85	178.49	100.86	122.67	46.33	200.13	11.25	32.42	3822.65	.5199.65	–
पूर्व वर्ष	(1075.80)	(369.42)	(299.45)	(284.84)	(833.28)	(227.42)	(9.10)	(46.29)	(3630.52)	(.6776.12)	–
– कुल राजस्व											
चालू वर्ष	15339.38	6276.94	7812.80	9220.58	3365.12	593.55	1785.26	251.89	3891.12	.5199.65	43336.99
पूर्व वर्ष	(17726.54)	(8012.53)	(9583.05)	(13175.37)	(1914.96)	(780.03)	(2216.05)	(279.33)	(3714.91)	(.6776.12)	50626.65
परिणाम											
– परिचालन लाभ/(–) हानि (ब्याज व्यय एवं विशेष मदों से पूर्व)											
चालू वर्ष	708.20	.392.40	.1964.85	.1776.96	.1454.50	.60.86	.348.76	.115.54	253.98		–5151.69
पूर्व वर्ष	(2490.04)	(622.05)	(618.63)	(786.49)	(.835.85)	(.117.72)	(.249.55)	(.97.29)	(596.34)		3813.14
– ब्याज व्यय											
चालू वर्ष											2046.75
पूर्व वर्ष											(1454.23)
– विशेष मद (विदेशी मुद्रा विचलन एवं प्रविष्टि कर देयता को बट्टे खाते डाला गया)											
चालू वर्ष											–
पूर्व वर्ष											(–)
– आय कर											
चालू वर्ष											–3061.18
पूर्व वर्ष											(266.23)
– निवल लाभ/हानि(–)											
चालू वर्ष											–4137.26
पिछले वर्ष के अंत में											(2092.68)
अन्य सूचना											
– खण्ड परिसंपत्तियां											
चालू वर्ष	24327.08	5596.68	18596.12	14038.02	18804.53	580.24	2768.09	637.10	12213.73		97561.59
पूर्व वर्ष	(22811.33)	(5227.07)	(18544.86)	(13817.64)	(18308.44)	(630.54)	(3038.27)	(631.46)	(16317.26)		(99326.87)
– खण्ड देयताएं											
चालू वर्ष	6377.64	1996.16	3481.91	3095.05	1414.08	221.71	425.11	128.88	25866.92		43007.46
पूर्व वर्ष	(6092.97)	(1893.89)	(3637.46)	(2743.51)	(1211.75)	(231.16)	(342.07)	(173.04)	(23075.49)		(39401.34)
– पूंजीगत व्यय											
चालू वर्ष	1686.13	543.63	1196.29	1034.20	1120.61	.3.50	55.06	19.74	445.24		6097.40
पूर्व वर्ष	(2219.69)	(659.74)	(1448.63)	(804.91)	(1389.04)	(5.10)	(.6.12)	(4.71)	(545.74)		(7071.44)
– मूल्यह्रास											
चालू वर्ष	346.66	132.83	566.37	278.81	486.89	9.29	80.27	6.04	192.38		2099.54
पूर्व वर्ष	(304.25)	(128.50)	(440.34)	(270.47)	(317.90)	(10.87)	(103.16)	(5.89)	(191.90)		(1773.28)
– मूल्यह्रास को छोड़कर गैर–नकद व्यय											
चालू वर्ष	21.98	6.24	35.81	16.81	63.63	13.17	1.45	2.23	35.82		197.14
पूर्व वर्ष	(14.85)	(18.94)	(7.51)	(8.48)	(5.31)	(15.33)	(1.03)	(1.40)	(27.83)		100.68

सामाजिक सुविधाएं

क. व्यापार खण्ड

(₹ करोड़)

व्यय	टाउनशिप	शिक्षा	चिकित्सा	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	सहकारी समितियां	परिवहन एवं डेरी	योग	पूर्व वर्ष
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं हितलाभ								
– वेतन एवं मजदूरी	204.78	96.25	291.75	7.48	3.36	9.10	612.72	675.50
– भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान	23.92	11.21	32.67	1.06	0.36	1.17	70.39	75.07
– यात्रा रियायत	11.20	4.27	11.54	0.24	0.01	1.44	28.70	3.09
– कल्याण व्यय	8.31	8.16	86.36	4.75	.	1.22	108.80	105.64
– दवाइयों की खपत	4.22	0.72	64.52	1.62	0.23	0.41	71.72	70.09
– उपदान	25.44	12.46	20.35	0.64	0.35	2.02	61.26	71.30
योग	277.87	133.07	507.19	15.79	4.31	15.36	953.59	1000.69
सामान एवं कलपुर्जे	23.47	0.71	6.12	1.36	–	0.55	32.21	35.06
मरम्मत एवं अनुरक्षण	130.15	1.24	29.25	0.37	0.19	0.29	161.49	144.56
विद्युत एवं ईंधन	415.38	4.71	12.99	3.04	–	0.29	436.41	415.19
विविध व्यय	41.56	5.53	21.10	2.53	–	5.70	76.42	125.86
मूल्यह्रास	37.93	3.01	13.61	0.55	0.35	0.70	56.15	46.86
योग	926.36	148.27	590.26	23.64	4.85	22.89	1716.27	1768.22
घटायाः आय	215.36	5.42	87.84	0.14	–	0.48	309.24	301.34
निवल घाटा	711.00	142.85	502.42	23.50	4.85	22.41	1407.03	1466.88

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

एकल वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हम लोगों ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के साथ दिए गए (स्टैंड अलोन) एकल वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षण का कार्य किया है, जिसमें 31 मार्च 2016 तक का बैलेंस शीट, लाभ और नुकसान का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और जो वर्ष समाप्त हुआ है उस अवधि तक प्रमुख लोखांकन नीतियों के साथ व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरण के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

एकल वित्तीय विवरण को तैयार करने से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के तहत जो भी मामले हैं उनके लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार हैं। एकल वित्तीय विवरण से कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह की सही स्थिति की जानकारी मिलती है। जो सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के मुताबिक होता है। इसमें लेखांकन मानक जिन्हें अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (लेखांकन) अधिनियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए – भी शामिल है। इस जिम्मेदारी में पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के संरक्षण की भी जिम्मेदारी शामिल होती है। कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने, चयन और उचित लेखांकन नीतियों के आवेदन, निर्णय लेने और अनुमान जो उचित एवं विवेकपूर्ण हैं, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, उनके रखरखाव और उन्हें लागू करने–जो लेखांकन रिकॉर्ड को सटीक और पूर्ण बनाने में मददगार होते हैं– वो वित्तीय विवरण को बनाने और प्रदर्शित करने के लिए जरूरी कदम हैं। ये वित्तीय विवरण सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है जो कि धोखाधड़ी या फिर गलती के लिहाज से सामग्री के गलत वर्णन से अलग होता है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी इन एकल वित्तीय विवरण जो हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित होते हैं, उस पर विचार व्यक्त करने की है।

हमने कानून में दिए गए प्रस्तावों पर विचार किया और उसके तहत जिन लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और चीजों को सम्मिलित किया जा सकता है, उसे शामिल किया है।

हमने कानून की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखांकन के मानकों के मुताबिक अपनी लेखा परीक्षा को अंजाम दिया है। इन मानकों के तहत हमें नैतिक जरूरतों का पालन करना था और लेखा परीक्षा को इस तरह नियोजित और पूरा करना था जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सामग्री के गलत विवरण से मुक्त हो सके। लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के प्रदर्शन को शामिल किया जाता है जिससे वित्तीय विवरण में किए गए रकम और खुलासों के प्रति लेखा परीक्षा सबूतों को प्राप्त किया जाता है। इसके लिए जिन प्रक्रियाओं का चुनाव किया जाता है वो लेखा परीक्षक के फैसले – जिसमें धोखाधड़ी या गलती के चलते वित्तीय विवरण से जुड़े सामग्री के गलत वर्णन के जोखिम का आकलन भी शामिल होता है। ऐसे जोखिमों के आकलन में लेखा परीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण की तैयारी संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर भी विचार करती है। ये सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे एक स्थिति में लेखांकन प्रक्रियाओं को डिजाइन करने में सहायता मिलती है।

लेखा परीक्षण में इस्तेमाल किए गए लेखांकन नीतियों के औचित्य का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ ही कंपनी के निदेशकों द्वारा लेखांकन अनुमान के औचित्य की समीक्षा भी इसमें शामिल रहती है। यही नहीं इसमें वित्तीय विवरण के संपूर्ण प्रदर्शन की समीक्षा को भी शामिल किया जाता है

हमारा ये भरोसा है कि हमने जो लेखा परीक्षण के सबूत पाए हैं वो पर्याप्त और उचित हैं और एकल वित्तीय विवरण पर योग्य लेखा परीक्षा संबंधी विचार देने का आधार हैं।

योग्य विचार का आधार

कंपनी ने इसके लिए नहीं प्रदान किया है,

i. उत्तर प्रदेश में ₹97.22 करोड़ (मौजूदा वर्ष में ₹2.33 करोड़ और बीते वर्ष में ₹3.34 करोड़) के बराबर एंट्री टैक्स, छत्तीसगढ़ में ₹1091.02 करोड़ (मौजूदा वर्ष में ₹ 6.70 करोड़ और बीते वर्ष में ₹ 13.04 करोड़) और ओडिशा में ₹341.15 करोड़ (मौजूदा वर्ष में ₹7.20 करोड़ और बीते वर्ष में ₹119.14 करोड़) (देखें नोट नंबर 29.1 (आई) (जी);

ii. ऊर्जा की सप्लाई के बिल के लिए डीवीसी को दी गई रकम जिसे बोकारो स्टील प्लांट ने अडवांस के तौर पर रखा है वो ₹491.27 करोड़ है (मौजूदा वर्ष में ₹97.68 करोड़ और बीत वर्ष में ₹101.83 करोड़) देखें नोट नंबर 29.1 (आई) (एफ);

उपरोक्त पैरा (i) और (ii) के असर का ही ये नतीजा था कि वर्ष के दौरान कर अदायगी के बाद लाभ ₹1,321.35 करोड़ रहा (31 मार्च 2015 को जो वर्ष समाप्त हुआ उसमें अतियुक्तिपूर्ण लाभ ₹1906.75 करोड़), भंडार और अधिशेष के अतियुक्तिपूर्ण रकम ₹1321.35 करोड़ (31 मार्च 2015 तक ₹1906.75 करोड़), मौजूदा देनदारियों की कमबयानी के लिए ₹2020.66 करोड़ (31 मार्च 2015 तक ₹1906.75 करोड़) और कुल परिसंपत्तियों की कमबयानी के लिए ₹699.31 करोड़ (31 मार्च 2015 को बीते वर्ष कोई रकम बची नहीं थी।

प्रबंधन का जवाब: जिन मामलों का यहां जिक्र है वो अभी न्यायालय में हैं और सुप्रीम कोर्ट समेत दूसरी अदालतों में लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं। विवादित मांगों –जिन्हें उचित आधार पर चुनौती दी जा रही है उन्हें आक्समिक देनदारियों के रूप में दिखाया गया है। क्योंकि इस तारीख तक बैलेंस शीट में इन मौजूदा देनदारियों का स्थान नहीं है। लिहाजा नुकसान पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। उस तारीख तक इन मामलों की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

योग्य राय

हमारे विचार और हम तक उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ जानकारी के साथ हमें दिए गए विवरणों के मुताबिक, उपरोक्त अनुच्छेद में योग्य राय के आधार के लिए जो चीजें वर्णित हैं उन्हें छोड़कर, पहले कहे गए स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण से कानून के तहत जो जानकारी जरूरी है वो प्राप्त होता है। और ये भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप है और 31 मार्च 2016 तक कंपनी के नुकसान और नकदी प्रवाह की स्थिति को बयान करती है।

मामले का जोर

हम अपना ध्यान कुल बिक्री – जिसमें सरकारी एजेंसियां जिन्हें प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कीमत (देखें नोट नं. 32. 1) के तौर पर जाना जाता है–पर लगा रहे हैं।

टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब

इस मामले में हमारी राय योग्य नहीं है।

अन्य मामले

हम वित्तीय विवरण / आठ ब्रांचों से संबंधित जानकारी जो कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में शामिल है जिसके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2016 तक ₹44971.85 करोड़ की कुल परिसंपत्ति और जो वर्ष समाप्त हुआ उसमें ₹15,849.68 करोड़ राजस्व के तौर पर परिलक्षित हुए। इन्हें स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण में शामिल किया गया। वित्तीय विवरण/इन ब्रांचों की जानकारी का लेखा परीक्षण ब्रांच के लेखा परीक्षकों ने किया है। उनके रिपोर्ट हमें प्राप्त हुए हैं। और जहां तक इन ब्रांचों के संबंध में रकम और खुलासे की बात है तो हमारे विचार में ये ब्रांच लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित हैं।

इस मामले में हमारी राय योग्य नहीं है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी लेखा (परीक्षक के आदेश) आदेश 2016 के तहत जरूरत है – जिसे केंद्र सरकार ने कानून की धारा 143 की उपधारा (ii) के संबंध में जारी किया है – हम संलग्नक 'ए' प्रदर्शित कर रहे हैं जिसमें उन मामलों को निर्दिष्ट किया गया है जिसका जिक्र आदेश के तीसरे और चौथे अनुच्छेद में है।
2. जैसा कि कानून की धारा 143 (3) के तहत आवश्यक है हम इन बातों की रिपोर्ट करते हैं :
   - ए. लेखा परीक्षण के लिए हमारी जानकारी और विश्वास के मुताबिक जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण आवश्यक थी हमने उसे मांगा और प्राप्त किया।
   - बी. ऊपर जो मामले योग्य राय के आधार वाले अनुच्छेद जिसमें मामले का असर वर्णित है – उन्हें छोड़कर हमारे विचार से कंपनी ने कानून के मुताबिक उपयुक्त लेखाजोखा को रखा है।
   - सी. कंपनी के ब्रांच ऑफिस के परिकलन की रिपोर्ट जिसमें ब्रांच लेखा परीक्षकों ने कानून की धारा 143 (8) के तहत अंकेक्षण किया है उसे हमें भेज दिया गया है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने में इन पर पर्याप्त विचार किया गया है।
   - डी. बैलेंस शीट, लाभ हानि का विवरण और नकदी प्रवाह जिस पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है वो लेखा जोखा के अनुरूप है।
   - ई. उपरोक्त अनुच्छेद जिसमें योग्य राय के आधार पर मामले पर असर को बताया गया है – उन्हें छोड़कर हमारे विचार में पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कानून की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन विवरण के अनुरूप किया गया है। इन्हें कंपनी लेखांकन नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें।
   - एफ. उपरोक्त मामले योग्य आधार वाले अनुच्छेद में वर्णित हैं – हमारे विचार में वो कंपनी की कार्यशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पैदा कर सकते।
   - जी. 5 जून 2015 को भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई), कंपनी एक्ट 2013 की धारा 164 (2) कंपनी के लिए मान्य नहीं है।
   - एच. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन सार्थकता के संबंध में संलग्नक बी में दी गई हमारी अगली रिपोर्ट को देखें।
   - आई. कंपनी (परिकलन एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के मुताबिक अन्य मामले जो इसमें सम्मिलित हैं उनके संबंध में जो बेहतर जानकारी और स्पष्टीकरण हमें उपलब्ध कराया गया है उसके मुताबिक –
     - i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का खुलासा किया है जिसे वित्तीय विवरण के नोट नंबर 29.1 से 29.4 में देख सकते हैं।
     - ii. कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं हैं। इसमें व्युत्पत्तिक संविदाएं, ठेके भी शामिल हैं जिन पर भविष्य में किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
     - iii. इनवेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड में जो रकम हस्तानांतरित किया जाना आवश्यक था, उस रकम के हस्तानांतरण में कोई देरी नहीं हुई है।
3. कानून की धारा 143 (5) के तहत जैसा आवश्यक है हम संलग्नक 'सी' में उन मामलों से संबंधित विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो कंपनी के भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट हैं।

बीएन मिश्रा एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबरः 321095 ई
हस्ता./–
[बीएन मिश्रा]
साझेदार
(एम नं. 083927)

शर्मा गोयल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 000643 एन
हस्ता./–
[अमर मित्तल]
साझेदार
(एम नं. 017755)

सिंघी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 302049 ई
हस्ता./–
[श्रेणिक मेहता]
साझेदार
(एम नं. .063769)

चटर्जी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 0302114 ई
हस्ता./–
[एस के चटर्जी]
साझेदार
(एम नं. .003124)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30 मई, 2016

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता./–
(पी के सिंह)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 11 अगस्त 2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब

अनुच्छेद 1 के तहत अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट नाम के शीर्षक के तहत आज तक की तारीख तक की रिपोर्ट संलग्नक 'ए' में निर्दिष्ट है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी)

i. स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में

ए ज्यादातर मामलों में कंपनी ने उपयुक्त रिकॉर्ड को रखा है। स्थिर संपत्तियों की स्थिति में पूरा और परिमाणात्मक विवरण रखा गया है। हालांकि कुछ भूमि के इलाके के विस्तार और जगह को लेकर स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर में सुधार करना बाकी है। इसके साथ ही इन्हें रेवन्यू रिकॉर्ड के तहत भी सुधारा जाना है। इस काम में देरी की वजह राज्य सरकार के रेवन्यू विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में होने वाली देरी है।

प्रबंधन का जवाब: सभी संयत्रों के स्थिर संपत्ति रजिस्टर में इलाके के विस्तार और जगह को सुधारने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

बी. कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों का समय समय पर प्रबंधन वास्तिवक रूप से जांच करती है जिससे कि हर तीन साल में सारी संपत्तियों की जांच हो सके। हालांकि ये देखा गया है कि कुछ भूमि और बिल्डिंग पर कब्जाध्या अनाधिकृत कब्जा है। जैसा कि हमें बताया गया है कि कोई आर्थिक गड़बड़ियां इसमें नहीं पाई गई हैं।

प्रबंधन का जवाब: कब्जा और अनाधिकृत आधिपत्य के तहत भूमि और बिल्डिंग से कब्जा छुड़ाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है।

सी. जानकारी और स्पष्टीकरण जो हमें दी गई है और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम से है वो नीचे बताए गए परिस्थितियों को छोड़कर है:

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टेवाली भूमि	बिल्डिंग
कंपनी के नाम पर नहीं है	40565.76 एकड़	17297.73 एकड़	1312 स्कॉवयर मीटर और 1 मामला
भूमि का कुल हिस्सा जो कंपनी के नाम नहीं है (₹ करोड़ में)	120.52	146.62	0.69
भूमि का शुद्ध हिस्सा जो कंपनी के नाम नहीं है (₹ करोड़ में)	120.52	126.25	0.44

ii. स्टाक के वास्तविक सत्यापन के संबंध में :

ए. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्टाक का निरंतर वास्तविक सत्यापन किया जाता है। कुछ मामलों में स्टाक का सत्यापन विजुअल सर्वे/अनुमान के आधार पर किया गया है।

बी. हमारे विचार और जो जानकारी एवं स्पष्टीकरण हमें दिया गया है उसके मुताबिक स्टाक के वास्तविक सत्यापन में गड़बड़ी पाई गई है लेकिन ये आर्थिक नहीं है – और खाता में इस संबंध में जानकारी दी गई है।

iii. हमारे विचार और जो जानकारी एवं स्पष्टीकरण हमें दिया गया है उसके मुताबिक कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है। सुरक्षित या गैर सुरक्षित, फर्म या ऐसे किसी पार्टी को जो कंपनी एंक्ट 2013 की धारा 189 के तहत पंजीकृत की गई हो, लिहाजा आदेश की अनुच्छेद 3 की उपधारा (iii) (ए) और (iii) (बी) कंपनी पर मान्य नहीं है।

iv. कंपनी ने किसी तरह का ऋण नहीं दिया है और न ही कोई निवेश किया है, न ही कंपनी एक्ट 2013 की धारा 185 और 186 के तहत कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है।

v. जानकारी एवं स्पष्टीकरण हमें जो दी गई है उसके मुताबिक जनता से साल भर के दौरान कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसके अनुसार आदेश के अनुच्छेद 3 (v) कंपनी पर मान्य नहीं है।

vi. कंपनी ने लागत रिकॉर्ड जो कंपनी रूल (कॉस्ट रिकॉर्ड एंड आडिट) 2014 के अनुकूल है और जो केंद्र सरकार के कंपनी एक्ट 2013 की धारा 148 (1) में प्रस्तावित है

vii. जानकारी और स्पष्टीकरण जो हमें दी गई है उसके संबंधित सांविधिक देय राशि :

ए. अविवादित सांविधिक देय राशि की भुगतान कंपनी ने सामान्य तौर पर निरंतर किया है। इसमें उचित अधिकारियों को प्रोविडेंट फंड, इमप्लाई स्टेट इंश्योरेंस, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, कस्टम शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडड टैक्स, सेस और अन्य सांविधिक देय राशि भी शामिल हैं। जानकारी और स्पष्टीकरण जो हमें दी गई है उसके मुताबिक सांविधिक देय राशि संबंधी कोई बकाया नहीं है। यह 31 मार्च 2016 तक बही खाता के मुताबिक जिस तारीख से उनका भुगतान होना है उसे मिलकर छह महीने की अवधि तक मान्य है।

बी. जानकारी और स्पष्टीकरण जो हमें दी गई है उसके मुताबिक 31 मार्च 2016 तक विवादित सांविधिक देय राशि जिनका भुगतान नहीं हुआ है उन्हें नीचे दिया गया है :

अधिनियम	बकाया की प्रकृति	रकम ₹ (करोड़ में)	मंच जहां विवाद लंबित है
बिक्री कर एवं वैट	बिक्री कर एवं वैट की मांग	6.51 604.06 624.35 121.01	सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सेल्स टैक्स ट्राइब्यूनल सेल्स टैक्स विभाग
एंटी टैक्स	एंट्री टैक्स	1091.02 666.29 12.14 20.44	सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल विभाग

टिप्पणियां				प्रबंधन का जवाब
केन्द्रीय उत्पाद कानून 1944	उत्पाद शुल्क	152.02 140.14 990.00 751.55	सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सीईएसटीएटी विभाग	
सेवा कर	सेवा कर	137.96 82.29	सीईएसटीएटी विभाग	
सीमा शुल्क	सीमा शुल्क	5.09	सीईएसटीएटी	
आय कर कानून, 1961	अनुलाभ पर टीडीएस	46.74 105.94	सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट	
	अन्य टीडीएस से संबंधित मामले	105.79 1.67 0.89	हाई कोर्ट आईटीएटी आय कर विभाग	
	आय कर विवाद	194.52 522.33 350.85	हाई कोर्ट आईटीएटी आय कर विभाग	
	कुल	**6733.60**		

viii. वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार, ऋण पत्र जिनके पास है उनके प्रति कंपनी ऋण और उधार के भुगतान को कभी बकाया नहीं छोड़ा है। इसके अनुसार कंपनी पर आदेश के अनुच्छेद 3 (viii) को मान्य नहीं कहा जाएगा।

ix. शुरुआती या बाद में कंपनी ने सार्वजनिक पेशकश के जरिए कोई धन नहीं उठाया है। बैंक और वित्तीय संस्थानों का मियादी ऋण जिन मकसद से लिए गए थे उसके लिए प्रयुक्त हो गए हैं।

x. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के मुताबिक लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी द्वारा किसी तरह की धोखाधड़ी या कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत न तो बताई गई है और न ही इसके बारे में कोई रिपोर्ट है।

xi. भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना नंबर जीएसआर 463 (ई) के मुताबिक कंपनी पर कंपनी एक्ट 2013 की धारा 197 लागू नहीं होती है। इसके अनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(xi) लागू नहीं होते हैं।

xii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के मुताबिक कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसके अनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(xii) का पालन नहीं होता है।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पश्टीकरण एवं कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ सौदे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, के अनुसरण में हुए हैं और लागू लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे सौदों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में दिया गया है।

xiv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की परीक्षा पर आधारित सूचना के मुताबिक कंपनी ने प्राथमिकता के आधार पर आबंटन या शेयरों के निजी स्थापन या वर्ष के दौरान पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं किया है।

xv. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की परीक्षा पर आधारित सूचना के मुताबिक कंपनी निदेशक या उनसे जुड़े लोगों के साथ गैर नकदी लेनदेन में शामिल नहीं हैं। इसके अनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(xv) मान्य नहीं होते हैं।

xvi. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45–IA के तहत कंपनी का पंजीकरण आवश्यक नहीं है।

बीएन मिश्रा एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबरः 321095 ई
हस्ता./–
[बीएन मिश्रा]
साझेदार
(एम नं. 083927)

शर्मा गोयल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 000643 एन
हस्ता./–
[अमर मित्तल]
साझेदार
(एम नं. 017755)

सिंघी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 302049 ई
हस्ता./–
[श्रेणिक मेहता]
साझेदार
(एम नं. .063769)

चटर्जी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 0302114 ई
हस्ता./–
[एस. के. चटर्जी]
साझेदार
(एम नं. .003124)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30 मई, 2016

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता./–
(पी के सिंह)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 11 अगस्त, 2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेख परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक –बी

टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब

कंपनी एक्ट 2013 की धारा 143 की उपधारा (3) के खंड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च 2016 तक हम लोगों ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया। इस तारीख को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण इसके साथ सम्मिलित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित और कायम रखने के लिए जिम्मेदार होता है जो कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की कसौटी पर आधारित होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण संबंधी दिशानिर्देश नोट जारी किए गए हैं। इन जिम्मेदारियों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू और कायम रखना जिनका संचालन प्रभावी हो शामिल है। ताकि व्यापार सुचारू और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सके। इसमें कंपनी की नीतियों के प्रति अनुकूलता, अपनी परिसंपत्तियों का संरक्षण, गलत और धोखाधड़ी से बचाव और उसकी जांच, लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता के साथ कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय से तैयार जरूरी है – उसे भी शामिल किया गया है।

लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी

हमें हमारी जिम्मेदारी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण के आधार पर विचार देना है। हमने लेखा परीक्षण के कार्य को वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (गाइडेंस नोट) के लेखा परीक्षण से संबंधित दिशानिर्देश नोट और लेखा परीक्षण के मानदंडों के मुताबिक अंजाम दिया है। जिसे आईसीएआई ने जारी किया है और जिसे कंपनी एक्ट 2013 की 143 (10) धारा के तहत निर्धारण समझा गया है। दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण के लिए स्वीकार्य हैं, दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानदंडों और दिशानिर्देश नोट इस बात को जरूरी बनाते हैं कि हम नीतिपरक जरूरतों को मानें और लेखा परीक्षण से संबंधित इस तरह की योजना और प्रदर्शन करें जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर उचित आश्वासन दिया जा सके। और हर आर्थिक परिस्थितियों में ऐसे नियंत्रण कार्य कर सकें।

ऐसे में हमारा लेखा परीक्षण कार्यरत प्रक्रियाओं को शामिल करता है ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल व्यवस्था और उसके परिचालन प्रभाव के प्रति लेखा परीक्षण सबूत हासिल किए जा सकें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण से हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की समझ को विकसित करते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई आर्थिक कमजोरी अस्तित्व में है या नहीं। जिन प्रक्रियाओं का चुनाव किया जाता है वो लेखा परीक्षकों के फैसले पर आधारित होता है। इसमें धोखे या गलती की वजह से वित्तीय विवरण के आर्थिक गलत बयानी का जोखिम भी शामिल होता है।

हमारी राय में हमें जो लेखा परीक्षण संबंधित सबूत मिले हैं वो पर्याप्त हैं। और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था पर हमारी लेखा परीक्षण संबंधी विचारों का आधार भी है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इसके साथ ही सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के मुताबिक बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय दस्तावेज का निर्माण इसमें शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो :

(1) यह रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था से संबंधित है, जो उचित विवरण, ठीक ठाक और सही तरीके से कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और प्रवृति को प्रदर्शित कर सके;

(2) ये उचित आश्वासन देता है कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है – जो वित्तीय विवरण को बनाने से संबंधित अनुमति के लिए जरूरी है। इसे सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के मुताबिक तैयार किया जाता है। जबकि कंपनी के प्राप्तियों और व्यय को कंपनी के निदेशक के अनुमोदन के बाद तैयार किया जाता है; और

(3) इसके साथ ही यह अनाधिकृत कब्जे को लेकर समय से जानकारी और बचाव करने के लिए उचित आश्वासन देता है, इस्तेमाल, या कंपनी की परिसंपत्तियों की प्रवृति जिसका वित्तीय विवरण पर आर्थिक असर पड़ता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर अंतर्निहित सीमाओं के चलते, जिसमें मिलीभगत की संभावना शामिल है या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन का उल्लंघन, गलती या धोखाधड़ी के कारण आर्थिक गलत विवरण पैदा हो सकते हैं – उनकी भूलसुधार नहीं भी हो सकती है। इसके साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पूर्वानुमान में जोखिम भरा होता है। ये जोखिम वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अपर्याप्त होने या फिर नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ अनुकूलता कम होने से संबंधित हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास हर आर्थिक दृष्टिकोण से वित्तीय रिपोर्टिंग पर योग्य आंतरिक वित्तीय नियंत्रक व्यवस्था है। और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रक व्यवस्था 31 मार्च 2016 से प्रभाव में हैं। ये आंतरिक नियंत्रक पर आधारित है – जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडो पर आधारित है। जिसके तहत कंपनी ने आंतरिक नियंत्रक के आवश्यक अंश जिसका उल्लेख वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के दिशानिर्देश नोट में है – और जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है।

बीएन मिश्रा एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबरः 321095 ई
हस्ता./–
[बीएन मिश्रा]
साझेदार
(एम नं. 083927)

शर्मा गोयल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 000643 एन
हस्ता./–
[अमर मित्तल]
साझेदार
(एम नं. 017755)

सिंघी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 302049 ई
हस्ता./–
[श्रेणिक मेहता]
साझेदार
(एम नं. .063769)

चटर्जी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 0302114 ई
हस्ता./–
[एस. के. चटर्जी]
साझेदार
(एम नं. .003124)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30 मई, 2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(संलग्नक – सी स्वतंत्र लेखा परीक्षक के रिपोर्ट के लिए)

सवाल	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब

कंपनी एक्ट 2013 की धारा 143 की उप धारा 5 के तहत भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक के जारी निर्देशों के मुताबिक – जो प्लांट / इकाई के रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण पर आधारित है और जिसकी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त है – उस आधार पर हम घोषणा करते हैं – :

ए. कंपनी एक्ट 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश

1. सवाल: क्या कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व और पट्टे पर ली गई भूमि के लिए स्पष्ट स्वत्वाधिकार/पट्टा विलेख है? अगर नहीं तो पूर्ण स्वामित्व और पट्टे पर ली गई भूमि जिस पर स्वत्वाधिकार/पट्टा विलेख नहीं मिला है उसके बारे में जानकारी दें।

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां:

नीचे जिनका उल्लेख है उन्हें छोड़कर कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर स्पष्ट पट्टा विलेख है :

(i) 40565.78 एकड़ पर कंपनी का आधिपत्य/कब्जा है, जिसके पट्टा विलेख का पंजीकरण होना बाकी है।

(ii) 118.08 एकड़ भूमि है जिसके स्वत्वाधिकार को लेकर विवाद जारी है।

(iii) 5786.11 एकड़ हस्तानांतरित/हस्तानांतरण के लिए समझौता या अलग अलग साझा उपक्रम/केंद्रीय/राज्य/अर्ध सरकारी अधिकारियों के समायोजन के लिए उपलब्ध है – जिसके परिवहन दस्तावेज को लागू/पंजीकरण कराना बाकी है।

(iv) 3966.86 एकड़ अलग अलग एजेंसियों/कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को पट्टे पर दिया गया है।

(v) अनाधिकृत कब्जे के तहत 2533.40 एकड़ भूमि है।

(vi) 832.83 एकड़ भूमि जिस पर वास्तविक कब्जा नहीं है लेकिन उस पर अनुमानित आधिपत्य दिखाया गया है।

नीचे जिनका उल्लेख है उन्हें छोड़कर पट्टे पर ली गई भूमि जिस पर कंपनी का स्पष्ट पट्टा विलेख है:

(i) 20772.11 एकड़ कंपनी के स्वामित्व/अधीन है जिसके स्वत्वाधिकार का पंजीकरण अभी लंबित है।

(ii) 2647.79 एकड़ जिसके स्वत्वाधिकार को लेकर विवाद है

(iii) 1162.97 एकड़ हस्तानांतरित/हस्तानांतरण के लिए जिस पर सहमति बनी या फिर अलग अलग साझा/केंद्रीय/राज्य/अर्ध सरकारी अधिकारियों के लिए उपलब्ध है और जिसके लिए संपत्ति हस्तांतरतिकरण दस्तावेज पंजीकृत होने बाकी हैं।

(iv) 667.09 एकड़ भूमि पट्टे पर अलग अलग एजेंसियों/कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को दी गई है।

(v) 526.79 एकड़ भूमि अनाधिकृत कब्जे में है।

(vi) 938.06 एकड़ भूमि जिस पर वास्तविक कब्जा नहीं है उन्हें अनुमानित कब्जे के तौर पर दिखाया गया है।

प्रबंधन का जवाब: लंबित स्वत्वाधिकार विलेख के पंजीकरण और भूमि पर अनाधिकृत कब्जा को हटाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है।

2. सवाल: *कृपया अगर कोई अधित्याग का मामला हो/कर्ज/ऋण/ब्याज माफी हो तो उसके बारे में बताएं, अगर हां, तो उसके कारण और रकम जो इसमें सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां:

निरस्तीकरण को हर मामले के आधार पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद अंजाम दिया जाता है। अधित्याग/निरस्तीकरण /कर्ज/ऋण/ब्याज माफी का विवरण नीचे कारण सहित दिया जा रहा है:

क्र. सं.	प्लांट	देनदारियों की प्रकृति	रकम सम्मिलित (₹ करोड़ में)	अधित्याग/निरस्तीकरण की मुख्य वजह
1	आईएसपी	कर्जदारों का अधित्याग	0.18	गैर वसूली योग्य
2	आरएसपी	गैर हकदार मरीजों के अस्पतालों के बकाया का अधित्याग	0.08	गरीब मरीज
3	आरएसपी	ओएसईबी/जीआरआईडीसीओ के पुराने बकायों का निरस्तीकरण	0.01	1990 से अब तक बकाया जिसकी वसूली मुमकिन नहीं
4	सीएमओ	कर्जदारों का अधित्याग	0.04	गैर वसूली योग्य

3. सवाल: चाहे थर्ड पार्टी के पास जो स्टॉक हैं उनसे संबंधित उचित रिकॉर्ड रखे गए हैं और सरकार एवं दूसरे अधिकारियों से जो संपत्ति गिफ्ट के तौर पर प्राप्त की गई है

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां:

कंपनी ने थर्ड पार्टी के पास जो स्टॉक उपलब्ध हैं उनका उचित रिकॉर्ड रखा है।

सरकार और दूसरे अधिकारियों से वर्ष के दौरान कोई संपत्ति गिफ्ट के तौर पर नहीं प्राप्त किया गया है।

बी. कंपनी एक्ट 2013 के 143 (5) के तहत उप दिशा

	सवाल	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन का जवाब
1.	संघटकों और स्थिर परिसंपत्तियों के इस्तेमाल योग्य अवधि की समीक्षा और क्या समीक्षा कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत किया गया है? साथ ही क्या परिसंपत्तियों के इस्तेमाल की योग्य अवधि को औद्योगिक अभ्यास के तहत अलग तौर पर लिया गया है और क्या इसमें मान्य प्रक्रियाओं को माना गया है ? क्या सभी स्टील प्लांट में इसे बराबरी से लागू किया गया है?	वर्ष के दौरान कंपनी ने फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एवं मशीनरी, जल आपूर्ति एवं सिवरेज, रेलवे लाइन और साइडिंग को संघटित किया है। संघटन की समीक्षा और संघटकों के इस्तेमाल की अवधि का निर्धारण एम/एस. मेकॉन लिमिटेड की विशेषज्ञ तकनीकी सलाह के आधार पर किया गया है। उपरोक्त के अलावा अन्य, परिसंपत्तियों की अवधि को कंपनी एक्ट 2013 की सूची II के तहत उनके जीवन के प्रति सम्मिलित किया गया है। अपकर्ष स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए प्रदर्शित किया गया है ये मानते हुए कि प्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की लागत के 5 फीसदी अवशिष्ट मूल्य है। हम ये राय रखते हैं कि जैसा उपर वर्णित किया गया है अलग अलग इस्तेमाल की अवधि को मानने के पीछे पर्याप्त आधार है, और यह कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के मुताबिक है। और इसे लगातार लागू किया जा रहा है।	
2.	प्रबंधन द्वारा स्वीकृत वेतन में प्रतिशत बढ़ोतरी का परीक्षण करना ताकि कर्मचारी सुविधाओं और ग्रैच्युटी के बदले बीमांकिक दायित्वों का परिकलन हो सके और क्या ये उचित है और क्या कंपनी को मिलने वाले आंकड़ो का स्रोत सही, पूर्ण और मान्य है।	वित्तीय पूर्वानुमान बाजार की अपेक्षाओं – जो कि बैलेंस शीट की तारीख पर उस अवधि के लिए जिस अवधि के लिए देनदारियों का निपटारा हो सके – पर आधारित होना चाहिए। इसलिए वित्तीय पूर्वानुमान जैसे वेतन बढ़ोतरी दर को भविष्य में दीर्घ कालिक मुद्रास्फीति दर के साथ सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के बाद से मुद्रास्फीति की दर कम पड़ने लगी है। जैसा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने रिपोर्ट किया है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर नवंबर 2013 में 11.16% था जो जुलाई 2015 में घटकर 3.69% हो गया है। मार्च 2016 में यह 4.83% था। इसके साथ ही आरबीआई गर्वनर ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि वर्ष 2016–17 के अंत तक मुद्रास्फीति की दर अनुमाति 5 फीसदी रह सकती है। इसके साथ ही सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय में भी गिरावट आई है, जो मुद्रास्फीति के कम रहने की ओर इशारा करती है। हालांकि इसका नतीजा वेतन में कम बढ़ोतरी हो सकता है। हालांकि वेतन में बढ़ोतरी संस्थान के आर्थिक और वित्तीय प्रदर्शन पर निर्भर होता है। हमारी राय में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्लांट द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं वो सही, पूर्ण और मान्य हैं।	
3.	कच्चे माल (लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट) की लागत का परीक्षण। जिसे स्टील प्लांट के पास रखे कारपेट/ बेड स्टॉक के नाम से जाना जाता है।	ग्राउंड लेवल के ऊपर लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और कोयला के प्रत्यक्ष वास्तविक स्टाक का कंपनी ने मूल्यांकन किया और इसे कच्चे माल के स्टाक में शामिल कर लिया।	

बी.एन. मिश्रा एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 321095 ई
हस्ता./–
[बी.एन. मिश्रा] ,
साझेदार
(एम नं. 083927)

शर्मा गोयल एंड कंपनी एलएलपी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर : 000643 एन
हस्ता./–
[अमर मित्तल]
साझेदार
(एम नं. 017755)

सिंघी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 302049 ई
हस्ता./–
[श्रेणिक मेहता]
साझेदार
(एम नं. .063769)

चटर्जी एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीयन संख्या : 0302114 ई
हस्ता./–
[एस. के. चटर्जी]
साझेदार
(एम नं. .003124)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30 मई, 2016

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता./–
(पी के सिंह)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 11 अगस्त 2016

(निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग की निर्धारित रूपरेखा के अनुसरण में 31, मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत लेखा परीक्षा के निर्धारित मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। बताया गया है कि उन्होंने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 30 मई, 2016 के जरिए यह किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा संचालित की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से संचालित की गई है तथा मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा लेखांकन के कुछ रिकार्डों की वरणनात्मक जांच तक सीमित हैं। अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं तथा जो मेरी राय में वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं:	
(क) लाभप्रदता पर टिप्पणियां **तुलन–पत्र** **(i) नोट 9: अन्य वर्तमान उत्तरदायित्व: ₹15805.26 करोड़** कंपनी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अन्य इस्पात निर्माताओं के साथ अप्रैल 2015 में इस्पात उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सोसायटी "भारतीय इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन" (एसआरटीएमआई) का संस्थापक सदस्य बनी। प्रतिभागी कंपनियों को 2013–14 के दौरान कच्चे इस्पात के अपने उत्पादन के ₹25 प्रति टन की दर से या ₹5 करोड़, जो भी अधिक था, प्रवेश शुल्क तथा वार्षिक आवर्ती व्यय के लिए अंशदान देना है। सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति ने (29 मार्च, 2016) को निर्णय लिया कि प्रवेश शुल्क के लिए पूर्ण अंशदान दे दिया जाए। यह एसआरटीएमआई के सदस्य सचिव से मांग के बाद किया गया। तथापि, कंपनी ने व्यय पर प्रभार के रूप में ₹33.95 करोड़ के प्रवेश शुल्क के अपने शेयर के लिए उत्तरदायित्व का सृजन नहीं किया। उत्तरदायित्वों तथा व्यय का प्रावधान न होना ₹33.95 करोड़ तक अन्य वर्तमान उत्तरदायित्वों एवं नुकसानों के कम उल्लेख में परिणत नहीं हुआ है।	29 मार्च 2016 को आयोजित एसआरटीएमआई के शासी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि सेल, आरआईएनएल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल द्वारा ₹5 करोड़ प्रत्येक तथा एनएमडीसी एवं मेकॉन द्वारा ₹1 करोड़ प्रत्येक के आरंभिक वित्तपोषण तथा सदस्यों द्वारा किए गए कुल अंशदान में समान राशि को इस्पात मंत्रालय द्वारा शुरू में कारपस मनी के रूप में रखा जाएगा। इसके अलावा, शासी बोर्ड ने अंशदान के भुगतान की तिथि के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। चूंकि यह राशि एमओयू में प्रवेश शुल्क के लिए प्रतिबद्धता मात्र है तथा माल एवं सेवाओं का कोई अंतःप्रवाह नहीं है, इसलिए इसे बहियों में तब लेखांकित किया जाएगा जब भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सदस्य सचिव (एसआरटीएमआई) से अंशदान के लिए अनुरोध करने वाला पत्र 14 मई, 2016 को भेजा गया।
(ii) नोट 11: मूर्त आस्तियां **गैर वर्तमान आस्तियां** **नोट 11क: मूर्त आस्तियां – ₹42716.20 करोड़** बीएसपी, भिलाई ने नंदिनी हवाई पट्टी की मरम्मत तथा फिर से गलीचा बिछाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ₹7.79 करोड़ का भुगतान किया। हवाई पट्टी की स्थिति को बहाल करने के लिए फिर से गलीचा बिछाने का काम किया गया तथा यह राजस्व व्यय के रूप में लेखांकित होना चाहिए। तथापि, कंपनी ने मरम्मत एवं अनुरक्षण के तहत व्यय को प्रभारित करने के बजाय इसे पूंजीकृत किया। यह अचल आस्तियों में ₹5.68 करोड़ के अधिक उल्लेख, ₹2.11 करोड़ के मूल्यह्रास तथा नुकसान के ₹5.68 करोड़ तक कम उल्लेख में परिणत हुआ है।	भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में नंदिनी हवाई पट्टी, जिसे, मूलतः 1963 में निर्मित किया गया था, का जीवनकाल पूरा हो गया था। नंदिनी हवाई पट्टी पर फिर से गलीचा बिछाने का कार्य एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को आउटसोर्स किया गया तथा इसे हवाई पट्टी के पुनर्निर्माण के रूप में माना गया। यह काम बहुत ही तकनीकी स्वरूप का है तथा इसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक है। पुनर्निर्माण से हवाई पट्टी को नया जीवन मिल गया है तथा बीएसपी, सेल को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ), भारत सरकार द्वारा संदेय प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में पिछले कुछ वर्षों में राजस्व की एक धारा अर्जित करने के लिए उपयुक्त बना दिया है। एनटीआरओ के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग ने यह भी पुष्टि की कि हवाई पट्टी पर फिर से गलीचा बिछाने का जीवनकाल 10 साल होगा। चूंकि व्यय आस्ति को अस्तित्व में लाने या स्थायी स्वरूप के लाभ को ध्यान में रखते हुए व्यय किया गया है, जिसके लाभ अनेक भावी लेखांकन अवधियों में उत्पन्न होने की उम्मीद है, इसलिए व्यय को सही ढंग से पूंजी व्यय के रूप में लिया गया है और इसलिए अचल आस्तियों का कोई अधिक उल्लेख एवं मूल्यह्रास तथा नुकसान का कम उल्लेख नहीं है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
(iii) नोट 14: दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम: ₹4958.44 करोड़ कंपनी ने दल्ली–रजहरा और रोघाट के बीच रेल लिंक के निर्माण के लिए भारतीय रेल को ₹270.34 करोड़ के प्रत्यर्पणीय अंशदान का भुगतान किया। रेल मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार, सेल के बीच किए गए समझौता ज्ञापन की शर्तों में यह परिकल्पित था कि भारतीय रेल प्रत्येक वर्ष के अंत में सेल के अंशदान के उन्मोचन के लिए कुल अंशदान पर 37 वर्ष के लिए सेल को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष (इसमें मूलधन एवं ब्याज शामिल है) की दर से नकद भुगतान करेगी। ब्याज का भुगतान परियोजना के पहले चरण जिसमें 95 किलोमीटर शामिल हैं, के संस्थापन के बाद पहले वर्ष से आरंभ होगा, बशर्ते सेल रोघाट एवं दल्ली रजहरा के बीच प्रचालन के पहले वर्ष से प्रतिवर्ष न्यूनतम 4 मिलियन टन और तीसरे वर्ष से 9 मिलियन टन लौह अयस्क के यातायात का सुनिश्चय करे। परियोजना के चरण 1 का कार्य अभी भी चल रहा है तथा लाइन पर यातायात की कोई आवाजाही नहीं हुई। इस प्रकार, कोई ब्याज आय अर्जित नहीं हुई है क्योंकि समझौता ज्ञापन में उल्लिखित मीलपत्थर प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि कंपनी के भिलाई संयंत्र ने ₹44.02 करोड़ की ब्याज आय को भारतीय रेल से प्राप्य ब्याज के रूप में मान्यता दी। यह दीर्घावधिक ऋणों एवं अग्रिमों के अधिक उल्लेख तथा नुकसानों के ₹44.02 करोड़ तक कम उल्लेख में परिणत हुआ है।	'राजस्व मान्यता' पर लेखांकन मानक 9 के अनुसार, राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब मापेयता एवं संग्रहणीयता को लेकर कोई उल्लेखनीय अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है तथा ब्याज से आय की गणना बकाया राशि पर समय–अनुपात आधार पर करने की जरूरत होती है। चूंकि रेलवे को भुगतान किए गए मूलधन की वसूली की जाएगी इसलिए उस पर ब्याज की संग्रहणीयता भी पक्की है। इस प्रकार, दीर्घावधिक ऋणों एवं अग्रिमों का कोई अधिक उल्लेख तथा नुकसान का कम उल्लेख नहीं है।
(ख) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां **नोट संख्या 5: अन्य दीर्घावधिक उत्तरदायित्व: ₹1289.98 करोड़** 2013–14 से 2015–16 की अवधि के लिए संयुक्त संयंत्र समिति, इस्पात मंत्रालय के अधीन इस्पात विकास निधि को संदेय कुल ₹88 करोड़ की वार्षिक नकद प्रतिबद्धता के एरियर वर्तमान उत्तरदायित्व हैं परंतु कंपनी ने इसे दीर्घावधिक उत्तरदायित्व के रूप में वर्गीकृत किया। यह अन्य दीर्घावधिक उत्तरदायित्वों के अधिक उल्लेख तथा अन्य वर्तमान उत्तरदायित्वों के ₹88 करोड़ तक कम उल्लेख में परिणत हुआ है।	31.3.2016 तक की स्थिति के अनुसार इस्पात विकास निधि से ऋण पर ₹707.92 करोड़ के अर्जित किंतु अदेय ब्याज को शीर्ष ''अन्य दीर्घावधिक उत्तरदायित्व'' के तहत शामिल किया गया है। इस राशि में 2013–14 से 2015–16 तक सेल द्वारा विवादित ₹88 करोड़ की मांग राशि शामिल है। चूंकि कंपनी द्वारा संदेय राशि की मात्रा के संबंध में निर्णय के लिए मामला जेपीसी के समक्ष लंबित है और उत्तरदायित्व को उस समय वर्तमान उत्तरदायित्व के रूप में वर्गीकृत करना होता है जब रिपोर्ट करने की तिथि के बाद 12 माह के अंदर इसका निस्तारण किया जाना होता है, इसलिए ₹88 करोड़ की नकद प्रतिबद्धता की राशि को सही ढंग से ''अन्य दीर्घावधिक उत्तरदायित्व'' के तहत शामिल किया गया है।
(ग) प्रकटन पर टिप्पणियां **वित्तीय विवरणों पर अन्य नोट** (क) कंपनी ने ब्याज के साथ 26.11.2008 से 4.10.2009 की अवधि के लिए प्रभावी संशोधित भत्तों के एरियर के भुगतान के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कलकत्ता पीठ के निर्णय से उत्पन्न उत्तरदायित्व का खुलासा नहीं किया है, जिसे अपने वित्तीय विवरणों में कंपनी द्वारा अभिस्वीकृत नहीं किया गया।	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), कोलकाता ने अपने निर्णय में यह निदेश दिया है कि संबंधित इस्पात मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.2008 के जारी होने की तिथि से संशोधित अनुलाभों एवं भत्तों के एरियर के भुगतान के पहलू पर विचार करेगा तथा याचिकाकर्ता के सदस्यों तथा समान रूप से स्थित सभी सदस्यों को संशोधित अनुलाभों एवं भत्तों के भुगतान का उपयुक्त निर्णय लेगा। इस्पात मंत्रालय ने इस संबंध में कोई और निदेश जारी नहीं किया है। इसलिए कंपनी ने अनुलाभों एवं भत्तों के एरियर के लिए किसी उत्तरदायित्व का प्रावधान/खुलासा नहीं किया है।
नोट संख्या 29.1: आकस्मिक उत्तरदायित्व (ख) उपर्युक्त में गुल्ला विनिर्माता द्वारा दावाकृत ₹139.65 करोड़ शामिल नहीं हैं परंतु कंपनी के बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।	गुल्ला आपूर्तिकर्ता के साथ क्रय आदेश में यह प्रावधान है कि कंपनी आर्डर को निलंबित करने/समाप्त करने/लघु बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखती है यदि किसी आपूर्तिकर्ता के निष्पादन को संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तथा आपूर्तिकर्ता ऐसे निलंबन/निरसन/समाप्ति/लघु बंदी के कारण किसी नुकसान या क्षति का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा। इसलिए इस मामले में पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान/संभावित बाध्यता नहीं है तथा आकस्मिक उत्तरदायित्व के किसी प्रकटन की अपेक्षा नहीं है।
कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से हस्ता./– (सुशील कुमार जायसवाल) वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, रांची स्थान : रांची तिथि : 27 जुलाई, 2016	कृते और निदेशक मंडल की ओर से हस्ता./– (पी के सिंह) अध्यक्ष स्थान : नई दिल्ली तिथि : 11 अगस्त, 2016

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–III

सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

फार्म सं. एमआर–3
{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में}

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

मैंने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें आगे 'सेल'/कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू होने वाली सांविधिक उपबंधों के अनुपालन और उत्तगम निगमित पद्धतियों का पालन करने की सचिवालयीय लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीय लेखापरीक्षा एक ऐसे तरीके से की गई थी, जो निगमित कार्य संचालनों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराता है।

सेल की लेखा–बहियों, कागज–पत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों और दाखिल की गई विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के तथा सचिवालय लेखापरीक्षा करने के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के भी मेरे सत्यापन के आधार पर मैं एतदद्वारा सूचित करता हूं कि मेरी राय में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय अवधि को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने, इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक उपबंधों का अनुपालन किया है और यह भी सूचित करता हूं कि कंपनी के पास, इसमें आगे दी गई सीमा तक, तरीके से और की गई रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन बोर्ड की उचित प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद है।

मैंने, निम्न लिखित के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की, सेल द्वारा रखी गई लेखा–बहियों, कागज–पत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकाओं, फार्मों और दाखिल की गई विवरणियों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली तथा उप–नियम;

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यंक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत विनिर्धारित निम्नलिखित विनियमावलियां और दिशानिर्देशः

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर्स) विनियमावली, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यायपारीकरण का निषेध) नियमावली, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) नियमावली, 2008;

(घ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यावहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम का रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) नियमावली,1993;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और विगोपन शर्तें) नियमावली, 2009;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) नियमावली, 2009; और

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लेना) नियमावली, 1998;

(vi) कंपनी पर लागू निम्नलिखित विशिष्ट कानूनों (जो उद्योग पर लागू होते हैं) के अंतर्गत अनुपालनों और प्रक्रियाओं/प्रणालियों का सत्यापन, कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए आवधिक प्रमाणपत्रों के आधार पर किया जा रहा है:

(क) खान अधिनियम, 1952;

(ख) खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957;

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948;

(घ) विस्फोटक अधिनियम, 1884

मैंने निम्नलिखित के लागू होने वाले खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयीय मानक – 01 जुलाई, 2015 से लागू – सामान्यतः अनुपालन किया गया।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीकरण करार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं विगोपन शर्तें) नियमावली, 2015;

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों की शर्त के अधीन, ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमावलियों, विनियमावलियों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के उपबंधों का पालन किया है:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकारण दायित्व एवं विगोपन शर्तें) विनियमावली, 2015 का विनियम 17(1) [तत्कालीन सूचीकरण करार का खंड 49(ii)(क) और (ख)] और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग का खंड 3.1.4, जिसमें कंपनी के निदेशक मंडल के गठन का उपबंध दिया गया है।

मैं यह भी सूचित करता हूं कि स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव में, कंपनी ने लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं विगोपन शर्तें) नियमावली के अनुसार गठित किए जाने वाले निदेशक मंडल के गठन से संबंधित शर्तों का अनुपालन किया है।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, भारत सरकार द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर कंपनी द्वारा की जाती है। कंपनी ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के नामांकन हेतु इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है।

मैं यह भी सूचित करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति के लिए यह आवश्यक था कि प्रत्येक निदेशक के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(8) के अनुसरण में सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) तथा स्वतंत्र निदेशकों की संहिता में यह अपेक्षा की गई है कि उन्हेंने निरंतर बनाए रखने या अन्यथा पर निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र निदेशकों की कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए। इसके अलावा, दिनांक 05 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के अंतर्गत कंपनी कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों से सरकारी कंपनियों को दी जाने वाली छूटें अधिसूचित की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह उपबंध किया गया है कि नियुक्ति, कार्य–निष्पांदन मूल्याकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की उप–धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनी के निदेशकों पर लागू नहीं होगी। सेल के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशकों और अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले नामांकन के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, सभी निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और कार्यकाल भी भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है और कार्यात्मक निदेशकों तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन की एक सुविनिर्धारित प्रक्रिया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त अनुरोध और प्रतिवेदनों पर लोक उद्यम विभाग ने भी आर्थिक कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को पत्र लिखा है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को उपलब्ध कराई गई छूटों के आधार पर सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप बनाएं।

आमतौर पर, बोर्ड की बैठकें करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है और कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम 7 दिन पहले भेजी गई हैं और पूर्णकालिक निदेशकों से बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर आगे सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने की एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक (बैठकों) में लिए गए सभी निर्णय, बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए थे और असहमति, यदि कोई थी, को कार्यवृत्त में शामिल किया गया है।

मैं यह भी सूचित करता हूं कि कंपनी में, लागू होने वाले कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन मॉनीटर तथा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

मैं यह भी सूचित करता हूं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कोई ऐसी विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां नहीं हैं, जिनका संबंध ऊपर उल्लिखित कानूनों के अनुसरण में कंपनी के कारोबार से हो।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह./–
सचिन अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस सं. 5774
सी.पी. सं. 5910

स्थान : नई दिल्ली,
दिनांक : 01 जुलाई, 2016

यह रिपोर्ट, हमारे समतिथि के पत्र के साथ पढ़ी जाएगी, जो अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

हमारी समतिथि की रिपोर्ट, इस पत्र के साथ पढ़ी जाएगी

1. सचिवालयीय रिकार्ड का रखरखाव, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीय रिकार्डों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने, लेखापरीक्षा की उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवालयीय रिकार्ड की विषय–वस्तु की परिशुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। नमूना आधार पर सत्यापन, यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सचिवालयीय रिकार्डों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा–बहियों की परिशुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिवेदन प्राप्त किया है।
5. कॉरपोरेट के उपबंधों और लागू होने वाले अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, नमूना आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में और न ही उस प्रभावोत्पदिकता या प्रभावीपन का कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कारोबार का संचालन किया है।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह./–
सचिन अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस सं. 5774
सी.पी. सं. 5910

स्थान : नई दिल्ली,
दिनांक : 01 जुलाई, 2016

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

(क) कंपनी का दर्शन

कारपोरेट गवर्नेंस के सम्बन्ध में कंपनी का सिद्धांत पारदर्शिता, खुलासे और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए है जो कानूनों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के साथ पूरी तरह से अनुरूप होता है, और एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक होने के साथ–साथ शेयर धारकों के मूल्य को बढाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पूरे संगठन में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है। कंपनी देश में कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह इस बात की मान्यता प्रदान करता है कि बोर्ड सभी शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह है और यह कि कंपनी के हितों की सुरक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना बोर्ड के प्रत्येक सदस्य/सदस्या का पहला कर्तव्य है।

(ख) निदेशक मंडल

31 मार्च, 2016 को निदेशक मंडल में (6 स्वतंत्र निदेशकों सहित) एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष, 6 पूर्ण कालिक निदेशक (यानी कार्यकारी निदेशक) और 8 गैर–कार्यकारी निदेशक (गैर–ईडी) शामिल थे। वर्ष के दौरान 08.04.2015, 19.05.2015, 29.05.2015, 03.07.2015, 14.08.2015, 24.09.2015, 06.11.2015, 19.11.2015, 08.12.2015, 12.01.2016, 09.02.2016 और 22.03.2016 को बोर्ड की 12 बैठकें आयोजित की गईं।

2015–16 के दौरान आयोजित की गई बोर्ड की बैठकों में शामिल निदेशकों के नाम उनकी उपस्थिति के अलावा भी उनके द्वारा आयोजित की गई पिछली आम वार्षिक बैठक और उनमें से प्रत्येक द्वारा आयोजित अन्य डाइरेक्टरशिप की संख्या, इस प्रकार हैं:

निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थिति	विगत वर्ष आम बैठक में उपस्थिति	31.3.2016 तक अन्य निदेशक मंडलों में निदेशक का पद*	31.3.2016 तक निदेशक मंडल की कितनी समिति(यों) के अध्यक्ष/सदस्य रहे**
1. श्री सी.एस. वर्मा (10.06.2015 तक)	कार्यकारी अध्यक्ष	3	–	1	–
2. श्री राकेश सिंह (11.06.2015 से 30.09.2015 तक)	कार्यकारी अध्यक्ष (सरकार द्वारा नामित)	3	हाँ	1	–
3. डॉ. अनूप के. पुजारी (01.10.2015 से10.12.2015 तक)	कार्यकारी अध्यक्ष (सरकार द्वारा नामित)	3	–	1	–
4. श्री पी.के. सिंह (10.12.2015 से)	कार्यकारी अध्यक्ष	3	–	1	–
5. श्री अनिल कुमार चौधरी	कार्यकारी निदेशक	12	हाँ	1	1–एम
6. श्री एस. एस. मोहंती	कार्यकारी निदेशक	12	हाँ	5	1–एम
7. श्री टी.एस. सुरेश (31.05.2015 तक)	कार्यकारी निदेशक	3	–	1	–
8. श्री कल्याण माइति	कार्यकारी निदेशक	12	हाँ	–	–
9. डॉ. आत्मानन्द	स्वतंत्र निदेशक	10	हाँ	–	1–सी
10. श्री ज.मो. माउसकर	स्वतंत्र निदेशक	11	हाँ	–	1–एम
11. श्री बिनोद कुमार	कार्यकारी निदेशक	11	हाँ	–	–
12. श्री सुनील बर्थवाल	गैर – कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)	10	–	2	–
13. श्रीमती भारती एस. सिहाग	गैर – कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)	10	–	4	–
14. श्री पी.के. दाश (18.11.2015 से)	स्वतंत्र निदेशक	5	–	1	1–एम
15. प्रो. अशोक गुप्ता (18.11.2015 से)	स्वतंत्र निदेशक	4	–	–	–
16. श्री प्रमोद बिंदल (18.11.2015 से)	स्वतंत्र निदेशक	5	–	–	1–सी 1–एम
17. श्रीमती अंशु वैश्य (18.11.2015 से)	स्वतंत्र निदेशक	4	–	–	–
18. डॉ. एन. महापात्रा (27.11.2015 से)	कार्यकारी निदेशक	4	–	–	1–एम
19. श्री जी. विश्वकर्मा (31.12.2015 से)	कार्यकारी निदेशक	3	–	–	–

*निजी कंपनियों के निदेशक शामिल हैं।

**इस उद्देश्य के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारकों संबंधी समिति पर विचार किया जाता है।

एम = सदस्य, सी = अध्यक्ष

(ग) लेखा परीक्षा समिति:

1. संदर्भ की शर्तें:

लेखा परीक्षा समिति का प्राथमिक कार्य वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करके निदेशक मंडल को इसकी निगरानी की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करना है, वित्त, लेखा और कानूनी अनुपालन जिसे प्रबंधन तथा बोर्ड ने स्थापित किया है, के सम्बन्ध में कंपनी की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली और कंपनी की लेखा परीक्षा, लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग की आमतौर पर प्रक्रिया करती है।

लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठक करती है, उनके निष्कर्षों, सुझावों और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है और कंपनी द्वारा पालन किये जाने वाली प्रमुख लेखा नीतियों की समीक्षा करती है। त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले लेखा परीक्षा समिति प्रबंधन के साथ उसकी समीक्षा करती है।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का मिनट बोर्ड को सर्कुलेट किया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है, तथा टिप्पणी लिया जाता हैं।

2. **संघटनः**

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को आरम्भ में 1998 में गठन किया गया था और समय – समय पर पुनर्गठन किया गया है। 31.03.2016 को लेखापरीक्षा समिति में डॉ. आत्मानन्द (अध्यक्ष), श्री जे.एम. माउसकर, श्री पी.के. दाश, श्री प्रमोद बिन्दल और श्री एस. एस. मोहंती शामिल थे।

पिछले वर्ष के दौरान समिति की 14 बैठकें हुईं और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई हैः

निदेशक का नाम	पद	भाग ली गई बैठकों की संख्या
डॉ. आत्मानन्द स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	13
श्री ज. मो. माउसकर स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	14
श्री एस. एस. मोहंती, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	14
श्री पी. के. दाश स्वतंत्र निदेशक (15.12.2015 से सदस्य)	सदस्य	3
श्री प्रमोद बिन्दल, स्वतंत्र निदेशक (15.12.2015 से सदस्य)	सदस्य	3

(घ) **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति**

i) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निर्देशक के रूप में नियुक्ति के लिए नियमों और शर्तों का नामांकन और निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि, नामांकन एवं पारिश्रमिक के लिए कंपनी ने, अन्य बातों के साथ विभिन्न मानव संसाधन मुद्दों को देखने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 में और सेबी विनियमों के तहत निर्धारित किये गए मामलों, केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों आदि के लिए कारपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यमों के दिशानिर्देशों के विभाग के सन्दर्भ में कंपनी के कार्यकारियों के लिए प्रदर्शन से संबंधित भुगतान (पीआरपी) को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2016 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में श्री जे. मो. माउसकर (अध्यक्ष), सेल के वरिष्ठ सदस्य के रूप में श्री पी. के. सिंह, अध्यक्ष, और सरकार द्वारा नामित श्री सुनील बर्थवाल, निदेशक, डॉ. आत्मानन्द, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में प्रो. अशोक गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किये गए थे।

ii) पूर्ण कालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया हैः

(₹)

निर्देशक का नाम	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार वेतन	सेवानिवृत्ति एवं अन्य लाभ	योग
श्री सी.एस. वर्मा (10.06.2015 तक)	1012495	–	1012495
श्री पी.के. सिंह (10.12.2015 से)	1022814	247378	1270192
श्री अनिल कुमार चौधरी	3189559	215277	3404836
श्री एस. एस. मोहंती	3248564	327792	3576356
श्री टी. एस. सुरेश (31.05.2015 तक)	614065	–	614065
श्री कल्याण माइति	2880858	130954	3011812
श्री बिनोद कुमार	2739507	242532	2982039
डॉ. एन. महापात्रा (27.11.2015 से)	955154	76656	1031810
श्री जी. विश्वकर्मा (31.12.2015 से)	590274	48094	638368
योग	**16253290**	**1288683**	**17541973**

iii) गैर–कार्यपालक निदेशको (सरकारी नामिती निदेशकों के अलावा) को उनके द्वारा प्रत्येक बोर्ड/उपसमिति में भाग लेने पर केवल सम्मिलित होने पर शुल्क के रूप में ₹ 20,000 का भुगतान किया जाता है।

iv) पूर्ण कालिक निदेशकों का वेतन सरकारी नियमों एवं वेतनमानों द्वारा नियंत्रित होता है। वार्षिक आधार पर प्रति डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशकों को उनके प्रदर्शन से संबंधित किये जाने वाले भुगतान के अतिरिक्त कोई अन्य पर प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया जाता है।

v) **नियम एवं शर्तें**

पूर्ण कालिक निदेशकों को पांच वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की उम्र होने या आगे आदेश आने तक, जो भी पहले हो तब तक के लिए भारत सरकार द्वारा निर्देशक के रूप में नियुक्ति के लिए नामित किया जाता है। उनको शुरू में निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में और, उसके बाद कंपनी अधिनियम के प्रावधानों 1956/2013 द्वारा वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा नियुक्त किया जाता हैं।

हालांकि, किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने की नोटिस या उसके बदले में तीन महीने के वेतन का भुगतान करके नियुक्ति को निलंबित किया जा सकता है।

(ङ) **हितधारकों से सम्बंधित समिति**

(i) एक स्वतंत्र निदेशक नामतः श्री प्रमोद बिन्दल की अध्यक्षता में शेयर धारकों के संबंधों की समिति, और दो पूर्ण कालिक निदेशकों, यानी एक सदस्य के रूप में निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक), शेयरों के स्थानान्तरण, बैलेंस शीट के प्राप्त न होने, घोषित लाभांश के न प्राप्त होने आदि से सम्बंधित कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों पर काम करने और उसे हल करने पर विचार कर रहा है।

(ii) अनुपालन अधिकारी का नामः श्री एम. सी. जैन, कंपनी सचिव।

(iii) 31.03.2015 तक निवारण के लिए 2 शिकायतें लंबित थीं। 01.04.2015 से 31.03.2016 वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या 22 थी। 31.03.2016 तक सभी 24 शिकायतों को हल कर दिया गया था और निवारण के लिए कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

(च) **जोखिम प्रबंधन समितिः** कंपनी ने सेल जोखिम प्रबंधन समिति (एसआरएमसी) का गठन किया है और कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी समिति के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जोखिमों से निपटने के लिए कंपनी ने एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का गठन किया है जिसका यह अपने दिन प्रतिदिन के संचालन में सामना करती है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी व्यापक है और एक गतिशील व्यावसायिक माहौल में तेजी से जोखिम अपडेशन को संसाधित करता है। नीति के गठन से सम्बंधित मुद्दों को संबोधित करने के साथ–साथ रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन के मूल्यांकन द्वारा उसकी सतत प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एसआरएमसी सेल में रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन की चौकसी करती है।

(छ) **कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (स्थिरता के विकास सहित) समितिः** शेयरधारकों के व्यापार को एक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप में टिकाऊ तरीके से संचालन करने के लिए कारपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी कंपनी की प्रतिबद्धता है, जिसके द्वारा अपनी गतिविधियों के प्रभाव के लिए दायित्व लेकर संगठन समाज के हितों की सेवा करता है। कंपनी के निदेशक मंडल ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया है और कंपनी के कारपोरेट सामाजिक दायित्व की नीति का अनुमोदन भी किया है। यह नीति कंपनी की वेबसाईट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

(ज) उपरोक्त के अलावा, कंपनी के द्वारा निम्नलिखित मंडल उप–समितियों का गठन किया गया है ताकि निदेशकों के बोर्ड द्वारा उस पर विचार करने से पहले समस्याओं का विस्तार से परीक्षण करनाः

- पूंजी योजनाओं का मूल्यांकन – पूंजी योजनाओं के सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन और सिफारिश करने के लिए, बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- रणनीतिक गठबंधन(नों) एवं संयुक्त उपक्रम – कंपनी के रणनीतिक गठबंधन (नों) और संयुक्त उपक्रमों से सम्बंधित समस्याओं की जांच के लिए बोर्ड से सिफारिश करना।
- परियोजना की निगरानी समिति – प्रमुख पूंजी परियोजनाओं के साथ ही साथ अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन से सम्बंधित मामलों में बोर्ड से निगरानी और सिफारिश करना।
- समझौता ज्ञापन समिति – सरकार के साथ हस्ताक्षर किये जाने वाले

वार्षिक समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित होने की सिफारिश करना और समझौता ज्ञापन के तहत अंतिम रूप दिए गए लक्ष्यों के खिलाफ कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।

- स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण – स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण के मामलों पर नीति, प्रक्रियाओं, प्रणालियों आदि की समीक्षा करना और मंडल को अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करना।
- प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और उत्पाद संवर्धन – एक प्रौद्योगिकी दृष्टि और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और उत्पाद संवर्धन से संबंधित मामलों की तैयारी।

(i) वर्ष के दौरान आयोजित की गई बोर्ड की विभिन्न बैठकें और उसमें भाग लेने वाले निदेशकों का विवरणः

बोर्ड उप–समिति	लेखापरीक्षा समिति	मूल्यांकन पूँजी एवं योजनाएं समिति	रणनीतिक गठबंधन (नों) एवं संयुक्त उपक्रम समिति	परियोजनाएँ निगरानी समिति	मानव संसाधन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	समझौता ज्ञापन समिति	स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण समिति	प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और उत्पाद संवर्धन समिति	हित–धारकों की संबंध–समिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
बैठकें आयोजित हुईं	14	2	4	5	8	2	2	3	1	1
निर्देशकों की उपस्थिति										
डॉ. आत्मानन्द	13	–	–	–	7	2	2	–	1	–
श्री जे. मो. माउसकर	14	2	4	5	8	–	1	3	1	–
श्री एस. एस. मोहंती	14	1	1	4	2	2	1	3	1	–
श्री अनिल कुमार चौधरी	–	2	4	5	5	2	2	–	–	1
श्री टी. एस. सुरेश	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–
श्री कल्याण माइति	–	–	–	4	–	–	–	3	–	–
श्री बिनोद कुमार	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
श्री सुनील बर्थवाल	–	2	3	4	8	–	2	–	1	–
श्री पी. के. सिंह	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
श्री पी. के. दाश	3	–	2	2	–	–	–	–	–	–
प्रो. अशोक गुप्ता	–	–	–	–	3	–	–	1	–	–
श्री प्रमोद बिंदल	3	–	2	–	–	–	1	–	–	1
सुश्री अंशु वैश्य	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–
डॉ. एन. महापात्रा	–	–	–	–	1	1	–	2	–	1
श्री जी. विश्वकर्मा	–	–	2	2	–	–	1	1	–	–

(ञ) उपरोक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ट) **सामान्य निकाय की बैठकें:**

स्थान और समय जहां पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें आयोजित की गईं:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2014–15	24.09.2015	प्रातः 10:30	एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001
2013–14	23.09.2014	प्रातः 10:30	एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001
2012–13	20.09.2013	प्रातः 10:30	एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001

i) पिछले 3 वर्षों में, वार्षिक आम बैठकों में तीन विशेष प्रस्तावों (2012–13–शून्य; 2013–14–2; 2014–15–1) को पारित किया गया और कोई भी डाक मतपत्र के माध्यम से नहीं पारित किया गया था।

ii) आगामी वार्षिक आम बैठक तक डाक मतपत्र के माध्यम से किसी विशेष समाधान का आयोजन करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ठ) **प्रकटीकरण:**

i) आर्थिक संबंधः कंपनी का प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों, रिश्तेदारों आदि के साथ भौतिक प्रकृति का कोई लेन–देन नहीं है, जिसका कंपनी के हितों के साथ बड़े पैमाने पर संभावित संघर्ष हो सकता है। बोर्ड/बोर्ड उपसमिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग शुल्क प्राप्त करने के अतिरिक्त गैर–कार्यकारी निदेशकों का वर्ष के दौरान कंपनी के सामने कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं था। गैर–कार्यकारी निदेशकों में से किसी के भी पास कंपनी का कोई भी शेयर/परिवर्तनीय साधन नहीं था।

ii) एक स्वतंत्र निदेशक का अधिकतम कार्यकाल : एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सेल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए नामांकन और नियम एवं शर्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

iii) स्वतंत्र निदेशकों के लिए नियुक्ति पत्रः एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सेल के निदेशक मंडल का नामांकन / नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा 4 स्वतंत्र निदेशकों को नामित किया गया। स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन/नियुक्ति करते समय भारत सरकार द्वारा उल्लेख किये गए नियमों एवं शर्तों के आधार पर इन स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति–पत्र जारी किए गए।

iv) स्वतंत्र निदेशक के लिए परिचय कार्यक्रमः स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर प्रवेषण सह परिचय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां उनके सामने कंपनी का एक समग्र दृष्टिकोण पेश किया जाता है जिसमे अन्य बातों के साथ–साथ संगठन के ढाँचे के विवरणों, संयंत्रों एवं इकाइयों, उत्पाद पोर्टफोलियो, वित्तीय एवं परिचालनीय प्रदर्शन, आधुनिकीकरण और विस्तार के कार्यक्रम, आदि शामिल होते हैं। संयंत्रों/इकाइयों के प्रत्यक्ष संचालन का ज्ञान हासिल करने के लिए कंपनी अपने विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों पर निदेशकों के दौरे का भी आयोजन करती है। इसके अलावा, निदेशकों को कारपोरेट गवर्नेंस से सम्बंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए डीपीई, एससीओपीई, आईओडी आदि जैसे विभिन्न संस्थानों द्वारा नामांकित किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण – कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

v) कंपनी के द्वारा गैर–अनुपालन के कोई उदाहरण नहीं थे, शेयर बाजारों या सेबी या किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी पर कोई दंड, आलोचनाएं नहीं की गई है।

vi) कंपनी द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सचेतक नीति को अपनाया गया है और यह किसी भी कर्मियों को किसी भी मुद्दे पर लेखा परीक्षा समिति / प्रबंधन तक पहुँचने से मना नहीं किया है। सचेतक नीति कंपनी–की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है। कंपनी ने व्यावसायिकता, ईमानदारी, निष्ठा और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को अपना कर एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एक निगरानी तंत्र का भी गठन किया है। कंपनी के सभी कर्मचारियों और कंपनी के बोर्ड के निदेशकों को इस व्यवस्था के तहत शामिल किया गया है। अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचरण संहिता के उल्लंघन के बारे में की सूचना देने के लिए इस व्यवस्था को कर्मचारियों के लिए स्थापित किया गया है। यह तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान करता है और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष अभिगम की अनुमति देता है। निगरानी तंत्र को कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर पोस्ट किया गया है।

vii) कंपनी ने सेबी (सूचीयन के दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकताओं) के विनियमों, 2015 का और वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी किए गए कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा–निर्देशों की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में कुछ कमी है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते सेल के बोर्ड में निर्देशकों की नियुक्ति भारत सरकार के नामांकन के आधार पर किया जाता है। सेल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नामांकन करने का मामला सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा, कंपनी ने सेबी (सूचीयन के दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकताओं) विनियम, 2015 की गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी तरह से नहीं अपनाया है।

viii) 31 मार्च, 2016 को कंपनी के बोर्ड में दो महिला निदेशक थीं।

ix) सेल में बोर्ड स्तर के और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन के लिए राष्ट्रपति के निर्देश स्टील मंत्रालय द्वारा फाइल सं. 7(12)/2008–सेल(पीसी) दिनांक 5 अक्टूबर, 2009 के द्वारा जारी किये गए थे। कंपनी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देश के साथ इसका पालन किया है।

x) जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 149 (7) के तहत आवश्यक है, स्वतंत्र निदेशकों ने स्वतंत्रता की घोषणा यह बताते हुए प्रस्तुत किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप–धारा (6) में प्रदान किये गए स्वतंत्रता के मानदंड को वे पूरा करते हैं।

xi) आचार संहिताः बोर्ड ने कंपनी के सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा अनुपालन करने की आवश्यकता को शामिल करते हुए एक आचार संहिता का गठन किया है। वार्षिक आधार पर उनसे अनुपालन की अभिपुष्टि के साथ कोड प्राप्त किया जाता है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाईट www.sail.co.in पर रखा गया है।

xii) संबंधित पक्षकार के लेनदेन पर नीतिः लिस्टिंग समझौते के संदर्भ में, कंपनी के निदेशक मंडल ने संबंधित पार्टी के लेनदेन की एक नीति अपनाया है। नीति को कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर रखा गया है।

xiii) सामग्री सहायक पर नीतिः सहायक सामग्री का निर्धारण करने के संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल ने एक नीति अपनाया है। नीति को कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर रखा गया है। 2015–16 के दौरान कंपनी के पास कोई भी सामग्री सहायक नहीं थी।

xiv) वित्तीय बयानों पर कंपनी के अध्यक्ष और निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, जो क्रमशः कंपनी के सीईओ और सीएफओ है।

xv) लाभांश वितरण के लिए कंपनी डीपीई के दिशानिर्देशों का पालन करती है।

(ड) संचार के साधनः

निम्नलिखित तिथियों पर आवश्यकता के अनुसार तिमाही परिणामों को प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया हैः

तिमाही समापन	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015	31.03.2016
प्रकाशन की तिथि	14.08.2015	06.11.2015	10.02.2016	31.05.2016(E) 01.06.2016(H)
प्रकाशन का नाम E-अंग्रेजी H-हिंदी	मिन्ट(E) हिन्दुस्तान(H)	बिजनेस लाइन(E) दैनिक भास्कर(H)	फाइनेंशियल एक्सप्रेस(E) जनसत्ता(H)	बिजनेस (E) स्टेंडर्ड दैनिक जागरन (H)

कंपनी की वेबसाइट (www.sail.co.in) पर तिमाही, वार्षिक परिणाम भी उपलब्ध कराए गए हैं। अपनी वेबसाइट पर कंपनी आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति भी प्रदर्शित करती है।

(ढ) जनरल शेयरधारकों की जानकारीः

i) 21 सितंबर, 2016 को एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में वार्षिक आम सभा आयोजित होना प्रस्तावित है।

ii) वित्तीय वर्षः 1 अप्रैल, 2015 – 31 मार्च, 2016।

iii) बुकिंग बंद करने की तिथिः 23 अगस्त, 2016 से 26 अगस्त, 2016 तक (दोनों दिन शामिल हैं)।

iv) कंपनी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैः

बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
फिरोज जीजीभाय टावर्स,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई–400001
(स्टॉक कोड सं. 500113)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,
प्लॉट नं सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू)
मुंबई – 400051
(कोडः सेल)

1996 में कंपनी द्वारा जारी किए गए जीडीआर को लंदन स्टॉक एक्स्चेंज, 10 पैटरनास्टर स्क्वायर, लंदन ईसी4एम 7एलएस, यू.के. में सूचीबद्ध हैं 2015–16 के लिए वार्षिक सूचीयन शुल्क प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज(जों) को भुगतान कर दिया गया है।

v) वर्ष 2015–16 के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर पिछले वित्तीय वर्ष में हर माह के दौरान कंपनी के शेयरों का मासिक उच्च और निम्न उद्धरण को नीचे दर्शाया गया हैं:

महीना और वर्ष	सेंसेक्स		बीएसई पर सेल (₹)		निफ्टी		एनएसई पर सेल (₹)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल ' 15	29094.61	26897.54	78.95	66.70	8844.80	8144.75	79.00	66.55
मई ' 15	28071.16	26423.99	73, 75	65.15	8489.50	7997.15	73.70	65.10
जून ' 15	27968.75	26307.07	67.20	59.15	8467.15	7940.40	67.30	59.05
जुलाई ' 15	28578.33	27416.39	65.30	55.90	8654.75	8351.55	65.35	56.00
अगस्त ' 15	28417.59	25298.42	62.00	47.10	8606.30	7667.25	62.10	47.10
सितम्बर' 15	26471.82	24833.54	55.05	46.20	8055.00	7539.50	55.15	46.25
अक्टूबर ' 15	27618.14	26168.71	58.20	50.40	8336.30	7930.65	58.15	50.50
नवम्बर ' 15	26824.30	25451.42	53.35	43.70	8116.10	7714.15	53.50	43.65
दिसम्बर ' 15	26256.42	24867.73	49.95	43.35	7979.30	7575.30	49.40	43.25
जनवरी ' 16	26197.27	23839.76	51.95	40.50	7972.55	7241.50	52.10	40.50
फरवरी' 16	25002.32	22494.61	43.50	33.50	7600.45	6825.80	43.45	33.50
मार्च' 16	25479.62	23133.18	45.40	35.10	7777.60	7035.10	45.45	35.10

vi) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट:

मेसर्स. एमएससी शेयर हस्तांतरण एजेंट्स लिमिटेड,
एफ–65, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
फेज–I, नई दिल्ली–110020
फोन नं.: 011–41406149

vii) शेयर अंतरण प्रणाली:

कंपनी के इक्विटी शेयरों को अनिवार्यतः निर्गम के रूप में कारोबार किया जा रहा है। सूचीयन करार के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शेयरों के बेहतर हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति की इस संबंध में नियमित अंतराल पर बैठक होती है।

viii) 31 मार्च, 2016 तक हिस्सेदारी का वितरण:

शेयरधारिता	शेयरधारक		राशि	
	की सं.	कुल का %	₹ में	कुल का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
500 तक	350609	88.41	439617730	1.06
501–1000	24308	6.13	196302810	0.47
1001–2000	11690	2.95	178210650	0.43
2001–3000	3887	0.98	99278820	0.24
3001–4000	1610	0.41	58122620	0.14
4001–5000	1300	0.33	61607450	0.15
5001–10000	1792	0.32	131404420	0.32
10001– 50000	1085	0.27	216042130	0.52
50001 – 100000	112	0.03	80745450	0.19
100000 से ऊपर	190	0.05	39843920810	96.46
योग	**396583**	**100.00**	**41305252890**	**100.00**

ix) 31 मार्च 2016 को शेयर होल्डिंग का पैटर्न

	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
क.	**प्रमोटरों की होल्डिंग**		
1	प्रोमोटर्स		
	– भारतीय प्रमोटरं अर्थात, भारत की सरकार	3097767449	75.00
	– विदेशी प्रमोटर्स	–	
2	सामूहिक रूप से कार्यरत व्यक्ति	–	
	उप–योग	**3097767449**	**75.00**
ख	**गैर प्रमोटरों की होल्डिंग**		
3	संस्थागत निवेशक		
क	म्युचुअल फंड और यूटीआई	32534871	0.79
ख	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं	144389233	3.50
ग	बीमा कंपनियां	471434879	11.41
घ	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	206229237	4.99
	उप–योग	**854588220**	**20.69**
4	**अन्य**		
क	निजी कारपोरेट निकाय	21869115	0.53
ख	भारतीय जनता	132645065	3.21
ग	अप्रवासी भारतीय/विदेशी कारपोरेट के निकायों	23522805	0.57
घ	कोई भी अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) – जीडीआर	132635	0.00
	उप–योग	**178169620**	**4.31**
	कुल योग	**4,13,05,25,289**	**100.00**

x) **31.03.2016 को डीमैटीरियलाइजेशन की स्थिति**

विवरण	शेयरों की संख्या	पूँजी का %	खातों की संख्या
एनएसडीएल	4072538443	98.60	238773
सीडीएसएल	51381905	1.24	107246
कुल डीमैट	**4123920348**	**99.84**	**346019**
भौतिक–भारत सरकार'	–	–	–
भौतिक – अन्य शेयरधारक	6604941	0.16	50564
योग	**4130525289**	**100.00**	**396583**

3.12.2010 को भारत सरकार के शेयरों को निर्गमित किया गया था।

xi) **कंपनी के संयंत्र / यूनिट / सहायक कंपनियां निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:**

इस्पात संयंत्र

- भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई–490001, छत्तीसगढ़
- दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर –713203, पश्चिम बंगाल
- राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला–769011, ओड़िशा
- बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी–827001, झारखंड
- आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र, बर्नपुर–713325, पश्चिम बंगाल
- एलॉय स्टील्स संयंत्र, दुर्गापुर –713208, पश्चिम बंगाल
- सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम–636013, तमिल नाडु
- विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र, भद्रावती–577031, कर्नाटक
- चंद्रपूर फेरो एलॉय संयंत्र, चंद्रपुर, महाराष्ट्र

इकाइयां

- केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन, धनबाद–828127, झारखंड
- केंद्रीय विपणन संगठन, इस्पात भवन, 40, जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता–700 071, पश्चिम बंगाल
- सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, राँची–834002, झारखंड
- पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग 6, गणेश चंद्र एवेन्यू, (5वीं मंजिल), कोलकाता–700013, पश्चिम बंगाल
- विकास प्रभाग, 97, पार्क स्थान, कोलकाता–700016, पश्चिम बंगाल
- प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, राँची–834002, झारखंड
- कच्चे माल का प्रभाग, 10, कमक स्ट्रीट, उद्योग भवन, कोलकाता–700017, पश्चिम बंगाल
- अनुसंधान एवं विकास केन्द्र लोहा एवं स्टील, राँची–834002, झारखंड
- सेल परामर्शी प्रभाग, 16–20 मंजिल, स्कोप मीनार, नार्थ टावर, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली–110092
- सेल सुरक्षा संगठन, राँची–834002, झारखंड
- सेल रिफ्रैकटरी यूनिट, बोकारो–827001, झारखंड

सहायक कंपनियां

- आईआईएससीओ के पास उज्जैन पाइप एवं फाउंड्री कंपनी लिमिटेड, कोलकाता (परिसमापन के अंतर्गत)
- सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, नई दिल्ली–110003
- सेल रिफ्रैकटरी कंपनी लिमिटेड, सलेम–636013, तमिलनाडु
- सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चासनाला–828135, झारखण्ड
- छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड, छत्तीसगढ़

xii) **शेयरधारकों से यदि पूछताछ/शिकायतों से सम्बंधित कोई प्रश्न हों तो पत्राचार के लिए पता:**

मेसर्स. एमएससी शेयर हस्तांतरण एजेंट्स लिमिटेड,
एफ–65, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–I
नई दिल्ली–110020
फोन नंबर. 91–11–41406149,
फैक्स नंबर. 91–11–41709881
ई–मेल: admin@mcsregistrars.com

निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण–पत्र

श्रीमान
सदस्यगण
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (CIN:L27109DL1973GOI006454) ("कंपनी") द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है जैसा कि विविध स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कंपनी के सूचीकरण समझौतों के खंड 49 तथा भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2015 के अनुच्छेद ('विनियम') के विनिमय 17 से 27, विनियम 46 के (i) उप विनियम के खण्ड (बी) और अनुसूची V के अनुच्छेद सी, डी तथा ई में और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारा परीक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी निगमित अभिशासन पर मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुरूप किया गया था और निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं की समीक्षा और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर मत अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में, और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बशर्ते निम्नलिखित के:

कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मण्डल के गठन में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है;

हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उक्त अनुबद्ध शर्तों के अलावा कॉर्पोरेट अभिशासन की अन्य शर्तों का पालन किया है।

हम यह भी कहते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यावहार्यता के लिए आश्वासन है और न ही वह दक्षमता या प्रभावशीलता है जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य किए हैं।

कृते बी. एन. मिश्रा एवं कंपनी	**कृते शर्मा गोयल एंड कंपनी, एलएलपी**	**कृते सिंघी एंड कम्पनी**	**कृते चटर्जी एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*
फर्म पंजीकरण सं. *321095E*	फर्म पंजीकरण सं. *000643N*	फर्म पंजीकरण सं. *302049E*	फर्म पंजीकरण सं. *0302114E*
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
[बी.एन. मिश्रा]	**[अमर मित्तल]**	**[श्रेणिक मेहता]**	**[बेदांत भट्टाचार्य]**
साझेदार	*साझेदार*	*साझेदार*	*साझेदार*
(एम. नं. 083927)	(एम. नं. 017755)	(एम. नं. 063769)	(एम. नं. 060855)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जून, 2016

व्यापारिक दायित्व रिपोर्ट

खंड क: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. कॉरपोरेट आइडेन्टिटी नंबर: एल27109 डीएल 1973 जीओआई 006454
2. कंपनी का नाम: स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. पंजीकृत पता: इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003
4. बेवसाईट: www.sail.co.in
5. ई–मेल आईडी: investor.relation@sailex.com
6. रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष: 2015–16
7. किस क्षेत्र में कंपनी कार्यरत है (कोडवार औद्योगिक गतिविधियां): इस्पात और इस्पात उत्पादों का निर्माण, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन (एनआईसी) कोड: 330
8. उन तीन उत्पादों/सेवाओं का उल्लेख करें जिनका कंपनी विनिर्माण करती है/प्रदान करती है (जैसा तुलन–पत्र में हो):
   (i) हॉट रोल्ड तथा कोल्ड रोल्ड स्टील प्रोडक्ट का विनिर्माण
   (ii) रेल विनिर्माण
   (iii) वायर रोड्स, स्ट्रक्चरल्स आदि का विनिर्माण
9. उन सभी स्थानों की संख्या जहां कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों का निष्पादन किया जाता है :
   (i) अंतर्राष्ट्रीय संस्थान : शून्य
   (ii) सेल अपने स्वामित्वाधीन पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों का प्रचालन करती है– भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और बर्नपुर तथा तीन विशेष इस्पात संयंत्र सेलम, दुर्गापुर और भद्रावती में हैं। अन्य एक, चन्द्रापुर फेरो–एलॉय संयंत्र (सीएफपी) में फेरो–एलॉय का उत्पादन किया जाता है। बोकारो में सेल रिफ्रैक्टरी–यूनिट (एसआरयू) भी है तथा झारखण्ड और छत्तीसगढ में चार रिफ्रैक्टरी विनिर्माण एकक हैं।

   इन एककों के अतिरिक्त, सेल के निम्नलिखित अतिरिक्त एकक :
   - कुल्टी पश्चिम बंगाल में सेल ग्रोथ वर्क्स;
   - झारखण्ड में किरिबुरू, मेघातबरू, गुआ, मनोहरपुर (चिरिया) तथा ओडिशा में बोलानी, कालटा, बरसुआ (तालडीह सहित) में कच्ची सामग्री प्रभाग (लौह अयस्क खान);
   - छत्तीसगढ में राजहारा ग्रुप, दल्ली ग्रुप, रावघाट में बीएसपी खान (लौय अयस्क);
   - मध्य प्रदेश में कुटेश्वर, भावनाथपुर, झारखण्ड में तुलसीदमार में आरएमडी फ्लक्स खान
   - छत्तीसगढ में नन्दिनी, हिर्री, बरादुअर में बीएसपी खान (फ्लक्स);
   - कर्नाटक में भादीगुंड, केंचापुडा में वीआईएसपी (फ्लक्स);
   - झारखण्ड् में चासनाला, जितपुर, तसरा, सीतानाला तथा पश्चिम बंगाल में रामनगर में कोलियरी प्रभाग (कोयला खान);
   - कोलकाता में केन्द्रीयकृत विपणन संगठन का मुख्यालय;
   - केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन, धनबाद;
   - दिल्ली में सेल परामर्शी प्रभाग;
   - रांची में लौह और इस्पात अनुसंधान और विकास केन्द्र, सेल सुरक्षा संगठन, रांची, सेन्टर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी, रांची और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, रांची
   - कोलकाता में पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग; कोलकाता में विकास प्रभाग;
   - राउरकेला में केन्द्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थालन;
   - कोलकाता में परिवहन और नौवहन से संबंधित कुछ अन्य एकक।

   सेल के समस्त भारत में स्थापित वितरण नेटवर्क में 37 शाखा कार्यालय (बीएसओ), 27 ग्राहक संपर्क कार्यालय (सीसीओ) तथा 67 भंडार शामिल हैं।
10. कंपनी द्वारा जिन बाजारों में सेवा प्रदान की जा रही है – स्थानीय/राज्या/राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीसय

खण्ड ख : कंपनी का वित्तीय ब्यौरा

1. अभिदत्त पूंजी (आईएनआर) : ₹4130.53 करोड़
2. कुल कारोबार (आईएनआर) : ₹43,337.65 करोड़
3. कर पश्चात् कुल हानि (आईएनआर): ₹4,137 करोड़
4. कर पश्चात् लाभ के रूप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व का कुल व्यय (%) : 2.66%
5. उन कार्यों की सूची जिन पर मद संख्या 4 के अंतर्गत व्यय किया गया है:
   क) पेय जल की सुविधाओं और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य परिचर्या का संवर्धन: स्वच्छ विद्यालय अभियान
   ख) शिक्षा का संवर्धन, आय सृजन और कौशल/व्यवसायिक प्रशिक्षण
   ग) महिलाओं का सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों की परिचर्या
   घ) पर्यावरणीय सुस्थिरता
   ङ) परम्पवरा और कला और संस्कृति का संवर्धन
   च) खेलों का संवर्धन
   छ) ग्रामीण विकास : अवसंरचना विकास

खण्ड ग : अन्य ब्यौरे

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?**

   जी हां, कंपनी की चार सहायक कंपनियां है, नामत:
   क. सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड (एसआरसीएल)
   ख. सेल जगदीशपुर पॉवर प्लांट लिमिटेड
   ग. सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
   घ. छत्तीसगढ मेगा स्टील लिमिटिड (सीएमएसएल)
2. **क्या कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर से संबंधित पहल प्रयास में भागीदारी करती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या बताएं।**

   मूल कंपनी के व्यापारिक दायित्व से संबंधित पहल प्रयास सहायक कंपनियों पर लागू होते हैं।
3. **क्या बीआर से संबंधित कंपनी के पहल प्रयास में कोई अन्य निकाय (अर्थात् आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिसके साथ कंपनी व्यापार करती है, भाग लेता है? यदि हां, ऐसे निकाय/निकायों की प्रतिशतता बताएं [30% से कम, 30–60%, 60% से अधिक]**

   नहीं

खण्ड घ. : बीआर से संबंधित जानकारी

1. **बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे :**

   क) बीआर नीति/नीतियों के लिए निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे :
   – डीआईएन नंबर : 07352648
   – नाम : डॉ. एन. मोहपात्र
   – पदनाम : निदेशक (कार्मिक)
   – बीआर प्रमुख के ब्यौरे

क्रमांक	विवरण	ब्यौरे
1	डीआईएन नंबर (यदि लागू है)	00101601
2	नाम	एम. सी. जैन
3	पदनाम	कंपनी सचिव
4	टेलीफोन नंबर	011–24368104
5	ई–मेल आई डी	Secy.sail@sailex.com

2. **सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हां/नहीं में दें)**

   कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा व्यापार से संबंधित सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक दायित्वों के संबंध में जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) में व्यापारिक दायित्वों के 9 क्षेत्रों को अंगीकार किया गया है। संक्षेप में ये निम्नवत् हैं:

पी1 – व्यापार का संचालन और अभिशासन, नैतिकता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वह के आधार पर होना चाहिए।

पी2 – व्यापार में उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं सुरक्षित होनी चाहिएं और उन्हें अपनी संपूर्ण अवधि के दौरान सतत विकास में योगदान करना चाहिए।

पी3 – व्यापार में सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

पी4 – व्यापार में सभी हितधारकों, विशेषकर जो वंचित, असुरक्षित और वियुक्त हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए।

पी5 – व्यापार में मानव अधिकारों का सम्मान और संवर्धन किया जाना चाहिए।

पी6 – व्यापार में पर्यावरण के प्रति सम्मान और संरक्षण का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए तथा उसकी पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

पी7 – यदि व्यापार का संबंध आम जनता और विनियामक नीतियों को प्रभावित करने से होता है, तो ऐसा उत्तरदायी तरीके से किया जाना चाहिए।

पी8 – व्यापार में सर्वसमावेशी विकास और औचित्यपूर्ण प्रगति का समर्थन किया जाना चाहिए।

पी9 – व्यापार में ग्राहकों और उपभोक्ताओं से उत्तरदायी तरीके से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए और उनको महत्व दिया जाना चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	व्यापारिक नैतिकता	उत्पाद उत्तरदायित्व	कर्मचारियों का कल्याण	हितधारकों से संपर्क और सीएसआर	मानव अधिकार	पर्यावरण	जन नीति	सीएसआर	ग्राहकों से संबंध
		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास निम्न से संबंधित कोई नीति/नीतियां हैं.....	हां	हां कंपनी में गुणवत्ता और पर्यावरण संबंधी नीतियां हैं, जो सुरक्षित और सुस्थिर उत्पादों का उत्पादन सुनिश्चित करती हैं।	हां	हां इसे कंपनी की व्यापार संचालन और नीति संहिता, मानव संसाधन नीतियां तथा अन्य मानव संसाधन पद्धतियों में शामिल किया गया है।	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
2	क्या नीति का प्रतिपादन संबंधित हितधारकों के परामर्श से किया गया है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समनुरूप है?	हां	–	हां	नहीं	–	हां	–	हां	–
4	क्या नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
5	क्या कंपनी में निदेशक मंडल की कोई विनिर्दिष्ट समिति/निदेशक/अधिकारी हैं, जो नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
6	नीति के ऑन लाईन अवलोकन के लिए लिंक का उल्लेख करें।	–	–	–	@	–	*	–	@/	–
7	क्या सभी आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से नीति से अवगत करा दिया गया है?	हां	–	हां (आंतरिक हितधारकों को)	हां	–	हां	–	हां	–
8	क्या कंपनी में नीति/नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कोई इन–हाउस व्यवस्था स्थापित है?	हां	–	हां	हां	–	हां	–	हां	–
9	क्या कंपनी में ऐसी कोई शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित है, जो नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों का निवारण करे?	हां	–	हां	नहीं	–	नहीं	–	नहीं	–
10	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्यचालन के बारे में किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन/जांच करवाई है?	नहीं	–	नहीं	नहीं	–	हां	–	हां	–

2 क. यदि क्रमांक 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर नहीं है, तो कृपया यह बताएं कि ऐसा क्यों हैं: (2 विकल्पों को चिन्हित करें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को समझा नहीं है।	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	कंपनी ऐसी व्यवस्था में नहीं है कि वह विशिष्ट सिद्धांतों से संबंधित नीतियों का प्रतिपादन और कार्यान्व्यन करे।	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	कंपनी के पास इस कार्य के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन और श्रम शक्ति नहीं है।	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	यह कार्य आगामी छः महीनों में किए जाने की योजना है।	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	यह कार्य आगामी एक वर्ष में किए जाने की योजना है।	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)।	–	–	–	–	–	–	इस्पात के क्षेत्र में कंपनी अग्रणी स्थिति में है और अनेक अग्रगामी उपलब्धियां प्राप्त करने का रिकार्ड है तथा कंपनी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से वार्ता करके इन उपलब्धियों का लाभ देश के संपूर्ण इस्पात उद्योग को पहुंचाया है। इसलिए किसी औपचारिक नीति की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।		ग्राहकों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने और उनके संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए कंपनी में प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। नियमित आधार पर ग्राहकों से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राहक संतुष्टि सूचकांक की परिकल्पना की जाती है तथा ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने की प्रणाली भी स्थापित है।

* - http://sail.co.in/pdf/corporateenvironmentalpolicy.pdf
@ - http://sail.co.in/pdf/csrpolicy.pdf

3. **बीआर से संबंधित अभिशासन :**

- **यह बताएं कि निदेशक मंडल की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन कितनी बार करते हैं? 3 माह में, 3–6 माह में, एक वर्ष से अधिक में।**

  प्रतिवर्ष।

- **क्या कंपनी बीआर से संबंधित या दीर्घावधिकता रिपोर्ट (सुस्थिरता रिपोर्ट) प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को कैसे देखा जा सकता है? यह कितनी अवधि में प्रकाशित की जाती है?**

  जी हां, कंपनी अपनी सुस्थिरता रिपोर्ट को मुद्रित रूप में प्रकाशित करती है। बेवसाईट अद्यतीकरण के लिए इसे वर्ष के मध्य में इलेक्ट्रानिक स्विरूप में कंपनी की बेवसाईट पर भी डाल दिया जाता है। कंपनी की दीर्घावधिकता रिपोर्ट के लिए हाइपरलिंक है http://www.sail.co.in/

खण्ड ङ. : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1: व्यापार का संचालन और अभिशासन, नैतिकता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के आधार पर होना चाहिए।

1. **क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार से संबंधित नीतियों में केवल कंपनी ही शामिल है? हां/नहीं।**

   क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर–संविदाकार संगठनों/अन्यों के मामले में भी लागू है?

   जी नहीं, इस संबंध में सेल द्वारा क्रियान्वित नीतियों में कंपनी के कर्मचारियों के साथ–साथ आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/बोलीदाता आदि भी शामिल हैं। कंपनी ने आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमावली बनाई है, जिसमें आचरण संहिता का प्रावधान है और जो कंपनी के अधिसंख्य कार्यपालकों के लिए लागू है, जब कि गैर–कार्यपालक कामगारों को सेल के संबंधित संयंत्र/एकक के स्थाई आदेश (कामगार संघ तथा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय समझौता) में उल्लिखित आचरण/कदाचार संहिता के अंतर्गत शामिल किया गया है।

   जुलाई, 2007 से कंपनी ने 100 करोड रू. या इससे अधिक मूल्य की सभी संविदाओं/प्रापणों को शामिल करने के लिए प्रारंभिक मूल्यू 20 करोड रू. होने की स्थिति में निष्ठा समझौता लागू कर दिया गया है और इस निष्ठा समझौता का भाग बना दिया गया है और उसमें यह उल्लेख किया गया है कि निष्ठा समझौता के हस्ताक्षरकर्ताओं को भ्रष्टाचार और रिश्वत सहित अनैतिक कार्यों में लिप्त पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्तन हुई हैं और प्रबंधन द्वारा इनमें से कितनी प्रतिशत शिकायतों का समाधान संतोषप्रद ढंग से किया गया है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें।**

   वर्ष 2015–16 में केंद्रीय सतर्कता आयोग, इस्पात मंत्रालय सहित विभिन्न स्रोतों से कुल 912 शिकायतें सेल में प्राप्त हुईं थीं। कंपनी में वर्तमान में निजी प्रणालियों, प्रकियाओं, नीतियों आदि का अनुसरण किया जा रहा है, उनके संदर्भ में इन शिकायतों पर विचार किया गया था और इन शिकायतों में पाए गए विचलनों के मामले में प्रणालीगत सुधार और नियमानुसार कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी तथा प्रबंधन ने भी इन्हें लागू करने पर अपनी सहमति दी थी। अतः यह माना जा सकता है कि प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार 100 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है।

सिद्धांत 2 : व्यापार में उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं सुरक्षित होनी चाहिए और उन्हें अपनी संपूर्ण अवधि के दौरान सतत विकास में योगदान करना चाहिए।

1. **आप अपने ऐसे तीन उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें जिसके डिजायन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताओं, जोखिमों और/अथवा अवसरों को शामिल किया गया है।**

   i) टीएमटी ईक्यूआर (ताप–यांत्रिकी उपचारित)

   ii) ईक्यूआर ई250 ग्रेड प्लेट्स

   iii) हल्के ऑटो उपकरणों के लिए अत्यधिक मजबूत कोल्ड रोल स्टील (सीआर1390)।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधनों के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री आदि) के संदर्भ में प्रति इकाई उत्पाद के मामले में निम्न ब्योरा दें (स्वैच्छिक):**

   i) गत वर्ष से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में स्रोत से प्राप्ति/उत्पादन/वितरण में कमी।

सेल में उत्पादन में प्रति इकाई खपत	चालू वर्ष	विगत वर्ष
विशिष्ट ऊर्जा की खपत (गीगा कैलोरी/टन कच्चा इस्पात)	6.51	6.52
विशिष्ट जल की खपत (एम^3/टीसीएस)	3.51	3.66
विविक्त पदार्थ (पीएम) उत्सर्जन भार (कि.ग्रा./टीसीएस)	0.81	0.83

   ii) गत वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान कितनी कमी आई है?

   इस प्रपत्र में ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

3. **क्या कंपनी में स्रोतों से सतत प्राप्ति (परिवहन सहित) की समुचित प्रक्रियाएं हैं? यदि हां, तो निविष्टियों का कितना प्रतिशत टिकाऊ और सुरक्षित ढंग से प्राप्त) किया गया है। लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें।**

   सेल आज उपलब्ध प्रौद्योगिकी से कच्चे माल का उपयोग करने में बहुत ही दक्ष है। इस्पात बनाने में आवश्यक मुख्य कच्चा माल में अयस्क, कोयला, चूना–पत्थर, डोलोमाइट आदि शामिल हैं। अयस्क और फ्लक्स केप्टिव खानों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर संयंत्रों के पास अवस्थित है और अधिकतर के पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमयू) – आईएसओ–14001 प्रमाणन है, जिससे अधिकतम संवेदनशीलता सुनिश्चित होती है। केवल कोकिंग कोल ऐसा कच्चा माल है, जो आयात किया जाता है और केपसाईज पत्तनों में मुख्य रूप से लाया जाता है तथा इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमुख कंपनियों से प्राप्त किया जाता है, जो उनके पर्यावरण संबंधी संकेतों को न्यूनतम करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। समस्त कच्चे माल की ढुलाई रेल से की जाती है।

4. **क्या कंपनी में स्थानीय तथा छोटे उत्पादकों, कार्यस्थल के आस–पास समुदायों सहित, से माल और सेवाएं प्राप्त करने की दिशा में कोई कार्रवाई की गई है? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और दक्षता में सुधार के लिए क्या उपाए किए गए हैं?**

   कंपनी में निकटवर्ती उपयुक्त आपूर्ति स्रोतों से माल और सेवाएं प्राप्त करने की नीति है।

5. **क्या कंपनी में उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण की कोई प्रणाली है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है? (पृथकतः <5%, 5–10%, >10%)। इनका ब्यौरा भी लगभग 50 शब्दों में दें।**

   लोहा और इस्पात बनाने के दौरान निकल मुख्य अवशिष्ट में बी.एफ. और एस.एम.एस स्लैष शामिल हैं (जिनमें कुल अवशिष्ट का 90 प्रतिशत शामिल है)। स्लैग का आंतरिक रूप से लाभप्रद उपयोग किया जाता है और अन्य उत्पादाकों का उत्पादन करने के लिए बाह्य एजेंसियों को बेचे जाते हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान 88.96% बीएफ स्लैग तथा 78.0% बीओएफ स्लैग का उपयोग किया गया था।

   बी.एफ. डस्टे, मिल स्केल, चूना पत्थर, डोलो फाइंस जैसे अवशिष्टों तथा रिफ्रेक्टोरी अवशिष्टों का भी आन्तरिक तौर पर उपयोग किया जाता है तथा ये बाह्य एजेंसियों को बेचे जाते हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान कुल ठोस अवशिष्ट का उपयोग 28.5% था, जिसमें से 80% अवशिष्ट का आन्तरिक रूप से पुनः उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त कोक ओवन, बीएफ गैस तथा एलडीसी गैस जैसे सह–उत्पाद, गैस संयंत्रों की अलग–अलग दुकानों में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। प्रयुक्त किया गया तेल, पंजीकृत पुनःचक्रण करने वालों को बेचा जाता है।

सिद्धांत 3 : व्यवसाय को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

   1.4.2016 तक की स्थिति के अनुसार सेल में कर्मचारियों की कुल संख्या 88655 है (जिनमें कार्यपालक – 13968; गैर–कार्यपालक – 74687 हैं)।

2. **कृपया अस्थाई/संविदा/अनियत आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   1.4.2016 तक की स्थिति के अनुसार सेल में संयंत्रों/एककों में संविदा श्रमिकों की संख्यान 56055 है।

3. **कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्याो बताएं।**

   1.4.2016 तक की स्थिति के अनुसार सेल में महिला कर्मचारियों की संख्याब 5173 है (जिनमें कार्यपालक – 1029; गैर–कार्यपालक – 4144 हैं)।

4. **कृपया स्थाई विकलांग कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   1.4.2016 तक की स्थिति के अनुसार सेल में संयंत्रों/एककों में स्थांई विकलांग कर्मचारियों की संख्याा 931 है (जिनमें कार्यपालक – 150; गैर–कार्यपालक – 781 हैं)।

5. **क्या कंपनी में कोई कर्मचारी संघ है, जिसे प्रबंधन से मान्यबता प्राप्त है?**

   जी हां, नियमित गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में राष्ट्रीय इस्पात उद्योग संयुक्त समिति (एनजेसीएस) शीर्ष निकाय है, जिसमें आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस तथा सीआईटीयू के केन्द्रीय व्यापारिक श्रम संगठनों के प्रतिनिधि तथा संयंत्रों के मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कार्यपालक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व संबंधित संयंत्र के अधिकारी संघ (ओए) द्वारा किया जाता है। अधिकारी संघ भारतीय इस्पात कार्यपालक संघ (एसईएफआई) से संबद्ध होते हैं।

6. **कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन का सदस्य है?**

   सेल के सभी गैर–कार्यपालक कर्मचारी संघ एनजेसीएस के निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। सभी कार्यपालक भारतीय इस्पात कार्यपालक संघ के निर्णयों के अंतर्गत आते हैं।

7. **कृपया बाल श्रम, बेगार श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीडन के मामले में गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा दें और वित्तीय वर्ष के अंत तक इनमें से कितनी शिकायतें लंबित हैं?**

   बाल श्रम, बेगार श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न आदि के संबंध में प्राप्त शिकायतें और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों का ब्यौरा निम्नवत हैः

क्र. सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या	वित्त वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम, बेगार श्रम, अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	5	1
3.	सेवा में भेद–भाव	शून्य	शून्य

8. **आपके निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को पिछले वर्ष सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?**
- कर्मचारी = 37
- स्थाई महिला कर्मचारी = 38
- अनियत/अस्थाई/संविदात्मक कर्मचारी = 100
- दिव्यांग कर्मचारी = 37

संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता का मूल्यौकन किया जाता है। पीएमएस के अंतर्गत प्रत्येक कार्यपालक से यह कहा जाता है कि वह प्रबंधन को इसकी सूचना दे कि उसे किस प्रकार का प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है जो कि उसके कार्यों के निष्पादन में उसे सहायक हो।

साथ ही महिला और दिव्यांग कर्मचारियों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों को भी सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (तकनीकी/प्रबंधकीय/कार्यमूलक) प्रदान किया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 27,279 कर्मचारियों को (जो कि कुल कर्मचारियों का 31% है) सुरक्षा और कौशल उन्नेयन विषयक विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए थे।

सेल में आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य जारी है, जिसमें संविदात्मक श्रमिकों को विभिन्न कार्यों में लगाया जाता है। 100% संविदात्मंक श्रमिकों को सुरक्षा जागरूकता से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है और यह संयंत्र के परिसर में प्रवेश के लिए गेट पास के लिए अनिवार्य है। कार्य स्थल पर कार्य के दौरान संविदात्मक श्रमिकों के कौशल उन्नयन का भी ध्यान रखा जाता है।

सिद्धांत 4 : व्यापार में सभी हितधारकों, विशेषकर जो वंचित, असुरक्षित और वियुक्त हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए।

1. **कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों का कोई लेखा–जोखा तैयार किया है? हां/नहीं।**
   हां।
2. **क्यों कंपनी ने उपर्युक्त में से वंचित, असुरक्षित तथा वियुक्त (हाशिए पर) हितधारकों की पहचान की है?**
   हितधारकों के अधिकार के मामले में कभी कोई भेद–भाव नहीं किया गया है।
3. **क्या वंचित, असुरक्षित तथा वियुक्त हितधारकों से सम्पर्क करने के लिए कभी कोई विशेष पहल प्रयास किए गए हैं? यदि हां, तो 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें।**
   कंपनी द्वारा किए गए कुछ विशेष पहल प्रयास निम्नवत हैं:–
   (i) हाशिए पर जीवनयापन करने वाली जनता को सम्मिलित करने के एक प्रयास के रूप में राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा गहन जल आपूर्ति और स्वच्छता को बढावा देने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है, जिसमें कौरामुंडा ब्लॉक के 10 ग्रामों के 897 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रत्येक परिवार को सहभागिता मॉडल पर भूमिगत जल स्रोत, स्टोरेज टैंक और 3 टैप प्वाईंटों और आरसीसी छत पर स्वच्छता एकक से युक्त पाईप लाईनों के आपूर्ति नेट वर्क से पेय जल प्रदान किया जाता है। इन निमित्त ग्रामीणों को इकठ्ठा किया गया है और उन्हें इस परियोजना में सक्रिय सहभागिता करने के लिए सशक्त बनाया गया है। इस परियोजना को दीर्घावधि तक जारी रखने के लिए ग्रामीण स्तरीय समितियां गठित की गई हैं।
   (ii) जन जातियों की भावी पीढियों को मुख्य धारा में शामिल करने के एक प्रयास के रूप में बोकारो में ज्ञान ज्योति योजना के अंतर्गत 335 जनजातीय बच्चों को जिनमें गायनोडा चतरावास के 58, राजहारा, भिलाई के 115, बिहोस (जो कि विलुप्त होने वाली जनजाति है) के 15, सरंदा सुवान चतरावास, किरीबुरू के 19, मनोहरपुर अयस्क खान के और 18 कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल साईंस, जिन्हें आरएसपी द्वारा प्रायोजित किया गया है, के 110 बच्चे शामिल हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा के साथ छात्रावास, भोजन, पोषक और सम्पूर्ण भोजन, वस्त्र, निःशुल्क चिकित्सा उपचार, खेल–कूद और अनुकूल वातावरण में सांस्कृतिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
   (iii) आरएसपी द्वारा पढने के लिए सीखो (एल2आर) नामक एक कार्यक्रम राउरकेला के 100 विद्यालयों में शुरू किया गया है, जिसमें गायन, नृत्य, खेलों जैसी नवीनतम शिक्षण की तकनीक और अन्य क्रियाकलापों से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। जिला प्रशासन की सहायता से विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्तन करने की सामग्री और शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है।
   (iv) मेट्रिक तक पढ़ाओ नामक एक मिशन कार्यक्रमः बोकारो के परिधीय क्षेत्रों के ग्रामों के विद्यालयों से प्राथमिक/माध्यमिक कक्षा के स्तर तक पढी हुई ऐसी 1400 लडकियों और महिलाओं को अभिज्ञात किया गया है, जिन्होंने विद्यालय छोड दिए हैं और उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, रांची में भरती किया गया है। इन लडकियों/महिलाओं को प्रशिक्षण और शिक्षण की सामग्री निःशुल्क दी जाती है और उन्हें प्रारंभिक तैयारी की कक्षाओं में रखा जाता है ताकि वे वर्ष 2016 के सत्र की मेट्रीकुलेशन परीक्षा में बैठने में सक्षम हो सकें। इन कक्षाओं का संचालन, पंचायत स्तर पर जिला साक्षरता समिति (जेडएसएस) के माध्यम से किया जाता है।

सिद्धांत 5: व्यापार में मानव अधिकारों का सम्मान और संवर्धन किया जाना चाहिए।

1. **क्याः मानव अधिकार से संबंधित नीति केवल कंपनी में ही लागू है अथवा इसे समूहों/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर–सरकारी संगठनों/अन्य के मामले में भी लागू किया गया है?**
   कंपनी में कथित मानव अधिकार विषयक कोई नीति नहीं है। तथापि, इसके अधिकतर पहलुओं को कंपनी की व्यापारिक संचालन और नीति संहिता तथा मानव संसाधन विषयक विभिन्न पद्धतियों में शामिल किया गया है।
2. **गत वित्तीय वर्ष के दौरान हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान संतोषप्रद ढंग से किया गया है?**
   31.03.2015 तक की स्थिति के अनुसार पहले से ही लंबित 2 शिकायतों के अतिरिक्त वर्ष 2015–16 के दौरान शेयरधारकों से 22 शिकायतें प्राप्ति हुई थीं। वर्ष 2015–16 के दौरान सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया था।

सिद्धांत 6: व्यापार में पर्यावरण के प्रति सम्मान और संरक्षण का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए तथा उसकी पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी में ही लागू है अथवा इसे समूहों/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर–सरकारी संगठनों/अन्य के मामले में भी लागू किया गया है?**
   कंपनी की कॉरपोरेट पर्यावरण नीति, उसके संयंत्रों और खानों में और उनके आस–पास स्वच्छ और सुस्थिर पर्यावरण बनाए रखने की संपुष्टि करती है। ऐसा उसके समस्त क्रियाकलापों में सुव्यवस्थित पद्धतियों से पर्यावरण संबंधी कानून का अनुपालन करके और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करके किया जाता है, जिसके लिए स्वच्छ और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को अपना कर, नवीनतम पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं और उत्पादों के विकास को बढ़ावा दे कर, पारिस्थितिकी बहाल करके प्रयुक्त की गई खानों के इलाकों और छोड़े गए स्थलों में पारिस्थितिकी प्रणालियों को पुनर्स्थापित करके, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 'कम उपयोग, पुनःप्राप्ति, पुनःचक्रीकरण और पुर्नोपयोग' के सिद्धांत को एकीकृत करके किया जाता है, ताकि सुस्थिर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके, चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का निर्धारण और प्राप्ति करके पर्यावरणीय कार्य–निष्पादन में निरंतर सुधार लाने के प्रयास किए जा सकें, सुदृढ मूल्यांकन तंत्र और पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा पर्यावरणीय कार्य–निष्पाददन का नियमित अनुवीक्षण और पुनरीक्षा तथा उत्सर्जन, डिसचार्जिस और आस–पास की वायु की गुणवत्ता का निरंतर अनुवीक्षण किया जा सके तथा उसके आंकडे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जा सकें।
   इस नीति में सभी हितधारकों को पर्यावरणीय निष्पादन का संप्रेषण और क्षमता निर्माण और संविदात्मक कार्यबल और आपूर्तिकर्ताओं के बीच पर्यावरण के प्रति उनके व्यवहारिक उत्तरदायित्व को बढाने के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण के प्रति कर्मचारियों की कटिबद्धता और उत्तरदायित्व में सुधार करना शामिल है।
2. **क्या जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन आदि जैसे विश्वस्तरीय पर्यावरणीय मुद्दों के लिए कंपनी की कोई रणनीति/पहल है? हां/नहीं। यदि हां, तो वेबपृष्ठ के लिंक का उल्लेख करें।**
   जी हां। कंपनी स्वच्छ ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को अपना कर तथा पर्यावरण अनुकूल नवीनतम प्रक्रियाओं के विकास को बढावा दे कर जलवायु को अनुकूल बनाने के प्रति कटिबद्ध है ताकि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में धीरे–धीरे कमी सुनिश्चित की जा सके। सेल संयंत्रों से विशिष्ट कार्बन डाईऑक्साईड उत्सर्जन वर्ष 2011–12 में 2.81 टी/टीसीएस से घट कर वर्ष 2015–16 में 2.61 टी/टीसीएस हो गया है। इसमें 7% से ज्यादा की कमी हुई है।

विनिर्दिष्ट CO_2 उत्सर्जन (टी/टीसीएस)

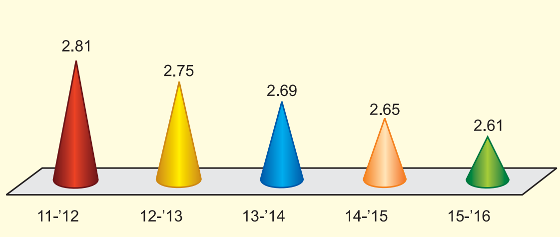

'कार्बन सिक्युवस्ट्रेशन : एफोरस्टेशन एट आरएसपी' नामक सतत परियोजना, अनुसंधान और विकास मास्टर प्लान के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना है, जो कि क्षेत्र के आस–पास सीओ2 के सिक्युस्ट्रेशन में योगदान देगी।

'बायोडाइवरसिटी कंजरवेशन एंड सीओ2 सिक्युस्ट्रेशन एट बोलानी आयरन और माईन' नामक परियोजना, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली की सहायता से शुरू की गई है जो कि उक्त क्षेत्र में सीओ2 के सिक्युस्ट्रेशन में सहायता देगी।

कंपनी ने सुस्थिर विकास नीति भी अपनाई है और यह वैश्विक रिपोर्टिंग पहल प्रयास (जीआरआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार विगत पांच वर्षों से अपनी कॉरपोरेट सुस्थिरता रिपोर्ट का भी प्रकाशन कर रही है। जीआरआई के दिशानिर्देशों (जीआरआई

के नए दिशानिर्देशों) के अनुसार जीआरआई जी4 द्वारा इस तथ्य की संपुष्टि किए जाने के बाद कि जीआरआई विषय सामग्री की सूचक सेवा को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है तथा जीआरआई की संगठनात्मक चिन्ह को प्राप्त करने के बाद वर्ष 2014–15 की कॉरपोरेट सुस्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह कंपनी की बेवसाइट (www.sail.co.in) में उसके कॉरपोरेट अधिशासन अनुभाग में उपलब्ध। है।

3. **क्या कंपनी भावी पर्यावरणीय जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन करती है? हां/नहीं।**
जी हां। कंपनी ने उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है तथा भावी पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की है और तदनुसार न्यूनीकरण की योजना विकसित की गई है।

4. **क्या कंपनी में स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें। साथ ही यह भी बताएं कि क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट भरी जाती है?**
कंपनी ने अनेक ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को अभिज्ञात किया है जो कि स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) के लाभ प्राप्त करने के लिए सतत विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के दौरान क्रियान्वित की जा रहीं थीं। वीसीएस और आईएसओ के मानकों के अनुसार अब तक ऐसी छः परियोजनाओं के सत्यापित उत्सर्जन कमी (वीईआर) वाली परियोजनाओं के बतौर संपुष्टि हुई है। लगभग 1.37 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड समकक्ष कार्बन क्रेडिट्स उपार्जित हुए हैं।
आईएसओ 14001 मानक से संबद्ध पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन, जो कि मुख्य तया एक स्वैच्छिक पहल प्रयास है, अब पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सेल में एक प्रभावशाली तंत्र बन गया है। इसने संयंत्रों और खानों को यह सुनिश्चित करने में सहायता दी है कि उनका कार्य–निष्पादन विनियामक आवश्यकताओं के भीतर हो और यह ऐसे अधिक कठोर नियंत्रणों से आगे है, जिन्हें भविष्य में लागू किया जा सकता है। सभी संयंत्र और सात खानें ईएमएसआईएसओः 14001 प्रत्यामयित हो गई हैं। बीएसपी, आरएसपी और एसएसपी की टाउनशिप को भी आईएसओः 14001 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।
सेल ने फरीदाबाद, दनकुनी, कालामबोली, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली और विजाग में सीएमओ के भंडारणों में भी ईएमएस क्रियान्वित कर दिया है। इसके साथ ही बीटीएसओ, विजाग के टीएंडएस एकक में भी ईएमएस क्रियान्वित कर दिया है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कोई अन्य पहल/प्रयास किए हैं? हां/नहीं। यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिंक का उल्लेख करें।**
जी हां। सेल संयंत्रों/खानों में शुरू किए गए संपूर्ण प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्यक्रम में स्वच्छता संबंधी प्रौद्योगिकियां और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना उसके महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हैं। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अनेक स्वच्छता और हरित प्रौद्योगिकियां सामने उभर कर आ रही हैं।

आईएसपी में हाई ऊर्जा दक्षता सतत कास्टर

कंपनी ने अनेक नवीकरणीय योग्यज ऊर्जा के पहल प्रयासों को भी शुरू किया है और सौर विद्युत संयंत्र के साथ जोडी गई 1 मेगा वाट ग्रिड आरएसपी में चालू हो गई है। इसके अतिरिक्त सेल के विभिन्न संयंत्रों में सोलर वाटर हिटिंग और स्ट्रीट लाईटिंग प्रणालियां स्थापित कर दी गई है।
साथ ही कंपनी में बायलरों में कृषि आधारित ईंधन और फर्नेस में कोल बैड मिथेन प्रक्रियाओं को भी प्रयुक्त किया जाता है।

6. **क्या विवेच्य वित्तीय वर्ष में कंपनी में उत्सर्जन/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा के अंतर्गत है?**
अधिकतर मामलों में कंपनी में उत्सर्जन का रख–रखाव और प्रबंधन, सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत उत्सर्जन के लिए निर्धारित दिशा–निर्देशों/नियमों के अनुसार किया जाता है। इनके बारे में कंपनी द्वारा नियमित आधार पर सीपीसीबी/एसपीसीबी को सूचित किया जाता है।

7. **वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से कितने कारण बताओ/विधिक नोटिस प्राप्त हुए हैं, जो अब तक लंबित है (जिनका अब तक संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया है)?**
वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सीपीसीबी से एक निर्देश प्राप्त हुआ था। सांविधिक निकाय के परामर्श से निर्देश का अनुपालन करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है और उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सिद्धांत 7: यदि व्यापार का संबंध आम जनता और विनियामक नीतियों को प्रभावित करने से होता है, तो ऐसा उत्तरदायी तरीके से किया जाना चाहिए।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापारिक संगठन के चेम्बर्स या संघ की सदस्य है? यदि हां, तो केवल ऐसे प्रमुख संगठनों के नाम बताएं जिनसे आपके व्यापारिक संबंध हैं।**
कंपनी निम्न संगठनों की सदस्य है :
क. कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
ख. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
ग. दि ऐसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
घ. वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्ल्यूएसए)
ङ. लोक उद्यमों का स्थाई सम्मेलन (स्कोप)
च. इंडियन स्टील एसोसिएशन
छ. इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलेपमेंट एंड ग्रोथ

2. **आपकी कंपनी ने उपर्युक्त संघों के माध्यम से प्रगति या लोक कल्याण में बढोतरी का समर्थन किया है? हां/नहीं। यदि हां, तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्स : अधिशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, दीर्घावधिक व्यापारिक सिद्धांत, अन्य)।**
जी हां, व्यापक क्षेत्र निम्नवत् हैः
क. दीर्घावधिक व्यापारिक सिद्धांत
ख. अपशिष्ट प्रबंधन
ग. ऊर्जा संरक्षण
घ. समावेशी विकास नीतियां

सिद्धांत 8: व्यापार में सर्वसमावेशी विकास और औचित्य पूर्ण प्रगति का समर्थन किया जाना चाहिए।

1. **क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित कोई विशिष्ट कार्यक्रम/पहल प्रयास/परियोजना है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।**
जी हां, सेल के सामाजिक उद्देश्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व। (सीएसआर) के समान हैं। इस्पात निर्माण के कार्य के अतिरिक्त कंपनी का उद्देश्य व्यापार का संचालन इस तरीके से करना है कि जिस समुदाय में व्यापारिक प्रचालन किया जा रहा है, उसे सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक हितलाभ प्राप्त हो सकें। किसी भी संगठन के लिए कॉरपोरेट का सामाजिक दायित्व, समाज पर उसके व्यापार के प्रभाव की जानकारी से शुरू होता है।
जनता के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाने के सैद्धांतिक और तथ्य परक ज्ञान से सेल अपनी स्थापना से ही कॉरपोरेट के सामाजिक दायित्वों के पहल प्रयासों का विनिर्मित और उनको क्रियान्वित कर रहा है। ऐसे प्रयासों से उसे ऐसे अज्ञात ग्रामों का पता लगा कर वहां सेल के संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो कि आज सक्रिय केन्द्र बन गए हैं।
सेल के सीएसआर पहल प्रयास सरकार द्वारा जारी किए गए प्रचलित मार्गदर्शी सिद्धांतों के समनुरूप शुरू किए जाते है, जैसे कि डीपीई के वर्ष 2013–14 तक सीएसआर और सुस्थिरता संबंधी दिशानिर्देश, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (कॉरपोरेट के सामाजिक दायित्वों की नीति) नियमावली, 2014। सेल की सीएसआर परियोजनाओं का क्रियान्वयन, इस्पात बस्तियों, खानों तथा उसके आस–पास के इलाकों, पूरे देश के सुदूर क्षेत्रों में विकास, चिकित्सा और स्वास्थ्य परिचर्या, सुविधाएं, ग्रामीण विकास, जल सुविधाएं प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों की परिधि में अवसंरचनात्मक विकास, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगों को सहायता देना, स्वंय सहायक समूहों के माध्यम सुस्थिर आय अर्जन, खेल कूद को प्रोत्साहन, कला, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के क्रियाकलापों के क्षेत्र में किया जाता है।

2. **क्या कार्यक्रमों/परियोजनाओं का निष्पादन आंतरिक दलों/निजी प्रतिष्ठानों/बाह्य गैर–सरकारी संगठनों/सरकारी संस्थाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से किया जाता है?**
सीएसआर समिति (मंडल स्तरीय) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत सेल की अनुमोदित वार्षिक योजना में सूचीबद्ध सीएसआर क्रियाकलापों/परियोजनाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार गैर–सरकारी संगठनों/विशेषीकृत एजेंसियों/
संस्थानों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके अथवा अभिज्ञात की गई उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से अथवा आंतरिक संसाधनों का प्रयोग करके क्रियान्वित किया जा रहा है।
चूंकि सीएसआर परियोजनाएं दीर्घावधिक/सतत प्रकृति की होती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या, मध्याह्न भोजन प्रदान करना, स्वंय सहायक समूहों के माध्यम सुस्थिर आय अर्जन, इसलिए इन परियोजनाओं को विशेषीकृत एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जो कि उनके पास उपलब्ध सुविज्ञता पर निर्भर करता है, जैसे कि भिलाई और राउरकेला में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से मध्य–दिवसीय भोजन व्यवस्था करना, ग्राम विकास के सहयोग से राउरकेला की परिधि में स्थित ग्रामों में गहन जल और स्वच्छता परियोजना, ग्रामीण अवसंरचना के लिए बीएआईएफ एंड सोसायटी (एसआरआई शाखा) के माध्यम से राउरकेला और रांची में सुस्थिर जीविकोपार्जन परियोजना तथा रामाकृष्ण मिशन के माध्यम से विभिन्न संयंत्रों/एककों में विभिन्न परियोजनाएं।
ऐसे मामलों में जिनमें किसी विशिष्ट एजेंसी द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट सीएसआर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं, को छोड़ कर ऐसे बाह्य क्रियान्वयन सहभागी को जिसके सुदृढ प्रत्यय पत्र और सुव्यवस्थित रिकार्ड होता है, सीएसआर परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अभिज्ञात किया जाता है, जैसा कि 'कंपनी अधिनियम, 2013' में परिभाषित किया गया है।

3. **क्या आपने अपने पहल प्रयास के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?**
सेल में प्रत्येक संयंत्र/एकक में वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक/महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित है, जो इन परियोजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन का अनुवीक्षण करने के साथ–साथ शुरू किए गए सीएसआर पहल प्रयासों से प्राप्त हुए सामाजिक लाभों का मूल्यांकन करती है।

बाह्य व्यावसायिक एजेंसियों से भी कंपनी के सीएसआर और सुस्थिरता वाले पहल प्रयासों के प्रभाव का मूल्यांकन/सामाजिक मूल्यांकन कराया गया है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैः

- ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र (सीआरआरआईडी), चंडीगढ जो कि एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, ने वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान अपने सामाजिक–आर्थिक औद्योगिक अनुसंधान के अंतर्गत सेल के सीएसआर की 5 एमओयू परियोजनाओं के प्रभाव निर्धारण का मूल्यांकन किया था।
- वर्ष 2012––13 में नॉबकोन–नाबार्ड परामर्शी द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र की सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का निर्धारण किया गया था।
- भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई), कोलकाता ने वर्ष 2009–10 के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के 10 मॉडल इस्पात ग्रामों के प्रभाव का निर्धारण किया था।

इनके अतिरिक्त सेल में सीएसआर और सुस्थिरता के अंतर्गत शुरू किए गए क्रियाकलापों/पहल प्रयासों की अनुवीक्षण करने को एक सुदृढ आंतरिक तंत्र स्थापित है। सीएसआर संबंधी मंडल की उप–समिति सीएसआर और सुस्थिरता के क्रियाकलापों की नियमित आधार पर समीक्षा/अनुवीक्षण करती है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है? भारतीय रूपयों में राशि बताएं तथा प्रारंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा दें।**

वर्ष 2013–14 तक लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में विगत वर्ष के निवल लाभ/पीएटी के साथ वार्षिक सीएसआर बजट के लिंकेज के लिए प्रावधान किया जाता था। अप्रैल, 2014 से सीएसआर के क्रियाकलापों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू हो गए जिनके अंतर्गत ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सीएसआर के व्यय को तात्कालिक पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के औसत पीबीटी को न्यूनितम 2% होना चाहिए। वर्ष 2014–15 से प्रभावी सीएसआर बजट आबंटन और व्यपय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़)

वर्ष	सीएसआर आबंटन	सीएसआर व्यय
2014–15	78	35.04
2015–16	100.16 (जिनमें वर्ष 2014–15 के दौरान खर्च की गई ₹42.96 करोड़ शामिल हैं)	76.16

विशिष्ट सीएसआर बजट के अतिरिक्त सेल, सेल संयंत्रों/एककों के परिधीय क्षेत्रों में निवास कर रही गैर–सेल साधारण जनता को निशुल्क अथवा बहुत मामूली लागत पर स्वास्थ्य परिचर्या, शिक्षा, स्वच्छता, पेय जल की उपलब्धता, रोड और स्ट्रीट लाईट जैसी अवसंरचना, खेल–कूद, कला, संस्कृति का संवर्धन जैसी सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष ₹350 करोड की राशि खर्च करता है।

सेल संयंत्र/एकक अधिकतर पिछडे क्षेत्रों में अवस्थित हैं जिनमें अधिकतर अलाभकारी, असुरक्षित, सीमावर्ती, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक लोग निवास करते हैं। ऐसे लोगों के उत्थान के लिए सेल ने पिछडे क्षेत्रों में स्थित 79 मॉडल इस्पात ग्राम विकसित किए है और इनका निरंतर अनुक्षण किया जा रहा है। शुरू किए गए सीएसआर क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:

❖ सेल ने 'स्वच्छ' विद्यालय अभियान' के अंतर्गत प्रधानमंत्री के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वच्छता और सफाई को बढावा देने के महत्वाकांक्षी मुहिम को पूरा करने के लिए सेल के संयंत्रों और एककों के परिधीय क्षेत्रों में स्थापित ऐसे विद्यालयों में जिनमें शौचालय नहीं थे/शौचालय उपयोगी नहीं थे, 672 शौचालयों का निर्माण करके 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

❖ सेल अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से भिलाई और राउरकेला के आस–पास स्थित 576 सरकारी विद्यालयों में 63,000 छात्रों को स्वास्थ्यकारी और पौषक मध्याह्न भोजन प्रदान कर रही है।

❖ शिक्षाः शिक्षा के माध्यम से समाज का उत्थान करने के लिए सेल अपनी स्टील टाउनशिप के भीतर और उसके आस–पास 145 विद्यालयों को चला रही है ताकि 55,000 से भी अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा सके और वह 621 विद्यालयों में लगभग 75,000 विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन प्रदान करके सहायता प्रदान कर रही है। एकीकृत इस्पात संयंत्रों के स्थलों में बीपीएल श्रेणी के छात्रों के लिए विशेष विद्यालय (कल्याण विद्यालय) चलाए जाते हैं, जिनमें निशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, वर्दियों, जूतों, विषयों की पुस्तकों, लेखन–सामग्री मदों, विद्यालय के बस्ते, पानी की बोतलों जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है और कुछ मामलों में परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है, जो कि सीएसआर के अंतर्गत चलाई जाती हैं।

❖ स्वास्थ्य परिचर्याः– सेल की व्यापक और विशेषीकृत स्वास्थ्य अवसंरचना ने अप्रैल–दिसंबर, 2015 के दौरान 56,000 से भी अधिक ग्रामों को विशेषीकृत स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की हैं।

❖ अप्रैल–दिसंबर, 2015 के दौरान 80,000 से भी अधिक ग्रामीणों को उनके घरों के आस–पास 2400 स्वास्थ्य शिविरों और एम्बुलेंसों/एमएमयू ने निशुल्क स्वासस्य्ं जांच, प्रयोगशाला जांच, औषधियां, रोग–प्रतिरक्षण चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान की हैं।

❖ सेल ने अपनी स्थापना से अब तक रोड का निर्माण और उनकी मरम्म्त करवा कर 435 ग्रामों के 77.84 से भी अधिक लोगों को मुख्य धारा के साथ जोडा है। विगत चार वर्षों में 7907 से अधिक जल स्रोत स्थापित किए गए हैं, जिनसे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले 45.96 लाख से भी अधिक लोगों को सुगमता से पेय जल प्राप्त हो रहा है।

❖ ऊर्जा के नवीकरण योग्य स्रोतों को बढावा देने के लिए सौर स्ट्रीट लाईटें स्थापित की गई हैं तथा ग्रामीण लोगों को सौर लालटिनें और धूम्रहीन चूल्हें प्रदान किए गए हैं। सेल अपनी टाउनशिप में पार्कों, जलाशयों और बोटेनिकल गार्डनों का रख–रखाव कर रही है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए उसने विभिन्न स्थानों पर बागान और 3 लाख से भी अधिक वृक्षारोपण और उनका रखरखाव किया है।

❖ **व्यावसायिक और विशेषीकृत कौशल विकासः** वर्ष 2015–16 में 1669 ग्रामों के युवाओं और 1525 महिलाओं को औद्योगिक और कृषि तकनीक, सॉफ्ट कौशल, हथकरघा में व्यावसायिक और विशेषीकृत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा उन्हें मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया गया है। विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आईटीआई का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 739 युवाओं को प्रायोजित किया गया है।

❖ **खेल–कूद, कला और संस्कृतिः** विभिन्न खेल–कूद प्रशिक्षण और क्रियाकलापों का आयोजन किया गया है, जैसे कि भिलाई में सेल का खेल मेला, संवर्धनः राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में फुटबाल और कबड्डी, तीरअंदाजी चेम्पियनशिप, पश्चिम सिंघभूम, झारखण्ड और केयोनझार, ओडिशा में खो–खो और महिलाओं की क्रिकट कोचिंग, जिनमें 7,000 ग्रामीण युवाओं ने भाग लिया। भिलाई में आयोजित लोक कला महोत्सव में तथा दुर्ग के थानोड और अहेरी ग्रामों में आयोजित ग्रामीण लोकोत्सव में 7000 लोक कलाकारों, छात्रों और दर्शकों ने भाग लिया। झारखण्ड के 6 गुआ ग्रामों में संगीत के वाद्य यंत्र वितरित किए गए। मध्य प्रदेश में कुतेश्वर खानों के गैरतालाई ग्राम में सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा स्थानीय जनजातीय संस्कृति को बढावा देने के लिए दो छत वाले शेडों का निर्माण किया गया।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सामुदायिक विकास संबंधी आपके पहल प्रयास को समुदाय ने अंगीकृत किया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में इसका उल्लेख करें।**

सेल के संयंत्रों/एककों ने अपने संबंधित क्षेत्रों में हितधारकों से सदैव अनौपचारिक संपर्क कायम करने का काम किया है। ऐसे प्रयास से उनकी आवश्यकताओं, स्थानीय मुद्दों को अभिज्ञात करने में सहायक होते हैं जिनकी ओर ध्यान देने और मध्यस्थता करने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता के अनुसार समय–समय रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए बहु–हितधारकों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक मॉडल स्थापित किया गया है। परिधीय गांवों के विकासात्मक क्रियाकलापों के संबंध में गांव के सरपंच/पंच अथवा गांव के प्रतिनिधियों से आवश्याकता अनुसार अनौपचारिक तरीके से बातचीत की जाती है। सेल के संयंत्रों/एककों में पंचायतों, जिला और राज्य प्राधिकारियों जैसे स्थानीय प्राधिकरणों तथा हितधारकों के साथ परामर्श से सीएसआर क्रियाकलापों की योजना बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित संगठनात्मक तंत्र स्थापित है।

इसके अतिरिक्त, कुछ सेल संयंत्रों में सीएसआर परियोजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले पुनर्वास एवं परिधीय विकास समिति (आरपीडीएसी), जिसके सदस्य सांसद एवं विधायक होते हैं, से प्राप्त विचारों को भी दृष्टिगत रखा जाता है।

साथ ही, हमारी सीएसआर संबंधी पहलों के प्रभावों का आकलन करने के लिए सीएसआर गतिविधियों से पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी किया जाता है। इसके अलावा लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित प्रक्रियागत सुधारों/अपडेट्स को इसमें शामिल किया जाता है ताकि समुदाय में स्वामित्व की भावना पैदा हो और वह सामाजिक हस्तक्षेपों को शब्दशः और उनको मर्म के साथ अपनाए।

सिद्धांत 9: व्यापार में ग्राहकों और उपभोक्ताओं से उत्तरदायी तरीके से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए और उनको महत्व दिया जाना चाहिए।

1. **वित्त वर्ष के अंत तक ग्राहकों/उपभोक्ताओं की कितनी प्रतिशत शिकायतें लंबित हैं?**

वर्ष 2015–16 के दौरान ग्राहकों से कुल 3593 शिकायतें प्राप्त हुईं थीं जिनमें से 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार 58 शिकायतें (लगभग 1.6 प्रतिशत) लंबित थीं, जबकि शेष शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान कर दिया गया था।

2. **क्या कंपनी अपने उत्पादों पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य सूचना के अतिरिक्तक उत्पाद से संबंधित अन्या सूचना देती है? हां/नहीं/उ.प./टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)।**

सेल ग्राहकों को प्रत्येक आपूर्ति के साथ विस्तृत जांच प्रमाण पत्र प्रदान करती है। स्रोत का अधिप्रमाणन करने के लिए उत्पाद के लेबिल पर पैकेट/क्वायल नंबर, आकार, मदों की गुणवत्ता का उल्लेख किया जाता है। ब्रांडेड उत्पादों के मामले में उत्पाद ब्रांड भी प्रदर्शित किया जाता है।

3. **क्या गत पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापारिक पद्धतियों, गैर–उत्तरदायी विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्द्धा–विरोधी व्यवहार के संबंध में किसी हितधारक से कोई शिकायत प्राप्त हुई है, जो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा दें।**

दिनांक 01.02.2003 के समझौता ज्ञापन (जो कि सेल और भारतीय रेल के बीच हुआ था) की घोषणा करने के लिए जेएसपीएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय मे रिट याचिका संख्या 8531/2008 (जेएसपीएल बनाम भारत संघ और अन्य) दायर की थी जो कि किसी प्रकार की असंविधानिक समीक्षा और अवैध ठहराए बिना निरंतर प्रचालन में थी। मेसर्ज जेएसपीएल द्वारा उक्त याचिका को वापस लेने के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.11.2015 को याचिका को खारिज कर दिया था। इस समय ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है।

4. **क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि प्रवृति का अध्ययन किया है?**

जी हां। ग्राहक संतुष्टि का मापन ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) के रूप में किया जाता है, जिसका परिकलन प्रति माह कंपनी द्वारा प्रमुख ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर कंपनी के प्रमुख लेखाओं के संबंध में किया जाता है।

समेकित तुलन–पत्र

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
सामान्य शेयर और देनदारी			
शेयरधारकों के लिए निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	**4130.53**	4130.53
(ख) आरक्षित और अतिरिक्त	3	**35798.67**	39609.67
शेयर आवेदन के लिए लंबित पूंजी आबंटन		**2.21**	30.85
अल्पसंख्यकों का हित		**(470.91)**	(316.58)
गैर मौजूदा देनदारी			
(क) दीर्घ कालिक देनदारी	4	**16700.39**	15715.20
(ख) विलंबित कर दायित्व (शुद्ध)		–	2565.02
(ग) अन्य दीर्घ कालिक दायित्व	5	**1298.83**	1240.86
(घ) दीर्घ कालिक प्रावधान	6	**4397.43**	4377.39
मौजूदा देनदारी			
(क) अल्प कालीन उधार	7	**15891.76**	14613.27
(ख) व्यापार की देनदारियां	8	**4301.57**	3812.14
(ग) अन्य मौजूदा देनदारियां	9	**16006.79**	14357.05
(घ) अल्प कालीन प्रावधान	10	**2604.54**	2498.10
कुल		**100661.81**	102633.50
परिसंपत्ति			
गैर मौजूदा परिसंपत्ति			
(क) स्थिर परिसंपत्ति			
(i) प्रत्यक्ष परिसंपत्ति	11क	**44573.22**	36544.37
(ii) अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति	11ख	**2237.10**	2466.66
(iii) गतिशील पूंजी	12	**24954.73**	29327.80
(ख) गैर मौजूदा निवेश	13	**15.74**	18.50
(ग) विलंबित कर संपत्ति (शुद्ध)		**538.68**	.
(घ) दीर्घ कालिक ऋण एवं अग्रिम धन	14	**5210.65**	4798.46
(ङ) अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्ति	15	**248.71**	318.25
मौजूदा परिसंपत्ति			
(क) मौजूदा निवेश	13क	**48.31**	42.03
(ख) स्टॉक	16	**15363.61**	18035.62
(ग) प्राप्य व्यापार	17	**2825.21**	3250.14
(घ) नकद और बैंक में जमा राशि	18	**692.76**	2635.92
(ङ) अल्प अवधि ऋण और अग्रिम राशि	19	**2113.85**	2895.09
(च) अन्य मौजूदा परिसंपत्ति	20	**1839.24**	2300.66
कुल		**100661.81**	102633.50
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
समेकित वित्तीय विवरण के लिए अन्य नोट	29–35		

उपरोक्त संबंधित नोट समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं

निदेशकों के मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता. / –	हस्ता. / –	हस्ता. / –
(एम. सी. जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(पी.के. सिंह)**
कंपनी सचिव	*निदेशक (वित्त)*	*अध्यक्ष*

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते बी. एन. मिश्रा एवं कंपनी	**कृते शर्मा गोयल एंड कंपनी, एलएलपी**	**कृते सिंघी एंड कम्पनी**	**कृते चटर्जी एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*
फर्म पंजीकरण सं. *321095E*	फर्म पंजीकरण सं. *000643N*	फर्म पंजीकरण सं. *302049E*	फर्म पंजीकरण सं. *0302114E*
हस्ता. / –	हस्ता. / –	हस्ता. / –	हस्ता. / –
[एस.सी. दास]	**[अमर मित्तल]**	**[श्रेणिक मेहता]**	**[बेदांत भट्टाचार्य]**
साझेदार	*साझेदार*	*साझेदार*	*साझेदार*
(एम. नं. 050020)	(एम. नं. 017755)	(एम. नं. 063769)	(एम. नं. 060855)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जून, 2016

समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़)

	नोट सं.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	
संचालन से मिलने वाली आय	21	**44461.74**		51624.18	
कमः उत्पाद शुल्क		**4949.58**	**39512.16**	5521.21	46102.97
अन्य आय	22		**593.41**		980.82
कुल आय			**40105.57**		47083.79
व्यय					
इस्तेमाल किए गए माल की लागत	23	**17927.67**		19357.67	
कारोबार में लगे शेयरों की खरीद		**14.96**		7.30	
तैयार माल, चालू कार्य और बिक्री के लिए माल के स्टॉक में अंतर	24	**590.87**		(1368.70)	
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय	25	**10075.81**		9899.61	
वित्तीय लागत	26	**2176.98**		1555.18	
अपकर्ष और परिशोधन पर खर्च		**2254.31**		1907.14	
अन्य व्यय	27	**14492.88**	**47533.48**	13392.28	44750.48
			(7427.91)		2333.31
जोड़ – पूर्व के वर्ष से संबंधित समायोजन	28		**(15.37)**		(88.60)
कर अदायगी से पहले लाभ/(हानि)			**(7443.28)**		2244.71
कमः कर व्यय					
मौजूदा कर		**60.80**		549.29	
विलंबित कर		**(2985.34)**		287.08	
पूर्व के वर्ष		**(74.43)**		(17.59)	
निष्प्रभ उधार		**(27.52)**	**(3026.49)**	(512.96)	305.82
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)			**(4416.79)**		1938.89
अल्पसंख्यकों के लिए हित			**119.78**		(96.29)
सहायकों के लाभ का हिस्सा			**0.26**		0.14
			(4296.75)		2035.32
प्रति शेयर आय					
कर अदायगी के बाद लाभ			**(4416.79)**		1938.89
साधारण शेयर की औसत संख्या (₹10/– प्रति शेयर का अंकित मूल्य)			**4130525289**		4130525289
प्रति शेयर (₹) आधारभूत एवं डॉयल्यूटेड आय			**(10.69)**		4.69

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां — 1

समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित अन्य नोट — 29.35

उपरोक्त संबंधित नोट समेकित वित्तीय विवरण का अहम हिस्सा बनाते हैं

निदेशकों के मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(एम. सी. जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(पी.के. सिंह)**
कंपनी सचिव	*निदेशक (वित्त)*	*अध्यक्ष*

सामान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते बी. एन. मिश्रा एवं कंपनी	कृते शर्मा गोयल एंड कंपनी, एलएलपी	कृते सिंघी एंड कम्पनी	कृते चटर्जी एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*
फर्म पंजीकरण सं. *321095E*	फर्म पंजीकरण सं. *000643N*	फर्म पंजीकरण सं. *302049E*	फर्म पंजीकरण सं. *0302114E*
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
[एस.सी. दास]	**[अमर मित्तल]**	**[श्रेणिक मेहता]**	**[बेदांत भट्टाचार्य]**
साझेदार	*साझेदार*	*साझेदार*	*साझेदार*
(एम. नं. 050020)	(एम. नं. 017755)	(एम. नं. 063769)	(एम. नं. 060855)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 10 जून, 2016

समेकित नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़)

वर्ष के लिए	2015–16	2014–15
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर अदायगी से पहले का लाभ	(7443.28)	2244.71
जोड़/(घटाव) के लिए समायोजन		
अल्पसंख्यकों का हित	(34.55)	(220.29)
सहायकों के आय का हिस्सा	0.26	0.14
अपकर्ष	2276.73	1926.63
ब्याज एवं वित्तीय कीमत	2141.74	1555.18
निवेश के विक्रय पर लाभ	(8.88)	(201.49)
अन्य चीजों के लिए प्रावधान	247.90	663.00
गैर सिद्ध मुद्रा अंतरण (लाभ/हानि)	588.46	(319.58)
स्थिर परिसंपत्तियों के विक्रय पर लाभ	26.83	(10.55)
ब्याज से प्राप्त आय	(383.30)	(524.48)
लाभांश से प्राप्त आय	(3.28)	(11.36)
कार्यशाली पूंजी में बदलाव से पहले परिचालन नकदी प्रवाह	**(2591.37)**	5101.91
समायोजन के लिए:		
स्टॉक में बढ़ोतरी/कमी	2672.01	(2679.92)
अन्य कर्जदारों में बढ़ोतरी/कमी	424.93	2243.55
ऋण एवं अग्रिम राशि में बढ़ोतरी/कमी	438.35	(1879.03)
मौजूदा देनदारियों में बढ़ोतरी/कमी	2109.60	571.27
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी/कमी	516.50	(204.56)
परिचालन से पैदा होने वाले नकद	3570.02	3153.22
प्रत्यक्ष कर का भुगतान	(71.73)	(574.14)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी की प्राप्ति	**3498.29**	2579.08
ख. निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह		
स्थिर परिसंपत्तियों का विक्रय	(6659.25)	(7704.27)
स्थिर परिसंपत्ति के विक्रय से राशि	726.73	86.88
अन्य कंपनियों को दिया गया ऋण	(2.38)	(0.60)
बैंक के पास मियादी जमा में कमी	1978.64	569.21
निवेश (शुद्ध) की खरीद/बिक्री	5.36	229.15
ब्याज प्राप्त	397.76	516.56
लाभांश प्राप्त	3.28	11.36
निवेश गतिविधियों (इस्तेमाल में लाई गई) से शुद्ध नकद	**(3549.86)**	(6291.71)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर आवेदन धन	(28.64)	27.64
प्रधानमंत्री ट्रॉफी अवार्ड निधि	0.32	(33.70)
उधार (शुद्ध) में बढ़ोतरी	2130.31	6188.04
ब्याज और वित्तीय लागत का भुगतान	(1876.38)	(1522.79)
लाभांश का भुगतान	(103.25)	(722.84)
लाभांश पर कर	(35.31)	(161.14)
वित्तीय गतिविधियों के लिए / (इस्तेमाल में) कुल नकद	**87.05**	3775.21
नकद में शुद्ध बढ़ोतरी और नकदी समराशि (अ+ब+स)	**35.48**	62.58
नकद और नकदी समराशि (शुरुआत) (नोट 18 को देखें)	**355.92**	293.34
नकद और नकदी समराशि (समापन) (नोट 18 को देखें)	**391.40**	355.92
(नकद और बैंक मे जमा राशि से प्रदर्शित)		

नोटः

1 नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि द्वारा 'नकदी प्रवाह विवरण' पर लेखांकन मापदंड – 3 के तहत तैयार किया जाता है।
2 कोष्ठक में आंकड़े बहिर्वाह को प्रदर्शित करते हैं।
3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरण के समेकित नोट समेकित नकदी प्रवाह विवरण का अहम हिस्सा हैं।
4 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जरूरत के मुताबिक पुनर्व्यवस्थित/फिर से एकजुट किया गया है।

निदेशकों के मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(एम. सी. जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(पी.के. सिंह)**
कंपनी सचिव	*निदेशक (वित्त)*	*अध्यक्ष*

सामान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

कृते बी. एन. मिश्रा एवं कंपनी	कृते शर्मा गोयल एंड कंपनी, एलएलपी	कृते सिंघी एंड कम्पनी	कृते चटर्जी एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*	*चार्टर्ड एकाउंटेंट*
फर्म पंजीकरण सं. *321095E*	फर्म पंजीकरण सं. *000643N*	फर्म पंजीकरण सं. *302049E*	फर्म पंजीकरण सं. *0302114E*
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
[एस.सी. दास]	**[अमर मित्तल]**	**[श्रेणिक मेहता]**	**[बेदांत भट्टाचार्य]**
साझेदार	*साझेदार*	*साझेदार*	*साझेदार*
(एम. नं. 050020)	(एम. नं. 017755)	(एम. नं. 063769)	(एम. नं. 060855)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जून, 2016

महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

क समेकित वित्तीय विवरण के सिद्धांत

क.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का समेकित विवरण और इसके सहायक, संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनियाँ (ए एस) – 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के लेखाकरण मानक, ए एस –23 "समेकित वित्तीय विवरण के सहायकों में निवेश के लिए लेखाकरण तथा ए एस –27 "संयुक्त उद्यमों में ब्याज के वित्तीय प्रतिवेदन" के अनुसार तैयार की गई है और कंपनी के संभावित पृथक वित्तीय विवरण को परिमाण में प्रस्तुत किया गया है।

क.2 सेल और इसकी सहायक कंपनियों (एसआरसीएल, एसजेपीपीएल, एसएसपीएल और सीएमएसएल) का वित्तीय विवरण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी ए एस – 21 के प्रति लाइन के आधार पर, संपत्तियों, दायित्वों, आय और व्यय के खाता मूल्य को जोड़कर, अंतः समूह शेष/लेन–देनों और इसमें शामिल किसी अन्य लाभ/हानि को पूरी तरह से अलग कर समेकित किया जाता है। फिर भी, अंतः–समूह हस्तांतरण के विरुद्ध स्टॉक में रखे पदार्थों और इसमें शामिल लाभ सीमा, महत्त्वपूर्ण प्रमात्रा का लेखाकरण प्रबंधन प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाता है।

क.3 संयुक्त उद्यम कंपनियों में ब्याज का लेखाकरण ए एस–27 के आधार पर समानुपातिक दृढ़ीकरण के उपयोग द्वारा किया जाता है जो कि कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा जारी की गई है।

क.4 सहायक कंपनी में निवेश का लेखाकरण "निष्पक्ष विधि" के आधार पर जैसा कि कार्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा ए एस – 23 में निर्धारित है, किया जाता है, जहाँ कि प्रारंभ में निवेश को मूल्य पर रिकॉर्ड किया जाता है तथा रखाव राशि को सहायक के कुल संपत्ति में कंपनी के शेयर से पश्च–अधिग्रहण बदलाव हेतु समायोजित किया जाता है।

सहायक कंपनी के निवेश की रख–रखाव राशि में अधिग्रहण से प्राप्त ₹0.56 करोड़ की रिजर्व पूँजी शामिल होते हैं।

क.5 सेल के लागत का अधिमूल्य, अपने सहायक उद्यम, सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों में इसके द्वारा निवेश, इसके इक्विटी के भाग की पहचान वित्तीय विवरण में सद्भावना (गुडविल) के रूप में जाना जाता है। सहायक, संबंधित कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के निवेश मूल्य पर सेल के इक्विटी के अतिरिक्त भार को रिजर्व पूँजी के रूप में माना जाता है। इसका आकलन इस प्रकार के अधिग्रहण से संबंधित वर्ष के अंतिम दिन को मानकर किया जाता है, न कि ऐसे अधिग्रहण की वास्तविक तिथि के आधार पर।

ख. लेखाकरण का आधार

वित्तीय विवरण लेखाकरण की संभूति के पारंपरिक पिछले लागत के आधार पर, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार और कंपनी की अधिनियम के प्रावधान, 2013, के अनुसार तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत लेखाकरण मानक और एनटीपीसी–सेल पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के बारे में बताया गया होता है।

ग. अनुमानों का उपयोग

लेखाकरण सिद्धांतों के सदृशीकरण में वित्तीय विवरण को तैयार करने में, जो कि भारत में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, प्रबंधन को अनुमान और आकलन की आवश्यकता होती है जो कि रिपोर्ट पूँजी की राशि और दायित्व तथा आकस्मिक दायित्व के प्रकटीकरण को, जो वित्तीय विवरणों की तिथि और राजस्व की राशि और प्रतिवेदन की अवधि में खर्च को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकता है। ऐसे अनुमानों में की गई किसी संशोधन की पहचान उस अवधि में की जाती है जब वह निर्धारित की जाती है।

घ. नियत संपत्तियाँ

नियत संपत्तियाँ निम्न अवमूल्यन अधिग्रहण मूल्य पर निर्धारित किया जाता है, इसमें राज्य सरकार द्वारा उपहार में दी गई भूमि, जिसे रिजर्व पूँजी के तदनुरूप क्रेडिट के नामित/नामित मूल्य के रूप में जाना जाता है, को शामिल नहीं किया जाता है।

भूमि विकास में खर्च, जिसमें पट्टे वाली भूमि भी शामिल होती है, को भूमि के मूल्य के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। पट्टे वाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि पर निर्धारित की जाती है।

लागत में सभी सदृश्य खर्च शामिल होते हैं जिसमें ट्रायल–रन खर्च, राजस्व भी होते हैं।

खनन अधिकार को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और इससे संबंधित सभी मूल्यों को कुल अनुमानित खनन–योग्य रिजर्व के वार्षिक उत्पादन के आधार पर परिशोधित किया जाता है। खनन अधिकार के पुनः नवीनीकरण नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित शेष लागत पुनः नवीनीकरण नहीं करने से संबंधित वर्ष के राजस्व पर लगाया जाएगा।

सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिटेड के मामले में, संबंधित हार्डवेयर के गैर–अभिन्न भाग वाले सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति माना जाता है और इसे पाँच वर्ष की अवधि तक या इसकी लाइसेंस की अवधि तक, इनमें से जो कम होते हैं, परिशोधित (मुक्त) की जाती है।

एस–टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 5 वर्ष की अवधि तक परिशोधित (मुक्त) किया जाता है।

एम जंक्सन सर्विस लिमिटेड के मामले में अमूर्त संपत्तियों को 3 वर्ष की अवधि तक परिशोधित (मुक्त) किया जाता है।

एनटीपीसी–सेल पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सॉफ्टवेयर को लाइसेंस अवधि तक या 3 वर्ष की अवधि तक, इनमें से जो कम होती है, परिशोधित (मुक्त) किया जाता है। कंपनी द्वारा स्वामित्व नहीं की जाने वाली संपत्ति पर खर्च पूँजी को संबंधित प्रोजेक्ट के पहली इकाई का व्यावसायिक कार्य में आने से 4 वर्ष की अवधि तक और इसके बाद संगत संपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने के महीने से मुक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक विकास के लिए एक जैसे खर्च पर राजस्व नहीं लगाया जाता है।

आइसीवीएल के मामले में, पर्यवेक्षण के पूँजीकरण और मूल्यांकन खर्च की शुरूआत तब होती है जब प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता में उच्चस्तरीय विश्वास होता है और इस प्रकार यह संभव है कि समूह को भविष्य में आर्थिक लाभ होगा।

च. ऋणदान लागतें

ऋणदान लागतें आवश्यक धन की उपलब्धि या निर्माण पर सीधे आरोप्य होता है जिसे धन के भाग के लागत के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। अन्य ऋणदान लागतों की पहचान उस अवधि के खर्च के रूप में की जाती है जिसमें ये सभी घटित होते हैं, सिवाय आइसीवीएल के मामले में जहाँ धन प्राप्त करने हेतु प्राप्त ऋणदान लागतें जिसमें इसके उपयोग करने हेतु तैयार करने के लिए 12 महीने से अधिक का समय लगता है, को संबंधित धन में पूँजीकृत किया जाता है जहाँ लागत ऐसे पूँजी पर सीधे आरोपित किये जाते हैं और अन्य मामले में ऐसे धन पर खर्च किये गये ऋणदान के भार का औसत लागत आरोपित कर किया जाता है।

छ. अवमूल्यन

सेल के मामले में, अवमूल्यन सीधी लाइन विधि से उपलब्ध कराया जाता है जिसमें धन के सदुपयोग किये जाने की स्थिति इसके लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची II में बताया गया है। यह अधिनियम फैक्टरी के मकानों, प्लांट और मशीनरी, जल आपूर्ति और सिवरेज, रेलवे लाइन और सिडिंग तथा इसके भागों पर लागू नहीं होता है, जहाँ तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा उपयोगी जीवन का निर्धारण किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा माने जाने वाली जीवन अवधि निम्नलिखित हैं :

संपत्तियाँ	आकलित उपयोगी जीवन
फैक्ट्री मकानें	35 से 40 वर्ष
प्लांट और मशीनरी	10 से 40 वर्ष
जल आपूर्ति तथा मल व्यवस्था	25 से 40 वर्ष
रेलवे लाइन और साइडिंग	35 से 40 वर्ष

संपत्तियों के इस वर्ग के लिए, बाह्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किये गये तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी मानती है कि ऊपर बताये गये उपयोगी जीवन कंपनी के द्वारा इन संपत्तियों के उपयोग करने हेतु सबसे उपयुक्त अवधि बताती है। इस प्रकार, इन संपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'सी' में बताये गये उपयोगी जीवन से भिन्न है।

जहाँ अवमूल्यन योग्य संपत्तियों की पारंपरिक लागत परिवर्तित होती है, संशोधित गैर–अमूर्त अवमूल्यित राशि का अवमूल्यन अवशिष्ट संपत्ति के उपयोगी जीवन पर उपलब्ध कराया जाता है। इस अवधि के दौरान वृद्धि/ह्रास पर अवमूल्यन यथानुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है जो उस महीने के वृद्धि/ह्रास के संदर्भ के अनुसार होता है। ₹5000/– लागत तक की संपत्तियाँ उस वर्ष पूरी तरह से अवमूल्यित हो जाती है, जब उसे उपयोग में लगाया जाता है।

एम जंक्सन कंपनी लिमिटेड के मामले में, पट्टे पर दी गई संपत्तियाँ सीधी लाइन विधि से अवमूल्यित होती है जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित उपयोगी जीवन या पट्टे का आधार में जो अधिक होते हैं, लागू होता है।

एनटीपीसी सेल पॉवर कंपनी लिमिटेट की स्थिति में, सीइआरसी नियमित प्लांट के संबंध में विद्युत व्यवसाय से संबंधित संपत्तियों का अवमूल्यन पर सीधी लाइन विधि से शुल्क लगाया जाता है, वशर्ते कि सीईआरसी शुल्क नियमन द्वारा सूचित दर और पद्धति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार होनी चाहिए। आगे, निम्नलिखित संपत्तियों पर अवमूल्यन का निर्धारण इनके सुनिश्चित उपयोगी जीवन के आधार पर किया जाता है जो तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निश्चित किया जाता है:

क) कच्ची सड़कें	2 वर्ष
ख) समर्थित कार्य	
• आवासीय मकान	15 वर्ष
• आवासीय मकानों का आंतरिक विद्युतीकरण	10 वर्ष
• गैर–आवासीय मकान जिसमें उनके आंतरिक विद्युतीकरण, जल–आपूर्ति, मलव्यवस्था तथा मलबहाव कार्य, रेलवे सिडिंग, एयरोड्रोम, हैलिपैड और एयरस्ट्रीप शामिल हैं।	5 वर्ष
ग) व्यक्तिगत कंप्यूटर और लैपटॉप बाह्य भागों के साथ	3 वर्ष
घ) फोटोकॉपी, फैक्स मशीन, वाटर कुलर तथा रेफ्रिजरेटर	5 वर्ष
ङ) अस्थायी स्थापन जिसमें लकड़ी की बनावटें भी शामिल है	1 वर्ष
च) टेलिफोन एक्सचेंज	15 वर्ष
छ) वायरलेस प्रणालियाँ, वी एस ए टी उपकरण, सीसीटीवी प्रणालियाँ, प्रवेश नियंत्रण प्रणाली, ऑडियो वीडियो सम्मेलन प्रणाली तथा डिस्प्ले उपकरण जैसे– प्रोजेक्टर, स्क्रीन और टेलीविजन।	6 वर्ष

सीपीपी–II संपत्तियों के मामले में, जिसके अवशिष्ट मूल्य का निर्धारण तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, अवमूल्यन इस प्रकार उपलब्ध कराया जाता है कि उन संपत्तियों की अवशिष्ट लागत पर कुल ब्लॉक का 95% अवमूल्यित होता है। कंपनी द्वारा स्वामित्व न किये जाने वाली संपत्तियों पर, संबंधित प्रोजेक्ट के प्रथम इकाई का व्यावसायिक कार्य में आने के महीने से 4 वर्ष से अधिक की अवधि पर और इसके बाद संगत संपत्तियों के उपयोग हेतु उपलब्ध होने के महीने से धन खर्च मुक्त किया जाता है। फिर भी, कार्याधीन स्टेशन की स्थिति में सामुदायिक विकास के लिए इसी तरह के खर्च पर राजस्व प्रभारित किया जाता है।

बोकारो पॉवर सप्लाई कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में अवमूल्यन सीधी लाइन विधि से उपलब्ध कराया जाता है, इसमें संपत्ति के लागत के 5% मूल्य को, संपत्तियों के उपयोगी जीवन पर अवशिष्ट माना जाता है, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट है। इसके अंतर्गत वे प्लांट और मशीनरी नहीं आते हैं जिसके अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण आंतरिक तकनीकी पैरामीटर/मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और बाह्य तकनीकी सलाह द्वारा समर्थित होते हैं।

भिलाई जे पी सीमेंट लिमिटेड की स्थिति में, पट्टे की भूमि पर भुगतान किया गया प्रिमियम, पट्टे के कमीशन के बाद की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

अभिनव सेल जे वी सी लिमिटेड के मामले में अवमूल्यन यथानुपातिक आधार पर लिखित मूल्य विधि से कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

आईसीवीएल के मामले में, अवमूल्यन का आकलन संपत्ति के निम्नलिखित उपयोगी जीवन पर सीधी लाइन विधि से किया जाता है:

	वार्षिक दर %
मकान	4
प्लांट और उपकरण	4 – 33
खनन विकास संपत्तियाँ	उत्पादन इकाई के आधार पर
ट्रांसपोर्ट उपकरण	10 – 25
अन्य मूर्त संपत्तियाँ	10 – 20

ज. निवेश

दीर्घ–अवधि निवेश (सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश के साथ), मूल्यह्रास (अस्थायी के अतिरिक्त) उपलब्ध कराने के बाद, लागत पर किया जाता है। वर्तमान निवेश निम्न लागत तथा बाजार मूल्य/समुचित लागत पर किया जाता है।

झ. इनवेंटरी (वस्तु सूची)

कच्चा माल, स्टोर तथा बचा माल और तैयार/अर्द्ध तैयार उत्पाद (विधि खुरचन के साथ) का मूल्य संबंधित प्लांट/इकाईयों के कुल वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर लगाया जाता है। अभिज्ञेय विलुप्त/अतिरिक्त/गैर–हस्तांतरित वस्तुओं की स्थिति में आवश्यक प्रावधान बनाया गया है और इस पर राजस्व प्रभारित किया जाता है। अर्ध–तैयार विशिष्ट उत्पाद का कुल वास्तविक लागत, जिसका वास्तविक मूल्य तैयार होने के बाद ही पता चलता है, का मूल्यांकन मूल्य की तुलना के उद्देश्य से किया जाता है।

अवशेष उत्पाद तथा अन्य खुरचन के मूल्य का आकलन कुल वास्तविक मूल्य पर किया जाता है। मूल्य निर्धारण का आधार इस प्रकार है:

कच्चा माल – मियादी भारित औसत मूल्य

निम्न कच्चा माल– चलित भारित औसत मूल्य

स्टोर तथा स्पेयर – चलित भारित औसत मूल्य

रास्ते की वस्तुएं – मूल्य पर

तैयार/अर्द्ध–तैयार माल – वस्तु का मूल्य तथा श्रम का समुचित मूल्य और संबंधित अतिरिक्त शुल्क

सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड की स्थिति में, कच्चे माल का निर्धारण निम्न लागत पर या पहले आने और पहले बाहर जाने के आधार पर कुल वास्तविक मूल्य पर किया जाता है। तैयार माल, स्टोर और स्पेयर का मूल्य औसत आधार पर निर्धारित किया जाता है। उत्पादित कतरन का मूल्य वास्तविक मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

भिलाई जे पी सिमेंट लिमिटेड के मामले में, स्टोर और स्पेयर का मूल्य लागत के अनुसार लगाया जाता है।

प्राइम गोल्ड– सेल जे वी सी लिमिटेड की स्थिति में, कच्चा माल, स्टोर तथा स्पेयर, पैकिंग पदार्थों, ईंधनों, तैयार मालों और चलित स्टॉक का मूल्य लागत पर निर्धारित किया जाता है, इसकी कीमत का निर्धारण एफ आइ एफ ओ विधि या कुल वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो, के उपयोग द्वारा किया जाता है। अपशिष्ट और कतरन का मूल्य वास्तविक मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

सेल–राइट्स बंगाल वैगन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, कच्चे माल और उपभोज्य स्टोर के मूल्य का निर्धारण निम्न मूल्य पर या एफ आइ एफ ओ विधि से कुल वास्तविक मूल्य पर किया जाता है। मशीनरी स्टोर, स्पेयर और उपकरणों का मूल्य परंपरागत लागत पर और कतरन का मूल्य अनुमानित बाजार कीमत पर लगाया जाता है।

सेल–एस सी एल केरल लिमिटेड की स्थिति में, पदार्थों तथा उत्पादन के लिए रखे गये अन्य वस्तुओं की लागत कीमत पर लगाया जाता है। तैयार मालों की वस्तु–सूची की कीमत कुल वास्तविक मूल्य पर निर्धारित की

जाती है। खुले उपकरणों की पहचान लाभ तथा हानि के विवरण में की जाती है।

सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थिति में, सह–उत्पादों का मूल्य कुल वास्तविक मूल्य पर लगाया जाता है।

ट. अनुदान

किसी विशिष्ट संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित उपदान का समायोजन संबंधित संपत्ति के लागत से की जाती है। राजस्व खर्च से संबंधित अनुदान का समायोजन संबंधित खर्च से की जाती है।

ठ. विदेशी मुद्रा हस्तांतरण

विदेशी मुद्रा में नामित मौद्रिक संपत्तियाँ और देयराशि जो वर्ष के अंत तक निपटान रहित होते हैं, को वर्ष के अंत की दर पर परिवर्तित किया जाता है।

मौद्रिक संपत्तियों और देयराशि के हस्तांतरण में विनिमय भिन्नता तथा चल संपत्तियों के अतिरिक्त विदेशी विनिमय हस्तांतरण में वास्तविक लाभ और हानियों की पहचान लाभ तथा हानि के विवरण में की जाती है। घिरे विदेशी मुद्रा सूची में प्रविष्ट अग्रिम विनिमय ठेके द्वारा किये गये हस्तांतरण की स्थिति में हस्तांतरण की तिथि पर ठेके की दर और स्पॉट दर के अंतर की पहचान ठेके की अवधि में लाभ तथा हानि विवरण में किया जाता है।

कंपनी ने विनिमय अंतर के लेखाकरण संबंधी विकल्प का चुनाव किया है, जो कि लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा से संबंधित वस्तुओं के कंपनी समशोधन अधिनियम, 2009 के अनुसार भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2009 को सूचित (29 दिसंबर 2011 को संशोधित) लेखाकरण मानक –11 से संबंधित है। इस प्रकार वर्ष के दौरान उत्पन्न मियादी संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित लंबी अवधि के मौद्रिक वस्तुओं से संबंधित विनिमय अंतर (जिसमें अग्रिम विनिमय ठेके के अतिरिक्त भी शामिल है) का समायोजन ऐसी संपत्तियों की बकाया राशि से की जाती है।

इंटरनेशनल कोयला उद्यम प्राइवेट लिमिटेड की स्थिति में, रिवर्सडेबल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के अतिरिक्त जिसकी कार्यकारी मुद्रा ए यू$ है, अन्य सहायक कंपनियों की कार्यकारी मुद्रा यू एस$ है।

विदेशी मुद्रा का हस्तांतरण विनिमय दर पर तथा हस्तांतरण की तिथि से की जाती है। विदेशी मुद्रा में नामित मौद्रिक संपत्तियाँ और देयराशियों को शीट तिथि को संतुलित करने के लिए विनिमय दर पर कार्यकारी मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

हस्तांतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर का लेखाकरण आय विवरण में किया जाता है।

गैर–मौद्रिक वस्तुएँ, जिसे विदेशी मुद्रा में परंपरागत मूल्य पर मापा जाता है, का हस्तांतरण प्रारंभिक हस्तांतरण की तिथि से विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापे गये गैर–मौद्रिक वस्तुओं का हस्तांतरण समुचित मूल्य के निर्धारण की तिथि से विनिमय दर पर किया जाता है।

ड. कर्मचारी का लाभ

भविष्य निधि में संचित राशि पर उस अवधि में लाभ या हानि प्रभारित की जाती है जब निधि में योगदान देय होता है। उपदान, संचित छुट्टी, लंबी अवधि सेवा पुरस्कार, सेवा–निवृति पश्च चिकित्सा, निपटान लाभ का प्रावधान/दायित्व, कर्मचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत अशक्त कर्मचारियों/मृत कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारियों को भविष्य में वेतन का भुगतान वर्ष के अंत में किया जाता है जो बीमांकक मूल्यांकन पर आधारित होता है तथा बीमांकक लाभ/हानि के निर्धारण के बाद लाभ तथा हानि का विवरण प्रभारित किया जाता है।

ढ. पिछले वर्ष और पूर्व–भुगतान खर्च से संबंधित समायोजन

पूर्व अवधि और पूर्व भुगतान व्यय से संबंधित आय/व्यय, जो सेल के मामले में ₹10 लाख, एनटीपीसी–सेल पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और सेल एण्ड एम ओ आइ एल फेरो एल्वाइज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में किसी भी स्थिति में ₹5 लाख से अधिक नहीं होता है, को वर्तमान वर्ष के आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

ण. राजस्व की पहचान

विक्रय में बिक्री कर शुल्क तथा कुल बट्टे और मूल्य अनुदान शामिल होते हैं। बिक्री की पहचान क्रेता को वस्तुएँ सुपुर्दगी देते समय की जाती है, इसमें क्रेताओं के हक में सुपुर्दगी दस्तावेजों का अनुमोदन भी शामिल होता है। जहाँ ठेका मूल्यों का निर्धारण सरकारी एजेंसियों के द्वारा नहीं की जाती है, विक्रय का लेखाकरण औपबंधिक आधार पर किया जाता है।

समुद्री निर्यात विक्रय की पहचान की जाती है:

i) लादने से संबंधित निर्गम बिल, या

ii) लादने की अवधि में निर्यात बिल के मोल–भाव, जहाँ भेजे जाने के बगैर वस्तु के मूल्य की वसूली संबंधित ठेके के पत्र में उपलब्ध कराया जाता है।

इनमें से जो पहले होता है:

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन की पहचान वसूली की निश्चितता पर आय के रूप में की जाती है।

लौह अयस्क चूर्ण जो उपयोग/बिक्री के लिए तैयार नहीं होते हैं और माल–सूची में शामिल होते हैं, को निपटान पर मान्यता दी जाती है।

एनटीपीसी–सेल पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की स्थिति में, उर्जा के विक्रय को शुल्क दर के आधार पर लेखित की जाती है, जो केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) के द्वारा निर्दिष्ट होता है, जो भिलाई एक्सपेंशन पॉवर प्रोजेक्ट (पी पी–III) के मामले में भी होता है।

एस एण्ड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की स्थिति में, प्रदत्त सेवा राजस्व की पहचान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है जो संबंधित विनिमय के पूरा होने की स्थिति के अनुपात में होते हैं।

एम जंक्सन सर्विसेज लिमिटेड की स्थिति में, प्रदत्त सेवाओं का राजस्व की पहचान संबंधित सेवाओं को प्रदान किये जाने के रूप में या प्राप्त संबंधित ठेके में निर्दिष्ट विनियमों के आधार पर किया जाता है।

त. परिसमाप्त क्षति/मूल्य बढ़ोतरी का दावा

परिसमाप्त क्षति का दावा का लेखाकरण उस समय की जाती है जब कंपनी के द्वारा इसकी कटौती की जाती है या इसे वसूली के लायक समझा जाता है। इसे अंतिम निपटान में सिती के अनुसार पूँजी मूल्य से समायोजित किया जाता है या लाभ या हानि विवरण में पहचान की जाती है।

आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों का मूल्यबढ़ोतरी के दावा का लेखाकरण कंपनी द्वारा स्वीकार की गई सीमा तक किया जाता है।

थ. आस्थगित कर

किसी निश्चित वर्ष के लिए खाता–बही लाभ तथा कर–योग्य लाभ के बीच के समय अंतराल पर आस्थगित कर का लेखाकरण कर दर लागू करने के लिए किया जाता है और जिस नियम का उपयोग किया जाता है या स्थायी रूप से लागू होता है वह तुलन पत्र की तिथि से होता है। समय अंतराल से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्तियों को उस हद तक पहचाना जाता है तथा इसकी संभावित निश्चितता होती है कि इन संपत्तियों को भविष्य में महसूस किया जा सके।

द. अतिरिक्त भार विस्थापन

पिछले अतिरिक्त भार को विस्थापित करने में लगे खर्च का प्रभार राजस्व में लगाया जाता है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर आधारित कोलियरी के अतिरिक्त, 5 वर्ष के खनन योजना के अनुसार विस्थापित अनुपात पर आधारित होता है।

ध. आकस्मिक देय राशि

आकस्मिक देय राशि एक संभावित बाध्यता है जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होती है और इसके अस्तित्व की सुनिश्चितता सिर्फ एक या एक से अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या नहीं होने से लगाया जा सकता है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में या वर्तमान बाध्यता में नहीं होती है जो कि अतीत की घटना से उत्पन्न होती है लेकिन इसे इसलिए नहीं पहचाना जाता है कि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभ से सम्मिलित संसाधनों की निकासी की आवश्यकता बाध्यता के निपटान के लिए होगी या बाध्यता की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। कंपनी वित्तीय विवरण में आकस्मिक देय राशि के अस्तित्व को उजागर करती है।

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश हैं)

2. शेयर पूंजी

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
प्राधिकृत		
10 ₹ प्रति 5,00,00,000 शेयर	**5000.00**	5000.00
10 ₹ प्रति 5,00,00,000 शेयर		
जारी, अभिदत्त और पूरी तरह जिसका भुगतान किया जा चुका है		
10 के मूल्य वाले 4,13,05,25,289 शेयरों को भुगतान किया जा चुका है	**4130.53**	4130.53
10 के मूल्य वाले 4,13,05,25,289 शेयरों को भुगतान किया जा चुका है		

(i) **वर्ष के अंत तक शेयरों का समाधान**

विवरण	**31 मार्च, 2016 को**		31 मार्च, 2015 को	
	संख्या	**राशि (₹)**	संख्या	राशि (₹)
–मतदान के अधिकार के साथ साधारण शेयर				
वर्ष की शुरुआत में शेयर जिनका भुगतान बाकी है	**4130092154**	**41300921540**	4130071104	41300711040
जारी किए गए शेयर/वर्ष के अंत तक मतदान अधिकार वाले बदले गए शेयर	**300500**	**3005000**	21050	210500
वर्ष के दौरान खरीदे गए शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत तक शेयर जिनका भुगतान बाकी है	**4130392654**	**41303926540**	4130092154	41300921540
वोटिंग अधिकार के बिना इक्विटी शेयर *				
वर्ष की शुरुआत में शेयर जिनका भुगतान बाकी है	**433135**	**4331350**	454185	4541850
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	**300500**	**3005000**	21050	210500
वर्ष के अंत तक शेयर जिनका भुगतान बचा हुआ है	**132635**	**1326350**	433135	4331350

* यूएस डॉलर 29.55 की दर पर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट द्वारा प्रदर्शित और जिसके प्रति एकीकृत रकम 125 मिलियन यूएस डॉलर है

(ii) कंपनी के परिसमापन की स्थिति में सभी शेयर संपत्ति के भुगतान के मामले में एक जैसे मान्य होंगे

(iii) **शेयरधारकों का विवरण जिनके पास कंपनी के शेयरों की 5 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी है:**

शेयरधारकों के नाम	**31 मार्च, 2016 को**		31 मार्च, 2015 को	
	धारित शेयरों की संख्या	**धारण का प्रतिशत**	धारित षेयरों की संख्या	धारण का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	3097767449	75.00	3097767449	75.00
एलआईसी ऑफ इंडिया	441874667	10.70	417717206	10.11

(iv) बतौर नकदी के अलावा ₹ 10 प्रति शेयर वाले 1,24,43,82,900 शेयर का भुगतान के रूप में आबंटन

(v) कंपनी ने न ही बोनस शेयर जारी किए हैं और न ही पिछले पांच साल के दौरान कोई शेयर खरीदा है

3. रिजर्व एवं अधिशेष

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
आरक्षित पूंजी				
अंतिम बैलेंस शीट के मुताबिक	104.10		57.89	
वर्ष के दौरान योग	463.45	567.55	46.21	104.10
(नोट नंबर 33.3 को देखें)				
प्रतिभूतियों के लिए लाभांश खाते		235.10		235.10
आरक्षित विदेशी मुद्रा का हस्तानांतरण		(194.57)		(319.58)
आरक्षित अनुबंधन का विमोचन				
अंतिम बैलेंस शीट के मुताबिक	1008.88		817.21	
वर्ष के दौरान योग	504.11		270.49	
वर्ष के दौरान वियोजन	63.03	1449.96	78.82	1008.88
सामान्य आरक्षित निधि				
अंतिम बैलेंस शीट के मुताबिक	5121.38		5118.08	
वर्ष के दौरान योग	1.55	5122.93	3.30	5121.38
प्रधानमंत्री ट्रॉफी अवॉर्ड के लिए निधि*				
अंतिम बैलेंस शीट के मुताबिक	26.63		25.29	
योग	4.51		2.33	
	31.14		27.62	
कम – इस्तेमाल	4.19	26.95	0.99	26.63
लाभ नुकसान के विवरण में दर्ज अतिरिक्त				
अंतिम खाते के मुताबिक बकाया	33433.16		32861.88	
योगः अतिरिक्त/मौजूदा वर्ष का नुकसान (–)	(4296.75)		2035.32	
घटावः कार्पोरेट समाजिक जिम्मेदार पर व्यय	–		35.04	
घटावः अपकर्ष का प्रभाव (नोट 34.5 को देखें)	86.58		230.06	
योगः अन्य प्रावधान	–		0.03	
घटावः प्रस्तावित लाभांश	–		103.25	
घटावः लाभांश की अदायगी	–		722.84	
घटावः प्रस्तावित लाभांश पर कर	6.27		25.14	
घटावः लाभांश भुगतान पर कर	10.18		152.77	
घटावः अनुबंधों की ऋण अदायगी को लेकर हस्तानान्तरण	441.08		191.67	
घटावः सामान्य आरक्षित निधि में हस्तानान्तरण	1.55	28590.75	3.30	33433.16
		35798.67		39609.67

* **प्रधानमंत्री ट्रॉफी अवॉर्ड के लिए निधि**

भिलाई स्टील प्लांट को भारत के सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील प्लांट के लिए जो प्रधान मंत्री ने अवॉर्ड दिया था उससे निधि का गठन किया गया और जिसे बाद में भिलाई के कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय किया गया

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश हैं)

4. दीर्घकालिक ऋण

(₹ करोड़)

क्र.सं.	ब्याज (%)	परिपक्वता तिथि	कॉल/पुट विकल्प वर्ष	प्रतिभूति संदर्भ		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
रक्षित									
क.	**कर योग्य देय अपरिवर्तनीय बॉण्ड**								
1	9.35	9–सितंबर–2026	12/शून्य	(क)		**455.00**		455.00	
2	9.00	14–अक्तूबर–2024		(क)		**1000.00**		1000.00	
3	8.70	25–अगस्त–2024		(क)		**300.00**		300.00	
4	8.35	19–नवंबर–2022		(क)		**1185.00**		–	
5	9.30	23–अगस्त–2021		(क)		**400.00**		400.00	
6	8.55	11–अगस्त–2021		(क)		**700.00**		700.00	
7	8.27	25–अगस्त–2020		(क)		**265.00**		–	
8	8.72	30–अप्रैल–2020		(क)		**660.00**		660.00	
9	8.75	23–अप्रैल–2020		(क)		**545.00**		545.00	
10	8.65	1–फरवरी–2020	5/शून्य	(क)		**242.00**		242.00	
11	8.30	21–जनवरी–2020		(क)		**500.00**		500.00	
12	8.65	30–दिसंबर–2019		(क)		**450.00**		450.00	
13	8.50	7–दिसंबर–2019		(क)		**120.00**		120.00	
14	8.60	19–नवंबर–2019		(क)		**335.00**		335.00	
15	8.75	15–सितंबर–2019		(ख, घ)		**100.00**		100.00	
16	8.80	22–जून–2019		(क)		**825.00**		825.00	
17	7.70	11–मई–2019	5/5	(क)		**25.00**		25.00	
18	8.90	1–मई–2019	5/शून्य	(इ)		**950.00**		950.00	
19	8.18	10–अगस्त–2018		(क)		**1000.00**		–	
20	8.25	27–जुलाई–2018		(क)		**500.00**		–	
21	8.35	9–जून–2018		(क)		**420.00**		–	
22	9.30	25–मई–2018		(क,र)		**360.00**		360.00	
23	8.25	6–मई–2018	3/3	(क)		**800.00**		800.00	
24	7.95	9–अप्रैल–2018		(क)		**670.00**		–	
25	8.38	16–दिसंबर–2017		(क)		**645.00**		645.00	
26	8.75	8–नवंबर–2017	3/3	(क)		–		500.00	
27	8.80	26–अक्तूबर–2017		(ख,ग)		**126.00**		140.00	
28	9.18	27–अगस्त–2017		(क)		**300.00**	**13878.00**	300.00	10352.00
ख.	**बैंकों से आवधिक ऋण**								
1				(ठ,ड)	बैंक	**160.23**		177.08	
2				(ठ)	वित्तीय संस्थान	**132.78**	293.01	199.17	376.25
अनारक्षित									
कर योग्य प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय बंध पत्र									
ग.	**आवधिक ऋण**								
1				(ङ)	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	**377.17**		355.19	
2				(च)	बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी	–		416.67	
3				(छ)	बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी	**441.73**		833.33	
4				(ज)	सुमीतोमो मित्शुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन	**509.20**		1018.40	
5	2.00			(झ)	नातेक्सिस बैंक्वे	**18.56**		17.96	
				(ञ)	मिजूहो कॉरपोरेट बैंक लिमिटेड	**551.90**		827.85	
					अन्य	**28.07**	**1926.63**	943.01	4412.41
घ.				(ट)	स्टील विकास निधि		**204.16**		204.16
				(ढ)	अन्य		**398.59**		370.38
							16700.39		15715.20

(क) मौजूदा एवं भविष्य की स्थिर संपत्तियां जो मौजे वाडेज तालुक, जिला अहमदाबाद, गुजरात एवं कंपनी के प्लांट एवं मशीनरी, जिसमें वो भूमि भी शामिल है जिसमें प्लांट बना हुआ है, इस्को प्लांट के संबंध में रकम देय।

(ख) मौजूदा एवं भविष्य की स्थिर संपत्तियां जो मौजे वाडेज तालुक, जिला अहमदाबाद, गुजरात एवं कंपनी के प्लांट एवं मशीनरी, जिसमें वो भूमि भी शामिल है जिसमें प्लांट बना हुआ है, दुर्गापुर स्टील प्लांट के संबंध में रकम देय।

(ग) ₹14 करोड़ के प्रति 12 बराबर किस्तों में प्रतिदेय जो 26 अक्टूबर 2014 से प्रभाव में है. 26 अक्टूबर 2014 को जो किस्त का भुगतान किया जाना है उसे अन्य मौजूदा देनदारियों में दिखाया गया है।

(घ) ₹50 करोड़ की 3 बराबर किस्तें 15 सितंबर 2014, 2019 और 2024 में प्रतिदेय हैं।

(ङ) 8.75 फीसदी की दर से ऋण को तीन ऋंखला 1(ए), 1(बी) और 1(सी) में लिया गया है। 1(ए) पर ब्याज 0.75 फीसदी है और विनिमय उतार चढ़ाव (4 फीसदी) के लिए बकाया का 8 फीसदी और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के लिए (4 फीसदी) रखा गया है। 1 (इ) के मामले में ब्याज दर 0.75 फीसदी है. जिसके 8.0 फीसदी को परिधीय विकास के लिए रखा गया है. 1(ब) के लिए ब्याज 3.66 फीसदी है और बकाया 5.09 फीसदी को परिधीय विकास के लिए रखा गया है। मूलधन और ब्याज अर्धवार्षिक भुगतेय है. ऋण की गारंटी भारत सरकार ने ली है।

(च) 2015 के 11 मार्च से ऋण का भुगतान 3 बराबर किस्तों में होना है जिसका ब्याज दर 6 महीने लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट 1% है + ब्याज अर्धवार्षिक भुगतेय है

(छ) 2015 के 11 अगस्त से ऋण का भुगतान 3 बराबर किस्तों में होना है जिसका ब्याज दर 6 महीने लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट 1% है + ब्याज अर्धवार्षिक भुगतेय है

(ज) 2015 के 16 नवंबर से ऋण का भुगतान 3 बराबर किस्तों में होना है जिसका ब्याज दर 6 महीने लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट 1,06% है + ब्याज अर्धवार्षिक भुगतेय है

(झ) 2030 तक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। मूलधन और ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक है जिसकी गारंटी भारत सरकार ने ली है।

(ञ) 25 मई 2018 से प्रभाव में होने के बाद 5 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है।

(ट) 2016 के 21 दिसंबर से ऋण का भुगतान 3 बराबर वार्षिक किस्तों में 6 महीने एलआईबीओरआर . 1.75% की दर से किया जाना है. ब्याज अर्धवार्षिक दिया जाना है।

(ठ) पुर्नभुतान की शर्तें एसडीएफ प्रबंधन समिति द्वारा तय किया जाना है।

(ड) 5 से 15 साल की अवधि में किस्तों में देय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण भी शामिल है और प्रत्येक ऋण करार में परिकल्पना की गई एक मॉरिटोरियम अवधि के बाद ब्याज दर 8% और 11.25% के बीच होता है। आवधिक ऋण वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति और चल अस्थाई परिसंपत्तियों के इक्विटेबल मॉटर्गेज द्वारा प्राप्त किया गया है।

(ढ) ₹2.40 करोड़ के हर तीन महीने के बाद 30 किस्तों में ऋण की अदायगी शामिल है. इसके लिए 10 वर्ष के समय के बाद 3.5 वर्ष की अधिस्थगन अवधि शामिल है. मियादी उधार के पुनर्भुगतान का समय 01.04.2016 से शुरू होता है. बैंक के बेस रेट पर ब्याजा देय है जो 10.45 फीसदी ऋण देने के वक्त था. मियादी ऋण को पश्चिम बंगाल के बर्दमान के कुल्टी में फैक्ट्री बिल्डिंग पर देय के आधार पर लिया गया है. इसके अलावा प्लांट और मशीनरी के साथ फर्नीचर भी शामिल हैं।

(ण) आईसीवीएल की सहायक कंपनी द्वारा ₹398.33 करोड़ का ऋण लिया गया है – ये असुरक्षित ऋण के अनुपात को दर्शाता है।

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश हैं)

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
5. अन्य दीर्घकालिक देनदारियां			
ब्याज जो मिला और दिए गए उधार पर जो बाकी नहीं है		**707.92**	700.46
भुगतान योग्य व्यापार		**6.83**	0.96
अन्य		**584.08**	539.44
		1298.83	1240.86
6. दीर्घकालिक प्रावधान			
कर्मचारियो की सुविधाओं के लिए प्रावधान			
– ग्रैच्युटी		**235.66**	421.06
– उपचित अवकाश		**2295.87**	2193.03
– कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभार्थी योजनाएं		**1177.21**	1175.74
अन्य			
– खान बंद		**522.54**	412.47
– अन्य		**166.15**	175.09
कुल		**4397.43**	4377.39
7. अल्पकालीन उधार			
सुरक्षित			
मांग पर ऋण जो प्रतिदेय है			
– बैंक से	(क)	**2338.52**	5647.04
– दूसरे पक्षकारों से			
अन्य ऋण एवं अग्रिम राशि			
बैंक से	(क)	**37.09**	1030.00
संबंधित पक्षकारों के लिए ऋण एवं अग्रिम राशि		**6.62**	2.50
सुरक्षित			
अन्य ऋण एवं अग्रिम राशि			
अन्य ऋण		**235.26**	803.65
व्यावसायिक दस्तावेज		**7721.23**	–
विदेशी मुद्रा ऋण		**5553.04**	7130.08
		15891.76	14613.27

(क) संबंधित उधार लेने वाली कंपनियों के मौजूदा परिसंपत्तियों के उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित

	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
8. भुगतान करने योग्य व्यापार		
सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम	**29.46**	27.27
अन्य	**4272.11**	3784.87
	4301.57	3812.14

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
9. अन्य मौजूदा देनदारियां				
दीर्घकालिक उधार की मौजूदा परिपक्वता		**1839.07**		1817.80
प्राप्त ब्याज लेकिन उधार पर जिनका ब्याज बाकी नहीं है		**926.30**		668.40
जिनसे अग्रिम राशि मिल गई है				
ग्राहक	**1929.85**		869.27	
अन्य	**50.18**	**1980.03**	55.24	924.51
निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि की ओर देयताएं, देय नहीं हैं				
लाभांश जिसकी अदायगी नहीं हुई है	**9.23**		11.73	
अदावाकृत परिपक्वता जमा एवं उस पर उपचित ब्याज	**1.03**	**10.26**	1.03	12.76
प्रतिभूति जमा	**1127.16**		785.50	
घटावः प्रतिभूति जमा के तौर पर जो निवेश प्राप्त हो चुके हैं	–	**1127.16**	0.01	785.49
अन्य अदायगी				
कार्यशील पूंजी के लिए विभिन्न लेनदार		**2066.29**		2265.38
अन्य अदायगी		**8057.68**		7882.71
		16006.79		14357.05
10. अल्पकालीन प्रावधान				
कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए प्रावधान				
– मिली हुई छुट्टियां		**256.17**		232.73
– कर्मचारियों के लिए परिभाषित सुविधा योजना		**188.38**		167.53
अन्य				
– कर		**29.90**		29.21
– प्रदूषण नियंत्रण और परिधीय विकास		**53.65**		83.93
– विनिमय में उतार चढ़ाव		–		15.29
– प्रस्तावित लाभांश		–		103.25
– लाभांश पर कर		**6.33**		25.19
– वेतन संशोधन		**1428.87**		1279.58
– खान वनीकरण/अधिभारों का निराकरण		**323.22**		280.98
– अन्य		**318.02**		280.41
कुल		**2604.54**		2498.10

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश हैं)

11क: मूर्त स्थाई परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक (लागत पर)				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च, 2015 को	परिवर्धन/ समायोजन	घटा	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को	वर्ष के लिए	घटाः बिक्री/ समायोजन पर	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
क. संयंत्र, खान एवं अन्य										
भूमि (विकास लागत सहित)										
– फ्रीहोल्ड भूमि	270.58	1.64	0.01	**272.21**	0.87	0.01	0.01	0.87	**271.34**	269.71
– लीजहोल्ड भूमि	741.30	28.28	1.53	**768.05**	130.32	52.49	1.33	181.48	**586.57**	611.00
भवन*	4363.35	678.16	;503.13द्ध	**5544.64**	1504.09	168.73	54.82	1618.00	**3926.64**	2859.26
संयंत्र एवं मशीनरी										
– इस्पात संयंत्र	50980.23	9194.82	700.80	**59474.25**	22669.37	1534.30	;72.45द्ध	24276.12	**35198.13**	28310.86
– अन्य	5097.87	217.90	123.09	**5192.68**	3055.31	223.25	195.09	3083.47	**2109.21**	2042.56
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	152.43	6.07	0.76	**157.74**	97.59	8.07	0.53	105.13	**52.61**	54.84
वाहन	1505.17	51.35	82.77	**1473.75**	753.45	73.96	51.70	775.71	**698.04**	751.72
कार्यालय उपस्कर	84.39	4.96	8.79	**80.56**	69.03	5.39	10.58	63.84	**16.72**	15.36
विविध मदें	321.95	27.73	20.91	**328.77**	207.45	14.53	14.38	207.60	**121.17**	114.47
सड़कें, पुल एवं पुलिया	269.73	51.97	1.16	**320.54**	178.21	33.65	0.79	211.07	**109.47**	91.52
जल आपूर्ति एवं मल व्ययन	648.06	31.22	114.32	**564.96**	316.18	18.37	26.05	308.50	**256.46**	331.88
ईडीपी उपस्कर	414.61	12.19	2.38	**424.42**	334.64	25.80	3.42	357.02	**67.40**	79.97
रेल लाइन एवं साइडिंग	623.48	62.66	42.08	**644.06**	242.56	14.10	19.61	237.05	**407.01**	380.92
उप योग 'क'	65473.15	10368.95	595.47	**75246.63**	29559.07	2172.65	305.86	31425.86	**43820.77**	35914.07
पूर्व वर्ष के आंकड़े	53457.38	12467.87	452.10	**65473.15**	27420.55	2330.23	191.70	29559.08	**35914.07**	
ख. सामाजिक सुविधाएं										
भूमि (विकास लागत सहित)										
– फ्रीहोल्ड भूमि	10.88	–	–	**10.88**	–	–	–	–	**10.88**	10.88
– लीजहोल्ड भूमि	6.89	–	–	**6.89**	5.80	0.12	–	5.92	**0.97**	1.10
भवन	626.76	35.16	(1.75)	**663.67**	284.70	17.74	0.68	301.76	**361.91**	342.06
संयंत्र एवं मशीनरी – अन्य	134.17	7.27	0.48	**140.96**	89.12	5.72	0.29	94.55	**46.41**	45.05
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	25.42	2.03	0.73	**26.72**	17.96	1.39	0.37	18.98	**7.74**	7.46
वाहन	11.19	.	0.21	**10.98**	9.23	0.55	0.20	9.58	**1.40**	1.96
कार्यालय उपस्कर	4.20	0.52	0.17	**4.55**	3.41	0.29	0.12	3.58	**0.97**	0.79
विविध मदें	205.37	9.74	0.20	**214.91**	115.34	11.19	(0.16)	126.69	**88.22**	90.03
सड़कें, पुल एवं पुलिया	93.36	29.85	(0.63)	**123.84**	55.53	14.11	(0.59)	70.23	**53.61**	37.83
जल आपूर्ति एवं मल व्ययन	122.71	6.18	(93.68)	**222.57**	107.28	4.36	(7.76)	119.40	**103.17**	15.43
ईडीपी उपस्कर	12.74	(0.04)	0.85	**11.85**	11.12	0.61	1.07	10.66	**1.19**	1.62
उप योग 'ख'	1253.69	90.71	(93.42)	**1437.82**	699.49	56.08	(5.78)	761.35	**676.47**	554.21
पूर्व वर्ष के आंकड़े	1207.63	56.81	10.75	**1253.69**	617.60	46.86	(35.02)	699.48	**554.21**	
ग. परिसंपत्तियां जो सक्रिय उपयोग में नहीं हैं										
अव्यवहार्य/उप्रयुक्त परिसंपत्तियां	76.09	6.51	6.62	**75.98**	–	–	–	–	**75.98**	76.09
पूर्व वर्ष के आंकड़े	29.20	49.98	3.09	**76.09**	–	–	–	–	**76.09**	
योग ('क'+'ख'+'ग')	66802.93	10466.17	508.67	**76760.43**	30258.56	2228.73	300.08	32187.21	**44573.22**	36544.37
पूर्व वर्ष के आंकड़े	54694.21	12574.66	465.94	**66802.93**	28038.15	2377.09	156.68	30258.56	**36544.37**	

* कटोती कॉलम में जो आंकड़े हैं उनमें एक वर्ग की परिसंपत्ति से अन्य को फिर से इकट्ठा किया जाता है

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश हैं)

11खः अमूर्त स्थाई परिसंपत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	सकल ब्लॉक (लागत पर)				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च, 2015 को	परिवर्धन/ समायोजन	घटा	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 तक	वर्ष के लिए	घटाः बिक्री/ समायोजन पर	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
क. संयंत्र, खान एवं अन्य										
साख	380.49	0.41	374.60	**6.30**	0.57	–	–	**0.57**	5.73	379.92
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	117.47	3.19	(1.02)	**121.68**	101.09	7.31	0.01	**108.39**	13.29	16.38
खनन अधिकार	3857.28	457.51	442.67	**3872.12**	1787.06	52.04	184.70	**1654.40**	2217.72	2070.22
उप योग 'क'	4355.24	461.11	816.25	**4000.10**	1888.72	59.35	184.71	**1763.36**	2236.74	2466.52
पूर्व वर्ष के आंकड़े	1823.77	2533.06	1.59	**4355.24**	301.63	1591.55	4.46	**1888.72**	2466.52	
ख. सामाजिक सुविधाएं										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.75	0.35	0.20	**0.90**	0.61	0.12	0.19	**0.54**	0.36	0.14
उप योग 'ख'	0.75	0.35	0.20	**0.90**	0.61	0.12	0.19	**0.54**	0.36	0.14
पूर्व वर्ष के आंकड़े	0.63	0.12	.	**0.75**	0.59	0.02	–	**0.61**	0.14	
योग ('क'+'ख')	4355.99	461.46	816.45	**4001.00**	1889.33	59.47	184.90	**1763.90**	2237.10	2466.66
पूर्व वर्ष के आंकड़े	1824.40	2533.18	1.59	**4355.99**	302.22	1591.57	4.46	**1889.33**	2466.66	

नोटः मूल्यह्रास का आबंटन	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित	**2254.31**	1907.14
(ख) निर्माण के दौरान व्यय में प्रभारित *	**33.89**	2061.52
कुल	**2288.20**	3968.66

* खाता के प्राथमिक शीर्ष में शामिल और ईडीसी से लिया जा चुका है।

*प्रथामिक आंकड़े में मूल्यह्रास शामिल है जो आईसीवीएल को सहायकों से अधिग्रहित हुआ है।

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश हैं)

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
12. कार्यशील पूंजी				
निर्माण के दौरान व्यय		**51.09**		23.78
लंबित आबंटन (नोट 12.1)				
कार्यशील पूंजी				
स्टील प्लांट एवं यूनिट	**24629.19**		28943.24	
टाउनशीप	**122.79**		193.67	
अयस्क खान और खदान	**349.70**		263.88	
	25101.68		29400.79	
घटावः प्रावधान	**233.49**	**24868.19**	131.78	29269.01
निर्माण भंडार और अतिरिक्त	**38.74**		37.78	
घटावरू गैर गतिशील सामानों का प्रावधान	**3.29**	**35.45**	2.77	35.01
		24954.73		29327.80

	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
12.1. निर्माण के दौरान व्यय (लंबित आबंटन)				
शुरुआती शेष (क)		**23.78**		15.39
एक साल के दौरान हुए खर्च				
कर्मचारियों के वेतन और सुविधाएं				
वेतन एवं मजदूरी	**134.28**		143.22	
भविष्य निधि में कंपनी का योगदान	**12.53**		13.79	
सफर के दौरान छूट	**4.00**		2.87	
कल्याण के लिए खर्च	**0.16**		0.01	
ग्रैच्युटी	**3.12**	**154.09**	1.22	161.11
तकनीकी सलाहकार का शुल्क एवं तकनीकी जानकारी		**8.00**		23.02
ऊर्जा एवं ईंधन		**84.76**		198.71
अन्य खर्च		**54.51**		50.27
ब्याज एवं वित्तीय लागत		**643.73**		638.51
अपकर्ष		**6.46**		8.21
		951.55		1079.83
घटावः वसूली				
ब्याज जो कमाए गए	**0.66**		3.33	
निर्णीत हर्जाना	**7.60**		0.58	
भाड़ा व्यय	**0.42**		0.71	
अन्य	**1.58**	**10.26**	–	4.62
एक वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय (ख)		**941.29**		1075.21
कुल (अ)+(ख)		**965.07**		1090.60
घटावः स्थिर परिसंपत्ति के लिए रकम आबंटन/ गतिशील पूंजी		**913.98**		1066.82
अग्रेनीत बकाया		**51.09**		23.78

(₹ करोड़)

	पूर्णतया चुकता इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
13. गैर चालू निवेश (लागत पर)						
(क) अनउद्धृत						
व्यापार निवेश						
सहायक कंपनियां						
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउण्ड्री कंपनी लि. (परिसमापन के अन्तर्गत)	30,00,000 (30,00,000)	10	3.00 $	**3.00**	3.00	3.00
संयुक्त उद्यम कंपनियां						
एनई स्टील एंड गैलवानाइजिंग प्रा. लि. #	– (–)		–			–
यीईसी सेल इंनफार्मेशन टेक्नालॉजी लिमिटेड	1,80,000 (1,80,000)	10	0.18 $		0.18	
नार्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड	97,900 (97,900)	100	0.98 $		0.98	
रोमेल्ट सेल इंडिया लिमिटेड	63,000 (63,000)	10	0.06 $	**1.22**	0.06	1.22
अन्य						
चीआरएल क्रोजाकी रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड	22,03,150 (22,03,150)	10	11.35		11.35	
अल्मोरा मैग्नेसाइट लिमिटेड	40,000 (40,000)	100	0.96		0.70	
इंडियन पोटास लिमिटेड	3,60,000 (3,60,000)	10	0.18		0.18	
सीमेंट एंड अलायड प्रोडक्ट्स (बिहार) लिमिटेड	2 (2)	10	0.00 *		0.00 *	
कैमिकल एंड फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन (बिहार) लिमिटेड	1 (1)	10	0.00 *		0.00 *	
भिलाई पॉवर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	5 (5)	10	0.00 *		0.00 *	
एमएसटीसी लिमिटेड	80,000 (80,000)	10	0.01		0.01	
बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन	500 (500)	100	0.01		0.01	
म्यूचुअल फंड में निवेश			1.25		4.25	
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी	5000000 (–)		5.00		5.00	
LDA मिनास डी चांगरा एलडीए			–		0.01	
बेंगा एनर्जीया एसए			–		0.01	
सहकारी समितियों में शेयर			0.18	**18.94**	0.18	21.70
कुल (क)				**23.16**		25.92
(ख) उद्धृत						
एचडीएफसी लिमिटेड	60,000 (60,000)	2	0.01		0.01	
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2500 (2,500)	2	0.00*		0.00*	
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	28600 (28,600)	10	0.05	**0.06**	0.05	0.06
कुल (ख)				**0.06@**		0.06
कुल (क+ख)				**23.22**		25.98
घटावः निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान				**7.48**		7.48
				15.74		18.50
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य				**10.32**		11.40

* ₹ 50,000/– की लागत से कम, आंकड़े नहीं दिए गए हैं

$ समेकित नहीं – नोट नंबर 29.3 को देखे

कंपनी एन ई स्टील एंड गैलवनाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझा उपक्रम समझौते में पूर्व के वर्ष में शामिल है।

			31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
13.1. सहकारी समितियों में शेयर				
बोकारो स्टील कर्मचारी' को ऑपरेटिव क्रेडिट सोशाइटी लिमिटेड	116500 (116500)	10	**1165000**	1165000
बोकारो स्टील सिटी सेंट्रल कंज्यूमर्स को–ऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड	250 (250)	10	**2500**	2500
एनएमडीसी मेघाहाथाबुरु कर्मचारी कंज्यूमर को–ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	25 (25)	100	**2500**	2500
डीएसपी कर्मचारी को–ऑपरेटिव सोसाइटी लमिटेड	1377 (1377)	100	**137700**	137700
बोलानी अयस्क कर्मचारी कंज्यूमर को–ऑपरेटिव सोसाइटी लमिटेड	200 (200)	25	**5000**	5000
इस्को कर्मचारी प्राइमरी को–ऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड	23000 (23000)	20	**460000**	460000
			1772700	1772700

13 I. वर्तमान निवेश (लागत पर)	31 मार्च, 2016 को	(₹ करोड़) 31 मार्च, 2015 को
अल्पकालीन निवेश		
(कम लागत और सही मूल्य पर)		
म्यूचुअल फंड में निवेश (अनुद्धृत)	**48.31**	42.03

नोटः संपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा लगातार प्रति म्युचुअल फंड के शुद्ध मूल्य को प्रकाशित किया गया है।

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश हैं)

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
14. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम राशि				
अग्रिम राशि	201.02		129.31	
घटावः संदेहास्पद अग्रिम पूंजी के लिए प्रावधान	1.01	200.01	1.01	128.30
प्रतिभूति जमा		91.22		73.00
संबंधित पक्षकारों के लिए ऋण एवं दायित्व	6.47		15.22	
घटावः संदेहास्पद संबंधित पक्षकारों के लिए अग्रिम राशि का प्रावधान	2.53	3.94	2.53	12.69
अन्य ऋण एवं अग्रिम राशि				
ऋण				
कर्मचारी	224.65		279.31	
विविध	0.04	224.69	2.93	282.24
नकद या वस्तु या प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम				
ठेकेदार एवं सप्लायर	257.49		182.01	
कर्मचारी	0.63		0.79	
अग्रिम के रूप में आयकर का भुगतान/वसूली योग्य	407.67		383.49	
एमएटी उधार	1183.45		1188.24	
अन्य	3.57	1852.81	4.31	1758.84
जमा				
पोर्ट ट्रस्ट, उत्पाद शुल्क प्राधिकरण, रेलवे आदि	73.84		75.16	
अन्य	2806.54	2880.38	2508.28	2583.44
		5253.05		4838.51
घटावः ऋण एवं अग्रिम राशि के लिए किए गए प्रावधान		42.40		40.05
		5210.65		4798.46
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम का विवरण				
रक्षित, शोध्य माने गये		184.89		228.32
अरक्षित, शोध्य माने गये		5025.76		4570.14
संदिग्ध		45.94		43.59
		5256.59		4842.05
15. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां				
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य	43.87		65.37	
घटावः प्रावधान	6.43	37.44	34.98	30.39
विवरण				
रक्षित, शोध्य माने गये		-		2.25
अरक्षित, शोध्य माने गये		37.44		28.14
संदिग्ध		6.43		34.98
		43.87		65.37
दीर्घावधि वसूली योग्य दावे		208.27		284.56
प्राप्य/उपचित ब्याज				
कर्मचारी		2.50		2.05
अन्य				
पूर्व प्रचालनात्मक व्यय		0.50		1.25
		248.71		318.25

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
16. मालसूची				
भंडार एवं अतिरिक्त				
– उत्पादन	2458.45		2716.19	
– ईंधन का स्टॉक	118.86		158.23	
– अन्य	32.03		35.63	
	2609.34		2910.05	
जोड़ाः मार्गस्थ	142.77		171.45	
	2752.11		3081.50	
घटायाः अचल/अप्रचलित मदों के लिए प्रावधान	218.05	2534.06	206.00	2875.50
कच्चा माल	2150.43		3212.42	
जोड़ाः मार्गस्थ	695.63		1228.82	
	2846.06		4441.24	
घटायाः अनुपयोग सामग्री के लिए प्रावधान	20.17	2825.89	9.81	4431.43
तैयार/अर्ध–तैयार उत्पाद				
– तैयार माल	5473.29		7018.51	
– प्रगति पर कार्य	4342.19		3319.91	
–बिक्री के लिए माल	0.39		0.28	
	9815.87		10338.70	
जोड़ाः मार्गस्थ	187.79	10003.66	389.99	10728.69
		15363.61		18035.62
17. व्यापार प्राप्य – वर्तमान				
छः महीने से ज्यादा व्यापार प्राप्य	466.95		847.27	
घटायाः प्रावधान	149.20	317.75	128.02	719.25
छः महीने से कम व्यापार प्राप्य	2507.49		2530.92	
घटायाः प्रावधान	0.03	2507.46	0.03	2530.89
		2825.21		3250.14
विवरण				
अरक्षित, शोध्य माने गये		2825.21		3250.14
संदिग्ध		149.23		128.05
		2974.44		3378.19

नोट (समेकित बैलेंस शीट का जो हिस्सा बनाते हैं)

		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
18. नकद एवं बैंक शेष				
(i) नकद एवं नकद समकक्ष				
बैंक के पास शेष*				
चालू खाते	108.84		105.64	
सावधि जमा – 3 महीने तक की परिपक्वता सहित	143.02		92.13	
सावधि जमा – बैंक लियेन/ऋण के अनुसार बंधक के अधीन	0.14		0.14	
सावधि जमा – 3 महीने तक की परिपक्वता सहित न्यायालय के आदेशानुसार	–		0.38	
लाभांश खाता जिसका भुगतान नहीं किया गया	9.23	261.23	11.73	210.02
कंपनी के पास चेक		129.30		144.89
कंपनी के पास नकद एवं स्टैम्प		0.87		1.01
उप योग		391.40		355.92
(ii) अन्य बैंक शेष*				
मार्जिन राशि	–		0.04	
सावधि जमा – 3 महीने से अधिक की परिपक्वता सहित	128.75		2116.42	
सावधि जमा – बैंक लियेन/ऋण के अनुसार बंधक के अधीन	1.04		–	
सावधि जमा – न्यायालय के आदेशानुसार	109.44		101.12	
विशिष्ट सावधि जमा	62.13	301.36	62.42	2280.00
कुल		692.76		2635.92
***शामिल**				
– 12 माह से कम की परिपक्वता अवधि	443.90		2372.03	
– 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि	0.62	444.52	0.62	2372.65

नोट (जो समेकित तुलन–पत्र का ही अंश हैं)

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को
19. लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम				
संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम	11.62		47.18	
घटायाः संदिग्ध संबंधित पार्टी अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.39	10.23	1.39	45.79
अन्य ऋण एवं अग्रिम				
ऋण				
कर्मचारी	83.43		72.85	
अन्य	7.65	91.08	2.38	75.23
नकद या वस्तु या प्राप्य मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम				
ठेकेदार एवं सप्लायर	224.75		297.43	
कर्मचारी	8.03		20.34	
अग्रिम चुकता/वसूली योग्य आयकर	20.74		437.87	
प्राप्ति योग्य बिल	773.55		1181.21	
शेयरों की खरीद के लिए	11.95		3.53	
अन्य	931.37	1970.39	783.23	2723.61
प्रतिभूति जमा		0.22		0.28
जमा				
पोर्ट ट्रस्ट, उत्पाद प्राधिकरण एवं रेलवे आदि	89.20		3.09	
जमा	1.40	90.60	91.27	94.36
		2162.52		2939.27
घटायाः अन्य ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान		48.67		44.18
		2113.85		2895.09
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम का विवरण				
रक्षित, शोध्य माने गये		36.78		35.39
अरक्षित, शोध्य माने गये		2077.07		2859.70
संदिग्ध		50.06		45.57
		2163.91		2940.66
20. अन्य चालू परिसंपत्तियां				
कंपनी के पास उपलब्ध सोने के सिक्के		0.23		0.23
प्राप्य/उपचित ब्याज				
अन्य कंपनियों को ऋण	0.46		0.29	
सावधि जमा	6.79		14.32	
कर्मचारी	2.69		3.41	
अन्य	123.85		130.34	
	133.79		148.36	
घटायाः संदिग्ध ब्याज के लिए प्रावधान	3.73	130.06	3.39	144.97
अन्य				
व्यापार के अतिरिक्त प्राप्य	171.75		140.91	
वसूली योग्य दावे	1679.74		2130.34	
निर्यात प्रोत्साहन	12.97		18.04	
	1864.46		2289.29	
घटायाः प्रावधान	155.51	1708.95	133.83	2155.46
		1839.24		2300.66

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष
21. प्रचालनों से आय			
उत्पादों की बिक्री			
घरेलू		42972.12	49470.10
ऊर्जा एवं भाप		299.57	.
निर्यात		557.25	1567.68
निर्यात प्रोत्साहन		9.54	27.49
उप योग	(क)	43838.48	51065.27
सेवाओं की बिक्री			
सेवा प्रभार (सकल)		78.26	46.72
उप योग	(ख)	78.26	46.72
अन्य प्रचालन आय			
सामाजिक सुविधाएं – वसूलियां		301.71	301.40
खाली सामान आदि की बिक्री		62.32	57.76
विविध		180.97	153.03
उप योग	(ग)	545.00	512.19
कुल (क+ख+ग)		44461.74	51624.18
22. अन्य आय			
ब्याज से मिलने वाली आय			
दूसरी कंपनियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम राशि		0.89	0.29
ग्राहक		91.69	136.06
कर्मचारी		17.53	20.13
सावधि जमा		208.15	283.92
अन्य		65.04	84.08
उप योग	(क)	383.30	524.48
लाभांश आय			
अन्य निवेशों से लाभांश		3.28	11.36
उप योग	(ख)	3.28	11.36
निवेश की बिक्री से लाभ (निवल)	(ग)	8.88	201.49
अन्य गैर–प्रचालन आय			
सहायता, अनुदान एवं छूट		15.14	5.99
अन्य गैर–प्रचालन आय		41.54	55.15
विदेशी विनिमय में उतार–चढ़ाव (निवल)		–	17.14
स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)		–	10.55
परिसमापन हर्जाना		47.97	18.01
प्रावधान जिनके अपलेखन की आवश्यकता नहीं		62.01	98.42
उप योग	(घ)	166.66	205.26
प्रावधानों को वापस लिखे जाने की जरूरत नहीं			
ऋण एवं अग्रिम		5.81	5.30
विविध देनदार		3.84	7.22
सामान एवं कलपुर्जे		5.43	15.21
अन्य		16.21	10.50
उप योग	(ङ)	31.29	38.23
कुल	(क+ख+ग+घ+ङ)	593.41	980.82

नोट (जो समेकित लाभ एवं हानि के विवरण का ही अंश हैं)

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष
23. इस्तेमाल में लाई गई माल की लागत				
लौह अयस्क		**4160.07**		3908.52
कोयला		**12801.21**		14196.25
कोक		**81.64**		106.36
चूना पत्थर		**1134.04**		1089.85
डोलोमाइट		**482.95**		478.41
फैरो मैंगनीज		**357.29**		418.28
फैरो सिलिकॉन		**187.47**		204.97
सिलिको मैंगनीज		**845.75**		868.15
घटक उत्पाद		**.**		31.76
जस्ता		**104.99**		99.99
एल्युमीनियम		**229.16**		260.46
अन्य		**1284.10**		1394.97
		21668.67		23057.97
घटावः कच्चे माल हेतु अंतर लेखा समायोजन		**3741.00**		3700.30
		17927.67		19357.67
24. तैयार माल के भंडार में बदलाव, जो कार्य जारी हैं और व्यापार में बिक्री के लिए माल				
आरंभिक स्टॉक				
– तैयार माल	**7408.47**		6680.54	
– चालू कार्य	**3319.94**		2443.46	
– व्यापारगत स्टॉक	**0.28**	**10728.69**	0.25	9124.25
घटायाः क्लोजिंग स्टॉक				
– तैयार माल	**5661.08**		7408.47	
– चालू कार्य	**4342.19**		3319.94	
– व्यापारगत स्टॉक	**0.39**	**10003.66**	0.28	10728.69
		725.03		(1604.44)
घटायाः तैयार माल के आरंभिक एवं क्लोजिंग स्टॉक पर उत्पाद शुल्क में विचलन		**134.16**		(235.74)
स्टॉक में निवल अभिवृद्धि(–)/कमी		**590.87**		(1368.70)
25. कर्मचारी हितलाभ संबंधी व्यय				
वेतन एवं मजदूरी		**7042.87**		7101.80
छुट्टी नकदीकरण		**681.98**		703.00
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में कंपनी का अंशदान		**971.43**		873.95
यात्रा रियायत		**251.46**		32.65
कल्याण व्यय		**526.57**		497.70
उपदान		**601.65**		690.51
		10075.96		9899.61
घटायाः कर्नाटक सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान		**0.15**		.
		10075.81		9899.61

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष
26. वित्तीय लागत				
ब्याज की लागत				
– विदेशी मुद्रा कर्ज		**694.12**		637.55
– गैर परिवर्तनीय बॉन्ड		**608.10**		350.54
– बैंक के उधार – कार्यशील पूंजी		**66.29**		171.52
– स्टील के विकास की निधि के लिए ऋण		**3.20**		3.73
– विविध		**793.48**		381.06
– आय कर अधिनियम के तहत ब्याज		**–**		0.55
– अन्य उधार लागत		**11.79**		10.23
		2176.98		1555.18
नोटः				
ब्याज और वित्तीय लागत पर व्यय ऊपर जिन्हें शामिल नहीं किया गया है और लागत जिन पर मांगा जाता है:				
निर्माण कार्य के दौरान व्यय				
ब्याज की लागत				
विदेशी मुद्रा ऋण		**147.72**		188.15
गैर परिवर्तनीय बॉन्ड		**491.05**		445.31
स्टील के विकास की निधि के लिए ऋण – ब्याज		**4.96**		4.43
		643.73		637.89
27. अन्य व्यय				
स्टॉक और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग		**2699.08**		2685.39
ऊर्जा एवं ईंधन		**4585.58**		4292.66
मरम्मत एवं रखरखाव				
भवन	**201.78**		225.52	
प्लांट एवं मशीनरी	**757.30**		667.55	
अन्य	**278.89**	**1237.97**	248.00	1141.07
बाहर जाने वाला माल भाड़ा		**1159.12**		1033.88
व्यय का प्रबंधन				
– कच्चा माल	**325.56**		286.17	
– रद्दी माल की वसूली	**314.33**	**639.89**	289.90	576.07
अधिशुल्क और उपकर		**1345.15**		1225.90
रूपांतरण के लिए राशि		**413.32**		332.85
प्लांट के अंदर हस्तांतरण पर उत्पाद शुल्क/आंतरिक इस्तेमाल		**305.40**		367.97
विलंब शुल्क और वारफेज		**48.64**		100.17
पानी पर बिल और जल प्रदूषण पर सेस		**157.02**		198.90
बीमा		**39.83**		26.97
डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन		**25.14**		28.35
प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी		**10.06**		11.16
दर एवं कर		**53.16**		48.90
भाड़ा		**30.83**		31.79
सुरक्षा पर व्यय		**448.63**		389.39
यात्रा संबंधी खर्च		**157.95**		199.18
ट्रेनिंग पर खर्च		**42.19**		47.31
विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार चढ़ाव		**66.58**		–
विक्रय में नुकसान/स्थिर संपत्तियों (शुद्ध) का विघटन		**26.83**		–
कार्पोरेट समाजिक जिम्मेदारी पर व्यय		**76.64**		–
लेखा परीक्षकों का वेतन				
– लेखा परीक्षा शुल्क	**1.60**		1.69	
– कर लेखा परीक्षा शुल्क	**0.42**		0.40	
– अन्य सेवाओं में	**1.02**		1.13	
– कर्मचारी द्वारा किया गया फुटकर व्यय	**0.89**	**3.93**	0.87	4.09
लागत लेखा परीक्षा शुल्क और प्रतिपूर्ति व्यय		**0.20**		0.14
प्रावधान				
– संदेशास्पद बाध्यता, ऋण एवं अग्रिम राशि	**28.71**		46.92	
– स्टॉक, अतिरिक्त और विविध	**201.34**	**230.05**	57.23	104.15
बट्टा खाते लिखना		**1.76**		1.89
व्यय प्रबंधन – तैयार माल		**237.18**		172.14
नकदी छूट (शुद्ध)		**56.42**		70.82
विक्रय अभिकर्ताओं को कमीशन		**10.09**		12.72
निर्यात विक्रय खर्च		**8.85**		24.39
विक्रय खर्च		**11.70**		10.81
विविध		**363.69**		253.22
		14492.88		13392.28

नोट (जो समेकित लाभ एवं हानि के विवरण का ही अंश हैं)

28. पिछले वर्षों के संबंध में समायोजन

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष
विक्रय	4.48	(1.72)
अन्य आय	(10.50)	3.97
कच्चा माल जो इस्तेमाल किए गए	4.65	(3.42)
संचित माल और अतिरिक्त माल जो इस्तेमाल किए गए	(0.49)	(10.57)
ऊर्जा एवं ईंधन	10.47	.
कर्मचारियों का वेतन और सुविधाएं	–	(4.46)
मरम्मत और रखरखाव	–	(2.80)
अन्य व्यय	19.58	88.11
अपकर्ष	22.42	19.49
ब्याज	(35.24)	–
कुल व्यय पक्ष का लेखा	15.37	88.60

समेकित वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियां

29.1 सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम कंपनियाँ और सहायक कंपनी, जो भारत में समाविष्ट हैं, और जिसे समेकित वित्तीय विवरण के अंतर्गत माना जाता है, वे निम्नलिखित हैः

(₹ करोड़)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व हित का अनुपात %	
		(31 मार्च, 2016 को)	(31 मार्च, 2015 को)
क. सहायक कंपनी			
	सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड (एस आर सी एल)	100	100
	सेल–जगदीशपुर पॉवर प्लांट लिमिटेड (एस जे पी पी एल)	100	100
	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट लिमिटेड (एस एस पी एल)	100	100
	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड (सी एम एस एल)	100	–
ख. संयुक्त उद्यम कंपनियाँ			
	एन टी पी सी सेल पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एन एस पी सी एल)	50	50
	बोकारो पॉवर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बी पी एस सी एल)	50	50
	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड (एस बी एस सी एल)	40	40
	एम जंक्सन सर्विसेज लिमिटेड (एम एस एल)	50	50
	भिलाई जे पी सिमेंट लिमिटेड (बी जे सी एल)	26	26
	एस – टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50	50
	सेल – एम ओ आइ एल फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड	50	50
	इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड (आइ सी वी एल)	46.62	49.59
	सेल–एस सी आइ सिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	50
	सेल एस सी एल केरल लिमिटेड	49.26	48.36
	सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड (एस आर बी डब्ल्यू आइ पी एल)	50	50
	सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	50	50
	एस ए एल सेल जे वी सी लिमिटेड	26	26
	टी एम टी एस ए एल सेल जे वी लिमिटेड	26	26
	सेल–बंगाल एलाय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	50	50
	प्राइम गोल्ड–सेल जे वी सी लिमिटेड (पी जी एस जे एल)	26	26
	वी एस एल सेल जे वी सी लिमिटेड	26	26
	अभिनव सेल जे वी सी लिमिटेड	26	26
ग. सहायक कंपनी			
	अल्मोरा मैग्नेसाइट लिमिटेड (ए एम एल)	20	20

29.2 सहायक कंपनियाँ निम्नलिखित व्यवसायों में सम्मिलित हैं/सम्मिलित होना हैः

i) एस आर सी एल रिफ्रेक्टरियों के उत्पादन में;

ii) एस जे पी पी एल पॉवर जेनरेशन में;

iii) एस एस पी एल उर्वरक उत्पादन में; और

iv) सी एम एस एल स्टील उत्पादन में।

29.3 क) सेल की संयुक्त उद्यम कंपनियाँ यूइसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड (यू एस आई टी), रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड, नॉर्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड और एन. ई. स्टील एण्ड गैल्वेनाइजिंग प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के खाते को समेकित नहीं किया गया है और इसे पूरी तरह से उपलब्ध किया गया है।

ख) मिनास डे चंगरा एल डी ए, मोजांबिक और बेंगा एनर्जिया एस ए मोजांबिक का वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है क्योंकि दोनों कंपनियाँ निष्क्रिय है। अतः इनके वित्तीय विवरणों को आइसीवीएल ने समेकन उद्देश्य के लिए उचित नहीं समझा।

30.1 सेल के पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी II एस सी ओ –उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्डरी कंपनी लिमिटेड के खाते को समेकित नहीं किया गया है, क्योंकि ये परिसमापन के अंतर्गत हैं।

30.2 रिवर्सडेल माइनिंग पी टी वाइ लिमिटेड और मिनास डे बंगा मारुति लिमिटेड नामक दो विदेशी सहायकों के ऑडिट किये गये खाते को दिनांक 31.03.2016 तक उपलब्ध नहीं कराया गया है और इसीलिए प्रबंधन खाते को इंटरनेशनल कोल उद्यम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समेकन के लिए निर्धारित किया गया है। रिवर्सडेल माइनिंग पी टी वाइ लिमिटेड के मामले में, अंतिम ऑडिट किये गये खाते को क्रमशः दिनांक 31.12.2014 तथा 31.12.2013 को उपलब्ध कराया गया है।

31.1 आकस्मिक दायित्व

(₹ करोड़)

		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
(i)	समूह विचाराधीन अपील/न्यायिक निर्णय के विरुद्ध दावा, जिसमें समूह ने ₹26.30 करोड़ (₹28.06 करोड़) का प्रतिकारी दावा किया है: * इसमें सेल प्लांट से स्टॉकयार्ड को हस्तांतरित किये गये ₹739.30 करोड़ (₹739.33 करोड़) का बिक्री कर शामिल है जिसके लिए किसी प्रकार की दायित्व की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि बिक्री कर का भुगतान संभाव्य विक्रय पर कर दिया गया है।	30509.54	22281.68
(ii)	समूह के विरुद्ध अन्य दावे को कर्ज के रूप में नहीं माना गया है क्योंकि इन कर्ज के विरुद्ध समूह ने ₹103.95 करोड़ (₹103.95 करोड़) का प्रतिकारी दावा किया है।	1913.79	1368.32
(iii)	संयुक्त उद्यम कंपनी के द्वारा माँगी गई विवादित आय कर/सेवा कर जिसके लिए कि कंपनी आकस्मिक रूप से संयुक्त उद्यम समझौता के अधीन हो सकती है।	33.79	31.59
(iv)	ग्राहकों के लिए अदा किया गया तथा बैंक से छूट पर बिल	329.77	420.15
(v)	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और कुछ कर्मचारियों द्वारा मूल्य वृद्धि दावा, जिसके विस्तार निश्चित नहीं होता है।	161.71	246.25
(vi)	बैंक की गारंटी का सामूहिक आनुपातिक शेयर जो कि अन्य पार्टी के फेवर में आइ सी वी एल और इसके सहायकों द्वारा दिया जाता है।	12.30	–

31.1.1 आकस्मिक दायित्वों में शामिल होते हैं :

i) 31 मार्च, 2016 को संयुक्त उद्यमों में ब्याज से संबंधित आकस्मिक देय राशि : ₹ 33.79 करोड़ (31मार्च, 2015 : ₹31.59 करोड़).

ii) संयुक्त उद्यमों के आकस्मिक देयराशि में खुद का शेयर जिसके लिए समूह आकस्मिक रूप से 31, मार्च 2016 तक अधीन है ₹ 181.07 करोड़ (31 मार्च, 2015: ₹ 71.81 करोड़)।

31.2 शेष ठेके के अनुमानित राशि को कार्यान्वित किया जाना है और जिसे संपत्ति पर उपलब्ध नहीं किया जाता है (कुल अग्रिम), वह ₹15795.75 करोड़ (₹13159.82 करोड़) है और राजस्व राशि पर ₹1444.26 करोड़ (₹1399.69 करोड़) है।

पूँजी प्रतिबद्धता में शामिल होते हैं :

i) 31 मार्च, 2016 को संयुक्त उद्यमों में ब्याज से संबंधित पूँजी प्रतिबद्धता : शून्य करोड़ (31 मार्च, 2015: ₹ शून्य करोड़)।

ii) 31 मार्च, 2016 को संयुक्त उद्यमों के पूँजी प्रतिबद्धता में खुद का शेयर: ₹ 107.68 करोड़ (31 मार्च, 2015: ₹ 146.65 करोड़)

31.3 सेल के संबंध में:

क) विशेष छुट्टी आवेदन के संबंध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बिरुद्ध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रविष्टि कर लगाने संबंधी विचाराधीन अंतिम निर्णय से संबंधित कंपनी के अध्यादेश आवेदन को खारिज कर दिया है, प्रविष्टि कर राशि नोट संख्या 31.1(i) में शामिल है, जिसमें ₹97.22 करोड़ (₹94.89 करोड़) की विवादित राशि शामिल है। कंपनी बताये गये माँग के विरोध में ₹114.21 करोड़ (₹96.45 करोड़) जमा किया है, जिसे जमा के रूप में दिखाया गया है और लंबी अवधि की मियादी कर्ज और अग्रिमों के अंतर्गत बताया गया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध एस एल पी में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विचाराधीन अंतिम निर्णय ने कंपनी के अध्यादेश आवेदन को खारिज कर दिया है, नोट संख्या 31.1 (i) में प्रविष्टि कर राशि में, क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य में ₹1091.02 करोड़ (₹1084.32 करोड़), और ओडिसा राज्य में ₹341.15 करोड़ (₹ 333.95 करोड़) शामिल है।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित मामले में, कानूनी मत पर आधारित 1409.23 करोड़ (₹1251.41 करोड़) की देयराशि पुस्तकों में 6% की दर से माँग पर 3% की दर से प्रविष्टि कर के रूप में उपलब्ध कराया गया है। कंपनी ने छत्तीसगढ़ और ओडिसा राज्य में कथित माँग पर क्रमशः ₹1409.23 करोड़ (₹1251.41 करोड़) और ₹109.82 करोड़ (₹103.27 करोड़) जमा की है जिसे जमा के रूप में माना गया है और लंबी अवधि का मियादी कर्ज और अग्रिमों के अंतर्गत बताया गया है।

ख) विशेष छुट्टी आवेदन के संबंध झारखंड उच्च न्यायालय के विरुद्ध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय ने कंपनी के उस अध्यादेश आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें दामोदर घाटी निगम (डी वी सी) द्वारा कंपनी के बोकारो स्टील प्लांट को विद्युत आपूर्ति के संबंध में माँगे गये ₹491.27 करोड़ (₹393.59 करोड़), की माँग की गई थी, जिसे आकस्मिक देय राशि के रूप में नोट संख्या 31.1(i) में शामिल किया गया है। कथित माँग के एवज् में उसके द्वारा जारी बिल के रूप में डी वी सी द्वारा कुल राशि का भुगतान किया गया जिसे अल्पावधि मियादी कर्ज और अग्रिमों के अंतर्गत बताया गया।

31.4 झारखंड मिनरल एरिया डेवलपमेंट प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, के अंतर्गत झारखंड राज्य सरकार ने कोयले के हस्तांतरण मूल्य पर ₹97.85 करोड़ (₹63.31 करोड़) "बाजार शुल्क" के लिए की माँग की है। मुद्दा न्यायाधीन है, इसलिए राशि को आकस्मिक दायित्व के रूप में ऊपर नोट संख्या 31.1(i) में बताया गया है।

31.5 सेल ने पट्टे वाले जगह से निकाली गई मात्रा के अनुसार भारत सरकार के खनन मंत्रालय के सूचीकरण के आधार पर लौह अयस्क पर रॉयल्टी का भुगतान करता है और अच्छे लौह अयस्क तथा महीन लौह अयस्क दोनो का यह मूल्य मासिक आधार पर इंडिया ब्यूरो ऑफ माइन्स में अलग–अलग प्रकाशित होती है। महीन लौह अयस्क का अच्छे लौह अयस्क की दर से भुगतान के लिए ओडिसा सरकार द्वारा 07.09.2010 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसे अगस्त 2009 से प्रभावी बनाने की माँग की गई थी। भारत सरकार ने दिनांक 23.07.2012 के परिपत्र द्वारा ओडिसा सरकार को दिनांक 07.09.2010 के परिपत्र को वापस लेने का निदेश दिया। इस प्रकार, अच्छे लौह अयस्क की दर पर महीन लौह अयस्क के लिए अतिरिक्त रॉयल्टी कंपनी के दो लौह अयस्क खनन में भुगतान किया गया जिसका मूल्य ₹144.34 करोड़ है, को वापसी दावा के रूप में दिखाया गया है। जहाँ कंपनी इस मुद्दे को लेकर परिपत्र के लंबित वापसी के संबंध में ओडिसा ररकार के उचित प्राधिकरण से लड़ रही है, ₹144.34 करोड़ (₹144.34 करोड़) के भुगतान को आकस्मिक देयराशि में उपर्युक्त नोट संख्या 31.1(ii) में शामिल किया गया है।

31.6 आइ सी वी एल, ने एक्जिम बैंक को आइ सी वी एल मारुति के एवज में, यू एस$ 30 मिलियन (198.78 करोड़ के बराबर) का अल्पावधि कार्यकारी पूँजी कर्ज दिया है, यू एस$ 30 मिलियन (₹198.78 करोड़ के बराबर) (समूह का अनुपातिक शेयर यू एस$ 13.99 मिलियन है, जो ₹198.78 करोड़ के बराबर है) का कार्पोरेट गारंटी दिया है।

31.7 बी पी एस सी एल ने वर्ष 2006 में 2x250 मेगावाट का प्रोजेक्ट निर्माण कार्य लिया है और ₹19.10 करोड़ (समूह का आनुपातिक शेयर ₹9.55 करोड़ है) के तालमेल का पूँजी कार्य प्रगति पर है, प्रोजेक्ट को कोयला आपूर्ति से संबंधित एल ओ ए (आश्वासन पत्र) में दिये गये शर्त को पूरा नहीं किये जाने के कारण इसका 31 मार्च 2011 को सी सी एल द्वारा आह्वान किया गया ₹12.35 करोड़ भी शामिल है, प्रोजेक्ट कार्यान्वयन प्रगति पर है।

32. नियत संपत्ति

32.1 भूमिः

(i) इसमें कंपनी के द्वारा 67926.64 एकड़ (67354.96 एकड़) स्वामित्व/अधिकार किया गया/पट्टे पर लिया गया भूमि शामिल है, जिसका टाइटल/पट्टे का कार्य पंजीकरण के लिए लंबित है।

(ii) 34061.08 एकड़ (35334.08 एकड़) भूमि शामिल है जिसका टाइटल विवाद में है।

(iii) 8856.73 एकड़ (8851.69 एकड़) हस्तांतरित/हस्तांतरण के लिए राजी या विभिन्न संयुक्त उद्यमों/केन्द्र/राज्य, अर्द्ध–सरकार प्राधिकारों के लिए निपटान के लिए उपलब्ध, जिसके लिए हस्तांतरण कार्य का निष्पादन/पंजीकरण शेष है।

(iv) 7181.43 एकड़ (6345.43 एकड़) विभिन्न एजेंसियों/कर्मचारियों/सेवानिवृत कर्मचारियों को दिया गया है।

(v) 4440.70 एकड़ (4211.42 एकड़) भूमि अनधिकृत व्यवसाय के अंतर्गत शामिल है।

(vi) 1762.92 एकड़ (1762.92 एकड़) भूमि जो वास्तविक अधिकार में नहीं है, उसे मानित कब्जा के रूप में दिखाया गया है।

(vii) ₹64.18 करोड़ 2007 के दौरान भूमि के वास्तविक मालिक को जिससे जमीन ले ली गई है, देने के लिए जिला और सत्र (सेसन) जज बोकारो के अंतर्गत जमा (पहले से प्राप्त भूमि के संबंध में) है।

(viii) भारत के गजट में अधिग्रहण (असाधारण) के अधिसूचना संख्या ैं.द 1309(इ), दिनांक 13.10.2012 और अधिसूचना संख्या एस ओ 2484 इ दिनांक 13.10.2012 के अनुसार, नेशनल हाइवे अथॉरटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एच ए आइ) ने 9.553 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की इराद़ा को अधिसूचित किया है। 7.895 एकड़ भूमि की क्षतिपूर्ति की वसूली पहले ही हो चुकी है और इसकी लेखाकरण की जा रही है। अधिसूचित शेष 1.658 एकड़ भूमि के लिए बाद का अंशतः या पूरा भाग के अधिग्रहण का लेखाकरण एन एच ए आइ द्वारा भविष्य में वास्तविक मात्रा में क्षतिपूर्ति की प्राप्ति, यदि कोई हो तो, की प्राप्ति के बाद किया जाएगा।

(ix) एनटीपीसी–सेल पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, पट्टे पर पड़ी भूमि में 879.05 वर्ग मी शामिल है। ₹10.95 करोड़ का मूल्य, (पिछले वर्ष – 879.05 वर्ग मी का मूल्य ₹10.95 करोड़ था) जिसे शाश्वत पट्टे पर लिया गया था और उसके पश्चात कोई अवमूल्यन प्रभारित नहीं किया गया है।

32.2 सेल, के मामले में, मकान जिसमें कुल ब्लॉक ₹21.73 करोड़ (₹22.15 करोड़) शामिल है, और एस सी आर एल के मामले में भूमि और मकान दोनों को मिलाकर क्रमशः ₹6.78 करोड़ (₹6.78 करोड़) शामिल है जिसके लिए कंपनियों के नाम से हस्तांतरण विलेख का पंजीकरण करना अभी भी शेष है।

32.3 सेल के मामले में, सक्रिय कार्य से निवृत संपत्तियाँ जो निपटान के लिए प्रतीक्षारत है, वह ₹75.98 करोड़ है, औरसे इसे नोट संख्या 11 (क) "मूर्त स्थायी संपत्तियाँ" के अंतर्गत

दिखाया गया है, प्रबंध के हिसाब से इसका कुल वास्तविक मूल्य बताये गये राशि से कम नहीं होगा तथा इसके लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

एस सी आर एल के मामले में, अचलनीय संपत्ति के संबंध में, राजस्व रिकॉर्ड बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के नाम से ही जारी रहेगा।

32.4 सेल ने विनिमय अंतर के लेखाकरण के विकल्प को चुना है जो कि लंबी अवधि की मियादी मौद्रिक वस्तुओं के रिपोर्ट में लाने से उत्पन्न होती है जो कार्पोरेट मामले के मंत्री द्वारा जारी 31 मार्च, 2009 के अधिसूचना लेखाकरण मानक 11– विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव, पर है, के अनुसार की जाएगी। 31मार्च, 2016, को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा कर्ज पर कुल विदेशी विनिमय परिवर्तन 154.64 करोड़ (कुल नाम) [31मार्च, 2015, को समाप्त हुए वर्ष– ₹66.57 करोड़ (कुल जमा)] को चल संपत्ति/पूँजी पर प्रगतिशील कार्य की शेष राशि से समायोजन किया गया। 1 अप्रैल, 2008 से 31मार्च, 2016, तक समायोजित किये गये विनिमय अंतरों से ₹496.39 करोड़ (कुल नामे) [₹414.55 करोड़ (कुल नामे)] की राशि 31 मार्च, 2016 यानि आज तक भी अवमूल्यित/अमूर्त है।

33. निवेश, वर्तमान संपत्ति, कर्ज और वर्तमान दायित्व और प्रावधान

33.1 सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के कारण राशि, जैसा कि 'सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (जैसा कि नोट 8: भुगतान योग्य व्यापार में कहा गया है) में परिभाषित किया गया है, को इस विस्तार तक निर्धारित किया गया है कि पार्टियों को सेल में उपलब्ध सूचना के आधार पर पहचान ली गई है। 31 मार्च, 2016 तक सूक्ष्म तथा छोटे उद्यमों से संबंधित प्रकटन निम्नलिखित है :

(₹ करोड़)

सं.	विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
i.	वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं की गई मूल राशि।	29.46	27.27
ii.	वर्ष के दौरान प्रोद्भुत ब्याज की दर तथा वर्ष के अंत तक शेष गैर भुगतान की गई राशि।	–	–
iii.	बाद के शेष ब्याज की देय तथा भुगतान की राशि, आगे के वर्षों का भी, उस तिथि तक जब ऊपर बताये गये देय ब्याज वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान कर दिया गया है, अनुभाग 23 के अंतर्गत कटौती योग्य खर्च के रूप में अस्वीकृति।	–	–
iv.	वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किये गये शेष पर देय ब्याज।	–	–
		समाप्त हुए वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
v.	अनुभाग 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ–साथ वर्ष के दौरान नियत तिथि से परे आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि की मात्रा।	–	–
vi.	भुगतान करने में बिलम्ब की अवधि के लिए बकाया तथा भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि(जिसे वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद भुगतान किया गया है) लेकिन इस अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।	–	–

33.2 प्राप्त करने योग्य तथा वसूली करने योग्य व्यापार का शेष जिसे 'वर्तमान संपत्ति' के अंतर्गत दिखाया गया है और व्यापार तथा अन्य भुगतान जिसे 'वर्तमान दायित्व' के अंतर्गत दिखाया गया है, में शेष शामिल होता है ताकि इसका सुनिश्चितीकरण/समन्वयन और अनुवर्ती समायोजन, यदि कोई हो तो, हो गया हो। समाधान आगे बढ़ने के आधार पर किया जाता है। प्रावधान, जहाँ आवश्यक समझा गया है, बनाया गया है।

33.3 आइ सी वी एल और रियो टिंटो जर्सी होल्डिंग्स 2010 लिमिटेड के बीच शेयर बिक्री समझौता (एस एस ए) संबंधी खंड 3.4 के अनुसरण में, आर टी फाइनेंस का लोन जिसे ए यू डी 345,358,581.16 आरटी फाइनेंस लोन के रूप में जाना जाता है और रिवर्सडेल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की पुस्तकों अल्पावधि उधार के रूप में में दिखता है, को आइ सी वी एल मारुति को यू एस+ 1 में आवंटित किया गया है। आइ सी वी एल मारुति को लोन के आवंटन का प्रभाव वित्त–वर्ष 2015–16 में दिखाई दिया। इस हस्तांतरण के साथ, यू एस$ 268,421,448 (भारतीय रूपया 979.96 करोड़) का रिजर्व पूँजी आइ सी वी एल मारुति की पुस्तक में निर्मित किया गया है (समूह का अनुपातिक शेयर ₹456.86 करोड़) जो गुडविल के समायोजन के बाद का है, जो कि इसी विनिमय का एक हिस्सा है।

33.4 आइ सी वी एल मे मामले में, जहाँ टाटा स्टील ग्लोबल मिनरल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (टी एस जी एम एच), टाटा स्टील का एक सहायक, ने शेयर के 35% भाग पर नियंत्रण रखता है, रिवर्सडेल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (पहले का रिवर्सडेल माइनिंग लिमिटेड), आइ सी वी एल मारुति का एक सहायक, ने कुल शेयर के 65% भाग पर नियंत्रण रख रहा है।

शेयर नियंत्रण समझौता के खंड 6 के अनुसार, किसी कार्य प्रोग्राम और बजट के अंतर्गत इस समझौते की तिथि को समूह को कंपनी को दी गई पूँजी के अतिरिक्त, किसी अन्य प्रकार की आवश्यक पूँजी शेयरधारकों को अपने संबंधित विशिष्ट अनुपात में कंपनी में अतिरिक्त इक्विटी सुरक्षा के द्वारा उपलब्ध कराना होगा। खंड 6.12 (अंतर्वाही घाटा को विशिष्ट अनुपात में सहन करना) के अनुसार, यदि कोई शेयरधारक किसी वित्तीय समायोजन में किसी घाटा से गुजर रहा है तो उस विशिष्ट अनुपात में अन्य शेयरधारक को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार, निम्न शेयरधारक के शेयर के घाटे ₹1010.10 करोड़ (समूह का अनुपातिक शेयर ₹470.91 करोड़) को उनके इक्विटी वितरण के समायोजन के बाद टाटा स्टील को आवंटित कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध 31 मार्च 2016 तक 854.42 करोड़ (समूह का अनुपातिक शेयर ₹398.33 करोड़) की राशि शेयरधारक के लोन के रूप में प्रतीत हो रहा है।

34. लाभ और हानि का विवरण

34.1 सेल के संबंध में, 31 मार्च 2016 के अंत तक के वर्ष के दौरान कुल बिक्री में औपबंधिक संविदा मूल्य पर सरकारी एजेंसी को बेची गई शामिल होते हैं ₹3376.11 करोड़ (पिछले वर्ष में: ₹2907.36 करोड़) और 31 मार्च 2016 तक संयुक्त रूप से: ₹13074.67 करोड़ (पिछले वर्ष में: ₹9750.99 करोड़)।

34.2 सेल के संबंध में, वर्ष के दौरान लाभ और हानि में प्रभारित अनुसंधान और विकास खर्च तथा मियादी संपत्ति/धन को आवंटित प्रगतिशील कार्य (कुल), क्रमशः ₹226.22 करोड़ (₹232.06 करोड़) तथा ₹50.78 करोड़ (₹32.14 करोड़) है। अनुसंधान और विकास में हुए राजस्व और खर्च की कुल राशि को संबंधित खाता शीर्ष में दिखाया गया है। राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

लेखा शीर्ष	समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
कच्चा माल	66.25	41.86
कर्मचारियों के लाभ का खर्च	95.18	100.94
खपत स्टोर और स्पेयर	5.39	7.67
बिजली तथा ईंधन	14.79	9.30
मरम्मत – रख–रखाव	4.78	4.65
अवमूल्यन और परिशोधन खर्च	6.04	9.06
अन्य खर्च	33.61	58.05
वित्त खर्च	0.18	0.53
कुल	226.22	232.06

34.3 सेल ने अपने अचल संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा अपनी किसी कमजोरी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को, सम्पूर्ण एक प्लांट की संपत्ति को कैश जेनरेटिंग युनिट (सीजीयू) के रूप में निर्धारित कर, करती है। यदि इस तरह की कोई संकेत मिलता है, तो संपत्तियों की वापसी राशि का आकलन कुल विक्रय मूल्य से अधिक के रूप में किया जाता है, और उस मूल्य का उपयोग किया जाता है। जब किसी संपत्ति का वहन राशि उसकी वापसी राशि से अधिक हो जाता है तो इसे एक क्षीण हानि कर रूप में माना जाता है। सी जी यू के कुल विक्रय मूल्य का निर्धारण तीन वर्ष में एक बार किया जाता है।

ऐसी समीक्षा पर 31 मार्च 2016 को, वर्ष के दौरान किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट में उपयोग की जा रही संपत्तियों का मूल्य भविष्य के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर आधारित होता है जिसका संपत्ति के लगातार प्रयोग के बाद बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जाता है और अंत में इसके निपटान पर इसका उपयोगी जीवन संबंधित सी जी यू के वहन राशि से अधिक होता है।

वर्ष के दौरान ॥ एस सी ओ स्टील प्लांट, एल्वॉय स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट के लिए कोई प्रावधान बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी कुल वास्तविक मूल्य का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा किया गया था, 31 मार्च, 2015 को सलेम स्टील प्लांट और 31 मार्च, 2014 को ॥ एस सी ओ स्टील प्लांट, एल्वॉय स्टील प्लांट, विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट का वास्तविक मूल्य संबंधित सी जी यू के वहन राशि से अधिक है।

प्रबंधन के विचार में, सलेम के रोटरी युनिट में संपत्ति का कोई अवमूल्यन नहीं है, यह राशि ₹7.73 करोड़ है और कुल वास्तविक मूल्य बुक किये गये मूल्य से अधिक है। ठीक इसी तरह, आर एस पी पर पाइप कोटिंग प्लांट का कुल वास्तविक मूल्य ₹36.60 करोड़ पर बुक मूल्य से अधिक है।

आइ सी वी एल के मामले में, जहाँ किसी धन का वहन राशि इसके वसूली योग्य राशि से अधिक होता है, तो संपत्ति को अवमूल्यत माना जाता है और इसे वापसी योग्य राशि के रूप में लिखा जाता है। उपयोग किये जा रहे संपत्ति के मूल्यांकन में, अनुमानित भविष्य नकद प्रवाह को पूर्व कर छूट दर का प्रयोग कर उसके वर्तमान मूल्य से कटौती किया जाता है जो संपत्ति के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और उसके विशिष्ट जोखिम को प्रतिबिंबित करता है। कम कीमत पर बेचने के लिए उचित मूल्य का निर्धारण करने में, उपयुक्त मॉडल का उपयोग किया जाता है।

34.4 कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 135 के अनुसार, जो 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी है, सेल को कॉर्पोरेट सोशल वित्तीय नीति (सी एस आर) के अनुसार तीन लगातार वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी के औसत कुल लाभ का कम से कम 2% खर्च करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त नियमों पर आधारित, वर्ष 2015–16 में सी एस आर की राशि का वजट 56 करोड़ है। सेल के द्वारा कुल खर्च जाने वाली राशि 98.96 करोड़ है (इसमें पिछले साल का खर्च नहीं किया गया 42.96 करोड़ भी शामिल है), इसमें सेल ने वर्ष 2015–16 में ₹76.16 करोड़ सी एस आर क्रियाकलाप पर निम्नलिखित मदों के अंतर्गत खर्च किया है :

विवरण	₹ करोड़
शिक्षा	12.95
स्वास्थ्य देखभाल	5.72
आजीविका प्रजनन	4.70
नारी सशक्तिकरण	3.20
पेय जल और स्वच्छता	19.51
खेल–कूद, कला और संस्कृति	7.66
ग्रामीण विकास	8.97
सामाजिक सुरक्षा	1.20
पर्यावरण शाश्वतता	11.39
कार्मिकों का क्षमता निर्माण	0.86
कुल	**76.16**

शेष बचे ₹22.80 करोड़ की राशि सेल के द्वारा आगे खर्च की जाएगी।

एस सी आर एल, एन एस पी सी एल, बी पी एस सी एल और एम एस एल ने सी एस आर क्रियाकलापों पर वर्ष 2015–16 में क्रमशः ₹0.48 करोड़, ₹2.42 करोड़, ₹0.27 करोड़ और ₹0.37 करोड़ की राशि खर्च किये हैं।

34.5 सेल ने सम्पत्तियों, प्लांट और मशीनरी के मुख्य उपकरणों, फैक्ट्री के मकानों, रेलवे लाइन और सिडिंग तथा जल आपूर्ति और मलव्यवस्था की उपयोगी जीवन का मूल्यांकन किया है जो तकनीकी पैरामीटर/मूल्यांकन पर आधारित है और बाह्य तकनीकी सलाह से समर्थित है। ठीक इसी तरह, 1 अप्रैल, 2015 को नियत संपत्ति पर ₹86.58 करोड़ का अवमूल्यन (₹45.82 करोड़ का कुल स्वीकृत कर दायित्व) वगैर शेष उपयोगी जीवन के, सुरक्षित उपार्जन में समायोजित किया गया है।

उपरोक्त बिंदुओं को देखते हुए, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में ₹54.07 करोड़ से अधिक है।

34.6 भारत सरकार ने खनन और खनिज (विकास और विनियम), संशोधन अधिनियम, 2015 (एम एम डी आर, 2015), को जारी किया जो 26 मार्च, 2015 से प्रभावी है। खनन मंत्रालय, अधिसूचना दिनांक 17.9.2015 ने खनन और खनिज (जिला खनिज संस्थान का योगदान) नियम 2015 अधिसूचित करती है, जो 12.1.2015 से प्रभावी होना प्रतीत होता है तथा जिला खनिज संस्थान को भुगतान की जाने वाली योगदान को निर्दिष्ट करती है। दिनांक 14 अगस्त 2015 के अधिसूचना के अनुसार, खनन मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज पर्यवेक्षण ट्रस्ट की स्थापना किया है, जो कार्यालय के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है। एम एम डी आर, 2015 के प्रावधानों के अनुसार जिला खनिज संस्थान और राष्ट्रीय खनिज पर्यवेक्षण ट्रस्ट को दिये गये ₹398.97 करोड़ के योगदान को सेल द्वारा वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण के रूप में प्रभारित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय खनिज उद्योगों तथा अन्य द्वारा जारी अर्जी के आधार पर वापसी कार्यवाही पर रोक लगा दिया है।

34.7 वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2015–16 अवधि के दौरान रेलवे प्राधिकार के लिए राझारा से रोघट तक रेलवे लाइन बनाने के लिए बनाये गये नकद और दया संबंधी योगदान का परिणाम रोघट खनन के शूरूवात तथा आश्वस्त ट्राफिक के पूरा होने के बाद प्रतिवर्ष निवेश के 7% वापसी के रूप में हुआ। सेल प्रबंधन ने माना कि समझौता ज्ञापन में बनाया गया नियम पूरा होगा और निवेश की तिथि से ब्याज का प्रभाव होगा। वापसी राशि में मूलधन तथा ब्याज शामिल होते है। ठीक इसी तरह, ब्याज की राशि ब्याज के प्रभावी दर पर आमदनी के रूप में आकलित की जाती है और वर्ष के दौरान (₹44.02 करोड़) आमदनी पहचानी जाती है। भारतीय चार्टर्ड एकाउण्ट संस्थान (आइ सी ए आइ) के विशेषज्ञ सलाहकार समिति (इ ए सी) ने ऐसे कार्यों के लिए वापसी पर लेखा की बात बताई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ए एस–9 के अनुसार मापांकन और एकत्रीकरण मापदंड पूरा हो रहा है या नहीं, इस विषय को आइ सी ए आइ के इ ए सी के पास भेजा गया है।

34.8 सेल के संबंध में, लेखाकरण मानक 19 के आधार पर पट्टे के विषय में सूचनाः

(क) कंपनी ने कर्मचारियों तथा तीसरी पार्टी को अलग–अलग अवधि के लिए संपत्तियों के पट्टे आवंटित की है। बुक किये गये मूल्य के समायोजन के बाद पट्टे से प्राप्त प्रिमियम को पट्टे के वर्ष में, अन्य राजस्व पर बुक किया जाता है। नवीकरण प्रिमियम, जमीन का भाड़ा और संपत्तियों का सेवा प्रभार, पट्टे पर दिये गये नवीकरण के लिए लंबित को प्राप्ति वर्ष में आमदनी के रूप में माना जाता है।

(ख) पट्टे/भाड़ा पर लिये गये सम्पत्तियों संपत्तियों के संबंध मेंः कंपनी के पास कार्यालय सुविधाओं, अतिथि घरों और आवासीय परिसरों के कर्मचारियों के लिए कई संचालित पट्टे होते हैं जिसे समय के आधार पर नवीकृत किया जाता है। इन पट्टे के भाड़े में किये गये व्यय को वर्ष के दौरान लाभ और हानि के रूप में पहचान की गई जो ₹13.96 करोड़ (₹12.86 करोड़) है।

34.9 लोक उद्यम विभाग (डी पी इ) के दिशा–निर्देश के अनुसार कंपनी को सहायक कर्मचारियों के लिए वर्षावधि लाभ के रूप में वेतन (मूल वेतन, महगाई भत्ता) के 30% योगदान की आवश्यकता है, जिसमें अंशदान भविष्य निधि (सी पी एफ), उपदान, पेंशन और पश्च–सहवर्षिता लाभ शामिल हो सकते हैं। सहवर्षिता लाभ के योगदान से संबंधित सहायक कर्मचारियों के कुल सीमा के 30% वेतन के अंतर्गत डी पी इ के दिशा–निर्देश का पालन करने के लिए, 1 जनवरी 2007 से 9% (संपूर्ण अंकों में) की दर से पेंशन लाभ का प्रावधान बनाया गया है। आगे, दिनांक 1 जुलाई, 2014 के सेल प्रबंधन तथा गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के बीच समझौता के आधार पर, 1 जनवरी 2012 से गैर–कार्यकारियों के लिए पेंशन लाभ वेतन (मूल वेतन, महगाई भत्ता) का 6% की दर से उपलब्ध कराया गया है।

कार्यकारी (1 जनवरी, 2007 से) और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों (1 जनवरी 2012 से) के लिए संचयी प्रावधान/दायित्व का लेखाकरण ₹2043.12 करोड़ (वर्ष के दौरान 425.48 करोड़) तथा ₹40.62 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹7.60 करोड़) है जिसे क्रमशः 'कर्मचारी लाभ खर्च' में तथा 'संरचना के दौरान खर्च' में प्रभारित किया गया है।

35. सामान्य

35.1 लेखाकरण मानक (ए एस) के अंतर्गत आवश्यक उदघाटन–15 (संशोधित) सेल के संबंध में 'कर्मचारी लाभ', 'वित्तीय विवरण के अन् नोट' के नोट संख्या 33.1 में दिया गया है जो सेल के स्वतंत्र वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करता है।

35.2 खण्ड प्रतिवेदन

i) व्यापार खण्डः सेल का पाँच एकीकृत स्टील प्लांट और तीन एल्वॉय स्टील प्लांट, एनटीपीसी–सेल कंपनी लिमिटेड के दो संयुक्त पॉवर उद्यम कंपनियाँ और बोकारो पॉवर सप्लाय को० प्राइवेट लिमिटेड, सेल–जगदीशपुर पॉवर पॉलांट लिमिटेड (एस जे पी पी एल) का एक पॉवर सहायक को 'लेखाकरण मानक–17 – के अंतर्गत खंड प्रतिवेदन' के अंतर्गत तथा प्राथमिक व्यापार खंड के अंतर्गत माना गया है, जिसे कार्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।

ii) भौगोलिक खण्ड को द्वितीयक खण्ड प्रतिवेदन के लिए माना गया है, जिसमें भारत में तथा बाहर के देशों में विक्रय राजस्व को अलग भौगोलिक खण्डों में रखा गया है।

iii) सेल, के मामले में, प्रबंधन के विचार में, कार्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा जारी लेखाकरण मानक–17 – 'खण्ड प्रतिवेदन' के अनुसार कब्जा में किया गया खनन कंपनी का प्रतिवेदन योग्य व्यापार का भाग नहीं है। क्योंकि, इस प्रकार के खनन से विभिन्न प्लांट को कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है, खनन को लेखाकरण उद्देश्य के लिए लागत केन्द्र के रूप में देखा गया है।

प्रति–खण्ड सूचना का उद्घाटन संलग्नक–I में दिया गया है।

35.3 संबंधित पार्टी

लेखाकरण मानक–18 के अनुसार संबंधित पार्टी उद्घाटन' कार्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, संबंधित पार्टी के नाम निम्नलिखित हैः

संबंध की प्रकृति	संबंधित पार्टी के नाम
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री सी. एस. वर्मा (10.6.2015 तक) श्री पी के. सिंह श्री अनिल कुमार चौधरी श्री एस एस. मोहंती श्री टी एस.सुरेश (31.05.2015 तक) श्री कल्याण माइति श्री बिनोद कुमार श्री एन. महापात्रा (27.11.2015 से) श्री जी. विश्वकर्मा (31 दिसंबर 2015) श्री ए मैत्रा श्री एस चंद्रशेखरन श्री जी एस. प्रसाद (30.09.2015 तक) श्री ए के. सिंह (23.03.2016 से) श्री आर के. राठी (27.03.2016 से) श्री ए के. रथ (23.03.2016 से) श्री पी एस. भदौरिया श्री ए. श्रीवास्तव श्री आइ सी. साहु श्री श्री एम. रवि श्री एम आर. पंडा श्री बी के. झा

	श्री नीरज माथुर श्री रमन श्री सोमदेव दास श्री एन भट्टाचार्य श्री सिद्धार्थ कौल श्री एच पी सिंह (11.01.2016 से) श्री सुधीर कुमार (12.12.2015 से 26.03.2016) श्री एस के. जैन (13.01.2016 से) श्री यू के. डे (01.01.2016 से) श्री एस. काले (01.02.2016 से)

35.4 कार्पोरेट मामले के मंत्री द्वारा जारी ए एस–22 'आय पर कर का लेखाकरण' के अनुसार, कुल आस्थगित कर का लेखाकरण निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार किया जाता है:

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
आस्थगित कर दायित्व		
बुक और कर अवमूल्यन के बीच का अंतर	6351.12	4771.36
कुल	6351.12	4771.36
आस्थगित कर संपत्ति		
सेवानिवृत्ति लाभ	71.76	140.17
अन्य	6818.04	2066.17
कुल	6889.80	2206.34
कुल आस्थगित कर दायित्व/संपत्ति(–)	(–) 538.68	2565.02

आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार 31.03.2016 तक सेल को कुल ₹ 15,377.55 करोड़ (जिसमें कुल ₹8851.44 करोड़ गैर आत्मसात अवमूल्यन भी शामिल है) की व्यापार हानि हुई है।

स्टील उद्योग को अग्रसर करने के लिए और लागत को कम करने हेतु कंपनी द्वारा किये गये प्रत्येक चरणों की माँग को बढ़ावा देने के लिए, दक्षता/उत्पादकता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वयन की जा रही विभिन्न मापदण्डों को देखते हुए कंपनी विश्वस्त है कि इससे भविष्य में कंपनी की भौतिक तथा वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होगा। ठीक इसी प्रकार समेकित व्यापार घाटे/अप्रत्याशित अवमूल्यन के समायोजन के लिए कंपनी पर्याप्त भविष्य के कर योग्य लाभ अर्जित कर सकेगी।

इस प्रकार, कंपनी ने कुल व्यापार हानि (जिसमें समेकित अप्रत्याशित व्यापार अवमूल्यन भी शामिल है) पर ₹5321.86 करोड़ की आस्थगित कर संपत्ति की पहचान की है। फिर भी, आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर दायित्व को मिलाने के बाद ₹538.68 करोड़ की कुल आस्थगित कर की पहचान की गई है।

35.5 लेखाकरण मानदण्ड (ए एस) 29 द्वारा आवश्यक प्रावधानों 'आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्ति, प्रावधान' को उद्घाटित करना:

प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण:

खनन वनरोपन कार्य – नवीकरण (जिसमें नवीकरण माना जाने वाला भी शामिल है)/सरकारी प्राधिकार से पट्टे पर लिये खनन के वन की सफाई के लिए देय, वन भूमि के खनन उद्देश्य हेतु उपयोग के लिए खान पर वनरोपन कार्य।

खनन समापन कार्य – खदानों के समापन हेतु अनुमानित दायित्व, यह खनन कार्य समाप्ति पर लगाया जाता है।

पीछे का अतिरिक्त भार हटाने का खर्च – भविष्य के कार्य के लिए खदान पर पीछे का अतिरिक्त भार हटाने में लगाया जाता है।

(₹ करोड़)

प्रावधानों का संचालन	खनन वनरोपण मूल्य	खनन समापन मूल्य	अतिरिक्त भारत हटाने का कार्य	कुल
1 अप्रैल, 2015 तक शेष	505.77	118.08	69.60	693.45
वर्ष के दौरान संयोजन	170.27	12.95	37.32	220.54
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	42.09	–	8.87	50.96
वर्ष के दौरान वापस उपयोग नहीं की गई राशि	–	3.72	13.55	17.27
31 मार्च, 2016 को शेष राशि	633.95	127.31	84.50	845.76

35.6 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त सूचना के अनुसार उद्यम जो सहायक/संयुक्त/सहायक के रूप में सम्मिलित हो गया है।

क्र.सं.	उद्यम का नाम	कुल संपत्ति, अर्थात् कुल संपत्ति घटाव कुल देय राशि		लाभ या (हानि) में शेयर	
		समेकित निवल परिसंपत्तियों के धन के % के रूप में	राशि (₹ करोड़)	समेकित लाभ या (हानि) के % के रूप में	राशि (₹ करोड़)
	मूल				
	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	99.55	39281.26	(96.29)	(4137.26)
	सहायक				
1.	सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	0.24	94.51	0.36	15.46
2.	सेल–जगदीशपुर पॉवर प्लांट लिमिटेड	–	0.03	0.00	(0.01)
3.	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट लिमिटेड	–	0.02	–	(0.01)
4.	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड (सी एम एस एल)	–	0.05	–	–
	संयुक्त उद्यम (अनुपातिक समेकन के अनुसार/इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)				
1.	एन टी पी सी सेल पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2.21	872.37	2.87	123.42
2.	बोकारो पॉवर सप्लाई कं. प्रा. लिमिटेड	0.77	302.98	0.48	20.83
3.	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	–	0.69	(0.01)	(0.31)
4.	एम जंक्सन सर्विस लिमिटेड	0.24	94.02	0.50	21.38
5.	भिलाई जे पी सिमेंट लिमिटेड	0.11	43.65	(0.48)	(20.77)
6.	एस–टी माइनिंग को. प्राइवेट लिमिटेड	–	2.03	(0.05)	(2.07)
7.	इंटरनेशनल कोल उद्यम प्राइवेट लिमिटेड	0.10	37.64	(5.48)	(235.61)
8.	सेल–एम ओ आइ एल फेरो एल्वॉयज प्राइवेट लिमिटेड	–	(1.48)	–	(0.21)
9.	सेल एस सी आइ सिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	–	0.07	–	–
10.	सेल एस सी एल केरल लिमिटेड	(0.03)	(10.60)	(0.15)	(6.57)
11.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	0.05	18.78	(0.08)	(3.55)
12.	सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	–	0.26	–	0.01
13.	एस ए एल सेल जे वी सी लिमिटेड	–	(0.02)	–	–
14.	टी एम टी एस ए एल सेल जे वी लिमिटेड	–	–	–	–
15.	सेल–बंगाल एल्वॉय कास्टिंग लिमिटेड	–	–	–	(0.01)
16.	प्राइम गोल्ड–सेल जे वी सी लिमिटेड	0.01	5.37	(0.04)	(1.52)
17.	वी एस एल सेल जे वी सी लिमिटेड	–	1.34	–	–
18.	अभिनव सेल जे वी सी लिमिटेड	–	(0.01)	–	(0.01)
	संयुक्त निवेश (इक्विटी विधि से निवेश)				
	अल्मोड़ा मैग्नेजाइट लिमिटेड	–	0.96	–	0.26
	उप–जोड़	**103.25**	**40743.92**	**(98.37)**	**(4226.55)**
	घटायाः कंपनियों की आंतरिक समायोजन/विस्थापन का प्रभाव	(3.25)	(1283.42)	(1.63)	(70.20)
	कुल	**100**	**39460.50**	**(100)**	**(4296.75)**

35.7 पिछले वर्ष के आँकड़े निर्धारित करता है कि इस वर्ष के आँकड़े वैसा नहीं है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण वर्ष 2014–15 में निर्धारित आँकड़े में था, इसका कारण वर्ष के दौरान कुछ वित्तीय कंपनियों की ऑडिट नहीं किये गये वित्तीय विवरण है। पिछले वर्ष के आँकड़े को वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्राप्त ऑडिट किये गये/ऑडिट नहीं किये गये वित्तीय विवरण के आधार पर अद्यतन किया गया है। आगे, इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते को पिछले साल अलग आधार पर शामिल किया गया था जिसे कि वर्ष के दौरान प्राप्त ऑडिट नहीं किये गये समेकित वित्तीय विवरण के आधार पर अद्यतन किया गया है।

35.8 सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के मामले में, जिसकी लेखाकरण नीति नियंत्रित कंपनी की लेखाकरण नीति से अलग होती है, को विशिष्ट लेखाकरण नीति के नोट संख्या 1.2 में संबंधित शीर्षक के अंतर्गत उचित रूप से रखा गया है।

35.9 पिछले वर्ष के आँकड़े को आवश्यकतानुसार पुनर्संग्रहित/पुनर्समूहित/पुनर्ढांचित कर दिया गया है। ब्राइकेट में दिये गये आँकड़े पिछले वर्ष से संबंधित है।

31मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की खण्डवार जानकारी

अनुलग्नक – I

क. वित्तीय खण्ड

(₹ करोड़)

विवरण	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी	एएसपी	एसएसपी	वीआईएसएल	पावर कंपनियां	अन्य	अंतर खण्डीय बिक्री	सेल
राजस्व												
– बाहरी बिक्री												
मौजूदा वर्ष	14654.53	6098.45	7711.94	9097.91	3318.79	393.42	1774.01	219.47	299.57	270.39		43838.48
पिछला वर्ष	(16650.74)	(7643.11)	(9283.60)	(12890.53)	(1081.68)	(552.61)	(2206.95)	(233.04)	(0.00)	(523.01)		51065.27
– अंतर खण्डीय बिक्री												
मौजूदा वर्ष	684.85	178.49	100.86	122.67	46.33	200.13	11.25	32.42	1089.85	3822.65	.6289.50	–
पिछला वर्ष	(1075.80)	(369.42)	(299.45)	(284.84)	(833.28)	(227.42)	(9.10)	(32.42)	(1275.48)	(3663.00)	.8070.21	–
– कुल राजस्व												
मौजूदा वर्ष	15339.38	6276.94	7812.80	9220.58	3365.12	593.55	1785.26	251.89	1389.42	4093.04	–6289.50	43838.48
पिछला वर्ष	(17726.54)	(8012.53)	(9583.05)	(13175.37)	(1914.96)	(780.03)	(2216.05)	(265.46)	(1275.48)	(4186.01)	(–8070.21)	51065.27
परिणाम												
– प्रचालन लाभ/(–) हानि (ब्याज व्यय और विशिष्ट मद पूर्व)												
मौजूदा वर्ष	708.20	–392.40	–1964.85	–1776.96	–1454.50	–60.86	–348.76	–115.54	225.30	–85.93		–5266.30
पिछला वर्ष	(2490.04)	(622.05)	(618.63)	(786.49)	(–835.85)	(–117.72)	(–249.55)	(–97.29)	(228.96)	(354.13)		(3799.89)
– ब्याज व्यय												
मौजूदा वर्ष												2176.98
पिछला वर्ष												(1555.18)
– विशिष्ट मद												
मौजूदा वर्ष												–
पिछला वर्ष												(–)
– आयकर												
मौजूदा वर्ष												–3026.49
पिछला वर्ष												(305.82)
– निवल लाभ/हानि (–)												
मौजूदा वर्ष												–4416.79
पिछला वर्ष												(1938.89)
अन्य जानकारी												
– खण्ड की परिसंपत्तियां												
मौजूदा वर्ष	24327.08	5596.68	18596.12	14038.02	18804.53	580.24	2768.09	637.10	2159.55	13154.40		100661.81
पिछला वर्ष	(22811.33)	(5227.07)	(18544.86)	(13817.64)	(18308.44)	(630.54)	(3038.27)	(631.46)	(2246.35)	(17377.54)		(102633.50)
– खण्ड की देयताएं												
मौजूदा वर्ष	6377.64	1996.16	3481.91	3095.05	1414.08	221.71	425.11	128.88	523.81	26836.57		44500.92
पिछला वर्ष	(6092.97)	(1893.89)	(3637.46)	(2743.51)	(1211.75)	(231.16)	(342.07)	(173.04)	(579.74)	(23993.22)		(40898.81)
– पूंजीगत व्यय												
मौजूदा वर्ष	1686.13	543.63	1196.29	1034.20	1120.61	.3.50	55.06	19.74	60.60	841.80		6554.56
पिछला वर्ष	(2219.69)	(659.74)	(1448.63)	(804.91)	(1389.04)	(5.10)	(6.12)	(4.71)	(41.37)	(1820.82)		(8387.89)
– मूल्यह्रास												
मौजूदा वर्ष	346.66	132.83	566.37	278.81	486.89	9.29	80.27	6.04	101.23	245.92		2254.31
पिछला वर्ष	(304.25)	(128.50)	(440.34)	(270.47)	(317.90)	(10.87)	(103.16)	(5.89)	(94.63)	(231.13)		(1907.14)
– मूल्यह्रास के अतिरिक्त गैर नकदी व्यय												
मौजूदा वर्ष	21.98	6.24	35.81	16.81	63.63	13.17	1.45	2.23	32.25	36.48		230.05
पिछला वर्ष	(14.85)	(18.94)	(7.51)	(8.48)	(5.31)	(15.33)	(1.03)	(1.40)	(2.87)	(28.43)		(104.15)

ख. भौगोलिक खण्ड

(₹ करोड़)

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
बिक्री राजस्व		
भारत	43281.23	49497.59
विदेश	557.25	1567.68
कुल	43838.48	51065.27

टिप्पणियां:

i) व्यापार खण्ड : सेल के पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों और तीन एलॉय इस्पात संयंत्रों, बिजली की दो संयुक्त उद्यम कंपनियों एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बिजली की एक सहायक कंपनी सेल–जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड (एसजेपीपीएल) को निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी 'लेखा मापदण्ड–17–सेगमेंट रिपोर्टिंग' के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक व्यापार खण्ड माना गया है।

ii) भारत और विदेशों के बिक्री राजस्व को अलग–अलग भौगोलिक खण्ड के तौर पर लेते हुए भौगेलिक खण्डों पर द्वितीयक सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए विचार किया गया है।

iii) प्रबंधन की राय में, सेल के मामले में, कैप्टिव खानें निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी लेखा मापदण्डों–17– 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' के अनुच्छेद 27 के अनुसार कंपनी का रिपोर्ट करने योग्य व्यापार खण्ड नहीं हैं। जैसा कि कैप्टिव खानें विभिन्न संयंत्रों को कच्चे माल की आपूर्ति कर रही हैं, खानों को लेखांकन उद्देश्यों से लागत केंद्र के रूप में देखा गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों हेतु

समेकित वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हम लोगों ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों (नियंत्रक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ ग्रुप के रूप में माना गया है), इसके सहायकों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की एक साथ समेकित वित्तीय विवरणों (यहाँ इसे नियंत्रक कंपनी के संदर्भ में माना गया है) का लेखा–परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2016 तक का समेकित तुलन–पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, उस समय समाप्त हुए वर्ष का नकद प्रवाहित विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा अन्य विवेचित सूचना (यहाँ समेकित वित्तीय विवरण के रूप में बताया गया है) का एक सार शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 (यहाँ इसे अधिनियम के संदर्भ में लिया गया है) नियंत्रक कंपनी का निदेशक बोर्ड इन समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो ग्रुप के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन, और समेकित नकदी प्रवाह का वास्तविक और उचित दृष्टिकोण बताता है, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार इसमें इसके सहयोगी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम भी शामिल होते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा, 133 के अंतर्गत, जिसे 2014 के कंपनी नियम, 7 (लेखा) के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल है। ग्रुप में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक बोर्ड तथा इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें ग्रुप तथा इसके सहयोगियों तथा इसके संयुक्त उद्यमों की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखे अन्य अनियमितताओं की जाँच करना शामिल है, की पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी है; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों; उचित तथा समझदारी भरा निर्णय लेने और आकलन करने; डिजाइन, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और रख–रखाव जो कि लेखा रिकॉर्ड की सुद्धता और प्रदर्शन की सुनिश्चितता के लिए प्रभावी रूप से संचालित की जाती है, जो कि वित्तीय विवरण की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण के लिए संगत होता है तथा जो एक सही और उचित दृष्टिकोण देता है, और सामग्री के गैर–विवरण से स्वतंत्र होते हैं, चाहे यह धोखे से हो या गलती से, जिसका प्रयोग नियंत्रक कंपनी के निदेशकों के द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के तैयार करने के उद्देश्य से प्रयोग किया गया है, जैसा कि बताया गया है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व लेखा–परीक्षण पर आधारित इन समेकित वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है। लेखा–परीक्षण करते समय, हम अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखा–परीक्षण विवरणों तथा इसके अंतर्गत बनाये गये अधिनियमों तथा नियमों के अनुसार लेखा–परीक्षण मानकों तथा तथ्यों को ध्यान में रखते हैं।

हम अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षण के मानकों के आधार पर लेखा–परीक्षण करते हैं। उन मानकों में हमारे नैतिक आवश्यकताओं तथा योजनाओं के पालन की जरूरत और लेखा–परीक्षण की योजना बनाने तथा इसके प्रदर्शन की आवश्यकता होती है ताकि सामग्री गैर–विवरण से मुक्त समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त किया जा सके।

किसी लेखा–परीक्षण में समेकित वित्तीय विवरणों में, धन–राशि के बारे में और उसे उजागर करने के लिए लेखा–परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन विधियाँ शामिल होती हैं। चुनी गई विधियाँ लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें समेकित वित्तीय गलत विवरण के खतरे से संबंधित मूल्यांकन शामिल होते हैं, चाहे यह धोखा से किया गया हो या गलती से हुआ हो। उन जोखिम भरे मूल्यांकन को करने में, लेखा–निरीक्षकों ने नियंत्रक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो कि ऑडिट विधियों को डिजाइन करने के लिए सही तथा उचित दृष्टिकोण प्रदान करती है तथा जो परिस्थिति के अनुकूल होती है। किसी ऑडिट में उपयोग किये गये लेखाकरण नीतियों के मूल्यांकन तथा इसकी उपयुक्तता और निदेशक बोर्ड के द्वारा किये गये लेखाकरण आकलन की वास्तविकता तथा समेकित वित्तीय विवरणों का कुल प्रस्तुतीकरण भी शामिल होते हैं।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा–परीक्षण साक्ष्य और अन्य लेखा–परीक्षकों के द्वारा उनके प्रतिवेदन के आधार पर प्राप्त लेखा–परीक्षण जो कि अन्य तथ्य संबंधी नीचे के उप–अनुच्छेद (क) में बताया गया है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे सापेक्ष ऑडिट विचार के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए उचित और पर्याप्त है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर

सापेक्ष विचार का आधार

i. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

नियंत्रक कंपनी ने निम्नलिखित प्रावधान नहीं किए हैं:

क) उत्तर प्रदेश राज्य में ₹97.22 करोड़ का प्रविष्टि कर (वर्तमान वर्ष के ₹2.33 करोड़ और पिछले वर्ष का ₹3.34 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य में ₹1091.02 करोड़ (वर्तमान वर्ष के ₹6.70 करोड़ और पिछले वर्ष का ₹13.04 करोड़), ओडिसा राज्य में ₹341.15 करोड़ (वर्तमान वर्ष के ₹7.20 करोड़ और पिछले वर्ष का ₹119.14 करोड़) (नोट संख्या 31.3(क) देखें;

ख) विद्युत आपूर्ति हेतु डी वी सी को अदा की गई राशि तथा अग्रिम के रूप में बोकारो स्टील प्लांट सुरक्षित ₹491.27 करोड़ (वर्तमान वर्ष का ₹97.68 करोड़ और विगत वर्ष का ₹101.83 करोड़) [नोट संख्या 31.3(ख) देखें)]

प्रबंधन का उत्तर: बताये गये मामले सम्माननीय उच्चतम न्यायालय और अन्य कई न्यायालयों में लंबे समय से निर्णयाधीन और लंबित हैं। विवादित माँगें जो कि विभिन्न मान्य तथा निष्कपट आधार पर की जा रही है, को अनिश्चित दायित्व के रूप में उभारा गया है, क्योंकि वर्तमान बाध्यता का तुलन–पत्र तिथि पर होना संभव नहीं है। अतः हानि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। आज की तिथि तक इन मामलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ii. बोकारो पॉवर आपूर्ति कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी ने वर्ष 2006 में 2x250 मेगा वाट परियोजना का निर्माण कार्य लिया है और ₹19.1 करोड़ (कंपनी में शामिल अनुपातिक शेयर ₹9.55 करोड़ हैं) के धुन पर कैपिटल कार्य बुक किया है, जिसमें 31 मार्च 2011 को सी सी एल द्वारा शामिल किया गया ₹12.35 करोड़ शामिल है जो कि एल ओ ए (आश्वासन पत्र) में शामिल दिये गये परियोजना को कोयले की आपूर्ति संबंधी शर्तों को पूरा नहीं किये जाने के कारण है। बताये गये परियोजना की स्थिति पिछले कुछ वर्षों से कई कारणों से गतिहीन दिख रही है और परियोजना का भविष्य में अस्तित्व में आने की संभावना दूर–दूर तक नहीं दिखाई दे रही है।

प्रबंधन का उत्तर: बोकारो पॉवर आपूर्ति कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

उपर्युक्त अनुच्छेद (i) और (ii) के कुल प्रभाव का परिणाम उस वर्ष के लिए कर के बाद हानि के विवरण से ₹1,330.90 करोड़ नीचे रहा (पिछले मार्च, 2015 में समाप्त वर्ष के लाभ का अतिरिक्त विवरण का ₹1906.75), ₹1,330.90 करोड़ का रिजर्व और अतिरिक्त विवरण (31मार्च, 2015 तक ₹1906.75 करोड़), वर्तमान दायित्व का ₹2020.66 करोड़ कम का विवरण (31मार्च, 2015 तक ₹1906.75 करोड़) और ₹689.76 करोड़ कुल संपत्ति का कम विवरण (पिछले वर्ष 31मार्च, 2015 तक ₹शून्य)।

सापेक्ष विचार

हमारे विचार में और हमारे सूचना के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त सापेक्ष विचार अनुच्छेद में उपलब्ध कराये गये तथ्यों के विवरण के प्रभाव के अतिरिक्त, ऊपर बताये गये समेकित वित्तीय विवरणों से इसके लिए आवश्यक तरीके से अधिनियम के लिए आवश्यक सूचना का पता लगता है तथा ग्रुप की, इसके सहयोगियों की, और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों की 31 मार्च, 2016 तक की समेकित कार्य स्थिति बताती है। यह भारत में प्रचलित सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार सही और उचित दृष्टिकोण, इनकी समेकित हानि, और उस तिथि तक समाप्त समेकित नकद प्रवाह बताता है।

तथ्यों पर जोर

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

हम कुल बिक्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें सरकारी एजेंसियों को विक्री जिसकी पहचान औपबंधिक निविदा की राशि पर की जाती है, शामिल है (नोट संख्या–34.1 देखें);

हमारा विचार इस तथ्य के संबंध में सापेक्ष नहीं है।

अन्य बातें

(क) निम्नलिखित सहायकों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों का हम लेखा–परीक्षण नहीं किये हैं, जिसका 31 मार्च, 2016 तक वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना ₹4045.95 करोड़, कुल अनुपातिक राजस्व ₹1915.08 करोड़ और कुल अनुपातिक नकद प्रवाह ₹67.31 करोड़ होता है, जो उस वर्ष की तिथि के लिए होता है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है, का कुल अनुपातिक संपत्ति प्रतिबिंबित करता है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर

(₹ करोड़)

सहायक कंपनी का नाम	संपत्तियाँ	राजस्व	कुल नकदी प्रवाह
सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	149.08	124.49	(4.17)
सेल–जगदीशपुर पॉवर प्लांट लिमिटेड	0.03	–	–
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट लिमिटेड	0.03	–	(0.01)
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	0.05	–	0.05

(₹ करोड़)

संयुक्त उद्यम कंपनी के नाम	संपत्तियाँ	राजस्व	कुल नकदी प्रवाह
एनटीपीसी–सेल पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	1560.12	857.90	43.91
बोकारो पॉवर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	599.43	484.56	42.61
एम जंक्सन सर्विसेज लिमिटेड	155.35	92.74	6.11
भिलाई जे पी सिमेंट लिमिटेड	219.20	104.45	2.65
एस एण्ड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	3.86	0.20	(1.21)
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	1273.21	248.24	(17.87)
सेल एस सी आई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	0.07	–	–
सेल–बंगाल एल्वॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	0.45	–	–
सेल एण्ड म्वाइल फेरो एल्वॉयज प्राइवेट लिमिटेड	6.53	0.05	(0.36)
सेल–राइट बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	55.21	0.21	(1.85)
सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.26	0.01	–
प्राइम गोल्ड–सेल जे वी सी लिमिटेड	23.06	2.23	(2.54)
अभिनव–सेल जे वी सी लिमिटेड	0.01	–	(0.01)

इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का लेखा–परीक्षण अन्य लेखा–परीक्षकों के द्वारा किया जाता है जिसका प्रतिवेदन हमें प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारे विचार, जहाँ तक कि यह राशि और प्रकटीकरण से संबंधित होते हैं जो कि सहायक और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों से संबंधित होते हैं तथा ऊपर बताये गये सहायकों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के लिए अधिनियम 143 की उप–धारा (3) और (11) के अंतर्गत हमारा प्रतिवेदन, पूर्ण रूप से अन्य लेखा–परीक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित होते हैं।

(ख) हम निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना का लेखा परीक्षण नहीं करते हैं। 31 मार्च, 2016 तक जिसका वित्तीय विवरण कुल संपत्ति के ₹43.09 करोड़ के अनुपात में, कुल अनुपातिक राजस्व ₹3.64 करोड़ और कुल नकदी प्रवाह का अनुपात ₹(–)1.02 करोड़ होते हैं, जो उस तिथि पर वर्ष के अंत तक होती है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा–परीक्षण नहीं किया गया होता है और इसका प्रतिवेदन हमें प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारे विचार, जहाँ तक कि यह राशि और प्रकटीकरण से संबंधित होते हैं जो कि सहायक और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों से संबंधित होते हैं तथा ऊपर बताये गये सहायकों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के लिए अधिनियम 143 की उप–धारा (3) और (11) के अंतर्गत हमारा प्रतिवेदन, पूर्ण रूप से ऐसे ऑडिट नहीं किये गये वित्तीय विवरणों पर आधारित होते हैं। हमारे विचार में तथा प्रबंधन द्वारा हमें दिये गये सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन वित्तीय विवरणों का संबंध ग्रुप से नहीं है।

(₹ करोड़)

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	संपत्तियाँ	राजस्व	कुल नकदी प्रवाह
सेल–बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	4.57	0.97	0.06
सेल–एस सी एल केरल लिमिटेड	36.02	2.67	(1.11)
एस ए एल– सेल जे वी सी लिमिटेड	0.56	–	–
टी एम टी एस ए एल– सेल जे वी सी लिमिटेड	0.52	–	–
वी एस एल सेल जे वी सी लिमिटेड	1.42	–	0.03

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर

(ग) समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष में ₹0.26 करोड़ कुल लाभ का ग्रुप शेयर, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, भी शामिल है, जो अल्मोड़ा मैग्नेजाइट लिमिटेड, सहायक कंपनी के संबंध में है, जिसके वित्तीय विवरणों का लेखा–परीक्षण नहीं किया गया है और जो पूर्ण रूप से गैर–निरीक्षण किये गये वित्तीय विवरणों पर आधारित है।

(घ) एक सहायक और चार संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के मामले में, 31 मार्च, 2016 तक का वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है। इन कंपनियों में निवेश 31 मार्च, 2016 तक पूरी तरह से उपलब्ध कराया गया है। 31 मार्च, 2016 तक इनकी वित्तीय विवरण की अनुपस्थिति में, इन उद्यमों की कुल संपत्तियाँ, कुल राजस्व और कुल लाभ/हानि को संयुक्त वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा विचार, और नीचे दिये गये अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताओं पर हमारा प्रतिवेदन, ऊपर बताये गये तथ्यों पर हमारे किये गये कार्य के आधार पर तथा अन्य लेखा–परीक्षकों के प्रतिवेदन के आधार पर तथा प्रबंधन के द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर संशोधित नहीं किया गया है।

कानूनी तथा नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकतानुसार, हम उपयुक्त सीमा तक प्रतिवेदन करते हैं, कि:

(क) उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा–परीक्षण के संबंध में हमने अपनी जानकारी और विश्वास के आधार पर सभी सूचनाओं और विवरणों की खोज की है और उसे हासिल किया है।

(ख) हमारे विचार में, ऊपर बताये गये सक्षम विचार अनुच्छेद में तथ्यों के प्रभाव के अतिरिक्त, उचित लेखा खाता, जैसा कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में कानून की आवश्यकता है, रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों के विषय में हमारे पड़ताल से तथा अन्य लेखा–प्रशिक्षकों के प्रतिवेदन से प्रतीत होता है।

(ग) भारत में स्थित नियंत्रक कंपनी, सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के खाते का प्रतिवेदन, जिसका शाखा लेखा–प्रशिक्षकों के द्वारा अधिनियम के धारा 143 (8) के अंतर्गत लेखा परीक्षण किया गया, को यथानुरूप हमें/अन्य लेखा–प्रशिक्षकों को भेज दिया गया है तथा इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समुचित रूप से ध्यान रखा गया है।

(घ) समेकित तुलन–पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण और इस प्रतिवेदन से संबंधित समेकित नकद प्रवाह विवरण संगत लेखा खाता के अनुसार है जिसे कि समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से रखा गया है।

(ङ) हमारे विचार में, ऊपर बताये गये सक्षम विचार अनुच्छेद में तथ्यों के प्रभाव के अतिरिक्त, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुभाग 133, नियम 7 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत निर्देशों का पालन करता है।

(च) उपर्युक्त सक्षम विचार अनुच्छेद में वर्णित तथ्यों के विषय में, हमारे विचार में ग्रुप के काम–काज में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

(छ) कार्पोरेट मामले के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 463(इ) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम का 164(2) अनुभाग ग्रुप तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों जो कि अधिनियम के अनुभाग 2(45) के अंतर्गत आता है, के लिए प्रभावी नहीं है। भारत में स्थित अन्य संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के विषय में अन्य सांविधिक लेखा–परीक्षकों के प्रतिवेदनों के आधार पर, भारत में निगमित संयुक्त निगमित उद्यमों के कोई भी निदेशक अधिनियम के अनुभाग 164(2) के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य किये गये हैं।

(ज) खाते के रख–रखाव और इससे संबंधित अन्य बातों से संबंधित योग्यता उपर्युक्त बताये गये सक्षम विचार अनुच्छेद के आधार पर है।

(झ) वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण पर संचालन प्रभाव के संबंध में, संलग्नक "अ" में अलग से दिये गये हमारे प्रतिवेदन को देखें, जो भारत में निगमित नियंत्रक कंपनी, सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों पर लेखा–परीक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित है। हमारा प्रतिवेदन भारत में निगमित नियंत्रक कंपनी/सहायक

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर

कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त नियंत्रित कंपनियों की पर्याप्तता और संचालन प्रभाव पर असंशोधित विचार व्यक्त करती है जो कि वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के द्वारा होता है। छोटे उद्यमों के संबंध में जिसका संचालन नहीं/महत्वहीन होता है, लेखा–परीक्षकों ने इसके ऊपर अपना विचार व्यक्त करने में असमर्थता व्यक्त की है, और

(ञ) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर्स) के नियम 11, 2014 के अनुसार लेखा–परीक्षकों के प्रतिवेदन के अन्य बातों के शामिल करने के संबंध में, हमारे विचार में तथा हमारे पास उपलब्ध सूचना के संबंध में, तथा हमें दिये गये विवरण के अनुसारः

i. समेकित वित्तीय विवरण जो कि ग्रुप, इसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्मेबाजी के प्रभाव को उजागर करता है (नोट 31.1 देखें)।

ii. ग्रुप, इसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों को लंबी अवधि के ठेके जिसमें व्युत्पन्न ठेके भी शामिल हैं, पर कोई सामग्री संभावित हानि नहीं हुई है।

iii. भार में निगमित नियंत्रक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, सहायक तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के द्वारा हस्तांतरण के लिए आवश्यक हस्तांतरण राशि में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

कृते बी.एन मिश्रा एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 321095ई
हस्ता./–
(एस.सी. दाश)
भागीदार
(एम नं. 050020)

कृते शर्मा गोयल एण्ड कं., एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000643एन
हस्ता./–
(अमर मित्तल)
भागीदार
(एम नं. 017755)

कृते सिंघी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
भागीदार
(एम नं. 063769)

कृते चटर्जी और कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 0302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
भागीदार
(एम नं. 60855)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 जून, 2016

निदेशक बोर्ड के लिए तथा उस की ओर से

हस्ता./–
(पी.के. सिंह)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 अगस्त, 2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट अनुलग्नक–ए

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर

('अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकता पर प्रतिवेदन' के अंतर्गत सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन अनुच्छेद 1(प) को देखें।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 खण्ड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

ग्रुप, इसकी सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष को, हम भारत में उस तिथि तक निगमित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (यहाँ नियंत्रक कंपनी के नाम से इंगित) और इसके सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा–परीक्षण किये हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

नियंत्रण कंपनी, इसके सहायकों, इसके सहयोगियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के संबंधित निदेशक बोर्ड, जो कि भारत में निगमित कंपनियाँ है, संबंधित कंपनियों के द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड के आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसका अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है, जिसे भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा–परीक्षण के दिशा–निर्देश नोट में बताये गये वित्तीय नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण माना जाता है। इन दायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजायन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं जो कि अपने व्यवसाय के समुचित तथा प्रभावी संचालन सुनिश्चित करता है तथा इसमें कंपनी की नीति का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखेबाजी और गलतियों की रोक और उसकी पहचान, लेखाकरण रिकॉर्ड की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा अधिनियम के लिए आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

लेखा–परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा–परीक्षण पर आधारित वित्तीय प्रतिवेदन पर विचार व्यक्त करना है। हम भारत के चार्टर्ड अकाउंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन ("दिशा–निर्देश नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर दिशा–निर्देश नोट के अनुसार अपना लेखा–परीक्षण करते हैं जो अधिनियम के अनुभाग 143(10) के अंतर्गत आता है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए उचित है, दोनों ही भारत के चार्टर्ड अकाउंट संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों और दिशा–निर्देश नोट में आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करते हैं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं जहाँ वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित की गई है और उसका अनुरक्षण हो रहा है तथा सभी संबंधित सामग्रियों पर ऐसे नियंत्रण संचालित होते हैं।

हमारे लेखा–परीक्षण में वित्तीय प्रतिवेदन और इनके संचालन प्रभाव पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता प्राप्त करने की निष्पादन विधियाँ शामिल है। हमारी आंतरिक वित्तीय लेखा–परीक्षण वित्तीय प्रतिवेदन पर नियंत्रण रखती है जिसमें वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का समझ प्राप्त करना, सामग्री की कमजोरी में पाये जाने वाले जोखिम का मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन और संचालन प्रभाव की जाँच और मूल्यांकन शामिल है। चुनी गई विधियाँ लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरणों के सामग्री के गलत विवरण का जोखिम, चाहे वह धोखेबाजी से हो या गलती से, शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा–परीक्षण साक्ष्य और अन्य लेखा–परीक्षकों के द्वारा उनके प्रतिवेदन के संबंध में प्राप्त लेखा–परीक्षण साक्ष्य, जो कि नीचे की 'अन्य बातों के लिए अनुच्छेद' में बताया गया है, वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा–परीक्षण विचार का आधार उपलब्ध कराने में पर्याप्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में वास्तविक आश्वासन उपलब्ध कराने और बाह्य उद्देश्य के लिए सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की गयी एक विधि है। किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और विधियाँ शामिल हैं जो:

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट अनुलग्नक–ए

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर

(1) रिकॉर्ड के अनुरक्षण से संबंधित है, जो कंपनी की संपत्तियों के हस्तांतरण और जमाकरण को तर्कसंगत ब्यौरे सहित, सही–सही और पक्षपात रहित प्रतिबिंबित करता है;

(2) तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराता है कि सामान्यतः स्वीकृत वित्तीय सिद्धांत के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए आवश्यक आदेश देने हेतु हस्तांतरण का रिकार्ड किया गया है, और कंपनी की वह रसीद और खर्च कंपनी के निदेशकों और प्रबंधन के प्राधिकार से बनाया जा रहा है; और

(3) निवारण या अनधिकृत जब्ती का समय से खोज, कंपनी की संपत्ति का उपयोग या विस्थापन जिससे वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित सीमा के कारण, जिसमें टकराव की संभावना या नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन, धोखेबाजी या गलती से सामग्री प्रबंधन शामिल है, घटित हो सकते हैं और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। और भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन को दिखाना जोखिम से भरा होता है जिसमें शर्तों में बदलाव के कारण या नीति को पालन करने की श्रेणी में या वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या विधियों में कमी आ सकती है।

विचार

हमारे विचार में, नियंत्रक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियाँ, इसकी सहयोगी कंपनियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, को सभी सामग्री की ओर से, वित्तीय प्रतिवेदन पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, और वित्तीय प्रतिवेदन पर यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च, 2016 तक प्रभावी रूप से संचालित हुई थी, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मापदंड के आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थी तथा जिसमें भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा–निरीक्षण के दिशा–निर्देश नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण की आवश्यक नियंत्रण का ध्यान रखा गया है।

अन्य बातें

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संचालन प्रभाव तथा पर्याप्तता पर आधारित अधिनियम के अनुभाग 143(3)(i) के अंतर्गत हमारे उपर्युक्त प्रतिवेदन जो अब तक दो सहायक कंपनियों और बारह संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों से संबंधित हैं, भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, तथा जो ऐसी कंपनियों के लेखा–परीक्षकों के संगत प्रतिवेदनों पर आधारित है। तीन कंपनियाँ जिसके शून्य/अपर्याप्त संचालन है, के संबंध में लेखा–परीक्षकों ने अपना विचार व्यक्त करने में असमर्थता व्यक्त की है।

कृते बी.एन मिश्रा एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं.: 321095ई
हस्ता./–
(एस.सी. दाश)
भागीदार
(एम सं. 050020)

कृते शर्मा गोयल एण्ड कं., एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 000643एन
हस्ता./–
(अमर मित्तल)
भागीदार
(एम सं. 017755)

कृते सिंघी एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 302049ई
हस्ता./–
(श्रेणिक मेहता)
भागीदार
(एम सं. 063769)

कृते चटर्जी और कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 0302114ई
हस्ता./–
(बेदांत भट्टाचार्य)
भागीदार
(एम सं. 60855)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 जून, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग की निर्धारित रूपरेखा के अनुसरण में 31, मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत लेखा परीक्षा के निर्धारित मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। बताया गया है कि उन्होंने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 जून, 2016 के जरिए यह किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (क) के तहत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा संचालित की है जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी चार[1] सहायक कंपनियों तथा पांच[2] संयुक्त उद्यम कंपनियों जो सभी सरकार औरय्या सरकारी कंपनियों द्वारा नियंत्रित हैं, के अकेले वित्तीय विवरण शामिल हैं। अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत तीन[3] संयुक्त उद्यम कंपनियों तथा एक[4] सहयोगी कंपनी की पूरक लेखा परीक्षा इसलिए पूरी नहीं हुई कि उस तिथि तक उनके लेखाओं औरय्या लेखा परीक्षा को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत मुझसे सरकार द्वारा अनियंत्रित किंतु समेकित वित्तीय विवरण में शामिल दस[5] कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा संचालित करने की अपेक्षा नहीं है। सरकार द्वारा नियंत्रित एक[6] सहायक कंपनी एवं एक[7] संयुक्त उद्यम कंपनी तथा सरकार द्वारा अनियंत्रित तीन[8] कंपनियों के वित्तीय विवरण समेकित नहीं थे। (ब्यौरा अनुबंध–1 के रूप में संलग्न है)। लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजातों तक पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा संचालित की गई है तथा मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा लेखांकन के कुछ रिकार्डों की वर्णनात्मक जांच तक सीमित हैं। अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं तथा जो मेरी राय में वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं:	
(क) समेकित लाभप्रदता पर टिप्पणियां **तुलन पत्र** **(i) नोट 9: अन्य वर्तमान उत्तरदायित्वः ₹16,006.79 करोड़** कंपनी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के अन्य इस्पात निर्माताओं के साथ अप्रैल 2015 में इस्पात उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सोसायटी ''भारतीय इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन'' (एसआरटीएमआई) का संस्थापक सदस्य बनी। प्रतिभागी कंपनियों को 2013–14 के दौरान कच्चे इस्पात के अपने उत्पादन के ₹25 प्रति टन की दर से या ₹5 करोड़, जो भी अधिक था, प्रवेश शुल्क तथा वार्षिक आवर्ती व्यय के लिए अंशदान देना है। सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति ने (29 मार्च, 2016 को) निर्णय लिया कि प्रवेश शुल्क के लिए पूर्ण अंशदान दे दिया जाए। यह एसआरटीएमआई के सदस्य सचिव से मांग के बाद किया गया। तथापि, कंपनी ने व्यय पर प्रभार के रूप में ₹33.95 करोड़ के प्रवेश शुल्क के अपने शेयर के लिए उत्तरदायित्व का सृजन नहीं किया। उत्तरदायित्वों तथा व्यय का प्रावधान न होना ₹33.95 करोड़ तक अन्य वर्तमान उत्तरदायित्वों एवं नुकसानों के कम उल्लेख में परिणत नहीं हुआ है।	29 मार्च 2016 को आयोजित एसआरटीएमआई के शासी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि सेल, आरआईएनएल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल द्वारा ₹5 करोड़ प्रत्येक तथा एनएमडीसी एवं मकॉन द्वारा ₹1 करोड़ प्रत्येक के आरंभिक वित्तपोषण तथा सदस्यों द्वारा किए गए कुल अंशदान में समान राशि को इस्पात मंत्रालय द्वारा शुरू में कारपस मनी के रूप में रखा जाएगा। इसके अलावा, शासी बोर्ड ने अंशदान के भुगतान की तिथि के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। चूंकि यह राशि एमओयू में प्रवेश शुल्क के लिए प्रतिबद्धता मात्र है तथा माल एवं सेवाओं का कोई अंतःप्रवाह नहीं है, इसलिए इसे बहियों में तब लेखांकित किया जाएगा जब भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सदस्य सचिव (एसआरटीएमआई) से अंशदान के लिए अनुरोध करने वाला पत्र 14 मई, 2016 को भेजा गया।

1 सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड, सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, सेल सिंद्री प्रोक्ट्स लिमिटेड और छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड

2 एनटीपीसी–सेल पावर सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सेल–बंगाल एलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सेल–मोइल फेरो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड और सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड

3 इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेल एससीएल केरल लिमिटेड और सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड

4 अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड

5 एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड, एस एण्ड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सेल कोब आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड, टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड, प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड, सेल बंसल सर्विस लिमिटेड, अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड, वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड

6 इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड

7 नार्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड

8 एनई स्टील एंड गैल्वनाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, रोमेल्ट–सेल (इंडिया) लिमिटेड और यूईसी–सेल इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
(ii) नोट 11कः मूर्त आस्तियां – ₹44573.22 करोड़ बीएसपी, भिलाई ने नंदिनी हवाई पट्टी की मरम्मत तथा फिर से गलीचा बिछाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ₹7.79 करोड़ का भुगतान किया। हवाई पट्टी की स्थिति को बहाल करने के लिए फिर से गलीचा बिछाने का काम किया गया तथा इसे राजस्व व्यय के रूप में लेखांकित होना चाहिए। तथापि, कंपनी ने मरम्मत एवं अनुरक्षण के तहत इसे प्रभारित करने की बजाय व्यय को पूंजीकृत किया। यह अचल आस्तियों में ₹5.68 करोड़ के अधिक उल्लेख, ₹2.11 करोड़ के मूल्यह्रास तथा नुकसान के ₹5.68 करोड़ तक कम उल्लेख में परिणत हुआ।	भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में नंदिनी हवाई पट्टी, जिसे, मूलतः 1963 में निर्मित किया गया था, का जीवनकाल पूरा हो गया था। नंदिनी हवाई पट्टी पर फिर से गलीचा बिछाने का कार्य एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को आउटसोर्स किया गया तथा इसे हवाई पट्टी के पुनर्निर्माण के रूप में माना गया। यह काम बहुत ही तकनीकी स्वरूप का है तथा इसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक है। पुनर्निर्माण से हवाई पट्टी को नया जीवन मिल गया है तथा बीएसपी, सेल को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ), भारत सरकार द्वारा संदेय प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में पिछले कुछ वर्षों में राजस्व की एक धारा अर्जित करने के लिए उपयुक्त बना दिया है। एनटीआरओ के सिविल इंजीनियरिंग प्रभाग ने यह भी पुष्टि की कि हवाई पट्टी पर फिर से गलीचा बिछाने का जीवनकाल 10 साल होगा। चूंकि व्यय आस्ति को अस्तित्व में लाने या स्थायी स्वरूप के लाभ को ध्यान में रखते हुए व्यय किया गया है, जिसके लाभ अनेक भावी लेखांकन अवधियों में उत्पन्न होने की उम्मीद है, इसलिए व्यय को सही ढंग से पूंजी व्यय के रूप में लिया गया है और इसलिए अचल आस्तियों का कोई अधिक उल्लेख एवं मूल्यह्रास तथा नुकसान का कम उल्लेख नहीं है।
(iii) नोट 14: दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिमः ₹5210.65 करोड़ कंपनी ने दल्ली–रजहरा और रोघाट के बीच रेल लिंक के निर्माण के लिए भारतीय रेल को ₹270.34 करोड़ के प्रत्यर्पणीय अंशदान का भुगतान किया। रेल मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार, सेल और एनडीएमसी के बीच किए गए समझौता ज्ञापन की शर्तों में यह परिकल्पित था कि भारतीय रेल प्रत्येक वर्ष के अंत में सेल के अंशदान के उन्मोचन के लिए कुल अंशदान पर 37 वर्ष के लिए सेल को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष (इसमें मूलधन एवं ब्याज शामिल है) की दर से नकद भुगतान करेगी। ब्याज का भुगतान परियोजना के पहले चरण जिसमें 95 किलोमीटर शामिल हैं, के संस्थापन के बाद पहले वर्ष से आरंभ होगा, बशर्ते सेल रोघाट एवं दल्ली रजहरा के बीच प्रचालन के पहले वर्ष से प्रतिवर्ष न्यूनतम 4 मिलियन टन और तीसरे वर्ष से 9 मिलियन टन लौह अयक के यातायात का सुनिश्चय करे। परियोजना के चरण 1 का कार्य अभी भी चल रहा है तथा लाइन पर यातायात की कोई आवाजाही नहीं हुई। इस प्रकार कोई ब्याज आय अर्जित नहीं हुई है क्योंकि समझौता ज्ञापन में उल्लिखित मीलपत्थर प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि कंपनी के भिलाई संयंत्र ने ₹44.02 करोड़ की ब्याज आय को भारतीय रेल से प्राप्य ब्याज के रूप में मान्यता दी। यह दीर्घावधिक ऋणों एवं अग्रिमों के अधिक उल्लेख तथा नुकसानों के ₹44.02 करोड़ तक कम उल्लेख में परिणत हुआ है।	'राजस्व मान्यता' पर लेखांकन मानक 9 के अनुसार, राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब मापेयता एवं संग्रहणीयता को लेकर कोई उल्लेखनीय अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है तथा ब्याज से आय की गणना बकाया राशि पर समय–अनुपात आधार पर करने की जरूरत होती है। चूंकि रेलवे को भुगतान किए गए मूलधन की वसूली की जाएगी इसलिए उस पर ब्याज की संग्रहणीयता भी पक्की है। इस प्रकार, दीर्घावधिक ऋणों एवं अग्रिमों का अधिक उल्लेख तथा नुकसान का कम उल्लेख नहीं है।
(ख) समेकित वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां **नोट 5: अन्य दीर्घावधिक उत्तरदायित्वः ₹1298.83 करोड़** 2013–14 से 2015–16 की अवधि के लिए संयुक्त संयंत्र समिति, इस्पात मंत्रालय के अधीन इस्पात विकास निधि को संदेय कुल ₹88 करोड़ की वार्षिक नकद प्रतिबद्धता के एरियर वर्तमान उत्तरदायित्व हैं परंतु कंपनी ने इसे दीर्घावधिक उत्तरदायित्व के रूप में वर्गीकृत किया। यह अन्य दीर्घावधिक उत्तरदायित्वों के अधिक उल्लेख तथा अन्य वर्तमान उत्तरदायित्वों के ₹88 करोड़ तक कम उल्लेख में परिणत हुआ है।	31.3.2016 तक की स्थिति के अनुसार इस्पात विकास निधि से ऋण पर ₹707.92 करोड़ के अर्जित किंतु अदेय ब्याज को शीर्ष ''अन्य दीर्घावधिक उत्तरदायित्व'' के तहत शामिल किया गया है। इस राशि में 2013–14 से 2015–16 तक सेल द्वारा विवादित ₹88 करोड़ की मांग राशि शामिल है। चूंकि कंपनी द्वारा संदेय राशि की मात्रा के संबंध में निर्णय के लिए मामला जेपीसी के समक्ष लंबित है और उत्तरदायित्व को उस समय वर्तमान के रूप में वर्गीकृत करना होता है जब रिपोर्ट करने की तिथि के बाद 12 माह के अंदर इसका निस्तारण किया जाना होता है, इसलिए ₹88 करोड़ की नकद प्रतिबद्धता की राशि को सही ढंग से ''अन्य दीर्घावधिक उत्तरदायित्व'' के तहत शामिल किया गया है।
(ग) प्रकटन पर टिप्पणियां **समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य नोट** (क) कंपनी ने ब्याज के साथ 26.11.2008 से 4.10.2009 की अवधि के लिए प्रभावी संशोधित भत्तों के एरियर के भुगतान के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कलकत्ता पीठ के निर्णय से उत्पन्न उत्तरदायित्व का खुलासा नहीं किया है, जिसे अपने वित्तीय विवरणों में कंपनी द्वारा अभिस्वीकृत नहीं किया गया।	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), कोलकाता ने अपने निर्णय में यह निदेश दिया है कि संबंधित इस्पात मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.2008 के जारी होने की तिथि से संशोधित अनुलाभों एवं भत्तों के एरियर के भुगतान के पहलू पर विचार करेगा तथा याचिकाकर्ता के सदस्यों तथा समान रूप से स्थित सभी सदस्यों को संशोधित अनुलाभों एवं भत्तों के भुगतान का उपयुक्त निर्णय लेगा। इस्पात मंत्रालय ने इस संबंध में कोई और निदेश जारी नहीं किया है। इसलिए कंपनी ने अनुलाभों एवं भत्तों के एरियर के लिए किसी उत्तरदायित्व का प्रावधान/खुलासा नहीं किया है।
(ख) **नोट 31.1: आकस्मिक उत्तरदायित्व** उपर्युक्त में गुल्ला विनिर्माता द्वारा दावाकृत ₹139.65 करोड़ शामिल नहीं है परंतु कंपनी के बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।	गुल्ला आपूर्तिकर्ता के साथ क्रय आदेश में यह प्रावधान है कि कंपनी आर्डर को निलंबित करने/समाप्त करने/लघु बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखती है यदि किसी आपूर्तिकर्ता के निष्पादन को संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तथा आपूर्तिकर्ता ऐसे निलंबन/निरसन/समाप्ति/लघु बंदी के कारण किसी नुकसान या क्षति का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा। इसलिए इस मामले में पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान/संभावित बाध्यता नहीं है तथा आकस्मिक उत्तरदायित्व के किसी प्रकटन की अपेक्षा नहीं है।
कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से हस्ता./– (सुशील कुमार जायसवाल) वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, रांची स्थानः रांची तिथिः 29 जुलाई, 2016	कृते और निदेशक मंडल की ओर से हस्ता./– (पी.के. सिंह) अध्यक्ष स्थानः नई दिल्ली तिथिः 11 अगस्त, 2016

सेल की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनियों के नाम और लेखाओं के समेकन की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

अनुलग्नक–1

क्र. सं.	कंपनियों के नाम	क्या लेखाओं को समेकित किया गया है	क्या कैग के लेखा परीक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार के तहत
	मूल कंपनी		
	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	हां	हां
	सेल की सहायक कंपनियां		
1.	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	हां	हां
2.	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	हां	हां
3.	सेल सिंद्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	हां	हां
4.	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	हां	हां
5.	इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड*	नहीं	हां
	सेल की संयुक्त उद्यम कंपनियां		
6.	एनटीपीसी–सेल पावर सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
7.	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
8.	सेल–बंगाल एलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
9.	सेल–मोइल फेरो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
10.	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
11.	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
12.	सेल एससीएल केरल लिमिटेड	हां	हां
13.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	हां	हां
14.	नार्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड*	नहीं	हां
15.	एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	हां	नहीं
16	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	हां	नहीं
17.	एस एण्ड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	हां	नहीं
18.	सेल कोब आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हां	नहीं
19.	एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
20.	टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड	हां	नहीं
21.	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
22.	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
23.	अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	हां	नहीं
24.	सेल बंसल सर्विस लिमिटेड	हां	नहीं
25.	रोमेल्ट–सेल (इंडिया) लिमिटेड#	नहीं	नहीं
26.	यूईसी–सेल इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड#	नहीं	नहीं
27.	एनई स्टील एण्ड गैल्वनाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड#	नहीं	नहीं
	सेल की सहयोगी कंपनी		
28.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	हां	हां

* एक सहायक कंपनी और एक संयुक्त उद्यम कंपनी जो सरकार द्वारा नियंत्रित हैं, के लेखाओं को समेकित नहीं किया गया।

सरकार द्वारा अनियंत्रित तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों के लेखाओं को समेकित नहीं किया गया।

फॉर्म एओसी–1

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की विशेषताएं बताने वाला विवरण

भाग "क": सहायक कंपनियां

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	सहायक कंपनी का नाम	सेल रिफ्रैक्ट्री कंपनी लिमिटेड	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
2.	होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग होने पर संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
3.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की आखिरी तारीख तक रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
					(₹ करोड़)
4.	शेयर पूंजी	0.05	0.05	0.05	0.05
5.	भंडार और अधिशेष	94.46	(–)0.02	(–) 0.03	–
6.	कुल परिसंपत्तियां	149.08	0.03	0.03	0.05
7.	कुल देयताएं	54.57	*	0.01	*
8.	निवेश	–	–	–	–
9.	कारोबार	130.81	–	–	–
10.	करारोपण पूर्व लाभ	28.28	(–)0.01	(–)0.01	–
11.	करारोपण संबंधी प्रावधान	12.82	–	–	–
12.	करारोपण के बाद लाभ	15.46	(–)0.01	(–)0.01	–
13.	प्रस्तावित लाभांश	4.64	–	–	–
14.	शेयरहोल्डिंग का %	100	100	100	100

* ₹50,000/– से कम राशि।

नोटः कंपनी के पास इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कंपनी लिमिटेड में प्रति शेयर ₹10 मूल्य वाले 30,00,000 इक्विटी शेयर हैं। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई, 1997 की प्रभावी तारीख से कंपनी बंद करने के निर्देश दिए थे और आधिकारिक लिक्विडेटर ने कंपनी की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचने के बाद अब लिक्विडेटर बकाया देय राशि का निपटान करने की प्रक्रिया में है। इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कंपनी लिमिटेड का 10 जुलाई, 1997 तक संचयी नुकसान ₹ 17.05 करोड़ था।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(एम.सी.जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(पी.के.सिंह)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जून, 2016

भाग बी : सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

क्र.	सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र की तारीख	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर	सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि ₹/करोड़	धारण की सीमा का %	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है का विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम के समेकित नहीं होने के कारण	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयरहाल्डिंग के कारण निवल मूल्य ₹/करोड़	वर्ष के दौरान लाभ/हानि(–) ₹/करोड़	समेकित रूप से विचार ₹/करोड़	समेकित रूप से विचार नहीं ₹/करोड़
	संयुक्त उद्यम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लि.	31-03-2016	490250050	490.25	50.00%	नोट–1		872.37	246.84	123.42	123.42
2	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लि.	31-03-2016	124025000	124.03	50.00%	नोट–1		302.98	41.66	20.83	20.83
3	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	31-03-2016	4000000	4.00	50.00%	नोट–1		94.02	42.76	21.38	21.38
4	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड*	31-03-2016	3200000	3.20	40.00%	नोट–1		0.69	-0.78	-0.31	-0.47
5	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	31-03-2016	98718048	52.51	26.00%	नोट–1		43.65	-79.88	-20.77	-59.11
6	एसएण्डटी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लि.	31-03-2016	12941400	12.94	50.00%	नोट–1		2.03	-4.14	-2.07	-2.07
7	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लि.	31-03-2016	495034286	495.03	46.62%	नोट–1		508.55	-762.31	-235.61	-526.70
8	सेल–मॉयल फैरो एलॉयज प्राइवेट लि.	31-03-2016	100000	0.10	50.00%	नोट–1		-1.48	-0.42	-0.21	-0.21
9	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लि.	31-03-2016	100000	0.10	50.00%	नोट–1		0.07	0.00	0.00	0.00
10	सेल एससीएल केरल लिमिटेड *	31-03-2016	13017801	18.75	49.26%	नोट–1		-10.60	-13.34	-6.57	-6.77
11	सेल राइट्स बंगाल वेगन इंडस्ट्री प्राइवेट लि.	31-03-2016	22270000	22.27	50.00%	नोट–1		18.78	-7.10	-3.55	-3.55
12	सेल कोबे आयरन इण्डियन प्राइवेट लि.	31-03-2016	250000	0.25	50.00%	नोट–1		0.26	0.02	0.01	0.01
13	एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड*	31-03-2016	-	-	26.00%	नोट–1		-0.02	0.00	0.00	0.00
14	टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड *	31-03-2016	-	-	26.00%	नोट–1		0.00	-0.04	-0.01	-0.03
15	सेल–बंगाल एलॉय कास्टिंग्सम प्राइवेट लि.	31-03-2016	10000	0.01	50.00%	नोट–1		0.00	-0.02	-0ण01	-0.01
16	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लि.	31-03-2016	4680000	4.68	26.00%	नोट–1		5.37	-5.85	-1.52	-4.33
17	वीएसएल सेल जेवीसी लि *	31-03-2016	830729	0.83	26.00%	नोट–1		1.34	0.00	0.00	0.00
18	अभिनव सेल जेवीसी लि.	31-03-2016	-	-	26.00%	नोट–1		-0.01	-0.05	-0.01	-0.04
19	रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड@		63000	0.06		नोट–1	खाते उपलब्ध नहीं				
20	यूईसी सेल इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड #		180000	0.18		नोट–1	–वही–				
21	नॉर्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड #		97900	0.98		नोट–1	–वही–				
22	एन.ई.स्टील एण्ड गैलवेनाइजिंग प्राइवेट लि. #		-	-	49.00%	नोट–1	–वही–				
	सहयोगी										
1	अल्मोडा मैग्नेसाइट लिमिटेड	31.03.2016	40000	0.04	20.00%	नोट–2		0.86	1.32	0.26	1.06

1. संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार वोटिंग पावर
2. 20% शेयर कैपिटल रखता है

* वर्ष 2015–16 के लिए अनअंकेक्षित लेखों के आधार पर

@ रोके जा रहे प्रचालन

\# वे कंपनियां जिन्हें बंद किया जा रहा है/जिनका लिक्विडेशन हो रहा है

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(एम.सी.जैन)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(पी.के.सिंह)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 10 जून, 2016

निदेशकों के रिपोर्ट के लिए संलग्नक–VIII

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च, 2016 को वित्तीय वर्ष समाप्ति पर

फॉर्म नं. एमजीटी–9

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3), कंपनी (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) कानून, 2014 के नियम 12(1) के आधार पर]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i)	सीआईएन	:	एल 27109 डीएल 1973 जीओआई 006454
ii)	पंजीकरण तारीख	:	24 जनवरी 1973
iii)	कंपनी का नाम	:	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	:	सार्वजनिक कंपनी/शेयरों द्वारा सीमित
v)	पंजीकृत दफ्तर का पता और संपर्क करने का विवरण	:	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, संपर्क नंबर: +91–11–24367481 फैक्स नंबर +91–11–24367015. ई मेल: investor.relation@sailex.com
vi)	क्या ये सूचीबद्ध कंपनी है	:	हां
vii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के नाम, पता एवं संपर्क करने का विवरण	:	एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंटस लिमिटेड, एफ–65 (प्रथम तल), ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020 फोन नं.– +91–11–41406149. फैक्स नं. +91–11–41709881. ईमेल: admin@mcsregistrars.com

II. कंपनी की मुख्य व्यवसाय संबंधी गतिविधियां

कंपनी की कुल बिक्री में सभी व्यवसाय संबंधी गतिविधियां जिनका 10 फीसदी योगदान है या ज्यादा है उनका उल्लेख है:

क्रम सं.	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के नाम एवं विवरण	उत्पादों/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल बिक्री का %
1	समतल उत्पाद (एचआर कॉयल्स, एचआर प्लेट्स, सीआर कॉयल्स, पाइप एवं इलेक्ट्रिक शीट्स, आदि)	330	52
2	लंबे उत्पाद (टीएमटी बार, वायर रॉड्स, आदि)		38

III. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियों के विवरण

क्रम सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक सहयोगी	नियंत्रित शेयरों का %	उपयुक्त अनुभाग
1.	सेल–जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, इस्पात भवन,लोधी रोड, नई दिल्ली	यू40106डीएल2011जीओआई219901	सहायक	100	2(87)
2.	सेल रिफ्रैक्ट्री कंपनी लिमिटेड, सेलम स्टील प्लांट, सेलम	यू14200टीजेड2011जीओआई017357	सहायक	100	2(87)
3.	सेल सिन्दरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड चासनाला, चासनाला – 828135, झारखंड	यू27320जेएच2011जीओआई015168	सहायक	100	2(87)
4.	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट इस्पात भवन, भिलाई, छत्तीसगढ़	यू27100सीटी2015जीओआई001627	सहायक	100	2(87)
5.	अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड, मैगनेसाइट हाउस, रानीधारा रोड, अल्मोड़ा – 263601	यू26941यूआर1971पीएलसी003453	सहयोगी	20	2(6)
6.	टाटा क्रोजाकी रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, बेलापुर–768218, ओडिशा	यू26921ओआर1958पीएलसी000349	साझा उपक्रम	10.54	2(6)
7.	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कोर–3, पांचवां तल, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003	यू74899डीएल1999पीटीसी098274	साझा उपक्रम	50	2(6)
8.	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003	यू40300डीएल2001पीटीसी112074	साझा उपक्रम	50	2(6)

9.	नॉर्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड, 28–बी, शेक्सपीयर सरानी, "नीलांबर", फ्लैट संख्या. 10ए, दसवां तल, कोलकाता – 700017	यू14109डबल्यूबी1980पीएलसी033031	साझा उपक्रम	50	2(6)
10.	यूईसी सेल इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (परिसमापन के तहत) सी/ओ आई.एम.पुरी एंड कंपनी, सी– 30, चिराग इनक्लेव, नई दिल्ली–110048	यू74899डीएल1995पीएलसी064072	साझा उपक्रम	40	2(6)
11.	रोमेल्ट दृ सेल (इंडिया) लिमिटेड नं. 25/2, मदनपुर, खादर, सुंदर पब्लिक स्कूल के समीप, एफ ब्लॉक के पीछे, नई दिल्ली – 110 076	यू74899डीएल1997पीएलसी090025	साझा उपक्रम	15	2(6)
12.	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, जीवन भारती बिल्डिंग, टॉवर–1, दसवां तल, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001	यू00000डब्ल्यूबी2001पीएलसी115481	साझा उपक्रम	50	2(6)
13.	सेल–बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड 12/2, पार्क मेंशन, 57–ए, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता – 700 016	यू27310डब्ल्यूबी2000पीएलसी092486	साझा उपक्रम	40	2(6)
14.	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड, जे ए हाउस, 63, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057	यू26940सीटी2007पीएलसी020250	साझा उपक्रम	26	2(6)
15.	सेल एंड मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 1, भिलाई – 490 001.	यू27101सीटी2008पीटीसी020786	साझा उपक्रम	50	2(6)
16.	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, टाटा सेंटर, 43, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता–700 071	यू13100डब्ल्यूबी2008पीटीसी129436	साझा उपक्रम	50	2(6)
17.	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, 20वां तल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर डीसी, दिल्ली–110 092	यू10100डीएल2009पीटीसी190448	साझा उपक्रम	46.62	2(6)
18.	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड शिपिंग हाउस, 13 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता–700 001	यू61100डब्ल्यूबी2010पीटीसी148428	साझा उपक्रम	50	2(6)
19.	सेल–एससीएल केरल लिमिटेड पीबी नंबर–42, फेरोक – 673 631 कोजीकोड, केरल	यू27104केएल1969एसजीसी002253	साझा उपक्रम	49.26	2(6)
20.	सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092	यू35200डीएल2010पीटीसी211955	साझा उपक्रम	50	2(6)
21	सेल–कोब आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली	यू27100डीएल2012पीटीसी236499	साझा उपक्रम	50	2(6)
22.	सेल–सेल जेवीसी लिमिटेड, बी–7, डब्ल्यूएचएस कीर्ती नगर, नई दिल्ली	यू28111डीएल2012पीएलसी231225	साझा उपक्रम	26	2(6)
23.	टीएमटीएसएएल–सेल जेवीसी लिमिटेड, बी–7, डब्ल्यूएचएस कीर्ती नगर, नई दिल्ली	यू28113डीएल2012पीएलसी231234	साझा उपक्रम	26	2(6)
24.	सेल–बंगाल अलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एसबीएसीपीएल) 22बी, राजा संतोष रोड कोलकाता – 700 027	यू35122डब्ल्यूबी2013पीटीसी190532	साझा उपक्रम	50	2(6)
25.	वीएसएल–सेल जेवीसी लिमिटेड डोर नं. – 2–51, दरगा के समीप, कार्दनुर, पोस्टपति पाटन चेरवू मंडल, हैदराबाद – 502 300	यू27106एपी2012पीएलसी083896	साझा उपक्रम	26	2(6)
26.	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड 5/2, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, क्लब रोड, नई दिल्ली – 110026	यू28113डीएल2012पीएलसी245537	साझा उपक्रम	26	2(6)
27.	अभिनव–सेल जेवीसी लिमिटेड 401, महावीर जी कॉम्पलेक्स, एलएससी रिसभ विहार दिल्ली – 110 092	यू27100डीएल2012पीएलसी245749	साझा उपक्रम	26	2(6)

IV- शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल शेयर के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल का ब्रेकअप)

i) श्रेणी के लिहाज से शेयरहोल्डिंग (शेयरधारिता)

शेयरहोल्डरों की श्रेणी	वर्ष की शुरूआत में संघटित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर संघटित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % बदलाव
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की संख्या का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की संख्या का %	
ए. प्रोमोटर्स									
1. भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ए) व्यक्तिगत/एचयूएफ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बी) केंद्र सरकार	3097767449	–	3097767449	75.00	3097767449	–	3097767449	75.00	0.00
सी) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
डी) निकाय समिति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई) बैंकधवित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
एफ) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप कुल (ए)(1):	**3097767449**	–	**3097767449**	**75.00**	**3097767449**	–	**3097767449**	**75.00**	**0.00**
2. विदेशी									
ए) एनआरआई – व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बी) अन्य – व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सी) निकाय समिति	–	–	–	–	–	–	–	–	–
डी) बैंक/वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप कुल (ए)(2):	–	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रोमोटर के कुल शेयरहोल्डिंग (ए) = (ए)(1)+(ए)(2)	**3097767449**	–	**3097767449**	**75.00**	**3097767449**	–	**3097767449**	**75.00**	**0.00**
बी. पब्लिक शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थान									
ए) म्युचुअल फंड	44200886	127300	44328186	1.07	32407571	127300	32534871	0.79	–0.29
बी) बैंक/वित्तीय संस्थान	144420261	62076	144482337	3.50	144327257	61976	144389233	3.50	0.00
सी) केंद्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
डी) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई) वेंचर कैपिटल फंड्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–
एफ) बीमा कंपनियां	447798202	1900	447800102	10.84	471432979	1900	471434879	11.41	0.57
जी) एफआईआई	247648683	47200	247695883	6.00	206180711	48526	206229237	4.99	–1.01
एच) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–
आई) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप कुल (बी)(1):	**884068032**	**238476**	**884306508**	**21.41**	**854348518**	**239702**	**854588220**	**20.69**	**–0.72**
2. गैर–संस्थान									
ए) निकाय समिति	14955865	70442	15026307	0.36	21798673	70442	21869115	0.53	0.17
i) भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) विदेशी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बी) व्यक्तिगत									
i) व्यक्तिगत शेयरहोल्डर जिनके पास सामान्य पूंजी शेयर करीब 1 लाख की है	85767769	5781948	91549717	2.22	103201261	5682597	108883858	2.64	0.42

शेयरहोल्डरों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में संघटित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर संघटित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % बदलाव
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की संख्या का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की संख्या का %	
ii)व्यक्तिगत शेयरहोल्डर जिनके पास सामान्य पूंजी शेयर करीब 1 लाख से ज्यादा की है	18632852	143700	18776552	0.45	23617507	143700	23761207	0.58	0.12
सी) अन्य (स्पष्ट करें)									
i) अप्रवासी भारतीय	17556373	296500	17852873	0.43	18395138	396500	18791638	0.45	0.02
ii) ट्रस्ट एवं फाउंडेशन	4809448	2800	4812248	0.12	4727967	2800	4730767	0.11	–0.01
iii) सहकारी समितियां	500	0	500	0.00	400	0	400	0.00	0.00
उप कुल (बी)(2)	**141722807**	**6295390**	**148018197**	**3.58**	**171740946**	**6296039**	**178036985**	**4.31**	**0.73**
कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (बी)= (बी)(1)+(बी)(2)	**1025790839**	**6533866**	**1032324705**	**24.99**	**1026089464**	**6535741**	**1032625205**	**25.00**	**0.00**
सी. जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षकों द्वारा रखे गए शेयर	363435	69700	433135	0.01	63435	69200	132635	0.00	0.00
कुल योग (ए)+(बी)+(सी)	**4123921723**	**6603566**	**4130525289**	**100.00**	**4123920348**	**6604941**	**4130525289**	**100.00**	**0.00**

(ii) प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग (शेयरधारिता में बदलाव कृपया स्पष्ट करें, अगर कोई बदलाव न हो तो)

क्रम सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/कुल शेयरों के लिए भारग्रस्त का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयर/कुल शेयरों के लिए भारग्रस्त का %	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में % बदलाव
1	भारत सरकार	3097767449	75.00	0	3097767449	75.00	0	–
	कुल	3097767449	75.00	0	3097767449	75.00	0	–

(ii) प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग (शेयरधारिता)

क्रम सं.		वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग		वर्ष की समाप्ति पर शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत सरकार वर्ष की शुरुआत में	3097767449	75.00	3097767449	75.00
	प्रवर्तकों की शेयरधारिता में वर्ष के दौरान आंकड़े के लिहाज से बढ़ोतरी/गिरावट के साथ बढ़ोतरी/गिरावट के कारणों का स्पष्टीकरण (उदाहरण के तौर पर आवंटन/तबादला/बोनस/स्वेट इक्विटी)	–	–	–	–
	वर्ष की समाप्ति पर	3097767449	75.00	3097767449	75.00

(iv) टॉप टेन शेयरधारियों के शेयरधारिता का पैटर्न (निदेशकों, प्रवर्तकों, जीडीआर और एडीआर धारकों को छोड़कर)

क्र.सं.	फोलियो संख्या	नाम	शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी (–)	कारण	वर्ष 2015–16 के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			वर्ष की शुरुआत (31.03.15)/ समाप्ति (31.03.16 पर शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	IN30081210000012	लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया	417717206	10.11	31/03/2015				
					10/04/2015	4157461	स्थानांतरण	421874667	10.21
					14/08/2015	6489720	स्थानांतरण	428364387	10.37
					21/08/2015	5000000	स्थानांतरण	433364387	10.49
					28/08/2015	6566533	स्थानांतरण	439930920	10.65
					04/09/2015	1943747	स्थानांतरण	441874667	10.69
			441874667	10.69	31/03/2016			441874667	10.69
2	IN30081210498007	एलआईसी ऑफ इण्डिया मार्केट प्लस 1 ग्रोथ फंड	51099546	1.23	31/03/2015				
			51099546	1.23	31/03/2016	शून्य	शून्य	51099546	1.23
3	IN30343810003981	एमर्जिंग मार्केट्स ग्रोथ फंड, आईएनसी	30077062	0.72	31/03/2015				
					29/05/2015	172419	स्थानांतरण	30249481	0.73
					05/06/2015	1258282	स्थानांतरण	31507763	0.76
					13/11/2015	900000	स्थानांतरण	32407763	0.78
					20/11/2015	2230000	स्थानांतरण	34637763	0.83
					11/12/2015	–1524385	स्थानांतरण	33113378	0.78
					18/12/2015	–746321	स्थानांतरण	32367057	0.78
					25/12/2015	–896248	स्थानांतरण	31470809	0.76
			29378374	0.71	31/03/2016	–2092435	स्थानांतरण	29378374	0.71
4	IN30081210501340	लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया पी एण्ड जीएस फंड	21398731	0.51	31/03/2015				
			21398731	0.51	31/03/2016	शून्य	शून्य	21398731	0.51
5	IN30081210497730	एलआईसी ऑफ इण्डिया मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	17677583	0.42	31/03/2015				
			17677583	0.42	31/03/2016	शून्य	शून्य	17677583	0.42
6	IN30016710011470	वेंगार्ड एमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, ए सीरीज ऑफ वेंगु	18117226	0.43	31/03/2015				
					01/05/2015	61402	स्थानांतरण	18178628	0.44
					08/05/2015	69775	स्थानांतरण	18248403	0.44
					14/08/2015	–69775	स्थानांतरण	18178628	0.44
					21/08/2015	–167460	स्थानांतरण	18011168	0.43
					28/08/2015	–326547	स्थानांतरण	17684621	0.42
					04/09/2015	–446560	स्थानांतरण	17238061	0.41
					11/09/2015	–234444	स्थानांतरण	17003617	0.41
					25/09/2015	–61402	स्थानांतरण	16942215	0.41
					30/09/2015	–184206	स्थानांतरण	16758009	0.4
					20/11/2015	–81024	स्थानांतरण	16676985	0.4

क्र.सं.	फोलियो संख्या	नाम	शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/कमी (–)	कारण	वर्ष 2015–16 के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			वर्ष की शुरुआत (31.03.15)/ समाप्ति (31.03.16 पर शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %
					27/11/2015	–18905	स्थानांतरण	16658080	0.4
					18/12/2015	–73152	स्थानांतरण	16584928	0.4
					25/12/2015	–35064	स्थानांतरण	16549864	0.4
					15/01/2016	–99029	स्थानांतरण	16450835	0.39
					22/01/2016	–52200	स्थानांतरण	16398635	0.39
					05/02/2016	–186490	स्थानांतरण	16212145	0.39
					12/02/2016	–79275	स्थानांतरण	16132870	0.39
					11/03/2016	44140	स्थानांतरण	16177010	0.39
			16177010		31/03/2016			16177010	0.39
7	IN30343810013442	स्टिचिटंग डिपॉजिटरी एपीजी एमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी पूल	0		31/03/2015				
					21/08/2015	0	स्थानांतरण	17269878	0.41
					28/08/2015	–1571878	स्थानांतरण	15698000	0.38
			15698000	0.38	31/03/2016			15698000	0.38
8	IN30005410013042	एसीएसीआईए पार्टनर्स,एलपी	15102193	0.36	31/03/2015				
			15102193	0.36	31/03/2016	शून्य	शून्य	15102193	0.36
9	IN30343810003850	कैपिटल इंटरनेशनल एमर्जिंग मार्केट्स फंड	14927151	0.36	31/03/2015				
			14927151	0.36	31/03/2016	शून्य	शून्य	14927151	0.36
10	IN30012611219356	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी फंड	10388560	0.25	31/03/2015				
					28/08/2015	–1000000	स्थानांतरण	9388560	0.22
					02/10/2015	1000000	स्थानांतरण	10388560	0.25
					08/01/2016	2880000	स्थानांतरण	13268560	0.32
			13268560	0.32	31/03/2016			13268560	0.32
11	IN30012611218322	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	7137343	0.17	31/03/2015				
					08/05/2015	1163930	स्थानांतरण	8301273	0.2
					30/06/2015	940000	स्थानांतरण	9241273	0.22
					31/07/2015	378361	स्थानांतरण	9619634	0.23
					07/08/2015	2508011	स्थानांतरण	12127645	0.29
					14/08/2015	–219515	स्थानांतरण	11908130	0.28
					21/08/2015	–676345	स्थानांतरण	11231785	0.27
					28/08/2015	–50000	स्थानांतरण	11181785	0.27
					02/10/2015	945860	स्थानांतरण	12127645	0.29
			12127645	0.29	31/03/2016		स्थानांतरण	12127645	0.29
12	IN30343810001833	स्टिचटिंग पेंशनफंड्स एबीपी	17269878	0.41	31/03/2015		स्थानांतरण		
					26/06/2015	0	स्थानांतरण	17269878	0.41
			0		31/03/2016	शून्य	शून्य	0	
13	1203280000374484	यूसुफली मुसलियम वीट्टिल अब्दुल कादिर	11900000	0.28	31/03/2015				
			11900000	0.28	31/03/2016	शून्य	शून्य	11900000	0.28

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता

क्रम सं.	हरेक निदेशकों और हरेक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1.	अनिल कुमार चौधरी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरुआत में	200	0.00	200	0.00
	प्रवर्तकों की शेयरधारिता में वर्ष के दौरान आंकड़े के लिहाज से बढ़ोतरी/गिरावट के साथ बढ़ोतरी/गिरावट के कारणों का स्पष्टीकरण (उदाहरण के तौर पर आवंटन/तबादला/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि):	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष की समाप्ति पर	200	0.00	200	0.00

क्रम सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1.	श्री एम.सी. जैन	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरुआत में	68	0.00	68	0.00
	प्रवर्तकों की शेयरधारिता में वर्ष के दौरान आंकड़े के लिहाज से बढ़ोतरी/गिरावट के साथ बढ़ोतरी/गिरावट के कारणों का स्पष्टीकरण (उदाहरण के तौर पर आवंटन/तबादला/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि):	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष की समाप्ति पर	68	0.00	68	0.00

नोटः वित्तीय वर्ष 2015–16 की शुरुआत, दौरान और अंत तक सभी अन्य निदेशकों के पास कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है।

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें ब्याज भी शामिल है जो बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं

(₹ करोड़)

	सुरक्षित ऋण जमा छोड़कर	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन की रकम ii) ब्याज लंबित लेकिन भुगतान नहीं iii) ब्याज मिला लेकिन लंबित नहीं	16923.55 – 574.30	12974.18 – 92.48	– – –	29897.73 – 666.78
कुल (i+ii+iii)	**17497.85**	**13066.66**	–	**30564.51**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव – योग – घटाव	 7040.00 7815.51	 45904.60 41810.23	 – –	 52944.60 49625.74
शुद्ध बदलाव	**–775.51**	**4094.37**	–	**3318.86**
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता में बदलाव i) मूलधन की रकम ii) ब्याज लंबित लेकिन भुगतान नहीं iii) ब्याज मिला लेकिन लंबित नहीं	 16148.04 – 787.13	 17068.56 – 137.55	 – – –	 33216.60 924.68
कुल (i+ii+iii)	**16935.17**	**17206.11**	–	**34141.28**

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के वेतन

क. प्रबंध निदेशक के वेतन, पूर्णकालिक निदेशक और/या मैनेजरः

क्र. सं.	वेतन का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/मैनेजर के नाम									कुल राशि (₹)
		श्री सीएस वर्मा (10.06.15 तक)	श्री पी.के. सिंह (10.12.15 से)	श्री टी.एस.सुरेश (31.05.15 तक)	श्री अनिल कुमार चौधरी	श्री एस.एस. मोहंती	श्री कल्याण मैती	श्री बिनोद कुमार	डॉ. एन. मोहापात्रा (27.11.15 से)	श्री जी. विश्वकर्मा (31.12.15 से)	
		चेयरमैन	चेयरमैन	निदेशक (पी एंड बीपी)	निदेशक (वित्त)	निदेशक (तकनीक)	निदेशक (आरएम एंड एल)	निदेशक (वाणिज्य)	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक (पी एंड बीपी)	
1.	कुल वेतन (क) आय कर कानून,1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रस्तावों के मुताबिक वेतन	1012495	1022814	614065	3189559	3248564	2880858	2739507	955154	590274	16253290
	(ख) आय कर कानून. 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	–	247378	–	215277	327792	130954	242532	76656	48094	1288683
	(ग) आय कर कानून,1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में मुनाफा										
2.	स्टॉक का विकल्प	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	स्वेट इक्विटी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	कमीशन – लाभ के % की तरह – अन्य, स्पष्ट करें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल (ए)	**1012495**	**1270192**	**614065**	**3404836**	**3576356**	**3011812**	**2982039**	**1031810**	**638368**	**17541973**
	कानून के मुताबिक उच्चतम सीमा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

ख. अन्य निदेशकों को मानदेयः

क्रम सं.	वेतन का विवरण	बोर्ड/कमेटी बैठकों में मौजूद रहने के लिए शुल्क	कमीशन	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	कुल रकम
1.	**स्वतंत्र निदेशक***				
	डॉ आत्मानंद	820000	–	–	820000
	श्री ज मो माऊस्कर	1040000	–	–	1040000
	श्री पी के दाश	280000	–	–	280000
	श्रीमति अंशु वैश	120000	–	–	120000
	श्री प्रमोद बिंदल	280000	–	–	280000
	प्रो. अशोक गुप्ता	160000		–	160000
	कुल(1)	**2700000**	–	–	**2700000**
2.	**अन्य गैर कार्यकारी निदेशक ****				
	कुल (2)	–	–	–	
	कुल (बी)=(1+2)	**2700000**			**2700000**
	कुल प्रबंधकीय वेतन				
	कानून के मुताबिक उच्चतम सीमा, (@1% 2013 की धारा 198 के तहत परिकलित लाभ का)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*स्वतंत्र निदेशकों को सिर्फ सिटिंग फी का भुगतान होता है।

**गैर कार्यकारी निदेशकों को किसी सिटिंग फी का भुगतान नहीं किया जाता।

ग. एमडी/मैनेजर/डब्ल्यूटीडी को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के लिए वेतन

क्रम सं.	वेतन का विवरण	श्री एम सी जैन, कंपनी सचिव	कुल
1.	**कुल वेतन** (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1)में दिए गए प्रस्तावों के मुताबिक वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत वेतन के एवज में मुनाफा	 2797134 211957 –	 2797134 211957 –
2.	**स्टॉक का विकल्प**	–	–
3.	**स्वेट इक्विटी**	–	–
4.	**कमीशन** – लाभ के % के तौर पर – अन्य, स्पष्ट करें	 – –	 – –
5.	अन्य, कृप्या स्पष्ट करें	–	–
	कुल (ए)	**3009091**	**3009091**

VII जुर्माना/दंड/अपराधों का योग:

किस्म	कंपनीज अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/आर्थिक दंड में बढ़ोतरी का विवरण	अधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील किया गया, यदि कोई
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
योग					
ख. निदेशक			**कुछ नहीं**		
जुर्माना					
दंड					
योग					
ग. बकाया					
जुर्माना					
दंड					
योग					

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार ऋण, गारंटी अथवा निदेश का विवरण

31 मार्च, 2016 को बकाया राशि

(₹ करोड़)

विवरण	राशि
प्रदत्त ऋण	6.15
किए गए निवेश	1243.04

वित्तीय वर्ष 2015–16 में किए गए निवेश

संस्था का नाम	संबंध	₹ करोड़	प्रयोजन जिनके लिए निवेश का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है
अंतर्राष्ट्रीय कोयला वेंचरस् प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	313.03	व्यापार प्रयोजन
सेल राइट्स बेंगाल वेगन इंडस्ट्री प्रा. लि.	संयुक्त उद्यम	7.37	व्यापार प्रयोजन
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लि.	संयुक्त उद्यम	2.08	व्यापार प्रयोजन
वीएसएल–सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	0.84	व्यापार प्रयोजन
सेल–एससीएल केरला लि.	संयुक्त उद्यम	0.65	व्यापार प्रयोजन

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–X

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण

(कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3) (एम) के अनुसरण में 2013 कंपनियों के नियम 8 के साथ पढ़ा (लेखा) नियम, 2014)

(क) ऊर्जा का संरक्षण

i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभाव

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)

क. एसएमएस–II में रिटर्न लैडल कार–1 में वीवीवीएफ ड्राइव सिस्टम को आतंरिक रूप से चालू करना जिससे विशिष्ट बिजली की खपत को कम किया जा सके।

ख. मर्चेंट मिल में निम्न हेतु वीवीवीएफ को चालू किया जाता है
(i) अतिरिक्त सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली के साथ 11 सहायक स्टैंड
(ii) विशिष्ट बिजली की खपत को कम करने के लिए किक ऑफ श्रृंखला तंत्र 251बी और 351बी के साथ सरल, कम गति आपरेशन शुरू करने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराना और उपकरणों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए

ग. वायर रॉड मिल में टर्न टेबल (टीटी) 43 व 48 के लिए बहुत कम गति वाले वीवीवीएफड्राइव (एसीएस 800) को चालू करना या जिससे विशिष्ट बिजली की खपत और घुमाने वाली मोटर की गैर उपलब्धता के उन्मूलन को कम किया जा सके।

घ. उत्पाद गैसों के विवेकपूर्ण उपयोग से सीपीपी–I, में बॉयलर कोयले की खपत को 2014–15 में 55,870 टी की तुलना में केवल 4815 टी कम किया गया।

ड. बायलर कोयले की खपत में दहन और कमी में सुधार के लिए सीपीपी–I के बायलर–2 में कोयला धूल बर्नर' संकेत का संशोधन करना।

त. कुछ मोडेक्स इकाइयों जैसे सीओबी–11, बीओओ आधारित ऑक्सीजन संयंत्र, कैस–4 और बीएफ के नए पीआरएमएस की ऑनलाइन निगरानी के साथ नए और अधिक कुशल मंच और सहज एकीकरण से मौजूदा सीईएमएस (केन्द्रीकृत ऊर्जा निगरानी प्रणाली) का सफल उन्नयन किया।

थ. कार्य क्षेत्र के भीतर एपपीएसवी सड़क की बत्तियों को ऊर्जा कुशल एलईडी रोशनी को बदला–कुल संख्या 180।

द. बीईई दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित ऑडिट बीईई पैनलबद्ध मान्यता प्राप्त ऊर्जा ऑडिट फर्मों के माध्यम से आयोजित की गईं:
(i) अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट, और
(ii) सांविधिक निगरानी और सत्यापन ऊर्जा ऑडिट

ध. संयंत्र विशिष्ट ऊर्जा की खपत – 6.44जीसीएएल / टीसीएस

न. संयंत्र विशिष्ट कुल बिजली दर – बिक्री योग्य इस्पात का 488 केडब्ल्यूएच/ टी

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)

क. ब्लूम–कम–गोल कॉस्टर में गोल कास्टिंग का परिचय जिससे ऊर्जा गहन पिंड मार्ग के माध्यम से इसके उत्पादन को खत्म किया जा सके।

ख. चालू करना
(i) नया डोलोमाइट संयंत्र
(ii) 125 टी लैडल फर्नेस # 3
(iii) बेंजॉल और नेफ्था स्क्रबर संयंत्र
(iv) अमोनियम सल्फेट संयंत्र

ग. पहला परीक्षण हुआ उत्पाद – संकीर्ण पैरेलल बीम (100 x 55) – एमएसएम से निकाला गया।

घ. बीएफ 2 की कैट–प्प कैपिटल मरम्मत का सफलतापूर्वक समापन।

ड. एचबीटी को बढ़ाने के लिए बीएफ4 स्टोव के ईंधन गैस में सीओ गैस के संवर्धन के लिए सीओ गैस बूस्टर की स्थापना की।

त. उच्चतम बीओएफ गैस रिकवरी@ 85.8 एनएम^3/टीसीएस।

थ. बीईई के दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित ऑडिट बीईई पैनलबद्ध मान्यता प्राप्त ऊर्जा ऑडिट फर्मों के माध्यम से आयोजित की गईं थीं:
(i) अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट, और
(ii) ऊर्जा ऑडिट की सांविधिक निगरानी और सत्यापन

द. विशिष्ट ऊर्जा की खपत – 6.42जीसीएएल / टीसीएस

ध. विशिष्ट बिजली की खपत – बिक्री योग्य इस्पात का 403 केडब्ल्यूएच / टी

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)

क. शीर्ष रिकवरी टर्बाइन जेनरेटर (टीआरटीजी) और बैक दबाव टर्बाइन जेनरेटर (बीपीटीजी) से 9.09 मेगावाट का लगातार बिजली का उत्पादन बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप ग्रिड से बिजली का आयात कम किया गया।

ख. मौजूदा सर्किट को संशोधित कर सामने के मिल ग्रूव रोल–1 में नए थग्रिस्टर ड्राइव का आतंरिक निर्माण किया और उसे चालू किया जिससे बिजली की बचत हुई।

ग. कोक दर को 2014–15 में 495 किलो /टीएचएमसे 464 किलो /टीएचएम कम किया।

घ. 2014–15 में बीएफगैस की उपज 1,611एनएम^3 /टीएचएमसे बढ़कर 1,642एनएम^3/टीएचएमहुई।

ड. एलडी गैस की उपज 2014–15 में 46एनएम3/टीसीएस से बढ़कर 67 एनएम^3/टीसीएस हुई।

त. प्रतिस्थापन किया
(i) 150/250 वाट सड़क की लाइट की फिटिंग को 90/120 वाटएलईडी फिटिंग के साथ–संख्या 300।
(ii) 150/250 वाट सड़क की लाइट / हाई मस्त फिटिंग को 120 वाट चुंबकीय युग्मित फिटिंग के साथ–संख्या 250।
(III) 250वाट एचपीएसवी/एचपीएमवी सड़क की लाइट फिटिंग को 120 वाट ऊर्जा कुशल चुंबकीय प्रवर्तन के साथ–संख्या 200।

थ. 200 वाट ऊर्जा कुशल चुंबकीय प्रवर्तन लैंप का उपयोग कर 10 हाई मस्त टावर्स की स्थापना और की और उन्हें लागू किया।

द. गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए एचएसएम की आरएच भट्टियों में स्किड पाइप का पृथक्करण।

ध. बीईई के दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित ऑडिट बीईई पैनलबद्ध मान्यता प्राप्त ऊर्जा ऑडिट फर्मों के माध्यम से आयोजित की गईं थीं:
(i) अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट, और
(ii) ऊर्जा ऑडिट की सांविधिक निगरानी और सत्यापन

न. विशिष्ट ऊर्जा की खपत – 6.50 जीसीएएल / टीसीएस

प. विशिष्ट बिजली की खपत – बिक्री योग्य इस्पात का 487 केडब्ल्यूएच/टी

बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)

क. सीओ बैटरी सं. : 3 की ठंड की मरम्मत

ख. मुख्य रूप से मरम्मत की
(i) 3 सिंटर मशीनों की
(ii) 3 सोकिंग पिट सिरेमिक रेकुपरेटर, और
(iii) 3 सोकिंग पिट मैटेलिक रेकुपेरटर

ग. बीएफ : 3 के स्टोव सं. 3.1 की मरम्मत कर ब्लास्ट के तापमान में वृद्धि

घ. भट्ठी दीवार के माध्यम से गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए एचएसएम पुनः गर्म करने वाली भट्टियों में कुल त्वचा तापावरोधन।

ड. तापमान को कम से कम करने के लिए मिलों के आधुनिकीकरण के दौरान देरी की मेज पर गर्म ढाल प्रदान किया गया।

प. एचएसएम पुनःगर्म भट्ठी: 4 के स्किड तापावरोधन का संशोधन किया जिससे स्किड ठंडे पानी के माध्यम से गर्मी के नुकसान को कम किया गया।

फ. एचएसएम में पुनःगर्म भट्ठी : 2 में रेकुपेरटर को बदला

ब. ऊपर कास्टेबल्स के साथ 5 बेल अन्नेलिंग भट्टियों में बर्नर के स्तर तक और बर्नर के ऊपर सिरेमिक फाइबर अस्तर लगाया

भ. सीपीपी बॉयलर : 7 एवं 8 के लिए अधिशेष बीएफ गैस की आपूर्ति

म. विशिष्ट ऊर्जा की खपत – 6.69 जीसीएएल / टीसीएस

भ. विशिष्ट बिजली की खपत – बिक्री योग्य इस्पात का 544 केडब्ल्यूएच/टी

इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी)

क. बेहतर बीओएफजी उपयोग के लिए बीओएफगैस होल्डर (50,000 एम 3 क्षमतावाली) को लागू करना।

ख. बीएफ शीर्ष दबाव के रूप में ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए शीर्ष रिकवरी टर्बाइन (14एमडब्ल्यूएच) को लागू करना।

ग. बेहतर उप–उत्पाद के उपयोग के लिए गैस सीओबीः 11 में आग के तहत बीएफ गैस की शुरूआत की।

घ. बीईई के दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित ऑडिट बीईई पैनलबद्ध मान्यता प्राप्त ऊर्जा ऑडिट फर्मों के माध्यम से आयोजित की गईं थीं:
(i) अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट, और
(ii) ऊर्जा ऑडिट की सांविधिक निगरानी और सत्यापन

ड. पावर ग्रिड के नए और पुराने संयंत्र को कुशल विद्युत उत्पादन और वितरण के लिए परस्पर जोड़ा गया।
विशिष्ट ऊर्जा की खपत – 7.595 जीसीएएल / टीसीएस

ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

क. आरएसपी में 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की और चालू किया

ख. आरएसपी में दो 5 किलोवाट छत के ऊपर सौर पीवी संयंत्र की स्थापना की और चालू किया

ग. बीएसएल में 65 सौर प्रकाश की स्थापना की।

iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, जैसा कि विस्तार से नीचे दिया गया है, ₹136.8 करोड़ की पूंजी व्यय हुई हैः

ब्यौरा	₹ करोड़ में
कोक की प्रत्यक्ष गर्मी की रिकवरी के लिए कोक ओवन बैटरी में आईएसपी पर # 11, आरएसपी पर # 6 और बीएसपी पर # 11 कोक ड्राई कुएंच प्रणाली की स्थापना की	36.38
डीएसपी के ब्लास्ट भट्ठी#3 में घंटी विहीन शीर्ष चार्जिंग प्रणाली	7.06
आईएसपी के ब्लास्ट भट्ठी#5 में शीर्ष दबाव रिकवरी टरबाइन प्रणाली	8.96
आईएसपी पर ब्लास्ट भट्ठी में # 5, आरएसपी पर # 4 में कोल डस्ट इंजेक्शन प्रणाली (कोक चार्ज को कम करने के लिए सहायक ईंधन का उपयोग)	3.85
बीएसपी, डीएसपी, आरएसपी, बीएसएल और आईएसपी पर ऊर्जा संपन्न वाकिंग बीम टाइप भट्ठी की स्थापना	47.48
बीएसपी, आरएसपीऔर आईएसपी पर गर्म धातु के लिए टारपीडो लैडल	27.54
बीएसएल पर कास्ट हाउस स्लैग ग्रेन्युलेशन प्रणाली	5.53
कुल	**136.80**

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण

i) **प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए के प्रयास**

आयरन एंड स्टील के लिए अनुसंधान और विकास केंद्र (आरडीसीआईएस) सेल की निगमित आर एंड डी इकाई है। इन वर्षों में आरडीसीआईएस ने लौह धातु विज्ञान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति के अनुसंधान एवं विकास केंद्र होने की साख अर्जित की है। आरडीसीआईएस का प्रमुख जोर सेल के कारखानों में बहु–विषयक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, प्रदर्शन करने और उन्हें लागू करने में है जिससे उनकी मुख्य निष्पादन गुणवत्ता, उत्पादकता और उपज से संबंधित सूचकांक में सुधार लाया जा सके। आरडीसीआईएस उत्पाद लागत को कम करने, मूल्य वर्धित बाजार केंद्रित उत्पादों के विकास और ग्राहकों के बीच सेल के उत्पादों के आवेदन को प्रदर्शित करने के लिए इस्पात संयंत्रों और सेल के केन्द्रीय विपणन संगठन के साथ काम करता है। विशिष्ट क्षेत्र जिनमें अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां 2015–16 में कंपनी द्वारा किए गए:

क) **प्रक्रिया घटनाएं**

कच्चा माल

- बोलानी अयस्क खान में ऑनलाइन स्लाइम लाभकारी इकाई की स्थापना करना

कोक का निर्माण

- कोक गुणवत्ता, बीएसपी पर राख रसायन विज्ञान के प्रभाव का अध्ययन
- एलाय सूत्रीकरण के साथ कोक की गुणवत्ता में सुधार और सीओबी # 10, आईएसपी की संचालन मानकों के अनुकूलन

संकुलन

- प्रक्रिया मानकों के अनुकूलन के माध्यम से एसपी # 3, आरएसपी के प्रदर्शन में सुधार
- प्रक्रिया मानकों के अनुकूलन से एसपी # 2, बीएसपी के प्रदर्शन में सुधार

ब्लास्ट भट्ठी

- बीएफ # 3, डीएसपी में बीएलटी चार्जिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए बोझ वितरण का अनुकूलन
- बीएफ # 5, आरएसपी में स्लैग रसायन विज्ञान का अनुकूलन

स्टील निर्माण

- कॉस्टर # 3, एसएमएस–II, आरएसपी में स्लैब गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कास्टिंग प्रक्रिया मापदंडों का उपयोग
- इस्पात लैडल के लिए प्रभाव प्रतिरोधी अपवर्तक का विकास करना जिससे एसएमएस–II, आरएसपी में लैडल उपलब्धता और अस्तर जीवन को बढ़ाया जा सके
- एसएमएस–I, आरएसपी पर लांस टिप डिजाइन में संशोधन करके कनवर्टर ब्लोइंग प्रक्रिया को नियंत्रित करना
- निम्न ऑक्सीजन रेल, बीएसपी के उत्पादन के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी

रोलिंग मिल्स

- माइक्रोस्ट्रक्चर मॉडल आधारित वर्चुअल टेस्ट प्रमाणन (वीटीसी) और एचएसएम, आरएसपी पर रन आउट–तालिका (आरओटी) ठंडे नियंत्रण प्रणाली की शुरूआत
- एचएसएम, आरएसपी में महत्वपूर्ण ग्रेड और इस्पात के आकार के झुलाव के लिए कंप्यूटर सतत तंत्र का अध्ययन
- एचडीजीएल, सीआरएम, बीएसएल के जस्ती उत्पाद की सतह की गुणवत्ता में सुधार
- एसएसएम, आरएसपी में सीआरएनओ तार की सतह की गुणवत्ता में सुधार
- टैंडेम मिल # 1, सीआरएम, बीएसएल के मिल गति की मोटाई और तनाव पर नियंत्रण के लिए स्वचालित प्रणाली
- मर्चेंट मिल, डीएसपी पर कूलबेड रोलर तालिका मोटरों को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल वीवीवीएफ ड्राइव प्रौद्योगिकी की शुरूआत

ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण

- एसपी # 2, बीएसपी पर गर्म पानी उत्पादन के लिए सिंटर कूलर से अपशिष्ट गर्मी की रिकवरी
- सीओबी # 8, बीएसपी में विशिष्ट गर्मी की खपत में कमी
- बिजली संयंत्र–I, बीएसपी के बिजली और ब्लोइंग स्टेशन के एक पुराने बायलर में संशोधित कोयला बर्नर का परिचय
- बिजली संयंत्र में कोयले में पारे का खोजी अध्ययन और कार्य क्षेत्र, बीएसपी में तत्वों की पहचान
- एचएसएम, बीएसएल पर पुनः गर्म करने वाली भट्टियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए स्किड पाइप के तापावरोधन में सुधार

ख) **प्रयोगशाला आधारित काम**

- छवि विश्लेषण के माध्यम से कोक संरचना पर अध्ययन
- पायलट कार्बनीकरण परीक्षणों के माध्यम से नए आयातित कोकिंग कोयले का मूल्यांकन
- कोयला और कोक गुणवत्ता के बीच सांख्यिकीय संबंधों का विकास और कोयला एलायण अनुकूलन उपकरण का विकास
- कास्टिंग के दौरान उप प्रविष्टि नोक बंधक को रोकने के लिए स्टील्स में गैर धातु समावेशन के संशोधन के लिए थर्मोडाईनेमिक अध्ययन
- परियोजना प्रबंधन प्रणाली का कंप्यूटरीकरण
- परिमित तत्व विधि का उपयोग करते हुए वायर रॉड के लिए 3 डी मॉडल का विकास
- गर्म रोल्ड प्लेटों के यांत्रिक गुणों की भविष्यवाणी करने के लिए ऑफ–लाइन माइक्रोस्ट्रक्चर मॉडल का विकास
- इस्पात संयंत्र अनुप्रयोगों के लिए प्रतिरोधी सामग्री के चयन के लिए एक विशेषज्ञ प्रणाली का विकास
- फेर्रिटिक और ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के गुणों में वृद्धि
- ऑटोमोबाइल और बिजली उत्पादन में ईंधन की कोशिकाओं में द्वि ध्रुवी प्लेट आवेदन के लिए उच्च प्रदर्शन स्टेनलेस एलाय का विकास

ग) **उत्पाद विकास और आवेदन**

आरडीसीआईएस, निरंतर तकनीकी सूचनाओं के माध्यम से, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर मूल्य वर्धित इस्पात उत्पादों के उत्पादन से कंपनी की मदद कर रहा है। कई नए उत्पाद, विशेष रूप से विशेष स्टील्स, जिसके बेहतर उत्पाद की गुणवत्ता लक्षण को विकसित किया गया और बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के कड़े आवेदन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरडीसीआईएस द्वारा वाणिज्यीकरण किया गया है। लागत प्रभावी एलाय धातु डिजाइन और प्रक्रिया मानकों के अनुकूलन के सिद्धांत नए बाजार उन्मुख उत्पादों के विकास के लिए मूल विचार रहे हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान, निम्नलिखित 24 उत्पादों को विकसित किया गया है:

- नौसैनिक युद्धपोत वेसल्स के लिए आरएसपी पर डीएमआर 249 बीके क्यू एंड टी प्लेट्स
- फोर्मेबल गुणों वाली सीआर तार (आईएस 513सीआर4) बीएसएल पर ऑटो के लिए
- आईएसपी में निर्माण के लिए 1786 एफई 500डीटीएमटी सरिया (20 मिमी)
- बीएसएल में लाइन पाइप के लिए एपीआई 5एलएक्स60पीएसएल 1 ग्रेड एचआर तारें
- आईएसपी पर निर्माण के लिए आईएस 1786ए फई 500डीग्रेड टीएमटी रिबार (10 मिमी)
- सामान्य इंजीनियरिंग के लिए आईएसपी में एसएई 1018 ग्रेड तार छड़
- सामान्य इंजीनियरिंग के लिए आईएसपी में 7887 (6) ग्रेड तार छड़
- निर्माण के लिए आरएसपी में आईएस15962 ई 450एसग्रेड एचआर तार और प्लेट्स
- बॉयलर और दबाव वेसल्स के लिए बीएसपी में एएसटीएम ए 387 जीआर. 11 सीएल.2 प्लेटें
- ऑटो के लिए एसएसपी से टी स्थिर निम्न कार्बन फेरिटिकस्टेनलेस स्टील (एआईएसआई 409एल)
- विंडमिल अवयव के लिए बीएसपी पर जेड दिशात्मक गुणों के साथ उच्च टेनसाइल प्लेटें
- लिफ्ट, वॉशिंग मशीन और बरतन के लिए एसएसपी से टी स्थिर निम्न कार्बन फेरिटिक स्टेनलेस स्टील (एआईएसआई 441)
- निर्माण के लिए आरएसपी में आईएस 2062 ई 410सी पीएम प्लेटें
- बॉयलर और दबाव वेसल्स के लिए आरएसपी में एएसटीएम 537 सीएल–II क्यू एंड टी प्लेट्स
- ऑफ–शोर संरचनाओं के लिए आरएसपी में जेड दिशात्मक गुणों के साथ 2062 ई 450 मोटी प्लेट्स (70 और 80 मिमी)
- ग्रेड बॉयलर और दबाव वाहिकाओं के लिए एएसपी पर टी91/एफ91 ग्रेड स्टील
- निर्माण के लिए बीएसपी पर 1786 एफई 500एसएचसीआर ग्रेड टीएमटी सरिया (32 मिमी)
- ट्रांसमिशन लाइन टावरों के लिए आईएसपी में सेल टॉवर जीआर–VI बिलेट्स (150x150 मिमी)
- निर्माण के लिए बीएसपी पर आईएस 1786 एफई 500एसएचसीआर ग्रेड टीएमटी सरिया (36 मिमी)
- ऑटो के लिए बीएसपी पर आईएस 2062 ई 350 बीआर (नॉन माइक्रो एलाय) ग्रेड प्लेटें
- निर्माण के लिए आईएसपी में पैरेललफ्लैंज बीम (आईपीई300) संरचनात्मक
- बॉयलर और दबाव वाहिकाओं के लिए आरएसपी में बॉयलर गुणवत्ता (आईएस 2002)मोटी प्लेट्स (140 मिमी)
- निर्माण के लिए डीएसपी पर संकीर्ण पैरेललफ्लैंज बीम (एनपीबी100) संरचनात्मक
- अर्थ मूवर्स और भारी मशीनरी के लिए बीएसपी पर एसएआईएलएमए 500 एचआई प्लेट्स

घ) **सेल अनुसंधान एवं विकास मास्टर प्लान का पुर्नलोकन**

आरडीसीआईएस को अनुसंधान एवं विकास मास्टर प्लान के पुनर्वलोकन की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल, प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की पहचान, चयन, कार्यान्वयन और निगरानी में उपयुक्त परिवर्तन लागू करने के लिए कहा गया था। आरडीसीआईएस ने संयंत्रों/सीओई परियोजनाओं के इकाई विजेताओं, अन्य हितधारकों के साथ विचार–विमर्श करके, कार्यशालाओं / विचार मंथन सत्र की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रमुख बाधाओं को पहचाना, और एक संशोधित प्रक्रिया का निर्माण किया जिसे कंपनी भर में सफलतापूर्वक एसएआईएल के सभी संयंत्र / सेल की इकाइयों में लागू किया गया है, जिससे कंपनी भर में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में संयंत्र कर्मियों की बड़ी भागीदारी रही। बड़े बदलाव जिन्हें शामिल किया गया उनमें विभिन्न श्रेणियों के तहत बड़े तकनीकी प्रभाव की परियोजनाएं, सरलीकृत खरीद प्रक्रिया, सह विजेता, और परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद धन की उपलब्धता और कंपनी भर में अनुसंधान एवं विकास व्यय पर कब्जा करने के लिए एक अभिनव प्रक्रिया की अवधारणा की पहचान करना शामिल है। विकसित प्रक्रिया निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा:

- व्यापार योजना के परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करना
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा का विकास
- आतंरिक विकास की प्रक्रिया और डिजाइन क्षमताओं का विकास
- सेल के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मौलिक नई प्रौद्योगिकियों का विकास/अनुकूलन
- 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (सीओई) परियोजनाओं के माध्यम से इस्पात संयंत्रों में अनुसंधान एवं विकास संस्कृति का प्रसार
- अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के लिए कारोबार का 1% अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिए बढ़ाना

संशोधित मास्टर प्लान के आधार पर, 4 नए सीओई परियोजनाएं जिन्हें 2015–16 के दौरान पहचाना गया। वे इस प्रकार हैं:

1. एबी3 इस्पात उत्पादन (सीओई–आरएसपी)
2. एसएमएस–II, आरएसपी (सीओई–आरएसपी) में गर्मी और गुणवत्ता प्रबंधन के लिए स्वचालित प्रणाली
3. आईएसपी में (सीओई–आरडीसीआईएस) स्टील की प्रक्रिया दक्षता और मूल्य वर्धित ग्रेड में सुधार किया
4. एसपी# 1, डीएसपी (सीओई–आरडीसीआईएस) की उत्पादकता में सुधार किया

(ii) 2015–16 में प्रमुख परियोजनाओं से प्राप्त लाभः

- **प्रक्रिया क्षेत्र**

परियोजना शीर्षक	प्राप्त लाभ
प्रक्रिया मानकों के अनुकूलन से एसपी# 2 के प्रदर्शन में सुधार, बीएसपी	• एसपी # 2 के विंड बॉक्स सं. 9 से 13 तक एम/सी–3 में सीलबंदी प्रणाली के माध्यम से हवा लीकेज को कम करने के लिए एक परिवर्तनात्मक स्टेनलेस स्टील ब्रश संयोजन की अवधारणा बना, उसे डिजाईन करा गया और प्रस्तावित किया गया। • सिंटर के डीटीआई में सुधार 4 इकाइयों द्वारा देखा गया है और इस प्रकार उत्पादकता भी देखी गई।
एसपी# 3, बीएसपी के कच्चे माल हॉपर के यात्री जहाज की सेवा आयु में सुधार	• 16मिमी मोटी लाइनर थाली के बेस प्लेट पर सीआर–कार्बाइड सख्त एलाय जमा हो गया था और कच्चे माल हॉपर पर चिपक गया था जिसके यात्री जहाज प्लेट की सेवा में दो गुना सुधार होने की उम्मीद है।
बिजली के एक वर्ष पुराने बायलर और बिजलीघर–I के रसावघर में संशोधित कोयला बर्नर का परिचय	• संशोधित बर्नर की शुरूआत ने कोयले की राख के एलओआई को कम करने में मदद की है।
बिजली संयंत्र में कोयले में पारा का खोजी अध्ययन और कार्य जोन क्षेत्र, बीएसपी में तत्वों का पता लगाना	• बिजली संयंत्र में कोयले में पारा और कार्य जोन क्षेत्र में तत्व सामान्य सीमा के भीतर पाए गए।
निम्न ऑक्सीजन रेल्स, बीएसपी के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी प्रक्रिया	• प्रौद्योगिकी प्रक्रिया निम्न ऑक्सीजन (<20पीपीएम) रेल्स के लिए विकसित की गई। • निर्यात ऑर्डर के लिए रेल्स इस्पात का यूरो मानक के अनुसार उत्पादन किया जा सकता है।
बीएसपी में कोक गुणवत्ता पर राख रसायन विज्ञान के प्रभाव का अध्ययन	• परियोजना उत्पादन सेल कारखानों के मिश्रण के अनुकूलन में मदद करेगा।
सीओबी # 8, बीएसपी में विशिष्ट गर्मी की खपत में कमी करेगा	• सीओबी # 8 में विशिष्ट गर्मी की खपत 767 किलो के कैल/किलो पर काफी कम कर दी गई है।
एसपी# 2, बीएसपी पर गर्म पानी के लिए सिंटर कूलर से गर्म पानी का उत्पादन	• सिंटर कूलर से अपशिष्ट गर्मी को पानी गरम करने के लिए ~ 80 ओसी के लिए उपयोग किया जा रहा है। • सिंटरिंगसंयंत्र उत्पादकता में सुधार है।
बीएफ # 3, डीएसपी में बीएलटी चार्जिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए बोझ वितरण को अनुकूलित किया जाता है	• एमटीए से बीएलटी व्यवस्था में बदले जाने के बाद, बोझ वितरण के अनुकूलन को अलग स्थिति में बीएलटी रिंग सेटिंग्स, अयस्क/कोक अनुपात बदलने के द्वारा किया गया है, और मध्य भाग में अधिक कोक चार्ज किया गया। • उपरोक्त उपायों ने भट्ठी की गैस उपयोगिता में 41–42% से 43–44% का सुधार किया है, जिससे 501 किलो/टीएचएम से 490 किलो/टीएचएम से कोक दर में कमी आई है।
मर्चेंट मिल, डीएसपी पर कूलबेड रोलर तालिका मोटर को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल वीवीवीएफड्राइव प्रौद्योगिकी की शुरूआत	• नवीनतम डिजिटल ड्राइव प्रबंधन (वीवीवीएफ) प्रणाली ने कारखाने में बिजली चले जाने को कम करने में मदद दी है • कूलिंग बेड क्षेत्र को रोकने के समय को 75% से अधिक (26 घंटे से 6 घंटे तक ला कर) कम किया है • ऑनलाइन निदान और मूल कारण विश्लेषण के लिए प्रावधान
प्रक्रिया के मानकों, आरएसपी के अनुकूलन के माध्यम से # 3 सपा के प्रदर्शन में सुधार	• संघनन रोलर्स प्रणाली को चलते सिंटर बेड पर सिंटर एलायण के बिंदु चार्ज करने के ठीक बाद निर्मित, गढ़ा और स्थापित किया गया जिससे चार्ज एलायण के थोक घनत्व को बढ़ाया जा सके। • इसके परिणामस्वरूप उत्पाद सिंटर की उपज में ~ 3.5% की वृद्धि हुई और इस तरह सिंटर उत्पादकता में 1.019 टी/एम2/घंटा से 1.244 टी/एम2/घंटा वृद्धि हुई।
एसएमएस–I, आरएसपी पर लांस टिप डिजाइन में संशोधन करके कनवर्टर के रसाव प्रक्रिया पर नियंत्रण पाया गया।	• औसत लांस टिप के जीवन में ~ 70 तपता से >150 तपता का सुधार किया गया • स्लैग ऑक्सीकरण क्षमता में ~ 2% की कमी हुई।
कॉस्टर # 3, एसएमएस–II, आरएसपी में स्लैब गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कास्टिंग प्रक्रिया मापदंडों को अनुकूलित किया गया	• कॉस्टर # 3 के सतह और स्लैब के आंतरिक गुणवत्ता में सुधार हुआ • डिओक्सीडेशन और फ्लक्सिंग व्यवहार में संशोधन के माध्यम से डी–सल्फराइजेशन में ~ 40% तक सुधार हुआ है।
एसएमएस–II, आरएसपी में लैडल उपलब्धता और जीवन को बढ़ाने के लिए इस्पात लैडल के लिए प्रभाव प्रतिरोधी रेफक्टोरी प्रक्रिया का विकास किया गया	• आतंरिक सुविधा का उपयोग करते हुए धातु फाइबर के स्लैग नई गुणवत्ता प्रभाव प्रतिरोध एमजीओ–सी ईंटों को विकसित किया गया। • ईंटों की दुर्दम्य गुणों जैसे कठोरता, कोकड सीसीएस और एचएमओआर मूल्यों में सुधार किया गया है। • दो परीक्षणों के लिए सामान्य जीवन जो 105 गर्मी है उसे 150टी इस्पात लैडल अस्तर के नीचे प्रभाव पैड में एमजीओ–सी ईंटों और एसएस310एस फाइबर के 2% आवेदन के साथ लैडल जीवन को क्रमशः 110 और 123 गर्मी तक बढ़ा दिया जाता है।
टैंडेम मिल # 1, सीआरएम, बीएसएल के मिल गति मोटाई और तनाव पर नियंत्रण के लिए स्वचालित प्रणाली विकसित की	• सीआर1 ग्रेड में आउटपुट मोटाई को + 2% सहिष्णुता के भीतर हासिल किया • कर्टेन (सैलकोर), स्टील स्ट्रैप और सीआर1 ग्रेड की तरह ग्रेडों को सफलतापूर्वक 480एमपीएम की उच्च मिल गति के साथ शुरू किया गया (पुरानी गति 180 एमपीएम)। • नए विद्युत नियंत्रण कक्ष में एचएमआई स्क्रीन प्रदान करने के साथ ही विद्युत और यांत्रिक गड़बड़ी की जांच करना आसान और तेज हो गया है। • ऑपरेटर के परिचालन की सुविधा के लिए इष्टतम रोल पास अनुसूची को जमा करनेध्पुनः प्राप्त करने का प्रावधान प्रदान किया गया है।
एचएसएम, बीएसएल पर पुनः गर्म भट्ठियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए स्किड पाइप के इन्सुलेशन में सुधार किया गया है	• पानी कूल करने वाले स्किड पाइप के जरिये भाप के प्रसार को 26टी/घंटा से 10टी/घंटा घटा दिया गया है, जो 61% की कमी है। • संशोधित भट्ठी (संख्या 4) के लिए एसपी. गर्मी की खपत को 0.461 से 0.349 तक कम कर दिया गया है, जो 24% तक है। • स्लैब के भीतर तापमान भिन्नता काफी कम हो गयी है। • भट्ठी को गरम करने में लगने वाले समय में 20 मिनट की बचत कर भट्ठी की प्रवाह क्षमता को बढ़ाया गया है।
सीओबी# 10, आईएसपी के संचालन मानकों के अनुकूलन और एलायण तैयार करने से कोक की गुणवत्ता में सुधार किया गया है	• सीओबी# 10 से कोक की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
बोलानी अयस्क खान में ऑनलाइन स्लाइम लाभकारी इकाई की स्थापना की गई है	• दो चरण पन चक्रवात के साथ एक अभिनव स्लाइम लाभकारी प्रणाली को मौजूदा सर्पिल वर्गीकारक ऑपरेशन क्रमवेशन में शामिल किया गया है। • स्लाइम को परख करने की प्रक्रिया ~ 55–57% एफ से 62.4% एफके लिए बढ़ाया जाता है और प्रणाली अतिरिक्त प्राप्त करने के रूप में करीब 20 टीपीएच लौह अयस्क प्राप्त करने में सक्षम होता है।

परियोजना शीर्षक	प्राप्त लाभ
परियोजना प्रबंधन प्रणाली का कंप्यूटरीकरण	• कागज रहित आरडीसीआईएस संगठन की ओर एक और कदम • महत्वपूर्ण मील के पत्थर, परियोजना की स्थिति, परियोजना प्रदर्शन, आईपीआर विवरण आदि का पता लगाने के लिए उपकरण
कास्टिंग के दौरान उप प्रविष्टि नोक को रोकने से बचाने के लिए स्टील्स में गैर धातु समावेशन के संशोधन के लिए ऊष्म प्रवैगिकी अध्ययन	• कैल्शियम उपचार के लिए ''तरल कैल्शियम विंडो'' का विकास। • नोमोग्राम और सह–संबंध विकसित करके चिकने कास्टिंग के लिए उप प्रविष्टि नोक को कम करने के अस्लैगकैल्शियम का अनुकूलन किया गया।
छवि विश्लेषण के माध्यम से कोक संरचना पर अध्ययन	• इसने कोक की संरचना और उसके कारणों पर ज्ञान के आधार में वृद्धि की है।
कोयला और कोक गुणवत्ता और कोयला एलायण अनुकूलन उपकरण के विकास के बीच सांख्यिकीय संबंधों का विकास	• परियोजना उत्पादन सेल के कारखानों के एलायणों के अनुकूलन में मदद करेगी।
पायलट कार्बोनाइजेशन परीक्षण के माध्यम से नए आयातित कोकिंग कोयले का मूल्यांकन	• खरीद पर निर्णय के लिए प्रस्तुत नए आयातित कोयले की रिपोर्ट।
माइक्रोस्ट्रक्चर मॉडल आधारित आभासी टेस्ट प्रमाणन (वीटीसी) और एचएसएम, आरएसपी में रन–आउट–तालिका (आरओटी) में कूल नियंत्रण प्रणाली की शुरूआत	• एचएसएम, आरएसपी में गरम घूमी तारों के यांत्रिक गुणों की भविष्यवाणी करने के लिए वीटीसी प्रणाली विकसित की गई। वाईएस और यूटीएस भविष्यवाणी सटीकता 95% से ऊपर रही। • आरओटी शीतलन प्रणाली को अग्रणी 3.5–7.0% से अधिक ठंडी दरों के लिए संशोधित किया गया था। मोटे एचआर तारें उच्च मिल उत्पादकता गति में सुधार के लिए काम कर सकती है।
एचएसएम, आरएसपीपर महत्वपूर्ण ग्रेड और इस्पात के आकार के रोलिंग के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन अध्ययन	• सीआरएनओतारोंकोएचएसएम पर लेवल –2 मिल सेटअप मॉडल की सहायता से अनुकूलित उत्पादन अनुसूची में उपयोग किया गया। 50% से अधिक कॉयल ट्रायल के दौरान 2.5 मिमी नीचे लुढ़का जा सकता है।
एचडीजीएल, सीआरएम, बीएसएल के जस्ती उत्पाद की सतह की गुणवत्ता में सुधार	• एचडीजीएल, बीएसएल में भट्ठी रोल के चीनी मिट्टी की परत का इस्तेमाल किया गया। इसने डेंट के निशान के कारण 35: मोड़ कम किया और भट्ठी रोल ग्राइंडिंग के लिए समय को 40% कम किया।
एसएसएम, आरएसपी पर सीआरएनओतार की सतह की गुणवत्ता में सुधार	• स्किड माउंटेड एसिड हीटिंग सिस्टम में संशोधन किया गया था। • इसने एसिड की खपत को 4% और जंग मोड़ को 50% तक कम किया।

• **उत्पाद क्षेत्र**

उत्पाद	प्राप्त लाभ
डीएमआर 249 बीके क्यू एंड टी प्लेट्स, आरएसपी	नौसैनिक युद्धपोत वेसल्स के लिए एक आयात प्रतिस्थापन आइटम के रूप में डीएमआरएल, हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रक्रिया प्रौद्योगिकी एएसपी–आरएसपी मार्ग के माध्यम से स्थापित किया गया है। इन प्लेटों की अति–आवश्यकता बहुत अधिक प्रभाव मूल्य यानि 78जे न्यूनतम–40 डिग्री सेल्सियस था, जबकि गुण 180–243जे थे।
जेड दिशात्मक गुणों के साथ आईएस2062ई450 मोटी प्लेट्स (70 और 80 मिमी), आरएसपी	इस उत्पाद को अपतटीय संरचनाओं में उपयोग के लिए विकसित किया गया था। प्लेटों को अल्ट्रासोनिकली परीक्षण किया गया और अच्छा जेड दिशात्मक गुण प्राप्त किया गया। 60–62जेकी विशिष्ट सीआईई मूल्य कमरे के तापमान में पाई गई।
फोर्मेब्ल गुणवत्ता सीआर तारें (आईएस 513 सीआर 4), बीएसएल	इस उत्पाद को ऑटो वर्ग में उपयोग के लिए विकसित किया गया था। प्रक्रिया प्रौद्योगिकी स्थापित की गई थी और उत्कृष्ट सतह के साथ गुण के अनुसार विशिष्टता के रूप में प्राप्त किया गया। ग्राहक की ओर से प्रदर्शन प्रतिक्रिया बहुत अच्छा था।
टी 91/एफ 91 ग्रेड स्टील, एएसपी	टी91 ग्रेड एक हल्का इस्पात है जो उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए बॉयलर और दबाव वेसल्स में ट्यूब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। खिलनानिर्देश के अनुसार सामान्यीकृत और टेम्पर्ड था और सामग्री को आगे के परीक्षण के लिए भेजा गया।
आईएस1786 एफई 500एसएचसीआर ग्रेड टीएमटी सरिया (32 और 36 मिमी), बीएसपी	2012 में आईएस 1786 के हाल ही के संशोधन में, दो नए ग्रेड, अर्थात् एफई–415एस और एफई–500एसको 1.25 मिनट की यूटीएस / वाईएस अनुपात के साथ बीआईएस के द्वारा शुरू किया गया। सेल ने चुनौती स्वीकार की वह भारत के पहले उत्पादक होंगे जो आईएसओ 6935–2, एएसटीएम ए706 आदि की तरह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 1786एसग्रेड को विकसित करेंगे 32 और 36 मिमी व्यास एफई 500एसएचसीआर ग्रेड के उत्पादन की स्थापना की गई है। जंग प्रतिरोध गुण (2.15एमपीवाई)नेसी–एमएन टीएमटी सरिया (4.0एमपीवाई) की तुलना में बेहतर गुण दिखाए।
एएसटीएमए 387 जीआर. 11 सीएल। 2 प्लेटें, बीएसपी	एएसटीएमएक 387 ग्रेड 11 प्लेट सीआर–मो स्टील्स हैं और बॉयलर और दबाव वाहिकाओं में आवेदन के लिए सामान्यीकृत और टेम्पर्ड हालत में भेजी जाती हैं। इस स्टील के उत्पादन के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी (प्लेट की मोटाईः 15 और 30 मिमी) विकसित की गई है।
टीआई स्थिर निम्न कार्बन फेरिटिकस्टेनलेस स्टील (एआईएसआई 409एल और 441), एसएसपी	उत्पाद (एआईएसआई 409एल) को ऑटो भागों में आवेदन के लिए विकसित किया गया था। 1.2, 1.5 और 1.6 मिमी सीआर तारों के उत्पादन के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी स्थापित की गई है। जबकि एआईएसआई 441 सीआर तारों को लिफ्ट, कपड़े धोने की मशीन और बरतन के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया था। प्रक्रिया प्रौद्योगिकी 1.2 और 1.5 मिमी सीआर तारों के उत्पादन के लिए स्थापित किया गया था। एसजीएल ग्राइंडिंग को सं. 4 के साथ पूरा किया गया और विशिष्टता के अनुरूप अच्छे सतह के साथ गुण प्राप्त किए गए।
सेल टॉवर जीआर–VI बिलेट्स (150x150 मिमी), आईएसपी	सेल टॉवर जीआर.VI स्टील की आवश्यकता ट्रांसमिशन लाइन टावरों के निर्माण वर्गों के लिए होती है। प्रक्रिया प्रौद्योगिकी इस ग्रेड के उत्पादन के लिए स्थापित किया गया।
पैरेललफ्लैंज बीम (आईपीई 300) स्ट्रक्चरल, आईएसपी	प्रक्रिया प्रौद्योगिकी को सार्वभौमिक धारा मिल के माध्यम से स्थापित किया गया। 2062 ग्रेड में पैरेलल फ्लैंज बीम आईपीई300x150 (300 मिमी नाममात्र गहराई) को सेल में पहली बार (आईएसपी) उत्पादन किया गया है।
एएसटीएम 537 सीएल.II क्यू एंड टी प्लेट्स, आरएसपी	बॉयलर और दबाव वेसल्स में उपयोग के लिए एएसटीएम 537 सीएल. II क्यू एंड टी प्लेट्स के उत्पादन के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी स्थापित की गई। 30–40जेकी विशिष्ट सीआईई मूल्य -40^0 सीमें प्राप्त की गई।
जेड दिशात्मक गुणों के साथ उच्च तन्यता प्लेटें, बीएसपी	इस उत्पाद को पवन मिल घटकों में आवेदन के लिए विकसित किया गया था। प्रक्रिया प्रौद्योगिकी की स्थापना की गई और सभी प्लेटों का उत्पादन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा प्रमाणित किया गया।
संकीर्ण पैरेलल बीम फ्लैंज (एनपीबी100) स्ट्रक्चरल, डीएसपी	प्रक्रिया प्रौद्योगिकी मध्यम खंड मिल के माध्यम से स्थापित की गई। संकीर्ण पैरेललफ्लैंज बीम एनपीबी 100 को 2062 ग्रेड में सेल (डीएसपी) में पहली बार पेश किया गया है।

अन्य प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और अभिनव उपाय

सेल में प्रौद्योगिकी विकास, अवशोषण, अनुकूलन और आगे सुधार लगातार एक निश्चित प्रौद्योगिकी रणनीति के माध्यम से इस्पात संयंत्र आपरेशन के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। कई नई प्रौद्योगिकियां आधुनिकीकरण/निरंतर सुधार के एक भाग के रूप में इनस्टॉल हुई हैं/इनस्टॉल की जा रही हैं। इनमें क्षेत्र–वार शामिल हैं:

क्र.सं.	विवरण	वर्ष	स्थिति
कोक बनाना			
1.	डीएसपी में पर्यावरण के अनुकूल कोक ओवन बैटरी सं. 5 का पुनर्निर्माण	2016	चालू होने की संभावना है
2.	बीएसपी में नई 7 मीटर लंबी पर्यावरण अनुकूल कोक ओवन बैटरी सं.9	2016	चालू होने की संभावना है
3.	आरएसपी में पर्यावरण के अनुकूल कोक ओवन बैटरी सं. 3 का पुनर्निर्माण	2016	चालू होने की संभावना है
सिंटर बनाना/पिंड			
लोहा बनाना			
1.	**आधुनिक सुविधाओं के साथ ब्लास्ट भट्ठी (बीएफ)जैसे:** • कन्वेयर चार्जिंग प्रणाली • शीतल जल के साथ एक शीतलन प्रणाली के रूप में बंद लूपशीतलन प्रणाली • आधुनिक रेफक्टरी डिजाइन • रखरखाव आदि के लिए मोबाइल उपकरणों के उपयोग के लिए रैंप पर फ्लैट कास्ट हाउस डिजाइन		
i)	बीएसपीमें 4060एम^3 बीएफ	2016	चालू होने की संभावना है
2.	**बीएफ गैस की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैस सफाई संयंत्र (जीसीपी)**		
i)	बीएफ # 8में जीसीपी, बीएसपी	2016	चालू होने की संभावना है
3.	**बीएसएल में आईएनबीए कास्ट हाउस स्लैग ग्रेन्युलेशन प्रौद्योगिकी**		
i)	बीएफ # 2, कास्ट हाउस 4	2016	चालू होने की संभावना है
ii)	बीएफ # 3, कास्ट हाउस 5	2016	चालू होने की संभावना है
4.	**बर्बाद गर्मी रिकवरी प्रणाली के साथ >1200 डिग्री से. एचबीटी को प्राप्त करने के लिए स्टोव में उच्च प्रौद्योगिकी गर्म विस्फोट**		
i)	बीएफ # 8 बीएसपीमें स्टोव प्रणाली	2016	चालू होने की संभावना है
ii)	बीएफ # 1 आरएसपीमें स्टोव प्रणाली	2016	चालू होने की संभावना है
5.	**बिजली को पैदा करने के लिए ब्लास्ट भट्ठी में शीर्ष रिकवरी टर्बाइन**		
i)	बीएफ # 8 बीएसपी में स्थापना	2016	चालू होने की संभावना है
इस्पात बनाना			
1.	एसएमएस–II, आरएसपी में आरएच डिगेसिंग इकाई का परिचय	2016	चालू होने की संभावना है
2.	एसएमएस, आईएसपी में आरएच डिगेसिंग इकाई का परिचय	2016	चालू होने की संभावना है
3.	सीएफपी में 45 एमवीए सैफ की स्थापना	2016	चालू होने की संभावना है
झुलाव और परिष्करण			
	इस्को इस्पात संयंत्र		
	बार मिल		
1.	विशिष्ट ईंधन की खपत को कम करने के लिए बिलेट्स की हॉट चार्जिंग	2015	चालू किया
2.	भट्ठियों को फिर से जलाने का वाकिंग–बीम (डब्ल्यूबी) प्रकार		
3.	पैमाने पर लुढ़कना समाप्त करने के लिए बिलेट्स का उच्च दबाव डे–स्केलिंग		
4.	कोल्ड बेड में उच्च उत्पादन दर प्राप्त करने के लिए अनुरूप बार प्राप्त करने के साथ उच्च गति भट्ठा का घूमना, गति ब्रेक लगाना और पहुंचाना, बंद ६ नकारात्मक सहिष्णुता और कम व्यास वाले टीएमटी छड़/सलाखों को बेहतर सतह प्रदान करने के लिए चालू किया	2015	चालू किया
5.	ऑन–लाइन प्रोफाइल नाप को सामान दर सामान अस्वीकरण को कम करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण ज्यामितीय मूल्यों का जायजा लेना		
	सार्वभौमिक खंड मिल		
1.	विशिष्ट ईंधन की खपत को कम करने के लिए बिलेट्स की हॉट चार्जिंग	2016	चालू होने की संभावना है
2.	भट्ठियों को फिर से जलाने का वाकिंग–बीम (डब्ल्यूबी) प्रकार		
3.	सर्वभौमिक स्टैंड के साथ त्वरित रोल कैसेट को बदलने की सुविधा जिससे यूनिवर्सल भागों के अभियान और उत्पादन को आसानी से बदला जा सके जिसमें निर्माण में सादगी का लाभ निहित है, वजन अनुपात के लिए उच्च खंड मापांक, उच्च बकलिंगताकत, आदि		
4.	ऑन–लाइन प्रोफाइल नाप को सामान दर सामान अस्वीकरण को कम करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण ज्यामितीय मूल्यों का जायजा लेना		

क्र.सं.	विवरण	वर्ष	स्थिति
	मिलाई इस्पात संयंत्र		
	सार्वभौमिक रेल्स मिल		
1.	भट्टियों को फिर से जलाने का वाकिंग–बीम (डब्ल्यूबी) प्रकार	2016	चालू होने की संभावना है
2.	सर्वभौमिक स्टैंड के साथ त्वरित रोल कैसेट को बदलने की सुविधा जिससे यूनिवर्सल भागों के अभियान और उत्पादन को आसानी से बदला जा सके जिसमें निर्माण में सादगी का लाभ निहित है, वजन अनुपात के लिए उच्च खंड मापांक, उच्च बकलिंग ताकत, आदि		
	बार और रॉड मिल		
1.	विशिष्ट ईंधन की खपत को कम करने के लिए बिलेट्स की हॉट चार्जिंग	2016	चालू होने की संभावना है
2.	भट्टियों को फिर से जलाने का वाकिंग–बीम (डब्ल्यूबी) प्रकार		
3.	कोल्ड बेड में उच्च उत्पादन दर प्राप्त करने के लिए अनुरूप बार प्राप्त करने के साथ उच्च गति भट्ठा का घूमना, गति ब्रेक लगाना और पहुंचाना, बंद / नकारात्मक सहिष्णुता और कम व्यास वाले टीएमटी छड़ / सलाखों को बेहतर सतह प्रदान करने के लिए		
4.	किसी भी तार रोड को आकार–मुक्त रोलिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए मिल को कम करना और आकार देना (0.5 मिमी की वृद्धि में किसी भी व्यास के वर्गों में तेजी से बदलाव)		
5.	ऑन–लाइन प्रोफाइल नाप को सामान दर सामान अस्वीकरण को कम करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण ज्यामितीय मूल्यों का जायजा लेना		
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र		
	मध्यम स्ट्रक्चरल मिल		
1.	भट्टियों को फिर से जलाने का वाकिंग–बीम (डब्ल्यूबी) प्रकार	2016	चालू होने की संभावना है
2.	सर्वभौमिक स्टैंड के साथ त्वरित रोल कैसेट को बदलने की सुविधा जिससे यूनिवर्सल भागों के अभियान और उत्पादन को आसानी से बदला जा सके, जिसमें निर्माण में सादगी का लाभ निहित है, वजन अनुपात के लिए उच्च खंड मापांक, उच्च बकलिंग ताकत, आदि		
3.	ऑन–लाइन प्रोफाइल नाप को सामान दर सामान अस्वीकरण को कम करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण ज्यामितीय मूल्यों का जायजा लेना		
	बोकारो इस्पात संयंत्र		
	हॉट स्ट्रिप मिल		
	क्रॉप–एंड अनुकूलन, स्वतरू चौड़ाई नियंत्रण, हाइड्रोलिक स्वतः गेज नियंत्रण (एचएजीसी), खुरदुरे स्टैंड में कील/वक्रता नियंत्रण	2016	चालू किया
	कोल्ड रोलिंग मिल–III		
	दोहरे चरण स्टील के लिए युग्मित पिकिंग लाइन और टैंडेममिल, रोल मुकुट नियंत्रण आकार, रोल स्थानांतरण, काम–रोल थर्मल मुकुट नियंत्रण, हाइड्रोजन बैचकी क्षमता के साथ गाल्व–अन्नेलिंग सुविधाएं, रंग कोटिंग लाइन के भविष्य के प्रावधान, आदि	2016	चालू होने की संभावना है

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय		**(₹ करोड़)**
(क) पूँजी	:	50.78
(ख) आवर्ती	:	226.22
कुल	:	277.00
कुल कारोबार के % के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	:	0.64
विदेशी मुद्रा आय और व्यय		**(करोड़ ₹ में)**
i) निर्यात और अन्य गतिविधियों से अर्जित विदेशी मुद्रा	:	557.13
ii) इस्तेमाल विदेशी मुद्रारू		
क) आयात का सीआईएफ मूल्य	:	11,295.27
ख) विदेशी मुद्रा में अन्य व्यय	:	384.59

निदेशक रिपोर्ट का अनुलग्घ्नक–XI

2015–16 की सीएसआर से जुड़ी गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. संचालित की जाने वाली परियोजनाओं का सिंहावलोकन तथा सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं के वेब लिंक का संदर्भ सहित सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

1(क) सेल की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा (उद्देश्य):

- हितधारकों एवं समाज जो अपने संपोषणीय विकास के लिए सेल की सेवाओं, संचालन एवं पहलों के माध्यम से सेल के कारोबार की मुख्य्य रणनीतियों एवं प्रचालनों से मौलिक रूप से जुड़े हैं, के लिए मूल्य सृजित करना।
- सीधे प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाकर परिधि पर रहने वाले लोगों से कंपनी के लिए पुरवा और पोषण सद्भाव की पहचान करके उस समुदाय के लिए मूल्य सृजन बढ़ाना जिसमें यह प्रचालन करता है।
- वंचितों की मदद करके समुदाय की सहायता करना।
- अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य की सामर्थ्य के साथ समझौता किए बगैर वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विकास की पहलों का संचालन करना।
- गांव–देहात के विविध खेलों, कला एवं संस्कृतियों के संरक्षक के रूप में सेल की छवि का निर्माण करके स्थानीय आबादी की सहायता करना।
- सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दृष्टि से जिम्मेदार ढंग से प्रचालन करना ताकि सामाजिक लाइसेंस प्राप्त करते हुए सफलता हासिल की जा सके।

1(ख) सेल की सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का सिंहावलोकनः

राष्ट्रीय विकास एजेंडा में जो मुद्दे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं उन पर फोकस करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत आने वाली सीएसआर की सभी परियोजनाएं/गतिविधियां:

i. निवारक स्वास्थ्य देखरेख सहित स्वास्थ्य देखरेख, स्वच्छता एवं पेयजल तक पहुंच को बढ़ावा देना;
ii. शिक्षा, रोजगार/जीविका का संवर्धन वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना;
iii. लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण, वरिष्ठ नागरिकों एवं विशेष योग्य व्यक्तियों तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देना;
iv. पर्यावरणीय संपोषणीयता, पशु कल्याण एवं कृषि वानिकी का सुनिश्चय करना;
v. राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति का संरक्षण करना;
vi. ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण देना;
vii. ग्रामीण विकास

1(ग) सेल की सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं का वेब लिंकः www.sail.co.in

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर बोर्ड स्तरीय समिति जिसमें स्वतंत्र एवं क्रियाशील निदेशक शामिल होते हैं। 6 अगस्त, 2016 तक की स्थिति के अनुसार सीएसआर समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	श्रीमती अंशु वैश्य	स्वतंत्र निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष
2	प्रो. अशोक गुप्ता	स्वतंत्र निदेशक
3	श्री अनिल कुमार चौधरी	निदेशक (वित्त)
4	डा. एन महापात्र	निदेशक (कार्मिक)
5	श्री रमन	निदेशक (तकनीकी)

3. पिछले तीन वित्त वर्षों का औसत निवल लाभ : ₹ 2859.9 करोड़

4. सीएसआर पर निर्धारित व्यय : ₹ 57.2 करोड़ (उपर्युक्त मद 3 की 2 प्रतिशत राशि)

5. वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर व्यय का ब्यौरा :

(क) खर्च की जाने वाली राशि : ₹ 100.2 करोड़ (2014–15 की खर्च न की गई राशि सहित)
(ख) खर्च की जाने वाली राशि : ₹ 24.00 करोड़
(ग) किस ढंग से राशि खर्च की जानी है : ब्यौरे अनुबंध–क में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत हैं

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत या उसके किसी भाग का व्यय करने में असफल रहती है, तो निदेशक रिपोर्ट में ऐसे गैर अनुपालन के कारणों का खुलासा किया जाएगा।

लागू नहीं है क्योंकि वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर व्यय ₹76.2 करोड़ है जो ठीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत अर्थात ₹ 57.2 करोड़ से अधिक है।

7. सीएसआर समिति का इस आशय का जिम्मेदारी विवरण कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी की सीएसआर नीति एवं उद्देश्यों के अनुरूप है।

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी की सीएसआर नीति एवं उद्देश्यों के अनुरूप है।

2015–16 के दौरान, सेल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII, कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसरण में स्वास्थ्य देखरेख, स्वच्छता, पेयजल, शिक्षा, जीविका सृजन, महिला सशक्तीकरण, वरिष्ठ नागरिकों एवं विशेष योग्य व्यक्तियों की देखरेख, खेलों, कला एवं संस्कृति का संवर्धन, पर्यावरणीय संपोषणीयता, कृषि वानिकी, अवसंरचना एवं ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्रों में अपनी विकास उन्मुख सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से मुख्यतः पिछड़ी एवं ग्रामीण आबादी की उन्नति पर ध्यान केंद्रित किया।

सेल ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत अभियान' में सक्रियता से भागीदारी की। इस अभियान के तहत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सेल को किए आबंटन के अनुसार छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में सेल के संयंत्रों एवं खदानों की परिधि में 672 शौचालयों के निर्माण का कार्य शुरू किया जो पूरा हो गया है। स्क्वैटिंग यूनिट, पेशाब घर, वाश बेसिन और ओवरहेड जल भंडारण जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

2015–16 के दौरान सेल द्वारा संचालित प्रमुख सीएसआर कार्यक्रमों का विस्तार से उल्लेख निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध–क) में किया गया है।

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(डा. एन महापात्रा)	**(अनिल कुमार चौधरी)**	**(श्रीमती अंशु वैश्य)**
निदेशक (कार्मिक)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष, सीएसआर समिति
सेल	सेल	सेल

(अनुबंध–क)

2015–16 के दौरान सेल द्वारा संचालित सीएसआर परियोजनाएं/गतिविधियां

क्र. सं.	अभिचिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	सेक्टर जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं (राज्य/जिला जहां परियोजनाएं संचालित की गई)	परियोजना वार परिव्यय की राशि	परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि: सीधा व्यय या ऊपरी खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (2014–15 से 2015–16)	खर्च की गई राशि: सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भुखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख सहित स्वास्थ्य देखरेख एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना, एसबीए के तहत शौचालयों का निर्माण तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना;	खंड (i) स्वास्थ्य देखरेख, पेयजल एवं स्वच्छता	सेल के संयंत्रों एवं यूनिटों की परिधि वाले क्षेत्रों में। शामिल किए गए जिले हैं: छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बिलासपुर, बालोड, कांकेर, नरायनपुर, धमतरी, राजनंदगांव, चम्पा, पश्चिम बंगाल में बर्दवान, बाकुरा, दक्षिण 24 परगना, नदिया और कोलकाता, ओडिशा में सुंदरगढ़, एवं क्योंझर, छत्तीसगढ़ में बोकारो, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, गढ़वा, धनबाद, रांची एवं खुंटी, तमिलनाडु में सलेम एवं कुड्डालोर, कर्नाटक में चिकमगलूर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, आंध्र प्रदेश में गुंटूर आदि	43.07	25.23	36.26	सीधे और कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, अर्थात अक्षय पात्र फाउंडेशन; स्नातकोत्तर नर्सिंग कॉलेज, भिलाई; एनआईओएस; जिला साक्षरता समिति, रामकृष्ण मिशन, योगोदा सत्संग सोसायटी, इस्पात महिला समाज, सुलभ इंटरनेशनल, श्रीओशी, झारक्राफ्ट, आरोह फाउंडेशन, भारतीय रेड क्रास सोसायटी, दुर्गापुर उपमंडल शाखा, सामयिता मठ, गोपाल मठ शिशु कल्याण केंद्र, एसवीवीपी समिति, शीर्ष निकाय वीवीके दुर्गापुर इंफो सेंटर, आर्ट ऑफ लिविंग, डीएसपी महिला समाज, ब्लाइंड रिलीफ सोसायटी, बर्नपुर अंबागन वालंटियर्स एस डब्ल्यू ऑर्गनाइजेशन, क्योर इंस्टीच्यूट, बैद्यनाथ सेवा ट्रस्ट, पीरामल स्वास्थ्य, बोकारो, डीएमआई अबासिक महिला समाज, आशा किरन शेल्टर होम, पीस हाउस वेल्फेयर ट्रस्ट, बीआईकेके, सोसायटी फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, वनवासी कल्याण केंद्र, बोकारो, एएसपी/डीएसपी अजा एवं अजजा कल्याण संघ आदि
2	विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों में विशेष शिक्षा सहित शिक्षा तथा रोजगार को बढ़ावा देने वाले कौशलों और जीविका संवर्धन की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना;	खंड (ii) शिक्षा एवं जीविका सृजन		26.11	17.65	28.48	
3	लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं एवं अनाथों के लिए गृहों एवं छात्रावासों की स्थापना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, दिवा देखरेख केंद्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के समक्ष मौजूद असमानताओं को कम करने के उपाय;	खंड (iii) महिला सशक्तीकरण तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं विकलांग व्यक्तियों की देखरेख		4.41	4.40	7.36	
4	विरासत, कला, संस्कृति का संरक्षण और ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों एवं ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;	खंड (v) एवं (vii) खेल, कला एवं संस्कृति का संवर्धन		1.40	7.66	10.00	
5	पर्यावरणीय संपोषणीयता, वनस्पतियों एवं जीव–जंतुओं, पशु कल्याण, कृषि वानिकी का सुनिश्चय करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाए रखना;	खंड (iv) पर्यावरणीय संपोषणीयता		6.48	11.39	16.18	
6	ग्रामीण विकास की परियोजनाएं	खंड (x) अवसंरचना एवं ग्रामीण विकास		10.00	8.97	11.02	
7	क्षमता निर्माण	सीएसआर नियमावली, 2014 खंड 4(6)		0.49	0.86	1.90	
8	आपदा राहत के लिए प्रावधान तथा अनुसूची–VII के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त आबंटन	सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014 दिनांक 18/8/14 अनुबंध पैरा (प) का भाग 7		7.00	–	–	
9	सीएसआर बजट के अनुमोदन के बाद 2014–15 के लिए वास्तविक लाभ में वृद्धि के कारण सीएसआर बजट में वृद्धि।			1.20	–	–	
	कुल			100.16*	76.16	111.20	

* इसमें ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ के निर्धारित न्यूनतम 2 प्रतिशत के अलावा 2014–15 के बजट की खर्च न की गई राशि शामिल है।

01.08.2016 की स्थिति के अनुसार मुख्य कार्यपालक

निगमित कार्यालय

नई दिल्ली

अध्यक्ष
पी.के. सिंह

निदेशक
वित्त
अनिल कुमार चौधरी
कच्चा माल एवं लॉजिस्टिक्स
कल्याण माइति
वाणिज्यिक
बिनोद कुमार
कार्मिक
डॉ. एन. माहापात्रा
परियोजना एवं व्यापार आयोजना
जी. विश्वकर्मा
तकनीकी
रमन

कार्यपालक निदेशक
वित्त एवं लेखा
सुधीर कुमार
कार्मिक एवं प्रशासन
शीतांशु प्रसाद
पावर, इलैक्ट्रिकल एवं सेलकॉन
तेजवीर सिंह
सतर्कता
डॉ.बरतारिया
व्यापार आयोजना
एस.के.गर्ग
लॉजिस्टिक्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर
डी.के. सामा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
डॉ.एस.के.गुप्ता–निदेशक
परियोजना
ए.के.माथुर
प्रचालन
वकील सिंह
अध्यक्ष सचिवालय
पी.के.झा
आईसीवीएल
उमेश कुमार

निगमित कार्य प्रमुख
आर.के. सिंघल

कंपनी सचिव
एम.सी.जैन

सुरक्षा
महाप्रबंधक
आर.के.सिंहा

वृद्धि प्रभाग
महाप्रबंधक प्रभारी
एन.रामचंद्रन

प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान
महाप्रबंधक
डॉ.ए.एन.दास

इस्पात संयंत्र/इकाइयां

भिलाई इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एम. रवि
कार्यपालक निदेशक
खदानें
पी. के. सिन्हा
एस. के. साहा
सामग्री प्रबंधन
पी.एस.भदौरिया
परियोजना
आर.एस.चतुर्वेदी

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ए.के.रथ
कार्यपालक निदेशक
वर्क्स
एस.के.मिश्रा
परियोजना
यू.के.पाठक

राउरकेला इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
अश्विनी कुमार
कार्यपालक निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
डॉ.ए.के.सिंह – प्रभारी निदेशक
वर्क्स
बी.पी.वर्मा
कार्मिक एवं प्रशासन
पी.के. प्रधान
परियोजना एवं जेएसयू
एस.दास

बोकारो इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ए.मैत्रा
कार्यपालक निदेशक
कार्मिक एवं प्रशासन
अतुल श्रीवास्तव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
डॉ. एम. अनंत केकड़े–प्रभारी निदेशक
वर्क्स
एस.के.सिंह
सामग्री प्रबंधन
एच.पी.सिंह

इस्को इस्पात संयंत्र
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
आर.के.राठी
कार्यपालक निदेशक
कार्मिक एवं प्रशासन
एम.के.बर्मन
वर्क्स
पी.के.सिंह

एलॉय स्टील्स प्लांट
कार्यपालक निदेशक
एस.दास

सेलम इस्पात संयंत्र
महाप्रबंधक प्रभारी
पी.के.मिश्रा

विश्वेश्वराया आयरन एवं स्टील प्लांट
महाप्रबंधक प्रभारी
वी.एस.हेगड़े

इकाइयां

लौह और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र
महाप्रबंधक प्रभारी
ए.के.पॉल

कच्चा माल प्रभाग
कार्यपालक निदेशक प्रभारी एवं अतिरिक्त प्रभार
कार्यपालक निदेशक (टी एण्ड एस)
आलोक श्रीवास्तव
परियोजना
ए.के. वर्मा

इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र
कार्यपालक निदेशक
नीरज माथुर

केंद्रीय विपणन संगठन
कार्यपालक निदेशक
मार्केटिंग–आईटीडी
टी.के.साहू
मार्केटिंग–फ्लैट प्रोडक्ट
पी.के.मिश्रा
मार्केटिंग–वाणिज्यिक
आलोक सहाय
मार्केटिंग–लॉन्ग प्रोडक्ट
बिश्वजीत चोंगदार

स्टील प्रोसेसिंग यूनिट
कार्यपालक निदेशक
संजीव सौरभ

परिवहन एवं जहाजरानी
महाप्रबंधक
ए.के.गुप्ता

सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट
कार्यपालक निदेशक
सी.श्रीकांत

चंद्रपुर फैरो एलॉय प्लांट
कार्यपालक निदेशक
एस.के.जैन

कॉलियरीज
कार्यपालक निदेशक
एस.के. बसक

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

सी आइ एन : एल 27109 डी एल1973 जी ओ आइ 006454

नोटिस

यह सूचित किया जाता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों का 44वाँ वार्षिक आम मीटिंग, 21 सितंबर, 2016 बुधवार को 10:30 बजे एन एम डी सी इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में निम्नलिखित कार्यों के हस्तांतरण के लिए होगीः

सामान्य कार्य

1. निम्नलिखित को प्राप्त करने, इनके ऊपर विचार करने तथा इन्हें अपनाने हेतुः

   (i) वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2016 की समाप्ति पर कंपनी की ऑडिट की गई एकमात्र वित्तीय विवरण के साथ–साथ निदेशक बोर्ड और इसके फलस्वरूप लेखा–परीक्षकों के प्रतिवेदन।

   (ii) वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2016 की समाप्ति पर कंपनी की ऑडिट की गई समेकित वित्तीय विवरण तथा इसके फलस्वरूप लेखा–परीक्षकों का प्रतिवेदन।

2. श्री बिनोद कुमार (डी आइ एनः 06379761), जो इस सामान्य मीटिंग में आवर्ती नियम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तथा जो पुनः नियुक्ति के योग्य हैं, की जगह पर एक निदेशक को नियुक्त करने हेतु।

3. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए भारत के नियंत्रक और महा–लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के लेखा–परीक्षकों के पारिश्रमिक को नियत करने हेतु।

विशेष कार्य

4. श्री पी के दाश (डी आइ एनः 01578400) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना तथा इस संबंध में विचार करना और यदि उपयुक्त लगे तो संशोधन के साथ या वगैर संशोधन(नों) के निम्नलिखित प्रस्ताव को **आम प्रस्ताव** के रूप में पारित करने हेतु :

   ''**यह निश्चित किया जाता है** कि अनुसूची IV के साथ संलग्न धाराओं 149 और 152 के अनुसरण तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत, श्री पी के दाश (डी आइ एनः 01578400), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161 तथा कंपनी संघ के अनुच्छेदों के अंतर्गत अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, और जो कार्यालय के पद पर इस वार्षिक सामान्य मीटिंग की तिथि तक है तथा जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कंपनी को कार्यालय के निदेशक के रूप में उनकी उम्मीदवारी की प्रस्तावना के संबंध में एक लिखित नोटिस प्राप्त हुई है, को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में, इनकी नियुक्ति लगातार 3 (तीन) वर्षों की अवधि तक, अर्थात् 17 नवंबर, 2018 तक की जाती है।''

5. प्रोफेसर अशोक गुप्ता (डी आइ एनः 07342950) को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु, और इस संबंध में विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो इसे संशोधित या वगैर संशोधित किये, निम्नलिखित प्रस्ताव को **आम प्रस्ताव** के रूप में पारित करने हेतुः

   '**यह निश्चित किया जाता है** कि अनुसूची IV के साथ संलग्न धाराओं 149 और 152 के अनुसरण तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत, प्रोफेसर अशोक गुप्ता (डी आइ एनः 07342950), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161 तथा कंपनी संघ के अनुच्छेदों के अंतर्गत अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, और जो कार्यालय के पद पर इस वार्षिक सामान्य मीटिंग की तिथि तक है तथा जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कंपनी को कार्यालय के निदेशक के रूप में उनकी उम्मीदवारी की प्रस्तावना के संबंध में एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में, इनकी नियुक्ति लगातार 3(तीन) वर्षों की अवधि तक, अर्थात् 17 नवंबर, 2018 तक की जाती है।''

6. श्री प्रमोद बिंदल (डी आइ एनः 06389570) को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु, और इस संबंध में विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो इसे संशोधित या वगैर संशोधित किये, निम्नलिखित प्रस्ताव को **आम प्रस्ताव** के रूप में पारित करने हेतु :

   '**यह निश्चित किया जाता है** कि अनुसूची–IV के साथ संलग्न धाराओं 149 और 152 के अनुसरण तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत, श्री प्रमोद बिंदल (डी आइ एनः 06389570), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161 तथा कंपनी संघ के अनुच्छेदों के अंतर्गत अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, और जो कार्यालय के पद पर इस वार्षिक सामान्य मीटिंग की तिथि तक है, तथा जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कंपनी को कार्यालय के निदेशक के रूप में उनकी उम्मीदवारी की प्रस्तावना के संबंध में एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में, इनकी नियुक्ति लगातार 3 (तीन) वर्षों की अवधि तक, अर्थात् 17 नवंबर, 2018 तक की जाती है।''

7. श्रीमती अंशु वैश (डी आइ एनः 02924346) को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु, और इस संबंध में विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो इसे संशोधित या वगैर संशोधित किये, निम्नलिखित प्रस्ताव को **आम प्रस्ताव** के रूप में पारित करने हेतु :

   ''**यह निश्चित किया जाता है** कि अनुसूची–IV के साथ संलग्न धाराओं 149 और 152 के अनुसरण तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत, श्रीमती अंशु वैश (डी आइ एनः 02924346), जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161 तथा कंपनी संघ के अनुच्छेदों के अंतर्गत अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, और जो कार्यालय के पद पर इस वार्षिक सामान्य मीटिंग की तिथि तक है, तथा जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कंपनी को कार्यालय के निदेशक के रूप में उनकी उम्मीदवारी की प्रस्तावना के संबंध में एक लिखित नोटिस प्राप्त हुई है, को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में, इनकी नियुक्ति लगातार 3 (तीन) वर्षों की अवधि तक, अर्थात् 17 नवंबर, 2018 तक की जाती है।''

8. डॉ. एन महापात्र (डी आइ एनः 07352648) को पूर्णावधि निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु, और इस संबंध में विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो इसे संशोधित या वगैर संशोधित किये, निम्नलिखित प्रस्ताव को **आम प्रस्ताव** के रूप में पारित करने हेतुः

   ''**यह निश्चित किया जाता है** कि डॉ. एन महापात्र (डी आइ एनः 07352648), जिसे निदेशक बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 161 के अंतर्गत तथा कंपनी संघ के अनुच्छेदों के अंतर्गत अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, और जो कार्यालय के पद पर इस वार्षिक सामान्य मीटिंग की तिथि तक है, तथा जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कंपनी को कार्यालय के निदेशक के रूप में उनकी उम्मीदवारी की प्रस्तावना के संबंध में एक लिखित नोटिस प्राप्त हुई है, को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति लगातार 3(तीन) वर्षों की अवधि तक, अर्थात् 17 नवंबर, 2018 तक की जाती है।''

9. श्री जी विश्वकर्मा (डी आइ एनः 07389419) को पूर्णावधि निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु, और इस संबंध में विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो इसे संशोधित या वगैर संशोधित किये, निम्नलिखित प्रस्ताव को **आम प्रस्ताव** के रूप में पारित करने हेतुः

   ''**यह निश्चित किया जाता है** कि श्री जी विश्वकर्मा (डी आइ एनः 07389419), जिसे निदेशक बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 161 के अंतर्गत तथा कंपनी संघ के अनुच्छेदों के अंतर्गत अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, और जो कार्यालय के पद पर इस वार्षिक सामान्य मीटिंग की तिथि तक है, तथा जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013

के अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कंपनी को कार्यालय के निदेशक के रूप में उनकी उम्मीदवारी की प्रस्तावना के संबंध में एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में, इनकी नियुक्ति आवृति के रूप में सेवानिवृति तक की जाती है।"

10. श्री रमन (डी आइ एनः 06840232) को पूर्णावधि निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु, और इस संबंध में विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो इसे संशोधित या वगैर संशोधित किये, निम्नलिखित प्रस्ताव को **आम प्रस्ताव** के रूप में पारित करने हेतुः

"**यह निश्चित किया जाता है** कि श्री रमन (डी आइ एनः 06840232), जिसे निदेशक बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 तथा कंपनी संघ के अनुच्छेदों के अंतर्गत अपर निदेशक नियुक्त किया गया था, और जो कार्यालय के पद पर इस वार्षिक सामान्य मीटिंग की तिथि तक है, तथा जिसके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कंपनी को कार्यालय के निदेशक के रूप में उनकी उम्मीदवारी की प्रस्तावना के संबंध में एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति आवृति के रूप में सेवानिवृति तक की जाती है।"

11. कंपनी की संपत्ति पर उधार हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए और दावा सृजन करने के लिए, और इस संबंध में उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में विचार करने के लिए, संशोधित या वगैर संशोधित किये पारित करने के लिए, निम्नलिखित प्रस्ताव **विशेष प्रस्ताव** के रूप में हैं:

"**यह निश्चित किया जाता है** कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अंतर्गत, जिसे कंपनी के 2014 के नियमों (सुरक्षा का विवरण और आवंटन) में नियम 14 के रूप में और कंपनी अधिनियम 2013 के किसी अन्य उपयुक्त प्रावधानों के रूप में पढ़ा जाता है, कंपनी के निदेशक–बोर्ड को इस ए जी एम की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक, ऐसे व्यक्ति(यों) के एक या इससे अधिक खाते में ₹5,000 करोड़ तक की सुरक्षित अपरिवर्तनीय ऋणपत्र/बॉण्ड से संबंधित प्रस्ताव(वों) या आमंत्रण(णों) के लिए प्राधिकृत किया जाता हैं, इसमें योग्य निवेशक (चाहे वह निवासी हो या गैर–निवासी हो औरय्या संस्थान/कार्पोरेट का अंग औरय्या व्यक्तिगत औरय्या न्यासी औरय्या बैंक या कुछ अन्य ही क्यों न हो, घरेलू में औरय्या एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में), आप्रवासी भारतीय, विदेशी संस्थान के निवेशक (एफ आइ आइ), व्यापारिक पूँजी निधि, विदेशी व्यापार पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियाँ, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थानों, कॉर्पोरेट निकायों, निजी या सरकारी कंपनियों या अन्य उद्यमों, प्राधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति जो कंपनी की बॉण्ड/ऋणपत्र धारक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसके बाद अकेला या संयुक्त रूप में, जिसमें ग्रीन–शू विकल्प (₹5,000 करोड़ के कुल सीमा के अंतर्गत, जैसा कि ऊपर बताया गया है) शामिल है, जैसा कि बोर्ड अपनी पूर्ण विवेक से कर सकता है, ऐसी अवधि तथा शर्त का निर्णय लेता है जिसे बोर्ड या किसी समिति से अंतिम रूप मिल सकता है, इसके बाद बोर्ड या कंपनी की ऐसी कोई अन्य कार्यकारी मंजूर कर सकती है जिसे बोर्ड या ऐसी समिति मंजूर कर सकती है।"

"**आगे यह भी निश्चित की जाती है** कि कंपनी की सहमति को धारा 180 (1)(अ) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है (इसमें कुछ समय तक कार्यरत सांविधिक संशोधन(नों) या इसके बाद पुनः कार्य में आना भी शामिल है) के किसी अन्य उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी द्वारा कहीं स्थित किसी चलनशील या अचलनशी संपत्ति पर लगाये गये भार, आडमान, बंधक सृजन करने के लिए यदि कोई हो तो, और कंपनी के संघ के अंतर्नियमों, कंपनी के निदेशक बोर्ड ("बोर्ड") या किसी अन्य समिति के अंतर्गत वर्तमान या भविष्य में, पूरे संपत्ति पर या दायित्व लिये गये पूरे संपत्ति पर या किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, उधार/खरीद, पट्टे की कंपनियाँ, कार्पोरेट निकाय, न्यासी या ऋण–पत्र बॉण्ड/अन्य उपकरणों/सुरक्षा या ऐसी अवधि तथा शर्त के लिए कोई अन्य व्यक्ति धारक के पक्ष में कंपनी के दायित्व पर उपयुक्त कानून प्रदान किया जाता है जैसा कि बोर्ड या कोई अन्य समिति निधि समय–समय पर सावधि कर्ज के अनुसार उधार देने, प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली राशि के लिए उचित समझे, बाह्य व्यापारिक उधार, ऋण–पत्र/बॉण्ड जारी करना, इत्यादि जो कुल या भुगतान की गई कंपनी की शेयर पूँजी या रिजर्व और अधीशेष से अधिक नहीं होती है।

"**आगे यह भी प्रस्तावित किया जाता है** कि कंपनी का निदेशक–बोर्ड समिति के बोर्ड को मुद्दे की शर्तों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत करती है, जिसमें निवेशकों के वर्ग जिन्हें प्रत्येक ट्रंच में ब्रांड/ऋण–पत्र आवंटित की जानी है, जारी की जाने वाली मूल्य, गति, ब्याज दर, उस समय के प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रिमियम छूट, जारी की जाने वाली राशि, ब्रांड/ऋण–पत्र धारकों के वर्ग को जारी की जाने वाली राशि पर छूट, सूची, कोई घोषणा/शपथ इत्यादि जारी करना जो निजी स्थानापन्न प्रस्ताव पत्र में तथा अन्य किसी नियामक आवश्यकता में समय–समय पर शामिल करना आवश्यक हो, भी शामिल है।"

"**आगे यह भी प्रस्तावित किया जाता है** कि कंपनी के निदेशक–बोर्ड औरय्या तद्नुसार बोर्ड द्वारा स्वीकृत तथा प्राधिकृत एक समिति, यदि कोई हो तो, उसे सभी आवश्यक कार्य, कर्तव्य, कार्रवाई और अन्य बातों को तथा ऐसे सभी कदम उठाने के लिए जो आवश्यक हो या जरूरी समझा जाए या इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिए प्रासंगिक हो, करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"**आगे यह भी प्रस्तावित किया जाता है** कि कंपनी के निदेशक–बोर्ड को उन सभी या किसी भी शक्तियों का प्रतिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जिसे निदेशक के किसी समिति या किसी एक सचिव या एक से अधिक सचिवों द्वारा प्रदान की गई है।"

12. कॉस्ट लेखा–परीक्षक के पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए और इस संबंध में, उचित पाये जाने पर, विचार करने के लिए, संशोधित रूप में या वगैर संशोधन(नों) के पारित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव हैः

"**यह प्रस्तावित किया जाता है** कि धारा 148 के प्रस्तावों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी(लेखा–परीक्षण और लेखा–परीक्षक) नियम, 2014(जिसमें कुछ समय के लिए कोई सांविधिक संशोधन(नों) या तद्नुसार पुनः–कार्यान्वयन शामिल है) के अन्य उपयुक्त प्रावधानों, यदि कोई हों तो, के अनुसार, 9,75,000/– का पारिश्रमिक तथा यथा उपयुक्त सेवा कर और दैनिक भत्ता, यात्रा खर्च और पॉकेट के अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति कॉस्ट लेखा–परीक्षक श्री आर जे गोयल एण्ड कं०, नई दिल्ली को (भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और II एस सी ओ स्टील प्लांट के लिए), श्री शोम एण्ड बनर्जी, कोलकता को (बोकारो स्टील प्लांट तथा राउरकेला स्टील प्लांट के लिए), श्री संजय गुप्ता और एसोसिएट, नई दिल्ली को (एल्वॉय स्टील प्लांट, सलीम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट के लिए) वित्त वर्ष 2016–17 के लिए भुगतान किया जाता है, जैसा कि निदेशक–बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया है, तद्नुसार अनुसमर्थित किया जाता है।"

"**आगे यह प्रस्तावित किया जाता है** कि कंपनी के निदेशक–बोर्ड को तद्नुसार सभी आवश्यक कार्य करने, आवश्यक कदम उठाने तथा इस प्रस्ताव को समुचित या सही रूप से प्रभाव में लाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक–बोर्ड के आदेश से

(एम.सी. जैन)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 11 अगस्त, 2016
पंजिकृत कार्यालयः
इस्पात भवन, लोधी रोड–110003
सीआईएनः L27109DL1973GOI006454

टिप्पणियाँ:

1. संगत व्याख्यात्मक विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अंतर्गत, उपरोक्त व्यवसाय वस्तु संख्या 4 से 12 के संबंध में, संलग्न है। वस्तु संख्या 2 के अंतर्गत व्यक्ति के नोटिस, जो निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति चाहता है, 2015 के सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 36(3) के अंतर्गत संगत व्यौरे को भी संलग्न किया गया है।

2. मीटिंग में शामिल होने तथा वोट करने के लिए हकदार सदस्य, अपने बदले में किसी प्रतिनिधि को वोट करने या शामिल होने के लिए नियुक्त करने के लिए हकदार है। ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रभावी प्रतिनिधि की सूचना कंपनी को मीटिंग प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले आ जाना चाहिए। प्रतिनिधि फॉर्म संलग्न है।

   किसी सदस्य के बदले में यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में जाता है वह पचास वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए, और कंपनी के कुल शेयर पूँजी का दस प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण नहीं रखता हो, उसे वोट देने का अधिकार है। जो सदस्य कंपनी के वोटिंग अधिकार से कुल शेयर पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण रखता है, उसे प्रतिनिधि के रूप में अकेला व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है और वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रतिनिधि का कार्य नहीं करेगा।

3. सिर्फ वे सदस्य जो उपस्थिति पर्ची रखता है या कंपनी में पंजीकृत मान्य प्रतिनिधि के नियंत्रक को मीटिंग में शामिल होने के लिए अनुमति दी जाएगी। शेयर के संयुक्त नाम के रूप में होने की स्थिति में या शेयर के अलग–अलग पंजीकृत फोलियो के अंतर्गत होने की स्थिति में, जहाँ संपूर्ण नियंत्रक/प्रथम नियंत्रक का नाम समान है, सिर्फ पहला संयुक्त नियंत्रक/संपूर्ण नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि, स्थिति के अनुसार, को मीटिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

4. मीटिंग में शामिल होने वाले सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन की अपनी प्रति लायें क्योंकि अतिरिक्त प्रति की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

5. कंपनी के सद्स्यों का रजिस्टर 23 अगस्त, 2016 से 26 अगस्त, 2016 तक(दोनों दिन समेत) बंद रहेगी।

6. श्री एम सी एस शेयर हस्तांतरण एजेंट, कंपनी की कुल शेयर से संबंधित क्रियाकलापों के लिए, यथा– हस्तांतरण/संचारण /पारगमन/ असामग्रीकरण/पुनः सामग्रीकरण/बँटवारा/शेयर का समेकन, पता में परिवर्तन, बैंक आदेश, नामिनीकरण, बँटे वेतन और संबंधित क्रियाकलापों के लिए रजिस्टार तथा हस्तांतरण एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। शेयरधारकों से आग्रह किया जाता है कि वे शेयर हस्तांतरण और संबंधित क्रियाकलापों से संबंधित भविष्य के सभी पत्राचार सिर्फ इस एजेंसी से ही निम्नलिखित पते पर करें :

   श्री एम सी एस शेयर ट्रांसफर एजेंसी लिमिटेड,
   एफ–65, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–I,
   नई दिल्ली–110020
   फोन संख्या– 011–41406149,
   ई–मेलः admin@mcsregistrars.com

7. **डिमेटेरियेलाइजेशन**

   i) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) विनियमन उपलब्ध कराती है कि सेल के इक्विटी शेयर को व्यापार के उद्देश्य के लिए डिमेटेरियेलाइज रूप में आवश्यक रूप से सुपुर्द किया जाए। अधिकांश शेयरधारकों के द्वारा अपने नियंत्रणों को डिमट फॉर्म में बदल लेने के बावजूद भी यह देखा जाता है कि अभी भी कुछ शेयरधारक अपने शेयरों को पेपर फॉर्म(भौतिक) में रखे हैं। इस संबंध में शेयरधारकों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि, वे किसी भी राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड या केन्द्रीय डिपोजिटरी सेवा लिमिटेड जैसे किसी डिपोजिटरी भागीदारियों में डिमट खाता खोलें और अपने शेयरों को डिमेटेरियेलाइज करें।

   ii) जो सदस्य भौतिक रूप में शेयरों को रखे हैं, उन्हें अपने पते में किये गये परिवर्तन, यदि कोई हो तो, के बारे में आर एण्ड टी ए को बड़े अक्षरों में पिन कोड के साथ पूरा पता लिखकर, अपने डाकघर में सूचित करना चाहिए, जो कि आवश्यक है। इलेक्ट्रोनिक रूप (डिमट) में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में परिवर्तन को डिपोजिटरी भागीदारी को सूचित करना चाहिए।

   iii) **ईसीएस आदेश**

   शेयरधारक, जो भौतिक या डिमट में से किसी भी रूप में शेयर रखा है, को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में कंपनी के साथ किसी लेन–देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाओं (इ सी एस) का चुनाव करें। इ सी एस के अंतर्गत, भुगतान आदेश बैंकर(दाता के बैंकर) के द्वारा क्लियरिंग प्राधिकार (आर बी आई या एस बी आइ) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाती है। क्लियरिंग प्राधिकार दाता के बैंक को क्रेडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराता है, उनके संबंधित खाते में राशि क्रेडिट करता है। यह आवश्यक हो गया है कि जो शेयरधारक इ सी एस का चुनाव करता है, और उसके पास शेयर भौतिक रूप में है तो उसे अपने बैंक का नाम, खाता संख्या, खाता का प्रकार, शाखा का नाम, 9 संख्या वाली माइकर संख्या के साथ साथ अपना नाम तथा फोलियो संख्या(डी पी–आइ डी/ग्राहक आइ डी) कंपनी को उपलब्ध कराये और शेयर का नियंत्रण डिमट रूप में होने की स्थिति में उपर्युक्त विवरण डिपॉजिटरी भागीदार को कराये।

8. जो सदस्य समान नाम के क्रम में एक से अधिक फोलियो में शेयर रखे हैं, से आग्रह किया जाता है कि कंपनी के शेयर विभाग/आर–टी ए को अपना शेयर प्रमाण–पत्र संलग्न कर लिखें ताकि कंपनी उनके नियंत्रण को एक फोलियो में समेकित कर सके।

9. कंपनी ने वित्त वर्ष 2008–09 (अंतरिम) तक निवेशक के शिक्षा और सुरक्षा निधि में दावा रहित लाभांश हस्तांतरित की है। कंपनी ने तदनुसार निम्नलिखित लाभांशों को भुगतान/घोषित की हैः

वर्ष	अंतरिम लाभांश (%)	अंतिम लाभांश (%)
2008–2009	–	13.00
2009–2010	16.00	17.00
2010–2011	12.00	12.00
2011–2012	12.00	8.00
2012–2013	16.00	4.00
2013–2014	20.20	–
2014–2015	17.50	2.50
2015–2016	–	–

जिन शेयरधारकों ने अपने उपरोक्त लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है, उनसे आग्रह किया जाता है कि वे अपना दावा कंपनी से करें।

10. जो सदस्य लेखा या नोटिस में लिखे किसी अन्य बातों पर और सूचना पाना चाहते हैं, उनसे आग्रह किया जाता है कि वे कंपनी को मीटिंग प्रारंभ होने से कम से कम सात दिन पहले लिखें ताकि मीटिंग में संगत सूचना को तैयार रख सकें।

11. **कार्पोरेट मामले के मंत्रालय में कार्पोरेट शासन में अच्छी पहल**

    कार्पोरेट मामले के मंत्रालय ("मिनिस्ट्री") ने कंपनियों में कागज रहित हस्तांतरण की अनुमति देकर, इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से कार्पोरेट शासन में अच्छी पहल की है। कार्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा जारी की गई परिपत्र के अनुसार, कंपनी अब विभिन्न नोटिस/दस्तावेजों को (जिसमें सामान्य मीटिंग से संबंधित नोटिस, आडिट की गई वित्तीय विवरण, निदेशक के रिपोर्ट, आडिटर के रिपोर्ट इत्यादि शामिल हैं) अपने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शेयरधारकों के पंजीकृत ई–मेल पते पर भेज सकती है।

सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे उपर्युक्त नोटिस/दस्तावेजों का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करें। उनसे यह भी आग्रह किया जाता है कि वे अपने ई–मेल पते को इस उद्देश्य के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार या कंपनी के रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट अर्थात् श्री एम सी एस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड में ऊपर दिये गये पते पर पंजीकृत करायें या **admin@mcsregistrars.com** पर ई–मेल करें।

कृपया नोट करें कि ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट ॅॅॅण्ेंपसण्बवण्पद पर भी उपलब्ध होगी और इसकी भौतिक प्रति

पंजीकृत कार्यालय में भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी जैसा कि यहाँ ऊपर बताया गया है।

12. संग्रहालय में प्रवेश प्रविष्टि पर्ची के आधार पर ही सख्ती से किया जाएगा जो कि वेन्यू काउण्टरों पर उपलब्ध होगा तथा उपस्थिति पर्ची के बदले में दी जाएगी।

13. संग्रहालय के अंदर ब्रिफकेस, बैग या मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

14. **ई–वोटिंग से संबंधित सूचना तथा अन्य निर्देश नीचे दिए गए हैं:**

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अंतर्गत तथा कंपनी नियम, 2014, के तहत् जैसा कि समशोधित किया गया है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य उपयुक्त प्रावधान, यदि कोई हो तो और सेबी विनियमन 2015 के विनियमन 44 (बाध्यता तथा प्रकटीकरण आवश्यकता का सूचीकरण) के अनुसार कंपनी अपने सदस्यों को मीटिंग में पास होने वाले प्रस्तावित संकल्प पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने वोट अधिकारों के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराती है। सदस्य अपना वोट मीटिंग की जगह से दूर किसी अन्य जगह (रिमोट वोटिंग) से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के प्रयोग से डाल सकते हैं।

(ii) मीटिंग वाली जगह पर बैलट पेपर के माध्यम से वोट डालने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और मीटिंग में शामिल होने वाले सदस्य, जो अपना वोट रिमो ई–वोटिंग के माध्यम से नहीं डाले हैं, बैलेट पेपर वोटिंग प्रणाली से वोट डाल सकेंगे।

(iii) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली से अपना वोट डाल चुके हैं वे भी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे अपना वोट फिर से डालने के हकदार नहीं होंगे।

(iv) कंपनी ने श्री सेंट्रल डिपोजिटरी सेवा (भारत) लिमिटेड (सी एस डी एल) को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शामिल कर लिया है।

(v) कंपनी के निदेशक–बोर्ड ने श्री सचिन अग्रवाल, कंपनी सेक्रेटरी फर्म– श्री अग्रवाल एस एण्ड एसोसियेट कंपनी सेक्रेटरी फर्म, को रिमोट इ–वोटिंग तथा मीटिंग मे दौरान बैलेट पेपर के वोट की सही और पारदर्शी विधि से संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्ति की है और उन्होंने अपनी नियुक्ति की इच्छा को तथा इस उद्देश्य के लिए उपस्थिति को सूचित किया है।

(vi) जिस व्यक्ति का नाम अंतिम तिथि अर्थात् 15 सितंबर, 2016 तक सदस्यों के रजिस्टर में या लाभान्वित मालिक के रजिस्टर में जिसे कि डिपोजिटरी द्वारा चलाया जाता है, रिकार्ड की गई है, वे ही सिर्फ रिमोट वोटिंग या विटिंग वाली जगह पर बैलेट पेपर पर वोटिंग की इस सुविधा को प्राप्त कर सकेंगे।

(vii) जो व्यक्ति मीटिंग की नोटिस भेज दिये जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तिथि अर्थात् 15 सितंबर, 2016 को शेयर रखता है, **वह लॉग–इन आइ–डी और पासवर्ड जेनरेट करने के लिए विधि का अनुसरण कर सकता है, जैसा कि ए जी एम के नोटिस में उपलब्ध कराया गया है।**

(viii) रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगा:

- रिमोट इ–वोटिंग की शुरुवातः 18 सितंबर, 2016 को 9.00 पूर्वाह्न (आइ एस टी) से.
- रिमोट इ–वोटिंग की समाप्तिः 20 सितंबर, 2016 को 5.00 मध्याह्न (आइ एस टी) तक।

(ix) ऊपर बताई गई तिथि तथा समय के बाद रिमोट इ–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और इ–वोटिंग मशीन को मै. सी एस डी एल के द्वारा उपर्युक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर हटा लिया जाएगा।

(x) सदस्य द्वारा एक बार किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिये जाने के बाद, उसे अपना वोट बदलने या फिर से डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xi) संवीक्षक, मीटिंग (बैलेट पेपर) में डाले गये वोट और रिमोट इ–वोटिंग द्वारा डाले गये वोटों की संवीक्षा किये जाने का बाद, मीटिंग की समाप्ति के तीन दिनों के अंदर एक समेकित संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को लिखित रूप में सुपुर्द करेंगे। समेकित संवीक्षा रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को कंपनी की वेबसाइट– www.sail.co.in पर और मै. एम सी एस शेयर ट्रांसफर लिमिटेड की वेबसाइट www.mcsregistrar.com पर डाली जाएगी। साथ–साथ परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को संचारित की जाएगी।

(xii) आवश्य संख्या में वोट प्राप्ति के आधार पर, प्रस्ताव को मीटिंग की तिथि पर अर्थात् 21 सितंबर, 2016 को पारित माना जाएगा।

(xiii) रिमोट वोटिंग से संबंधित सूचना और अन्य निर्देश निम्नलिखित हैं:

(i) वोटिंग अवधि रविवार, 18 सितंबर, 2016 को 9.00 बजे पूर्वाह्न (आइ एस टी) में प्रारंभ होगी तथा मंगलवार, 20 सितंबर, 2016 को 5.00 मध्याह्न (आइ एस टी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जो अंतिम तिथि (रिकॉर्ड तिथि) अर्थात् 15 सितंबर, 2016 तक भौतिक रूप या डिमट के रूप में शेयर रखे हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाल सकते हैं। इसके बाद सी डी एस एल द्वारा इ–वोटिंग मॉड्युल को बंद कर दिया जाता है।

(ii) जिन शेयरधारकों ने मीटिंग तिथि से पहले ही वोट डाल दिए हैं, वे मीटिंग स्थल पर वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) शेयरधारकों को इ–वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग–ऑन करना चाहिए।

(iv) शेयरहोल्डर पर क्लिक करें।

(v) इसके बाद अपना आइ डी डालें

क. सी डी एस एल के लिए : 16 अंकों की हितकारी आइ डी,

ख. एन एस डी एल के लिए : 8 अंकों की डी पी डी पी आइ डी, इसके बाद 8 अंकों की ग्राहक आइ डी,

ग. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को कंपनी में पंजीकृत किये गये फोलियो संख्या डालना चाहिए।

(vi) इसके बाद प्रतिबिंब सत्यापन को डालें और लॉग–इन पर क्लिक करें।

(vii) यदि आप डिमट रूप में शेयर रखे हैं और www.evotingindia.com पर लॉग–ऑन किये हैं तथा किसी कंपनी के पहले के वोटिंग में वोट डाले हैं, तो आपका पहले वाला पासवर्ड प्रयोग होगा।

(viii) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो नीचे दिये गये चरणों का अनुसारण करें :

	डीमैट और फिजिकल रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आय कर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों का अल्फा–न्यूमेरिक पैन संख्या डालें (डीमैट और फिजिकल, दोनों तरह के सदस्यों के लिए) वैसे सदस्य, जिन्होंने अब तक कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना पैन नंबर नहीं दिया है, से अनुरोध है कि वो पैन नंबर भरने वाले स्थान पर अपने नाम के पहले दो अक्षर कैपिटल लेटर में भरें और उसके बाद कट ऑफ तिथि के आधार पर उनके द्वारा धारित कंपनी की इक्विटी शेयर (शेयरों) की संख्या भरें। यदि इक्विट शेयर (शेयरों) की संख्या 8 अंक से कम का हो तो कट ऑफ तिथि के आधार पर उनके द्वारा धारित कंपनी की इक्विटी शेयरों की संख्या टाइप करने से पहले इतने शून्य लगायें कि 8 अंक पूरा हो जाए। उदाहरण के लिए यदि आपका नाम RAMESH KUMAR है और कट ऑफ तारीख को धारित इक्विटी शेयरों की संख्या 1 है तो आप पैन नंबर वाले जगह पर RA00000001 भरेंगे।
लाभांश के बैंक खाता बैंक सूचना अथवा जन्म तिथि	आपके डीमैट खाता या आपके डीमैट खाता में या कंपनी के रिकार्ड में जो जन्म तिथि है, उसे dd/mm/yyy तरीके से डालें। • यदि दोनों विवरण डिपाजिटरी या कंपनी के पास रिकार्ड में नहीं है तो कृपया आप निर्देश (v) में उल्लिखित लाभांश बैंक खाता विवरण में सदस्य आईडी/फोलियो संख्या दें।

(ix) इन ब्यौरे को उचित रूप से डालने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, उसे सीधे कंपनी सेलेक्सन स्क्रीन पर पहुँचना चाहिए। जो सदस्य शेयर डिमट रूप में रखते हैं, उसे अब 'पासवर्ड क्रियेसन' मीनु में जाना होगा, जहाँ उन्हें नये पासवर्ड फील्ड में अपना पासवर्ड आवश्यक रूप से प्रविष्ट करना होगा। यह नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग भी डिमट नियंत्रक द्वारा किसी अन्य कंपनी के प्रस्ताव में वोट करने के लिए किया जा सकेगा जिस पर कि वे वोट डालने के लिए योग्य हैं, वशर्ते कि कंपनी सी एस डी एल प्लेटफार्म के माध्यम से ई–वोटिंग का विकल्प चुनता है। यह मजबूती से प्रस्तावित किया जाता है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए सावधानी रखें।

(xi) वैसे सदस्य जो शेयर को भौतिक रूप में रखते हैं, वे नोटिस में उपलब्ध प्रस्ताव पर सिर्फ ई–वोटिंग के लिए व्यौरे का प्रयोग कर सकते हैं।

(xii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए इ एस वी एन पर क्लिक करें, जिसका आप वोट डालने के लिए चुनाव किये हैं।

(xiii) वोटिंग पृष्ठ पर, आपको "रिजोल्युसन डिस्क्रिप्सन" दिखाई देगा और इसी विकल्प पर वोटिंग के लिए विकल्प "हाँ/नहीं" होते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार "हाँ या नहीं" विकल्प को चुनें। 'हाँ' विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव के पक्ष में है और 'नहीं' विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव के विरुद्ध हैं।

(xiv) यदि आप संपूर्ण प्रस्ताव ब्यौरे को देखना चाहते हैं तो "रिजोल्युसन फाइल" लिंक पर क्लिक करें।

(xv) रिजोल्युसन को सेलेक्ट करने के बाद, आपने वोड डालने का निर्णय लिया है, "सबमिट" पर क्लिक करें। एक कन्फर्मेशन बॉक्स डिस्प्ले होगा। यदि आप अपने वोट को आश्वस्त करना चाहते हैं, तो "ओके" पर क्लिक करें, अपना वोट बदलने के लिए, "केन्सिल" पर क्लिक करें और तद्नुसार अपने वोट को बदलें।

(xvi) रिजोल्युसन पर अपना वोट एक बार "कन्फर्म" कर देने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xvii) वोटिंग पेज पर "क्लिक हियर टु प्रिंट" विकल्प पर क्लिक कर आप अपने डाले गये वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xviii) यदि डिमट एकॉण्ट होल्डर लॉग–इन पासवर्ड भूल जाता है, तो यूजर आइ–डी और इमेज वेरिफिकेशन कोड इंटर करें और फोरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम के द्वारा माँगे जा रहे ब्यौरे को भरें।

(xix) शेयरधारक अपना वोट सी डी एस एल मोबाइल एप एम–मुविंग के प्रयोग से भी डाल सकते हैं जो कि एनरॉयड आधारित मोबाइल में उपलब्ध होते हैं। एम वोटिंग एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एपल और विंडो फोन यूजर एपल स्टोर और विंडो फोन स्टोर से क्रमशः एप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल द्वारा वोटिंग करते समय कृपया मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्देशों का अनुसरण करें।

(xx) गैर–वैयक्तिक शेयरधारकों और कस्टडियन हेतु नोट

- गैर–वैयक्तिक शेयरधारकों (शेयरधारकों के अतिरिक्त एच यू एफ, एन आर आइ इत्यादि) और कस्टडियन को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करने तथा कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है।
- पंजीकरण फॉर्म की एक स्कैन प्रति जिसमें हस्ती का हस्ताक्षर और स्टंप होता है, को hमसचकमेाण्मअवजपदह/ बकेसपदकपंण्बवउ पर ई–मेल करना चाहिए।
- लॉग–इन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉग–इन और पासवर्ड के प्रयोग से कम्प्लायंस यूजर बनाया जा सकता है। कम्प्लायंस यूजर उस एकॉउंट को लिंक कर सकता है जिसके लिए वह वोट देना चाहता है।
- लॉग–इन में लिंक किये गये एकॉण्ट की सूची को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करना चाहिए और एकॉण्ट की स्वीकृति पर वे अपना वोट डालने में सक्षम होंगे।
- बोर्ड प्रस्ताव और पॉवर ऑफ एटॉर्नी (पी ओ ए) की एक स्कैन प्रति, जिसे वे कस्टडियन के प्रति, यदि कोई हो, तो, जारी किये होते हैं, को संवीक्षक के लिए इसे सत्यापित करने हेतु सिस्टम में पी डी एफ फॉरमेट में अपलोड किया जाना चाहिए।

(xxi) वे व्यक्ति जो कंपनी का शेयर प्राप्त करते हैं और नोटिस भेजने के बाद तथा अंतिम तिथि तक अर्थात् 15 सितंबर, 2016 तक कंपनी का सदस्य बन जाता है तो वे ऊपर बताये गये अनुदेशों की तरह ई–वोटिंग डालने का अनुसरण कर सकते हैं।

(xxii) इ–वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न या मुद्दे की स्थिति में, आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कोश्चन (तत्काल पूछे गये प्रश्नों) (एफ ए क्यू) और इ–वोटिंग मैनुवल को www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्सन के अंतर्गत देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई–मेल कर सकते हैं।

नोटिस के संलग्नक
कंपनी अधीनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

विषय संख्या 4

सरकारी अधिसूचना संख्या एफ. एन. 6(13)/2015– बी एल ए दिनांक 13 नवंबर, 2015 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाने पर, श्री पी के दाश (डी आई एनः 01578400) को 18 नवंबर, 2015 को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। गैर–सरकारी अल्प–कालीन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में उनका कार्यकाल 18 नवंबर, 2015 से प्रारंभ होकर तीन साल या अगले आदेश तक, जो पहले आता है, तक है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार, श्री पी के दास वार्षिक सामान्य मीटिंग के परिणाम की तिथि तक पद पर बने रहेंगे। कंपनी को अधिनियम के धारा 160 के तहत् एक लिखित नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें कंपनी के कार्यालय निदेशक के लिए श्री पी के दाश की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

श्री पी के दाश, उम्र 62 वर्ष, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइ ए एस) के 1981 बैच (मध्य प्रदेश कैडर) के भूतपूर्व अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत हुए हैं। वे अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तथा भाषाविद हैं। अपने 34 वर्ष के जन सेवा रूपी अनुभव के दौरान इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य सरकार में कई मुख्य विभागों जैसे–वित्त और कर, कॉमर्स तथा उद्योग, श्रम तथा औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा सामाजिक कल्याण इत्यादि में कार्य किया है। इन्हें भारत सरकार के विभिन्न सामर्थ्यों जैसे– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मूल्य स्थितीकरण निधि और व्यापार और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य का अनुभव है। ये कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे– एम पी ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा एम पी स्टेट इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, तथा एक्पोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं।

वह कंपनी के ऑडिट कमिटी के सदस्य हैं। वह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (डी एम आई सी डी सी) के ऑडिट कमिटी के सदस्य और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम आर पी डी सी) के स्वतंत्र निदेशक हैं।

श्री पी के दाश को अधिनियम की धारा 164 के तहत् निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं किया गया है और उन्होंने अपनी स्वीकृति निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए दी है। कंपनी को श्री पी के दाश से एक घोषणापत्र प्राप्त हुई है कि वे अधिनियम की धारा 149 की उप–धारा 6 के तहत् स्वतंत्र मापदंड पूरा करते है।

श्री पी के दाश और उनके संबंधियों के अतिरिक्त, कंपनी में उनके शेयरधारक रुचि के स्तर तक, यदि कोई हो तो, दूसरे निदेशकों/कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिकों/उनके संबंधियों में, किसी तरीके से भी, संबंधित या वित्तीय रूप से रुचि रखने वाले या अन्यथा, प्रस्ताव में नोटिस के मद संख्या 4 में मेल खाता है।

श्री पी के दाश के विस्तृत विशेषज्ञता और जानकारी को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने इसे बांछनीय समझा कि कंपनी को निदेशक के रूप में इनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विचार करना चाहिए तथा शेयरधारकों की मंजूरी के लिए इनके प्रस्ताव को अनुमोदित करना चाहिए।

मद संख्या 5

सरकारी अधिसूचना संख्या एफ. एन. 6(13)/2015– बी एल ए दिनांक 13 नवंबर, 2015 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाने पर, प्रोफेसर अशोक गुप्ता (डी आइ एनः 07342950) को 18 नवंबर, 2015 को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। गैर–सरकारी अल्प–कालीन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में उनका कार्यकाल 18 नवंबर, 2015 से प्रारंभ होकर तीन साल या अगले आदेश तक, जो पहले आता है, तक है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार, प्रोफेसर अशोक गुप्ता वार्षिक सामान्य मीटिंग के परिणाम की तिथि तक पद पर बने रहेंगे। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत् एक लिखित नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें कंपनी के कार्यालय निदेशक के लिए प्रोफेसर अशोक गुप्ता की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

प्रोफेसर अशोक गुप्ता, उम्र 59 वर्ष, आई आई टी दिल्ली में सिविल इंजिनियरी विभाग में प्रोफेसर हैं। इन्होंने 1979 में आई आई टी दिल्ली से सिविल इंजिनियरी में बी टेक तथा आई आई टी दिल्ली से 1984 में पीएच. डी. की है। इन्हें भारत तथा विदेश में लगभग तीस वर्षों का अनुसंधान और शिक्षण का अनुभव है। इन्होंने पाँच पीएच. डी. शोधकार्य, कई एम. टेक. तथा बी. टेक. प्रोजेक्ट का पर्यवेक्षण किया है। इन्होंने कई पुस्तकें और अग्रिम पत्रिकाओं तथा समीक्षा सम्मेलनों में अस्सी से अधिक पेपर प्रकाशित किये हैं। इनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में भूकम्प ईंजिनियरी, ढाँचे का स्वास्थ्य मॉनिटर तथा ई–लर्निंग शामिल है। इन्होंने एम आइ टी (यू एस ए), इ पी एफ एल(स्विटजरलैंड) और नान्यांग टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी (सिंगापुर) में विजिटिंग रिसर्च और प्रशिक्षण नियुक्ति की है। ये 2004 से 2007 तक योजना का प्रोफेसर–इन–चार्ज, 2007 से 2011 तक एल्युमिनी एफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम के अध्यक्ष, 2012 से 2014 तक आइ आइ टी दिल्ली में अवसंरचना के अध्यक्ष, जनवरी 2014 से दिसंबर 2015 तक आइ आइ टी, दिल्ली के गवर्नर बोर्ड के सदस्य के पद पर कार्य कर चुके हैं तथा वर्तमान में आइ आइ टी, दिल्ली में उप निदेशक (ऑपरेशन) हैं।

प्रोफेसर अशोक गुप्ता को अधिनियम की धारा 164 के तहत् निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं किया गया है और उन्होंने अपनी स्वीकृति निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए दी है। कंपनी को प्रोफेसर अशोक गुप्ता से एक घोषणापत्र प्राप्त हुआ है कि वे अधिनियम की धारा 149 के उप–धारा 6 के तहत् स्वतंत्र मापदंड पूरा करते है। इन्हें हाल ही में कंपनी के ऑडिट कमिटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

प्रोफेसर अशोक गुप्ता और उनके संबंधियों के अतिरिक्त, कंपनी में उनके शेयरधारक रूचि के स्तर तक, यदि कोई हो तो, दूसरे निदेशकों/कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिकों/उनके संबंधियों में, किसी तरीके से भी, संबंधित या वित्तीय रूप से रूचि रखने वाले या अन्यथा, प्रस्ताव में नोटिस के मद संख्या 5 में मेल खाता है।

प्रोफेसर अशोक गुप्ता के विस्तृत विशेषज्ञता और जानकारी को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने इसे बांछनीय समझा कि कंपनी को निदेशक के रूप में इनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विचार करना चाहिए तथा शेयरधारकों की मंजूरी के लिए इनके प्रस्ताव को अनुमोदित करना चाहिए।

मद संख्या 6

सरकारी अधिसूचना संख्या एफ. एन. 6(13)/2015– बी एल ए दिनांक 13 नवंबर, 2015 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाने पर, श्री प्रमोद बिंदल (डी आइ एनः 06389570) को 18 नवंबर, 2015 को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। गैर–सरकारी अल्प–कालीन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में उनका कार्यकाल 18 नवंबर, 2015 से प्रारंभ होकर तीन साल या अगले आदेश तक, जो पहले आता है, तक है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार, श्री प्रमोद बिंदल वार्षिक सामान्य मीटिंग के परिणाम की तिथि तक पद पर बने रहेंगे। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत् एक लिखित नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें कंपनी के कार्यालय निदेशक के लिए श्री प्रमोद बिंदल की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

श्री प्रमोद बिंदल, उम्र 54 वर्ष, छत्तीसगढ़ में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी ए) का अभ्यास कर रहे हैं। इन्होंने सी ए अंतिम वर्ष नवंबर 1989 में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान से उत्तीर्ण की। इन्होंने भारत के चार्टर्ड अकाउंट संस्थान से 2005 में आर्बिट्रेशन में सर्टिफिकेशन कोर्स तथा 2013 में अप्रत्यक्ष कर में सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया है। इनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, कंपनी कानून के मुद्दे, अकाउंटिंग आंतरिक ऑडिट और सांविधिक ऑडिट शामिल हैं। इन्हें सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र तथा बैंक इत्यादि के सांविधिक ऑडिट में दो दशकों से अधिक का अनुभव है।

वह कंपनी के ऑडिट कमिटी के सदस्य हैं। वह ₹10/– के 5000 इक्विटी शेयर के नियंत्रक हैं, इनमें से प्रत्येक वायु एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड में जारी की गई 50% पूँजी के हैं।

श्री प्रमोद बिंदल को अधिनियम के धारा 164 के तहत् निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं किया गया है और उन्होंने अपनी स्वीकृति निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए दी है। कंपनी को श्री प्रमोद बिंदल से एक घोषणापत्र प्राप्त हुआ है कि वे अधिनियम के धारा 149 के उप–धारा 6 के तहत् स्वतंत्र मापदंड पूरा करते है।

श्री प्रमोद बिंदल और उनकी संबंधियों के अतिरिक्त, कंपनी में उनके शेयरधारक रूचि के स्तर तक, यदि कोई हो तो, दूसरे निदेशकों/कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिकों/उनके

संबंधियों में, किसी तरीके से भी, संबंधित या वित्तीय रूप से रूचि रखने वाले या अन्यथा, प्रस्ताव में नोटिस के मद संख्या 6 में मेल खाता है।

श्री प्रमोद बिंदल की विस्तृत विशेषज्ञता और जानकारी को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने इसे बांछनीय समझा कि कंपनी को निदेशक के रूप में इनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विचार करना चाहिए तथा शेयरधारकों की मंजूरी के लिए इनके प्रस्ताव को अनुमोदित करना चाहिए।

मद संख्या 7

सरकारी अधिसूचना संख्या एफ. एन. 6(13)/2015– बी एल ए दिनांक 13 नवंबर, 2015 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाने पर, श्रीमती अंशु वैश (डी आइ एनः 02924346) को 18 नवंबर, 2015 को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। गैर–सरकारी अल्प–कालीन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में उनका कार्यकाल 18 नवंबर, 2015 से प्रारंभ होकर तीन साल या अगले आदेश तक, जो पहले आता है, तक है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती अंशु वैश वार्षिक सामान्य मीटिंग के परिणाम की तिथि तक पद पर बनी रहेंगी। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत् एक लिखित नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें कंपनी के कार्यालय निदेशक के लिए श्रीमती अंशु वैश की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

श्रीमती अंशु वैश, उम्र 64 वर्ष, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस) के 1981 बैच (मध्य प्रदेश कैडर) के एक भूतपूर्व अधिकारी हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। यह इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अपने 37 वर्ष के लोक सेवा के अनुभव के दौरान, इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य सरकार में कई मुख्य विभागों जैसे–कॉमर्स और उद्योग, पर्यटन और संस्कृति, महिला तथा बाल विकास, ग्रामीण उद्योग, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, सामाजिक कल्याण और शिक्षा में कार्य किया है। इन्हें भारत सरकार के मानव संसाधन विकास के संस्कृति विभाग, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण में डायरेक्टर जनरल जैसे विभिन्न सामर्थ्यों तथा अंत में भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय के स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग में सचिव के रूप में कार्य का अनुभव है।

वह सरकारी निकाय के विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं जैसे–रंगा श्री लिटिल बैलेट ट्रुप(एल बी टी), भोपाल, प्रदान, नई दिल्ली, कथा नई दिल्ली, इक्विटी अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली और स्वामी शिवानंद मेमोरियल समस्थान नई दिल्ली के सदस्य हैं। यह एम्स संस्थान निकाय भोपाल के सदस्य भी हैं। इन्हें हाल ही में कंपनी के ऑडिट कमिटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

श्रीमती अंशु वैश को अधिनियम की धारा 164 के तहत् निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं किया गया है और इन्होंने अपनी स्वीकृति निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए दी है। कंपनी को श्रीमती अंशु वैश से एक घोषणापत्र प्राप्त हुआ है कि ये अधिनियम की धारा 149 की उप–धारा 6 के तहत् स्वतंत्र मापदंड पूरा करती हैं।

श्रीमती अंशु वैश और उनके संबंधियों के अतिरिक्त, कंपनी में उनके शेयरधारक रुचि के स्तर तक, यदि कोई हो तो, दूसरे निदेशकों/कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिकों/उनके संबंधियों में, किसी तरीके से भी, संबंधित या वित्तीय रूप से रुचि रखने वाले या अन्यथा, प्रस्ताव में नोटिस के मद संख्या 7 में मेल खाता है।

श्रीमती अंशु वैश के विस्तृत विशेषज्ञता और जानकारी को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने इसे बांछनीय समझा कि कंपनी को निदेशक के रूप में इनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विचार करना चाहिए तथा शेयरधारकों की मंजूरी के लिए इनके प्रस्ताव को अनुमोदित करना चाहिए।

मद संख्या 8

सरकारी अधिसूचना संख्या एफ. एन. 6(13)/2015– बी एल ए दिनांक 26 नवंबर, 2015 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाने पर, डॉ. एन. महापात्र (डी आइ एनः 07352648) को 27 नवंबर, 2015 को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था कि इन्हें शेयरधारकों द्वारा वार्षिक सामान्य मीटिंग में पुनः नियुक्त किया जाएगा। गैर–सरकारी अल्प–कालीन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में उनका कार्यकाल 27 नवंबर, 2015 से प्रारंभ होकर पाँच साल या इनकी अधिवर्षिता की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो पहले आता है, तक है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार, यह वार्षिक सामान्य मीटिंग के परिणाम की तिथि तक पद पर बने रहेंगे। कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के तहत् एक लिखित नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें कंपनी के कार्यालय निदेशक के लिए डॉ. एन. महापात्र की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

डॉ. एन. महापात्र, उम्र 59 वर्ष, ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एम ए, एल एल वी, पीएच. डी. (इतिहास) की डिग्री और कलकत्ता विश्वविद्यालय और आइमा, नई दिल्ली से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की दो डिग्रियाँ ली है। डॉ. एन. महापात्र ने 1980 में सेल में प्रवेश किया। सेल में अपने 36 वर्षों की सेवा में, डॉ. महापात्र ने कंपनी के कई पदों पर कार्य किया। डॉ. महापात्र को विभिन्न एच आर मुद्दे पर गहराई से जानकारी है, जिसमें– मेनपॉवर अवसंरचना, मल्टी कौशल, जलवायु संरक्षण, परिवर्तित प्रबंधन, मानव संसाधन सूचना प्रणाली, समझौता, शहरी प्रशासन, एच आर प्रशासन का स्वतःकरण, कार्मिक संचार का नवीकृत प्रस्ताव, इत्यादि शामिल हैं।

डॉ. एन. महापात्र को अधिनियम की धारा 164 के तहत् निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं किया गया है और इन्होंने अपनी स्वीकृति निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए दी है।

डॉ. एन. महापात्र और उनके संबंधियों के अतिरिक्त, कंपनी में उनके शेयरधारक रूचि के स्तर तक, यदि कोई हो तो, दूसरे निदेशकों/कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिकों/उनके संबंधियों में, किसी तरीके से भी, संबंधित या वित्तीय रूप से रूचि रखने वाले या अन्यथा, प्रस्ताव में नोटिस की मद संख्या 8 में मेल खाता है।

बोर्ड ने इसे बांछनीय समझा कि कंपनी को निदेशक के रूप में इनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विचार करना चाहिए तथा शेयरधारकों की मंजूरी के लिए इनके प्रस्ताव को अनुमोदित करना चाहिए।

मद संख्या 9

सरकारी अधिसूचना संख्या एफ. एन. 6(13)/2015 – बी एल ए दिनांक 30 दिसंबर, 2015, को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाने पर, श्री जी विश्वकर्मा (डी आइ एनः 07389419) को 31 दिसंबर, 2015 को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था कि इन्हें शेयरधारकों द्वारा वार्षिक सामान्य मीटिंग में पुनः नियुक्त कया जाएगा। गैर–सरकारी अल्प–कालीन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में उनका कार्यकाल 31 दिसंबर, 2015 से प्रारंभ होकर पाँच साल या इनकी अधिवर्षिता की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो पहले आता है, तक है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार, और कंपनी की संघ के अंतर्नियमों के तहत् यह वार्षिक सामान्य मीटिंग के परिणाम की तिथि तक पद पर बने रहेंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 16/0 के तहत् एक लिखित नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें कंपनी के कार्यालय निदेशक के लिए श्री जी विश्वकर्मा की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

श्री जी विश्वकर्मा, उम्र 55 वर्ष, ने यांत्रिक इंजिनियरी में बी ई किया है। इन्होंने औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातक, प्रयावरण विज्ञान और इंजीनियरी में एम इ और व्यापार प्रबंधन में पी जी डिप्लोमा भी किया है। श्री विश्वकर्मा ने जनवरी 1982 में कंपनी में प्रवेश किया था और 2006 में सेल से बाहर विकल्प को खोजने से पहले धीरे–धीरे सहायक जनरल मैनेजर पद तक पहुँचे। निदेशक के रूप में कंपनी में प्रवेश से पहले, इन्होंने छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन 3–एम पी टी ए ग्रीन फिल्ड प्लांट का नेतृत्व कार्यकारी निदेशक एन एम डी सी स्टील लिमिटेड (एन एस एल) के रूप में कर रहा था। सेल और एन एम डी सी लिमिटेड के अतिरिक्त इन्हें जिंदल स्टेनलेश स्टील लिमिटेड (जे एस टी) और इस्पात उद्योग लिमिटेड में कार्य का अनुभव है।

ये भारत में वरिष्ठ कार्यकारी पद पर स्टील सेक्टर से लगभग 34 वर्षों तक संबंधित रहे हैं। ये स्टील प्लांट प्रोजेक्ट, संचालन और प्रबंधन, बड़े ग्रीन फील्ड परियोजना जैसे एकीकृत स्टील प्लांट, कोयला, कोक और कोयला रसायन प्रोसेसिंग, ब्लास्ट भट्ठी, रॉलिंग मिल, स्टील मेल्टिंग सॉप, पॉवर प्लांट, गैस और कोयला आधारित डी आर आई और कोक ओवेन प्लांट को कार्य रूप देनें में उत्कृष्ट हैं।

श्री जी विश्वकर्मा को अधिनियम की धारा 164 के तहत् निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं किया गया है और इन्होंने अपनी स्वीकृति निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए दी है।

श्री जी विश्वकर्मा और उनके संबंधियों के अतिरिक्त, कंपनी में उनके शेयरधारक रूचि के स्तर तक, यदि कोई हो तो, दूसरे निदेशकों/कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिकों/उनके संबंधियों में, किसी तरीके से भी, संबंधित या वित्तीय रूप से रुचि रखने वाले या अन्यथा, प्रस्ताव में नोटिस की मद संख्या 9 में मेल खाता है।

बोर्ड ने इसे बांछनीय समझा कि कंपनी को निदेशक के रूप में इनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विचार करना चाहिए तथा शेयरधारकों की मंजूरी के लिए इनके प्रस्ताव को अनुमोदित करना चाहिए।

मद संख्या 10

सरकारी अधिसूचना संख्या एफ. एन. 6(13)/2015– बी एल ए दिनांक 14 मार्च, 2016, को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाने पर, श्री रमन (डी आइ एनः 06840232) को 1 जुलाई, 2016 को कंपनी के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था कि इन्हें शेयरधारकों द्वारा वार्षिक सामान्य मीटिंग में पुनः नियुक्त किया जाएगा। गैर–सरकारी अल्प–कालीन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में उनका कार्यकाल 1 जुलाई, 2016 से प्रारंभ होकर पाँच साल या इनकी अधिवर्षिता की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो पहले आता है, तक है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार, और कंपनी की संघ के अंतर्नियमों के तहत् यह वार्षिक सामान्य मीटिंग के परिणाम की तिथि तक पद पर बने रहेंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 160 के तहत् एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के कार्यालय निदेशक के लिए श्री रमन की उम्मीदवारी का प्रस्ताव है।

श्री रमन, उम्र 58 वर्ष, ने बी. आइ. टी. सिंदरी, धनबाद से यांत्रिक इंजिनियरी में बी. टेक की उपाधि प्राप्त की है। श्री रमन सेल में ग्रेजुएट इंजीनियर के रूप में 1979 में नियुक्त हुए। इनके 37 वर्ष की लंबी विस्तृत पेशा में, श्री रमन ने बोकारो स्टील प्लांट, जो कि कंपनी द्वारा चलाई जा रही एकीकृत स्टील प्लांट में एक है, में कई प्रमुख पद धारण किये। इन्होंने इंजिनियरी तथा तकनीकी केन्द्र और सलेम स्टील प्लांट इत्यादि में भी कार्य किये हैं। इन्हें हाल ही में कंपनी के ऑडिट कमिटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री रमन को अधिनियम की धारा 164 के तहत् निदेशक की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं किया गया है और इन्होंने अपनी स्वीकृति निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए दी है।

श्री रमन और उनके संबंधियों के अतिरिक्त, कंपनी में उनके शेयरधारक रूचि के स्तर तक, यदि कोई हो तो, दूसरे निदेशकों/कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिकों/उनके संबंधियों में, किसी तरीके से भी, संबंधित या वित्तीय रूप से रूचि रखने वाले या अन्यथा, प्रस्ताव में नोटिस के मद संख्या 10 में मेल खाता है।

बोर्ड ने इसे बांछनीय समझा कि कंपनी को निदेशक के रूप में इनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विचार करना चाहिए तथा शेयरधारकों की मंजूरी के लिए इनके प्रस्ताव को अनुमोदित करना चाहिए।

मद संख्या 11

जैसा कि पिछले वर्ष सूचित किया गया है कि आपकी कंपनी ने अपने प्लांट के लिए एक विस्तृत आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण तथा अपने ही खानों से कच्चे मालों की आपूर्ति करने का प्रोग्राम बनाया है। विस्तारीकरण प्रोग्राम के निधिकरण का कार्य मिश्रित कर्ज और इक्विटी के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। कंपनी ने अपने विस्तारीकरण प्रोग्राम में 30.04.2016 तक लगभग 62,441 करोड़ खर्च कर चुकी है। विस्तारीकरण प्रोग्राम के बचे भाग के लिए आपकी कंपनी ने अगले वर्ष के दौरान लगभग 5,000 करोड़ उधार लेने की योजना बनाई है।

निधियों को बढ़ाने से संबंधित घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उधार लेने के लिए विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करने पर, निदेशक–बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष के दौरान सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय ऋण–पत्र/बॉण्ड को प्राइवेट स्थानीकरण के माध्यम से 5,000 करोड़ तक बढ़ाया जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 का प्रावधान में कंपनी नियम, 2014 के नियम 14 (प्रतिभूतियों का प्रावधान और आवंटन), ने कंपनी को आदेश देती है कि ऋण–पत्र/बॉण्ड को प्राइवेट स्थानीकरण द्वारा निधि विस्तार हेतु विशेष प्रास्ताव के माध्यम से शेयरधारकों से स्वीकृति ले। तद्नुसार नोटिस की मद संख्या 11 के अनुसार, प्रस्ताव के माध्यम से या सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय ऋण–पत्र/बॉण्ड द्वारा निधि उधार लेने के लिए प्रस्ताव हेतु शेयरधारकों की मंजूरी माँगी जा रही है, तदनुसार जिसका निर्णय निदेशक–बोर्ड/कमेटी या किसी एक या एक से अधिक निदेशकों द्वारा, जैसा आवश्यक हो, ली जाएगी।

सामान्यतः कंपनी के उधार में कंपनी की सभी या किसी परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय संपत्तियों के बंधकों/शुल्कों/आडमानों या ऋणभारों की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी अधीनियम, 2013 की धारा 180(1)(अ) के अनुसार शुल्क, आडमान, ऋणभार, सपथ या वर्तमान और भविष्य दोनों में कंपनी की किसी परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय संपत्तियों के लिए और संपूर्णतः तथा जहाँ कहीं भी स्थित हो, वचनबद्धता या कंपनी के वचन के लिए और इस संबंध में बोर्ड को कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए सदस्यों की सहमति माँगी जा रही है।

उपर्युक्त, को देखते हुए, आपके निदेशकों ने कंपनी अधीनियम, 2013 की धारा 180(1)(अ) के तहत् सदस्यों को एक विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए अनुमोदित करते हैं ताकि कंपनी के निदेशक बोर्ड कंपनी के उधार की प्रतिभूति के लिए जब और जहाँ आवश्यक हो, बंधक औरय्या शुल्क का सृजन कर सके।

बोर्ड आपकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव का विशेष प्रस्ताव के रूप में अनुमोदन करती है।

इस प्रस्ताव में किसी भी निदेशक औरय्या प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी का किसी प्रकार का संबंध नहीं है और वे इसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 12

कंपनी के निदेशक–बोर्ड ने, 30 मई, 2016 को संपन्न ऑडिट कमेटी के अनुमोदन पर मै. आर जे गोयल – कं., नई दिल्ली को (भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट के लिए), मै. सोम – बनर्जी, कोलकता को (बोकारो स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट के लिए), म/स संजय गुप्ता – एसोसिएट नई दिल्ली को (एलॉय स्टील प्लांट, सेलम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट) के लिए कंपनी के कॉस्ट लेखा परीक्षक के रूप में वित्त वर्ष 2016–17 के लिए ₹9,75,000/– के अलावा यथोचित सेवा कर तथा दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता और अतिरिक्त पॉकेट खर्च की प्रतिपूर्ति पर नियुक्ति का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त, मै. संजय गुप्ता और एसोसिएट को कंपनी की एक्स बी आर एल कंवर्सन और समेकित कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने के लिए ₹35,000/– और यथोचित सेवा कर पर लिड कॉस्ट लेखा–परीक्षक के लिए नामित किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के तहत् जिसे कंपनी नियम 2014 के नियम 14 (आडिट और आडिटर्स) के साथ पढ़ा जाता है, आडिट कमेटी के अनुमोदन पर प्रतिपूर्ति, जैसा कि कंपनी के निदेशक–बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है, को कंपनी के सदस्यों के अनुवर्ती समर्थन की आवश्यकता है। तद्नुसार, कॉस्ट लेखा–परीक्षकों के शुल्क के समर्थन का अनुमोदन, जैसा कि नोटिस की मद संख्या 12 में कहा गया है, शेयरधारकों की मंजूरी के लिए पेश किया गया है।

इस प्रस्ताव में किसी भी निदेशक औरय्या प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी का किसी प्रकार का संबंध नहीं है और वे इसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं रखते हैं।

बोर्ड प्रस्ताव को आपकी मंजूरी के लिए अनुमोदित करती है।

निदेशक–बोर्ड के आदेश से

(एम.सी. जैन)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 11 अगस्त, 2016
पंजिकृत कार्यालयः
इस्पात भवन, लोधी रोड–110003
सीआईएनः L27109DL1973GOI006454

सेबी विनियमों के शर्तों के आधार पर आसन्न वार्षिक मीटिंग में पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का ब्यौराः

निदेशक का नाम	**श्री बिनोद कुमार (डी आई एनः 06379761)**
जन्म तिथि	09.02.1957
नियुक्ति की तिथि	02.12.2013
विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में दक्षता	मार्केटिंग
योग्यता	बी० टेक (धातुविज्ञान)
कंपनियों की सूची जहाँ बाह्य निदेशक के रूप में रहे हैं	–
कंपनियों के अध्यक्ष/बोर्ड के कमेटी का सदस्य जिसके ये निदेशक हैं	–

तालकटोरा स्टेडियम – रास्ते का नक्शा

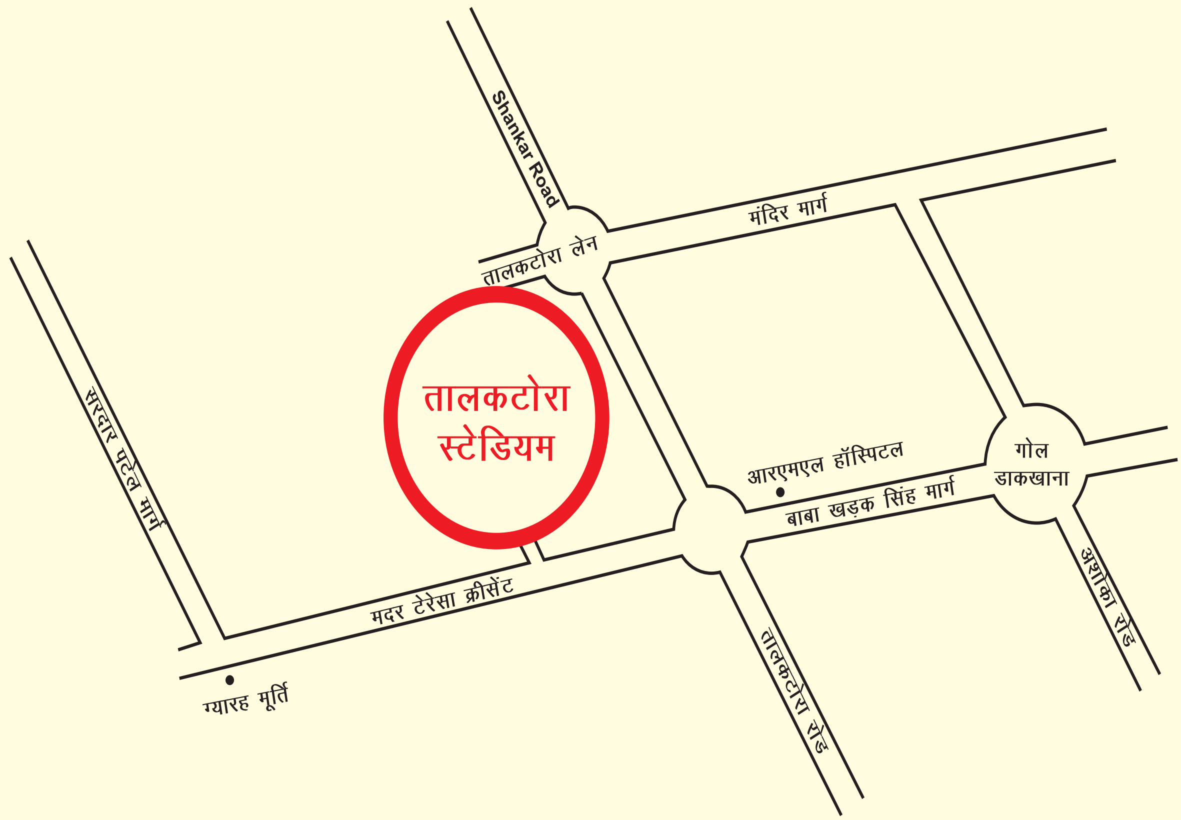

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

सी आइ एन : एल 27109 डी एल1973 जी ओ आई 006454

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003

दूरभाषः +91 11 24367481, **फैक्सः** +91 11 24367015, ई–मेलः investor-relation@sailex.com, वेबसाइटः www.sail.co.in

उपस्थिति पर्ची

44वीं वार्षिक आम मीटिंग, आयोजन 10.30 बजे बुधवार, 21 सितंबर 2016

शामिल होने वाले सदस्य का नाम (बड़े अक्षरों में)	
'फोलियो संख्या.	
डी पी आइ डी संख्या, ग्राहक आई डी संख्या	
नियंत्रित शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम (बड़े अक्षरों में, प्रतिनिधि उपस्थिति में भरा जाना है, सदस्य में नहीं)	

मैं, बुधवार 21 सितंबर 2016 को एन डी एम सी, इनडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001 में कंपनी की 44वीं, वार्षिक आम मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ।

*शेयर का नियंत्रण भौतिक रूप में होने की स्थिति में

सदस्यों का/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर ____

टिप्पणीः

1. उपस्थिति पत्र में हस्ताक्षर आर – टी एधडिपोजिटरी भागीदारी में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर(डी पी) की तरह होना चाहिए। इस प्रकार का पूरी तरह से भरा गया तथा हस्ताक्षर किया गया उपस्थिति पत्रक को आयोजन स्थल पर आर एण्ड टी ए काउण्टर पर जमा किया जाना चाहिए जिसके आधार पर आर एण्ड टी ए उपस्थिति कार्ड उपलब्ध कराएगी।
2. हॉल में प्रविष्टि आर एण्ड टी ए द्वारा उपलब्ध कराये गये उपस्थिति कार्ड के आधार पर ही होगी।
3. पहचान/सत्यापन हेतु सदस्यों/प्रतिनिधियों को फोटो पहचान कार्ड लाना होगा।
4. सिर्फ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित शेयरधारक(कों) या पंजीकृत प्रतिनिधियों को ही प्रविष्टि मिलेगी।
5. ब्रिफकेस, मोबाइल फोन, बैग, खाद्य पदार्थ, हैलमेट और अन्य सामान सुरक्षा उद्देश्य से मिटिंग स्थल में अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और शेयरधारक(कों) या पंजीकृत प्रतिनिधियों को अपने सामानों की सुरक्षा खुद करनी होगी।
6. वार्षिक आम मीटिंग में किसी प्रकार का उपहार वितरित नहीं किया जाएगा।

. . . .

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

सी आई एन : एल 27109 डी एल1973 जी ओ आई 006454

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003

दूरभाषः +91 11 24367481, **फैक्सः** +91 11 24367015, ई–मेलः investor.relation@sailex.com, वेबसाइटः www.sail.co.in

प्रतिनिधि फार्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी नियम, 2014 के नियम 19(3) (प्रबंधन और प्रशासन) के तहत]

सदस्य(यों) का नाम	
पंजीकृत पता	
फोलियो संख्या/डी पी आइ डी–ग्राहक संख्या	
ई–मेल आइ डी	

मैं/हम, ...के सदस्य(यों) होते हुए, उपर्युक्त नामित कंपनी का शेयर, तद्नुसार नियुक्त करता हूँः

1. नामः .... पताः ....

ई–मेल आई डीः .... हस्ताक्षरः .... , या इसके न होते हुए

2.नामः .... पताः ....

3.नामः .... पताः ....

ई–मेल आईडीः .... हस्ताक्षररू ....

मेरे/हमारे प्रतिनिधि और मेरे/हमारे लिए मतदान करने के लिए (बूथ पर) और मेरे/हमारे बदले में कंपनी की 44वीं वार्षिक आम मीटिंग, आयोजन 10.30 बजे बुधवार, 21 सितंबर 2016, और इस प्रस्ताव के संबंध में किसी प्रकार के स्थगन को नीचे सूचित किया गया हैः

क्रम सं. प्रस्ताव

सामान्य कार्य

1. निम्नलिखित को प्राप्त करने, विचार करने और स्वीकार करने के लिए (i) वित्त वर्ष 31 मार्च, 2016 की समाप्ति पर कंपनी की आडिट की गई पृथक वित्तीय विवरण के साथ–साथ निदेशक–बोर्ड और लेखा–परीक्षकों का तद्नुसार प्रतिवेदन।
   (ii) वित्त वर्ष 31 मार्च, 2016 की समाप्ति पर कंपनी की आडिट की गई समेकित वित्तीय विवरण और तद्नुसार लेखा–परीक्षकों का प्रतिवेदन।
2. श्री बिनोद कुमार (डी आई एनः 06379761), के स्थान पर एक निदेश को नियुक्त करने हेतु, को कि इस वार्षिक सामान्य मीटिंग तक आवृति के आधार पर सेवानिवृत हो रहे हैं और जो पुनः नियुक्ति के योग्य हैं।
3. वित्त वर्ष 2016–17 में कंपनी के लेखा–परीक्षकों के पारिश्रमिक को नियत करने के लिए, जिसकी नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा की गई है।

विशेष कार्य

4. श्री पी के दाश (डी आइ एन–01578400) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना।
5. प्रोफेसर अशोक गुप्ता (डी आइ एन–07342950) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना।
6. श्री प्रमोद बिंदल (डी आइ एन–06389570) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना।
7. श्रीमती अंशु वैश (डी आइ एन–02924346) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना।
8. डॉ० डी महापात्र (डी आइ एन–07352648) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना।
9. श्री जी विश्वकर्मा (डी आइ एन–07389419) को कंपनी का पूर्णावधि निदेशक नियुक्त करना।
10. श्री रमन (डी आइ एन–06840232) को कंपनी का पूर्णावधि निदेशक नियुक्त करना।
11. कंपनी की संपत्ति पर उधार लेने और शूल्क लगाने के लिए सहमति प्राप्त करना।
12. कंपनी के कॉस्ट लेखा–परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना।

कृपया ₹ 1 का रेवेन्यू टिकट लगाएं

इसे हस्ताक्षर किया गया ....दिन 2016

सदस्य(यों) का हस्ताक्षर..

प्रतिनिधि(यों) का हस्ताक्षर

टिप्पणीः

यह प्रतिनिधि फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए, पूरी तरह से भर कर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003 में वार्षिक मिटिंग प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा करना चाहिए।

सेल SAIL

एक महारत्न कम्पनी

सेल नेटवर्क

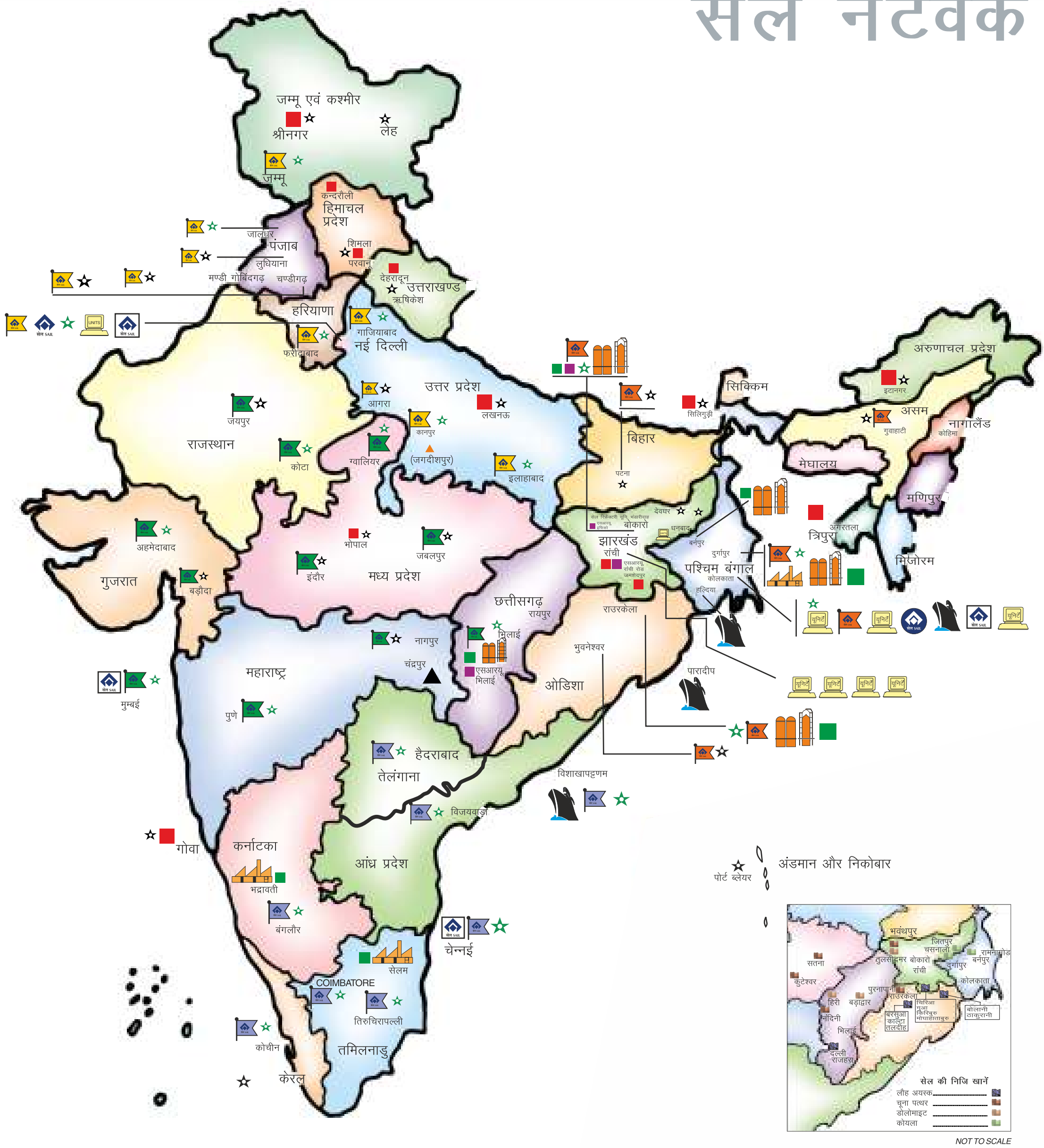

निगमित कार्यालय	यूनिटें	कंसाइन्मेंट एजेंसी यार्ड	शाखा बिक्री कार्यालय
एकीकृत इस्पात संयंत्र	सीमओ मुख्यालय	बिक्री निवास प्रबंधक	1. उत्तरी क्षेत्र
मिश्र एवं विशेष इस्पात कारखाने	क्षेत्रीय कार्यालय	ग्राहक सम्पर्क कार्यालय	2. पूर्वी क्षेत्र
फेरो एलॉय संयंत्र	स्टील प्रोसेसिंग यूनिट	सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट (एसआरयू)	3. पश्चिमी क्षेत्र
	विभागीय भण्डारगृह	परिवहन एवं शिपिंग कार्यालय	4. दक्षिणी क्षेत्र

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

6 अगस्त, 2016

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

www.sail.co.in

Contad/IPP